Tuesday, 2nd June, 1998

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

दूसरा सत्र

(बारहव लोक सभा)

सत्यमेव जयते

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

लोक सभा वाद-विवाद
(हिन्दी संस्करण)

मंगलवार, 2 जून, 1998/12 ज्येष्ठ, 1920 (शक)

का

शुद्धि-पत्र

...

कॉलम	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़िए
2	7	अजीवन	आजीवन
2	8	श्री सुशील कुमार शिन्दे	श्री सुशील कुमार शिन्दे
7	27	श्री कांतिलाल भूरिया	श्री कांति लाल भूरिया
22	नीचे से 4	प्रो॰ रीता आचार्य	प्रो॰ रीता वर्मा
42	10	उपतब्धता	उपलब्धता
43	नीचे से 4	(क) और (ख)	(क) से (घ)
48 54 58	नीचे से 8 नीचे से 11 24	श्री लाल कृष्ण आडवानी	श्री लाल कृष्ण आडवाणी
146	अन्तिम	-क्षेत्र;	हैं ?
170	नीचे से 13-14	श्री सत्त पाल सिंह यादव	श्री सत्य पाल सिंह यादव
172	नीचे से 7	सामातिक न्याय	सामाजिक न्याय
175	10	श्री जूपेन गोस्वामी	श्री नृपेन गोस्वामी
175	नीचे से 9	(क) से (ख)	(क) से (घ)
211	अन्तिम	से	(ख) से (घ)
269	6	स्व स्थ्य	स्वास्थ्य
302	16	श्री माणिकराप होडत्या गावीत	श्री माणिकराव होडल्या गावीत
326	14	श्री राम दास आम्बले	श्री राम दास आठवले
337	15	कुमारी किम गगते	कुमारी किम गंगटे
337	नीचे से 10	नियुक्तीकरण	विद्युतीकरण
348	नीचे से 4	के बीच पर	के बीच पुल पर
379	22	अनुच्देद	अनुच्छेद
381	21	(प्रकाशन)	(प्रशासन)
415	7	श्री शैलेन्द्र	श्री शैलेन्द्र कुमार

विषय-सूची

[द्वादश माला, खंड 2, दूसरा सत्र, 1998/1920 (शक)]

अंक 5, मंगलवार, 2 जून, 1998/12 ज्येष्ठ, 1920 (शक)

विषय	कालम
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 81 से 84	1-25
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 85 से 101	25-47
अतारांकित प्रश्न संख्या 873 से 1109	47-302
सभा पटल पर रखे गये पत्र	303-319
राज्य सभा से सन्देश और राज्य सभा द्वारा यथापारित विधेयक	319
समितियों के लिए निर्वाचन.	319-322
बजट में पैट्रोल की कीमतों में वृद्धि के बारे में	322-328
नियम 377 के अधीन मामले	
(एक) मध्य प्रदेश के वनांचल क्षेत्र में वन भूमि के जोतदारों को मालिकाना पट्टा देने हेतु मध्य प्रदेश सरकार के प्रस्ताव को स्वीकृति दिए जाने की आवश्यकता	
श्री गौरी शंकर चतुर्भुज बिसेन	328
(दो) उत्तर प्रदेश के उत्तरांचल की वन भूमि को जन साधारण के हित में वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के क्षेत्राधिकार से बाहर रखे जाने की आवश्यकता	
श्री बची सिंह रावत "बचदा"	329
(तीन) अनुसूचित जनजाति विशेषकर भील और मीणा समुदाय के उत्थान के लिए राजस्थान सरकार को और अधिक धनराशि उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता	
श्री भेरूलाल मीणा	331
(चार) राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अविलम्ब लागू किए जाने की आवश्यकता	
श्री जनार्दन प्रसाद मिश्र	335
(पांच) चम्बल क्षेत्र की नहरों के आधुनिकीकरण के लिए अधिक धनराशि आवंटित किए जाने की आवश्यकता	
श्री राम नारायण मीणा	335
(छह) उत्तर प्रदेश के चैल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में हुए भीषण अग्नि कांड से प्रभावित लोगों को प्रधान मंत्री राहत कोष से धनराशि जारी किए जाने की आवश्यकता	
श्री शैलेन्द्र कुमार	336

* किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

(सात) तमिलनाडु में अर्कोनम में "नेवल एयर स्टेशन" के लिए अपनी भूमि बेचने वाले लोगों को रोजगार देने के संबंध में नौसेना प्राधिकारियों द्वारा दिए गए आश्वासन को पूरा किए जाने की आवश्यकता

श्री सी० गोपाल 336

(आठ) नागालैंड से होकर गुजरने वाले ट्रकों को नागालैंड और मणिपुर के सशस्त्र आदिवासी विद्रोहियों से बचाने के लिए सड़क सुरक्षा बल तैनात किए जाने की आवश्यकता

कुमारी किम गंगटे 337

(नौ) बिहार के मुजफ्फरपुर और वैशाली जिलों में ग्रामीण क्षेत्रों का विद्युतीकरण किए जाने की आवश्यकता

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह 337

(दस) बंगलौर से चित्रदुर्ग तक नई सीधी रेल लाइन हेतु शीघ्र सर्वेक्षण कराए जाने की आवश्यकता

श्री सी०पी०एम० गिरियप्पा 338

संसदीय समिति नियुक्त किए जाने के बारे में संकल्प 347

संसदीय समिति में राज्य सभा से अपने सदस्यों को सहयुक्त करने की सिफारिश किए जाने के बारे में संकल्प 348

मंत्री द्वारा वक्तव्य

पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के अलीपुरद्वार मंडल के न्यू कूचबिहार—न्यू बोंगाईगांव खंड के गोंसाईगांव—चौतारा ब्लाक खंड के बीच पुल पर हुआ विस्फोट 349

श्री नीतीश कुमार 348-349

नियम 193 के अधीन चर्चा

किसानों को उनके कृषि उत्पादों का लाभकारी मूल्य न दिए जाने के कारण देश के विभिन्न भागों में उनके द्वारा की गई आत्महत्या की घटनाएं 349

श्री नादेन्दला भास्कर राव 353

श्री दिग्विजय सिंह 355

प्रो० प्रेम सिंह चन्दूमाजरा 358

श्री एस० सुधाकर रेड्डी 362

श्री के० येरननायडू 365

प्रो० जोगेन्द्र कवाडे 368

श्री वैको 370

श्री वी० धनंजय कुमार 373

बजट में यूरिया की कीमतों में वृद्धि के बारे में 375-378

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक — *पुर: स्थापित*

(एक) गैर-सरकारी अन्वेषक विधेयक

श्री अमर पाल सिंह 378

(दो) इलाहाबाद उच्च न्यायालय (मेरठ में स्थायी न्यायपीठ की स्थापना) विधेयक

श्री अमर पाल सिंह 378

विषय — कालम

(तीन) राष्ट्रीय जनसंख्या नीति विधेयक

श्री अमर पाल सिंह 379

(चार) संविधान (संशोधन) विधेयक

(अनुच्छेद 302 और 304 का संशोधन)

श्री अमर पाल सिंह 379

(पांच) जनसंख्या नियंत्रण विधेयक

डा० टी० सुब्बारामी रेड्डी 379

(छह) अनिवार्य मतदान विधेयक

डा० टी० सुब्बारामी रेड्डी 380

(सात) रोजगार के लिए उपबंध विधेयक

डा० टी० सुब्बारामी रेड्डी 380

(आठ) चलचित्र (संशोधन) विधेयक
(धारा 3, आदि के स्थान पर नयी धारा का प्रतिस्थापन)

डा० टी० सुब्बारामी रेड्डी 380

(नौ) वन (संरक्षण) संशोधन विधेयक
(नयी धारा 3 ग का अंत:स्थापन)

श्री बची सिंह रावत "बचदा" 381

(दस) लोक सभा (प्रशासन) विधेयक

श्री जी०एम० बनातवाला 381

(ग्यारह) मंत्रियों, संसद सदस्यों तथा सिविल कर्मचारियों द्वारा आस्तियों की घोषणा विधेयक

श्री बची सिंह रावत "बचदा" 381

(बारह) आतंकवादी और विध्वंसकारी क्रियाकलाप (निवारण)
(विधिक कार्यवाही को वापस लेना) विधेयक

श्री जी०एम० बनातवाला 382

(तेरह) आरक्षण (सेवाएं और उच्च शिक्षा) विधेयक

श्री जी०एम० बनातवाला 382

(चौदह) संविधान (संशोधन) विधेयक
(अनुच्छेद 15 आदि का संशोधन)

श्री जी०एम० बनातवाला 383

(पन्द्रह) जनसंख्या नियन्त्रण विधेयक

श्री बची सिंह रावत "बचदा" 383

(सोलह) बेरोजगारी भत्ता विधेयक

श्री आर० साम्बासिवा राव 383

(सत्रह) तम्बाकू उत्पादक (प्रसुविधा) विधेयक

श्री आर० साम्बासिवा राव 384

(अठारह) मिर्च उत्पादक (सुविधा) विधेयक

श्री आर० साम्बासिवा राव 384

विषय	कालम

(उन्नीस) कपास उत्पादक (प्रसुविधा) विधेयक

श्री आर० साम्बासिवा राव 384

(बीस) संविधान (संशोधन) विधेयक
(नये अनुच्छेद 51ख का अंत:स्थापन)

श्री मोहन सिंह 385

(इक्कीस) संविधान (संशोधन) विधेयक
(अनुच्छेद 174 का संशोधन)

श्री मोहन सिंह 385

(बाईस) संविधान (संशोधन) विधेयक
(अनुच्छेद 29क आदि का अंत:स्थापन)

श्री मोहन सिंह 385

(तेईस) विश्वविद्यालय और कालेजों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए
पदों में रिक्त स्थानों का आरक्षण विधेयक

श्री मोहन सिंह 386

(चौबीस) भारतीय दंड संहिता (संशोधन) विधेयक
(धारा 376 का संशोधन)

श्री प्रभूदयाल कठेरिया 386

(पच्चीस) मंत्रियों, संसद सदस्यों तथा लोक सेवकों की आस्तियों की जांच विधेयक

श्री प्रभूदयाल कठेरिया 387

(छब्बीस) लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक)
(नयी धारा 8ख का अंत:स्थापन)

श्री प्रभूदयाल कठेरिया 387

गैर-सरकारी सदस्य का संकल्प

राष्ट्रीय आवास नीति

डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय. 388

श्री पृथ्वीराज दा० चव्हाण 392

श्री मोहन सिंह 395

श्री गिरधारी लाल भार्गव 398

श्री शिवराज वी० पाटील 400

डा० असीम बाला 404

श्री सत्यपाल जैन 405

श्री बलराम जाखड़ 408

श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी 409

श्री के०डी० सुल्तानपुरी 410

श्री वारकला राधाकृष्णन 413

श्री शैलेन्द्र कुमार 415-416

लोक सभा

मंगलवार, 2 जून, 1998/12 ज्येष्ठ, 1920 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न 11 बजे समवेत हुई

अध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न सख्या-81, श्री सुशील कुमार शिंदे।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह (देवरिया): अध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री जी ने पैट्रोल पर कल एक रुपये प्रति लीटर बढ़ाने की घोषणा की थी लेकिन आज हमने देखा कि चार रुपये एक लीटर पैट्रोल के दाम बढ़ गए हैं। इस तरह इन्होंने सदन को और पूरे देश को गुमराह किया है। *(व्यवधान)*

श्री बेनी प्रसाद वर्मा (केसरगंज): इस तरह सदन को गुमराह करने का किसी को अधिकार नही है। *(व्यवधान)*

श्री तारिक अनवर (कटिहार): मंत्री जी, इस बात की सफाई दें।

अध्यक्ष महोदय: नहीं-नहीं, ऐसा नहीं है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाइए। यह प्रश्न काल है प्रश्न काल के बाद आप इस मुद्दे को उठा सकते है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैं प्रश्न काल के उपरान्त आपको अवसर दूंगा। प्रश्न काल के बाद आप जो चाहें सवाल कर सकते हैं। मैं आपको अनुमति दूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यों, शून्य काल भी होता है। आप अपने सवाल शून्य काल में उठा सकते हैं। कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

श्री पी. शिव शंकर (तेनाली): यह एक गंभीर विषय है। यह सभी लोगों को प्रभावित करता है *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं आपको शून्य काल में अवसर दूंगा। इसकी एक प्रक्रिया है। कृपया इसे समझने का प्रयास करें। *(व्यवधान)*

श्री अजीत जोगी (रायगढ़): कृपया हमें शून्य काल के दौरान अवसर अवश्य दे *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाइए। आप एक वरिष्ठ सदस्य हैं। मैं आपको अवसर अवश्य दूंगा। प्रश्न संख्या-81 है श्री सुशील कुमार शिन्दे।

पूर्वाह्न 11.03 बजे

प्रश्नो के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

अजीवन कारावास की सजा प्राप्त कैदी

*81. **श्री सुशील कुमर शिन्दे**: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों की जेलों में 14 वर्ष तक की सजा काट चुके आजीवन कारावास की सजा प्राप्त कितने कैदी उनके द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र पर कैद से रिहा किए गए और कितने कैदी जेलों से 14 वर्ष काटने से पहले रिहा किए गये;

(ख) क्या ऐसे कैदियों को रिहा करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 14,19 और 21 के अन्तर्गत कोई मार्गनिदेश हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) से (ग) : एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) से (ग): भारत के संविधान की सातवी अनुसूची के अनुसार "जेल" राज्य का विषय है। प्रश्न के भाग (क) में आजीवन के संबंध में मांगी गयी विशिष्ट सूचना केन्द्र सरकार द्वारा नहीं रखी जाती है।

2. दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 433 के अन्तर्गत, समुचित सरकार, मृत्यु दण्ड का लघूकरण, भा.द.सं. में उपवन्धित किसी अन्य दण्ड के रूप में करने में सक्षम हैं। तथापि धारा 433 में यह व्यवस्था है कि धारा 432 में किसी बात के होते हुए भी, जहां किसी व्यक्ति को ऐसे अपराध के लिए, जिसके लिए मृत्यु दण्ड विधि द्वारा उपबन्धित दंडों में से एक है आजीवन कारावास का दंडादेश दिया गया है या धारा 433 के अधीन किसी व्यक्ति को दिए गए मृत्यु दंडादेश का आजीवन कारावास के रून में लधुकरण किया गया है वहां ऐसा व्यक्ति कारावास से तब तक नहीं छोड़ा जाएगा जब तक कि उसने चौदह वर्ष का कारावास पूरा न कर लिया हो। इस प्रकार दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 433 सभी दोषसिद्ध अपराधियों पर लागू नहीं होती है अपितु केवल उन्हीं पर लागू होती है जो मृत्युदण्डनीय अपराधों के दोषी पाए गए है। जहां तक अन्य आजीवन कारावास का दंडादेश प्राप्त दोषियों का संबंध है उनके मामले में परिहार या लघुकरण करने की शक्तियों पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है। जहां तक भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 का संबंध है ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 433-क के उपबन्ध आजीवन कारावास का दण्ड प्राप्त दोषियों के मूल अधिकारों का उल्लंधन करते हैं।

3. यहां यह भी उल्लेख किया जाता है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 433-क, भारत के संविधान में अनुच्छेद 72 और 161 के अन्तर्गत

क्रमशः राष्ट्रपति और राज्य के राज्पाल को प्रदत्त प्राणदण्ड स्थगन, परिहार इत्यादि की संवैधानिक शक्तियों को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करती है।

[हिन्दी]

श्री सुशील कुमार शिंदे (शोलापुर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं, प्रिंजन स्टेट का सब्जैक्ट तो जरूर है लेकिन प्रिजन एक्ट 110 साल पुराना है। ह्यूमन राइट्स कमीशन के प्रमुख, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, जस्टिस कृष्णा अय्यर जी ने भी कई बार इस बारे में कहा था, लेकिन इतना कहने के बाद भी, रिपोर्ट देने के बाद भी, आज तक सरकार जागी नहीं है। बिहार जेल में देखा जाए तो पता चलेगा कि जहां केपेसिटी एक परसन की है वहां तीन लोग रखे गए हैं।

मैं यह पूछना चाहता हूं कि यह स्टेट सब्जैक्ट कहां है? डिस्क्रीशनरी पावर्स गवर्नर्स और प्रैसीडेंट को दी गई हैं लेकिन जब स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स भी इसमें, पौल्टिकल मर्डर्स के मामले में इन्वोल्व हो जाते हैं। कुछ ऐसे मर्डर्स होते हैं जिनमें आपराधी 10 साल भी पूरे वह नहीं कर पाते। लाइफ-इम्प्रीजनमेंट होती है फिर भी उनको सात और आठ साल से पहले ही छोड़ा गया है। सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन देने के बाद भी, डायरेक्टिव देने के बाद भी, देश में एक-दो जगह लोगों के सामने और समाज के सामने इस तरह का उदाहरण आया है कि उन्हें पैरोल पर छोड़ा गया, पैरोल पर छोड़कर 10 साल में कैसे भी पूरा करके छौड़ा गया, जो कम्बादन नहीं होता है। यद्यपि कैद की वास्तविक अवधि में पेरौल समय को नहीं जोडा जाता है फिर भी उन्हें रिहा कर दिया गया। सरकार क्या अभी इस बात पर सोचेगी कि सम्पूर्ण देश के लिए एक ऐसा कानून बनाया जाए कि जो डायरेक्टिव भी रहे, सम्पूर्ण देश में एक सा कानून रहे, चाहे वह 15 साल का हो या 10 साल के लिए हो। उसके बाद ही वह लाइफ इम्प्रीजनमेंट वालों को छोड़ने के लिए कंसीडर किया जाए।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: अध्यक्ष जी, जहां तक कारावासों की स्थिति का सवाल है, मैं सम्माननीय सदस्य से सहमत हूं कि उनमें बहुत सुधार की गुंजायश है। आज की उनकी स्थिति बहुत चिंतनीय और शोचनीय है। लेकिन जो सवाल है वह सवाल स्पैसिफिक संदर्भ में है और मुझे लगता है कि उसके बारे मे सम्माननीय सदस्य को कोई गलतफहमी है कि जिन व्यक्तियों को लाइफ इम्प्रीजनमेंट दिया जाता है-उन अपराधों के लिए जहाँ अधिमतम दण्ड आजीवन कारावास है, वहां 14 साल की अवधि बीतने पर ही उनको मुक्त किया जा सकता है। लेकिन जहां पर कोई कैपिटल पनिशमेंट हो, कोई अपराध ऐसा है जिसके लिए मृत्यु दंड दिया जा सकता है या मृत्यु दंड से कम भी दिया जा सकता है, वहां पर मृत्यु दंड न देकर कोर्ट ने उन्हें आजीवन कारावास दिया है, तो वहां यह निर्बन्ध जरूरी है कि 14 साल से पहले उसको मुक्त नहीं किया जा सकता। ऐसे ही अगर किसी को मृत्यु दंड दिया गया और बाद में कम्यूट करके उसको लाइफ इम्प्रीजनमेंट किया जाए, वहां भी 14 साल से कम सजा उसको नही दी जा सकती। इसलिए यह धारणा कि ऐसे मामलों में अनुच्छेद 14, 19 या 21 का उल्लंघन होता है, सही नहीं है। वैसे यह बात सही है कि आज कारावास स्टेट लिस्ट में है, हम उसके बारे में कोई कानून नहीं बना सकते हैं। यद्यपि केन्द्रीय सरकार समय-समय पर कारावासों की स्थिति के आधार पर गृह-मंत्रियों से सलाह-मशवरा करती रहती है, उन्हें आवश्यक निर्देश देती रहती है। इससे भी ज्यादा गंभीर सवाल यह है कि जेलों में गुंजायश अगर एक हजार लोगों की है तो वहां पर चार हजार लोग बैठे हुए है। कारावास में ऐसे भी लोग है जिनको पांच-पांच साल तक अंडर ट्रायल रखा जाता है, जिनका अंडर ट्रायल चलता रहता है। ऐसे बहुत सारे पहलू हैं जिन पर केन्द्रीय सरकार चिंता करती रहती है। हम उसके लिए कोई कानून नहीं बना सकते हैं। कुछ सुप्रीम-कोर्ट के निर्देश हैं जिनके अनुसार चलता है। मोटे तौर पर मैं आपकी इस चिंता से सहमत हूं।

श्री सुशील कुमार शिंदे: अध्यक्ष महोदय जी, सम्माननीय मंत्री जी ने कहा है कि 14 साल तक नहीं छोड़ते हैं और उसका क्लासिफिकेशन है कि कोल्ड ब्लड मर्डर, सिम्पल मर्डर, मर्डर बाई ल्यूनेटिक और सादे आदमी द्वारा किया गया मर्डर विद क्रीमनल इन्टेंशन - ऐसे उनके संकेत दिये जाते हैं। मेरा कहना था कि कई जो कोल्ड ब्लड मर्डर हैं, इनमें पौल्टिकल इन्फ्लूएंस आने पर कई जगह अगर लोगों को छोड़ा गया है, सरकार उस की इंक्वारी कराए। पूछना चाहता हूं कि क्या ऐसा कहीं किया गया है? इतना ही मैं कहना चाहूंगा। सरकार ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि अंडर-ट्रायल लोगों की भी चिंता आप कर रहे हैं। जस्टिस वेंकटचलैय्या जी ने पूरे देश का दौरा किया था और विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियो से पूछा था कि क्या इसमें कोई सुधार होना चाहिए। चार राज्यों के मुख्यमंत्रियो ने कहा कि इसमें सुधार होना चाहिए। कमेटी की रिपोर्ट भी आपके पास आई है। यदि स्टेट चाहते हैं कि नेशनल कनसैंसस के आधार पर एक कानून बनाया जाए तो वह कानून बनाना चहिए ताकि वह एक नेशनल डाकुमैंट बन जाए और सभी उसे फॉलो कर सकें। जैसा आपने कहा कि कैदियों का अंडर ट्रायल में रहना एक चिन्ता की बात है, मैं आपकी मालूमात के लिए बताना चाहता हूं कि 1995-96 में आन्ध्र प्रदेश में 55 और 1996-97 में 98 अंडर ट्रायलेस का डैथ हो गई। बिहार में 1995-96 में 75 और 1996-97 में 92 डैथ्स अंडर ट्रायल्स की हुई। इसके बाद मैं स्टेट अवे बिहार से महाराष्ट्र में आ जाता हूं। वहां 1995-96 में जहां 33 कस्टोडियन डैथ्स हुई वहीं 1996-97 में बढ़कर 200 हो गई।

अध्यक्ष महोदय: आप सप्लीमैंट्री क्वश्चन पूछिए।

श्री सुशील कुमार शिंदे : चूंकि होम मिनस्टर साहब ने इस पर चिन्ता प्रकट की है इसलिए मैं उनको जानकारी दे रहा हूं। देश में सबसे ज्यादा मृत्यु महाराष्ट्र में हुई हैं। 1995-96 में सबसे ज्यादा बिहार में 75 डैथ्स हुई थी लेकिन 1996-97 में महाराष्ट्र में 200 अंडर ट्रायल की मृत्यु हो गई। यह एक चिन्ता का विषय है। देश में 1115 जेलें हैं। जस्टिस वेंकटचलैय्या कमेटी ने इस सम्बन्ध में अपनी रिपोर्ट दी थी जो वह रिपोर्ट सरकार के सामने है। सरकार इसके प्रति चिंतित है लेकिन चिंतित होने से फायदा नही होगा। उस पर एक्शन लेना जरूरी है।

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल: यह आपकी सरकार के समय के आंकड़े हैं।

श्री सुशील कुमार शिंदे: मैं उन्हे जानकारी के लिए बता रहा हूं। *(व्यवधान)* आप फिर धोखे में मत रहिए। मैं 1996-97 की बात कर रहा हूं। 1996 में हमारी सरकार नहीं थी। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप सप्लीमैंट्री क्वश्चन पूछिए।

श्री सुशील कुमार शिंदे: क्या सरकार सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों

और जेल मंत्रियों को दिल्ली बुला कर उनकी राय लेगी तथा अंडर ट्रायल डैथ्स को रोकने के लिए, उनको कुछ सुविधाएं देने के लिए, ल्यूनैटिक्स विभाग को अलग करने के लिए कोई कदम उठाएगी? आज सभी महिलाएं और बच्चे एक ही बैरक्स में रहते हैं, उनको अलग-अलग रखा जाना चाहिए। कई बार तो उनको दीवाने कह कर 5-10-15 साल तक जेल में रखा जाता है। उनके लिए कोई साइकैट्रिस्ट नही जाता। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप अपना सप्लीमैंट्री पूछिए।

श्री सुशील कुमार शिंदे : अध्यक्ष महोदय, मै मंत्री जी को कुछ इनफर्मेशन दे रहा हूं। मै सरकार से जानना चाहूंगा कि क्या वह पूरे देश के मुख्यमंत्रियों और जेल मंत्रियों की बैठक बुला कर और इस विषय पर चिंतन करके नया मैन्यूअल बनाएगी?

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : अध्यक्ष महोदय, जस्टिस वेंकटचलैय्या जी के पत्र के बाद इस विषय में केन्द्र सरकार की ओर से सभी मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखे गए थे। पूर्व गृह मंत्री भी यहां उपस्थित हैं। मैं इतना ही कह सकता हूं कि उनको सुझाया गया कि अगर उनकी सहमति हो तो एक नया प्रीजन एक्ट सैंट्रल लैवल पर बनाया जाए? इस विषय पर उनकी सहमति लेना इसलिए जरूरी है क्योंकि यह एक राज्य का विषय है। हम उनकी सहमति के बिना कुछ नहीं कर सकते। मैं अभी इतना ही कह सकता हूं कि इसका रिस्पौंस उत्साहवर्धक नही है।

श्री रामानन्द सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत के विभिन्न राज्यों की जेलों मे आजीवन सजा भुगत रहे कैदी अपनी आवाज यहां पहुंचा नहीं पाते। अनेक जेलों में उनकी बहुत दयनीय हालत है। उनको कोई प्रोबेशन भी नहीं मिलता, उनको कोई सुविधा भी नही दी जाती और न ही जेलों में उनके भविष्य की कोई चिंता की जाती है। माननीय गृह मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि समूचे भारत की जेलों में आजीवन सजा काट रहे कैदियों की आज की दशा सुधारने और उनके भविष्य निर्माण के लिए क्या भारत सरकार केन्द्र स्तर पर कोई कमेटी बनाएगी? वह कमेटी उनकी दशा, परिस्थिति और उनके भविष्य का अध्ययन करके प्रतिवेदन दे ताकि समूचे राज्यों में वह लागू करायी जा सके।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: इस समय हयूमन राइट्स कमीशन इस विषय पर अध्ययन करके समय-समय पर केन्द्रीय सरकार को सूचित करता रहता है। इस विषय में, प्रिजन्स की दशा के बारे में भी उन्होंने सूचित किया है। मैं नही चाहता हूँ कि कोई कमेटी गठित करके इस मामले को ताक पर रख दिया जाए। उसकी बजाय हयूमन राइट्स कमीशन के सुझावों के आधार पर हम प्रदेशों की सरकारों को, उनके मुख्य मंत्रियों को झकझोरते रहते हैं और हमको आशा है कि इस दिशा में कुछ सुधार हो सकेगा।

श्री मोहन सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय गृह मंत्री का यह कहना कि प्रिज़न्स ऐक्ट राज्यों का अधिकार है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन जहां तक फौजदारी की धारा 443-ए के तहत के इस तरह के परिहार और सज़ा में छूट देने का अधिकार राज्य सरकारों को मिला है, लेकिन आई.पी.सी. की धारा में आजीवन कारावास परिभाषित नही हैं। समय-समय पर सर्वोच्च न्यायलय ने अपने निर्णयों में इसको परिभाषित किया हैं। एक बार तो निर्णय में कह दिया कि आजीवन कारावास माने आजीवन, फिर उसको परिभाषित किया कि आजीवन कारावास माने 14 साल। कुछ राज्यों ने उसका अर्थ लगाया कि वस्तुत: अपराधी सज़ा भोगेंगे 14 साल, और कुछ राज्यों ने उसकी परिभाषा करके सपरिहार दंड दिया 14 साल। विभिन्न राज्यों ने अलग-अलग कसौटियां परिभाषित की।

मैं माननीय गृह मंत्री जी से कहना चाहूंग कि 1974 में सी आर. पी.सी. में परिवर्तन हुआ था और मृत्यु दंड के बारे में ह्यूमन राइट्स कमीशन बार-बार इस बात का आग्रह कर रहा है कि दुनिया के सभी मुल्कों में मृत्यु दंड देने की प्रथा समाप्त हो गई है। मैं माननीय गृह मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जैसे 1885 के सी.आर.पी.सी. में 1974 में परिवर्तन इस सदन में किया गया, उस रोशनी में पुनः सी.आर.पी. सी. में आजीवन कारावास को परिभाषित करने और उस पर दंड में छूट देने या न देने के बारे में एक स्पेसेफिक प्रावधान करने के बारे में क्या सरकार विचार करने को तैयार हैं?

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: मैं केवल यही कह सकता हूँ कि कोई कदम उठाए जाने के लिए सुझाव है। क्योंकि उसकी कोई मूल परिभाषा फिर से परिभाषित करने की जरूरत नहीं है, मैं समझता हूं कि वह काफी स्पष्ट हैं। जहां भी मृत्यु-दंड रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, इस पर एक विवाद काफी समय से चला हैं। मैं सदन को इतनी जानकारी और देना चाहूंगा कि यद्यपि कारावास केन्द्रीय सरकार का विषय नहीं है, फिर भी केन्द्रीय सरकार इस बारे में चिन्तित है और 1987 से लेकर लगभग सौ करोड़ रुपये की सहायता केन्द्रीय सरकार ने कारावासों के सुधार के लिए प्रदेशों को दी है।

राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम

***82. श्री कांतिलाल भूरिया : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कुछ राज्यों में राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रमों के लक्ष्यों को पिछले वर्षों की तुलना में वर्ष 1997-98 के दौरान कम कर दिया हैं;

(ख) यदि हां तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस कार्यक्रम के अंतर्गत ये राज्य अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में असफल रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो क्या चालू वर्ष के दौरान प्राप्त उपलब्धियों के आधार पर पुनः लक्ष्य निर्धारित करने का सरकार का विचार है?

[अनुवाद]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) से (घ) लक्ष्य आधारित नीति का अनुसरण मार्च, 1998 तक किया गया । उसके पश्चात् राज्यों से गहन परामर्श करने के बाद लक्ष्य निर्धारिण नीति को संशोधित कर दिया गया। नई लक्ष्य मुक्त कार्यनीति को जनवरी, 1997 में केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद् में अनुसमर्पित किया गया जिसमें सभी राज्य सरकारों का प्रतिनिधित्व होता है। सम्मेलन में यह सिफारिश की गई कि लक्ष्य मुक्त कार्यनीति को जारी रखा जाए। इस कार्यनीति के परिणामस्वरूप परिणामों में प्रारंभिक गिरावट के बाद 1997-98 के दौरान कार्य निष्पादन में सुधार हुआ हैं। इसलिए लक्ष्य मुक्त कार्यनीति जिसके बेहतर परिणाम

निकले हैं, को छोड़ने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

श्री कांतिलाल भूरिया: माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन में एक नया सदस्य हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि आपका संरक्षण मुझे मिलेगा। माननीय मंत्री जी को अधिकारियों की टीम ने जो जवाब बनाकर दे दिया, उसको ही उन्होंने पढ़कर सुना दिया, उन्होंने अपना विवेक नहीं लगाया। अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न इतना गंभीर है कि आज देश में सबसे बड़ी समस्या जनसंख्या वृद्धि की है। परिवार कल्याण का राष्ट्रीय कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा लागू किया गया और उस कार्यक्रम में इतने हल्के तरीके से यह बात रखी जा रही है। जब उसको शुरू किया था तो 120 रुपया हर पेशेण्ट को दिया जाता था, अब उनको सिर्फ 40 रुपया दिया जा रहा है। आदिवासी एरियाज में इतनी खराब हालत है। अध्यक्ष महोदय, मैं आदिवासी बहुत झाबुआ, रतलाम क्षेत्र से चुनकर आया हूं। वहां यह हालत है कि व्यक्ति आता है और अपना आपरेशन कराकर पैदल 40.50 किलोमीटर वापस जाता है। उस स्थिति में अगर आपरेशन फेल हो जाए या उसे कोई अन्य तकलीफ हो जाए तो उस आदमी के पास मरने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। सरकार ने कहा कि हमने लक्ष्य निर्धारित पद्धति नीति खत्म कर दी है, अब उन्होंने लक्ष्य मुक्ति कार्य नीति शुरू कर दी है। उनका कहना है कि आपरेशन कराना है या नहीं कराना है यह उनकी मर्जी है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह नीति इस देश में अच्छी तरह से चल पायेगी। सन् 1991 की जनगणना में 80 करोड़ के लगभग भारत की जनसंख्या थी।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप यह उचित रूप से पूछे।

[हिन्दी]

श्री कांलिलाल भूरिया: अध्यक्ष महोदय, तब दो प्रतिशत की वृद्धि दर थी। अब 1998 में काफी पापुलेशन बढ़ गई है। इसलिए इस परिस्थिति को सदन को गंभीरता से लेना चाहिए। मेरा प्रश्न यह है कि क्या माननीय मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि जो उन्होंने लक्ष्य निर्धारण नीति को समाप्त करके लक्ष्य मुक्ति कार्य नीति बना ली है तो क्या उसके परिणाम बेहतर है, क्या उस लक्ष्य की प्राप्ति में हम आगे बढ़े है या उससे फायदा हो रहा है, यही मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं।

[अनुवाद]

श्री दलित एजिलमलाई : महोदय, बध्याकरण तथा आई यू डी इन्सरशन के लिए मुआवजे इस प्रकार हैं। सरकार कम्पैनसेशन स्कीम फॉर स्तैरेलाइज़ेशन तथा आई यू डी इन्सरशन नामक एक स्कीम के अंतर्गत नलबंदी हेतु 200 रुपये, नसबंदी हेतु 180 रुपये तथा आई यू डी इन्सरशन हेतु 16 रुपये देती हैं।

वर्ष 1996.97 से पहले, नलबंदी तथा नसबंदी के लिए राज्यों को दी गई राशि में से 100 रुपये ग्रही के भुगतान हेतु होते थे। 1996.97 से राज्य सरकारों को स्वीकर्ताओं को दी जाने वाली वास्तविक राशि निर्धारित करने की स्वतंत्रता दिये जाने का निर्णय लिया गया। यह संशोधन, जनसंख्या संबंधी राष्ट्रीय विकास परिषद् की आंकी गई सिफारिशों के अनुरूप किया गया था। राज्यों में आई यू डी इन्सरशन हेतु 16 रुपये की राशि दी जाती है *(व्यवधान)* राज्यों को दी जाने वाली सहायता को अन्य विभिन्न मदों में भी अविभाजित किया जाना चाहिए।

महोदय, वह दी जाने वाली कम राशि के विषय में कह रहे थे। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कृपया प्रश्न को समझे और फिर जवाब दें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: वह प्रोत्साहन राशि के निम्न भुगतान के विषय में पूछ रहे थे।

(व्यवधान)

श्री दलित एजिलमलाई : मैं आपको सरकार द्वारा दी जाने वाली राशि का विवरण दे रहा हूँ। *(व्यवधान)*

श्री अजीत जोगी : प्रश्न यह है कि प्रोत्साहन को बढ़ाया जाएगा अथवा नहीं। उन्होंने इस का उत्तर तो नहीं दिया है।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने उत्तर दे दिया हैं।

(व्यवधान)

श्री अजीत जोगी : महोदय वे एक नए सदस्य है। इन्हें आपका संरक्षण चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री भी एक नए मंत्री है। उन्होंने उत्तर दे दिया है।

(व्यवधान)

श्री कांतिलाल भूरिया: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से जो जानना चाहता था, मेरे प्रश्न का जवाब मंत्री जी धुमा-फिराकर दे रहे है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आप अपना दूसरा पूरक प्रश्न पूछ सकते है।

[हिन्दी]

श्री कांतिलाल भूरिया : वे मेरे प्रश्न का सही उत्तर नहीं दे पा रहे हैं। मैं आदिवासी बहुल क्षेत्र से आया हूं। सरकार का जो टारगेट है वह उसे आदिवासी एरियाज से ही पूरा करती है। सरकार का हैल्थ विभाग के लिए कितना बजट है और उस बजट का कितना भाग वह शहरी क्षेत्र के लिए खर्च करती है और ग्रामीण क्षेत्र के लिए कितना खर्च करती है। मेरी जानकारी यह है कि बजट का 6 प्रतिशत भाग गांवों के लिए और बाकी शहरों के लिए खर्च किया जाता है। जबकि सरकार सारा टारगेट गांवों से ही पूरा कर रही है। साथ में मैं यह भी जानना चाहता हूं कि जो 120 रुपये पहले पेशेन्ट को मिलते थे क्या सरकार उसे फिर से लागू करेगी ?

अध्यक्ष महोदय : आप लम्बा प्रश्न मत पूछिये।

श्री कांतिलाल भूरिया : मेरा कहना यह है कि शासन ने पूर्व में जो राशि निर्धारित की थी क्या आदिवासियों को सरकार अधिक

राशि देगी ताकि वे अपना इलाज करा सकें। इस तरह काम करने से वहां के लोगों के पास मौत के मुंह में जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी अब ठीक उत्तर दे सकेंगे।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया व्यवस्था बनाए रखिए।

(व्यवधान)

श्री दलित एजिलमलाई : अध्यक्ष महोदय, मैं आपको आँकड़े बताता हूँ। सरकार द्वारा लाभग्राहियां को आज दी जाने वाली राशि इस प्रकार हैं, भारत सरकार नलबंदी हेतु 200 रुपये, नसबंदी हेतु 180 रुपये तथा आई.यू.डी. इंसरसन हेतु 16 रुपये देती हैं। राशियों का भुगतान राज्य सरकारों के जरिए किया जाता है।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य जानना चाहते हैं कि क्या सरकार जनजातीय क्षेत्रों में भी प्रोत्साहन की राशि में वृद्धि करेगी।

श्री दलित एजिलमलाई : महोदय, इस सुझाव पर विचार किया जाएगा।

डा० रवि मल्लू : महोदय, जनसंख्या विस्फोट के कारण परिवार कल्याण कार्यक्रम अत्यंत महत्वपूर्ण है। माननीय मंत्री जी द्वारा दिए गए उत्तर के अनुसार 1996 तक कार्यक्रम का संचालन लक्ष्योन्मुखी योजना के तहत हो रहा था। अब उन्होंने लक्ष्यों को हटा दिया हैं, जिसके कारण राष्ट्रीय स्तर से डिवीजनल स्तर तक गहरी लापरवाही व्याप्त हो गई थी। यदि लक्ष्य निर्धारित होते तो निदेशक से लेकर पर्यवेक्षक स्तर तक द्वारा लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए निरंतर प्रत्ययन किया गया होता। परंतु चूंकि अब लक्ष्यों को हटा दिया गया हैं, मुझे विश्वास है कि परिवार कल्याण कार्यक्रम में अपेक्षित उपलब्धि नहीं हो सकेगी। मैं माननीय मंत्री जी से लक्ष्योन्मुखी कायक्रमों की पुनरीक्षा करने का निवेदन करता हूँ।

अध्यक्ष महोदय : आपको मंत्री जी से निवेदन करने की आवश्यकता नहीं है, आप कृपया प्रश्न कीजिए।

डा० रवि मल्लू : क्या मैं माननीय मंत्री जी से जान सकता हूँ कि वे लक्ष्योन्मुखी कार्यक्रमों को पुनः शुरू करने का उनका विचार हैं या नहीं?

श्री दलित एजिलमलाई : महोदय, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि लक्ष्य मुक्त कार्यनीति को छोड़ने का कोई प्रस्ताव नहीं हैं, जिसके बेहतर परिणाम निकले हैं। लक्ष्य राष्ट्रीय, राज्य तथा जिला स्तरों पर उच्च अधिकारियों के अनुभवों पर आधारित होते है न कि लोगों की आवश्यकता पर।

सारा ध्यान केवल संख्या पर होता है और एक बार लक्ष्य निर्धारित हो जाने पर तो कार्यकरण की गुणवता कोई मायने नही रखती हैं। क्षेत्र के कार्यकर्ता ने अपनी उपलब्धियों का बढ़ा-चढ़ा कर वर्णन करते हैं। अत: लक्ष्य निर्धारित करने का दृष्टिकोण राज्य सरकारों से विस्तृत विचार-विमर्श के पश्चात् छोड़ दिया गया था तथा 1995-96 के दौरान राज्यों को तमिलनाडु, केरल, संघ राज्यों चड़ीगढ़ तथा 14 अन्य राज्यों के 18 जिलों में लक्ष्य मुक्त आवधारण परिवार कल्याण कार्यक्रम के आधार पर कार्यान्वित करने के लिए कहा गया था। बाद में अनुभव के बारे में राज्य सरकारों के साथ चर्चा की गई और 1.4.98 से गर्भ निरोधक के लक्ष्यों को पूरे देश से हटा लेने का विचार किया गया। केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद् का चौथा सम्मेलन जो अक्टूबर 1995 में हुआ था, ने 1996-97 से लक्ष्य मुक्त दृष्टिकोण के आधार पर परिवार कल्याण कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिए सभी राज्य सरकारों द्वारा किये गये प्रयासों की सराहना की।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, आप इसे सभा पटल पर रख सकते हैं।

श्री दलित एजिलमलाई : ठीक है।

श्री वैको : महोदय, जनसंख्या त्रिन्ताजनक रूप से वृद्धि हुई है और यह समस्या काफी व्यापक हो गई हैं। इस देश की समृद्धि और खुशहाली के लिए यह वास्तव में विस्फोटक स्थिति है अगले पाँच वर्षो में हमारी जनसंख्या चीन की जनसंख्या से भी बढ़ जाएगी। इसलिए कि चीन ने जनसंख्या वृद्धि की समस्या से निपटने के लिए बहुत प्रभावी उपाय किये है। मंत्री महोदय ने अपने विवरण में बताया है कि राज्य सरकारों से परामर्श करने के पश्चात् उन्होंने लक्ष्य की अवधारणा को छोड़ दिया है। महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि ऐसे कौन से राज्य हैं जिन्होंने लक्ष्य पूरा कर लिया है और जिन्होंने लक्ष्य पूरा नहीं किया है। मै उनसे यह भी जानना चाहता हूं कि इस समस्या से निपटने के लिये सरकार कौन से प्रभावी-उपाय उठाने का विचार रखती है। क्या मंत्री महोदय इन मुद्दो पर हमें जानकारी देगें।

श्री दलित एजिलमलाई: जनसंख्या नियन्त्रण के संबंध में तमिलनाडु का पहला स्थान हैं।

अनेक माननीय सदस्य: नहीं केरल का पहला स्थान है।

श्री वारकला राधाकृष्णन् : महोदय, मंत्री महोदय जो कह रहे हैं वह सही नहीं हैं।

श्री दलित एजिलमलाई : मैं अपने कथन में सुधार करता हूं। केरल का पहला स्थान है और तमिलनाडु का स्थान केरल के बाद है।

श्री वैको : परन्तु उनको क्या प्रोत्साहन मिले हैं? क्या आप उन राज्यों को कोई प्रोत्साहन देने का प्रस्ताव रखते हैं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय कृपया अध्यक्षपीठ को संबोधित करे न कि सदस्यों को।

श्री दलित एजिलमलाई : अब अन्य बकाया योजनाओं को केरल और तमिलनाडु में क्रियान्वित करने की अनुमति दी जा रही है जबकि अन्य राज्यों जैसे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार जो काफी पीछे हैं अपनी परियोजनाओं को पूरा तक नहीं कर रहे हैं। बाद में उनसे उनका प्रतिवेदन देने को कहा गया है और हम उनकी जांच कर रहे हैं। निश्चित रूप से महाराष्ट्र, तमिलनाडु और केरल जैसे राज्य काफी आगे हैं, और वे लाभ उठा रहे हैं इसी प्रकार हम उन्हें प्रोत्साहन दे रहे हैं।

श्री वैको : उन राज्यों को दिये जाने वाले विशेष प्रोत्साहन क्या हैं?

श्री दलित एजिलमलाई : उनको कोई विशेष प्रोत्साहन नहीं दिये जा रहे हैं परन्तु उन्हें परियोजना पर कार्य करने की अनुमति दे दी गई हैं।

श्रीमती जयन्ती पटनायक : जब लक्ष्य रहित दृष्टिकोण को अनुमोदित किया गया तो यह प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं अर्थात् व्यापक जच्चा-बच्चा स्वास्थ्य सेवाओं की अवधारणा का सुझाव दिया गया था इस प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं की इस अवधारणा में भी बच्चे को बचाना, बच्चे को जन्म देने की प्रक्रिया को सर्वाधिक महत्त्व मिलना चाहिए किन्तु, बड़ा अर्थात मां जिसका अर्थ हैं, मां के हित, उसकी देखभाल और अधिकार के साथ ही साथ परिवार नियोजन उपायों का स्वतंत्र चुनाव, इसका इसमें अभाव हैं। यदि लक्ष्य मुक्त दृष्टिकोण को सफल बनाना हैं तो इनका विशेष महत्त्व मिलना आवश्यक है, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगी कि क्या प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं की अवधारणा में भावी माताओं, प्रसव अवस्था से पूर्व की व्यस्क लड़कियों और प्रसवोत्तर समय में मां की स्थिति तथा परिवार नियोजन उपायों को शमिल करते हुए आधार भूत सुविधाओं को शामिल किया गया है। सरकार और गैर-सरकारी सर्गेठनों द्वारा यह कार्य किस सीमा तक किया गया है? दूसरे परिवार नियोजन उपायों को महिलाओं की तुलना में पुरुषों द्वारा किस सीमा तक अपनाया गया है?

श्री दलित एजिलमलाई : महोदय आवश्यकता पर आधारित प्रजनन और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम सितम्बर 1997 से आरम्भ किया गया था। हमारे गम्भीर दृष्टिकोण में माताओं को माफी अधिक महत्व दिया गया है। *(व्यवधान)*

श्रीमती जयन्ती पटनायक : महोदय यदि वे अभी उत्तर न देना चाहते हों। वे मुझे बाद में उत्तर दे सकते हैं

[हिन्दी]

श्री चेतन चौहान : अध्यक्ष जी, मैंने यह सवाल 10वी लोक सभा में भी पूछा था और उस समय माननीय प्रधान मंत्री जी ने हाउस को आश्वासन दिया था कि मैं इसके ऊपर बहुत शीघ्र ऑल पार्टी मीटिंग बुलाऊंगा, इस पर चर्चा करेंगे और जो भी निर्णय होंगे, वे लिये जायेंगे। मैं मंत्री जी से अपने प्रश्न को दो पार्ट में पूछना चाहता हूं। पहला पार्ट यह कि क्या मंत्री जी इस प्रकार की कोई ऑल पार्टी मीटिंग बुलाने जा रहे हैं क्योंकि यह मामला बहुत संवेदनशील है और बहुत गंभीर हैं। जिस प्रकार से भारत की जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है, भारतीय जनता पार्टी की भी बढ़ रही है, आप चिन्ता न करिये। *(व्यवधान)*

दूसरा पार्ट यह हैं कि सरकार क्या इन्सेंटिव और डिसइन्सेंटिव लागू करने जा रही है जिससे देश की बढ़ती हुई आबादी पर कोई कंट्रोल किया जा सके। तीसरा जिस प्रकार राजस्थान में जन-प्रतिनिधियों के ऊपर भी कंट्रोल लगा दिया है कि जिसके दो से ज्यादा बच्चे होंगे, वह चुनाव नहीं लड़ सकता, क्या सरकार के पास इस प्रकार की कोई योजना हैं?

[अनुवाद]

श्री दलित एजिलमलाई : हम माननीय सदस्यों द्वारा दिये गये सुझावों की जांच करेंगे।

अध्यक्ष महोदय: ठीक है।

एड्स की रोकथाम के लिए उपलब्ध कराई गई और खर्च की गई राशि

\+
*83. **श्री रवि सीताराम नायक:**
श्री के. सी. कोंडय्या:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 5 मई, 1998 के ''इंडियन एक्सप्रैस'' में ''करोड्स और स्पेन्ट ऑन एड्स अवेयरनेस, नाट ए पेन्नो आन विक्टिम्स'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या एड्स के प्रति जागरूकता बढ़ाने के कार्य पर भारी धन राशि खर्च करने के बावजूद भी देश में एड्स के मरीजों की संख्या निंरतर बढ़ती जा रही हैं और उक्त खर्च का कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है;

(ग) क्या अस्पतालों में अपर्याप्त सुविधाओं के कारण एड्स के मरीजों के इलाज पर खर्च की अपेक्षा एड्स जागरूकता अभियान पर अधिक धनराशि खर्च की गई;

(घ) यदि हां, तो विगत तीन वर्षो के दौरान प्रति वर्ष एड्स की रोकथाम के लिए सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई तथा खर्च की गई कुल धनराशि का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ङ) इस समय देश में एड्स नियंत्रण उपायों तथा एड्स के रोगियों के उपचार के लिए उपलब्ध सुविधाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या हैं; और

(च) सरकार द्वारा इस रोग के प्रसार को नियंत्रित करने, आम जागरूकता पैदा करने तथा अस्पतालों में मरीजों के उपचार के लिए पर्याप्त सुविधाएं मुहैय्या कराने के लिए और क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) (क) से (च) एक विवरण सभा पटल पर रखा है।

विवरण

(क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं। दूसरी तरफ एड्स जागरूकता को दिए गए महत्व के कारण देश में एड्स से ग्रस्त रोगियों को संख्या में भयप्रद वृद्धि नहीं हुई है। अप्रैल, 1998 तक कुल सूचित किए गए एड्स के रोगियों की संख्या 5,209 थी जबकि अप्रैल, 1997 में यह संख्या 3,458 थी।

(ग) राष्ट्रीय एड्स निवारण और नियंत्रण कार्यक्रम का बल जागरूकता पैदा करने और व्यवहार में बदलाव लाने पर रहता है ताकि रोग को आगे फैलने से रोका जा सके और लोगों को स्वयं को एच. आई.वी./एड्स से बचाव करने में समर्थ बनाया जा सके। यह विशेष रुप से महत्वपूर्ण हैं क्योंकि आज तक इस रोग का कोई प्रतिरक्षण या उपचार नहीं हैं। इसलिए अपेक्षाकृत अधिक महत्व के निवारक उपायों पर काफी बड़ी राशि खर्च करनी पड़ती हैं। जहां एड्स के शिकार व्यक्ति अवसरवादी संक्रमणों से ग्रस्त हैं, उनके लिए अस्पतालों में

आवश्यक सुविधाएं मौजूद हैं। चिकित्सकों को रोगियों का उपचार करने हेतु सक्षम बनाने के लिए 2,200 से अधिक डाक्टरों ने विशेषज्ञता प्रशिक्षण प्राप्त किया हैं। देश के कुछ अस्पतालों से कुछ चुनिंदा डाक्टरों को विदेशों में प्रशिक्षण के लिए भेजा गया हैं ताकि उन्हें आधुनिकतम व्यावसायिक सेवाएं प्रदान करने में समर्थ बनाने हेतु विदेशों में अपनाई जा रही आधुनिक पद्धतियों और प्रक्रियाओं से अवगत कराया जा सके।

(घ) एक विवरण संलग्न हैं (अनुबंध I)।

(ङ.) एच. आई.वी./एड्स रोगी का क्लिनिकल उपचार संक्रमण के उचित और सामयिक निदान तथा उसके उपचार तथा अन्य लोगों में संक्रमण के संचारण को रोकने हेतु परामर्श करने पर आधारित है। चूंकि एड्स का कोई इलाज नहीं है, इसलिए अस्पतालों में अवसरवादी संक्रमणों की केवल प्रशामक परिचर्या और उपचार प्रदान किया जा रहा है।

(च) भारत में एच. आई.वी./एड्स के फैलाव को रोकने और नियंत्रित करने के लिए इस समय देश भर में एक व्यापक कार्यक्रम केन्द्रीय प्रायोजित योजना के रूप में कार्यान्वित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम की कार्यनीतियों में (i) अधिक जोखिम वाले आचरण समूह और आम जनता में एच. आई.वी./एड्स के बारे में जागरूकता पैदा करना; (ii) यौन संचारित रोगों का नियंत्रण; (iii) रक्त निरापदता और रक्त का विवेकपूर्ण इस्तेमाल करना; (iv) निगरानी का सुदृढ़ीकरण और एच. आई.वी./एड्स रोगियों का निदान तथा क्लिनिकल उपचार शामिल है। चूंकि एड्स रोगियों का अवसरवादी संक्रमणों के लिए उपचार किया जाता है, इसलिए एड्स रोगियों और अन्य रोगियों के उपचार के बीच कोई भेदभाव नहीं है। राज्यवार ब्यौरे अनुबंध-II में दिए गए हैं।

अनुबंध-I

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम

निधियों का समुपयोजन

(लाख रुपयें में)

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	1995-96		1996-97		1997-98	
		सूचित किया गया व्यय	रिलीज किए गए अनुबंध	सूचित किया गया व्यय	रिलीज किए गए अनुबंध	सूचित किया गया व्यय	रिलीज किए गए अनुबंध
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	432.00	293.93	425.30	434.30	425.00	86.59
2.	अरूणचल प्रदेश	65.81	65.26	80.00	63.72	25.00	13.84
3.	असम	92.70	78.03	100.00	101.38	100.00	103.60
4.	बिहार	0.00	11.65	25.00	26.97	50.00	1.21
5.	गोवा	0.00	31.16	25.00	29.84	50.0	1.52
6.	गुजरात	131.26	154.79	300.00	63.36	250.00	56.48
7.	हरियाणा	0.00	42.70	130.00	66.19	75.00	75.00
8.	हिमाचल प्रदेश	156.75	96.63	115.00	200.88	225.00	55.33
9.	जम्मू व कश्मीर	0.00	5.00*	25.00	6.00*	25.00	7.50*
10.	कर्नाटक	120.00	193.73	350.00	160.61	175.00	150.00*
11.	केरल	172.62	185.49	225.00	136.18	100.00	80.00*
12.	मध्य प्रदेश	137.00	157.59	425.00	268.18	150.00	182.00
13.	महाराष्ट्र	300.00	359.32	900.00	682.36	950.00	274.94
14.	मणिपुर	113.58	54.75	200.00	121.87	150.00	14.31
15.	मेघालय	18.00	27.06	35.00	15.51	25.00	17.63
16.	मिजोरम	74.00	93.63	150.00	126.98	100.00	21.66
17.	नागालैंड	107.00	128.95	190.00	175.06	155.00	125.98

1	2	3	4	5	6	7	8
18.	उड़ीसा	0.00	31.62	50.00	12.53	75.00	25.00*
19.	पंजाब	80.00	98.08	225.00	51.30	75.00	59.45
20.	राजस्थान	90.00	70.30	375.00	222.14	225.00	234.00
21.	सिक्किम	25.00	20.29	50.00	23.11	50.00	11.11
22.	तमिलनाडु	650.00	679.73	1700.00	1304.51	2000.00	1216.39
23.	त्रिपुरा	38.00	39.30	50.00	56.04	50.00	40.00*
24.	उ० प्रदेश	00.00	204.31	450.00	310.98	495.00	219.63
25.	प०बंगाल	288.82	224.50	600.00	252.47	100.00	32.51
26.	पाडिचेरी	55.04	11.57	7.00	26.92	25.00	109.13
27.	अंडमान निकोबार दीप समूह	50.59	14.09	45.91	33.52	0.00	9.31
28.	चंडीगढ़	51.70	31.72	46.93	29.10	31.09	3.12
29.	दादरा व नगर हवेली	42.00	21.05	17.00	54.42	28.00	3.07
30.	दमण व दीव	43.05	37.24	19.00	13.10	16.00	2.57
31.	दिल्ली	164.00	94.09	400.00	24.22	24.22	10.25
32.	लक्षद्वीप	53.54	4.37	16.71	6.00*	15.42	5.00*
	कुल	3552.46	3561.93	7752.55	5100.25	6239.73	3248.13

*अनन्तिम

अनुबंध-II

एच आई वी जांच सुविधाओं तथा उन नोडल संस्थाओं जहां उपचार सुविधाएं उपलब्ध हैं के राज्यवार ब्यौरों को दर्शाने वाली तालिका।

क्र०सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	जोनल रक्त जांच केन्द्र	निगरानी केन्द्र की सं०	प्रधान संस्थाएं जहां उपचार उपलब्ध है
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	12	11	उसमानिया मेडिकल कालेज, हैदराबाद
2.	अरूणचल प्रदेश	1	1	सरकारी अस्पताल, इटानगर
3.	असम	3	3	सरकारी मेडिकल कालेज, गोवाहाटी
4.	बिहार	9	10	पी.डब्ल्यू.मेडिकल कालेज, पटना
5	गोवा	2	1	मेडिकल कालेज, गोवा
6.	गुजरात	5	5	बी.जे.मेडिकल कालेज, अहमदाबाद
7	हरियाणा	4	1	पी जी आई एम एस आर, रोहतक
8.	हिमाचल प्रदेश	2	1	आई जी मेडिकल कालेज, शिमला
9.	जम्मू व कश्मीर	3	3	शेरे-ए-कश्मीर इस्टी.आफ मेडिकल साईसिज, श्री नगर
10.	कर्नाटक	10	7	बंगलौर मेडिकल कालेज बंगलौर
11.	केरल	5	5	सरकारी मेडिकल कालेज, त्रिवेन्द्रम

1	2	3	4	5
12.	मध्य प्रदेश	10	8	एम.जी. मेडिकल कालेज, भोपाल
13.	महाराष्ट्र	17	19	जे.जे. ग्रुप आफ होस्पीटल, मुम्बई
14.	मणिपुर	1	1	रीजनल इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साईसिंज इम्फाल
15.	मेघालय	1	1	जिला अस्पताल, शिलांग
16.	मिजोरम	1	1	सरकारी अस्पताल, आईजोल
17.	नागालैंड	3	2	सरकारी अस्पताल, कोहिमा
18.	उड़ीसा	4	4	एस सी बी मेडिकल कालेज, कटक
19.	पंजाब	3	3	सरकारी मेडिकल कालेज, अमृतसर
20.	राजस्थान	6	6	स्वामी मानसिंह मेडिकल कालेज,जयपुर
21.	सिक्किम	1	1	सरकारी अस्पताल, गंगटोक
22.	तमिलनाडु	13	9	चेन्नई मेडिकल कालेज, चेन्नई
23.	त्रिपुरा	1	1	सरकारी अस्पताल, अगरतला
24.	उ० प्रदेश	13	10	के.जी. मेडिकल कालेज, लखनऊ
25.	प०बंगाल	10	7	कलकत्ता मेडिकल कालेज, कलकत्ता
26.	अंडमान निकोबार दीप समूह	1	1	जी.बी. पंत अस्पताल, पोर्ट ब्लेयर
27.	चंडीगढ़	1	1	पी.जी. आई, चंडीगढ़
28.	दादरा व नगर हवेली	–	–	जिला अस्पताल, सिलवस्सा
29.	दमण व दीप	–	–	जिला अस्पताल, दमण
30.	दिल्ली	10	4	एमस, नई दिल्ली
31.	लक्षद्वीप	1	1	सरकारी अस्पताल, कावारत्ती
32.	पांडिचेरी	–	2	सरकारी जनरल अस्पताल, पांडिचेरी
	कुल	154	131	

श्री रवि सीताराम नायक : महोदय, 1993 में एड्स के 3,458 मामले दर्ज किए गए थे। और अप्रैल, 1998 में 5209 मामले दर्ज किए गए हैं। एक वर्ष में 1751 मामलों की वृद्धि हुई हैं। यह एक गंभीर विषय है।

मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि क्या 1992 से 1997 तक 5 वर्षों के लिए राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण परियोजना को विश्व बैंक से ऋण के माध्यम से धनराशि उपलब्ध कराई गई थी। इसकी वर्तमान स्थिति क्या है? क्या पुन: और ऋण लेने के लिए बातचीत करने हेतु कोई कदम उठाये गये हैं? यदि हाँ, तो इसका परिणाम क्या है?

दूसरा क्या यह सच है कि 1992 में राष्ट्रीय एड्स निवारण और नियंत्रण कार्यक्रम के लिए परियोजना निदेश का एक अलग पद सृजित किया गया था और तब से उस पर अन्य कार्यों का भी भार डाल दिया गया है जिसके फलस्वरूप एड्स नियंत्रण कार्यक्रम की उपेक्षा हुई हैं?

क्या यह सच है कि राष्ट्रीय एड्स निवारण संगठन में अधिकांश पद खाली पड़े हैं?

श्री दलित एजिलमलाई : महोदय, हम विश्व बैंक से 200 मिलियन डालर के अतिरिक्त ऋण के लिए बातचीत कर रहे हैं। हमारे पास परियोजना निदेशक हैं। विस्तार कार्यक्रम की जांच की जा रही हैं।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं, मंत्री महोदय। प्रश्न यह है कि क्या सरकार एड्स के नियंत्रण के लिए कोई कदम उठा रही हैं।

श्री दलित एजिलमलाई : हम यह कार्य कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : सरकार क्या कदम उठा रही हैं?

श्री दलित एजिलमलाई : हमने राज्य स्तर पर समितियों का गठन किया हैं। हमारे पास एड्स के निवारण और नियंत्रण के लिए राज्य स्तर पर समितियां हैं। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : इन्हें पूरा करने दें।

श्री दलित एजिलमलाई : हम कार्यक्रम को राज्य स्तर पर विकेन्द्रित कर रहे हैं। यदि शीर्षस्थ नेताओं के माध्यम से यह संदेश आम जनता तक पहुंचता हैं तो यह एक महान उपलब्धि होगी।

राष्ट्रीय एड्स निवारण और नियंत्रण कार्यक्रम रोग के आगे और फैलाव को रोकने के लिए जागरूकता पैदा करने और व्यावहारिक परिवर्तन लाने और लोगों को एच आई वी/एड्स से स्वयं को बचाने के लिए सबल बनाने पर जोर देता हैं।

यह विशेष महत्वपूर्ण है क्योंकि आज तक इस रोग का कोई प्रतिरक्षण या इलाज नहीं है। इसलिए निवारक उपायों पर भारी धनराशि खर्च की जाती है जो सर्वोधिक महत्वपूर्ण है एड्स रोगी को कभी भी कोई भी संक्रामक रोग हो सकता हैं अत: एड्स से पीड़ित लोंगों के लिए आवश्यक सुविधाएं अस्पातालों में उपलब्ध हैं।

ऐसे मामलों का इलाज करने में सक्षम बनाने के लिए 2300 चिकित्सकों को विशेष प्रशिक्षण दिया गया हैं। देश के कुछ अस्पातालों में से चुने गए कुछ चिकित्सकों को प्रशिषण के लिए विदेश में भेजा गया हैं ताकि वे वहां पर अपनाई गई नवीनतम प्रणाली और प्रक्रिया को जान सकें और इससे वे अपनी व्यवसायिक सेवाओं को अद्यतन भी करा सकेंगे।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, कृपया प्रश्न को समझिए। श्री नायक, कृपया अपना दूसरा अनुपूरक प्रश्न पूछिए।

श्री रवि सीताराम नायक : एड्स पीड़ितों की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता कार्यक्रम चलाने में संबंध में क्या विचार रखती हैं:

अध्यक्ष महोदय : श्री नायक, आप सुस्पष्ट अनुपूरक प्रश्न पूछे, लंबा अनुपूरक प्रश्न नहीं।

श्री रवि सीताराम नायक : महोदय, मैनें एक सुस्पष्ट अनुपूरक प्रश्न ही पूछा हैं। मैं यह जानना चाहता हूँ कि एड्स पीड़ितों की बढ़ती संख्या को देखते हुए सरकार का ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता कार्यक्रम चलाने के लिए क्या कदम उठाने का प्रस्ताव हैं ?

अध्यक्ष महोदय : इन्होंने इस प्रश्न का उत्तर पहले ही दे दिया हैं।

श्री रवि सीताराम नायक : महोदय, मै मंत्री महोदय से गोवा राज्य में एड्स के मामलों की संख्या जानना चाहता हूँ।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, यह विशिष्ट रूप से गोवा राज्य के संबंध मे पूछा गया प्रश्न हैं। गोवा राज्य में कितने लोग एड्य से पीड़ित हैं?

श्री दलित एजिलमलाई : महोदय, हमारे पास मामलों की कुल संख्या तो है परंतु राज्य-वार आंकड़े नहीं हैं।

अध्यक्ष महोदय : गोवा राज्य में एड्स के कितने मामलों का पता चला है ?

श्री दलित एजिलमलाई : महोदय, हमारे पास राज्य-वार आंकड़े नहीं हैं। परन्तु हम उन्हें राज्य-वार आंकड़े प्रदान करेंगे।

श्री के. सी. कोंडय्या : महोदय, मैं समझता हूँ कि माननीय मंत्री महोदय हमारे प्रश्न को नहीं समझ पाए हैं। मैंने एक विशिष्ट प्रश्न पूछा था। प्रश्न यह है कि क्या सरकार का ध्यान "एड्स के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए करोड़ रु० खर्च किए गए, एड्स से पीड़ित लोगों पर एक पैसा भी नहीं" नामक शीर्षक के अंतर्गत छपी खबर की ओर आकर्षित किया गया है। मंत्री महोदय द्वारा दिए गए उत्तर के अनुसार यह बताया गया है कि जागरूकता कार्यक्रमों के लिए 3 वर्षो में 175 करोड़ रु० खर्च किए गए हैं। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार ने एड्स से पीड़ित लोगों के लिए कोई विशेष धनराशि खर्च की है अथवा क्या उन्होंने एड्स से पीड़ितों के लिए कोई धनराशि नियत की है।

श्री दलित एजिलमलाई : हमने खबर को देखा हैं। पीड़ितों को राहत और उपचार प्रदान करने के लिए हमने डाक्टरों का चयन किया हैं और उन्हें प्राशिक्षण के लिए विदेश भेजा जा रहा हैं।

श्री के. सी. कोंडय्या : मेरा विशेष प्रश्न यह है कि क्या एड्स रोगियों के उपचार और उनके परिवारों के पुनर्वास के लिए कोई विशिष्ट धनराशि निर्धारित की गई है।

श्री दलित एजिलमलाई : महोदय, यदि माननीय सदस्य उपचार आदि पर वास्तव में खर्च की जा रही धनराशि के बारे में जानना चाहता है, तो उसे जानकारी दे दी जाएगी।

[हिन्दी]

श्री विजय गोयल : अध्यक्ष जी, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि मंत्री जी ने जो राज्यवार ग्राण्ट्स रिलीज्ड और एक्सपेंडीचर रिपोर्टेड की स्टेटमेंट दी है, उसमें राज्यों को किस हिसाब से ग्राण्ट दी गई है–राज्यों के साइज के हिसाब से या एड्स के केसेज के हिसाब से? अध्यक्ष जी, आप देखेंगे कि केरल के अन्दर पांच जोनल बोर्ड टैस्टिंग सैण्टर हैं, लेकिन केरल को 172 लाख रुपये ग्राण्ट दी गई हैं। जबकि दिल्ली के अन्दर से सैण्टर्स 10 हैं परन्तु ग्राण्ट 164 लाख रुपये दी गई है। मैं पूछना चाहता हूं कि यह भेदभाव किस आधार पर किया गया है केसेज के हिसाब से किया गया है या राज्य के साइज के हिसाब से किया गया है।

श्री चन्द्रशेखर साहू : केन्द्र शासित प्रदेशों में एड्स की ज्यादा शिकायतें हैं।

श्री विजय गोयल : अध्यक्ष जी, दूसरा मेरा यह कहना हैं कि जो प्रश्न पूछा गया था कि प्रिवेण्टिव मैजर्स के लिए कितना रुपया खर्च किया गया हैं और हास्पिटल्स में फैसिलिटीज के लिए कितना खर्च किया गया है, क्या मंत्री जी उसका ब्रेक-अप बताने का कष्ट करेंगे?

[अनुवाद]

श्री दलित एजिलमलाई: अनुदान की धनराशि एड्स रोगियों की संख्या और रोग की व्यापकता पर आधारित हैं। यह राज्य के आकार पर आधरित नहीं हैं।

श्रम कानून की समीक्षा

+

***84. श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी :**
श्री रामटहल चौधरी :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में श्रम समस्याओं के विभिन्न पहलू क्या हैं।

(ख) क्या उदारीकरण के प्रभावों को ध्यान में रखते हुए श्रम कानूनों की जांच हेतु कोई पुनरीक्षा आयोग नियुक्त करने का सरकार का विचार है,

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

[हिन्दी]

श्रम मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया) : (क) से (ख) एक विवरण लोक सभा के सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

श्रम की उन समस्याओं, जो महत्वपूर्ण प्रकृति की थी, और जिन्होंने समय विशेष पर विशेषरूप से ध्यान आकर्षित किया था, के विभिन्न पहलुओं का निराकरण करने के लिए समय-समय पर अनेक श्रम कानून अधिनियमित किए गए हैं। इनके दायरे में बहुत से विषय आते हैं जिनमें संघ की स्वतंत्रता और व्यवसाय संघ से संबंधित अधिकार, कार्य-दशाएं, न्यूनतम मजदूरी, सामाजिक सुरक्षा, श्रम संबध, प्रवासी कर्मकार, बच्चों का नियोजन आदि शामिल हैं। जबकि इनमें से कुछ मुद्दे नियमित प्रकृति के होते हैं, इनमें से कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जिनका महत्व ही समाप्त हो चुका हो।

उदारीकरण और ढाँचागत समायोजन का प्रारम्भ 1991 में हुआ था।इसके बाद राजकोषीय नीतियों, व्यापार नीतियों, विदेशी तथा निवेश नीतियों आदि में परिवर्तन किया गया। आर्थिक और व्यापार संबंधी नीतियों में परिवर्तन के बाद श्रम कानूनों में उपयुक्त और समुचित संशोधन नहीं किए गए। तदनुसार, यह महसूस किया जाता है कि श्रम कानूनों की व्यापक रूप से समीक्षा किए जाने की आवश्यकता है जिससे आर्थिक नीति में किए गए सामान्य परिवर्तनों के साथ श्रम कानूनों की प्रासंगिकता सुनिश्चित की जा सके तथा श्रमजीवी वर्ग को बेहतर कल्याण-सुविधाएं भी मुहैया करवायी जा सकें। इस संदर्भ में इस पूरे प्रश्न की जांच-करने के लिए सरकार एक श्रम संबंधी उच्च अधिकार प्राप्त समिति गठित करने पर विचार कर रही है, जिसके ब्यौरे तैयार किए जा रहे हैं।

श्री राम टहल चौधरी : अध्यक्ष महोदय देश में श्रमिकों की अनेक समस्याएं है। उन समस्याओं के समाधान हेतु अनेक अधिनियम बने हैं। परंतु उन अधिनियमों को लागू करने का दायित्व जिन अधिकारियों पर हैं, वे उन्हें ठीक प्रकार से लागू नहीं कर पा रहे है। अभी भी मजदूरों को जो न्यूनतम मजदूरी मिलनी चाहिए, वह नहीं मिल पाती। मजदूरों को छुट्टी का मामला हो, चाहे इलाज का मामला हो या अन्य कोई सुविधा हो, वह भी नहीं मिल पाती। खासकर सरकारी और प्राइवेट कारखानों में यह चीज ज्यादा पाई जाती हैं। तकलीफ तब होती हैं जब बड़े-बड़े सरकारी प्रतिष्ठान जैसे हमारे बिहार में एच.इ.सी एल. और सेल हैं, वहां के सप्लाई मजदूरों को रखा जाता हैं और 25-30 साल काम करने के बाद रिटायर कर दिया जाता है और कोई सुविधा नहीं दी जाती हैं। अगर सरकारी प्रतिष्ठनों में इस तरह की बात हैं, फिर प्राइवेट कारखानेदार तो उनका शोषण करेंगे ही। इसलिए मेरा प्रश्न है कि सरकार मजदूरों को उनका हक दिलाने के लिए और उनका शोषण रोकने के लिए क्या कार्यवाही करने जा रही है?

डा० सत्यनारायण जटिया : माननीय अध्यक्ष जी, जैसा कि माननीय सदस्य ने पूछा है और उनकी चिंता न्यूनतम मजदूरी के बारे में है। न्यूनतम मजदूरी के बारे में केन्द्र सरकार ने निश्चितरूप से दिशा निर्देश दे दिए है, किन्तु उन्हें भिन्न-भिन्न प्रदेशों द्वारा लागू होना होता हैं। केन्द्र सरकार और उसके मंत्रालय की ओर से निर्देश दिए गए हैं और 35 रुपये न्यूनतम वेतन सजेस्ट किया गया हैं। किंतु राज्य सरकारों ने कमोबेश इसकी कहीं कम और कहीं ज्यादा प्रभावशील किया हैं। कहीं कहीं ये आंकडे निश्चितरूप से चिंताजनक हैं। मेरे पास सभी प्रदेशों के बारे में जानकारी है। यदि माननीय सदस्य किसी विशेष राज्य के बारे में जानना चाहेंगे तो उनको जानकारी मिल जाएगी। किंतु केन्द्र का निर्देश स्पष्टरूप से 35 रुपये न्यूनतम मजदूरी देने का हैं। कुछ प्रदेशों ने इससे भी बढ़कर देने का काम किया है, जैसे हरियाण सरकार ने उल्लेखनीय कदम उठाते हुए इसके साथ महंगाई भत्ते को भी जोड़ने का काम किया है। जबकि कुछ प्रदेश न्यूनतम मजदूरी भी नहीं दे पा रहे हैं। अभी पश्चिमी क्षेत्र में कांफ्रेस हुई थी, उसमें इस बात को वहां के प्रतिनिधियों ने भी रखा था और इसे स्वीकार किया था। इस पर उन्होंने चिंता भी व्यक्त की थी।

दूसरी चिंता संविदा मजदूरों की हैं। कांट्रेक्ट लेबर के बारे में आपका जो कहना हैं, निश्चितरूप से रेगुलर नेचर के कार्मो में संविदा मजदूर या कांट्रेक्ट लेबर नही लगने चाहिए, वहां भी इस प्रकार के निर्देश दिए हुए है। मैं विश्वास करता हूं यदि माननीय सदस्य की जानकारी में कोई प्रश्न इस सम्बन्ध में हो तो वे पूछे, उसका उत्तर देने की पूरी कोशिश की जाएगी।

श्री राम टहल चौधरी : यह बहुत ही खेदजनक बात हैं कि आपके अनुसार न्यूनतम मजदूरी 35 रुपये हैं, जबकि बिहार में न्यूनतम मजदूरी 40 रुपये है। यही तो गड़बड़ हैं। केन्द्र सरकार को तो ज्यादा देनी चाहिए था, जबकि वह कम दे रही है। एच.इ.सी.एल. और सेल जो रांची में स्थित है, उनकी और अन्य प्राइवेट कारखानों की आप जांच करवा लें।

अध्यक्ष महोदयः आप प्रश्न पूछिए।

श्री राम टहल चौधरीः प्रश्न ही पूछ रहा हूं। श्रम मंत्री जी ने उच्च स्तरीय समिति गठित करने की बात सोची है, जो इनके उत्तर में निहित है, यह समिति कितने दिन में गठित कर दी जाएगी जिससे मजदूरों की समस्या का समाधान हो सके?

डा० सत्यनारायण जटियाः बिहार में न्यूनतम मजदूरी 27 रुपये 30 पैसे है और अधिकतम मजदूरी 39 रुपये 70 पैसे है। केन्द्र सरकार के अधीन प्रतिष्ठनों में न्यूनतम मजदूरी 39 रुपये 51 पैस और अधिकतम मजदूरी 71 रुपये चार पैसे है। जहां तक श्रम कानूनों में संशोधन लाने के लिए, परिवर्तन लाने के लिए उनकी जो चिंता है, उससे मंत्रालय सहमत है और इस सदंर्भ में विचार-विमर्श जारी है। कुछ ही समय बाद शीघ्र ही इस प्रकार की रचना के बारे में, निकट भविष्य में, आने वाले समय में, प्रायः इसी वर्ष में, इस प्रकार की घोषण होने की संभावना हैं।

प्रो० रीता आचार्य : आज तो किसी को समय ही नहीं मिलेगा।

श्री वसुदेव आचार्य : अध्यक्ष महोदय, मजदूरी के बारे में जो कानून है, उसमें संशोधन लाना चाहिए। आज कांट्रेक्ट लेबर एबौलिशन एंड रेगुलेशन एक्ट के सैक्शन 20 का बहुत ज्यादा वॉयलेशन होता है

क्योकि उसमें कांट्रेक्ट लेबर को उस काम के लिए वही वेज मिलेगी जो रेगुलर वर्कर को मिलती है। लेकिन आपकी अटंरटेकिंग्स और आपकी संस्थाओं में उस सैक्शन का इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा हैं। इस कानून में बहुत सारे सैक्शन हैं जिनका उल्लघन हो रहा है। हम जानना चाहते है कि सरकार के पास क्या कोई ऐसा प्रपोजल हैं जिसके तहत कांट्रेक्ट लेबर एबौलिशन एंड रेगुलेशन एक्ट में संशोधन किया जा सके? साथ ही संशोधन ऐसा हो जिसका उल्लंघन न हो सके तथा उल्लंघन करने वालों के खिलाफ स्ट्रिजेंट मेजर्स लिए जा सकें तथा उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान चाहिए। क्या इस तरह का कोई प्रस्ताव सरकार के पास हैं या आने की संभावना है?

डा० सत्यानारायण जटिया: श्री आचार्य जी के प्रश्न में कांट्रेक्ट लेबर के बारे में जो उन्होंने चिंता व्यक्त की हैं, वह बहुत व्यापक हैं। निश्चित रूप से रेगुलर लेबर के काम में कांट्रेक्ट लेबर की अपेक्षा नहीं की जाती हैं किंतु अधिक लाभ कमाने के लालच में इस प्रकार का उपाय किया जाता हैं और एक ही प्रकार का काम करने वाले मजदूरों के वेतन में भेद किया जाता हैं। इसको सिद्धांततः स्वीकार नहीं किया गया हैं और इस प्रकार के कानूनों मे सुधार करके, उन्हें ठीक प्रकार से लागू करने की दृष्टि से, अपडेट करने के लिए, मजदूरों को शोषण से मुक्ति दिलाने के लिए माननीय सदस्य का जो सुझाव हैं, मैं उससे सहमत हूं, उस दृष्टि से जो भी सुधार अपेक्षित होगा, वह किया जाएगा।

[अनुवाद]

श्रीमती गीता मुखर्जी : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से कृषि मजदूरों के कल्याण सम्बन्धी व्यापक विधेयक के प्रति इस सरकार के रवैये को जानना चाहता हूँ जिस पर पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान भी चर्चा की गई थी। क्या वह सरकार इस विधेयक को पास कराने के लिए सहमत है अथवा नहीं?

[हिन्दी]

डा० सत्यानारायण जटिया : गीता मुकर्जी ने जो प्रश्न पूछा हैं और उनकी चिंता निश्चित रूप से व्यापक भी है क्योकि संगठित क्षेत्र के मजदूरों के बारे में तो बहुत सारे कानून बन गए हैं। देश में जितने कानून बने, उसमें से आधे से ज्यादा कानून संगठित क्षेत्र के लिए बने है। अतः असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए भी कानून होना चाहिए, इस तरह की अपेक्षा की गई और पिछली बार भी कुछ मंत्रियों की एक समिति बनाई गई जिसमें यह विचार-विमर्श हुआ कि असंगठित क्षेत्र के कृषि मजदूरों के बारे में भी कुछ सलाह-मशविरा किया जाना चाहिए, कुछ अच्छा कानून आना चाहिए। उनके कल्याण के लिए हमारी मंशा रही हैं। मैं इस बारे में सहमत हूं कि असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के कल्याण के लिए, ताकि उनको ठीक प्रकार की न्यूनतम मजदूरी मिल सके, इस प्रकार का प्रावधान किया जाए। इस दृष्टि से श्रम संगठनों से इस बारे में विचार-विमर्श जारी हैं तथा निश्चित रूप से इस बारे में सरकार सहमत हैं कि ऐसा कानून जल्दी लाया जाए।

श्री ताराचंद साहू : महोदय, मैं एशिया के सबसे बड़े भिलाई स्टील प्लान्ट क्षेत्र को रिप्रजेंट करता हूँ। यहां मजदूरों की दयनीय स्थिति हैं। पब्लिक सैक्टर की बड़ी-बड़ी इकाईयों, जैसे HSCL और BRP, में मजदूरी का भुगतान नहीं हो पा रहा हैं और साथ ही प्राविडेंट फन्ड में मजदूरों का पैसा जमा नहीं हो रहा हैं। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ, क्या सरकार को इस बात की जानकारी है? अगर जानकारी नहीं हैं, तो वह इस दिशा में कदम उठाए। सरकार इस बारे में क्या कदम उठाने जा रही है?

डा० सत्यानारायण जटिया: महोदय, किसी उद्यम या उपक्रम में मजदूरी के भुगतान करने का प्रश्न निश्चित रूप से उद्योग मंत्रालय से संबंधित हैं। जहां तक प्रोविडेंट फन्ड का मसला है, यह सही है कि प्रोविडेंट फन्ड में पैसा जमा होना चाहिए, लेकिन यदि कोई उपक्रम इसमें चूक करता हैं, तो उसकें विरूद्ध कार्रवाई की जाएगी।

प्रो० रीता वर्मा: अध्यक्ष महोदय, मै मंत्री महोदय से कहना चाहती हूं कि जिस प्रकार के श्रम कानून बने हुए हैं, उनको रिव्यू करने के लिए जितनी जल्दी एक कमीशन बनाया जाए, उतना ही अच्छा हैं। इसके अलावा कई ऐसे स्टैंडिंग आर्डर हैं, जिसके अन्तर्गत कई उद्यम काम करते हैं जैसे BCCL का एक स्टैंडिंग आर्डर हैं, जिसमें धारा 28 के अंतर्गत बिना कारण बताए, किसी भी श्रामिक को कभी भी नौकरी से निकाला जा सकता हैं। इससे जाहिर है, लोग कोर्ट में जायेगे, मुकदमें होगे जिससे सरकार का समय और पैसा बर्बाद होगा। इसलिए मेरा सुझाव हैं कि इसे रिव्यू करने के लिए, कमीशन बनाकर इस तरह की जो एनोमलीज है, जो श्रम विरोधी कानून है और स्टैंडिंग आर्डर्स हैं, उनको हटाया जाए।

इसी प्रकार आपकी नाक के नीचे पब्लिक सैक्टर यूनिट्स में कान्ट्रैक्ट लेबर का शोषण हो रहा है, अन्याय हो रहा है। ये मजदूर 25-30 सालों से काम करते आ रहे है। मै मंत्री महोदय से पूछना चाहती हूं, वे इस विषय में कमीशन कब तक बनायेंगे? मुझे पता हैं, मंत्री महोदय दयालू हैं और कवि हृदय हैं, इसलिए आप अपने जैसे अच्छे लोगों को इस कमीशन में रखें, जो समयबद्ध अपनी रिपोर्ट दे। क्या मंत्री महोदय इस बारे में सदन को एस्योरेंस देंगे?

डा० सत्यानारायण जटिया: महोदय, बहन रीता जी जो प्रश्न किया है, वह निश्चित रूप से सबकी चिन्ता का विषय हैं। जो श्रामिक कानून अप्रासंगिक हैं, उनमें सुधार करने की मंशा सरकार की है। जहां तक स्टैंडिंग आर्डर्स का सवाल हैं कि जिनके आधार पर मजदूरो का शोषण किया जा रहा है, मैं कहना चाहता हूं कि कानून से ऊपर स्टैंडिंग आर्डर्स नहीं होते। फिर भी यदि कहीं श्रम कानूनो को ओवर-लुक करके स्टैंडिंग आर्डर्स के तहत काम किया जा रहा हैं और वह ध्यान में आएगा, तो वहां कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा जो कमीशन कांस्टीचूट करने की बात हैं, निश्चित रूप से यह विचार व्यापक दायरे में हैं, श्रामिकों के हित में हैं कि श्रामिक शोषण से मुक्त हो, यह विचार मंत्रालय के विचारधीन है।

श्री रामदास आठवले : अध्यक्ष महोदय, इस विषय से संबंधित समिति ने जो सुझाव दिए है, सिफारिशें की है, मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं, कान्ट्रैक्ट लेबर सिस्टम को एबालिश करने से संबंधित क्या सिफारिश इस समिति ने की है? सरकार मजदूरों को बचाने के लिए क्या कदम उठाने जा रही है। क्या सरकार कान्ट्रैक्ट लेबर सिस्टम को एबालिश करने के संबंध में कुछ करने वाली हैं या नही? अगर करने वाली हैं, तो कब करने वाली हैं और अगर नही करने वाली है, तो क्यों नहीं करने वाली है?

डा० सत्यानारायण जटिया: महोदय, कान्ट्रैक्ट लेबर के बारे में जो समस्याएं हैं, वे सही है और सरकार के विचाराधीन है। इस बारे में शीघ्र की घोषणा की जाएगी।

श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी : अध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश में मिनिमम वेजेज एक्ट का वायोलेशन हो रहा हैं। कान्ट्रैक्ट लेबर के साथ-साथ, सरकारी विभागों में जो डेली वेजेज पर काम करने वाले मजदूर हैं, उनको भी मिनिमम वेजेज से कम मिल रहा हैं। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं, क्या इस संबंध में सरकार को जानकारी है? यदि हैं तो इनके खिलाफ सरकार क्या कार्रवाई करने जा रही है?

डा० सत्यानारायण जटिया : महोदय, मध्य प्रदेश में न्यूनतम मजदूरी 26.46 रुपए हैं और अधिकतम मजदूरी 55.19 रुपए दी जा रही है। माननीय सदस्य ने मध्य प्रदेश में वायोलेशन की बात कही गई हैं लेकिन 26.46 रुपए में मंहगाई भत्ता मिलाकर कितना होता हैं, यह जानकारी मेरे पास नहीं हैं, लेकिन यह 35 रुपए से कम नही होना चाहिए, ऐसी सरकार की मंशा है।

श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी : क्या इस बारे में आप पता लगायेंगे?

डा० सत्यानारायण जटिया : इसका पता लगाकर निश्चित रूप से यदि कम होगा, तो वहां की सरकार को इस बारे में कहा जाएगा।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

जम्मू तथा कश्मीर में आतंकवाद

***85. श्री सत्यपाल जैन :**
श्री माधवराव सिंधिया :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या सरकार को जम्मू तथा कश्मीर के ऊधमपुर जिले में आतंकवादियों द्वारा हाल ही में नरसंहार किए जाने की जानकारी हैं;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1998 के आरंभ्भ से जम्मू तथा कश्मीर राज्य में आतंकवादियों द्वारा कितने लोंगों की हत्या की गई ;

(ग) क्या जम्मू तथा कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा देने में किसी पड़ोसी देश के शामिल होने का सरकार को कोई सबूत मिला है; और

(घ) यदि हो, तो जम्मू तथा कश्मीर में सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किये गए हैं?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) जी हां, श्रीमान्। ऊधमपुर जिले के परानकोट और धाकीकोट गौवों में 17/18 अप्रैल, 1998 की रात को सशस्त्र उग्रवादियों के एक ग्रुप ने 26 व्यक्तियों की हत्या कर दी।

(ख) उग्रवादियों द्वारा वर्ष 1998 के दौरान (30.4.98 तक) मारे गए व्यक्तियों की संख्या निम्न प्रकार हैं:-

सिविलियन	सुरक्षा बल
248	62

(ग) यह एक सर्वविदित तथ्य है कि पाकिस्तान जम्मू तथा कश्मीर में उग्रवाद को उकसा तथा भड़का रहा है और उसे मदद दे रहा हैं। सुरक्षा बलों द्वारा गिरफ्तार किए गए अनेकों उग्रवादियों से की गई पूछताछ तथा उनसे बरामद डायरियों/दस्तावेजों, इत्यादि ने इस तथ्य की पुष्टि की हैं।

(घ) जम्मू तथा कश्मीर में उग्रवाद से निपटने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमो में, सीमा/नियंत्रण रेखा और भीतरी क्षेत्र में गहन गश्त सहित पुलिस और सुरक्षा बलों द्वारा सतत् चलाए गए आतंकवाद विरोधी अभियानों समेत संवेदनशील स्थानों पर पिकेट तैनात करना, राज्य पुलिस का सुदृढ़ीकरण, आसूचना तंत्र को मजबूत करना तथा विभिन्न एजेन्सियों के बीच सुरक्षा प्रबंधों में समन्वय स्थापित करना शामिल है। राज्य की विकास आवश्यकताओं पर भी तुरन्त ध्यान दिया जा रहा है तथा सामान्य स्थिति की बाहाली के लिए राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे विभिन्न प्रयासों में मदद दी जा रही हैं।

चीनी उद्योग संबंधी महाजन समिति

***86. श्री वी०वी० राघवन**
श्री आर० साम्बासिवा राव:

क्या खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार चीनी से नियंत्रण हटाने और सार्वजानिक वितरण प्रणाली के माध्यम से चीनी की आपूर्ति बंद करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;

(ग) क्या चीनी नीति की समीक्षा करने के लिए गठित महाजन समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(घ) यदि हां, तो समिति द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है तथा ऐसे प्रस्तावों को क्रियान्वित करने से क्या लाभ मिलेंगें?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री (सरदार सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) से (ङ) चीनी नीति की समीक्षा के लिए गठित महाजन समिति ने अपनी रिपोर्ट 15.4.98 को प्रस्तुत कर दी हैं। समिति ने निम्मलिखित प्रमुख सिफारिशें की हैं:-

(i) मिलों के लिए स्थायी आधार पर गन्ना क्षेत्रों का आरक्षण होना चाहिए। आरक्षित अन्य क्षेत्र से गन्ना उठाने की अनुमति सम्बद्ध मिल की आवश्यकता के पूरा होने पर ही दी जानी चाहिए। किसी चीनी मिल को पूर्व में आबंटित किसी क्षेत्र का आरक्षण समाप्त करने संबंधी कोई निर्णय मिल को एक मौका दिए जाने के बाद केवल तभी लिया जाना चाहिए जबकि उसे ऐसे कार्य के लिए पहले कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया हो।

(ii) औद्योगिक लाइसेंसिंग प्रावधान को जारी रखना। उन्होंने सिफारिशें की है कि न्यूनतम ''इकोनमिक'' आकार की परिकल्पना को छोड़ देना चाहिए। उन्होंने यह भी सिफारिश

की है कि दो चीनी मिलों के बीच न्यूनतम दूरी को 25 किलोमीटर के पूर्व के स्तर पर बनाये रखना चाहिए।

(iii) चीनी का पूर्ण विनियत्रण करना। एक विवरण के रूप में उन्होंने सुझाव दिया हैं कि इसे दो वर्ष की अवधि के लिए चरणबद्ध से समाप्त किया जाए। आगे यह सुझाव दिया गया है कि अगले चीनी मौसम के प्रारंभ से सांविधिक लेवी प्रतिशतता को घटाकर 20 प्रतिशत किया जाए और यह कि इसे 2 वर्ष तक उस स्तर पर बनाये रखा जाए। उक्त दो वर्ष के समाप्त होने पर, लेवी प्रावधान को समाप्त किया जाए। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से चीनी की आपूर्ति को विनियंत्रण लागू किए जाने के बाद बंद किया जा सकता है। गन्ना मूल्य का निर्धारण गन्ना मूल्य बोर्ड द्वारा किया जाए जिसमें अध्यक्ष के रूप में प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री, और संबंधी विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से सदस्य, नेशनल फेडरेशन ऑफ को-आपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज और भारतीय चीनी मिल संघ, प्रत्येक से एक प्रतिनिधि, गन्ना उत्पादकों के दो प्रतिनिधि (एक उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र से और अन्य उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र से) शामिल हों। यदि सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली को जारी रखने की इच्छा रखती है तो मिलों से बाजार मूल्य पर चीनी प्राप्त की जा सकती हैं। दो वर्ष की अंतरिम अवधि में, सांविधिक लेवी मूल्य सांविधिक गन्ना मूल्य बोर्ड द्वारा निर्धारित गन्ने के मूल्य पर आधारित हों। इस प्रकार, चीनी की खरीद की अतिरिक्त लागत को उत्पाद शुल्क में वृद्धि कर पूरा किया जाए। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के पूर्णरूप से बंद हो जाने पर चीनी की वर्तमान सब्सिडि को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन खाद्यान्न सब्सिडि में जोड़ा जा सकता है।

(iv) चीनी नियंत्रण आदेश के अधीन वितरण नियंत्रण को मूल्य के विनियंत्रण के बाद रखा जाए।

समिति की सिफारिशों पर सरकार विचार कर रही है।

भारतीय खाद्य निगम में गेहूं घोटाला

***87. श्री अमर राय प्रधान : क्या खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय खाद्य निगम में करोड़ों रुपये के गेहूं घोटाले का पता चला हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच कराई हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले हैं, और

(ङ) दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यावाही की गई अथवा किए जाने का विचार हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री (सरदार सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) से (ङ) जनवरी, 1997 में समाचार पत्रों मे कुछ समाचार प्रकाशित हुए थे, जिनमें यह आरोप लगाया गया था कि भारतीय खाद्य निगम के अधिकारी खुली बाजार ब्रिकी योजना के मानदण्डों का उल्लंघन कर रहे हैं और गेहूं जाली फर्मो को बेचा जा रहा है जिससे बाजार में गेहूं की कमी हो गई हैं। जिसके फलस्वरूप गेहूं के मूल्यों में वृद्धि हो गई। प्रेस में छपी रिपोर्टो को ध्यान में रखते हुए पंजाब और हरियाणा के माननीय उच्च न्यायलय ने स्वयं प्रेरणा से एक जनहित मुकदमा 1997 की संख्या 915 के संदर्भ में कार्यवाही शुरू की थी। इस मामले में विस्तृत सुनवाई के बाद माननीय उच्च न्यायलय ने 25.7.97 को आदेश दिया था कि पंजाब और हरियाणा के उपायुक्त उन परिस्थितियों की जांच करेंगे जिनके अधीन खुली बाजार बिक्री योजना (घरेलू) के अधीन गेहूं राज्य से बाहर भेजा गया। उपायुक्तों द्वारा रिपोर्ट में दिए गए निष्कर्षो की इस संबंध में आगे कार्रवाई करने के लिए केन्द्रीय जांच ब्यूरों द्वारा जांच की जानी थी। माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसरण में केन्द्रीय जांच ब्यूरों ने इस मामले में अब तक 13 मामले दर्ज किए हैं।

पुलिस हिरासत में मौत

***88. श्री जंग बहादुर सिंह पटेल : क्या गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में पुलिस हिरासत में मौत के मामलों में वृद्धि हो रही है और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इस मामले पर अपनी चिन्ता व्यक्त की है :

(ख) यदि हां, तो पिछले एक वर्ष के दौरान आज तक माह-वार राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार पुलिस हिरासत में मौतों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया हैं?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) से (ग) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अनुसार, पुलिस हिरासत में मौतों की संख्या में वृद्धि हुई हैं। उनके रिकार्ड के अनुसार, वर्ष 1995-96 में 136 और 1996-97 के दौरान 188 हिरासत में हुई मौतों की तुलना में वर्ष 1997-98 के दौरान हिरासत में 193 मौतें हुई। 1997-98 के लिए राज्य-वार/संघ शासित क्षेत्रवार अलग-अलग ब्यौरे देते हुए विवरण संलग्न है।

विधि द्वारा शासित किसी भी सभ्य समाज में हिरासत में मौतों का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों पर हिरासत के दौरान हुई मौतों के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की आवश्यकता पर जोर देती आ रही हैं। उचित कार्य-संस्कृति के विकास पर अधिक ध्यान देने, मूलभूत मानव मूल्यों के अनुरूप पुलिस बलों का प्रशिक्षण और उनका अभिमुखीकरण करना लाभदायक होगा। जांच पड़ताल में वैज्ञानिक सहायता को प्रोत्साहित करने की जरूरत हैं। भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार चूंकि "पुलिस" और "लोक व्यवस्था" राज्य के विषय हैं अत: केन्द्र सरकार इस संबंध में राज्य सरकारों को सलाह देती रही हैं।

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	01.04.97 से 31.03.98
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	21
2.	अरूणाचल प्रदेश	02

1	2	3
3.	असम	14
4.	बिहार	09
5	गोवा	-
6.	गुजरात	09
7	हरियाणा	03
8.	हिमाचल प्रदेश	-
9.	जम्मू व कश्मीर	02
10.	कर्नाटक	06
11.	केरल	06
12.	मध्य प्रदेश	18
13.	महाराष्ट्र	19
14.	मणिपुर	01
15.	मेघालय	02
16.	मिजोरम	-
17.	नागालैंड	01
18.	उड़ीसा	04
19.	पंजाब	11
20.	राजस्थान	12
21.	सिक्किम	-
22.	तमिलनाडु	11
23.	त्रिपुरा	03
24.	उ० प्रदेश	16
25.	प०बंगाल	10
26.	अंडमान निकोबार दीप समूह	—
27.	चंडीगढ़	—
28.	दादरा व नगर हवेली	—
29.	दमण व दीप	—
30.	दिल्ली	12
31.	लक्षद्वीप	—
32.	पांडिचेरी	01
	कुल	193

तेल का अंतरराष्ट्रीय मूल्य

***89. श्री अजय चकवर्ती :**
श्रीमती गीता मुखर्जी :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल में तेल के अतंरराष्ट्रीय मूल्यों में अत्यधिक गिरावट आई हैं,

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्ष के दौरान तथा 1998 में माह-वार तेल का औसत मूल्य कितना-कितना था, और

(ग) कच्चे तेल तथा अन्य पेट्रोलियम उत्पादों के आयात खर्च में कमी के फलस्वरूप क्या वित्तीय लाभ होने की आशा हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री वाझापडी के. राममूर्ति) : (क) नवम्बर, 1997 से मार्च, 1998 की अवधि के दौरान अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में कमी आई। तथापि, मार्च, 1998 के अंत तक कमी की प्रवृत्ति में परिवर्तन हो गया और तेल के मूल्य अप्रैल, 1998 में बढ़ गए।

(ख) एक विवरण संलग्न हैं।

(ग) अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल के मूल्य अत्यन्त संवेदनशील हैं तथा इनमें अत्यधिक उतार-चढ़ाव होता रहता हैं और अंतरराष्ट्रीय मूल्यों में किसी भी परिवर्तन से हमारी आयात की लागत पर अवश्यभावी रूप से प्रभाव पड़ता हैं। इसलिए भविष्य के आयात में अनुमानित बचत का पूर्वानुमान लगाना कठिन हैं।

विवरण

वर्ष 1995-97 के लिए कच्चे तेल और पेटोलियम उत्पादों का प्रकाशित मूल्य

स्रोत : प्लाट्स

वर्ष	दुबई	ब्रेन्ट डेटेड	ओमान	आधार अरब खाड़ी			
				नाफ्था	मिट्टी तेल	एचएसडी	एचएसएफओ180
	डालर/बीबीएल	डालर/बीबीएल	डालर/बीबीएल	(डा./एमटी)	(डा./एमटी)	(डा./एमटी)	(डा./एमटी)
1995	16.089	17.017	16.321	150.11	169.01	149.84	90.00
1996	18.556	20.668	19.096	172.17	213.85	190.64	101.17
1997	18.131	19.093	18.538	187.55	185.35	168.60	94.59

जनवरी, 1998 से 19 मई, 1998 तक की अवधि के लिए कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों के मासिक प्रकाशित मूल्य

स्रोत : प्लाट्स

महीना	दुबई डालर/बीबीएल	ब्रेन्ट डेटेड डालर/बीबीएल	ओमान डालर/बीबीएल	नाफ्था (डा./एमटी)	आधार अरब खाड़ी मिट्टी तेल (डा./एमटी)	एच.एस.डी. (डा./एमटी)	एच.एस.एफ.ओ.180 (डा./एमटी)
जनवरी, 98	13.411	15.115	13.612	144.51	132.05	119.85	57.660
फरवरी, 98	12.319	13.953	12.578	131.45	122.77	117.22	50.638
मार्च, 98	11.476	13.056	11.746	128.04	111.66	107.10	60.443
अप्रैल, 98	12.230	13.431	12.405	138.97	129.23	121.20	70.463
मई, 98*	12.917	14.318	12.851	142.67	129.33	117.56	70.091

(*19 मई, 1998 तक)

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालयों में घटिया दवाइयों तथा औषधियों का प्रयोग

*90. **कर्नल सोनाराम चौधरी :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कुछ सरकारी अस्पतालों और केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के ओषधालयों में आपूर्ति की जाने वाली दवाइयों और मरहम-पट्टी की सामग्री घटिया किस्म की होती है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने सरकारी अस्पतालों और केन्द्रीय सरकार योजना के ओषधालयों में आपूर्ति की जाने वाली दवाइयों और मरहम पट्टी की सामग्री की गुणवत्ता के संबंध में आकस्मिक जांच करने हेतु कोई विशेषज्ञ समिति नियुक्त की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) से (घ) सरकारी अस्पतालों और केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालयों को दवाओं और मरहम पट्टी सामग्री की आपूर्ति सरकार के चिकित्सा सामग्री भंडार डिपो द्वारा को जाती है। डिपो इन मदों की आपूर्ति इस आशय के एक प्रमाण पत्र के साथ करता है कि इन मदों की पूर्व जांच की गई है और ये मानक गुणवत्ता की हैं। जब चिकित्सा सामग्री भंडार डिपो इन मदों की आपूर्ति नहीं कर पाता हैं, तब अस्पताल/केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना मरहम पट्टी सामग्री के संबंध में निविदाएं आमंत्रित करते हैं अथवा इन्हें केन्द्रीय भंडार/सुपर बाजार से खरीद करते हैं और आपूर्तियां निरीक्षण की शर्त पर होती हैं। यदि कोई शिकायत मिलती हैं, तो मान्यताप्राप्त प्रयोगशालाओं के जरिए विश्लेषणात्मक जांचे की जाती हैं और उचित समझे जाने वाली उपयुक्त कार्रवाई की जाती है।

अनुमोदित पमूनों की तुलना में आपूर्तियों की गुणवत्ता की जांच करने के लिए केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना की एक स्थायी समिति हैं।

खाद्य पदार्थों में कृत्रिम रंग के प्रयोग पर प्रतिबंध

*91. **श्री दिलीप संघाणी :**
डा० वल्लभभाई कथीरिया :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या "डी.ए.वी. रिसर्च सोसायटी फोर हेल्थ" ने खाद्य पदार्थों में कृत्रिम रंग के प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) से (ख) डी.ए.वी. रिसर्च सोसायटी फोर हेल्थ, जो दिल्ली में एक पंजीकृत सोसायटी हैं; ने सभी खाद्य पदार्थों में कृत्रिम रंगों के उपयोग पर इस आधार पर रोक लगाने के लिए कहा था कि ये मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं।

(ग) खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम 1955 में केवल उन कृत्रिम रगों के लिए अनुमति दी गई हैं जिन्हें खाद्य संगठन/विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा स्वीकार किया गया हैं। तथापि, इन रगों के इस्तेमाल की अनुमति केवल विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थों में निर्धारित सीमाओं के भीतर ही दी जाती है।

पेट्रोल के मूल्य

*92. **श्री डी०एस० अहिरे :**
श्री माणिकराव होडल्या गावीत :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत में पेट्रोल के मूल्य अन्य विकासशील देशों की तुलना में अधिक हैं,

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं,

(ग) पेट्रोल के मूल्य कम करने के लिये क्या कदम उठाये

गये/उठाये जाने का विचार हैं,

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान देश में पेट्रोल का अनुमानित उत्पादन कितना था और उसकी खपत कितनी रही, और

(ङ) उक्त अवधि के दौरान कुल कितनी मात्रा में पेट्रोल का आयात किया गया?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री वाझापडी के. राममूर्ति) : (क) से (ग) भारत और कुछ पड़ोसी देशों में पेट्रोल (एमएस)का मूल्य नीचे दिया गया है:

पड़ोसी देशों में पेट्रोल (एम एस) का मूल्य

(अप्रैल, 1998 की स्थिति के अनुसार)

देश	मुद्रा	स्थानीय मुद्रा में प्रति लीटर मूल्य	भारतीय रुपये में प्रति लीटर मूल्य
बंगलादेश	टक्का	21.00	18.37
श्री लंका	रुपया	50.00	32.23
थाईलैण्ड	बाट	11.77	12.22
दक्षिण कोरिया	वान	1047.00	31.41
जापान	येन	94.00	29.11
फिलीपिन्स	पैसो	11.61	12.13
मलेशिया	रिंगिट	1.10	11.85
इंडोनेशिया	रुपया	700.00	3.78
इंडिया-दिल्ली	रुपया	22.84	22.84

देश में पेट्रोल का मूल्य इस ढ़ग से निर्धारित किया जाता हैं जिससे कुछ अन्य पेट्रोलियम उत्पादों की परस्पर विनिमेय राजसहायता प्रदान की जा सके। पेट्रोल का मूल्य तब तक ऊँचे स्तर पर रखा जाना अपेक्षित हैं जब तक ऐसी परस्पर विनिमेय राजसहायता मूल्य निर्धारण व्यवस्था का एक हिस्सा बनी रहती हैं।

(घ) पिछले तीन वर्षो के दौरान देश में पेट्रोल (एम एस) का उत्पादन और खपत निम्नवत् थे :

वर्ष	उत्पादन(एम एम टी)	खपत(एम एम टी)
1995-96	4.458	4.679
1996-97	4.708	4.955
1997-98 (अनन्तिम)	4.861	5.153

(ड.) पिछले तीन वर्षों के दौरान आयात किए गए पेट्रोल (एम एस) कुल मात्राएं निम्नवत् थे:

	एम एम टी
1995-96	0.435
1996-97	0.449
1997-98 (अनन्तिम)	0.358

[हिन्दी]

मदों की आपूर्ति में विसंगति

***93. श्री हरिकेवल प्रसाद :**
श्री सी०डी० गामीत :

क्या खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अतंर्गत चीनी और मिट्टी के तेल की प्रति यूनिट कितनी मात्रा निर्धारित की गई हैं,

(ख) क्या सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अतंर्गत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में विशेषरूप से उत्तर प्रदेश में उपभोक्ताओं को चीनी और मिट्टी के तेल की आपूर्ति किए जाने की मात्रा में अंतर हैं,

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं,

(घ) क्या सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार करने के लिए कोई योजना सरकार के विचाराधीन हैं, और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा खाद्य और उपभोक्ता मामले के मंत्री (सरदार सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) से (ग) कुल मिलाकर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन उत्तर प्रदेश सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को प्रति व्यक्ति 425 ग्राम प्रति माह के एक समान मानदण्ड पर लेवी चीनी की आपूर्ति की जा रही हैं। वर्तमान में यह 1991 की जनगणना के आधार पर दी जा रही है और तद्नुसार, सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को प्रति माह 3.69 लाख टन लेवी चीनी का कोटा दिया गया हैं। जो 1.1.96 से प्रभावी हैं। उपर्युक्त के अलावा, सरकार प्रति वर्ष त्यौहार कोटे के रूप में लगभग एक लाख टन चीनी भी रिलीज करती हैं जिसका आवंदन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अपनी पसन्द के माह के दौरान उनके मासिक लेवी कोटे के अनुपात में किया जाता हैं। राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के अंदर चीनी के वितरण में केन्द्र सरकार की कोई भूमिका नहीं है और यह पूर्णतया राज्य सरकार/संघ राज्य प्रशासन द्वारा किया जाता है।

केन्द्र सरकार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को "बल्क" में मिट्टी के तेल का आवंटन करती हैं। राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के अंदर अलग-अलग क्षेत्रों को खुदरा वितरण करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती हैं। मिट्टी के तेल के विपणन को रोकने और जरूरतमंद लोगों तक इसका वितरण सुनिश्चित करने के लिए केन्द्र सरकार ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को मिट्टी के तेल के सुप्रवाही वितरण के लिए परामर्श दिया है। 1998-99 में उन राज्यों के मिट्टी के तेल के आवंटन में बहुत अधिक वृद्धि की गई हैं जिनकी मिट्टी के तेल की प्रतिव्यक्ति उपलब्धता राष्ट्रीय औसत से बहुत कम है वर्ष 1998-99 के लिए उत्तर प्रदेश के संबंध में मिट्टी के तेल के आवंटन में 18.01 प्रतिशत की वृद्धि की गई हैं। यह वृद्धि 2,12,261 मिट्रिक टन की अतिरिक्त मात्रा के बराबर हैं।

उत्तर प्रदेश सरकार ने सूचित किया हैं। कि चीनी का वितरण शहरी क्षेत्रों में प्रति यूनिट 1 किलोग्राम की दर पर और ग्राभीण क्षेत्रों में प्रति यूनिट 330 ग्राम की दर पर किया जा रहा हैं तथा मिट्टी

के तेल का वितरण शहरी क्षेत्रों में प्रतिमाह प्रति राशन-कार्ड 5 लीटर एल.पी.जी./धारक), प्रतिमाह प्रति राशन-कार्ड 10 लीटर (सामान्य श्रेणी) की दर पर, मैदानी भाग में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रतिमाह प्रति राशन-कार्ड 5 लीटर की दर पर, शहरी क्षेत्रों में प्रतिमाह प्रति राशन-कार्ड 10 लीटर दर पर किया जा रहा हैं तथा मिट्टी के तेल की उपलब्धता के आधार पर पहाड़ी जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिमाह प्रति राशन-कार्ड 5 से 10 लीटर मिट्टी के तेल का वितरण किया जा रहा हैं।

(घ) और (ङ) सार्वजनिक वितरण प्रणाली को और अधिक प्रभावी, विशेष रूप से गरीबी रेखा से नीचे की आबादी के लिए, बनाने के लिए सुप्रवाही बनाया गया हैं और 1.6.97 से पूरे देश में नई लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली शुरू की गई हैं। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली योजना की प्रति पहले ही दिनांक 24 फरवरी, 97 को सभा पटल पर रखी जा चुकी है। तथापि, सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुप्रवाही बनाना एक सतत् प्रक्रिया है और बदलती जरूरतों को पूरा करने के लिए समय-समय पर सरकार ऐसा करती है।

[अनुवाद]

तपेदिक के मामलों में वृद्धि

***94. श्री टी० गोविन्दन :**
डा० वाई०एस० राजशेखर रेड्डी :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के विभिन्न स्वास्थ्य केन्द्रों में दर्ज तपेदिक के मामलों की संख्या 25 लाख से भी अधिक हो गई है और तपेदिक उन्मूलन के कार्यक्रमों पर भारी धनराशि व्यय किए जाने के बावजूद ये असफल सिद्ध हुए है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने कार्यक्रमों के कार्यान्वियन की प्रगति की जांच हेतु कोई विशेषज्ञ समिति गठित की हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;

(ङ.) उक्त समिति द्वारा कब तक अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने की संभावना है; और

(च) इस रोग के उन्मूलन के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए अथवा उठाए जाने का विचार हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) (क) से (ख) देश में पिछले कई वर्षो से कार्यक्रम के अन्तर्गत क्षय रोगियों की सूचित प्रवृत्ति लगभग स्थिर रही हैं। राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम के कार्यान्वियन से पिछले वर्षो में क्षय रोगियों की मृत्यु दर 1970 में प्रति लाख पर अनुमानित 80 से घटकर इस समय 53 प्रति लाख हो गई हैं। बचपन में होने वाले क्षय रोग की गंभीर घटनाओं में कमी हो रही है और व्यापक निःस्रावी क्षय देखने की आवृत्ति कम हो रही है।

(ग) से (ङ) सरकार ने कार्यक्रम की प्रगति की जांच करने के लिए कोई विशेषज्ञ समिति गठित नहीं की हैं।

(च) राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत 466 जिला क्षय रोग केन्द्र खोले गए हैं जो लोगों को निःशुल्क नैदानिक और उपचार सुविधाएं प्रदान करते है। उपचार की अवधि कम करने के लिए 292 जिला क्षय रोग केन्द्रों में अल्पावधि रसायचिकित्सा (किमी थिरैपी) आरम्भ की गई है। जिला क्षय रोग केन्द्रों के लिए क्षय रोधी औषधियों की सम्पूर्ण आवश्यकता केन्द्रीय सरकार द्वारा पूरी की जा रही है।

राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत उपचार पूरा करने की दर 30 से 40 प्रतिशत है। 85 प्रतिशत की रोगमुक्ति दर प्राप्त करने के लिए 20 प्रायोगिक स्थलों पर संशोधित कार्यनीति आरम्भ की गई थी जिसके अन्तर्गत 20 मिलियन लोगों को कवर किया गया है। अब विश्व बैंक की सहायता से संशोधित कार्यनीति अगले 3 वर्षो में देश के 102 जिलों में कार्यान्वित की जाएगी। इसके अतिरिक्त संशोधित कार्यनीति को अपनाने के लिए 203 अल्पावधि रसायचिकित्सा वाले जिलों को परिवर्ती उपायों के रूप में सुदृढ़ करने का प्रस्ताव है।

दोहरी नागरिकता

***95. श्री दिन्शा पटेल :**
श्री सुरेश चन्देल :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशों में बसे भारतीयों को अनेक देशों में दोहरी नागरिकता प्रदान की गई है;

(ख) यदि हां, तो उन देशों का ब्यौरा क्या है, जो दोहरी नागरिकता प्रदान करते हैं;

(ग) क्या सरकार की यहां भी दोहरी नागरिकता प्रदान करने के सम्बन्ध में वैसी नीति अपनाने की कोई योजना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) और (ख) केन्द्र सरकार द्वारा ब्यौरे नहीं रखे जाते हैं।

(ग) और (घ) इस मुद्दे की जांच एक अन्तर मंत्रालयीय समिति कर रही है।

आवश्यक वस्तुओं के मूल्य

***96. श्री अशोक नामदेवराव मोहोल :**
श्री सदाशिव राव दादोबा मंडलिक :

क्या **खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1997 और चालू वर्ष के दौरान गेहूं, चावल, चीनी, डबल रोटी, दूध, खाद्य तेलों और विभिन्न मसालों जैसी आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में तेजी से वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और गत तीन वर्षो के दौरान आज तक मद-वार कितने प्रतिशत मूल्य वृद्धि हुई, और

(ग) इन वस्तुओं की मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए अथवा उठाने का विचार है?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री (सरदार सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न हैं जिसमें गत तीन वर्षो के दौरान 9.5.98 तक गेहूं, चावल, चीनी, डबल रोटी, दूध, खाद्य तेल तथा मसाले जैसी आवश्यक वस्तुओं के थोक मूल्य सूचकांक मे आया अन्तर दिया गया हैं कुछ आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि के मुख्य कारण हैं :– आबादी में वृद्धि के कारण मांग में वृद्धि होना, कुछ वस्तुओं का उत्पादन लगभग स्थिर होना तथा कम उत्पादन होना, दालों, वनस्पति तेलों आदि जैसी चुनिंदा वस्तुओं की मांग व आपूर्ति में मौजूदा अन्तर, उनके निवेशों की लागत में वृद्धि होना तथा अन्तर्राष्ट्रीय बाजार मे ऊँचे मूल्य होने के कारण कम आयात होना।

(ग) सरकार ने आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों को नियंत्रित करने के कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए कुछ दीर्घकालिक उपायों के अलावा, खाद्य तेल और दालों जैसी कम आपूर्ति वाली वस्तुओं का खुले सामान्य लाइसेंस के तहत आयात करने की अनुमति दी जा रही हैं ताकि इन वस्तुओं की कुल उपलब्धता बढ़ाई जा सके सरकार ने राज्य व्यापार निगम के माध्यम से 1.50 लाख मी. टन गेहूं का आयात करने का निर्णय किया है ताकि उसकी उपलब्धता में वृद्धि की जा सके। कुछ आवश्यक वस्तुएं जैसे चावल, गेहूं, चीनी, आयातित पामोलीन और मिट्टी के तेल की सार्वजानिक वितरण प्रणाली तथा सहकारी भण्डारों के जरिए बाजार मूल्यों में कम मूल्यों पर सप्लाई किया जा रहा हैं। जमाखोरो तथा कालाबाजारी और अनुचित व्यापारिक व्यवहारों मे लिप्त अन्य लोगों के विरुद्ध राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम और चोर बाजारी निवारण तथा आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम आदि के तहत कठोर कार्रवाई की जा रही हैं।

विवरण

1995, 1996, 1997 तथा 1998 (9.8.98 तक) के दौरान चुनिंदा आवश्यक वस्तुओं के थोक मूल्य सूचकांको में वार्षिक उतार-चढाव।

वस्तु	1995	1996	1997	1998
चावल	4.5	13.0	1.7	0.4
गेहूं	-1.6	33.3	-3.4	-6.3
चीनी	2.1	8.2	13.0	0.5
डबलरोटी	10.4	29.1	14.2	0.6
दूध	0.6	1.3	12.0	2.9
वनस्पति	-0.3	-0.3	-0.9	0.3
सरसों का तेल	6.8	-7.9	-1.7	12.8
मूंगफली का तेल	17.7	-3.0	2.7	5.7
काली मिर्च	10.4	18.3	119.3	-4.9
लाल मिर्च(सूखी)	51.9	-16.9	-9.8	16.4
हल्दी	15.2	83.0	40.8	11.3

तेल क्षेत्रों का निजीकरण

***97. श्रीमती जयन्ती पटनायक :**
श्री रंजीव बिस्वाल:

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में अब तक कितने तेल क्षेत्रो का निजीकरण किया गया हैं और तेल क्षेत्रों के संचालन के संबंध में सरकार की क्या नीति हैं,

(ख) क्या कुछ और तेल क्षेत्रों के निजीकरण का कोई प्रस्ताव है,

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं; और इस प्रयोजन हेतु किन-किन तेल क्षेत्रों का चयन किया गया है,

(घ) क्या निजी क्षेत्र की कम्पनियों ने इन क्षेत्रों में तेल की खोज करने में रूचि दिखाई है,

(ङ) यदि हां, तो सरकार ने इन कम्पनियों के साथ किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए है, और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री वाझापडी के. राममूर्ति) : (क) अब तक 13 लघु आकारीय खोजे गए क्षेत्रों के विकास के संबंध में निजी कंपनियों के साथ तथा 5 मध्यमाकारीय खोजे गए क्षेत्रों के विकास के विषय में संयुक्त उद्यम परिसंघों के साथ उत्पादन हिस्सेदारी संविदाओं में हस्ताक्षर किए गए हैं। खोजे गए क्षेत्रों के अतंर्गत निजी प्रतिभागिता हेतु नीति पुनरीक्षाधीन है।

(ख) से (घ) निजी कम्पनियों/परिसंघ से प्राप्त बोलियों के आधार पर 12 और भी क्षेत्र एवार्ड हेतु अनुमोदित किए गए हैं बशर्ते कि उत्पादन हिस्सेदारी संविदाओ को अंतिम रूप दिया जाए। ब्यौरे नीचे दिए हैं :

क्षेत्र लघु आकारीय क्षेत्र	कंपनी/परिसंघ का नाम
1	2
1. कारजीसान	सेलन एक्सप्लोरेशन टैक्नोलोजी लि०, भारत।
2. मोढेरा	इंटरलिंक पेट्रोलियम लि०, भारत
3. उत्तरी बलोल	गुजरात राज्य पेट्रोरसायन निगम (जीएसपीसी) भारत, हिन्दुस्तान आयल एक्सप्लोरेशन कंपनी (एचओईसी)भारत
4. कानावारा	-तदैव-
5. एल्लोरा	-तदैव-
6. उनावा	-तदैव-
7. उत्तरी कथाना	-तदैव-
8. थोलासन	-तदैव-

1	2
9. सांगनपुर	हाइड्रोकार्बन रिसोर्सेस डेवलपमेन्ट कंपनी(पी) लि०, भारत
10. ओगनाज	सेलन एक्सप्लोरेशन टैक्नोलोजी लि०, भारत
11. आमगुड़ी	दि असम कं० लि०, भारत जोशी टैक्नोलोजीस इंक, यू एस ए।
मध्यमाकारीय क्षेत्र	
12. रत्ना एण्ड आर-सीरीज आयल	एस्सार आयल लि०, भारत। प्रीमियर आयल पैसिफिक यू के।

(ङ) से (च) इन 12 क्षेत्रों से संबंधित संविदाओं को अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

[हिन्दी]

ग्रामीण क्षेत्रों में रसोई गैस एजेंसियां

***98. श्री जनार्दन प्रसाद मिश्र :**
श्री मणीभाई रामजीभाई चौधरी :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ग्रामीण क्षेत्रों की मांग को पूरा करने के लिए दस हजार की जनसंख्या वाले सभी गावों में रसोई गैस एजेंसियों के आबंटन की कोई योजना बनाने का सरकार का विचार हैं,

(ख) यदि हां, तो कब तक इस प्रस्ताव को कार्यान्वित किए जाने की संभावना हैं,

(ग) क्या पेट्रोलियम उत्पादों के संरक्षण हेतु नये तरीको और कार्यक्षम उपकरणों के प्रयोग के संबंध में जागरूकता लाने हेतु कार्यक्रम शुरू करने का निर्णय लिया गया हैं, और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;और लोगों की इस कार्यक्रम के संबंध में क्या प्रतिक्रिया हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) और (ख) जी, हां। 1996-1998 की एल. पी.जी. योजना तैयार करते समय ग्रामीण क्षेत्रों में एल पी जी का विपणन करने के लिए निम्नलिखित क्षेत्रों में भी नई एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपो की स्थापना करने का निर्णय लिया गया :

(क) जहां कहीं व्यवहार्य हो, एक साध्य डिस्ट्रीब्यूटरशिप बनाने के लिए 15 कि.मी. के दायरे में आने वाले गावों सहित 5000 और इससे अधिक की जनसंख्या वाले सभी कस्बे।

(ख) जहां कहीं व्यवहार्य हो, एक साध्य डिस्ट्रीब्यूटरशिप बनाने के लिए 15 कि. मी. के दायरे में आने वाले गावों सहित 10,000 और इससे अधिक की जनसंख्या वाले सभी गांव।

तदनुसार 1996-1998 की अनुमोदित एल पी जी का विपणन योजना में कुल 1702 डिस्ट्रीब्यूटरशिपें शामिल कर ली गई हैं। इनमें से 401 केवल ग्रामीण क्षेत्रों के लिए है।

वर्तमान में उपर्युक्त डिस्ट्रीब्यूटरशिपो के लिए विज्ञापन दिए जा रहे हैं और डीलर चयन बोर्डो द्वारा पात्र उम्मीदवारों के साक्षात्कार के आधार पर चयन किया जाना है, जो विनिर्दिष्ट समयावधि के भीतर डिस्ट्रीब्यूटरशिपो की स्थापना के लिए उत्तरदायी होंगे।

(ग) और (घ) तेल उद्योग जनता के बीच तेल के संरक्षण के बारे में जागृति उत्पन्न करने के लिए प्रति वर्ष तेल संरक्षण सप्ताह सहित विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर रहा हैं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत पेट्रोलियम उत्पादों के संरक्षण के लिए नवीन पद्धतियों और कुशल उपस्करों के उपयोग में जागृति लाने के लिए निम्नलिखित क्रियाकलाप आयोजित किए जाते है:

(क) स्कूलों/कालेजों में संगोष्ठियां।

(ख) उपभोक्ता संघों के साथ संगोष्ठियां।

(ग) स्कूल/कालेजों में पेंटिंग/वाद-विवाद/निबंध प्रतियोगिताएं।

(घ) दूरदर्शन/रेडियो के माध्यम से व्यापक संदेश।

(ङ.) प्रदर्श पट्टों/विज्ञापन पट्टों का प्रदर्शन।

(च) सुरक्षा/संरक्षण साहित्य/पर्चियों आदि का वितरण।

(छ) किसान मेंलों में भाग लेना और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रदर्शन केन्द्रों की स्थापना करना।

उपभोक्ताओ/जनता ने पेट्रोलियम उत्पादों के संरक्षण के लिए जागृति और आवश्यकता को बढ़ावा देने/प्रचार करने हेतु विभिन्न संरक्षण क्रियाकलापों का आयोजन करने में उद्योग के प्रयासों की सराहना की हैं।

खाद्य तेलों के मूल्य/उनका आयात किया जाना

***99. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय :**
श्री सी०पी०एम० गिरियप्पा :

क्या खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षो से आज तक देश में खाद्य तेलों की कीमतों में काफी वृद्धि हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा उक्त अवधि के दौरान विभिन्न खाद्य तेलों में अलग-अलग कितने प्रतिशत मूल्य वृद्धि हुई;

(ग) खाद्य तेलों की मूल्य वृद्धि और कालाबाजारी को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए है;

(घ) क्या सरकार ने उक्त अवधि के दौरान खाद्य तेलों की आपूर्ति सामान्य करने हेतु इनका आयात किया था; और

(ङ.) यदि हां, तो खाद्य तेलों के मूल्यों पर इस आयात का क्या प्रभाव पड़ा हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा खाद्य और उपभोक्ता मामले के

मंत्री (सरदार सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) से (ख) और (ङ) 1996 और 1997 में खाद्य तेलों के मूल्य 1995 के मूल्यों की तुलना में पर्याप्त रूप से कम थे। तथापि, हाल ही में अप्रैल और मई, 1998 में इन मूल्यों में तेजी से वृद्धि हुई हैं। वर्ष 1995, 1996, 1997 और 1998 के लिए जनवरी-मई की अवधि में चले मूल्य संलग्न विवरण I, II और III में दिए गए है।

मूल्यों में वर्तमान वृद्धि निम्नलिखित महत्वपूर्ण घटकों के कारण हुई हैं:-

(1) वर्तमान तेल वर्ष तिलहनों के घरेलू उत्पादन में उचित गिरावट होना;

(2) तेल के अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में वृद्धि होना, यह वृद्धि मुख्य रूप से इंडोनेशिया में अस्थिरता और नागरिक असंतोष होने के कारण हैं जो अंतर्राष्ट्रीय खाद्य तेलों का प्रमुख आपूर्तिकर्ता हैं।

(3) रुपये की तुलना में डालर की कीमत चढ़ना।

निर्यात-आयात नीति के अधीन खाद्य तेलों का आयात अप्रैल, 1994 से खुले सामान्य लाइसेंस के अधीन हैं। खाद्य तेलों पर आयात शुल्क जो 1994 में 65 प्रतिशत था उसे प्रगामी रूप से कम करके वर्तमान 25 प्रतिशत के स्तर पर वर्तमान स्तर पर लाया गया है। इस "आयात खिड़कों" का लाभ उठाकर समय-समय पर खाद्य तेलों की अपेक्षित मात्रा का आयात किया गया है ताकि घरेलू उपलब्धता में वृद्धि की जा सके।

(घ) जी, हां।

विवरण-I

जनवरी, 1995- मई 1995 से जनवरी, 1996-मई, 1996 के दौरान प्रमुख खाद्य तेलों के मूल्य की तुलना/अंतर

रुपये प्रति क्विंटल

								प्रतिशत वृद्धि/कमी		
वर्ष 1995	मूगंफली तेल	पामोलीन	सरसों तेल	वर्ष 1996	मूगंफली तेल	पामोलीन	सरसों तेल	मूगंफली तेल	पामोलीन	सरसों तेल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
जनवरी	3795	3480	3580	जनवरी	3609	2883	3571	(-)4.9	(-)17.16	कोई परिवर्तन नहीं
फरवरी	4030	3515	3600	फरवरी	3626	2705	3349	(-)10.0	(-)23.04	(-)6.97
मार्च	4100	3390	3450	मार्च	3626	2689	3244	(-)11.56	(-)20.67	(-)5.97
अप्रैल	4135	3340	3250	अप्रैल	3864	3010	3000	(-)6.55	(-)9.88	(-)7.69
मई	4060	3205	3150	मई	3805	2890	3167	(-)6.28	(-)9.80	कोई परिवर्तन नहीं

विवरण-II

जनवरी, 1995- मई, 1995 से जनवरी, 1997-मई, 1997 के दौरान प्रमुख खाद्य तेलों के मूल्यों की तुलना

रूपये प्रति क्विंटल

								प्रतिशत अन्तर		
वर्ष 1995	मूगंफली तेल	पामोलीन	सरसों तेल	वर्ष 1997	मूगंफली तेल	पामोलीन	सरसों तेल	मूगंफली तेल	पामोलीन	सरसों तेल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
जनवरी	3795	3480	3580	जनवरी	3451	2965	3337	(-)9.0	- 14.8	-6.78
फरवरी	4030	3515	3600	फरवरी	3411	2813	3257	-15.34	-19.98	-9.52
मार्च	4100	3390	3450	मार्च	3433	2791	3020	-16.27	-17.67	-12.46
अप्रैल	4135	3340	3250	अप्रैल	3630	2900	3046	-12.21	-13.17	-6.28
मई	4060	3205	3150	मई	3593	2819	3056	-11.5	-12.04	-2.98

विवरण-III

जनवरी, 1995- मई, 1995 से जनवरी, 1998-मई, 1998 के दौरान प्रमुख खाद्य तेलों के मूल्य में अंतर

रुपये प्रति क्विंटल

वर्ष 1995	मूंगफली तेल	पामोलीन	सरसों तेल	वर्ष 1997	मूंगफली तेल	पामोलीन	सरसों तेल	प्रतिशत वृद्धि अथवा कमी मूंगफली तेल	पामोलीन	सरसों तेल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
जनवरी	3795	3480	3580	जनवरी	3614	3053	2887	-4.77	- 12.27	-19.36
फरवरी	4030	[illegible]	3600	फरवरी	3671	3183	2932	-8.9	-9.4	-22.9
मार्च	4100	3390	3450	मार्च	3730	3387	3104	-9.0	-0.0	-10.0
अप्रैल	4135	3340	3250	अप्रैल	4340	3618	3680	+4.96	+8.32	+13.2
मई	4060	3205	3150	मई	4170	3870	3760	+2.7	+20.74	+19.54

[अनुवाद]

उर्वरक इकाइयों की समीक्षा

***100. श्री विलास मुत्तेमवार :** क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उर्वरक और रसायन क्षेत्र में कार्य कर रहे सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यकरण की मार्च, 1998 तक की गत तीन वर्ष की अवधि की समीक्षा की हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकारी क्षेत्र के प्रत्येक उपक्रम के संबंध में तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकारी क्षेत्र के अधिकांश उपक्रम रुग्ण पड़े हैं और भारी घाटा उठा रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;

(ङ) उन रुग्ण इकाइयों का पुनरूद्धार करने के लिए कितनी धनराशि खर्च की गई और अब तक इससे क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं;

(च) क्या सरकारी क्षेत्र की कुछ इकाइयों का विनिवेश करने/उन्हें समाप्त करने का सरकार का विचार है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं; और

(ज) रुग्ण उर्वरक इकाइयों के संबंध में क्या कार्रवाई की गई या किए जाने का विचार है?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री (सरदार सुरजीत सिंह बरनाला) : 1. रसायन और पेट्रो रसायन विभाग (क) और (ख) : जी, हां, रसायन क्षेत्र के सार्वजनिक क्षेत्र के 8 उपक्रमों के कार्यनिष्पादन की समीक्षा समय-समय पर इस विभाग द्वारा की जाती हैं और मार्च, 1998 तक के विगत तीन वर्षों में शुद्ध लाभ/हानियां निम्नलिखित है:

(रु०/करोड़)

क्र. सं.	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का नाम	1995-96	1996-97	1997-98 (अनंतिम)
01.	इंडियन पैट्रेकैमिकल्स कार्पोरेशन लि० (आईपीसीएल)	(+)603.69	(+)510.20	(+243.69)
02.	हिन्दुस्तान आर्गेनिक कैमिकल्स लि० (एचओसीएल)	(+)54.30	(+)09.59	(+)00.16
03.	इंडियन ड्रगस एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लि० (आईडीपीएल)	(-)117.01	(-)153.28	(-)157.39
04.	हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लि०(एचएएल)	(-)20.94	(-)32.25	(-)23.50
05.	बंगाल कैमिकल्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लि० (बीसीपीएल)	(-)03.59	(+)00.15	(+)00.56
06.	बंगाल इम्यूनिटी लि० (बीआईएल)	(-)05.60	(-)09.17	(-)08.81
07.	स्मिथ स्टेनीस्ट्रीट फार्मास्यूटिकल्स लि० (एसएसपीएल)	(-)04.09	(-)04.93	(-)05.70
08.	हिन्दुस्तान इंसैक्टिसाइड्स लि० (एचआईएल)	(+)06.03	(+)06.45	(-)01.50

जैसा कि ऊपर दर्शाया गया है, इन सार्वजनिक क्षेत्र के 8 उपक्रमों में से 1995-96 में 5 उपक्रमों ने, 1996-97 में 4 उपक्रमों ने और 1997-98 में 5 उपक्रमों ने हानि उठाई।

(ङ) रूग्ण औद्योगिक कम्पनियां (विशेष उपबन्ध) अधिनियम, 1985 के उपबन्धों के अनुसार आई डी पी एल, बी सी पी एल, बी

आई एल और एस एस पी एल को रुग्ण घोषित कर दिया गया था। औद्योगिक और वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड (बी आई एफ आर) द्वारा इन रुग्ण कम्पनियों के लिए अनुमोदित पुनरूद्धार पैकेजों के कार्यान्वयन पर 270.47 करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई है। बी आई एफ आर द्वारा अनुमोदित पुनरूद्धार योजना के अनुसार बंगाल कैमिकल्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लि०(बी सी पी एल) ने पुनरूद्धार के लिए अनुकूल प्रगति की है। बी आई एफ आर ने एच ए एल को 31.3.1997 को रुग्ण घोषित किया और सार्वजनिक क्षेत्र के इस उपक्रम के लिए पुनरूद्धार पैकेज रुग्ण औद्योगिक कम्पनियां (विशेष उपबन्ध) अधिनियम (एस आई सी ए) 1985 के उपबन्धों के अनुसरण में बी आई एफ आर के विचाराधीन हैं। तथापि, पुनरूद्धार पैकेज के अंतिम रूप दियं जाने तक एच ए एल के कार्यनिष्पादन में सुधार करने के लिए 14.54 करोड़ रुपए की धनराशि खर्च की गई है।

(च) और (छ) बी आई एफ आर के पास पंजीकृत सार्वजनिक क्षेत्र के रुग्ण उपक्रमों के पुनरूद्धार अथवा अन्यथा जो एस आई सी ए, 1985 के अंतर्गत गठित एक अर्धन्यायिक प्राधिकरण बी आई एफ आर के निर्णयों पर निर्भर करेगा। अनिवेश आयोग ने हाल ही में आई पी सी एल सहित लाभ अर्जित करने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के कुछ उपक्रमों में अनिवेश करने के संबंध में सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की हैं।

II. उर्वरक विभाग

(क) से (घ) उर्वरक क्षेत्र के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यनिष्पादन की समय-समय पर समीक्षा की जाती हैं। गत तीन वर्षो में मार्च, 1998 तक इन उपक्रमों को अर्जित शुद्ध लाभ / हानियां निम्नलिखित है :

(रु०/कराड)

क्र. सं.	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का नाम	1995-96	1996-97	1997-98 (अनंतिम)
1	2	3	4	5
01.	नेशनल फर्टिलाइजर्स	54.06	11.20	191.86
02.	फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स ट्रावनकोर लि० (फैक्ट)	76.76	61.78	50.25
03.	राष्ट्रीय कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लि०(आरसीएफ)	74.33	76.88	174.39
04.	पारादीप फास्फेट लि0 (पीपीएल)	02.22	(-)60.63	(-)110.29
05.	मद्रास फर्टिलाइजर्स लि० एम.एफ.एल.	21.07	12.10	(-)60.77
06.	पाइराट्स, फास्फेट्स एण्ड कैमिकल्स लि० (पीपीसीएल)	(-)00.65	(-)08.28	(-)14.78
07.	फर्टिलाइजर्स कार्पोरेशन आफ इंडिया (एफसीआई)	(-)471.31	(-)538.02	(-)696.59
08.	हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर्स कार्पोरेशन लि० (एचएफसी)	(-)474.41	(-)532.64	(-)580.70
09.	प्रोजेक्ट्स एण्ड डेवलपमेंट इंडिया लि० (पीडीआईएल)	22.52	31.81	06.90

उर्वरक क्षेत्र के सार्वजनिक क्षेत्र के तीन उपक्रमों अर्थात एच एफ सी, एफ सी आई और पी डी आई एल को 1992 में रुग्ण औद्योगिक कम्पनियां (विशेष उपबन्ध) अधिनियम, 1985 के उपबन्धों के अंतर्गत औद्योगिक और वित्तीय पुर्नगठन बोर्ड (बी आई एफ आर) द्वारा रुग्ण घोषित किया गया था।

(ङ) से (ज) पी डी आई एल की पुर्नवास स्कीम के अतंर्गत, जो 1.7.1997 को बी आई एफ आर ने अनुमोदित की थी, पी डी आई एल की फालतू जनशक्ति के यौक्तिकरण को सरल बनाने के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना को क्रियान्वित करने के लिए राष्ट्रीय नवीकरण फंड से 13.93 करोड़ रुपए की धनराशि उपलब्ध कराई गई है। गैर योजना ॠणों को संचित अधिमान शेयरों में परिवर्तित करके और भारत सरकार के ॠणों के संबंध में संचित जुर्माना ब्याज बट्टे खाते डालकर ब्याज विराम देकर ओर पुनः अदायगी ॠण स्थगन के रूप में राहतें/रियायतें भी दी गई हैं। वर्ष 1997-1998 के दौरान, योजना स्कीमों और अनुसंधान और विकास अंशदान के लिए पी डी आई एल को 6 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता भी प्रदान की गई हैं। इन उपायों से पी डी आई एल की हालत में सुधार हुआ है।

एच एफ सी और एफ सी आई की पुनर्वास स्कीमों को बी आई एफ आर के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए अभी अंतिम रूप दिया जाना बाकी है। तथापि, सरकार ने एच एफ सी के नामरूप एककों के पुनरूद्धार का निर्णय लिया है।

बजटीय संसाधनों की सीमाओं के भीतर सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के रुग्ण उपक्रमों को सहायता प्रदान कर रही है जिससे वे अपनी कार्यकारी पूंजी की आवश्यकताओं और अन्य अत्यावश्यक पूंजी व्यय को पूरा करने में समर्थ हो सके। पिछले तीन वर्षो के दौरान, इन उपक्रमों को दी गई बजटीय सहायता नीचे दी गई है:

(रु०/ करोड़)

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का नाम	1995-96	1996-97	1997-98
एच एफ सी	108.60	152.34	184.34
एफ सी आई	217.60	316.00	318.15
पी डी आई एल	4.50	5.10	6.00

एच एफ सी और एफ सी आई का पुनरूद्धार अथवा अन्य कोई उपाय बी आई एफ आर, जो रुग्ण औद्योगिक कम्पनियां (विशेष उपबन्ध) अधिनियम, 1985 के अंतर्गत गठित एक अर्द्ध न्यायिक

प्राधिकरण है, के निर्णय पर निर्भर करेग। सरकार ने एम एफ एल, पी पी सी एल, एन एफ एल और फैक्ट में सरकारी साम्य पूंजी का अनिवेश करने के लिए संबंध में अनिवेश आयोग की संस्तुतियां भी प्राप्त की हैं और इस संबंध में एम एफ एल की 50% की साम्य पूंजी को एक अनुकूल सहभागी के पक्ष में अनिवेश करने के बारे में सिद्धांतत: निर्णय लिया गया है।

आइजक मुवैया गुट के साथ बातचीत

*101. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "नेशनल सोशलिस्ट काउंन्सिल आफ नागालैंण्ड" के आइजक मुवैया गुट के साथ पिछली सरकार ने बातचीत शुरू की थी;

(ख) यदि हां, तो क्या बातचीत की इस प्रक्रिया को जारी रखने के लिए सरकार ने कोई कार्यवाही की हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) जी हां, श्रीमान।।

(ख) जी हां, श्रीमान।

(ग) प्रश्न नहीं उठता हैं।

[हिन्दी]

यूरिया की कमी

873. **श्रीमती कमल रानी :** क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उत्तर प्रदेश में यूरिया की कमी की जानकारी हैं;

(ख) यदि हां, तो इसका क्या कारण हैं;

(ग) क्या राज्य सरकार यूरिया के अतिरिक्त कोटे के लिए संघ सरकार से 1990 से लगातार अनुरोध करती रही है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) वर्ष 1996 से यूरिया की कुल कितनी आपूर्ति की गई और वर्ष 1999 में कितनी आपूर्ति किए जाने की सम्भावना हैं?

रसायन और उर्वरक में राज्य मंत्री (डा० ए०के० पटेल) : (क) उत्तर प्रदेश में यूरिया की कमी की कोई शिकायत नहीं हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ) सलंग्न विवरण में उत्तर प्रदेश राज्य में 1990 से यूरिया की उनकी मांग की तुलना में उपलब्धता दर्शाई गई है। उपलब्धता, मांग की तुलना में हमेशा अधिक रही हैं। तथापि, किसी मौसम में इस राज्य द्वारा सूचित की गई स्थानीय कमियों को आयातों सहित वैकल्पिक स्रोतों से आपूर्ति कर दूर किया गया था।

खरीफ, 1998 के लिए, उत्तर प्रदेश यूरिया की मूल्यांकित मांग लगभग 22 लाख मी० टन है। तदनुसार आपूर्ति की जाएगी।

विवरण

उत्तर प्रदेश में यूरिया की मांग तथा उपलब्धता

(आकड़े लाख मी. टन में)

वर्ष	मांग/खपत	उपलब्धता
1990-91	33.49	40.61
1991-92	33.42	39.49
1992-93	35.63	40.15
1993-94	37.91	44.38
1994-95	39.51	44.2
1995-96	42.63	48.95
1996-97	44.43	49.06
1997-98	46.74	56.42

[अनुवाद]

शासकीय गुप्त बात अधिनियम

874. **श्री आरिफ मोहम्मद खां :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शासकीय गुप्त बात अधिनियम के अन्तर्गत केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने वर्ष 1975-76 से 1990-91 तक वर्ष-वार केन्द्र सरकार के कार्यो से संबंधित कितने मामलों की जांच की; और

(ख) वर्ष-वार कितने मामलों में मुकदमा दायर किया गया और कितने मामलों में मुकदमा दायर करने के परिणामस्वरूप कितने लोगों को दण्डित किया गया और कितने मामले अभी तक विचाराधीन है?

गृह मंत्री (श्री लालकृष्ण आडवानी) : (क) 1975 से 1991 की अवधि के दौरान शासकीय गुप्त बात आधिनियम के अन्तर्गत केन्द्रीय जांच ब्यूरों में कुल 19 मामले दर्ज किए गए और उनकी जांच-पडताल की गयी। दर्ज किए गए मामलों का वर्ष-वार ब्यौरा सलंग्न विवरण 1 में दिया गया हैं।

(ख) उपरिल्लिखित 19 मामलों में से 8 मामलों में मुकदमा चलाया गया जिनमें से एक मामले में आंशिक रूप से दोषसिद्धि हुई। शेष 7 मामले विभिन्न न्यायालयों में विचारणाधीन हैं।

विवरण

इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन

क्र. सं०	उन मामलों की संख्या जिनकी शासकीय गुप्त बात अधिनियम के अन्तर्गत केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच-पड़ताल की गयी	उन मामलों की संख्या जिनमें मुकदमा चलाया गया	उन मामलों की संख्या जिनमें मुकदमा दोष-सिद्ध में समाप्त हुआ	उन मामलों की संख्या जिनमें विचारण अभी भी लम्बित है	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6
			1975		
1.	आर.सी.-3/75-एफ.एस-1	–	–	–	मामला बंद कर दिया गया।
2.	आर.सी.-4/75-एफ-एस-1	–	–	–	मामला बंद कर दिया गया।
			1976 से 1980		
			शून्य		
			1981		
1.	आर.सी.-2(एस)/81-एस.आई.यू.-I	आर.सी.-2(एस)/81-एस.आई.यू.-I	–	आर.सी.-2(एस)/81-एस.आई.यू.-II	मामला विचारण के लिए लम्बित पड़ा है
2.	आर.सी.-3(एस)/81-एस.आई.यू.-II	आर.सी.-3(एस)/81-एस.आई.यू.-II	–	आर.सी.-3(एस)/81-एस.आई.यू.-III	मामला विचारण के लिए लम्बित पड़ा है
			1982		
1.	आर.सी.-3(एस)82-एस.आई.यू.-III	–	–	–	उन्हें संवेदनशील पदों से हटाने सहित अभियुक्तों के खिलाफ उपयुक्त प्रशासनिक कार्रवाई की सिफारिश की गयी।
2.	आर.सी.-2(एस)/82-एस.आई.यू.-III	आर.सी.-2(एस)/82-एस.आई.यू.-III	आर.सी.-2(एस)/82-एस.आई.यू.-III	–	मामला आंशिक दोष सिद्धि में समाप्त हुआ और एक अभियुक्त को शासकीय बात अधिनियम की धारा 5(4) के साथ पठित धारा 5(2) के तहत दोषी करा दिया गया।
			1983 से 1984		
			शून्य		
			1985		
1.	आर.सी.-6(एस)/85/ए सी यू-वी	–	–	–	जांच-पड़ताल के बाद ओ.एस.ए. के अन्तर्गत कोई मामला नहीं बनाया गया।
2.	आर.सी. 64/85-बम्बई	–	–	–	उचित कार्रवाई, जो भी ठीक समझी जाय, की सिफारिश करते हुए मामला विभाग को भेजा गया।

1	2	3	4	5	6
			1986		
1.	आर.सी.-6(एस)/86-एसीयू-I	आर.सी-6(एस)/86-एसीयू(I)	–	आर.सी.-6(एस)/86-एसीयू-I	मामला विचारण के लिए लम्बित पड़ा है।
2.	आर.सी.-7/86-एसीयू(II)	–	–	–	साक्ष्यों के अभाव में कोई मुकदमा नहीं चलाया गया।
3.	आर.सी-4/86-एसीयू-III	–	–	–	मामला बंद कर दिया गया।
			1987		
1.	आर.सी.-4(एस)/87-एसआईयू-I	आर.सी-4(एस)/87-एसआईयू-I	–	आर.सी.-4(एस)/87-एसआईयू-I	मामला विचारण के लिए लम्बित पड़ा है।
2.	आर.सी.-1(एस)/87-एसआईयू-I	आर.सी-1(एस)/88-एसआईयू-I	–	आर.सी.-1(एस)/88-एसआईयू-I	मामला विचारण के लिए लम्बित पड़ा है।
3.	आर.सी.-1/87-एसआईयू (IIII)	–	–	–	यह मामला, प्रारम्भ में (पुलिस स्टेशन गांधी नगर, बेलरी में दर्ज किया गया था जिसे बाद में कोर आफ डिटेक्टिव, बंगलौर को हस्तांतरित कर दिया गया। सीओडी द्वारा की गयी जांच पड़ताल में कुछेक खामियों के कारण, मामला आगे जांच पड़ताल के लिए केन्द्रीय जांच ब्यूरो के सुपुर्द किया गया। क्योंकि बेलरी में विचारण न्यायालय के समक्ष आरोप पत्र पहले ही दायर कर दिया गया था इसलिए केन्द्रीय जांच ब्यूरों ने आगे जांच करने की अनुमति के लिए न्यायालय में आवेदन किया। आवेदन पत्र काफी समय तक लम्बित पड़ा रहा और अन्तत: सीजीएम बेलरी द्वारा रद्द कर दिया गया। कर्नाटक उच्च न्यायालय में दायर क्रिमिनल डिवीजन याचिका भी रद्द कर दी गयी। 14.7.93 को एक एस.एल.पी. दायर की गयी जिसे विलम्ब के कारण 23.3.98 को रद्द कर दिया गया। भारत के उच्चतम न्यायालय में एक पुनरीक्षा याचिका दायर की गयी, जो निर्णय के लिए लम्बित पड़ी है।
			1988		
1.	आर.सी.-9(एस)/88/एसआईयू-1	आर सी-(एस)/88/एसआईयू-1	–	आरसी-9(एस)/88 एसआईयू-1	मामला विचारण के लिए लम्बित है।
			1989		
1.	आर.सी. 7(एस)/89/एसआईयृ-III	–	–	–	मामला बंद कर दिया गया
2.	आरसीस 4(एस)/89-एससीबी/बम्बई	–	–	–	पर्याप्त साक्ष्यों के आभाव में मामला बंद कर दिया गया।

1	2	3	4	5	6
			1990		
			शून्य		
			1991		
1.	आर.सी.-4(एस)/91/ एसआईयू-II	आरसी-4(एस)/91/ एसआईयू-II	–	आर.सी.4(एस)/91 एसआईयू-II	मामला विचार के लिए लम्बित पड़ा है।
2.	आरसी/13(ए)/91- डीएडी	–	–	–	अभियुक्त व्यक्तियों के खिलाफ मेजर पेनल्टी के लिए नियमित विभागीय कार्रवाई की सिफारिश की गयी नियमित विभागीय कार्रवाई लम्बित पड़ी है।

वीजा की जालसाजी

875. डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली में मार्च 1998 के दौरान जाली वीजा बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया गया;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) अभियुक्तों की कार्य प्रणाली क्या थी; और

(घ) उनके विरुद्ध की गई कार्रवाई/की जाने वाली कार्रवाई का ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) से (घ) जी हां, श्रीमान। दिल्ली पुलिस द्वारा प्राप्त एक शिकायत के आधार पर शिकायतकर्ता तथा उसके एक परिचित व्यक्ति के पक्ष में तथाकथित जाली वीजा रखने के लिए तीन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। दिल्ली पुलिस ने इन व्यक्तियों के खिलाफ धोखाधड़ी और जालसाजी का एक मामला दर्ज किया है। जांच पड़ताल करने से यह पता चला कि अभियुक्त चैन्नई से मुद्रित वीजा स्टिकर लाते थे और फिर उन्हें पासपोर्ट के ऊपर चिपका देते थे।

इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन

876. श्री संदीपान थोरात : क्या खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन ने यह मांग की हैं कि चीनी मूल्यों को विनियंत्रित करने की महाजन समिति की सिफारिश के कार्यान्वयन के साथ ही चीनी के आयात पर 20 प्रतिशत सीमा शुल्क तथा 20 प्रतिशत संतुलनकारी शुल्क लगाया जाए;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार को प्राप्त ज्ञापन का ब्यौरा क्या हैं; और

(ग) विशेषकर अन्य देशों की तुलना में आयातित चीनी पर शून्य प्रतिशत शुल्क को ध्यान में रखते हुए इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया हैं?

खाद्य और उपभोक्ता मामले के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल सिंह यादव) : (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन और नेशनल फेडरेशन आफ कोआपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज लिमिटेड से संयुक्त रूप से प्राप्त दिनांक 24.4.98 के अभ्यावेदन में 10 प्रतिशत सीमा शुल्क और 10 प्रतिशत प्रति-शुल्क लगाने का अनुरोध किया गया हैं।

(ग) 24.4.98 से सरकार ने चीनी के आयात पर 5 प्रतिशत मूल सीमा शुल्क और 850 रुपये प्रति टन का प्रति-शुल्क लगाया हैं।

ओटोनोमस स्टेट डिमान्ड कमेटी

877. डा. जयन्त रंगपी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री को हाल ही की असम यात्रा के दौरान 'ओटोनोमस स्टेट डिमान्ड कमेटी' (ए.एस.डी.सी) और कारबी स्टूडेन्ट्स एसोसिएशन (के.एस.ए.) ने उन्हें कोई ज्ञापन दिया था;

(ख) यदि हां, तो उस ज्ञापन का ब्यौरा क्या हैं; और

(ग) इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या हैं?

गृह मंत्री (श्री लालकृष्ण आडवानी) : (क) और (ख) जी हां, श्रीमान। मुख्य मांग, कारबी एंगलाग और उत्तरी कछार हिल्स के दो स्वायत्तशासी पर्वतीय जिलों को मिलाकर असम में एक स्वायत्तशासी राज्य सृजित करने की हैं।

(ग) भारत सरकार, असम में स्वायत्तशासी राज्य सृजित करने की मांग के पक्ष में नहीं है।

विदेशों में रह रहे भारतीयों की समस्याएं

878. श्री जी०एम०बनातवाला : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशों में कार्यरत भारतीयों की राज्य-वार और देश-वार संख्या कितनी है,

(ख) क्या सरकार ने विदेशों में रह रहे भारतीयों द्वारा उठायी जा रही विभिन्न समस्याओं पर कोई अध्ययन कराया हैं,

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

श्रम मत्री (डा० सत्यनारायण जटिया) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही हैं और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

पोलियो उन्मूलन

879. श्री के०पी० नायडू : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में पोलियो उन्मूलन के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया है;

(ख) यदि हां, तो देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पोलियो उन्मूलन के लिए निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु क्या प्रबंध किए गए हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कारगर कार्रवाई की जा रही हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एझिलमलाई) : (क) सरकार ने सन् 2000 ईसवी तक पोलियो उन्मूलन का लक्ष्य रखा है।

(ख) और (ग) 1. नेमी रोग प्रतिरक्षण कार्यक्रमों में उच्च कवरेज।

2. 1995 से पांच वर्ष से कम आयु वाले देश के सभी बच्चों को ओरल पोलियों वैक्सीन देन हेतु 2 निश्चित तारीखों को प्रतिवर्ष प्लस पोलियो रोग प्रतिरक्षण अभिान चलाया जा रहा हैं।

3. पोलियो के सभी रोगियों का पता लगाने संबंधी निगरानी परियोजना शुरू करके और पोलियो विषाणु के संचरण को नियंत्रित करने हेतु समय पर कार्यवाही करके इस कार्यक्रम को और मजबूत बनाया गया है।

[हिन्दी]

ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यकर्ता

880. श्री रामानन्द सिंह: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 1997-98 में सरकार द्वारा ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यकर्ता योजना शुरू की गई थी;

(ख) यदि हां, तो अब तक ग्राम स्तर पर ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को कितने मानदेय अथवा वेतन का भुगतान किया गया; और

(ग) सरकार द्वारा ग्राम स्तर पर ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यकर्ता योजना को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का विचार हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एझिलमलाई) : (क) जी, हां। बाद में इस स्कीम का नाम ग्राम स्वास्थ्य गाइड स्कीम रखा गया।

(ख) ग्राम स्वास्थ्य गाइड को मानदेय के रूप में 50/- रुपये प्रतिमाह का भुगतान किया जा रहा हैं।

(ग) सरकार ने इस स्कीम की उपयोगिता का मूल्यांकन करने और ऐसे और संशोधन अथवा सुधारों का सुझाव देने के लिए विशेषज्ञों की एक समिति गठित की हैं ताकि इस स्कीम को और अधिक उत्तरदायी बनाया जा सके।

[अनुवाद]

तेल अन्वेषण

881. श्री अनन्त कुमार हेगड़े : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षो के दौरान राज्य-वार दक्षिण भारत के विभिन्न भागों में तेल अन्वेषण के क्या परिणाम निकले हैं,

(ख) कावेरी बेसिन से तेल एवं प्राकृितक गैस प्राप्त होने की संभावना का ब्यौरा क्या है,

(ग) क्या दक्षिण गैस ग्रिड स्थापित करने की सरकार की कोई योजना हैं, और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री(श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) गत तीन वर्षो अर्थात् 1995-98 के दौरान भारत के दक्षिण राज्यों के अंतर्गत किए गए अन्वेषण के ब्यौरे एवं उसके परिणाम नीचे निर्दिष्ट किए जाते है:

	आंध्र प्रदेश	तमिलनाडु	पांडिचेरी
अर्जित भूकंपीय आंकड़ा (जी एल के)			
द्विआयामी	2871	1265	151
त्रिआयामी	3673	4602	---
वेधित अन्वेषी कूप			
(संख्या)	74	67	01
तेल +तेल समतुल्य गैस की अभिवृद्धि			
स्थानिक (मि.मी.टन)	13.5	21.59	---
अंतिम			
भण्डार (मि.मी.टन)	8.42	7.0	---

(ख) कावेरी बेसिन में अन्वेषी प्रयास इस बेसिन में 97.92 एम एम.टी ओ ई मात्रा के स्थानिक तथा 16.46 एम एम.टी ओ ई मात्रा के वसूलनीय सिद्ध भण्डारों की स्थापना समेत 17 तेल तथा 9 गैस उपलब्धियों में परिणमित हुए हैं। फिलहाल 15 तेल एवं गैस क्षेत्र उत्पदानरत है।

(ग) और (घ) सरकार ने आयातित प्राकृतिक गैस/एल एल जी द्वारा अनुपूरित पश्चिमी अपतटीय क्षेत्रों से गैस परिवहन करने विषयक दक्षिणी गैस ग्रिड की अवधारणा के लिए सिद्धान्ततया अनुमोदन दे दिया है।

निजी और सरकार अस्पतालों में मरीजों के उपचार के लिए दिशा-निर्देश

882. डा० विजय सोनकर शास्त्री : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 14.1.98 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में "मेनी प्राइवेट हॉस्पीटल्स रिफ्यूज क्रिटिकल पेशेन्टर्स" शीर्षक से छपी खर की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या बड़ी संख्या में प्राइवेट अस्पताल गंभीर रूप से बीमार मरीजों को बिस्तर उपलब्ध नहीं होने के नाम पर मना कर देते हैं;

(ग) यदि हां, तो सरकार ने उपकरणों के आयात के लिए सीमा शुल्क में छूट तथा उन्हें अस्पतालों के लिए राजसहायता प्राप्त भूमि का भी प्रावधान किया है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार के द्वारा गंभीर रूप से बीमार निर्धन मरीजों को निजी अस्पतालों में पर्याप्त चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए क्या कार्रवाई की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) जी, हां।

(ख) माननीय उच्चतम न्यायलय के निर्देशों के अनुसार केन्द्रीय सरकार द्वारा सभी राज्य सरकारों/केन्द्रीय सरकार के अस्पतालों को और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजधानी में गैर सरकारी अस्पतालों सहित सभी अस्पतालों को अनुदेश जारी किए हैं कि अस्पताल में लाए गए किसी भी सड़क दुर्घटना के शिकार व्यक्तियों को दाखिल करने से इंकार न करें और यह विचार किए बगैर कि वह चिकित्सा विधिक मामला है या नहीं, उनको आवश्यक उपचार प्रदान करें।

(ग) और (घ) कुछ राज्यों ने रियायती दर पर भूमि व अन्य सुविधाएं प्रदान की हैं और इसके बदले में गरीब रोगियों के लिए मुफ्त उपचार निर्धारित किया हैं। इसी प्रकार, कतिपय अस्पतालों और नैदानिक केन्द्रों को सीमा-शुल्क की छुट दी गई जिनसे यह प्रत्याशा की गई थी कि वे गरीबों को मुफ्त अंतरंग/बाह्य रोगी उपचार प्रदान करेंगे। राज्य सरकारों से अपेक्षा की जाती है कि वे यह जांच करें कि क्या गैर सरकारी अस्पतालों/नर्सिंग होमों द्वारा इन शर्तों को पूरा किया जा रहा हैं। सामान्य अनुभव यह रहा हैं कि मुफ्त उपचार की अपेक्षा भिन्न-भिन्न स्थानों पर केवल आंशिक रूप से पूरी की जा रही हैं।

[हिन्दी]

रसोई गैस कनेक्शन

883. श्री जयसिंहजी चौहान : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ गैस एजेंसियों ने रसोई गैस कनेक्शनों के आबंटन में अनियमितताएं की हैं,

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य में ऐसे एजेंसियों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इन एजेंसियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई किए जाने का विचार हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम तेल कंपनियों के अनुसार, रसोई गैस कनेक्शन के आबटन में अनियमितताओं से संबंधित कुछ एक मामले रिपोर्ट वर्ष 1997-98 के दौरान मिली है।

(ख) वर्ष 1997-98 के दौरान में रिपोर्ट की गई हाट प्लेट की जबरन बिक्री, बिना पारी के अनधिकृत रूप से कनेक्शन जारी करने से संबंधित प्रमाणित शिकायतो के ब्यौरे निम्नवत् है:

1997-98 - 77

(ग) गलती करने वाले वितरकों के विरुद्ध विपणन अनुशासन दिशानिर्देशों के अधीन उचित दंडात्मक कार्रवाई की जाती हैं जिसमें चेतावनी पत्र, जुर्माने एवं निलंबन सम्मिलित है।

गुजरात में होम गार्ड का सीमा स्कंध

884. श्री पी०एस० गढ़वी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गुजरात सरकार से होम गार्ड सीमा स्कंध की तीसरी बटालियन बनाए जान संबंधी कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;

(ग) इसे कब तक अंतिम रूप दिए जाने की संभावना हैं?

गृह मंत्री (श्री लालकृष्ण आडवानी) : (क) से (ग) नवम्बर, 1997 में गुजरात के लिए बार्डर विंग होम गार्ड की 2 अतिरिक्त बटालियनें मंजूर की गई थी। राज्य के लिए एक अतिरिक्त बटालियन मंजूर करने संबंधी कोई भी अनुरोध केन्द्र सरकार के पास विचाराधीन नहीं हैं।

[अनुवाद]

आंध्र प्रदेश में तेल शोधक कारखाना

885. डा० टी० सुब्बारामी रेड्डी : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक प्रमुख विविधिकरण कदम के तहत तेल तथा प्राकृतिक गैस निगम द्वारा आंध्र प्रदेश में एक तेल शोधक कारखाना लगाए जाने का प्रस्ताव है,

(ख) यदि हां, तो यह तेल शोधक कारखाना कहां पर स्थापित किए जाने की संभावना हैं,

(ग) इसमें कुल कितना व्यय आने की संभावना है, और

(घ) इस संबध में अंतिम निर्णय कब तक ले लिए जाने की संभावना हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (घ) ओ एन जी सी आंध्र प्रदेश में कृष्णा-गोदावरी बेसिन में लगभग 30 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर लघु रिफाइनरी की स्थापना करने के लिए एक व्यवहार्यता अध्ययन कर रही हैं। ओ एन जी सी द्वारा अब तक इस परियोजना के संबंध में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया हैं।

कृष्णा-गोदावरी बेसिन में ड्रिलिंग

886. **श्री आर० साम्बासिवा राव : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस निगम ने कृष्णा-गोदावरी बेसिन में ड्रिलिंग कार्य में संशोधन किया हैं,

(ख) यदि हां, तो इस उद्देश्य हेतु अनुमानतः कितनी धनराशि की आवश्यकता होगी, और

(ग) कृष्णा-गोदावरी बेसिन में ड्रिलिंग कार्य कब तक पूरा होने की संभावना हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (ग) बेसिन के अंतर्गत वेधन एक सतत प्रक्रिया हैं जो आंकड़ा अर्जन/संसाधन तथा निर्वचन के आधार पर पहचाने गए स्थानों पर निर्भर करते हुए परिवर्तित होती रहती हैं। वर्ष 1998-99 के दौरान कृष्णा-गोदावरी बेसिन के अंतर्गत तटवर्ती तथा अपतटीय, दोनों में, वेधन के संबंध में आयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन द्वारा नियत की गई अनुमानित धनराशि 169.04 करोड़ रुपए है। इस संबंध में कोई समय विधान निर्दिष्ट नहीं किया जा सकता हैं।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश की भारतीय रेड क्रॉस सोसाएटी को केन्द्रीय अनुदान

887. **श्री मोतीलाल वोरा : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में राजनन्दगॉव जिले की भारतीय रेडक्रॉस सोसाएटी ने कृत्रिम अंग/उपस्कर सहायक कार्यक्रम के अन्तर्गत 60,00,000/- रुपये की मांग की थी परन्तु समाज कल्याण विभाग, मध्य प्रदेश ने केन्द्र सरकार के पास 45,26,000/- रुपये के लिए संस्तुति भेजी थी;

(ख) यदि हॉं, तो अब तक जारी की गई सहायता का ब्यौरा क्या हैं;

(ग) बकाया सहायता धनराशि को कब तक जारी कर दिए जाने की संभावना है;

(घ) क्या उसको इस संबंध में संसद सदस्यों की ओर से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं; और

(च) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गॉंधी) : (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 1996-97 के दौरान चल रही नीति के अनुसार कल्याण मंत्रालय से किसी कार्यान्वयन एजेन्सी को प्रक्रियात्मक जरूरतों को पूरा करने के लिए अधिकतम 6.00 लाख रुपये प्रदान किए जा सकते है। तदनुसार, वर्ष 1996-97 में भारतीय रेड क्रॉस सोसाएटी राजनन्द गॉंव मध्य प्रदेश को 6.00 लाख रुपये की धन राशि प्रदान की गई।

(ग) ए. डी. आई. पी. योजना के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता का स्वरूप अनावर्ती हैं। निधि किसी विशेष वर्ष के लिए प्रदान की जाती हैं। इस सोसायटी को सलाह दी गई है कि यदि वह अतिरिक्त अनुदान पाने की इच्छुक है तो उसे चालू वित्त वर्ष के लिए नये प्रस्ताव के साथ वर्ष 1996-97 के दौरान दी गई वित्तीय सहायता के लिए आवश्यक दस्तावेजों अर्थात लाभार्थियों की सूची, उपयोगिता प्रमाण पत्रों, लेखा परीक्षित लेखे प्रस्तुत करने चाहिए। इन आवश्यक दस्तावेजों के प्राप्त होने पर ही उसके अनुरोध पर आगे विचार किया जाएगा।

(घ) जी, हॉं।

(ङ) और (च) कल्याण मंत्रालय ने क्रमशः सचिव कल्याण मंत्रालय तथा राज्य के कल्याण मंत्री को संबोधित श्री मोतीलाल वोरा, संसद सदस्य से दिनॉंक 19.3.1998 तथा 23.3.1998 का अभ्यावेदन प्राप्त किया है। इस संबंध में महोदय को क्रमशः दिनॉंक 15.5.1998 तथा 5.5.1998 को उत्तर भेज दिया गया है।

[अनुवाद]

चिकित्सा लापरवाही के मामले

888. **श्री कृष्ण लाल शर्मा : क्या खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1997 से आज तक चिकित्सा लापरवाही के राज्य वार कितने मामले राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के समक्ष लाए गए हैं; और

(ग) इस अवधि के दौरान प्रत्येक मामले में मुआवजे की कितनी राशि दी गई हैं?

खाद्य और उपभोक्ता मामले के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल सिंह यादव) : (क) राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार 1.1.1997 से 28.5.1998 तक आयोग में दायर चिकित्सा में लापरवाही मामलों की राज्य-वार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) चूंकि आयोग द्वारा इनमें से किसी भी मामले का निपटान नहीं किया गया हैं इसलिए मुआवजे के भुगतान का प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

1.1.1997 से 28.5.1998 तक राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में दायर चिकित्सा में लापरवाही के मामलों की संख्या

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	मामलों की संख्या
1	2
आंध्र प्रदेश	4
अरुणाचल प्रदेश	0

1	2
असम	0
बिहार	4
गोवा	2
गुजरात	10
हरियाणा	5
हिमाचल प्रदेश	0
जम्मू व कश्मीर	0
कर्नाटक	9
केरल	8
मध्यप्रदेश	0
महाराष्ट्र	17
मणिपुर	0
मेघालय	0
मिजोरम	0
नागालैंड	0
उड़ीसा	0
पंजाब	7
राजस्थान	3
सिक्किम	0
तमिलनाडु	20
त्रिपुरा	0
उत्तर प्रदेश	14
प०बंगाल	6
अडंमान निकोबार दीप समूह	ः
चड़ीगढ़	4
दादरा व नगर हवेली	0
दमण व दीप	0
दिल्ली	32
लक्षद्वीप	0
पांडिचेरी	1
कुल	146

रसोई गैस बाटलिंग संयंत्र

889. श्री ए०सी० जोस : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास देश में विशेषकर केरल में नए एल पी जी बाटलिंग संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव हैं,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार और कंपनीवार ब्यौरा क्या हैं, और

(ग) देश में आज की तारीख तक राज्यवार तथा कंपनीवार कितने एल पी जी बाटलिंग संयंत्र हैं तथा प्रत्येक संयंत्र की बाटलिंग क्षमता कितनी हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (ग) जी, हां। केरल राज्य में योजित नए भरण संयंत्रो का ब्यौरा निम्नानुसार है:

स्थान	तेल कंपनी	क्षमता(टी.एम.टी.पी.ए.)
कोचीन	बी.पी.सी.	22
क्विलोन	एच.पी.सी.	22
कोट्टायम	आई.ओ.सी.	38

नौवीं योजना के अंतर्गत केरल सहित पूरे देश में 113 नए भरण संयंत्रो का निर्माण करने का प्रस्ताव हैं, जिसके परिणामस्वरूप 3106टी एम टी पी ए की अतिरिक्त क्षमता उत्पन्न होगी। वर्तमान में देश में 97 एल पी जी भरण संयंत्र हैं, जिनकी कुल भरण क्षमता 3685 एम टी पी ए हैं।

विश्व कैंसर अनुसंधान निधि तथा अमरीकी कैंसर अनुसंधान संस्थान की संयुक्त रिपोर्ट

890. श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को विश्व कैंसर अनुसंधान निधि और अमरीकी कैंसर अनुसंधान संस्थान की संयुक्त रिपोर्ट की जानकारी हैं;

(ख) क्या संयुक्त रिपोर्ट में मुख्य रूप से सब्जियों और फलों, दालों तथा कम संसाधित स्टार्चयुक्त रेशेदार खाद्यों के रूप में शाकाहारी भोजन की सिफारिश की गई है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार अस्पतालों में रोगियों को स्वास्थ्यवर्द्धक शाकाहारी भोजन देने तथा आयुर्वेदिक प्रणाली में प्राचीन परम्परा के अनुसार भोजन संबंधी जानकारी देने का है जिससे मांसाहारी भोजन और विशेषकर बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा विकसित फास्ट फूड के अस्वास्थ्यकर भोजन के प्रभाव से होने वाले रोगों को रोका जा सके;

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या हैं; और

(ड.) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एझिलमलाई) : (क) जी, हां।

(ख) रिपोर्ट में की गई सिफारिशों में उन खाद्य मदों (वनस्पति और जीव मूल दोनों की) के उपभोग के सुझाव शामिल हैं जो विभिन्न

प्रकार के कैंसर को रोकते हैं। रिपोर्ट में मुख्य रूप से वनस्पति आधारित भोजन का सुझाव दिया गया हैं जिसमें विभिन्न प्रकार की सब्जियां तथा फल, दाले तथा न्यूनतम संसाधित स्टार्ची स्टेपल खाद्य प्रचुर मात्रा में होते हैं। रिपोर्ट में मांसाहारी भोजन से पूरी तरह परहेज करने की सिफारिश नहीं की गई है।

(ग) से (ड.) अस्पताल में विभिन्न रोगों के भर्ती हुए रोगियों की आवश्यकताओं के अनुसार विशिष्ट भोजन उपलब्ध कराने की योजना बनाते हैं। बाह्य रोगियों को भी उनके रोग के उपचार के लिए यथाअपेक्षित आहार संबंधी प्रतिबंधों की सलाह दी जाती है।

[हिन्दी]

उर्वरक का आयात

891. श्रीमती सूर्यकांता पाटील : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 1994 से अब तक उर्वरक आयात करने का क्या औचित्य हैं;

(ख) यदि हां, तो देश को कुल कितनी हानि हुई;

(ग) क्या आयात के करारों को रद्द करने का कोई प्रस्ताव हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;

(ङ) क्या इस हानि के लिए किसी की जवाबदेही निर्धारित की गई हैं;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० ए०के० पटेल): (क) उर्वरकों में से यूरिया, डाई-आमोनियम फास्फेट (डी ए पी) और म्यूरिएट आफ पोटाश (एम ओ पी) के आयात किए जाते हैं। यूरिया तथा डी ए पी का आयात मांग और स्वदेशी उपलब्धता के बीच के अंतर को पूरा करने हेतु किया जाता हैं और एम ओ पी का आयात पूर्णत: इसलिए किया जाता हैं कि देश में पोटाश के कोई ज्ञात भंडार नहीं है। एकमात्र नियंत्रित उर्वरक "यूरिया" का आयात सरकारी खाते में किया जाता हैं। डी ए पी और एम ओ पी के आयातों को क्रमश: सितम्बर, 92 तथा जून, 93 से असरणीबद्ध कर दिया गया हैं और इनका आयात व्यापारिक खाते में किया जाता हैं।

(ख) यूरिया के आयात निर्दिष्ट सरणीकरण एजेंसियों के माध्यम से किए जाते हैं। नेशनल फर्टिलाइजर्स लि० द्वारा यूरिया की खरीद के लिए मै० करसन लि०, अंकारा से किए गए सौदे, जिसमें सम्पूर्ण भुगतान (133 करोड़ रुपए) का अग्रिम रूप से कर दिया गया था और इसके प्रति कोई आपूर्ति नहीं की गई थी, को छोड़कर यूरिया आयातों में किसी अन्य सरणीकरण एजेंसी को कोई हानि नहीं हुई हैं।

(ग) से (छ) एन.एफ.एल. ने मै० करसन लि० के साथ अनुबंध रद्द कर दिया है और किये गये अग्रिम भुगतान की वसूली हेतु मध्यस्थता कार्रवाई शुरू की है। चूंकि यह सौदा निर्धारित प्रक्रिया का उल्लंघन करके किया गया था, अत: एन एफ एल के तत्कालीन प्रबन्ध निदेशक तथा 7 अन्य कर्मचारियों को निलम्बित कर दिया गया था। सी बी आई द्वारा बाद में की गई जांच-पड़ताल से प्रमाणित हुआ कि यह सौदा कपटपूर्ण था और परिणामस्वरूप, सीबीआई ने एन एफ एल के तत्कालीन प्रबन्ध निदेशक और भूतपूर्व कार्यकारी निदेशक (विपणन) सहित सभी संबंधितों के विरुद्ध आरोपपत्र दायर किए हैं।

भोपाल गैस त्रासदी के शिकार लोगों के लिए न्यायालय

892. श्री सुशील चंद्र वर्मा : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भोपाल गैस त्रासदी के शिकार लोगों के लिए स्थापित किए जाने वाले न्यायालयों में से अब तक कितने न्यायालय स्थापित किए गए हैं।

(ख) इनमें से वास्तव में कितने न्यायालय कार्य कर रहे हैं और कितने वार्डों में न्यायालय अब तक स्थापित नहीं किए गए हैं,

(ग) जिन वार्डों में इन न्यायालयों की स्थापना नहीं की गई है वहां मुआवजे के मामलों को कैसे निपटाया जाएगा और मुआवजे के कितने मामले अभी तक लंबित पड़े हैं,

(घ) पहले के मामलों में से वार्ड-वार कितने मामलों को निपटा दिया गया हैं, और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० ए०के० पटेल): (क) से (ङ) स्थापित की जाने वाली प्रस्तावित सभी 56 अदालतें कार्य कर रही हैं, यद्यपि कुछ मामलों में एक उपायुक्त एक से अधिक अदालतों का कार्यभार संभाले हुए हैं। पंजीकृत 6.19 लाख दावा मामलों में से 6.14 लाख मामले 30.4.98 तक निपटा दिए गए हैं। निपटाए गए मामलों में सभी 56 वार्डों के लोग शामिल हैं।

काम का अधिकार

893. श्री समीक लाहिड़ी : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार काम के अधिकार को मूल अधिकार बनाने पर विचार कर रही है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

श्रम मंत्री (डा. सत्य नारायण जटिया) (क) से (ग) केन्द्र सरकार मुख्यतः संसाधन बाधाओं के कारण "नौकरी के अधिकार" को संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में शामिल करने का प्रस्ताव नहीं रखती।

दुर्गापुर उर्वरक संयंत्र

894. श्री सुनील खां : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अन्य सरकारी क्षेत्र के उर्वरक उद्योगों की तरह हिन्दुस्तान उर्वरक निगम, हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन आफ इंडिया, दुर्गापुर में भी वेतनों में संशोधन किए जाने की सम्भावना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;

(ग) क्या हाल के सत्र के दौरान निगम को पुनः चालू करने संबंधी कोई घोषणा किए जाने की संभावना हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० ए०के० पटेल): (क) और (ख) जी, हां। हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन लिमिटेड (एच एफ सी)सार्वजनिक क्षेत्र का एक रुग्ण उपक्रम है जिसमें दुर्गापुर एकक सम्मिलित हैं। एच एफ सी को औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड (बी आई एफ आर) को निर्दिष्ट किया गया है तथा सरकारी मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार मजदूरी संशोधन करने से पूर्व इसे अपने पुनरूद्धार के बारे में बी आई एफ आर के अंतिम फैसले की प्रतीक्षा करनी है। मजदूरी संशोधन कामगारों के लिए भी सम्भव नहीं हुआ है क्योंकि एच एफ सी के पास इस खाते पर अतिरिक्त उत्तरदायित्व को पूरा करने हेतु पर्याप्त आन्तरिक धन नहीं हैं।

(ग) बी आई एफ आर को प्रस्तुत करने हेतु एच एफ सी की पुनर्वास को अंतिम रूप देने के संबंध में इस स्तर पर कोई विशिष्ट समय सीमा बताना सम्भव नहीं हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

खराब हुए खाद्यान्न

895. श्री चमन लाल गुप्त : क्या **खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षो के दौरान प्रतिवर्ष मार्च, 1998 तक गोदामों और अन्य स्थानों पर रखे हुए खाद्यान्न खराब हो गए हैं,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है और नष्ट हो गए खाद्यान्न का मूल्य क्या हैं, और

(ग) इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव हैं?

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल सिंह यादव) : (क) पिछले तीन वर्षो के दौरान भारतीय खाद्य निगम द्वारा रखी गई खाद्यान्नों की निम्नलिखित मात्रा को प्राकृतिक आपदाओं के कारण "पुष्ट" से "क्षतिग्रस्त खाद्यान्नों" खाते में अंतरित किया गया है :-

वर्ष	मात्रा मीट्रिक टन में	मूल्य (लाख रुपये में)
1994-95	19,127	722.18
1995-96	32,719	1601.21
1996-97 (अंनतिम)	55,678	2435.51

(ख) संलग्न विवरण के अनुसार।

(ग) खाद्यान्नों के उचित भण्डारण और परिरक्षण के लिए यथोचित सावधानी बरती जाती हैं। भण्डारण अथवा ढुलाई के दौरान खाद्यान्नों को कुछ क्षति बेमौसमी वर्षा, बाढ़, चक्रवात आादि जैसे प्राकृतिक कारणों से पहुंचती हैं। कवर और प्लिंथ के अधीन खाद्यान्नों के भण्डारण के कांरण भी कुछ क्षति पहुंचती हैं जहां हवा के तीव्र वेग के कारण कवरों के उड़ जाने की संभावना रहती हैं जिसे रोका नहीं जा सकता हैं। कवर और प्लिंथ दोनों प्रकार के भण्डारण के दौरान खाद्यान्न स्टाक के पररक्षण के लिए निम्नलिखित उपाय किए जाते हैं:-

(i) बरसात के पानी के रिसाव, बाढ़ आदि को रोकने के लिए गोदामों की आवधिक देखभाल की जाती हैं।

(ii) कैप भण्डारण में प्रत्येक चट्टे को कवर करने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले कम घनत्व के पोली एथिलीन कवरों को बचाने के लिए मोनोफिलामेंट जाल, कवर-टाप्स, नाइलोन की रस्सियों आदि का प्रयोग करना।

(iii) स्टाक का आवधिक रूप से टर्न ओवर, समय पर वियोजन, प्रभावित स्टाक को सुखाना एवं उसका बचाव तथा अच्छे अनाजों में और सुधार लाना। तथापि, यदि मानवीय चूक/अपेक्षा के कारण कोई क्षति पहुंचती है तो चूककर्ता कर्मचारी (रियों)के विरुद्ध कठोर अनुशासनिक कार्रवाई की जाती हैं।

विवरण

"पुष्ट" से "क्षतिग्रस्त" के रूप में अंतरित राज्य-वार मात्रा और उसका मूल्य बताने वाला विवरण

क्रम सं०	राज्य का नाम	1994-95		1995-96		1996-97	
		मात्रा टन में	मूल्य लाख रु. में	मात्रा टन में	मूल्य लाख रु. में	मात्रा टन में	मूल्य लाख रु. में
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	पंजाब	9111	400.58	6004	300.67	5558	257.26
2.	हरियाणा	0006	0.24	0274	12.38	12525	604.07
3.	राजस्थान	0136	3.70	1893	69.39	22472	980.20
4.	उत्तर प्रदेश	0507	14.54	1735	87.87	00998	043.39
5.	दिल्ली	0956	24.69	2543	92.18	01410	054.60

1	2	3	4	5	6	7	8
6	जम्मू व कश्मीर	0232	05.85	0002	00.12	-	-
7.	प०बंगाल	1473	52.94	10745	634.84	01639	092.55
8.	बिहार	0400	13.61	0431	17.23	0275	011.04
9.	उड़ीसा	0121	04.28	0084	03.72	0098	003.72
10.	असम	1069	43.70	0952	53.60	0807	046.53
11.	उत्तर पूर्व सीमांत	0113	05.03	0207	11.98	0147	008.85
12.	गुजरात	1006	25.74	3216	116.34	5807	221.06
13.	महाराष्ट्र	0999	30.92	1114	046.59	0715	031.51
14.	मध्य प्रदेश	0535	20.37	0245	011.45	1897	109.48
15.	आंध्र प्रदेश	0336	10.43	1969	074.38	0254	14.02
16.	केरल	0073	02.85	0169	009.13	0238	12.32
17.	कर्नाटक	0294	12.38	0498	027.05	0546	28.21
18.	तमिलनाडु	1760	50.33	0638	032.29	0292	16.70
	जोड़	19,127	722.18	32719	1601.21	55678	2435.51

भूमिगत जल में रसायन की सुरक्षित सीमा

896. **श्री जी० गंगा रेड्डी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत में भूमिगत जल के आर्सेनिक संदूषित होने के बारे में चेतावनी दी है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे जिलों का विवरण क्या है जो विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा निर्धारित भूमिगत जल में रसायन की सुरक्षित सीमा के अनुरूप नहीं हैं; और

(ग) सरकार ने लोगों को स्वच्छ पीने का पानी मुहैय्या कराने के संबंध में क्या कदम उठाए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एझिलमलाई) : (क) विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत और बंगाला देश मे पीने के पानी की आपूर्तियों में आर्सेनिक की मौजूदगी से होने वाली समस्याओं की तरफ ध्यान आकर्षित किया है।

(ख) जिन जिलों में भूमिगत जल की गुणवत्ता विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा निर्धारित रसायन की सुरक्षित सीमा के अनुसार नहीं हैं, उनके नाम इस प्रकार हैं:-

(i) मुर्शीदाबाद; (ii) मालदा; (iii) नादिया; (iv) उत्तरी 24 परगना; (v) दक्षिणी 24 परगना; (vi) हावडा; (vii) हुगली; (और) (viii) वर्धमान)

(ग) राज्य सरकार ने भारत सरकार के सहयोग और उसकी वित्तीय सहायता से 852.33 लाख रुपए की लागत वाली एक प्रथम चरण कार्रवाई योजना की स्वाकृति दी है जिसके अंतर्गत आर्सेनिक प्रभावित स्पॉट स्रोतों का प्रतिस्थापन किया जा चुका है और बड़े व्यास वाले नलकूपों को पहले ही पूरा किया जा चुका है और पानी की आपूर्ति को 4 योजनाओं को पूर्णतः चालू कर दिया गया हैं। मालदा जिले के लिए 8,848 लाख रुपए की अनुमानित लागत वाली भूतल पानी पर आधारित पाइपों द्वारा पानी की आपूर्ति करने की योजना स्वीकृत की गई हैं। शुरू किए गए अन्य कार्यों में ये शामिल हैं:-

(i) आर्सेनिक निष्कासन प्लांटों का संस्थापन।

(ii) सैनिटरी सुरक्षित छल्लेदार कुओं (रिंग वैलों) का निर्माण।

(iii) ट्रायल बोरिंग-सह-हैंड पम्प लगे उत्पादन कुएं।

(iv) आर्सेनिक प्रभावित स्पाट स्रोतों का प्रतिस्थापन।

आर्सेनिक से प्रभावित दक्षिण 24 परगना जिले के लिए 232.84 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाली भूतल पानी पर आधारित पाइप द्वारा पानी की आपूर्ति करने की योजना का अनुमोदन किया गया है।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अखिल भारतीय स्वास्थ्य विज्ञान एवं जन स्वास्थ्य विज्ञान संस्थान, कलकत्ता ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के प्रायोजन में आर्सेनिक प्रभावित क्षेत्रों में महामारी विज्ञान संबंधी अध्ययन किया हैं। इस संस्थान ने ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्रायोजित आर्सेनिक निष्कासन हेतु फील्ड मॉडल तैयार करने के लिए अनुसंधान एवं विकास संबंधी अध्ययन किया। इस संस्थान ने 1997 के दौरान आर्सेनिक संदूषण के संबंध में पानी की गुणवत्ता का विश्लेषण करने के लिए प्रशिक्षक कार्यशाला भी चलाई और फील्ड प्रशिक्षण दिए।

भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में भंडारण की समस्या

897. **श्री चन्दूलाल अजमीरा :**
श्री के०पी० नायडू :

क्या **खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आयातित गेहूं के कारण भारतीय खाद्य निगम के लिए इसके भंडारण और वितरण की समस्या पैदा हो गई हैं,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो ऐसी स्थिति में गेहूं आयात करने के क्या कारण हैं जबकि हमारे पास खाद्यान्नों का वृहद भण्डार है?

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल सिंह यादव) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) बुवाई मौसम के दौरान असामयिक वर्षा होने से कृषि मंत्रालय ने प्रारंभ में अनुमान लगाया था कि चालू रबी मौसम के दौरान गेहूं उत्पादन पिछले वर्ष के 69.27 मिलियन टन के उत्पादन की तुलना में लगभग 64.51 मिलियन टन होगा। अत: मूल्यों को नियंत्रित रखने हेतु देश में गेहूं की उपलब्धता में वृद्धि करने के लिए सरकार ने 1998-99 के दौरान 20.00 लाख टन गेहूं का आयात करने का निर्णय लिया था।

[हिन्दी]

दार्जीलिंग राज्य की मांग

898. **श्री भीम दाहाल** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नए राज्यों के गठन की घोषण के अन्तर्गत एक पृथक दार्जीलिंग राज्य बनाने की मांग को शामिल न करने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या दार्जीलिंग के मुद्दे को वहां के एक प्रमुख नेता ने हेग स्थित अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय में उठाया हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं; और

(घ) क्या दार्जीलिंग को एक नए राज्य का दर्जा दिया जाएगा?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) सरकार, फिलहाल, दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने तथा उत्तराचंल वनांचल और छत्तीसगढ़ राज्य सृजित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

(ख) जी नहीं, श्रीमान्।

(ग) प्रश्न नहीं उठता है।

(घ) इस समय, दार्जीलिंग को राज्य का दर्जा प्रदान करने संबधी कोई प्रस्ताव नहीं हैं।

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान

899. **श्री जगतवीर सिंह द्रोण** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक परियोजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान को दी गयी करोड़ो रुपये की मशीनें अप्रयुक्त पड़ी हैं,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन मशीनों का उचित उपयोग न करने के क्या कारण हैं,

(ग) क्या उपर्युक्त संस्थान को बुनियादी सुविधायें प्रदान की गई हैं,

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो संस्थान को बुनियादी सुविधायें प्रदान करने के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कदम उठाने का प्रस्ताव हैं?

श्रम मंत्री (डा० सत्य नारायण जटिया) : (क) जी नहीं। जैसाकि रोजगार एवं प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश द्वारा सूचित किया गया हैं विश्व बैंक सहायियत व्यावसायिक प्रशिक्षण परियोजना के अंतर्गत प्राप्त मशीनें तथा उपकरणों का उपयोग उत्तर प्रदेश के विभिन्न सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में किया जा रहा हैं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) और (घ) परियोजना के अंतर्गत शामिल औ.प्र. संस्थानों के लिए भवनों तथा स्टाफ की व्यावस्था जैसी आधारभूत संरचनात्मक सुविधाओं का प्रबन्ध किया गया। राज्य लोक निर्माण विभाग द्वारा कुल 62 सिविल कार्य पूर्ण किये गये तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण परियोजना के अंतर्गत 412 स्टाफ की नियुक्ति की गई। विभिन्न पाठ्यक्रमों को चलाने हेतु आवश्यक उपकरण भी उपलब्ध हैं।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

सी टी सी चाय में सिंथेटिक चाय की मिलावट

900. **प्रो० अजित कुमार मेहता** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार इस तथ्य से अवगत हैं कि जलपाइगुड़ी, पश्चिम बंगाल में सी टी सी खुली चाय में सिंथेटिक चाय मिलायी जा रही हैं

(ख) यदि हां, तो इस मिलावट के क्या कारण हैं; और

(ग) सी टी सी खुली चाय में ऐसी मिलावट को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) सरकार को किसी ऐसे अपमिश्रण की सूचना नहीं दी गई हैं।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

चीनी मिलों को बन्द करना

901. **श्री आदित्यनाथ** : क्या खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार उत्तर प्रदेश में घुघली और पिपराइच चीनी मिलों को बन्द करने पर विचार कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

(ग) क्या राज्य में प्रभावित गन्ना उत्पादकों के बारे में कोई

मूल्यांकन किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल सिंह यादव) : (क) घुघली पिपराइच तथा इकाइयां उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड की हैं जो उत्तर प्रदेश सरकार का एक उपक्रम हैं। उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड से प्राप्त सूचना के अनुसार इन चीनी मिलों को बन्द करने का कोई प्रस्ताव नहीं हैं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

मैला ढोने वालों को इस कार्य से मुक्त किया जाना

902. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने "मैला ढोने वालों को मुक्त करने के लिए केन्द्रीय योजना" नामक योजना का कार्यान्वयन किया,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं; और

(ग) पिछले तीन वर्षो के दौरान इस योजना से बिहार के कितने मैला ढोने वालों को लाभ हुआ हैं?

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) और (ख) जी, हां। कल्याण मंत्रालय मार्च, 1992 से सफाई कर्मचारियों तथा उनके आश्रितों की मुक्ति और पुनर्वास की राष्ट्रीय योजना का कार्यान्वयन कर रहा हैं। इस योजना के तीन घटक हैं; अर्थात

(1) सफाई कर्मचारियों और उनके आश्रितों की पहचान के लिए समयबद्ध कार्यक्रम तथा सर्वेक्षण के माध्यम से वैकल्पिक व्यवसायों के लिए उनकी अभिरूचि।

(2) सफाई कर्मचारियों और उनके आश्रितों के लिए केन्द्र सरकार तथा अन्य अर्द्ध सरकारी और गैर सरकारी संगठ्नों के नजदीकी स्थानीय प्रशिक्षण संस्थानों, केन्द्रों के पहचान किए गए ट्रेडों में प्रशिक्षण।

(3) आर्थिक सहायता (सब्सिडी) सीमान्त राशि तथा बैंक ऋण प्रदान कर विभि ट्रेडों तथा व्यवसायों में सफाई कर्मचारियों का पुर्नवास।

(ग) पिछ्ले तीन वर्षो के दौरान बिहार राज्य सरकार द्वारा सूचित किया गया हैं, निम्नलिखित सफाई कर्मचारी लाभान्वित हुए हैं:-

वर्ष	सफाई कर्मचारियों की संख्या
1995-96	98
1996-97	204
1997-98	73

विद्युत क्षेत्र में इंडियन आयल कारपोरेशन की भागीदारी

903. श्री आनन्द रत्न मौर्य : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन आयल कारपोरेशन का विद्युत उत्पादन क्षेत्र में प्रवेश करने का विचार हैं,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं,

(ग) इंडियन आयल कारपोरेशन द्वारा स्थापित किए जाने वाले विद्युत संयंत्रों की कुल क्षमता कितनी होगी, और

(घ) इन संयंत्रों पर कितनी धनराशि खर्च होने की संभावना हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) (क) से (घ) इंडियन आयल कारपोरेशन अपनी रिफाइनरियों के निकट चार स्थानों अर्थात् पानीपत (हरियाणा), सावली (गुजरात), कोसीकलां (उ०प्र०), हल्दिया (प०बंगाल) में रिफाइनरी अवशिष्ट पदार्थो पर आधारित विद्युत परियोजनाये विकसित करने का प्रस्ताव हैं। साथ ही इसकी पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड के साथ संयुक्त उद्यम के अतंर्गत भटिंडा (पंजाब) में एक 120 मेगावाट क्षमता की परियोजना स्थापित करने की भी योजना हैं। इन परियोजनाओं की क्षमता तथा संभावित लागत के ब्यौरे निम्नवत् हैं:

परियोजना स्थान	क्षमता (मेगावाट)	परियोजना लागत (करोड़ रुपए)
पानीपत	301	1528
सावली	500	1670
कोसीकलां	110	418
हल्दिया	500	2500
भटिंडा	120	366

पिछड़े वर्गो को आरक्षण प्रदान करना

904. श्री भास्कर राव पाटील : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने शैक्षणिक संस्थाओं में पिछड़े वर्गो का आरक्षण उपलब्ध कराने का निर्णय लिया हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गाँधी) : (क) से (ग) अन्य पिछड़े वर्गो को शिक्षण संस्थाओं में 27% आरक्षण प्रदान करने का एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

[अनुवाद]

पूर्वोत्तर राज्यों के लिए अलग मंत्रालय

905. श्री के०ए० सांगतम :
श्री के०एस० राव :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का पूर्वोत्तर राज्यों के लिए एक अलग मंत्रालय

खोलने का विचार हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसके उद्देश्य और संभावित गठन का ब्यौरा क्या हैं?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) (क) और (ख) पूर्वोत्तर के मामलों को निपटाने के लिए गृह मंत्रालय में एक अलग प्रभाग हैं। पूर्वोत्तर राज्यों की समस्याओं पर गृह मंत्रालय में विशेष ध्यान दिया जाता हैं।

[हिन्दी]

रसोई गैस एजेसियां

906. श्री सुरेश चन्देल :
श्री आर०एस० गवई :
श्री प्रभाष चन्द्र तिवारी :
श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य में अब तक आबंटित रसोई गैस एजेंसियों की संख्या कितनी हैं,

(ख) इन मे से अ.जा./अ. ज. जा., विकलांगों, स्वतंत्रता सेनानियों तथा भूतपूर्व सैनिकों को आबंटित एजेसियो का अलग-अलग और राज्यवार ब्यौरा क्या है,

(ग) विगत तीन वर्षो के दौरान प्रत्येक राज्य में रसोई गैस एजेंसियो के आबंटन के लिए प्रकाशित विज्ञापनों का ब्यौरा क्या हैं,

(घ) अनुमोदन के लिए लंबित आवेदन की राज्यवार संख्या क्या हैं, और

(ङ) चालू वित्त वर्ष में आबंटन के लिए प्रस्तावित नई एजेसिंयो की राज्यवार संख्या कितनी हैं तथा इन्हें कहां- कहां स्थापित किया जाना हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) और (ख) 1.4.1998 की स्थिति के अनुसार पूरे देश में 5324 एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिप प्रचालनरत थी। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, शारीरिक रूप से विकलांगों, स्वतंत्रता सेनानियों और रक्षा कार्मिकों को आबंटित एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

अनुसूचित जाति	-638
अनुसूचित जनजाति	-273
शारीरिक विकलांग	-420
रक्षा कार्मिक/भूतपूर्व सैनिक	-309
स्वतंत्रता सेनानी	-161

(ग) और (घ) पिछले तीन वर्षो से अर्थात् 1995-96, 1996-97 और 1997-98 के दौरान तेल कम्पनियों ने पूरे देश में 2359 एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिप विज्ञापित/पुन: विज्ञापित की हैं। इन विज्ञापनों के प्रत्युत्तर में भारी संख्या में आवेदन प्राप्त हुए हैं। तथापि, ये सभी रिक्तियां विज्ञापित की जा चुकी हैं और अप्रैल-मई, 1998 से विज्ञापित की जा रही हैं। प्राप्त आवेदनों में से इन रिक्तियों के लिए चयन शीघ्र आरम्भ होने वाले है।

(ङ) देश भर में एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिप खोलने के लिए एलपीजी विपणन योजना 1996-98 में 1702 नई एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप शामिल की गई है।

भारतीय पुलिस सेवा के कर्मचारियो की संख्या

907. श्री आर एस गवई : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर, 1996 के अनुसार, भारतीय पुलिस सेवा संवर्ग में कार्मिकों की राज्य-वार, संवर्ग-वार स्वीकृत संख्या क्या है;

(ख) 31 दिसम्बर, 1996 की स्थिति के अनुसार, केन्द्र सरकार के उन कर्मचारियों की संवर्ग-वार संख्या क्या है जो गृह मंत्रालय के अधीनस्थ अथवा सम्बद्ध कार्यालयों में अथवा अर्द्धसैनिक बलों में प्रतिनियुक्ति पर हैं; और

(ग) क्या सरकार प्रतिनियुक्ति पर जाने वाले लोगों की रिक्तियों को भरने के लिये पैनल तैयार करते समय विभिन्न राज्यों में संवर्ग के अनुपात में सन्तुलन बनाये रखती है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) और (ख) :

संवर्ग-वार/ राज्य-वार	31 दिसम्बर, 1996 के अनुसार भारतीय पुलिस सेवा संवर्ग में कार्मिकों की राज्य-वार, संवर्ग-वार स्वीकृत संख्या क्या है	31 दिसम्बर, 1996 के अनुसार केन्द्र सरकार के उन कर्मचारियों की संवर्ग-वार संख्या क्या हैं जो गृह मंत्रालय के अधीनस्थ अथवा सम्बद्ध कार्यालयों अथवा अर्द्ध-सैनिक बलों में प्रतिनियुक्ति पर हैं
1	2	3
आंध्र प्रदेश	183	6
अरूणचल प्रदेश		
गोवा	162	15
मिजोरम संघ शासित क्षेत्र		
असम		
मेघालय	136	18
बिहार	250	17
गुजरात	133	5
हरियाणा	109	6
हिमाचल प्रदेश	72	6
जम्मू व कश्मीर	94	1

1	2	3
कर्नाटक	147	8
केरल	121	8
मध्य प्रदेश	278	16
महाराष्ट्र	205	10
मणिपुर	105	27
त्रिपुरा		
नागालैंड	49	—
उड़ीसा	151	6
पंजाब	144	3
राजस्थान	146	6
सिक्किम	21	3
तमिलनाडु	189	10
उ० प्रदेश	395	32
प०बंगाल	254	20
	3344	223

(ग) सरकार, प्रतिनियुक्ति रिजर्व तैयार करते समय विभिन्न राज्यों के बीच, उनकी संवर्ग संख्या के समानुपात में, संतुलन बनाने की कोशिश करती हैं लेकिन राज्यों की प्रशासनिक आवश्यकताऐ, केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए उपयुक्त और इच्छुक अधिकारियों की उपलब्धता जैसे विभिन्न कारणों से इस संतुलन को हमेशा बनाए रखना सम्भव नहीं होता हैं।

[अनुवाद]

गैस विद्युत परियोजना

908. श्री रतिलाल कालीदास वर्मा : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयातित गैस से गुजरात में गैस विद्युत संयंत्र स्थापित करने का निर्णय लिया गया हैं,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कितनी गैस आयात की जाएगी तथा इससे कितनी विद्युत का उत्पादन होगा, और

(ग) इस संयंत्र द्वारा कब तक कार्य आरभ्भ कर दिए जाने की संभावना हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) गुजरात में विशेषकर विद्युत आधारित परियोजना स्थापित करने के लिए गैस का आयात करने का कोई निर्णय नहीं लिया गया हैं विद्युत क्षेत्र सहित विभिन्न क्षेत्रों से प्राकृतिक गैस की मांग पूरी करने के लिए तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) का आयात करने का निर्णय लिया गया है।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

संक्रमण के कारण मौतें

909. श्री मोहन सिंह : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर प्रदेश में अप्रैल, 1998 के महीने में नकली शराब, हैजा और आंत्रशोध के कारण हुई मौतों की कुल संख्या कितनी हैं;

(ख) क्या केन्द्र सरकार का भविष्य में इस प्रकार की मौतों से बचने के लिए राज्य सरकार को कोई निदेश जारी करने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;

(घ) क्या केन्द्र सरकार इससे पीड़ित व्यक्तियों के परिवारों को कुछ अनुग्रह राशि देने पर विचार कर रही है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार अप्रैल, 1998 के दौरान उत्तर प्रदेश में विषाक्त शराब पीने के कारण 22 मौतें हुई। उपलब्ध की गई सूचना के अनुसार हैजे और जठरान्त्र रोगों के कारण कोई मौतें सूचित नहीं की गई हैं।

(ख) और (ग) केन्द्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों को निम्नलिखित एहतियाती उपाय करने की सलाह दी हैं : -

- पीने के पानी को नियमित रूप से क्लोरीनीकृत करने और उसकी गुणवत्ता की मानीटरिंग, पानी और सीवर की पाइपलाइनों की समय पर मरम्मत और कूड़े-कचरें का नियमित रूप से निपटान सुनिश्चित करने हेतु संबद्ध सरकारी विभागों के साथ बैठकें आयोजित करना।
- जिला अधिकारियों से ऐसी ही बैठकें आयोजित करने और चिकित्सीय डाक्टरों की एक टास्क फोर्स, पेयजल आपूर्ति प्राधिकरण गठित करने, समन्वित कार्रवाई के लिए निकायों आदि के प्रतिनिधि नियुक्त करने और प्रकोप के प्रति तत्काल उत्तरकारिता सुनिश्चित करने के लिए कहा जाए। जागरूकता पैदा करने और रोगियों की रिपोर्ट शीघ्र भेजने के लिए पंचायती राज के निर्वाचित सदस्यों का सहयोग मांगा जाए।
- हाथ धोने, खाने की वस्तुओं को ढक कर रखने सहित सुरक्षित स्वच्छ पद्धतियों को बढ़ावा देने और जहां तक संभव हो, ताजा पकाया गया भोजन खाने के लिए समुदाय में स्वास्थ्य शिक्षा कार्यकलापों में वृद्धि करना। जनता को पीने का पानी केवल तंग मुंह वाले बरतनों में रखने और पीने के पानी को उबालने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
- सड़क के किनारे खड़े विक्रताओं द्वारा फलों का रस, कटे

फल बेचने पर रोक लगाने हेतु म्युनिसिपल उप नियमों को प्रवृत्त करना।

- स्वास्थ्य सुविधाओं विशेष रूप से प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या केन्द्रों को अतिसार, पीलिया अथवा ज्वर के रोगियों की संख्या में अचानक हुई इकटठी वृद्धि के बारे में सूचित करने हेतु चौकस करना। रोगियों की सूचना देने हेतु प्राइवेट व्यावसायियों का सहयोग प्राप्त किया जाए।

- सभी स्वास्थ्य सुविधाओं में ओ आर एस पैकेटों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।

- यदि कोई प्रकोप फैलता है तो जांच और की गई कार्रवाई की रिपोर्ट की एक प्रतिलिपि राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान को अग्रेषित की जाए ताकि प्रकोप के बारे मे जानकारी की मानीटरिंग की जा सके और ईर्द-गिर्द के राज्यों को भी पूर्व चेतावनी दी जा सके।

(घ) से (च) चूंकि स्वास्थ्य राज्य का एक विषय हैं, इसलिए ऐसे शिकार हुए व्यक्तियों के परिवारों को अनुग्रहपूर्वक रकम का भुगतान करना संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के क्षेत्राधिकार में आता है।

[अनुवाद]

रावा तेल क्षेत्र

910. श्री मोहल रावले :
श्री के० येरननायडू :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 15 अप्रैल, 1998 के "दि हिन्दुस्तान टाइम्स" में "प्राइवेट फार्म्स स्ट्राइक इट रिच एट ओ एन जी सी एक्सपेस" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने रावा तेल क्षेत्र और ताप्ती गैस तेल क्षेत्र से प्राप्त हो सकने वाले भण्डार के संबंध में किए गए आकलन की जांच करने का आदेश दिया हैं जो निजी क्षेत्र की कम्पनियों को उन तेल क्षेत्रों को सौपते समय इनके मूल्यांकन के लिए उपयोग आंकड़ों से कही अधिक साबित हुआ जिनका ओ एन जी सी ने पता लगाया था,

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं; और इस संबंध में कराई गई जांच का क्या निष्कर्ष निकला, और

(ड.) इस जांच रिपोर्ट पर क्या कार्रवाई की गई/किए जाने का प्रस्ताव हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) जी, हां।

(ख) यह सच है कि राव्वा तेल क्षेत्र में अतिरिक्त कूपों के वेधन के बाद, प्रचालक को ओ एन जी सी द्वारा लगाए गए अनुमान के मुकाबले और अधिक भण्डारों की आशा हैं। ताप्ती क्षेत्र के मामले मे भी प्रचालक को ओ एन जी सी द्वारा लगाए गए अनुमानों के मुकाबले अपेक्षाकृत अधिक भण्डारों की आशा हैं जिसकी अभी पुष्टि की जानी हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

राजस्थान में सिरेमिक काम्पलेक्स

911. श्री गिरधारीलाल भार्गव : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में सिरेमिक उद्योग के विकास के लिए व्यापक अवसर हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा सिरेमिक काम्पलेक्स के विकास के लिए राजस्थान को प्राकृतिक गैस आबंटन हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) (क) और (ख) जबकि राजस्थान में मृत्तिका शिल्प उद्योगों के विकास के लिए अवसर हैं वहीं इस स्तर पर राजस्थान के अंतर्गत गैस का आगे और आबंटन विचारित नहीं हैं क्योकि गैस के संबंध में पहले ही किए गए आबंटन गैस की वर्तमान तथा अनुमानित विकास क्षमता से अधिक हैं।

मिट्टी के तेल का कोटा

912. श्री वी०एम० सुधीरन :
श्री ए० सिदराजू :
श्री पी० शंकरन :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य में तथा विशेषकर कर्नाटक में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए मिट्टी के तेल की कितनी आवश्यकता हैं,

(ख) प्रत्येक राज्य के लिए वर्ष 1997-98 के दौरान निर्धारित कोटा क्या हैं,

(ग) क्या सरकार को कोटा में वृद्धि करने हेतु विभिन्न राज्यों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं,

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं; और

(ङ) इस संबंध में सरकार के द्वारा क्या कार्यवाही किए जाने का प्रस्ताव है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) (क) वर्ष 1998-99 के लिए मिट्टी तेल का राज्यवार आबंटन का ब्यौरा विवरण I में दिया गया हैं वर्ष 1998-99 के लिए कर्नाटक राज्य के लिए इसका आबंटन 528301 मीट्रिक टन हैं।

(ख) वर्ष 1997-98 के दौरान प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के लिए इसका नियत कोटा का ब्यौरा विवरण II में दिया गया है।

(ग) से (ङ) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को मिट्टी तेल का आबंटन इसकी विगत आपूर्तियों एवं खपत के पूर्वाधार पर तथा इसकी प्रति व्यक्ति अपेक्षाकृत कम उपलब्धता वाले उन राज्यों को इसकी अपेक्षाकृत अधिक मात्रा देने से संबधित सूत्र के आधार पर एक वर्ष में इसकी अनुज्ञप्त वर्द्धित वर्द्धमान मात्रा में से इसके अतिरिक्त आबंटन द्वारा किया जाता हैं ताकि कई वर्षो से चली आ रही इसकी राज्यगत असमानता कम की जा सके। मिट्टी तेल के अतिरिक्त आबंटन के लिए समय समय पर राज्य सरकारों से अनुरोधप्राप्त होते रहते हैं। तथापि, उत्पाद उपलब्धता, विदेशी मुद्रा एवं सम्मिलित भारी राजसहायता से संबंधित कठिनाईयां के कारण राज्यों की समस्त माँग को पूरा करना संभव नहीं हो पाया हैं। फिर भी, वर्ष 1993-94 से आगे वर्ष 1997-98 तक समग्र देश के लिए इसके आबंटन में पिछले वर्ष के मुकाबले 3 प्रतिशत की वृद्धि की गई थी। अधिकांश राज्यों की तुलना में इसकी अपेक्षाकृत अधिक कम उपलब्धता वाले पाँच राज्यों को एक बारगी अधिक वृद्धि देते हुए तथा अन्य राज्यों के लिए इसकी सामान्य वृद्धि करते हुए पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 1998-99 के दौरान इसके आबंटन में समग्र रूप से 8.5 प्रतिशत की वृद्धि करने का निर्णय लिया गया हैं।

विवरण-I

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	(आकड़े मीट्रिक टन में) वर्ष 1998-99 के दौरान मिट्टी तेल का आबंटन
1	2
उड़ीसा	316597
बिहार	863745
मध्य प्रदेश	661812
राजस्थान	440060
उत्तर प्रदेश	1391123
आंध्र प्रदेश	675056
केरल	300006
हरियाणा	170563
कर्नाटक	528301
हिमाचल प्रदेश	60737
त्रिपुरा	32386
नागालैंड	14207
मेघालय	20847
मिजोरम	8102
अरुणाचल प्रदेश	10240
जम्मू व कश्मीर	91433
पश्चिम बंगाल	808013
असम	271235
मणिपुर	22670
तमिलनाडु	716830
पंजाब	342376
लक्षद्वीप	919
पांडिचेरी	15342
सिक्किम	7885
महाराष्ट्र	1576298
गुजरात	831600
दादर और नागर हवेली	3237
गोआ	28257
अंडमान ओर निकोबार	7155
दिल्ली	248325
द्वीव/दमन	3064
चंडीगढ़	21778

विवरण-II

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	(आकड़े मीट्रिक टन में) वर्ष 1998-99 के दौरान मिट्टी तेल का आबंटन
1	2
उड़ीसा	239501
बिहार	679329
मध्य प्रदेश	532741
राजस्थान	361736
उ० प्रदेश	1178862
आंध्र प्रदेश	650785
केरल	289540
हरियाणा	164653
कर्नाटक	513054
हिमाचल प्रदेश	58984
त्रिपुरा	31451
नागालैंड	13797
मेघालय	20245
मिजोरम	7868
अरूणचल प्रदेश	9948

1	2
जम्मू व कश्मीर	88828
प०बंगाल	785065
असम	263760
मणिपुर	22064
तमिलनाडु	698837
पंजाब	337118
लक्ष्यद्वीप	906
पांडिचेरी	15329
सिक्किम	7794
महाराष्ट्र	1558397
गुजरात	822339
दादर और नागर हवेली	3202
गोआ	27954
अंडमान ओर निकोबार	7080
दिल्ली	245768
द्वीव/दमन	3033
चंडीगढ़	21562

[हिन्दी]

पेट्रोल/डीजल पम्प

913. **श्री प्रभाष चन्द्र तिवारी :**
श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य में, विशेषकर बिहार राज्य में भागलपुर में कितने डीजल/पेट्रोल पम्प काम कर रहे हैं,

(ख) क्या सरकार का चालू वर्ष के दौरान राज्यवार नए डीजल/पेट्रोल पम्पों के आबंटन का प्रस्ताव हैं, और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं; और इस हेतु क्या मानदण्ड अपनाये जाते हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) 1 अप्रैल 1998 को सारे देश मे 16943 खुदरा बिक्री केन्द्र प्रचालन में थे। इनके राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं। जहां तक बिहार राज्य के जिला भागलपुर का संबंध हैं, दिनांक 1 अप्रैल, 1998 को इसके अंतर्गत 25 खुदरा बिक्री केन्द्र प्रचालन में थे।

(ख) और (ग): तेल उद्योग के व्यवहार्यता मानकों, जिन्हें "परिमाणं दूरी मानक" कहा जाता हैं, के आधार पर समग्र देश के लिए खुदरा बिक्री केन्द्र विपणन योजना 1996-98 के अतंर्गत कुल 435 नए खुदरा बिक्री केन्द्र सम्मिलित किए गए हैं। इनके संबंध में राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

विवरण-I

1 अप्रैल, 1998 को खुदरा बिक्री केन्द्रों की संख्या

क्र०सं०	राज्य	योग
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	1289
2.	अरूणाचल प्रदेश	13
3.	असम	367
4.	बिहार	1119
5.	गोआ	66
6.	गुजरात	1077
7.	हरियाणा	568
8.	हिमाचल प्रदेश	91
9.	जम्मू और कश्मीर	125
10.	कर्नाटक	1010
11.	केरल	747
12.	मध्य प्रदेश	1016
13.	महाराष्ट्र	1649
14.	मणिपुर	31
15.	मेघालय	58
16.	मिजोरम	14
17.	नागालैंड	30
18.	उड़ीसा	355
19.	पंजाब	1029
20.	राजस्थान	995
21.	सिक्किम	13
22.	तमिलनाडु	1514
23.	त्रिपुरा	32
24.	उत्तर प्रदेश	2286
25.	पश्चिम बंगाल	1069
26.	भूटान	08
संघ राज्य क्षेत्र		
1.	अंडमान और निकोबार	03
2.	चंडीगढ़	39

1	2	3
3.	दादर और नागर हवेली	04
4.	दिल्ली	290
5.	दमन और द्वीव	06
6.	लक्षद्वीप	00
7.	पांडिचेरी	30
	योग	16943

विवरण-II

विपणन योजना-1996-98
राज्यवार विवरण

क्र०सं०	राज्य	योग
1	2	3
1.	हरियाणा	7
2.	हिमाचल प्रदेश	2
3.	जम्मू और कश्मीर	3
4.	पंजाब	15
5.	राजस्थान	29
6.	उत्तर प्रदेश	87
7.	असम	1
8.	अरुणाचल प्रदेश	4
9.	बिहार	39
10.	मेघालय	2
11.	मिजोरम	2
12.	उड़ीसा	17
13.	सिक्किम	1
14.	पश्चिम बंगाल	53
15.	दमन और द्वीव	1
16.	गुजरात	7
17.	मध्य प्रदेश	42
18.	महाराष्ट्र	34
19.	अंडमान और निकोबार	4
20.	आंध्र प्रदेश	49
21.	कर्नाटक	22
22.	केरल	7
23.	तमिलनाडु	7
	योग	**435**

यूरिया घोटाला

914. **श्री थावरचन्द गेहलोत** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को उर्वरक घोटाले में सम्मिलित तुर्की की कम्पनी करसन से मामले को न्यायालय से बाहर निपटारे हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;

(ग) सरकार ने उक्त कम्पनी से प्राप्त प्रस्ताव पर अप्रैल, 1998 तक क्या कार्रवाही की हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० ए०के० पटेल) : (क) से (ग): मै० करसन लि० अधिवक्ता से न्यायालय के बाहर निपटारे के लिए प्रस्ताव के निहितार्थों का अध्ययन किया जा रहा हैं। मै० करसन लि० की ओर से किऐ गये पहले प्रस्ताव अस्वीकार कर दिये गये है।

मण्डला जिले में गैस रिसाव

915. **श्री दादा बाबूराव पराजंपे** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 22 मई, 1997 को मध्य प्रदेश के नर्मदा घाटी क्षेत्र में एक विनाशकारी भूकम्प आया और उस क्षेत्र की भूमि में भारी दरारे पड़ गई;

(ख) यदि हां, तो मण्डला जिले के कुछ स्थानों में जिन गैसों का रिसाव हुआ था उनका परीक्षण किया गया;

(ग) यदि हां, तो उन स्थानों के नाम क्या क्या हैं और ये गैस किस प्रकार की थी;

(घ) क्या सरकार की उन दरारों से निकल रही गैसों का उपयोग करने की कोई योजना है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और गैसों के उपयोग का तरीका क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) मध्य प्रदेश राज्य सरकार से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार निवास तहसील में माण्डला कस्बे में किलेघाट और कोंद्राग्राम में कुछ दरारों से गैस का रिसाव हुआ। तदनुसार मण्डला जिले में नर्मदा नदी की सतह में से कथित रूप से गैस की उपस्थिति के संबंध में ओ एन जी सी के भूवेज्ञानिकों के दल द्वारा एक जांच की गई थी। गैस की उपस्थिाति बायोजेनिक उत्पत्ति थी और हाईड्रोकार्बन अन्वेषण की दृष्टि से इसकी कोई सुसंगति नहीं हैं।

(घ) और (ङ) उपर्युक्त के मद्देनज़र प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ

916. **डा० विजय सोनकर शास्त्री** : क्या खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ बिजली के सामान की खरीद ऐसे व्यक्तियों से कर रहा है जो न तो उस सामान के विनिर्माता हैं और न ही प्राधिकृत डीलर्स/वितरक हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और अप्राधिकृत व्यक्तियों से यह खरीद समाप्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) जिन स्रोतों से बिजली का सामान खरीदा गया था दर सहित उनके तुलनात्मक विवरण का ब्यौरा क्या है और पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष ये किन-किन दरों पर बेचे गए थे; और

(घ) राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ के कार्यकरण में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

खाद्य और उपभोक्ता मामले के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल सिंह यादव) : (क) और (ख) राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ ने सूचित किया है कि वे बिजली के सामानों की खरीद, जहां तक संभव हो, विनिर्माताओं/वितरकों/डीलरों से ही करते हैं। तथापि, कुछ मामलों में जहां विनिर्माता/वितरक/डीलर उधार के आधार पर ऐसे सामानों की आपूर्ति नहीं करते हैं, वहां खरीद राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ में पंजीकृत सप्लायरों से की जाती है जो परस्पर सहमत शर्तो/आस्थगित भुगतान के आधार पर बिजली के सामानों की आपूर्ति करते हैं।

(ग) पिछले तीन सालों में प्रत्येक साल के दौरान खरीदी गई विद्युत मदों की दरों और उनके खरीदे जाने के स्रोतों और बेचे जाने की दरों को दर्शाने वाला तुलनात्मक चार्ट उपलब्ध नहीं हैं। तथापि, राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ के मुख्यालय/दिल्ली शाखा में पंजीकृत बिजली के सामानों के सप्लायरों की सूची विवरण के रूप में संलग्न हैं।

(घ) राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ ने अपने कार्यकरण में सुधार लाने के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्त स्कीम की शुरूआत घाटे में चल रही कुछ शाखाओं को बंद करना तथा नए कारोबार की शुरूआत जैसे अनेक कदम उठाए है।

विवरण

राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ के जरिए सरकारी विभागों को सप्लाई किए जाने हेतु विद्युत सामानों की खरीद के लिए पंजीकृत सप्लायरों की सूची

क्र.सं.	सप्लायर का नाम	स्तर
(क)	मुख्यालय	
1.	मैसर्स बी.के. एण्टरप्राइजेज, नई दिल्ली	विनिर्माता
(ख)	दिल्ली शाखा	
1.	मैसर्स टैक्नीको रजिस्टर्ड	विनिर्माता
2.	मैसर्स रिकोर्डक्स आफिस सिस्टम	विनिर्माता
3.	मैसर्स शिवालिर्क एंटरप्राइजेज	विनिर्माता
4.	मैसर्स शिव इलैक्ट्रिकल्स	डीलर
5.	मैसर्स विजय स्टेशनरी मार्ट	सप्लायर
6.	मैसर्स ग्लोरियस मार्केटिंग	सप्लायर
7.	मैसर्स चड्डा स्टेशनर्स	सप्लायर
8.	मैसर्स क्रेसेंट टाइपराइटर कं०	सप्लायर
9.	मैसर्स बद्री विशाल ट्रेडिंग कं०	सप्लायर
10.	मैसर्स आर. के. एंटरप्राइजेज	सप्लायर
11.	मैसर्स जय ब्रादर्स	सप्लायर
12.	मैसर्स मैलोडी होम	सप्लायर
13.	मैसर्स एस. पी. उप्पल एंड कं०	सप्लायर
14.	मैसर्स संतोष सेल्स एजेंसी	सप्लायर
15.	मैसर्स आर. के. ट्रेडर्स	सप्लायर
16.	मैसर्स के. ई. एंटरप्राइजेज	सप्लायर
17.	मैसर्स नाथ एंड कं०	सप्लायर
18.	मैसर्स तनेजा एंटरप्राइजेज	सप्लायर
19.	मैसर्स सिन्हा सेल्स कारपोरेशन	सप्लायर
20.	मैसर्स जी. एन. डी. मार्केटिंग	सप्लायर
21	मैसर्स प्रियदर्शिनी एंटरप्राइजेज	सप्लायर
22.	मैसर्स यू.के. ट्रेड लिंक्स	सप्लायर

[अनुवाद]

मलेरिया उन्मूलन के लिए सहायता

917. श्री एस. एस. ओवेसी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा मलेरिया उन्मूलन के लिए प्रत्येक राज्य के नगर-निगमों को कोई केन्द्रीय सहायता प्रदान की गई है;

(ख) यदि हां, तो निगम-वार पिछले तीन वर्षो में प्रत्येक वर्ष कितनी धन राशि दी गई है;

(ग) क्या कुछ निगमों का इस संबंध में कार्य निष्पादन खराब रहा है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) और (ख) जी, हां। विगत तीन वर्षो के दौरान कीटनाशियों/लार्वानाशियों और मलेरियारोधी औषधों के रूप में राज्यों के नगर-निगमों को प्रदत्त केन्द्रीय सहायता और सामग्री की लागत संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) और (घ) विगत तीन वर्षो के दौरान कलकत्ता, नयी बम्बई और चेन्नई तीन महानगरों के निगमों में मलेरिया की घटनाओं में वृद्धि देखी गई है। तीव्र शहरीकरण, बड़े पैमाने पर तथा विस्तृत निर्माण

क्रियाकलाप, अपर्याप्त जल प्रबंधन पद्धति, अनियोजित आवास व्यवस्था तथा मजदूर प्रव्रजन आदि से संबद्ध रोगवाहको की संचरण गतिशीलता में परिवर्तन मलेरिया को घटनाओं में वृद्धि का कारण है।

विवरण

1995-96, 1996-97 और 1997-98 के दौरान राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत राज्यों के नगर निगमों को दी गई सहायता को दर्शाने वाला विवरण

(रुपये लाखों में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	निगम	1995-96	1996-97	1997-98
1.	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद	33.02	41.53	30.34
2.	-तदैव-	विजयवाड़ा	4.75	3.15	2.35
3.	गुजरात	अहमदाबाद	5.89	7.77	5.06
4.	-तदैव-	बड़ौदा	4.27	3.07	3.11
5.	-तदैव-	गांधीनगर	5.30	3.60	2.53
6.	कर्नाटक	बैंगलोर	24.9	41.53	29.40
7.	-तदैव-	बैल्लारी	4.03	6.92	5.31
8.	पंजाब	अमृतसर	1.41	2.44	1.40
9.	-तदैव-	जलंधर	1.53	2.27	1.40
10.	-तदैव-	लुधियाना	2.07	1.20	0.8
11.	राजस्थान	जयपुर	6.06	2.83	1.5
12.	तमिलनाडु	चेन्नई	13.72	23.32	17.1
13.	उत्तर प्रदेश (राज्य सरकार को की गई कुल सप्लाई)		105.5	51.45	42.8
14.	पश्चिम बंगाल	कलकत्ता	36.11	37.15	16.11
15.	दिल्ली				
		दिल्ली नगर निगम	18.34	19.99	7.63
		नई दिल्ली नगर निगम	11.77	9.55	3.97
16.	मध्य प्रदेश (राज्य सरकार को की गई कुल सप्लाई)		25.40	26.62	18.65

स्वयंसेवी संगठनों को एड्स नियंत्रण किट्स की आपूर्ति

918. **श्री रामचन्द्र वीरप्पा** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में स्वयंसेवी संगठनों को एड्स नियंत्रण किट्स की आपूर्ति कर रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी निर्धारित मानदण्डों का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एझिलमलाई) : (क) और (ख) कोई एड्स नियंत्रण किटें नहीं है। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के अधीन स्वैच्छक संगठनों को एच आई वी (ह्यूमन इम्यूनो डैफिशिएंसी वायरस) के लिए रक्त की जांच हेतु परीक्षण किटें सप्लाई नहीं की जाती हैं।

जनसंख्या नियंत्रण

919. **श्री एन. डेनिस** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा देश में जनसंख्या विस्फोट पर नियंत्रण हेतु क्या रणनीति अपनाई गई है;

(ख) क्या सरकार द्वारा जनसंख्या नियंत्रण के लिए कोई विशेष कार्यक्रम तैयार किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं; और

(घ) इस योजना को लागू करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एझिलमलाई) : (क) परिवार कल्याण कार्यक्रम एक स्वैच्छिक कार्यक्रम हैं। अपनाई गई कार्यनीति का उद्देश्य पात्र दंपतियों को समझा-बुझाकर गर्भ निरोधन अपनाने को बढ़ावा देना और उप-केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, प्रसवोत्तर केन्द्रों आदि के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से परिवार नियोजन सेवाओं की व्यवस्था करना हैं।

(ख) से (घ) नौवीं योजना में सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यान्वित किया जा रहा प्रजनक व बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, जिला आधरित विभेदक कार्यनीति अपनाकर सामग्री तथा सेवाओं का एक पैकेज प्रदान करता हैं। अपक्व जन्म दर और महिला साक्षरता दर के आधार पर देश के सभी जिलों को क, ख व ग श्रेणी मे विभाजित किया गया है। जहां कमजोर जिलों में मूल सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण प्रस्तावित हैं वहां आपेक्षिक प्रगतिशील जिलों में सुविधाओं का उन्नयन शामिल हैं। प्रजनक व शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम अक्टूबर, 1997 में शुरू किया गया था। विस्तृत निर्देशक सिद्धांत तैयार किए गए हैं और सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए विशेष स्कीमें तैयार करने के लिए परिचालित कर दिए गए है। सेवा प्रदानगी के लिए संस्थानिक क्षमताओं के सुदृढ़ीकरण के लिए 17 राज्यों में चौबीस जिला आधारित उप-परियोजनाओं को भी कार्यान्वियन के लिए मंजूरी दे दी गई है।

पेट्रोलियम उत्पादों में आत्मनिर्भरता

920. **श्री माधवराव सिंधिया** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत को तेल तथा अन्य पेट्रोलियम उत्पादों के संबंध में आत्मनिर्भर बनाने के लिए तथा तेल की खोज और दोहन के उचित तरीके तैयार करने के लिए पेट्रोलियम भूभौतिकीय विशेषज्ञों

और तेल उद्योग के प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन 19 जनवरी, 1998 को चेन्नई में आयोजित किया गया था,

(ख) यदि हां, तो तैयार किए गए तरीकों का उल्लेख करते हुए इसके क्या परिणाम रहे,

(ग) क्या पेट्रोलियम उत्पादों के संबंध में देश को आत्मनिर्भर बनाने हेतु कोई कार्य योजना विचाराधीन हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) पेट्रोलियम भूभौतिकी के संबंध में द्वितीय सम्मेलन और प्रस्तुतीकरण का आयोजन 19-21 जनवरी, 1998 के दौरान चेन्नई में किया गया। सम्मेलन का मुख्य विषय था-"भविष्य की राहें-पेट्रोलियम भूभौतिकी में चुनौतियां और अवसर"।

पेट्रोलियम उत्पादन के संबंध में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए तेल के अन्वेषण और इसके दोहन की कार्यनीतियां तैयार करना इस सम्मेलन के क्षेत्र से परे था।

(ख) से (घ) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन द्वारा वित्त पोषित एड्स संबंधी परियोजनाएं

921. **श्री एम० राजैया : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन एड्स संबंधी विभिन्न परियोजनाओं का वित्तपोषण कर रहा हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में प्रति वर्ष वित्तपोषित परियोजनाओं और स्वीकृत धनराशि व इनमें कार्यरत संगठनों का ब्यौरा क्या हैं; और

(ग) इन परियोजनाओं के अन्तर्गत एड्स के नियंत्रण में मुख्य उपलब्धियां क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

जैन आयोग रिपोर्ट

922. **प्रो० पी०जे० कुरियन :**
डा० टी० सुब्बारामी रेड्डी :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जैन आयोग ने अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत कर दी हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने जैन आयोग द्वारा की गई सिफारिशों की जांच कर ली हैं:

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं; और

(घ) इस पर अंतिम निर्णय कब तक ले लिये जाने की संभावना है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) से (घ) सरकार, जैन आयोग की रिपोर्ट की जांच कर रही हैं। यह रिपोर्ट तथा इस पर की गई कार्रवाई का ज्ञापन संसद के बजट/मानसून सत्र के दौरान सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

कल्याण निधि का उपयोग

923. **श्री ए. वेंकटेश नायक : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने केन्द्र सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षो के दौरान मंजूर राष्ट्रीय विकलांग कल्याण निधि का उपयोग कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं और उक्त अवधि के दौरान उपलब्धियाँ क्या रहीं;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और उक्त अवधि के दौरान उपलब्धियाँ क्या रही;

(घ) सरकार ने उस पर क्या कार्रवाई की हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गाँधी) : (क) पिछले तीन वर्षो के दौरान कर्नाटक सरकार को राष्ट्रीय विकलांग कल्याण कोष से कोई निधियाँ मंजूर नहीं की गई। इस कोष का अब विकलांग व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय कोष का नाम दिया गया हैं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या

924. **प्रो० प्रेम सिंह चन्दूमाजरा :**
श्री चिन्ता मोहन :
डा० मदन प्रसाद जायसवाल :
डा० टी० सुब्बारामी रेड्डी :

क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 25 फरवरी, 1998 को दिल्ली इकॉन्मिक टाइम्स में "रिफार्मस ब्लेम्ड फॉर ग्रोइंग जॉबलैसनैस" की शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है,

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि सरकार की उदार आर्थिक नीतियों के बावजूद बेरोजगारी निरन्तर बढ़ रही हैं,

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा रोजगार के अवसरों में वृद्धि हेतु क्या कदम उठाए जाने का विचार हैं?

श्रम मंत्री (डा. सत्य नारायण जटिया) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) नौवीं पंचवर्षीय योजना दृष्टिकोण में पर्याप्त रोजगार एवं गरीबी के उन्मूलन को ध्यान में रखते हुए कृषि तथा ग्रामीण विकास पर बल देने की परिकल्पना की गई हैं। बेरोजगारी की उच्च दर वाली प्रवृत्ति वाले क्षेत्रों में, श्रम गहन सैक्टरों, सब-सैक्टरों तथा प्रौद्योगिकियों पर ध्यान केन्द्रित करके विकास प्रक्रिया में अधिक उत्पादक रोजगार स्वतः ही सृजित होगा।

[अनुवाद]

आतंकवादी गतिविधियां

925. श्री एन०एन० कृष्णदास :
श्री अजीत जोगी :
श्री अजय मुखोपाध्याय:
डा. वाई०एस० राजशेखर :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षो के दौरान आतंकवादी गतिविधियों, हत्या, अपहरण,डकैती और छेड़खानी जैसे अपराधों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार अलग-अलग ब्यौरा क्या है:

(ख) मारे गए नागरिकों/आतंकवादियों और सुरक्षा कार्मिकों की संख्या क्या हैं तथा इनके कारण कितनी सम्पत्ति का नुकसान हुआ हैं;

(ग) प्रत्येक प्रभावित राज्य की वर्तमान स्थिति कैसी हैं;

(घ) विभिन्न राज्यों की केन्द्र सरकार द्वारा दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा क्या हैं;

(ङ) ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए केन्द्र सरकार ने क्या कदम उठाए हैं;

(च) क्या ऐसी घटनाओं के कारण कुछ लोग विस्थापित हो चुके हैं;

(छ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या हैं;

(ज) क्या सरकार का विचार तथाकथित आतंकवादी/सैनिक संगठनों के साथ प्रत्यक्ष बातचीत का हैं; और

(झ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या हैं;

गृह मंत्री (श्री लालकृष्ण आडवाणी) : (क) और (ख)राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से सूचना एकत्र की जा रही हैं और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) जम्मू और कश्मीर में उग्रवाद से संबंधित स्थिति में कुल मिलाकर सुधार हुआ हैं। असम, नागालैंड, मणिपुर और त्रिपुरा जैसे पूर्वोत्तर राज्य कमोबेश मात्रा में लगातार आतंकवाद से प्रभावित रहे हैं। अन्य राज्यों में कानून और व्यवस्था की स्थिति कुल मिलाकर शांतिपूर्ण हैं।

(घ) वर्ष 1993-94 से 1997-98 के दौरान राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए विभिन्न राज्य सरकारों को जारी की गई निधियों को दर्शानेवाला विवरण संलग्न है।

(ङ) "लोक व्यवस्था" और "पुलिस" राज्यों के विषय हैं, इसलिए इस संबंध में विभिन्न उपाय करना और ठोस कदम उठाना संबंधित राज्य सरकारों का काम हैं। केन्द्रीय स्तर पर विभिन्न राज्यों के आतंकवाद-विरोधी/असामाजिक तत्व विरोधी अभियानों के समन्वय को सुकर बनाने और राज्यों में उसकी गतिविधियों पर निरन्तर रखने के लिए उपयोगी सूचना के आदान-प्रदान में सुधार लाने के लिए कदम उठाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकारों को पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करके, उन्नत हथियारों की आपूर्ति करके और अर्ध-सैन्य बलों की तैनाती करके उन्हें सहायता प्रदान की जा रही है। कुछ विशेष परिस्थितियों में कुछ प्रभावित राज्यों को पुलिस के आधुनिकीकरण और हथियारों की आपूर्ति के लिए पहले से किए गए आबंटन के अतिरिक्त वित्तीय सहायता भी प्रदान की गई हैं।

(च) और (छ) केन्द्र सरकार के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार कश्मीरी पंडितों के लगभग 4800 परिवार घाटी से पलायन करके जम्मू क्षेत्र या देश के दूसरे हिस्सों में रह रहे हैं।

(ज) और (झ) भारत सरकार ने संविधान के दायरे में रहकर विभिन्न आतंकवादी गुटों से बातचीत करने की बार-बार पेशकश की हैं और यहां तक कि आवश्यकता पड़ने पर संविधान में संशोधन की भी पेशकश की है।

विवरण

राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की स्कीम -वर्ष 1993-94 से 1997-98 तक विभिन्न राज्य सरकारों के लिए जारी निधियां।

राज्य का नाम	जारी की कई निधियां					(रु०लाखों में)
	1993-94	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98	कुल योग
1	2	3	4	5	6	7
आंध्र प्रदेश	230.510	104.780	309.560	709.560	1209.560	2563.970
अरूणचल प्रदेश	92.540	92.540	92.540	92.540	96.270	466.430
असम	47.710	190.860	95.430	195.430	47.715	577.145
बिहार	284.010	116.560	308.120	333.120	783.120	1024.930
गोवा	43.610	29.480	29.480	79.490	शून्य	182.050

1	2	3	4	5	6	7
गुजरात	123.220	शून्य	190.180	150.180	150.180	613.760
हरियाणा	35.950	35.860	71.710	35.855	71.710	251.085
हिमाचल प्रदेश	81.300	40.690	40.690	40.690	20.345	223.715
जम्मू व कश्मीर	78.100	121.540	81.540	119.770	81.540	482.490
कर्नाटक	184.150	150.800	150.800	350.800	200.800	1037.36[illegible]
केरल	113.990	[illegible]53.990	113.990	113.990	113.990	609.95[illegible]
मध्य प्रदेश	309.210	287.180	237.820	478.820	378.820	1700.850
महाराष्ट्र	167.270	125.640	251.290	251.290	शून्य	795.490
मणिपुर	34.630	69.250	34.630	176.630	217.315	532.465
मेघालय	12.970	51.880	25.940	59.880	51.880	202.550
मिजोरम	87.780	87.780	87.780	87.780	87.780	438.900
नागालैंड	34.640	76.860	76.850	220.030	238.430	646.820
उड़ीसा	132.930	144.610	104.610	200.000	164.610	746.76[illegible]
पंजाब	38.090	84.650	84.650	84.650	284.650	576.690
राजस्थान	105.020	224.920	77.460	154.920	154.920	717.240
सिक्किम	34.440	25.830	16.870	8.610	43.015	128.765
तमिलनाडु	259.950	196.750	296.750	598.375	296.750	1648.575
त्रिपुरा	46.530	93.060	46.530	146.5[illegible]	246.530	579.180
उत्तर प्रदेश	240.000	279.710	शून्य	536.300	626.300	1682.310
पश्चिम बंगाल	181.440	214.770	174.770	274.770	174.770	1020.520
कुल	3000.000	3000.000	3000.000	5500.000	5750.000	20250.000

[हिन्दी]

यूरिया की कमी

926. श्री रामदास आठवले : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने यूरिया उत्पादकों और आयातकर्ताओं को यूरिया की बिक्री स्थगित करने के आदेश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;और

(ग) हाल ही में यूरिया के मूल्य में दस प्रतिशत वृद्धि के कारण राजसहायता में कितनी बचत होने की आशा है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० ए०के० पटेल) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) फिलहाल यूरिया के मूल्य में कोई वृद्धि नहीं हुई। इसमें पिछली बार फरवरी, 1997 में वृद्धि हुई थी।

[अनुवाद]

केरल में विदेशी गुप्तचर एजेंसियों का सक्रिय होना

927. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में कोई विदेशी गुप्तचर एजेंसी सक्रिय हैं;

(ख) यदि हां, तो आतंकवादी एवं राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों में शामिल देशों का ब्यौरा क्या हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस तरह की गतिविधियों पर रोक लगाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्री (श्री लालकृष्ण आडवाणी) : (क) से (ग) सरकार

को इस आशय की जानकारी है कि पाकिस्तान की आई. एस. आई. ने केरल स्थित कुछ तत्वों और संगठनों के साथ अपने संबंध बना लिए हैं। पाकिस्तान की आई. एस. आई. के भारत में चोरी छिपे जासूसी, तोड़-फोड़ और विध्वंसकारी गातिविधियां जारी रखने के नापाक इरादों के बारे में सरकार को जानकारी हैं तथा वह आसूचना तंत्र को सक्रिय बना कर, आसूचना का आदान-प्रदान करके तथा संबंधित केन्द्रीय और राज्य एजेन्सियों द्वारा कार्रवाई करके ऐसे उद्देश्यों को नियंत्रित और विफत करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रही हैं।

दिल्ली में बिगड़ी कानून और व्यवस्था

928. श्री नरेश पुगलीया :
श्री रविन्द्र कुमार पाण्डेय :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विगत कुछ महीनों के दौरान दिल्ली में कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ी हैं तथा हत्याओं, अपहरणों और लूट-पाट के मामलों में कई गुणा वृद्धि हुई हैं;

ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;

(ग) क्या दिल्ली पुलिस इस तरह के अपराधों को नियंत्रित करने में पूरी तरह से विफल रही है; और

(घ) यदि हां, तो विगत तीन महीनों के दौरान दर्ज किए गए अपराधों का ब्यौरा क्या हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा नागरिकों के जीवन को सुरक्षित बनाने के लिए उठाए गए/प्रस्तावित कदम क्या-क्या है?

गृह मंत्री (श्री लालकृष्ण आडवाणी) : (क) से (घ) जबकि राजधानी में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति कुल मिलाकर नियंत्रण में रही है, तथापि फरवरी-अप्रैल, 1998 के दौरान हत्या, अपहरण और लूटमार (डकैती) के सूचित मामलों की संख्या गत वर्ष की इसी अवधि की तुलना में निम्नानुसार हैं:-

	1.2.97 से 30.4.97	1.2.98 से 30.4.98
हत्या	155	156
अपहरण	276	233
लूटमार (डकैती)	188	138

(ङ) दिल्ली पुलिस द्वारा राष्ट्रीय क्षेत्र दिल्ली में अपराधों की रोकथाम के लिए उठाए गए कदमों में मोटर साईकिल पर गश्त सहित पैदल गश्त को बढ़ाना, ज्ञात बदमाशों पर कड़ी निगरानी रखना तथा नौकरों के पूर्ववृत्त की जांच कराना आदि शामिल है।

अनेक अस्पतालों द्वारा शुल्क एवं अन्य प्रभारों में वृद्धि

929. श्री हरिन पाठक : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान और पी. जी. आई. चंडीगढ़ जैसे संस्थानों में रोगियों द्वारा भुगतान किए जाने वाले शुल्क तथा अन्य प्रभागों में वृद्धि की गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;

(ग) क्या सरकार का ध्यान तपेदिक के रोगियों सहित अन्य रोगियो द्वारा गुजरात में अनुमति के बिना और चिकित्सा परामर्श के विरुद्ध कथित रूप से भाग जाने की ओर गया हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया हैं; और सरकारी अस्पतालों में शुल्क और प्रभारों को कम करने तथा रोगियों को समुचित उपचार सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) और (ख) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली, पी जी आई चंडीगढ़ और जिपमेर, पांडिचेरी ने अस्पताली प्रभार बढ़ा दिए है। तथापि, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली, पी जी आई चंडीगढ़ में असली दीनहीन रोगियों के लिए सभी अस्पताली प्रभारों से छूट देने का प्रावधान हैं। जिपमेर, पांडिचेरी 2500/- प्रति माह से कम आय वाले सभी रोगियों को मुफ्त उपचार प्रदान करता हैं।

(ग) राज्य सरकार से सूचना एकत्र की जा रही हैं।

(घ) सरकार आम जनता को बेहतर चिकित्सा सुविधायें प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। केन्द्रीय सरकार ने राष्ट्रीय बीमारी सहायता निधि की भी स्थापना की हैं और गरीबी रेखा से नीचे रह रहे तथा मुख्य जानलेवा रोगों से पीड़ित रोगियों के उपचार के लिए वित्तीय अनुदान प्रदान करने के लिए दिशा-निर्देश बनाए गए हैं। सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को भी ऐसी ही बीमारी सहायता निधियां स्थापित करने की सलाह दी गई है। यह भी निर्णय लिया गया है कि केन्द्रीय सरकार से सहायता-अनुदान प्रत्येक उस राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को जारी किया जाएगा जिन्होंने दी गई सलाह के अनुसार निधियां स्थापित कर ली है।

[हिन्दी]

कस्तूरबा गाँधी स्वतंत्रता विद्यालय स्कीम

930. डा० मदन प्रसाद जायसवाल :
श्री महेश कनोडिया :

क्या **सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या सरकार ने कस्तूरबा गांधी स्वतंत्रता विद्यालय स्कीम को अंतिम रूप से तैयार कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो तत्संबंधी कारण क्या है ?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गाँधी) : (क) से (ग) आवश्यक सरकारी निकासी प्राप्त करने के लिए कस्तूरबा गाँधी स्वतन्त्रता विद्यालय की योजना के ब्यौरे निश्चित किए जा रहे हैं।

[अनुवाद]

यू०एन०पी०एफ० द्वारा निवेश

931. श्री कमलनाथ : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने प्रजनन संबंधी स्वास्थ्य सहित व्यापक जनसंख्या कार्यक्रम में निवेश करने का प्रस्ताव किया हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;

(ग) क्या राष्ट्रीय कार्यक्रम द्वारा निर्धारित प्राथमिकताओं से राज्यों में जिला स्तर पर समेकित जनसंख्या और विकास परियोजनाओं की सहायता मिलेगी; और

(घ) यदि हां, तो इस कार्यक्रम से किन-किन राज्यों को लाभ होने की संभावना हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री(श्री दलित एजिलमलाई): (क) और (ख) जी, हां। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या निधि से प्रजनक स्वास्थ्य जनसंख्या और विकास कार्यनीतियों और समर्थन के क्षेत्रों में परियोजनाओं/कार्यक्रमों के लिए इसके कंट्री प्रोग्राम साईकल-(1997-2001) के दौरान भारत को 100 मिलियन अमेरिकी डालर की सहायता उपलब्ध होने की आशा हैं।

(ग) और (घ) मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, उडीसा, केरल और उत्तर प्रदेश के चुनिंदा जिलों में एकीकृत जनसंख्या और विकास परियोजनाएं शुरू करने का प्रस्ताव है।

[हिन्दी]

रसायनज्ञों की नियुक्ति

932. **श्री अशोक प्रधान :**
श्रीमती कमल रानी :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने 1996 की समादेश याचिका (सिविल) सं० 860 के आधार पर आरक्षित पदों पर रसायनज्ञों की नियुक्ति करने के लिए तेल तथा प्राकृतिक गैस निगम, देहरादून को कोई निर्देश जारी किए है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;

(ग) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस निगम ने उच्चतम न्यायालय के निर्देशों को कार्यन्वित कर दिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं; और

(ड.) यदि नहीं, तो इस संबंध में विलंब होने के क्या कारण हैं, और तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, देहरादून द्वारा इन आरक्षित पदों को कब तक भर लिए जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) और (ख) रिट याचिका (दीवानी) सं० 860/96 के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय ने ओ एन जी सी लि० को 22.9.1997 को निर्देश जारी किए थे कि रसायनज्ञ की दो उपलब्ध रिक्तियों पर नियुक्ति के लिए याचिकाकर्ताओं की उपयुक्तता पर विचार किया जाए और यदि वे उपयुक्त पाए जाएं तो उन्हें इन रिक्तियों पर नियुक्ति दी जा सकती हैं तथा यह कि ऐसे विचार के प्रयोजन के लिए उक्त याचिकाकर्ताओं को आयु सीमा के मामले में ओ एन जी सी लि० छुट देगी।

(ग) से (ड) सर्वोच्च न्यायालय निर्देशों के अनुपालन के लिए ओ एन जी सी लि० द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

योग्य होम्योपैथिक चिकित्सकों की डायरेक्टरी

933. **श्री राम पाल सिंह :**
श्री पंकज चौधरी :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में सक्षम और योग्य होम्योपैथिक चिकित्सकों की एक डायरेक्टरी तैयार करने का हैं ताकि लोगों को अयोग्य और जाली होम्योपैथिक चिकित्सकों के चंगुल से बचाया जा सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं और इस डायरेक्टरी को कब तक तैयार कर लिए जाने की संभावना हैं, और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) से (ग) केन्द्रीय सरकार ने होम्योपैथिक केन्द्रीय परिषद अधिनियम, 1973 के उपबन्धों के अनुसार अन्य बातों के साथ-साथ, होम्योपैथी के केन्द्रीय रजिस्टर के रखरखाव के लिए पहले ही एक केन्द्रीय होम्योपैथी होम्योपैथिक परिषद गठित कर दी हैं। उक्त अधिनियम की धारा 21 के अनुसार केन्द्रीय होम्योपैथी रजिस्टर के भाग-1 में उन सभी व्यक्तियों के नाम हैं जो किसी भी राज्य के होम्योपैथी रजिस्टर में दर्ज हैं तथा कोई भी मान्यता प्राप्त चिकित्सीय अर्हता रखते हैं तथा रजिस्टर के भाग-2 में भाग-I में दर्ज व्यक्तियों को छोड़कर उन सभी व्यक्तियों के नाम हैं जो फिलहाल किसी भी राज्य होम्योपैथी रजिस्टर में दर्ज हैं। होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद अधिनियम, 1973 के अनुसार केन्द्रीय होम्योपैथी परिसद द्वारा केन्द्रीय होम्योपैथी रजिस्टर में समय-समय पर संशोधन करना अपेक्षित हैं तथा उसे भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाता हैं।

[अनुवाद]

परामर्शदात्री समिति

934. **श्री सत्यपाल जैन :** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने संघ राज्य क्षेत्रों हेतु गृह मंत्री के लिए परामर्शदात्री समिति बनाने के बारे में कोई नीति बनायी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;

(ग) ऐसी समिति के गठन का ब्यौरा क्या हैं; और

(घ) दिनांक 1.1.1996 के 31.3.1998 तक समिति की बैठक कितनी बार हुई है?

गृह मंत्री (श्री लालकृष्ण आडवाणी) : (क) से (ग)संबंधित संघ शासित क्षेत्र के बारे में आम नीति, विधायी प्रस्ताव इत्यादि से संबंधित आम प्रश्नों के बारे मे परामर्श के लिए एक मंच के रूप में कार्य करने के लिए, बिना विधान परिषद वाले सभी संघ शासित क्षेत्रों के गृह मंत्री की परामर्शदात्री समितियां गठित की गयी हैं। इन समितियों की संरचना संलग्न विवरण में दी गयी हैं।

(घ) नवम्बर, 1998 में इनके गठन के बाद से इन समितियों की बैठक बुलाना संभव नहीं हो पाया है।

विवरण

(क) अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह

परामर्शदात्री समिति में निम्नलिखित सदस्य होगें:-

(i) उप राज्यपाल, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह।

(ii) संघ राज्य क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले लोक सभा सदस्य।

(iii) लोक सभा सदस्य को छोड़कर जिला पंचायत के पांच सदस्य, जिनका चयन जिला पंचायत के सभी सदस्यों द्वारा किया जाएगा।

(iv) अध्यक्ष, नगर परिषद, पोर्टब्लेयर।

(v) निकोबार द्वीपसमूह को प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए दो सदस्य उप राज्यपाल, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह की सिफारिश पर, गृह मंत्री द्वारा नामित किए जाएगें। इनमें से एक महिला सदस्य होगी

(vi) यदि उपरोक्त (iii) में कोई महिला सदस्य नहीं हैं तो एक महिला सदस्य जिला पंचायत के सदस्यों में से, उप राज्यपाल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सिफारिश पर, गृह मंत्री द्वारा नामित की जाएगी।

(vii) स्थायी आंमत्रित के रूप में दीप विकास प्राधिकरण के सचिव।

(ख) लक्ष्यद्वीप

(i) प्रशासक, लक्ष्यद्वीप

(ii) संघ राज्य क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले लोक सभा सदस्य।

(iii) लोक सभा सदस्य को छोड़कर जिला पंचायत के पांच सदस्य, जिनका चयन जिला पंचायत के सभी सदस्यों द्वारा किया जाएगा।

(iv) यदि उपरोक्त (iii) में कोई महिला सदस्य नहीं हैं तो एक महिला सदस्य जिला पंचायत के सदस्यों में से प्रशासक की सिफारिश पर, गृह मंत्री द्वारा नामित की जाएगी।

(v) स्थायी आमंत्रित के रूप में द्वीप विकास प्राधिकरण के सचिव।

(ग) दमण एवं दीव

परामर्शदात्री समिति में निम्नलिखित सदस्य होगें:-

(i) प्रशासक, दमण एवं दीव।

(ii) संघ राज्य क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले लोक सभा सदस्य।

(iii) लोक सभा सदस्य को छोड़कर जिला पंचायत के पांच सदस्य, जिनका चयन जिला पंचायत के सभी सदस्यों द्वारा किया जाएगा।

(iv) अध्यक्ष, नगरपरिषद, दमण।

(v) अध्यक्ष, नगरपरिषद, दीव।

(vi) यदि उपरोक्त (iii) में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग का कोई सदस्य नहीं हैं तो इस वर्ग का सदस्य जिला पंचायत के सदस्यों में से प्रशासक, दमण एवं दीव की सिफारिश पर, गृह मंत्री द्वारा नामित किया जाएगी।

(vii) यदि उपरोक्त (iii) में कोई महिला सदस्य नहीं हैं तो एक महिला सदस्य जिला पंचायत के सदस्यों में से दमण एवं दीव की सिफारिश पर, गृह मंत्री द्वारा नामित की जाएगी।

(घ) दादरा और नगर हवेली

परामर्शदात्री समिति में निम्नलिखित सदस्य होगें:-

(i) प्रशासक, दादरा और नगर हवेली।

(ii) संघ राज्य क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले लोक सभा सदस्य।

(iii) लोक सभा सदस्य को छोड़कर जिला पंचायत के पांच सदस्य, जिनका चयन जिला पंचायत के सभी सदस्यों द्वारा किया जाएगा।

(iv) यदि उपरोक्त (iii) में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग का कोई ऐसा सदस्य नहीं हैं तो इस वर्ग का सदस्य जिला पंचायत के सदस्यों में से प्रशासक, दादरा और नगर हवेली की सिफारिश पर, गृह मंत्री द्वारा नामित किया जाएगा।

(v) यदि उपरोक्त (iii) में कोई महिला सदस्य नहीं हैं तो एक महिला सदस्य जिला पंचायत के सदस्यों में से, प्रशासक दादरा एवं नगर हवेली की सिफारिश पर, गृह मंत्री द्वारा नामित की जाएगी।

(ङ) चंडीगढ़

परामर्शदात्री समिति में निम्नलिखित सदस्य होगें:-

(i) प्रशासक चंडीगढ़

(ii) संघ राज्य क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले लोक सभा सदस्य।

(iii) लोक सभा सदस्य को छोड़कर जिला पंचायत के पांच सदस्य, जिनका चयन जिला पंचायत के सभी सदस्यों द्वारा किया जाएगा।

(iv) अध्यक्ष, नगर निगम, चड़ीगढ़।

(v) यदि उपरोक्त (iii) में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग का कोई सदस्य नहीं हैं तो इस वर्ग का सदस्य जिला परिषद के सदस्यों में से प्रशासक, चंडीगढ़ की सिफारिश पर, गृह मंत्री द्वारा नामित किया जाएगा।

(vi) यदि उपरोक्त (iii) में कोई महिला सदस्य नहीं हैं तो एक महिला सदस्य जिला पंचायत के सदस्यों में से, प्रशासक चंडीगढ़ की सिफारिश पर, गृह मंत्री द्वारा नामित की जाएगी।

तेल की खोज

935. डा० असीम बाला :
श्री लक्ष्मण चन्द्र सेठ :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस निगम द्वारा बंगाल की खाड़ी के बेसिन में तेल खोज के लिए खुदाई की जा रही हैं,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं,

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं, और

(घ) तेल और प्राकृतिक गैस निगम द्वारा तेल की खोज पुनः शुरू करने लिए के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (घ) बंगाल अपतट में वेधित सभी 7 अन्वेषणात्मक कूप शुष्क सिद्ध हुए हैं, जिनमें से ओ एन जी सी ने 5 और बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने 2 कूपों का वेधन किया था। निराशाजनक परिणामों और क्षेत्र की कम संभाव्यता के मद्देनजर, ओ एन जी सी ने बंगाल अपतट में फिलहाल अन्वेषण का कार्य बंद कर दिया है।

घुसपैठ

936. श्री विजय कुमार "विजय" :
श्री शांतिलाल पुरूषोत्तमदास पटेल :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत 5 वर्षों के दौरान 8 बड़ी संख्या में घुसपैठियों ने भारत में प्रवेश किया हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं,

(ग) क्या इन घुसपैठियों को इनके मूल देश में वापिस भेजने की सरकार को कोई योजना हैं;

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या हैं;

(ङ) क्या केन्द्र सरकार ने बिहार में रह रहे कुछ बाग्लादेशियों को गिरफ्तार किया है; और

(च) यदि हां, तो इस राज्य में इस समस्या से निपटने के लिए क्या उपाय किये गए है?

गृह मंत्री (श्री लालकृष्ण आडवाणी) : (क) और (ख) ऐसी सूचनाएं प्राप्त होती रही हैं कि कुछ पड़ोसी देशों के राष्ट्रिक गैर-कानूनी रूप से भारत के क्षेत्र में प्रवेश करने में सफल रहे हैं। इनमें बाग्लादेश, म्यांमार, तिब्बत, श्रीलंका आदि के लोग शामिल है। ऐसे अवैध घुसपैठियों की संख्या का अनुमान लगाना मुश्किल हैं क्योंकि ये चोरी-छिपे भारत में प्रवेश करते हैं तथा अपनी जातीय, भाषीय समानताओं के कारण स्थानीय लोगो के साथ मिल जाते है।

(ग) और (घ) अवैध घुसपैठियों का पता लगाना उन्हें निर्वासित करना इस देश में एक सतत् प्रक्रिया है। सभी राज्य सरकारों तथा संघ शासित प्रशासनों को यह स्पष्ट निर्देश है कि अवैध प्रवासियों का जब भी पता चले तो उन्हें निर्वासित किया जाए। राज्य सरकारों और संघ शासित प्रशासनों को इस संबंध में समय-समय पर स्मरण कराया जाता है।

(ङ) जी नहीं, श्रीमान्।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

गैस का आयात

937. श्री पंकज चौधरी : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का बर्मा से पाइपलाइन के माध्यम से गैस का आयात करने का कोई प्रस्ताव हैं,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं तथा इसके क्या कारण हैं, और

(ग) इस संबंध में कब तक अंतिम निर्णय लिए जाने की संभावना हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) और (ख) सरकार के पास कोई प्रस्ताव नहीं हैं। गेल ने भारत में गैस लाने के लिए, क्षेत्र में म्यांमार व अन्य देशों से गैस पाइपलाइन लाने के तकनीकी-अर्थतंत्र की जांच करने के लिए मार्च, 1996 में संयुक्त राज्य अमरीका की ब्राउन एण्ड रूट इंटरनेशनल इंक के साथ "करार के सिद्धांत" पर हस्ताक्षर किए है।

(ग) कोई निश्चित समयावधि बता पाना संभव नहीं है।

[अनुवाद]

अधिकारियों के दल का तमिलनाडु का दौरा

938. श्री मुकुल वासनिक :
श्री अजय मुखोपाध्याय :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में अधिकारियों के एक दल को तमिलनाडु का दौरा करके वहां की कानून व्यवस्था को स्थिति का अध्ययन करने के लिए प्रतिनियुक्ति किया था;

(ख) यदि हां, तो अधिकारियों के दल द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा उस पर क्या कार्यवाही की गई है?

गृह मंत्री (श्री लालकृष्ण आडवाणी) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) और (ग) रिपोर्ट में वास्तविक स्थिति को ध्यान में रखते हुए कुछेक उपचारात्मक उपायों जैसे कट्टरपथियों और आतंकवादी तत्वों के विरुद्ध सतत अभियान चलाना, आसूचना तन्त्र का अधिकतम प्रयोग, गड़बड़ी करने वाले संभावित व्यक्तियों के विरुद्ध निश्चित कार्य योजना, विश्वास उत्पन्न करने वाले उपायों को जोरदार ढंग से आगे बढ़ाना आदि पर ध्यानपूर्वक जोर दिया गया है। राज्य सरकार द्वारा इस आधार पर अनुवर्ती कार्रवाई शुरू की गयी है।

त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र स्वायत्त जिला परिषद

939. श्री समर चौधरी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र स्वायत्त जिला परिषद ने प्रधान मंत्री को अक्टूबर 1996 में त्रिपुरा की उनकी यात्रा के दौरान कोई ज्ञापन दिया था:

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया हैं?

गृह मंत्री श्री लालकृष्ण आडवाणी) : (क) और (ख) जी हां, श्रीमान्। ज्ञापन में उठायी गयी मुख्य मांगे निम्न प्रकार से हैं:-

(i) त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र स्वायत्त जिला परिषद में इनर लाईन परमिट प्रारम्भ करना।

(ii) (क) ग्रामीण संचार

(ख) ग्रामीण रोजगार

(ग) पंचायत

(घ) शिक्षा और

(ङ.) मूलभूत संरचना विकास के लिए अधिक धनराशि

(iii) त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र स्वायत्त जिला परिषद को और अधिक स्वायत्तता देना।

(ग) भारत सरकार इनर लाईन परमिट शुरू करने के पक्ष में नहीं हैं। जहां तक मांग (ii) (क) से (ङ) का संबंध हैं, ये विषय प्राथमिक रूप से राज्य सरकार से संबंधित हैं, जिन्हें प्रस्ताव अग्रेषित किए गए है। जहां तक त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र स्वायत्त जिला परिषद को और अधिक स्वायत्तता देने का संबंध है, इस मामले की जांच राज्य सरकार कर रही है।

उड़ीसा के प्रवासी श्रमिक

940. **श्री तथागत सत्पथी:** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उड़ीसा के कितने व्यक्ति दूसरे राज्यों तथा विदेशों में प्रवासी श्रमिकों के रूप में कार्य कर रहे है,

(ख) कब से उन्होंने अपनी जन्मभूमि को छोड़ा हैं, और

(ग) उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा उन्हें शोषण से बचाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

श्रम मंत्री (डा० सत्यनारायण जटिया) : (क) प्रवासी जनसंख्या के बारे में राज्य-वार सूचना 1991 की जनगणना से नहीं उपलब्ध हैं। तथापि, यह अनुमान हैं कि उड़ीसा राज्य के कुल प्रवासियों में से लगभग 3% सम्बन्धित अधिनियम अर्थात, अन्तर्राज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1979 के अन्तर्गत अन्तर्राज्यिक प्रवासी कर्मकार की परिभाषा के भीतर आते हैं। वर्ष 1995, 1996 और 1997 के दौरान उड़ीसा से क्रमशः 3685, 3441 और 3511 कामगारों का विदेशों में कार्य करने के लिए उत्प्रवास अनुमति दी गई थी।

(ख) प्रवास एक सतत् और बार-बार होने वाली प्रक्रिया हैं, इसलिए इस संबंध में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ग) उन अन्य श्रम कानूनों के अलावा जो स्थानीय और प्रवासी कामगार दोनों पर लागू हैं, अन्तर्राज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1979 विशेष रूप से प्रवासी कामगारों के हितों की सुरक्षा के लिए है। उड़ीसा राज्य सरकार शिकायतों के मामले में प्राप्तकर्ता राज्यों से प्रवासी कामगारों को उनके कानूनी देयों के भुगतान के साथ लौटाने के लिए अधिकारियों को भी भेजती है। प्राप्तकर्ता राज्यों से भी ऐसे कामगारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर अनुरोध किया जाता है।

उर्वरक उत्पादन में कमी

941. **श्री के० येरननायडू :** क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत एक वर्ष के दौरान निर्धारित लक्ष्य की तुलना में उर्वरकों का उत्पादन घटा है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाये गये है/ उठाये जाने का विचार है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० ए. के. पटेल): (क) से (ग) निम्नलिखित तालिका के अनुसार, 1997-98 के दौरान उर्वरक पोषकों के उत्पादन में पूर्ववर्ती वर्ष के उत्पादन की तुलना में भारी वृद्धि हुई। वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्य भी आगे बढ़ गए थे।

(लाख मी० टन)

उर्वरक	1997-98 लक्ष्य	1997-98 वास्तविक	1996-97 वास्तविक	%लक्ष्य प्राप्ति	गत वर्ष की तुलना में वृद्धि का %
नाइट्रोजन	96.10	100.86	85.99	104.9	17.3
फास्फेट	28.60	29.76	25.56	104.1	16.4

अनुसूचित जाति मूल के ईसाई

942. **श्री पी०सी० थॉमस :** क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जाति मूल के ईसाई अनुसूचित जातियों के अधिकार की मांग कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं; और

(ग) सरकार का इस संबंध में क्या कार्रवाई करने का विचार हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) और (ख) जी, हां।

(ग) यह प्रस्ताव अभी भी सरकार के विचाराधीन हैं।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश के आदिवासी लोगों को धन देना

943. **श्री लरंग साय :** क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1994-97 के दौरान मध्य प्रदेश के जनजातीय लोगों को दी गई धनराशि का क्षेत्रवार ब्यौरा क्या हैं;

(ख) क्या इन आदिवासी लोगो के नाम पर दिए गए धन का दुरूपयोग किया गया हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो कोरबा आदिवासी, लोगों को दी गई साईकिलों का बाजार मूल्य क्या हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) इस समय प्रचलित योजनाओं के अंतर्गत निधियां राज्य सरकार/संघ सरकारी संगठनों को निर्मुक्त की जाती हैं। 1994-97 के दौरान मध्य प्रदेश सरकार तथा मध्य प्रदेश के गैर-सरकारी संगठनों को निर्मुक्त निधियां का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) सरकार को निधियां के दुरूपयोग की जानकारी नहीं है।

(ग) राज्य सरकार को निर्मुक्त निधियां इन योजनाओं में निहित विशिष्ट उद्देश्यों के लिए निर्मुक्त की जाती हैं जिनमें आदिवासियों को साईकिलें प्रदान करना शामिल नहीं है।

विवरण

वर्ष 1994-97 के दौरान आदिवासी विकास की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत मध्य प्रदेश सरकार को निर्मुक्त निधियों का वर्ष-वार ब्यौरा दशार्ने वाला विवरण।

क्र.सं.	योजना का नाम	1994-95	1995-96	1996-97
1.	आदिवासी उपयोग के लिए केन्द्रीय सहायता	7535.72	9579.66	7695.71
2.	275(1) अनुच्छेद	1687.50	1687.50	1687.50
3.	अनुसूचित जनजातियों की लड़कियों के लिए होस्टल	115.83	-	-
4.	अनुसूचित जनजातियों के लड़कों के लिए होस्टल	16.90	-	-
5.	अनुसूचित जनजातियों के के लिए आश्रम स्कूल	-	99.45	-
6.	शैक्षिक परिसर	1.96	1.50	1.20
7.	व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र	-	44.34	-
8.	एसटीडीसीसी को सहायतानुदान	124.00	57.00	-
9.	आदिवासी अनुसंधान संस्थानों को सहायता	13.09	22.21	22.02

[अनुवाद]

दिल्ली में भिखारी

944. श्री रामकृष्ण बाबा पाटील : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दूसरे राज्य से दिल्ली में आने वाले भिखारियों को हटाने का प्रस्ताव हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं और दिल्ली से बाहर किए गए ऐसे भिखारियों की संख्या क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने इल भिखारियों के पुनर्वास की कोई योजना बनाई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;

(ङ.) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) (क) जी हां, बम्बई भिक्षावृत्ति निवारण अधिनियम, 1959 के प्रावधानों के अनुसार, जिसका विस्तार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए किया गया है, दिल्ली से भिक्षुओं को हटाने का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का दायित्व है।

(ख) बम्बई भिक्षावृत्ति अधिनियम, 1959 के प्रावधानों के अनुसार, जिसका विस्तार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए किया गया है, पुलिस की सहायता से विभिन्न स्थानों पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार द्वारा छापे मारे जाते हैं। इस प्रकार पिछले वर्ष 6313 भिक्षुओं को पकड़ा गया। उन्हें अपने मूल राज्यों को प्रत्यावर्तित करने के प्रयास अभी तक सफल नहीं हुए हैं।

(ग) जी, हॉ।

(घ) दिल्ली सरकार, भिक्षुओं को निःशुल्क आवास, भोजन, मेडिकल सुविधाएं, परामर्श तथा विभिन्न व्यवसायों में व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करती हैं ताकि दिल्ली प्रशासन की प्रमाणित संस्थाओं से बाहर जाने पर वे अपनी जीविका स्वयं चला सकें।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

पूजा स्थल (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1991

945. श्री अजित जोगी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पूजा स्थल (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1991 के अन्तर्गत परिसम्पति और अभियोग के कितने मामले है; और

(ख) राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं?

गृह मंत्री (श्री लालकृष्ण आडवाणी): (क) और (ख) 31 मार्च, 1997 तक विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में उपासना स्थल (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1991 के अन्तर्गत जो व्यक्ति गिरफ्तार किए गए और जिन पर मुकदमा चलाया गया, उनकी संख्या के संबंध में उपलब्ध सूचना नीचे दी गई है:-

क्र.सं.	राज्य का नाम	गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या	उन व्यक्तियों की संख्या जिन पर मुकदमे चलाए
1.	मध्य प्रदेश	5	5
2.	उत्तर प्रदेश	46	46

· बिहार, मेघालय और उड़ीसा राज्य से सूचना अभी तक प्राप्त नहीं हुई हैं। अन्य राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों ने "शून्य" सूचना भेजी है।

2. संपूर्ण देश के सभी उपासना स्थल अन्यथा अधिनियम के द्वारा छूट प्राप्त के अलावा, उपासना स्थल (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1991 के अन्तर्गत आते हैं। केन्द्र सरकार समय-समय पर राज्य सरकारों

को सलाह देती रही हैं कि उसके क्षेत्राधिकार में आने वाले संबंधित उपासना स्थलों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और शांति एवं सम्प्रदायिक सौहार्दता बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाएं। भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची-सूची-2 की प्रवष्टि I तथा II के अनुसार "लोक व्यवस्था" और "पुलिस" राज्य के विषय हैं। अतः उपासना स्थलों की सुरक्षा सहित कानून और व्यवस्था बनाए रखना मूल रूप से राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है।

केन्द्रीय भण्डारण निगम में हुई भर्तियों में अनियमितताएं

946. **श्री चन्द्रशेखर साहू** : क्या खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को केन्द्रीय भण्डारण निगम में पिछले वर्ष हुई भर्तियों में अनियमितताएं संबंधी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;

(ग) क्या इस संबंध मे कोई जांच कराई गई है,

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं; और इसके क्या निष्कर्ष निकले; और

(ङ) इस मामले में सरकार द्वारा दोषी कर्मचारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है?

खाद्य और उपभोक्ता मामले के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल सिंह यादव) : (क) जी, हां।

(ख) ये शिकायतें मुख्यत: हाल में हुए चयन में तथाकथित अनियमितताओं, प्रश्न पत्र लीक होने, अवैध पारितोषण की मांग, साक्षात्कार में अनियमितता ओर कुछ पदों को सीधी भर्ती द्वारा भरने के संबंध में है।

(ग) से (ङ) निगम द्वारा भर्ती संबंधी शिकायतों की जांच की गई है और यह पाया गया हैं कि स्टाफ विनियमों के अनुसार नियुक्तियां की गई थी। अवैध पारितोषण की कथित मांग के बारे में भी कोई तथ्य नहीं पाए गए।

निगम द्वारा प्रश्न पत्र के लीक होने और उप प्रबंधक (लेखा) के पद के लिए साक्षात्कार में अनियमितता से संबंधित शिकायतों की जांच की जा रही हैं और जांच पूरी होने पर उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी।

पेट्रोल पम्पों के खिलाफ जांच

947. **श्रीमती ओमवती देवी** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ऐसी शिकायतें मिली है कि बिहार के दरभंगा में सभी पेट्रोल पम्प मालिक रसीद नहीं देते हैं,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं,

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच कराई हैं और उनके खिलाफ कार्यवाही करने का विचार है,

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं, और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) बिहार में दरभंगा में पेट्रोल पम्पों पर वस्तुओं की खरीद पर रसीद जारी नहीं करने के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई हैं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

अनेक जनजातियों को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल करना

948. **श्री फग्गन सिंह कुलस्ते** : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राज्य सरकारों ने केन्द्र सरकार को विभिन्न जनजातियों को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल करने के लिए लिखा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मध्य प्रदेश में पनिका जनजाति जो 1972 से पूर्व अनुसूचित जनजातियों की सूची में थी अभी भी अनुसूचित जनजातियों की सूची में हैं;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस जनजाति को किन-किन जिलों में अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल नहीं किया गया है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) जी, हां।

(ख) अनुसूचित जनजातियों की सूची में विभिन्न समुदायों को शामिल करने के लिए 691 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

(ग) जी, हां। छत्तरपुर, दतिया, पन्ना, रीवा, सतना, शहडोल, सीधी तथा टिकमगढ़ जिलों में पनिका आदिवासी अनुसूचित जनजाति के रूप में सूचीबद्ध हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) उपर्युक्त (ग) में उल्लिखित जिलों को छोड़कर मध्य प्रदेश में पनिका जनजाति अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल नहीं है।

श्रमिकों का शोषण

949. **श्री महेन्द्रजीत सिंह मालविया** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या औद्योगिक एककों में 1 मई को "श्रम दिवस" के रूप में मनाने का प्रावधान है,

(ख) यदि हां, तो क्या इस कानून का उल्लंघन करने वाले उन एककों के विरुद्ध कार्रवाई करने का कोई प्रावधान है,

(ग) क्या बांसवाड़ा (राजस्थान) "बांसवाड़ा सिन्टेक्स लिमिटेड" ने 1 मई, 1998 को "श्रम दिवस" मनाया था,

(घ) यदि नहीं, तो इस एकक के प्रबन्धन के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है, और

(ङ) श्रमिकों को शोषण से मुक्ति दिलाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

श्रम मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया) : (क) औद्योगिक इकाईयों में कर्मकारों द्वारा सामान्यतया 1 मई को "श्रम दिवस" के रूप में मनाया जाता है। तथापि, भारत सरकार द्वारा 1 मई को "श्रम दिवस" के रूप में मनाए जाने के लिए कोई प्रशासनिक अनुदेश जारी नहीं किए गए हैं। किन्तु कतिपय राज्य सरकारें आर्थात पश्चिम बंगाल सरकार। मई को आधिकारिक रूप से "श्रम दिवस" के रूप में मनाते हैं और उक्त दिवस को सार्वजनिक अवकाश के रूप में घोषित किया जाता है।

(ख) केन्द्रीय क्षेत्र में 1 मई को "श्रम दिवस" के रूप में मनाने वाली इकाइयों के विरुद्ध कार्रवाई किए जाने के लिए कोई प्रावधान/नियम नहीं है।

(ग) से (ङ) राजस्थान राज्य सरकार से सूचना भिजवाए जाने का अनुरोध किया गया है।

[अनुवाद]

असम समझौता

950. श्री नृपेन गोस्वामी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार 1985 में हुए असम समझौते को कार्यान्वित करने का है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) अब तक कार्यान्वित किए गए समझौते के प्रावधानों की संख्या कितनी है और अभी कितने प्रावधानों को कार्यान्वित किया जाना है; और

(घ) असम समझौते के सभी प्रावधानों को कार्यान्वित करने के लिए क्या ठोस कदम उठाए जा रहे हैं?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) से (घ) असम समझौते को लागू करने के लिए सरकार पूरी तरह वचनबद्ध है। असम समझौते के सभी उपबन्धों को लागू करने के लिए कार्रवाई की गयी है। तथापि, इस समझौते के कुछेक उपबन्ध निरन्तर चलने वाले स्वरूप के है अर्थात् असम का त्वरित सर्वांगीण विकास, घुसपैठियों को सीमा पार करने इसकी कोशिश को रोकने के लिए उपाय इत्यादि और इसलिए इन सभी उनबंधों को लागू करने के संबंध में कोई समय-सीमा निर्धारित करना सम्भव नहीं है।

भारत सरकार के प्रतिनिधि, असम सरकार के प्रतिनिधि और ऑल असम स्टूडेंट यूनियन के प्रतिनिधि समय-समय पर असम समझौते के उपबन्धों के कार्यान्वयन की पुनरीक्षा करते हैं। इस प्रकार की पुनरीक्षा पिछली बार 6.4.98 को की गयी है।

बाल वेश्यावृत्ति

951. श्री सुधीर गिरि :
श्री सुब्रत मुखर्जी :

क्या समाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बाल वेश्यावृत्ति में लिप्त अधिकांश बालिकायें नौकरी का झांसा देकर अत्यधिक गरीब इलाकों से लायी जाती है;

(ख) यदि हां, तो इस बाल वेश्यावृत्ति को रोकने के लिए क्या कदम उठाये गये है अथवा उठाये जाने का विचार है; और

(ग) इन घृणित कार्यों में संलिप्त लोगों के प्रति जनसामान्य को जागृत करने हेतु क्या कार्यवाही की गयी है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

भारतीय खाद्य निगम द्वारा घटिया किस्म के खाद्यान्नों की आपूर्ति

952. श्री रामेश्वर पाटीदार :
श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय :
श्री विजय संकेश्वर :

क्या खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत दो वर्षों के दौरान भारतीय खाद्य निगम द्वारा कुछेक राज्यों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए घटिया किस्म के खाद्यान्नों की आपूर्ति की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी कारण क्या हैं;

(ग) उक्त अवधि के दौरान विभिन्न राज्यों से प्राप्त शिकायतों/पता लगाए गए मामलों की संख्या कितनी है;

(घ) क्या खाद्यान्नों की गुणवत्ता पर नजर रखने के लिए किसी समिति/सतर्कता दस्ते का गठन किया गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी कारण क्या हैं; और

(च) ऐसी अनियमितताओं को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या उपचारी कदम उठाए गए हैं अथवा उठाऐ जाने का विचार हैं?

खाद्य और उपभोक्ता मामले के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्य पाल सिंह यादव) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) भारतीय खाद्य निगम द्वारा मणिपुर और मिजोरम सरकारों के नागरिक पूर्ति विभान से दो शिकायतें प्राप्त की गई थी। तथापि, सत्यापन करने के पश्चात यह पुष्टि की गई थी कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए खराब गुणवत्ता के खाद्यान्न जारी नहीं किए गए थे।

(घ) से (च) भारतीय खाद्य निगम में गुण नियत्रंण और सतर्कता प्रभाग हैं जो खाद्यान्नों की गुणवत्ता पर निगाह रखते हैं। इसके अलावा खाद्य और नागरिक पूर्ति विभाग में गुण नियंत्रण सैल भी कार्य कर रहा है जो खाद्यान्नों की गुणवत्ता की अचानक जांच करता है और वसूली, भण्डारण तथा वितरण के समय इनकी गुणवत्ता की मानीटरिंग भी करता है। यदि खाद्यान्नों की गुणवत्ता में कोई त्रुटि पाई जाती है तो भारतीय खाद्य निगम अथवा संबंधित राज्य सरकार के साथ उपचारात्मक उपाय किए जाते हैं।

[अनुवाद]

प्रीपैड टैक्सी और टी॰एस॰आर॰ योजना

***953. श्री बसुदेव आचार्य :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:*

(क) क्या नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर टैक्सी और टी॰ एस॰ आर॰ के लिए प्रीपैड योजना बाहर से आने वाले यात्रियों को परेशान करने का जरिया बन गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) दोषी पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है/की जा रही है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) से (ग) नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर टैक्सियों और तिपहिया स्कूटरों के लिए पूर्व भुगतान योजना, बाहर से आने वाले यात्रियों को चालकों के साथ बिना किसी मोल-भाव सौदेबाजी के टैक्सी/तिपहिया स्कूटर किराये पर लेने में उनकी मदद करने के लिए एक विकल्प के रूप में उपलब्ध है। दिल्ली पुलिस की यातायात ईकाई, पूर्व भुगतान बूथों पर तैनात पुलिस कार्मिकों पर निकट से नजर रखती है। ड्यूटी पर तैनात कोई कर्मी यदि जनता को परेशान करने का दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है।

[हिन्दी]

राजस्थान में फ्लोराइड युक्त जल

954. श्री द्वारका प्रसाद बैरवा : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राजस्थान में फ्लोराइड युक्त जल से कितने व्यक्ति प्रभावित हुए हैं;

(ख) क्या सरकार ने बिना फ्लोराइड वाले जल को उपलब्ध कराने के लिए कोई योजना शुरू की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या राजस्थान सरकार ने इस संबंध में केन्द्र सरकार को विस्तृत जांच प्रतिवेदन भेजा है;

(ङ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(च) क्या सरकार ने वहां स्थिति के आकलन के लिए कोई केन्द्रीय विशेषज्ञ दल भेजा था;

(छ) यदि हां, तो क्या सरकार को उक्त दल से कोई प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है;

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(झ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एझिलमलाई) : (क) ग्रामीण जल आपूर्ति और लोगों को स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था करना राज्य का विषय है। राजस्थान सरकार द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार राज्य में 0.16 लाख से अधिक निवासी पेयजल में फ्लोराइड की अधिकता के कारण प्रभावित हो सकते हैं।

(ख) से (झ) राज्य सरकार ने स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए अनेक स्कीमें कार्यान्वित की हैं। यह स्कीमें नियोजित हैं और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं जिसके लिए ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय निधि प्रदान करता है। 1.4.1998 के बाद राज्यों को फ्लोराइड की अधिकता सहित जल गुणवत्ता संबंधी मुद्दों से निबटने के लिए पूरी शक्तियां दी गई हैं।

[अनुवाद]

शुक्ला आयोग

955. श्री पी. आर. किन्डिया : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पूर्वोत्तर राज्यों के विकास के लिए घोषित नया पैकेज शुक्ला आयोग की सिफारिशों पर आधारित पिधले पैकेज को निरस्त करता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नए पैकेज के अन्तर्गत पूर्वोत्तर राज्यों और पड़ौसी देशों के बीच व्यापार और वाणिज्य के लिए मार्ग खोलने का प्रस्ताव है; और

(घ) क्या सरकार मेघालय और बांग्लादेश के बीच कई मदों में व्यापार और वाणिज्य के लिए मार्ग खोलने को उच्च प्राथमिकता देगी?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) पूर्वोत्तर राज्यों के संबंध में हाल में किसी नये विकास पैकेज की घोषणा नहीं की गई है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता है।

(घ) जी हां, श्रीमान्। मेघालय और बंगलादेश के बीच पहले से ही व्यापारिक संबंध हैं।

आई. एस. आई. मार्क का दुरूपयोग

956. श्री राजवीर सिंह : क्या खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की शिकायत मिली है कि भारतीय मानक ब्यूरो से लाइसेंस प्राप्त किए बिना ही कुछ उद्योग अपने उत्पादों पर आई. एस. आई. मार्क का उपयोग कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसी फर्मों के विरुद्ध सरकर ने क्या कार्रवाई की है?

खाद्य और उपभोक्ता मामले के राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल सिंह यादव) : (क) व (ख) आई. एस. आई. चिह्न के दुरूपयोग के विरुद्ध शिकायतें भारतीय मानक ब्यूरो में समय-समय पर प्राप्त होती रहती है। वर्ष 1997-98 में ऐसी 30 शिकायतें दर्ज की गयी, जिनका ब्यौरा संलग्न विवरण 1 में दिया गया है।

(ग) भारतीय मानक ब्यूरो ने एक प्रवर्तन निदेशालय स्थापित किया है, जो भारतीय मानक ब्यूरो के मानक चिह्न के दुरूपयोग से संबंधित सूचना को एकत्र करने तथा भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 के उपबंधों के अनुसार दोषी विनिर्माताओं के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही

करने के लिए जिम्मेदार है। भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 के उपबंधों को लागू करने के लिए भारतीय मानक ब्यूरो के प्रत्येक शाखा कार्यालय में नाडल अधिकारी नामित किए गए हैं।

भारतीय मानक ब्यूरो व्यापारियों तथा उपभोक्ताओं के लिए समय-समय पर जागरूकता कार्यक्रम चलाता है। यह आई. एस. आई. चिह्न के कपटपूर्ण प्रयोग को रोकने की दृष्टि से बाजार सर्वेक्षण भी करता है।

प्रवर्तन संबंधी स्थायी समिति, जिसमें अन्य लोगों के साथ-साथ उनभोक्ता संगठनों से सदस्य शामिल किए गए हैं, प्रवर्तन तथा आई. एस. आई. चिह्न के दुरुपयोग को रोकने के मामले में ब्यूरो का मार्ग दर्शन करती है।

मानक चिह्न का दुरुपयोग रोकने तथा उसके विरुद्ध साक्ष्य एकत्र करने की दृष्टि से ब्यूरो द्वारा छापे मारे जाते हैं, तलाशी ली जाती है तथा माल जब्त किया जाता है। बर्ष 1997-98 के दौरान ऐसे 24 छापे मारे गए, जिनका ब्यौरा संलग्न विवरण 2 में दिया गया है।

विवरण-I

भारतीय मानक ब्यूरो के मानक चिन्ह के दुरुपयोग के लिए दर्ज की गई शिकायतों का राज्य-वार ब्यौरा (1997-98)

क्र.सं.	पार्टी का नाम	राज्य
1	2	3
1.	कानहोरिया ट्यूब्स प्राइवेट लि०, गाजियाबाद	उत्तर प्रदेश
2.	वरूण कलर्स, सहारनपुर	उत्तर प्रदेश
3.	स्वर्णिमा ऑयल इण्डस्ट्रोज लि० दादरो	उत्तर प्रदेश
4.	मितु प्लास्टिक्स प्रोडक्ट्स प्राइवेट लि० कानपुर	उत्तर प्रदेश
5.	ऋषभ प्लास्टिक्स, मेरठ	उत्तर प्रदेश
6.	पारस ट्यूब्स, मेरठ	उत्तर प्रदेश
7.	फॉरमोस्ट इण्स्ट्रीज (इं) लि० सहारनपुर	उत्तर प्रदेश
8.	अजीत सिंह/गुप्ता इण्टरप्राइजेज, दिल्ली	दिल्ली
9.	अशोक कुमार, 28/15 एम, इंदिरा गली नं० 4 बाबरपुर	दिल्ली
10.	प्रमिसिस 110/7, फिरनो रोड, मुण्डका	दिल्ली
11.	सिलिकन पेण्ट्स दिल्ली	दिल्ली
12.	स्वास्तिक कुशंस प्राइवेट लि०	दिल्ली
13.	लक्ष्मी प्रोडक्ट्स (इंडिया) नांगली	दिल्ली
14.	जगदम्बा विजय काबोरिण्डम, थाणे	गुजरात
15.	श्री केम्पास्ट (इंडिया) लि० छतराल	गुजरात
16.	नोवल फायर प्रोटेक्शन वलसाड़	गुजरात
17.	सिल्वर प्रोफिलया प्राइवेट लि० मेंहसाना	गुजरात
18.	पेरीमेमैकेनीकल वर्क्स, लुधियाना	पंजाब
19.	सरबजीत मशीन टूल्स, बटाला	पंजाब
20.	मारुती सीमेंट प्राइवेट लि०, सीकर	राजस्थान
21.	प्रगति सीमेंट प्राइवेट लि० जुन्या	राजस्थान
22.	पी० जी० सीमेंट, डिस्ट्रिक, पाली	राजस्थान
23.	हिण्दन सीमेंट प्राइवेट लि० भरतपुर	राजस्थान
24.	श्री कृष्णा सीमेंट, हांसी	हरियाणा
25.	साइंस इण्टरप्राइजेज, किल्कीकाल्लूर	केरल
26.	ईसटर्न फायर प्रोटेक्शन इंजीनियर्स गोहाटी	आसाम
27.	सुपर ट्रेडर्स, कलकत्ता	पश्चिम बंगाल
28.	डेल्टा रोप इंण्डस्ट्रीज, कलकत्ता	पश्चिम बंगाल
29.	हावडा कॉटेज इंडस्ट्रीज, कलकत्ता	पश्चिम बंगाल
30.	प्लास्ट्रोन स्टील प्राइवेट लि०, मान्दुप	महाराष्ट्र

विवरण-II

भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा 1997-98 में मारे गए छापों का राज्यवार विवरण

छापों की तारीख	पार्टी	उत्पाद	राज्य
1	2	3	4
970419	कानोहरिया ट्यूब्स प्रा० लि० गाजीयाबाद	एम० एस० ट्यूब्स	उ० प्र०
971111	वरुण कलर्स, सहारनपुर	सीमेंट पेंट्स	उ० प्र०
980212	फोरमोस्ट इंडस्ट्रीज सहारनपुर	स्किम मिल्क पाउडर	उ० प्र०
980120	ऋषभ प्लास्टिक्स मेरठ	यू० पी० वी० सी० पाइप्स	उ० प्र०
980120	पारस ट्यूब्स, मेरठ	यू० पी० वी० सी० पाइप्स	उ० प्र०
970704	प्रमिसिस ऑफ इंदिरा गली नं० 4 शाहदरा	एल० पी० जी० स्टोव्स	दिल्ली

1	2	3	4
970709	गौरव एजेंसीज, 8, श्याम इंडस्ट्रियल एस्टेट लोनी	फलोर पॉलिस, सीमेंट पेंट्स	दिल्ली
970709	प्रमिसिस ऑफ 110/7, फ्रीनी रोड मुंडका दिल्ली	फलोर वेक्स	दिल्ली
970709	सिलिकन पेंट्स, दिल्ली	सीमेंट पेंटस	दिल्ली
980223	स्वास्तिक कुशन्स लि०, दिल्ली	लेटेक्स रबर फॉम प्रोडक्ट्स	दिल्ली
980223	लक्ष्मी प्रोडक्ट्स, दिल्ली	लेटेक्स रबर फॉम प्रोडक्ट्स	दिल्ली
970715	पेरो मशीनरी स्टोर्स, बीकानेर	स्विईग मशीन	राजस्थान
971105	पे०जी० सीमेंटस डिस्टिक-पाली	सीमेंट	राजस्थान
970814	के०जी० ट्रेडिंग कम्पनी लुधियाना	स्विईग मशीन	पंजाब
970814	पेरी मेकेनीकल वर्क्स, लुधियाना	स्विईग मशीन	पंजाब
970916	श्रीकेम्पास्ट (इंडिया) लि० छतराल गुजरात	मोनोकोटोकोंस	गुजरात
970526	वेल्डिंग रोड्स प्राइवेट लि० सूरत	वेल्डिंग इलैक्ट्रोडेंस	गुजरात
980121	नोवेल फायर प्रोटेक्शन वाल्स	फायर एस्टिनगुइशर	गुजरात
980217	सिल्वर प्रोफाइल्स लि०, मेहसाना	एचडीपीई पाइप्स	गुजरात
971105/06	ट्रेडर्स ऑफ एम०एस० ट्यब्स (7 ट्रेडर्स)	एम०एस० ट्यूब्स	पंजाब हरियाणा
970806	बाकरे ड्रम्स एण्ड बैरेल्स प्रा० लि०, दमन	ड्रम्स लार्ज, फिक्स एण्हस	दादरा नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र
980120	युनोप्लस इंडिया लि० दमन	यूपीवीसी पाइप्स	वही
971111	प्लास्ट्रोन स्टील प्राइवेट भांदुप	फिल्टर कैंडल्स	महाराष्ट्र
970916	जायसवाल नेकी लि०, नागपुर	सीआई पाइप्स	महाराष्ट्र

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचार

957. **श्रीमती कृष्णा बोस:**
श्रीमती सूर्यकांता पाटील:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के पुरुषों/स्त्रियों पर किए गए अत्याचार के संबंध में कोई सर्वेक्षण कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है;

(ग) उन अपराधों में सम्मिलित व्यक्तियों में से कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है तथा कितने व्यक्ति दंडित किए गए हैं;

(घ) न्यायालयों में कितने मुकदमें दायर हैं;

(ङ) ऐसी घटनाओं की सर्वाधिक प्रतिशतता वाले राज्य कौन-कौन से है; और

(च) उक्त अवधि के दौरान न्यायालयों द्वारा कितने मामलों का निपटान किया गया है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) से (ख) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों पर किए गए अत्याचारों के मामलों के संबंध में उपलब्ध सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अन्तर्गत सूचित किए गए अपराधों के संबंध में उपलब्ध सूचना नीचे दी गई है।

वर्ष	सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम		अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति/ (अत्याचार निवारण) अधिनियम	
	गिरफ्तार किए व्यक्तियों की संख्या	दोष सिद्ध व्यक्तियों की संख्या	गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की की संख्या	दोषसिद्ध व्यक्तियों की संख्या
1995	7747	2579	33716	3393
1996	3404	1443	32152	5513

(घ) न्यायालयों में दायर किए गए मामलों की संख्या के बारे में उपलब्ध सूचना नीचे दी गई है:

वर्ष	सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम	अनुसूचित जाति/अनुसचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम
1995	12773	32777
1996	11296	39869

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान इस प्रकार के अपराधों की उच्च प्रतिशतता वाले राज्यों के नाम नीचे दिए गए हैं:

वर्ष	अनुसूचित जातियों के प्रति अत्याचार	अनुसूचित जातियों के प्रति अत्याचार
1	2	3
1995	उत्तर प्रदेश	राजस्थान
	राजस्थान	मध्यप्रदेश
	मध्य प्रदेश	महाराष्ट्र
1996	उत्तर प्रदेश	मध्य प्रदेश
	राजस्थान	राजस्थान
	मध्य प्रदेश	गुजरात
	तमिलनाडु	महाराष्ट्र
1997	उत्तर प्रदेश	राजस्थान
	राजस्थान	मध्य प्रदेश
	मध्य प्रदेश	गुजरात
	आन्ध्र प्रदेश	आन्ध्र प्रदेश

(च) वर्ष 1995-96 के दौरान निपटाए गए मामलों की संख्या नीचे दी गई है:

वर्ष	सिविल आधिकार संरक्षण अधिनियम		अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण	
	दोषसिद्ध	बरी	दोषसिद्ध	बरी
1995	971	1763	1604	2489
1996	599	1904	2075	5440

विवरण

अनु० जाति और अनु० जनजाति के प्रति किए गए अत्याचारों की घटनाऐं

राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	अनु० जाति			अनु० जनजाति		
	1995	1996	1997	1995	1996	1997
1	2	3	4	5	6	7
1. आन्ध्र प्रदेश	1764	1629	1880	165	252	236
2. अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	2	5	0
3. असम	0	0	0	0	0	0
4. बिहार	747	810	710	232	190	158
5. गोवा	4	1	2	0	0	0
6. गुजरात	1724	1764	1831	486	369	384
7. हरियाणा	82	63	93	0	1	5
8. हिमाचल प्रदेश	82	66	61	5	3	1
9. जम्मू व कश्मीर	25	17	8	8	6	11
10. कर्नाटक	1171	1089	1227	96	180	78
11. केरल	696	640	755	185	122	139
12. मध्य प्रदेश	3979	4075	4269	1690	1466	1400
13. महाराष्ट्र	1622	1352	831	505	337	189
14. मणिपुर	1	0	0	2	0	0
15. मेघालय	2	0	0	2	1	13
16. मिजोरम	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7
17. नागालैंड	0	0	0	0	0	0
18. उड़ीसा	329	486	485	143	179	169
19. पंजाब	8	12	11	4	1	0
20. राजस्थान	5197	6623	5624	1784	1393	1445
21. सिक्किम	33	14	18	40	46	31
22. तमिलनाडु	1293	1812	1403	40	85	227
23. त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0
24. उत्तर प्रदेश	14205	10963	8500	105	336	86
25. पश्चिम बंगाल	0	0	0	0	0	0
कुल (राज्य)	32964	31416	27708	5494	4972	457
संघ शासित क्षेत्र						
26. अंड० और नि० द्वीप समूह	0	0	0	0	0	2
27. चंडीगढ़	0	0	1	0	0	0
28. दादरा और नागर हवेली	0	0	0	3	1	1
29. दमण और दीव	2	0	0	1	0	0
30. दिल्ली	6	11	19	0	0	0
31. लक्ष्यद्वीप	0	0	0	0	0	0
32. पाडिचेरी	24	13	23	0	0	0
कुल (संघ शासित क्षेत्र)	32	24	43	4	1	3
कुल (अखिल भारत)	32996	31440	27751	5498	4973	4575

गुटखा पर प्रतिबन्ध से सुपारी उत्पादकों पर प्रभाव

958. श्री ए० सिदराजू : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेगें कि:

(क) क्या यह सच है कि कर्नाटक में लगभग 8 लाख परिवार केवल सुपारी की खेती पर निर्भर हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को यह जानकारी है कि गुटखा पर प्रतिबन्ध लगाए जाने के कारणा कर्नाटक में लगभग 2000 करोड़ रुपये की सुपारी का भण्डार जमा हो गया है; और

(ग) यदि हां, तो कर्नाटक में सुपारी उत्पादको के रक्षा करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री दलित एझिल मलाई) : (क) और (ख) गुटके पर प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

जनसंख्या वृद्धि

959. श्री पी० शंकरन : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) किन-किन राज्यों ने जनसंख्या वृद्धि की लक्षित दर प्राप्त कर ली है;

(ख) कौन-कौन से राज्यों ने अब तक कोई उपलब्धि हासिल नहीं की है और लक्ष्य प्राप्त करने में पिछड़ रहे हैं या इसे कोई महत्व नहीं दे रहे हैं;

(ग) क्या सरकार इस कार्यक्रम के लिए कोई प्रोत्साहन योजना शुरू करने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एझिलमलाई) : (क) राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति (1983) में यथानिर्धारित देश के लिए दीर्घावधिक जनसांख्यिकीय का लक्ष्य सन् 2000 ईसवी तक 1.2 प्रतिशत की वार्षिक संहज वृद्धि दर प्राप्त करना है। नमूना

पंजीयन पद्धति 1996 के अनुसार जो राज्य/संघ राज्य क्षेत्र 1.2 प्रतिशत से कम सहज जनसंख्या वृद्धि दर्ज कर रहे हैं वे हैं (i) तमिलनाडु, (ii) केरल, (iii) गोवा, (iv) पांडिचेरी तथा (v) त्रिपुरा।

(ख) नमूना पंजीयन पद्धति 1996 के निष्कर्षों के अनुसार जनसंख्या की सहज वार्षिक वृद्धि दर जो 1995 में 1.93 प्रतिशत थी घटकर 1996 में 1.85 प्रतिशत रह गई है। एक वर्ष में जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर में यह बहुत बड़ी गिरावट है। बिहार को छोड़कर इस प्रकार की गिरावट सभी बड़े राज्यों में पाई गई हैं।

(ग) और (घ) देश के आकार के मद्देनजर अर्थपूर्ण बड़े प्रोत्साहनों वाली किसी भी योजना के लिए विशाल संसाधनों की आवश्यकता होगी। सरकार ने अभी तक कोई प्रोत्साहन योजना अनुमोदित नहीं की है।

कर्नाटक में जर्मन परियोजना

960. **श्री एच॰ जी॰ रामुलू : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक में अस्पतालों संबंधी सुविधाओं में सुधार करने के लिए किसी जर्मन परियोजना को मंजूरी दी गई है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्तावित परियोजना के अन्तर्गत लिए जाने वाले अस्पतालों का ब्यौरा क्या हैं; और

(ग) उक्त परियोजना के अन्तर्गत कर्नाटक को वर्ष 1998-99 के दौरान अब तक कितनी धनराशि जारी की गई अथवा जारी किए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एझिल मलाई) : (क) और (ख) जी, हां। इस परियोजना के अन्तर्गत 26 अस्पतालों को लेने का प्रस्ताव है जिनमें बेल्लारी जिले के 12 अस्पताल और रायचूर और कोप्पाल जिलों के 14 अस्पताल शामिल हैं।

(ग) वर्ष 1998-99 के दौरान इस परियोजना के अन्तगत कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु 40 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं।

[हिन्दी]

ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा

961. **श्री बासवराज पाटील सेडाम :**
श्री रंजीब बिस्वाल :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने संपूर्ण देश में समुचित स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए बुनियादी सुविधाएं विकसित करने का है;

(घ) यदि हां, तो राज्यावार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) उक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने की दिशा में किन समस्याओं का पता लगा है और राज्यवार कौन-कौन से कार्यक्रम कार्यान्वित किए जाने का विचार है; और

(च) ऐसी सभी बाधाओं को देखते हुए इस कार्यक्रम को पूरा करने हेतु सरकार कौन सा तरीका अपनाने पर विचार कर रही है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एझिलमलाई) : (क) और (ख) जी, हां। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत देशभर में 136339 उप-केन्द्रों, 22010 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और 2662 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों (30.6.1997 की स्थिति के अनुसार) जैसी स्वास्थ्य सुविधाओं का एक नेटवर्क स्थापित किया गया है। इसके अतिरिक्त, भारतीय चिकित्सा पद्धति तथा होम्यौपैथी के अन्तर्गत 2823 अस्पताल तथा 21632 औषधालय स्थापित किए गए हैं। इसके अलावा भारत सरकार मलेरिया, क्षयरोग, कुष्ठरोग, दृष्टिहीनता, आयोडीन की कमी से होने वाले विकारों, प्रजनक स्वास्थ्य परिचर्या, कैंसर आदि से संबंधित राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम भी चला रहा है।

(ग) और (घ) ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य परिचर्या उपलब्ध करने के लिए आधरभूत सुविधाएं पैदा करना तथा उनकी स्थापना करना राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है।

(ङ) और (च) मानदण्डों के अनुसार स्वास्थ्य संबंधी आधारभूत ढांचा स्थापित करने में धन की कमी मुख्य बाधा है। इसलिए जहां कहीं संभव है बाहय एजेन्सियों से धन लिया जा रहा है।

[अनुवाद]

आयकरदाताओं को सार्वजनिक वितरण प्रणाली से अलग रखना

962. **श्री के॰ एच॰ मुनियप्पा : क्या खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने आयकरदाताओं को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के दायरे से अलग रखने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस निर्णय को कब तक क्रियान्वित किया जाएगा?

खाद्य और उपभोक्ता मामलो के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्य पाल सिंह यादव) : (क) जी, नहीं;

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

पुलिस का कार्यकरण

963. **श्री दत्ता मेघे : क्या गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार पुलिस के कार्यकरण में बदलाव लाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) से (ग) चूंकि भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार "पुलिस" और "लोक व्यवस्था" राज्य के विषय हैं, अत: अपने-अपने पुलिस बलों के कार्यकरण

में परिवर्तन करने का काम निश्चित रूप से राज्य सरकारों का है। तथापि, संविधान की सीमाओं के भीतर, केन्द्र सरकार ऐसे परिवर्तन लाने की जरूरत पर जोर देते हुए राज्य सरकारों को लिखती रही है। केन्द्र सरकार द्वारा राज्य में वर्तमान भर्ती और प्रशिक्षण प्रथाओं को संशोधित करने तथा उनके आसूचना तंत्र, शस्त्रागार और संचार प्रणाली के आधुनिकीकरण करने पर जोर दिया गया है ताकि वे समय के अनुरूप हो। सलाह देने के आलावा, केन्द्र सरकार राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की अपनी स्कीम के माध्यम से तथा वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर धन जारी करके राज्यों को वित्तीय सहायता भी उपलब्ध करा रही है। पुलिस के कार्यकरण में सुधार लाना एक सतत् प्रक्रिया है तथा केन्द्र सरकार यह सुनिश्चित करने के प्रति वचनबद्ध है कि देश में पुलिस व्यवस्था में सुधार लाने के लिए राज्य सरकारों को सभी सहायता मिले।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों संबंधी राष्ट्रीय आयोग की पर्याप्त शक्तियां

964. **प्रो॰ जोगेन्द्र कवाडे : क्या समाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने दलितों के अधिकार और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने हेतु अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति राष्ट्रीय आयोग को शक्तियां प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कार्मिक विभाग ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति राष्ट्रीय आयोग के कर्तव्यों को निर्धारित करते हुए कोई ज्ञापन जारी किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इसके क्या कारण है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) और (ख) संविधान के 65 वें संशोधन अधिनियम की धारा-2 खंड-5 उप खंड (क) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग को संविधान या अन्य किसी नियम के अंतर्गत अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को उपलब्ध कराए गए सुरक्षापायों से संबंधित सभी मामलों की जांच तथा उनके मानीटरिंग की अधिकारिता प्रदान करता है। इस उद्देश्य के लिए अधिनियम की धारा-2 खंड-8 के आधीन आयोग को मुकदमा चलाने के लिए सिविल न्यायालय के सभी अधिकार प्राप्त हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ड) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

तेलंगाना के स्वतंत्रता सेनानी

965. **श्री एम॰ राजैया : क्या गृह मंत्री** सह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तेलंगाना क्षेत्र के स्वतंत्रता सेनानियों के नामों की सिफारिश करने के लिए चौधरी राजेश्वर राव की अध्यक्षता में गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है;

(ख) यदि हां, तो जिलावार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन संस्तुत स्वतंत्रता सेनानियों को कब तक पेंशन का भुगतान कर दिये जाने की संभावना है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) से (ग) सरकार ने हैदराबाद स्पेशल स्क्रीनिंग कमेटी का गठन 1983 में हैदराबाद मुक्ति आन्दोलन से संबंधित दावों की संवीक्षा करने के लिए किया था। इस स्क्रीनिंग कमेटी का समय-समय पर पुर्नगठन किया गया और नवीनतम कमेटी के अध्यक्ष श्री चौ॰ राजेश्वर राव थे। विभिन्न कमेटियों की सिफारिशों के आधार पर अभी तक 7,000 मामलों में पेंशन स्वीकृत की गयी है। समिति की नवीनतम सिफारिशें 31.5.98 को प्राप्त हुई है और इसलिए इस समय जिला-वार ब्यौरे देना संभव नहीं हैं।

2. आन्ध्र प्रदेश के माननीय न्यायालय में कुछेक आरोपों के बारे में एक रिट याचिका दायर की गयी थी जिसमें न्यायालय ने भारत सरकार को अंतरिम निर्देश पारित किए थे कि आदेश की तारीख से अगले आदेश तक समिति की सिफारिशो को कार्यान्वित न करें। उच्च न्यायालय के अन्तरिम निदेशों के अन्तर्गत कवर न होने वाले मामलों पर कार्रवाई की जा रही है और उन्हें शीघ्रता से अंतिम रूप देने के लिए सभी सम्भव उपाय किए जा रहे हैं।

चिकनाने वाले तेल

966. **श्री तसलीमुद्दीन : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि घटिया किस्म के चिकनाने वाले तेल के इस्तेमाल के कारण मशीनें समय से पहले खराब हो रही है जिसके परिणामस्वरूप परिवहन और फार्म क्षेत्रों को अत्यधिक नुकसान हो रहा है,

(ख) यदि हां, तो ऐसे चिकनाने वाले तेलों के उत्पादन और इस्तेमाल को रोकने के लिए क्या कार्यवाही किए जाने का प्रस्ताव है,

(ग) क्या निजी तेल कंपनियां अपने तैयार उत्पादों में पुनः परिष्कृत तेल का इस्तेमाल कर रही है,

(घ) यदि हां, तो क्या उनके पेकेजिंग पर यह जानकारी उल्लिखित है, और

(ङ) यदि नहीं, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही किए जाने और एक बार प्रयुक्त चिकनाने वाले तेलों को पुनः उपयोग योग्य बनाने वाली प्रौद्योगिकियों का इस्तेमाल करके इसको पुनः परिष्कृत करने और एकत्रित करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु व्यापक नीति बनाने का प्रस्ताव है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) यह संभव है कि कम गुणवत्ता वाले स्नेहक तेल का उपयोग परिवहन तथा खेती के क्षेत्रों के अंतर्गत मशीन फेल होने के कारणों में से एक है।

(ख) देश में नकली/घटिया स्नेहक तेल एवं ग्रीसों के विपणन को रोकने के विचार से केन्द्रीय सरकार ने स्नेहक तेल एवं ग्रीस (प्रसंस्करण, आपूर्ति एवं वितरण विनियम) आदेश, 1987 प्रख्यापित किया है जिसमें व्यवस्था है कि इस आदेश के अधीन दिए जाने वाले वैध लाइसेंस की

शर्तों के आधीन एवं तदनुसार के अलावा कोई भी व्यक्ति प्रसंस्करणकर्ता के कार्यव्यापार को नहीं कर सकता है। यह आदेश ऐसे किसी भी स्नेहक तेल अथवा ग्रीस के प्रसंस्करण, निर्माण, मिश्रण, संयोजन, पैकेजिंग, शोधन, बिक्री अथवा परिवहन का निषेध भी करता है जिसमें मिलावट की गई हो।

(ग) से (ड) स्नेहक तेल का निर्माण करने के संबंध में निर्धारित बी आई एस विनिर्देश को पूरा का रहे पुनरपरिशोधित तेल के उपयोग के लिए अनुमति है। प्रयुक्त तेल जब ठीक से पुनरपरिशोधित कर दिया जाएगा तथा अपेक्षित कार्यनिष्पादन स्तरों को पूरा करने के लिए इसमें उपयुक्त योगज समाविष्ट कर दिए जाएंगे तो इसके उपयोग से असामयिक मशीन रुकावट नहीं होगी।

वर्तमान में, चूंकि यह अनिवार्य नहीं है, इसलिए निजी तेल कंपनियों के उत्पादों की पैकेजिंग पर उनके तैयार उत्पादों के अंतर्गत पुनरपरिशोधित तेल के उपयोग से संबंधित सूचना का उल्लेख नहीं किया जाता है।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण

967. श्री माणिक राव होडल्या गावीत :
श्री डी. एस. अहिरे :
श्री जी. एम. बनातवाला :

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग ने अपनी हाल ही की रिपोर्ट में ऐसी कोई सिफारिश की है कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण सशस्त्र बलों, न्यायपालिका, वैज्ञानिक अवस्थापनाओं और सार्वजनिक उद्यमों में की जाने वाली सभी नियुक्तियों में लागू किया जाए,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) से (ग) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आयोग ने अपने कर्तव्यों के निर्वहन में, जैसा कि संविधान (65 वां संशोधन) अधिनियम, 1990 की धारा 2, खंड 5 उप खंड (घ) में है, हाल ही में अपनी वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की है। इस अधिनियम की धारा 8 के अनुसार रिपोर्टों को की गई कार्रवाई रिपोर्ट के साथ-सभा पटल पर रखना होता है और इसलिए इस रिपोर्ट को सभा पटल पर रखे जाने तक सरकार की प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की जा सकती।

परिवार कार्ड जारी किया जाना

968. श्री बाजू बन रियान :
श्री चमन लाल गुप्त :

क्या खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राज्य सहायता प्राप्त दरों पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत वस्तुएं बेचने के लिये गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को विशेष कार्ड जारी करने के लिये राज्यों को निर्देश दिये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस योजना के अन्तर्गत शामिल, परिवारों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है और इसमें कितना खर्च हुआ;

(घ) क्या सरकार को ऐसी शिकायतें मिली है कि खाद्यान्न की आपूर्ति ऐसे व्यक्तियों को की जा रही है जो इसके हकदार नहीं हैं;

(ङ) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं; और

(च) इस परम्परा को समाप्त करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं?

खाद्य और उनभोक्ता मामलो के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्य पाल सिंह यादव) : (क) और (ख) जी, हां। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के क्रियान्वयन के लिए 17 फरवरी, 97 को जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धन्तों में परिकल्पना की गई है कि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों के रूप में पहचान किए गए परिवारों को विशेष कार्ड जारी किए जाने चाहिए। पहले से बनाये जा चुके नये कार्डो मेके मामले में, गरीबी रेखा से नीचे के कार्डों पर उनयुक्त मोहर (स्टाम्प) द्वारा उचित पृष्ठांकन किया जा सकता है।

(ग) योजना आयोग द्वारा अनुमान लगाए गए गरिबी रेखा से नीचे के परिवारों, जिन्हें लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन कवर किया जाना है, के राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। राशन-कार्ड आदि जारी करने संबंधी खर्च राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा वहन किया जाता है और इस खर्च की भारत सरकार द्वारा मानीटरिंग नहीं की जाती हैं।

(घ) से (च) ऐसी कोई शिकायतें प्राप्त नहीं हुई हैं। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के क्रियान्वयन संबंधी मार्गदर्शी सिद्धान्त राज्यों को स्पष्ट परामर्श देते हैं कि वे भारतीय खाद्य निगम गोदामों से उचित दर दुकानों को खाद्यान्नों की सुपुर्दगी और गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को पारदर्शी और जवाबदेह तरीके से खाद्यान्नों का वितरण करने की पूरी व्यवस्था करें। राज्य सरकारों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली की कार्यप्रणाली की प्रशासनिक समीक्षा की सहायता के लिए तालुक, जिला और राज्य स्तर की उचित दर दुकानों के संबंध में सतर्कता समितियों के गठन के लिए भी परामर्श दिया गया है।

विवरण

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली योजना के अधीन कवर किए जाने वाले गरीबी रेखा से नीचे के

अनुमानित परिवारों की राज्यवार संख्या राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	गरीबी रेखा से नीचे के परिवारो की संख्या
1	2
1. आन्ध्र प्रदेश	36.27
2. अरुणाचल प्रदेश	0.77
3. असम	19.06
4. बिहार	85.90

1		2
5.	गोवा	0.38
6.	गुजरात	19.95
7.	हरियाणा	7.33
8.	हिमाचल प्रदेश	4.26
9.	जम्मू और कश्मीर	6.17
10.	कर्नाटक	28.75
11.	केरल	15.35
12.	मध्य प्रदेश	53.34
13.	महाराष्ट्र	60.45
14.	मणिपुर	1.30
15.	मेघालय	1.44
16.	मिजोरम	0.53
17.	नागालैंड	0.95
18.	उड़ीसा	31.82
19.	पंजाब	4.30
20.	राजस्थान	21.66
21.	सिक्किम	0.34
22.	तमिलनाडु	45.79
23.	त्रिपुरा	2.31
24.	उत्तर प्रदेश	95.48
25.	पश्चिम बंगाल	46.59
26.	दिल्ली	2.96
27.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.22
28.	चंडीगढ़	0.18
29.	दादर और नगर हवेली	0.14
30	लक्षद्वीप	0.02
31.	पांडिचेरी	0.65
	जोड़	594.66

अतिरिक्त परीक्षा केन्द्र

969. श्री टी॰ गोविन्दन : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को केरल में अखिल भारतीय प्री मेडिकल/प्रीडेन्टल प्रवेश परीक्षाओं के लिए अतिरिक्त परीक्षा केन्द्र खोले जाने के लिए कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या कार्रवाई की है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) जी, हां

(ख) पिछले वर्ष केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने उत्तरी केरल के उम्मीदवारों से, जिन्हें अखिल भारतीय प्रीमेडिकल/प्रीडेंन्टल प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने के लिंए लम्बी दूरी तक यात्रा करनी होती है, केरल के कोची तथा कोझीकोडे में उम्मीदवारों को होने वाली कठिनाई को दूर करने के लिए अतिरिक्त केन्द्र स्थापित करनें का अनुरोध प्राप्त हुआ था।

(ग) अखिल भारतीय प्रीमेडिकल/प्रीडेंटल प्रवेश परीक्षा भारत के उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित की जा रही है। यह परीक्षा महाराष्ट्र को छोड़कर जहां यह परीक्षा मुम्बई के अतिरिक्त नांगपुर में भी आयोजित की जाती है सभी राज्यों की केवल राजधानियों में आयोजित की जाती है। कोंची तथा कोझीकोड़े नामक स्थानों में नये केन्द्र बनाने पर क़ेन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा विचार किया गया था। चूंकि ये केन्द राजधानी वाले शहरों के लिए ही निर्धारित हैं, अत: यह अनुरोध केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा नहीं माना जा सका।

तेल और गैस की खोज

970. श्रीमती जयन्ती पटनायक:
श्री के०एस० राव:

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में तेल और गैस की खोज के क्षेत्र में भागीदार निजी निवेशकों के नाम क्या है,

(ख) निजी क्षेत्र की यह कंपनियां किन तटीय और अपतटीय खंडों/क्षेत्रों में तेल और प्राकृतीक गैस क़ी खोज कर रही है,

(ग) क्या सरकार इन निजी निवेशको को आबंटित खण्डों में गैस और तेल की प्रपित हो जाने पर इसे खुले बाजार में बेचने की अनुमति देने का विचार रखती है,

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके कारण है?

पेट्रोलीयम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (ख) अब तक नौ अन्वेषण ब्लाकों में तेल और गैस के अन्वेषण के लिए उम्पादन हिस्सेदारी संविदाओं पर हस्ताक्षर किए गए है, जिसका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) से (ङ) नौ अन्वेषण ब्लाकों में से सात में निजी निवेशकों को भारत में मुक्त बाजार में प्राकृतिक गैस बेचने का अधिकार है। शेष दो ब्लाकों में निजी निवेशकों ने ऐसे अधिकार प्राप्त करने में कोई रुचि प्रदर्शित नहीं की।

विवरण

अन्वेषण बोली

हस्ताक्षरित संविदाओं का ब्यौरा

क्र. सं.	ब्लाक का नाम और क्षेत्र (वर्ग कि. मी.)	परिसंघ जिनके साथ संविदा पर हस्ताक्षर किए गए
1.	के जी-ओ एस-90/14964 वर्ग कि. मी. (अपतट)	1 हार्डी आयल एण्ड गैस, यू के 2 हिन्दुस्तान आयल एक्सप्लोरेशन कं०, भारत 3 नीको रिर्सोसेज, कनाडा 4 नागार्जुन फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स लि०, भारत
2.	जी एन-ओ एन-90/329200 वर्ग कि. मी. (तट)	1 एच ओ ई सी, भारत 2 मफतलाल इंडस्ट्रीज, भारत
3.	सी वाई-ओ एस-90/181 वर्ग कि. मी. (अपतट)	1 वाल्को एनर्जी इंक, यू एस ए 2 एच ओ ई सी, भारत 3 टाटा पेट्रोडाइन लि०, भारत 4 ओ एन जी सी
4.	आर जे-ओ एन-90/111108 वर्ग कि. मी. (तट)	1 शेल भारत प्रोडक्शन डेवलपमेंट बी. वी., नीदरलैडस
5.	बी बी-ओ एस/59095 वर्ग कि. मी. (अपतट)	1 एस्सार आयल लि०, भारत
6.	सी वाई-ओ एस/25010 वर्ग कि. मी. (अपतट)	1 वाल्को एनर्जी इंक, यू एस ए 2 एच ओ ई सी भारत 3 टाटा पेट्रोडाइन लि०, भारत
7.	आर जे-ओ एन-90/416600 वर्ग कि. मी. (तट)	1 एस्सार आयल लि०, भारत 2 पोलिश आयल एण्ड कं०, पोलैंड
8.	आर जे-ओ एन-90/516,030 वर्ग कि. मी. (तट)	1 एस्सार आयल लि०, भारत 2 पोलिश आयल एण्ड कं०, पोलैंड
9.	सी बी-ओ एस/13290 वर्ग कि. मी. (अपतट)	1 वाल्को एनर्जी इंक, यू एस ए 2 एच ओ ई सी भारत 3 टाटा पेट्रोडाइन लि०, भारत 4 ओ एन जी सी

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक वित्त विकास निगम

971. **श्री जी॰एम॰ बनातवाला** : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक वित्त विकास निगम की स्थापना कब की गई थी;

(ख) निगम की स्थापना के समय कुल कितनी धनराशि की इक्विटी पूंजी की परिकल्पना की गई थी;

(ग) निगम की वर्तमान इक्विटी पूंजी कितनी है;

(घ) पूर्ण परिकल्पित इक्विटी को प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए है;

(ङ) निगम से सहायता प्राप्त करने के लिए किन-किन अल्पसंख्यक समुदायों की पहचान की गई है;

(च) उन एजेंसियों के राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार नाम क्या-क्या है जिनके माध्यम से सहायता दी जाती है;

(छ) उन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम क्या हैं जहां कि इन एजेंसियों का अभी पता लगाया जाना है; और

(ज) वर्ष 1996-97 और 1997-98 के दौरान राज्यवार किन-किन अल्पसंख्यक समुदायों के कुल कितने-कितने सदस्यों को कुल कितनी-कितनी धनराशि प्रदान की गई है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम की स्थापना दिनांक 30 सितम्बर, 1998 को की गई।

(ख) परिकल्पित कुछ प्राधिकृत अंशपूंजी 500 करोड़ रु० थी।

(ग) आज तक की स्थिति के अनुसार राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम की चुकता इक्विटी पूंजी 145.76 करोड़ रुपए है।

(घ) शुरू में प्रधानमंत्री द्वारा सभी मुख्य मंत्रियों को निगम के इक्विटी में अंशदान करने के लिए पत्र लिया गया। उसके बाद सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री तथा अध्यक्ष, एन. एम. डी. एफ. सी. के स्तर पर इस मामले में अनुवर्ती कार्रवाई की गई। तथापि, आज की तारीख तक राज्य सरकारें 20.76 करोड़ रुपये का अंशदान कर पाई हैं।

केन्द्र सरकार ने भी राज्य सरकारों द्वारा किए गए अंशदानों पर विचार करते हुए यथानुपात आधार पर निगम की चुकता पूंजी में अपने इक्विटी अंशदान को वर्तमान 25% से बढ़ाकर 60% तक करने का निर्णय लिया है।

(ङ) मुसलमानों, सिक्खों, बौद्धों, ईसाईयों तथा जोरास्ट्रिवनों (पारसियों) को अल्पसंख्यकों के रूप में अधिसूचित किया गया है।

(च) आवधिक ऋण तथा सीमान्त राशि ऋण की योजनाएं अपने-अपने राज्य सरकारों द्वारा नामित माध्यम एजेंसियों द्वारा कार्यान्वित की जाती हैं। शुरू की गई-नंई माइक्रो क्रेडिट योजना को चयनित गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है। राज्य माध्यम एजेंसियों की सूची विवरण 1 में दी गई है।

(छ) अरुणाचल प्रदेश तथा गोवा राज्य सरकार ने अभी तक अपनी-अपनी राज्य माध्यम एजेंसियों की पहचान नहीं की है।

(ज) वर्ष-वार सूचना नहीं रखी जाती। तथापि, अल्पसंख्सक समुदायों के साथ निधियों के उपयोग की राज्यवार समेकित सूचना संलग्न विवरण 2 में दी गई है।

विवरण I

माध्यम एजेंसियों के नाम:

आन्ध्र प्रदेश

आन्ध्र प्रदेश राज्य अल्पसंख्यक वित्त निगम, 4-1, बी-25, लक्ष्मी इस्टेट, ज. एन. रोड, हैदराबाद-500001

असम

असम अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम, आर. जी. बी. रोड, दिसपुर गोवाहाटी-781006

बिहार

बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्त निगम, 34-हार्डिगं रोड, पटना-800001

मध्य प्रदेश

हिमाचल प्रदेश

हि. प्र. अल्पसंख्सक वित्त और विकास निगम, कौशल निवास, शिमला-2

जम्मू एवं कश्मीर

जम्मू एवं कश्मीर महिला विकास निगम, 29-ए/डी, गांधीनगर, जम्मूतवी

जम्मू एवं कश्मीर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग विकास निगम रोमेश मार्किट, शास्त्री नगर, जम्मू-180004

केरल

केरल राज्य पिछड़ा वर्ग विकास निगम, टी. सी. सं॰ 16/351, कौटन हिल, त्रिरुवन्थपुरम-695014

केरल राज्य महिला विकास निगम, के. वी. टावर, मोराप्पालम, पाटम, त्रिरुवन्थपुरम-695004

केरल राज्य सहकारिता फेडरेशन फॉर फिसीरिज, डव्लपमेंट लिमिटेड, मत्सय भवन कुनवानकोनम, पी. बी. नं. 821, त्रिवन्थपुरम-695003

कर्नाटक

कर्नाटक अल्पसंख्यक विकास निगम, विशेश्रवर केन्द्र, बारहवां तल, मैन टावर, डा॰ बी. आर. अम्बेडकर वी डी बेंगलूर-560001

गुजरात

गुजरात पिछड़ा वर्ग विकास निगम, ब्लाक सं॰ 11, दूसरा तल डॉ॰ जीवराज मेहता भवन, गांधी नगर-382010

पश्चिम बंगाल

पश्चिम बंगाल अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम, भवानी भवन (दूसरा तल) पश्चिम, अलीपुर कलकत्ता-700027

नागालैंड

नागालैंड औद्योगिक विकास लिमिटेड, आई. डी. सी. हाउस पी. बी. सं॰ 5 दीमापुर-797112, नागालैंड

उडीसा

उडीसा राज्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम, 14 लुईस रोड, भुवनेश्वर

सिक्किम

सिक्किम अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जति/अन्य पिछड़ा वर्ग विकास निगम, भानु पथ, गंगटोक

संघ राज्य क्षेत्र

चंडीगढ़ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम, टाउन हॉल बिल्डिंग, तीसरा तल, सेक्टर-17-सी, चंडीगढ़

दादर नगर हवेली, दमन और दीव अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम,

डी. आई. सी. कार्यालय, दादर नगर हवेली, डाकघर-सिलवासा, वाया वापी (विरली)

पाडिचेरी महिला विकास निगम, संख्या-10, इलार्गो-5 पांडिचेरी-11

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एकीकृत विकास निगम, न्यू मैरिन ड्राई डोक/वर्कशाप परिषद, पोस्ट बाक्स सं॰ 180

पोर्टब्लेयर

लक्ष्यद्वीप विकास निगम, लिमिटेड, 40/5598, दूसरा तल, पदमा जनसंघ के पास, एम. जी. रोड, ईरनाकुलम कोचिन-682035

दिल्ली वित्त निगम, सरस्वती भवन, ई-ब्लॉक, कनाट प्लेस, नई दिल्ली-110001

महाराष्ट्र

महात्मा फूले अपिछड़ा वर्ग विकास निगम,
गुलमोहर क्रास रोड सं॰ 9 जे॰ बी॰ पी॰ डी॰ स्कीम, जुहू मुम्बई-400049

मिजोरम

मिजोरम औद्योगिक विकास निगम, अपर खाटला, अजैवाल, मिजोरम-796001

मिजोरम कोपरेटिव एपैक्स बैंक, नजदीक वनपा हाल, अजैवल मिजोरम-796001

मध्य प्रदेश

मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वित्त और विकास निगम, 6, जौन 1, महाराणा प्रताप नगर, भोपान-462001

मणिपुर

मणिपुर आदिवासी विकास निगम, लामफेयत, इम्फाल-795004

मेघालय

मेघालय सरकार, समाज कल्याण विभाग,

शिलांग

पंजाब

पंजाब राज्य पिछड़ा वर्ग भूमि विकास एवं वित्त निगम, एससीओ सं॰ 60-61, सेक्टर 17-ए, चंडीगढ़-160017

तमिलनाडु

तमिलनाडु पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक आर्थिक विकास निगम, 807, अन्ना मलाई, पांचवा तल, पी॰ बौस-2785, मद्रास-600002

उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त विकास निगम, 746, सातवां तल, जवाहर भवन, अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

त्रिपुरा

त्रिपुरा अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक सहकारी विकास निगम, सुपारी बागान, कृष्णा नगर, पी॰ ओ॰ लेक चौवमानी, वेस्ट त्रिपुरा, अगरतल्ला-799001

राजस्थान

राजस्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास संहकारी निगम, नेहरु शंकर भवन, जयपुर।

हरियाणा

हरियाणा पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कल्याण निगम लिमिटेड, एस॰ सी॰ सं॰ 813-14, सेक्टर 22-ए, चंडीगढ़

विवरण-II

सहायता प्राप्त लाभार्थियों की राज्यवार तथा समुदायवार ब्यौरा (28.5.1998) स्थिति के अनुसार

(रु० लाख में)

राज्य/एस॰सी॰ए॰	उपयोग की गई राशि	लाभार्थी	मुस्लिम	ईसाई	सिक्ख	बौद्ध	पारसी
हरियाणा	97.00	385	136	10	239	0	0
तमिलनाडु	33.24	172	101	71	0	0	0
बिहार	61.20	81	72	2	2	5	0
गुजरात	696.37	1006	939	7	0	0	0
आन्ध्र प्रदेश	205.39	1655	1604	43	8	0	0
उत्तर प्रदेश	4781.84	8560	7879	168	462	51	0
हिमाचल प्रदेश	11.37	34	30	0	4	0	0
जम्मू और कश्मीर	35.34	58	45	1	12	0	0
केरल	717.56	1691	1222	489	0	0	0
कर्नाटक	238.65	2111	2003	108	0	0	0
महाराष्ट्र	562.30	850	832	15	2	0	1
मध्य प्रदेश	500.37	2238	-	-	-	-	-
मिजोरम	66.35	373	0	372	0	0	0
पंजाब	354.69	797	18	10	769	0	0
पश्चिम बंगाल	474.24	687	676	10	0	1	0
कुल	8836.11	20698	15807	1286	1488	57	1

रक्ताधान

972. **श्री अनंत कुमार हेगड़े : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) रक्ताधान को एड्स तथा अन्य रोगों के फैलाव में कम जोखिम वाला बनाने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) सरकार ने देश में विभिन्न रक्त बैंकों के कार्यकरण की जांच को अनिवार्य बनाने हेतु क्या कदम उठाए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एझिलमलाई) : (क) औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम/नियमों में एच॰आई॰वी॰, हैपाटाइटिस बी, सरफेसएटोजन (एच॰वी॰एस॰ए॰जी॰), सिफलिस और मलेरिया जैसे रक्त संचारी रोगों के लिए रक्त की अनिवार्य जांच की व्यवस्था है। इस समय चलाए जा रहे राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत सभी सार्वजनिक क्षेत्र के रक्त बैंकों का नकद और वस्तुगत सहायता उपलब्ध कराकर आधुनिकीकरण किया गया है। एच॰आई॰वी॰ के लिए रक्त की जांच हेतु रक्त बैंकों को 154 आंचलिक रक्त जांच केन्द्रों के साथ जोड़ा गया है जहां वे अपने रक्त नमूनों को जांच करवा सकते हैं।

(ख) औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम/नियमों के अन्तर्गत देश के सभी रक्त बैंको का लाइसेंस शुदा होना जरुरी है। लाइसेंस जारी करने/नवीकरण के लिए रक्त बैंकों के निरीक्षण के जरिए औषध महानियंत्रक (भारत) और राज्य औषध प्रशासन विभाग द्वारा इसका अनुवीक्षण किया जा रहा है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में अस्पतालों का आधुनिकीकरण

973. श्रीमती कमल रानी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर प्रदेश में आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कितने अस्पतालों का आधुनिकीकरण और विस्तार किया गया;

(ख) राज्य में उन अस्पतालों के नाम क्या हैं जिनका नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आधुनिकीकरण और विस्तार किये जाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या राज्य में विश्व बैंक की सहायता से नए अस्पतालों/औषधालयों की स्थापना की गई है अथवा किए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) और (ख) ''स्वास्थ्य'' राज्य का विषय होने के कारण यह उत्तर प्रदेश सरकार को जिम्मेवारी है कि वह अपने प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन आने वाले अस्पतालों का आधुनिकीकरण और विस्तार करे।

(ग) और (घ) उत्तर प्रदेश में विश्व बैंक की सहायता से कोई अस्पताल अथवा औषधालय स्थापित नहीं किया गया है। राज्य स्वास्थ्य पद्धति विकास परियोजना के अधीन उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त हुआ एक परियोजना प्रस्ताव विश्व बैंक को सहायता हेतु प्रस्तुत किया गया है। ऐसी राज्य परियोजनाएं विश्व बैंक के साथ विस्तृत विचार-विमर्श करके तैयार की जाती है। इसलिए इस समय परियोजना के अंतिम आयामों और घटकों पर टिप्पणी करना संभव नहीं है।

[अनुवाद]

सुपर बाजार और केन्द्रीय भण्डारों के आपूर्तिकर्ता

974. डॉ॰ विजय सोनकर शास्त्री : क्या खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सुपर बाजार और केन्द्रीय भण्डार के साझा आपूर्तिकर्ता अपने विभिन्न उत्पादों की आपूर्ति के लिए भिन्न-भिन्न दरें वसूल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) ऐसे आपूर्तिकर्ताओं के नाम क्या-क्या है और उन्होंने किन-किन चीजों की किन-किन दरों पर आपूर्ति की; और

(घ) इस मामले में क्या कार्रवाई किए जाने का प्रस्ताव है?

खाद्य और उपभोक्ता मामले के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल सिंह यादव): (क) और (ख) सुपर बाजार, दिल्ली और केन्द्रीय भण्डार, दिल्ली द्वारा दी गई सूचना के अनुसार वे ब्रांड नाम वाले उत्पादों को अपनी आपूर्ति थोक खरीददारों पर लागू होने वाली दरों पर विनिर्माताओं अथवा उनके प्राधिकृत डालरों से प्राप्त करते हैं। जिन कतिपय अन्य मदों को ये संगठन अपने अनुमोदित सप्लायरों के जरिए खरीदते हैं, उनके सम्बन्ध में ये दोनों संगठन सप्लायरों से इस आशय का वचन/शपथ पत्र ले लेते हैं कि उन्होंने जिन दरों की पेशकश की है, वे न्यूनतम हैं और अनुमोदित सप्लायर उनको छूट का लाभ दिए बिना किसी अन्य संगठन को अपेक्षाकृत कम मूल्य की पेशकश नहीं करेंगे। इस बात को सत्यापित करने की कोई प्रणाली नहीं है कि सप्लायर कामन सप्लायर है या नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या में कमी

975. श्री जयसिंहजी चौहान : क्या गृह मंत्री यह बताने की क्या करेंगें कि:

(क) क्या देश में हाल ही में की गई जनगणना के अनुसार पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या घट रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण है; और

(ग) सरकार द्वारा पुरुष और महिलाओं की जनसंख्या संतुलन बनाए रखने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवानी) : (क) जी हां, श्रीमान। भारत में 1981 में प्रति हजार पुरूषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या 934 थी जोकि 1991 की जनगणना में घटकर 927 रह गई है।

(ख) 1981 और 1991 की जनगणनाओं के अनुसार प्रति हजार पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है जिससे यह पता चलता है कि 32 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में से केवल 19 में 1981-1991 के दौरान पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या घटी है। 1981-1991 के दौरान पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या में कमी आने का कारण निम्नलिखित हो सकता है:-

(i) पुत्र की प्रबल इच्छा, तथा

(ii) प्रसव पूर्व जांच का दुरुपयोग।

(ग) भारत सरकार ने महिलाओं के स्वास्थ्य को स्थिति में सुधार लाने के लिए कई कदम उठाए हैं। सम्पूर्ण देश में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और उप केन्द्रों का विस्तार किया गया है। मातृक, शिशु और बच्चों की मृत्यु दरों को कम करने के लिए वर्ष 1992-93 के दौरान शिशु उत्तरजीविता और सुरक्षित मातृत्व योजना आरंभ की गई थी। टीकाकरण कार्यक्रम को चरणबद्ध तरीके से व्यापक रूप दिया गया है। भारतीय दंड संहिता के अन्तर्गत शिशु हत्या अपराध है। ऐसे मामलों में संलिप्त व्यक्तियों पर कानून के अन्तर्गत कार्रवाई की जाती है। केन्द्र सरकार ने भ्रूण के लिंग निर्धारण, जिससे यह पता चलता है कि उक्त-भ्रूण लड़की का है, को प्रसव पूर्व नेदानिक तकनीकों, जिससे कि बालिकाओं के भ्रूण की हत्या होती है, का दुरुपयोग रोकने के लिए प्रसव-पूर्व नैदानिक तकनीक (दुरुपयोगों का विनिय विनियमन और निवारण) अधिनियम, 1994 भी लागू किया है। इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा देश में, महिलाओं और बालिकाओं के कल्याण और विकास के लिए विभिन्न कारवाई और

समर्थन कार्यक्रम भी क्रियान्वित किए जा रहे हैं। बालिकाओं की सकारात्मक छवि प्रस्तुत करने के प्रयास भी किए जा रहे हैं ताकि उनके प्रति सामाजिक रुख में परिवर्तन लाया जा सके। सरकार ने बालिकाओं से जुड़े विभिन्न मुद्दों के संबंध में जागरूकता पैदा करने के लिए प्रचार अभियान भी चलाया है। बालिकाओं की उत्तरजीविता, संरक्षण और विकास पर ध्यान केन्द्रित करते हुए बालिकाओं के सार्क दशक (1991-2000 ईसवी) के लिए एक राष्ट्रीय कार्रवाई योजना तैयार की गई है। समेकित बाल विकास सेवा संरचना के माध्यम से किशोरावस्था वाली बालिकाओं के लिए मध्यस्थता का एक विशेष सेट बनाया गया है। भारत सरकार द्वारा 2.10.1997 को बालिकाओं की स्थिति में सुधार लाने की एक बालिका समृद्धि योजना आरम्भ की गई है। योजना के अन्तर्गत गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे परिवारों में माताओं की बालिका के जन्म होने पर सरकार की ओर से उपहार स्वरूप 500/- रुपये का अनुदान दिया जाता है ताकि बालिका की पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा किया जा सके।

विवरण

1981 और 1991 की जनगणनाओं के अनुसार भारत और राज्यों में स्त्री/पुरुष अनुपात (1000 पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या)।

भारत/राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	1981	1991
1	2	3
भारत	934	927
राज्य		
1. आन्ध्र प्रदेश	975	972
2. अरुणाचल प्रदेश	862	859
3. असम	910*	923
4. बिहार	946	911
5. गोवा	975	967
6. गुजरात	942	934
7. हरियाणा	870	865
8. हिमाचल प्रदेश	973	976
9. जम्मू और कश्मीर	892	923#
10. कर्नाटक	963	960
11. केरल	1032	1036
12. मध्य प्रदेश	941	931
13. महाराष्ट्र	937	934
14. मणिपुर	971	958
15. मेघालय	954	955
16. मिजोरम	919	921
17. नागालैंड	863	886
18. उड़ीसा	981	971
19. पंजाब	879	882
20. राजस्थान	919	910
21. सिक्किम	835	878
22. तमिलनाडु	977	974
23. त्रिपुरा	946	945
24. उत्तर प्रदेश	885	879
25. पश्चिम बंगाल	911	917
संघ राज्य क्षेत्र		
1. अण्डमान निकोबार द्वीपसमूह	760	818
2. चण्डीगढ़	769	790
3. दादरा और नागर हवेली	974	952
4. दमन और दीव	1062	969
5. दिल्ली	808	827
6. लक्षद्वीप	975	943
7. पांडिचेरी	985	979

*अन्तर-गणन द्वारा निकाले गये जनसंख्या के आंकड़ों पर आधारित हैं क्योंकि अशान्त परिस्थितियों के कारण असम राज्य में 1981 की जनगणना नहीं हुई थी।

#प्रक्षेपित जनसंख्या पर आधारित हैं क्योंकि अशांत परिस्थितियों के कारण जम्मू और कश्मीर राज्य में 1991 की जनगणना नहीं हुई थी।

[अनुवाद]

पेंशनभोगियों तथा उनके परिवार के सदस्यों को चिकित्सा सुविधाएं

976. श्री जंग बहादुर सिंह पटेल : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पेंशनभोगियों तथा उनके परिवारों को केन्द्र सरकार में कार्यरत कर्मचारियों के समान चिकित्सा सुविधाएं प्रदान नहीं की जाती है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है और पेंशनभोगियों और उनके परिवारों को केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को उपलब्ध चिकित्सा सुविधाएं प्रदान कराने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) सेवारत कर्मचारियों, पेंशनभोगियों, विधवाओं और उनके परिवारों को उपलब्ध चिकित्सा सुविधाएं दर्शाने वाला तुलनात्मक चार्ट क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री दलित एजिलमलाई): (क) से (ग) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना

औषधालयों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में रखने वाले पेंशनरों और उनके परिवारों को वही चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं जो सेवारत सरकारी कर्मचारियों को दी जाती हैं। केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत न आने वाले क्षेत्रों में रहने वाले पेंशनरों के लिए उनके दिन प्रति दिन के उपचार हेतु 100/- रुपए प्रतिमाह चिकित्सा भत्ते का भुगतान करने के लिए आदेश जारी किए हैं। उन्हें निर्धारित अंशदान के भुगतान पर स्वयं को निकटतम केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय के साथ पंजीकृत करवाने की अनुमति दी गई है ताकि वे केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के जरिए अस्पतालीकरण/अंतरंग उपचार का लाभ उठा सकें और चिकित्सा खर्च का दावा कर सकें।

स्वशासी पर्वतीय जिलों के कुछ समुदायों के प्रस्ताव

977. डा० जयन्त रंगपी : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कर्बी अगंलौंग और उत्तरी काछार पहाड़ियों के स्वशासी पर्वतीय जिलों में रहने वाले कुछ समुदायों को अनुसूची में शामिल करने के संबंध में असम स्वशासी परिषद से राय मांगी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है,

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं,

(घ) क्या असम के संबंध में भी अनुसूचित जनजाति आदेश अधिनियम में संशोधन के किसी प्रस्ताव पर विचार करने से पहले विचार आमंत्रित किए जाएंगे, और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) जी, हां।

(ख) असम के अनुसूचित जनजातियों की सूची कुछ समुदायों को सूचीबद्ध करने के मुद्दे पर आटोनॉमस स्टेट डिमांड कमेटी, कारबी स्टूडेंटस एसोसिएशन, दिमता स्टूडेंट्स यू यूनियन, कार्बी निमसो चिंगथुगंधुर असोंग तथा दिमसा वीमेन सोसायटी ने अपने दिनांक 12 मई, 1998 के ज्ञापन में सरकार से अनुरोध किया है कि उन्हें काबरी अंगलौग आटोनामस कोउंसिल उत्तरी कचर हिल्स आटोनामक काउंसिल तथा असम के पर्वतीय क्षेत्र के विधायको और संसद सदस्यों के साथ विचार-विमर्श करना चाहिए।

(ग) प्रश्न नहीं उठते।

(घ) से (ङ) यह प्रस्ताव अपनी टिप्पणी देने हेतु असम सरकार को भेजा गया है।

आंध्र प्रदेश में एड्स के मामलों में वृद्धि

978. श्री आर० साम्बासिवा राव : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आंध्र प्रदेश में एड्स के मामलों में वृद्धि हो रही है;

(ख) क्या पिछले पांच वर्षो के दौरान आंध्र प्रदेश में एड्स के 7,585 मामले पाए गए थे;

(ग) क्या चिकित्सा केन्द्र और अनुसंधान फाउन्डेशन ने एक अध्ययन किया था जिससे यह पता चला है कि सुरक्षित यौन संबंधों के बारे में जागरूकता के अभाव के कारण एच० आई० वी० संवाहकों की संख्या बढ़ रही थी;

(घ) क्या विशाखापत्तनम, श्रीकाकुलम और पूर्वी गोदावरी जिलों और उड़ीसा के कुछ भागों में ऐसे मामलों की संख्या अधिक थी;

(ङ) क्या केन्द्र सरकार द्वारा उत्तरी आंध्र प्रदेश में और देश के अन्य भागों में एड्स के मामलों को रोकने के लिए राज्य सरकारों की सहायता करने और इस संबंध में अनुमान लगाने के लिए कोई ठोस उपाय किए जा रहे हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री दलित एझिलमलाई) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं। आंध्र प्रदेश में सूचित किए गए एड्स के रोगियों की संख्या 52 और सीरा पाजिटिव रोगियों की संख्या 4252 है।

(ग) सरकार को ऐसे किसी अध्ययन की जानकारी नहीं है, लेकिन राज्य एड्स सैल द्वारा किए गए मूल्यांकन अध्ययनों से पता चलता है कि 57 प्रतिशत आम जनता को एड्स की जानकारी है। 80 प्रतिशत देह का व्यापार करने वाले कार्यकर्ताओं, 87 प्रतिशत ट्रक ड्राइवरों और 85 प्रतिशत रक्तदाताओं को एड्स की जानकारी है।

(घ) एड्स रोगियो की घटना पूर्वी गोदावरी में 2, श्रीकाकुलम में 1 है और पश्चिमी गोदावरी और विशाखापत्तनम से एड्स का कोई रोगी सूचित नहीं किया गया है।

(ङ) और (च) भारत में एच० आई० वी०/एड्स के फैलने को रोकने और नियंत्रित करने के लिए इस समय देश भर में एक व्यापक कार्यक्रम एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना के रूप में कार्यान्वित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम की कार्यनीतियों में (1) केन्द्रीय और राज्य स्तर पर कार्यक्रम प्रबंध क्षमताओं का सुदृढ़ीकरण; (2) अधिक जोखिम का आचरण करने वाले समूहों और आम जनता के बीच एच० आई० वी०/एड्स के बारे में जागरूकता पैदा करना; (3) यौन संचारित रोगों का नियंत्रण; (4) रक्त निरापदता और रक्त का विवेकपूर्ण इस्तेमाल सुनिश्चित करना; (5) निगरानी और निदान को सुदृढ़ करना; और (6) एच० आई० वी०/एड्स रोगियों का क्लिनिकल उपचार शामिल है।

क्षयरोग के मामलों में वृद्धि

979. श्री सी० डी० गामीत : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भारत उन देशों में से एक होगा जो क्षयरोग के उपचार के लिए निश्चित विधि डाट्स (डायरेक्टली आब्जर्व्ड ट्रीटमेंट शार्ट कोर्स) जिसकी उपचार दर 85 से 90 प्रतिशत तक है के सार्वभौम कार्यान्वियन को विश्व स्वास्थ्य संगठन को 2000 ईसवी तक की समयावधि के निर्धारित लक्ष्य को पूरा नहीं कर सकेगा;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत में क्षयरोग के मामलों की संख्या 140 लाख है और इस बीमारी से प्रति मिनट एक भारतीय की मौत होती है;

(ग) क्या यह सत्य है कि एड्स एक व्यवहार से संबंधित बीमारी

है इसके जोखिम कारकों की पहचान कर दी गई है। तथा व्यवहार में परिवर्तन के माध्यम से इसका निवारण संभव बन गया है जबकि क्षय रोग किसी को नहीं छोड़ता क्योंकि यह वायु के माध्यम से फैलता है; और

(घ) यदि हां, तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई): (क) और (ख) जी, हां।

(ग) और (घ) जी, हां। यह सही है कि एड्स और क्षयरोग में खतरों के कारणों की पहचान की गई है और निवारण संभव है। लेकिन क्षयरोग अधिक संक्रामक है क्योंकि यह वायु वाहित संचरण से फेलता है।

देश में कम से कम 85 प्रतिशत रोग मुक्तिदर हासिल करने के लिए एक संसोधित क्षयरोग नियंत्रण कार्यनीति शुरू की गई है जिससे संक्रमण की व्याप्तता में कमी आनी चाहिए।

[हिन्दी]

"इफको" उर्वरक संयंत्र

980. **श्रीमती सूर्याकांता पाटील** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात में गांधीधाम-कांडला स्थित "इफको" उर्वरक संयंत्र ने अपनी बढ़ी हुई उत्पादन क्षमता से उत्पादन आरम्भ कर दिया है यदि हां, तो यह उत्पादन कब से शुरू हुआ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संयंत्र को स्थापित करते समय जिन लोगों की भूमि का अधिग्रहण किया गया था उन्हें रोजगार उपलब्ध करवाया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार को इस संबंध में प्राप्त हुए अभ्यावेदनों का ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ ए॰ के॰ पटेल): (क) से (ङ) फास्फेट पोषक की प्रतिवर्ष 2.11 लाख टन की क्षमता वृद्धि के लिए इफको की काण्डला चरण-।। परियोजना अक्तूबर, 1999 में पूरी होनी निर्धारित है। इस संयंत्र की स्थापना के लिए काण्डला पोर्ट ट्रस्ट द्वारा इफको को भूमि पट्टे पर देनी थी। इस प्रकार, भूमि खोने वालों को रोजगार देने का प्रश्न ही नहीं उठता। इस संबंध में सरकार को कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुए हैं।

भोपाल गैस त्रासदी से हुई मौतों के मामले

981. **श्री सुशील चंद्र वर्मा** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भोपाल गैस त्रासदी में हुई मौतों के संबंध में न्यायालयों में कुल कितने मामले दायर किए गए हैं,

(ख) उनमें से अब तक कितने मामलों का निपटान कर दिया गया तथा कितने मामले अभी भी विचाराधीन हैं,

(ग) मौतों के कुल कितने मामले अस्वीकृत किए गए और आवेदकों को कोई मुआवजा नहीं दिया गया, और

(घ) मौतों के कुल कितने मामलों में मुआवजा स्वीकृत किया गया और इनमें से प्रत्येक आवेदक को औसतन कितनी धनराशि अदा की गई है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ ए॰ के॰ पटेल): (क) 1985 से 1989 के दौरान 15,310 मृत्यु दावा संबंधी मामले दायर किए गए थे।

(ख) और (ग) 30.4.1998 को स्थिति निम्न प्रकार है:

निपटाए गए	15,222
लम्बित	88
निरस्त	3,750

(घ) 11,472 मामले जिनमें मुआवजा दिया गया है 5097 मामले मृत्यु संबंधी मामले पाए गए थे जिसमें मुआवजा की निम्नलिखित राशि प्रदान की गई है:-

(1) 3 लाख से अधिक दिए गए मुआवजे	19
(2) 2 लाख से अधिक दिए गए मुआवजे	76
(3) 1 लाख से अधिक दिए गए मुआवजे	5002
	5097

शेष 6,375 मामले मृत्यु संबंधी मामले प्रमाणित नहीं हुए और व्यक्तिगत चोट - 01 के अधीन एवार्ड दिया गया था।

(स्त्रोत : कल्याण आयुक्त, भोपाल गैस पीड़ित, भोपाल का कार्यालय)

[अनुवाद]

चीनी मिलें

982. **श्री चिरंजीव बिस्वाल** : क्या खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में राज्य-वार कितनी चीनी मिलें हैं;

(ख) वे कहां-कहां हैं और उनका वार्षिक कारोबार क्या है;

(ग) उनमें से कितनी चीनी मिलें सहकारिता के आधार पर लगायी गई हैं;

(घ) क्या वर्ष 1998-99 के दौरान सरकार का कोऑपरेटिव चीनी मिलें लगाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां; तो स्थान-वार वे राज्य कौन-कौन से हैं जहां कोऑपरेटिव चीनी मिलें लगाने का प्रस्ताव है?

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल सिंह यादव) : (क) देश में संस्थापित चीनी मिलों की राज्यवार संख्या दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ख) इस संबंध में सूचना एकत्र की जा रही है।

(ग) 31.3.98 की स्थिति के अनुसार 258 संस्थापित चीनी मिलें सहकारी क्षेत्र में थी।

(घ) और (ङ) केन्द्र सरकार देश के किसी भी भाग में चीनी मिलें स्थापित नहीं करती हैं। तथापि, यह नई चीनी मिलें स्थापित करने के लिए आशय पत्र/औद्योगिक लाइसेंस प्रदान करती है।

चीनी वर्ष 1997-98 (अक्तूबर-सितम्बर) के दौरान 31.3.98 की स्थिति के अनुसार देश में सहकारी क्षेत्र में नई चीनी मिलें स्थापित करने के लिए उद्योग मंत्रालय ने 4 आशय पत्र जारी किये हैं, जिनका ब्यौरा निम्नवत् है:-

क्र. सं.	राज्य	प्रस्तावित स्थान	आशय पत्र जारी करने की तिथि
1.	गुजरात	स्थान तह॰-वनसाड जिला॰-वलसाड	21.10.97
2.	मध्य-प्रदेश	1. नारायणपुरा, तह॰ रागोगढ़, जिला-गुना	5.12.97
		2. स्थान तह॰-कुरुड, जिला-रायपुर	5.12.97
3.	बिहार	चोरपा, पकरीदयाल, जिला-ईस्ट चम्पारण	30.12.97

विवरण

देश में संस्थापित चीनी मिलों की राज्यवार संख्या दर्शाने वाला विवरण (31.03.98 की स्थिति के अनुसार)

क्र०सं०	राज्य	संस्थापित चीनी मिलों की संख्या
1.	पंजाब	22
2.	हरियाणा	13
3.	राजस्थान	3
4.	उत्तर प्रदेश	122
5.	मध्य प्रदेश	9
6.	गुजरात	20
7.	महाराष्ट्र	120
8.	बिहार	28
9.	असम	3
10.	उड़ीसा	8
11.	पश्चिम बंगाल	2
12.	नागालैंड	1
13.	आन्ध्र प्रदेश	41
14.	कर्नाटक	32
15.	तमिलनाडु	35
16.	पांडिचेरी	2
17.	केरल	2
18.	गोवा	1
	कुल	464

अनुच्छेद 356

983. श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार राज्य सरकारों के खिलाफ संविधान की धारा 356 लगाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिया जायेगा;

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क)जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

भविष्य निधि के लम्बित मामले

984. श्री चमन लाल गुप्त : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के विभिन्न भागों में स्थित न्यायाधिकरणों में भविष्य निधि से सम्बन्धित मामलों की राज्य-वार संख्या क्या है,

(ख) इन मामलों को तीव्र गति से निपटाने के लिए सरकार द्वारा कौन से कदम उठाए गए हैं?

श्रम मंत्री (डा॰ सत्यनारायण जटिया) : (क) और (ख) फिलहाल केवल एक कर्मचारी भविष्य निधि अपीलीय न्यायाधिकरण है, जो दिल्ली में 1.7.1997 से स्थापित है। न्यायाधिकरण में लम्बित मामलों की संख्या (राज्यवार) को दर्शाने वाली सूचना संलग्न विवरण में दी गई है। मामलों के निपटान की प्रक्रिया को तेज करने के लिए न्यायाधिकरण नियमित सुनवाईयों के अलावा देश के विभिन्न भागों में सुनवाई कैंप का भी आयोजन कर रहा है।

विवरण

30.4.1998 की स्थिती के अनुसार

क्र.सं.	राज्य/क्षेत्र	न्यायाधिकरण में लंबित भविष्य निधि मामलों की संख्या
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	29
2.	बिहार	15
3.	दिल्ली	03
4.	गुजरात	30
5.	हरियाणा	04
6.	कर्नाटक	02
7.	केरल	40
8.	मध्य प्रदेश	06
9.	महाराष्ट्र	12
10.	पूर्वोत्तर क्षेत्र	00

1	2	3
11.	उड़ीसा	06
12.	पंजाब	30
13.	राजस्थान	20
14.	तमिलनाडु	60
15.	उत्तर प्रदेश	11
16.	पश्चिम बंगाल	01
	कुल	269

[हिन्दी]

चीनी का उत्पादन/खपत

985. श्री रवीन्द्र कुमार पांडेय :
श्रीमती जयन्ती पटनायक :
श्री संदीपान थोरात :

क्या **खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में पिछले तीन वर्षों के दौरान आज तक प्रत्येक वर्ष चीनी का कितना उत्पादन/खपत हुई;

(ख) क्या देश में इस समय चीनी की कमी है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार ने देश में चीनी का उत्पादन बढ़ाने और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए चीनी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्य पाल सिंह यादव) : (क) पिछले तीन चीनी मौसमों तथा चालू चीनी मौसम 1997-98 के दौरान देश में चीनी का उत्पादन/खपत निम्नवत् है:-

चीनी मौसम (अक्तूबर-सितम्बर)	उत्पादन	घरेलू खपत (लाख टन में)
1994-95	146.43	119.74•
1995-96	164.89	131.72•
1996-97	129.05	137.92•
1997-98 (30.4.98 तक)	121.45	79.76

•खुले सामान्य लाइसेंस के अधीन निजी पार्टियों द्वारा आयातित चीनी को छोड़कर।

(ख) और (ग) 1997-98 मौसम में चीनी का उत्पादन उस अवधि में चीनी की आवश्यकता से कुछ कम है। तथापि, मौसम के आरम्भ में उपलब्ध स्टाक को आगे लाने से इस चीनी मौसम में चीनी की कुल उपलब्धता पर्याप्त है।

(घ) देश में चीनी के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न दीर्घकालीन एवं अल्पकालीन कदम उठाए गए हैं, जो निम्नवत् हैं:-

(1) 1.10.97 से 15.11.97 तक की अवधि में उत्पादन के लिए सांविधिक लेवी से आंशिक छूट देकर शीघ्र पेराई के लिए प्रोत्साहन देना।

(2) 2.5.98 से 31.7.98 तक की अवधि में उत्पादन के लिए सांविधिक लेवी से आंशिक छूट देकर विलम्ब से पेराई के लिए प्रोत्साहन देना।

(3) गन्ने की बेहतर खेती के लिए आदान खरीदने के लिए चीनी विकास निधि से कम ब्याज पर अल्पकालीन ऋण प्रदान करना।

(4) गन्ना विकास तथा मौजूदा चीनी मिलों के आधुनिकीकरण/विस्तार से संबंधित परियोजनाओं के लिए चीनी विकास निधि से कम ब्याज पर ऋण प्रदान करना।

(5) चीनी के उत्पादन के लिए नई क्षमता की स्थिति स्थापना हेतु सांविधिक लेवी से श्रेणीकृत छूट देना।

(6) ऐसी अवधि के दौरान, जिसमें स्टॉक असामान्य रूप से अधिक होता है, चीनी मिलों को चीनी विकास निधि से बफर स्टॉक रखने के लिए सब्सिडि मुहैया करना।

उत्तर प्रदेश में कुछ और शराब कारखाने स्थापित करना

986. श्री हरिकेवल प्रसाद : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर प्रदेश में शीरे की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए सरकार का राज्य में शराब के और कारखाने स्थापित करने का विचार है, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ये कारखाने किन-किन स्थानों पर स्थापित किए जाएंगे?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० ए०के० पटेल): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

आतंकवादी गतिविधियां

987. श्री के० सी० कोंडय्या : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का भारत म्यांमार सीमा पर आतंकवादी-गतिविधियां रोकने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने हाल के महीनों में उक्त देश से सरकारी स्तर पर इस मामले में कोई बातचीत की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) आतंकवादी-गतिविधियों को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए/प्रस्तावित-क्षेत्र;

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) से (घ) रिपोर्टों से पता चलता है कि म्यांमार में ऐसे शिविर है जिसका प्रयोग पूर्वोत्तर के विद्रोही, ग्रुपों द्वारा सुरक्षित आश्रय, शरणस्थलों और प्रशिक्षण उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है। भारत-म्यांमार सीमा के लम्बित पड़े विवादों को सुझाने के लिए, भारत और म्यांमार के सिविलियन सीमा प्राधिकारियों के बीच सहयोग पद 21 जनवरी, 1994 को एक समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए थे। हाल ही में हुई गृह सचिव स्तर की द्विपक्षीय वार्ता में दोनों पक्षों ने, उनकी भूमि से दूसरे के खिलाफ कार्य कर रहे विद्रोहियों और अन्य नकारात्मक तत्वों के खिलाफ सतत कारवाई करने की आवश्यक्रता पर जोर दिया। दोनों पक्षों ने यह दुहराया कि वे अपनी भूमि का प्रयोग एक-दूसरे के खिलाफ गतिविधियां चलाने के लिए नहीं करने देंगे। म्यांमार पक्ष वर्तमान सम्पर्कों और स्थानीय स्तर पर संचार सम्पर्क को बढ़ाने पर सहमत हो गया है, ताकि विद्रोहियों, शस्त्रों का अवैध व्यापार करने वालों और अन्य नकारात्मक तत्त्वों के खिलाफ कारवाई की जा सके।

पुरुलिया में हथियार गिराए जाने संबंधी मामला

988. श्री अमर राय प्रधान : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंटरपोल टास्क फोर्स ने दिसम्बर, 1995 को पुरुलिया में हथियार गिराए जाने संबंधी मामले की जांच का काम हाथ में लिया हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इंटरपोल इस मामले को जांच के लिए ताईवान सहित भिन्न-भिन्न देशों में भारतीय जांचकर्ताओं को जाने की अनुमति देगा;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इंटरपोल भारतीय जांचकर्ताओं को सभी व्यावहारिक सहायता प्रदान करेगा; और

(च) यदि हां, तो किस प्रकार की सहायता उपलब्ध कराए जाने की संभावना है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) और (ख) जी हां, श्रीमान्। इंटरपोल मुख्यालय की अनालोटोकल क्रिमिनल इंटेलीजेंस यूनिट ने पुरुलिया आर्म्स ड्रोपिंग केस नामत: "प्रोजेक्ट पुरुलिया" के लिए एक अध्ययन शुरू किया है- "प्रोजेक्ट पुरुलिया" की टास्क फोर्स, अभियुक्तों के बारे में अपेक्षित सूचना प्रस्तुत करने में केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सहायता प्रदान कर रही है और अन्य देशों के साथ समन्वय स्थापित कर रही है।

(ग) और (घ) किसी देश विशेष के नियमों के अनुसार, उस देश का सक्षम प्राधिकारी, यह निर्णय करेगा कि क्या सहायता दी जानी है या नहीं। इंटरपोल सहायता देने के लिए किसी को बाध्य नहीं कर सकता है। जिस देश से अनुरोध किया गया है वह जांच कार्य में मदद करने के लिए केन्द्रीय जांच ब्यूरो के अधिकारियों को दौरा करने की इजाजत दे सकता है। यदि आवश्यक हो, तो मामले में उन्हें सहायता देने के लिए वे भारत से केन्द्रीय जांच ब्यूरो के अधिकारियों को बुला सकते हैं।

(ङ) और (च) इंटरपोल द्वारा जांचकर्ताओं को दी जानी वाली सहायता केवल कुछ सूचना दिए जाने तक ही सीमित हैं। इंटरपोल द्वारा दी गयी सूचना केन्द्रीय जांच ब्यूरो के जांच अधिकारियों द्वारा अनुरोध पत्र इत्यादि भेजने में सहायक होती है।

आयुर्वेदिक और होम्योपैथी उपचार

989. श्री जी० गंगा रेड्डी : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का देश में आयुर्वेदिक और होमियोपैथी उपचार को लोकप्रिय बनाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस उद्देश्य से प्रत्येक राज्य में अपनाई जाने वाली रणनीति का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) जी, हां।

(ख) विवरण-1 संलग्न है।

(ग) भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी के विकास और उन्नयन हेतु नवीं पंचवर्षीय योजनावधि के लिए प्रस्ताव तैयार करने हेतु योजना आयोग द्वारा एक कार्यदल गठित किया गया था। कार्यदल ने शिक्षा के मानकों, औषध का मानकीकरण और गुणवत्ता नियंत्रण, कच्ची सामग्री की उपलब्धता में वृद्धि करना, अनुसंधान और विकास, राष्ट्रीय स्वास्थ्य परिचर्या प्रदानगी में भागीदारी जैसे उपाय किए जाने वाले क्षेत्रों का पता लगाया। 8 से 10 जनवरी, 1997 को आयोजित केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के पांचवें सम्मेलन और दिनांक 18.2.1997 को आयोजित भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी का कार्य देखने वाले स्वास्थ्य मंत्रियों के पहले सम्मेलन में इन जोर दिए जाने वाले क्षेत्रों के इर्द-गिर्द कार्यान्वयन के लिए कुछ संकल्प पारित किए गए। विभाग के नवीं पंचवर्षीय योजना प्रस्ताव इन संकल्पों को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं। पारित किए गए संकल्पों की एक प्रति विवरण-2 के रूप में संलग्न है।

विवरण-I

(ख) देश में योग और प्राकृतिक चिकित्सा सहित भारतीय चिकित्सा पद्धतियों और होम्योपैथी के विकास और उन्नयन के लिए सरकार ने आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान मार्च, 1995 में भारतीय चिकित्सा पद्धतियों और होम्योपैथी के एक स्वतंत्र नए विभाग की स्थापना की। आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कुछ केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं कार्यान्वित की गई। वे इस प्रकार हैं:-

1. भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी के स्नातकपूर्व कालेजों में सुधार करने और उन्हें सुदृढ़ बनाने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना,
2. स्नातकोत्तर प्रशिक्षण के लिए होम्योपैथी कालेजों में विभागों के संवर्धन के लिए वित्तीय सहायता,
3. भारतीय चिकित्सा पद्धतियों में स्नातकोत्तर प्रशिक्षण और अनुसंधान में विभागों के संवर्धन के लिए वित्तीय सहायता,

4. औषधीय पादपों के विकास और खेती करने की केन्द्रीय योजना को जारी रखा गया।

5. अध्यापकों, व्यवसायियों, अनुसंधानकर्ताओं को उनके ज्ञान को अद्यतन बनाने हेतु पुनराभिविन्यास प्रशिक्षण के लिए वित्तीय सहायता,

6. भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी में प्रमुख संस्थानों जैसे राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान, कलकत्ता, राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान, बंगलौर, राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान, पुणे राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ, दिल्ली, आयुर्वेद स्नातकोत्तर प्रशिक्षण और अनुसंधान, जामनगर की स्थापना का सुदृढ़ीकरण,

7. भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी में अनुसंधान कार्य में विभिन्न केन्द्रीय आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी, होम्योपैथी, योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषदों के जरिए सहायता की गई, और

8. अपनी-अपनी पद्धतियों की औषधों के भेषज संहिता मानक विकसित करने और औषधों के मानकीकरण तथा गाजियाबाद स्थित भारतीय चिकित्सा भेषज संहिता प्रयोगशाला और होम्योपैथी भेषज संहिता प्रयोगशाला के जरिए औशधों की जांच करने हेतु आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और होम्योपैथी भेषज संहिता समितियों को जारी रखना।

विवरण-II

केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण परिषद के पांचवे सम्मेलन में पारित किए गए संकल्प

कार्यसमूह 5

भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी

भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी से संबंधित केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण परिषद का पांचवा सम्मेलन 8 से 10 जनवरी, 1996 तक की पार्थो डे, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, पश्चिम बंगाल की अध्यक्षता और डा० हर्षवर्धन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार की सह अध्यक्षता में हुई जिसने केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण परिषद को संकल्प के रूप में पारित करने के लिए निम्नलिखित सिफारिशें की:-

(क) भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी में शिक्षा एवं प्रशिक्षण से संबंधित मुद्दे।

1. केंद्रीय चिकित्सा परिषद और केंद्रीय होम्योपैथी परिषद द्वारा बनाए गए न्यूनतम मानकों में यौक्तिकरण और तत्पश्चात् देश की सभी शिक्षण संस्थाओं में कड़ाई से लागू करना अपेक्षित है।

2. घटिया स्तर के भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी कालेजों की संख्या में हो रही अंधाधुंध वृद्धि को रोकने के लिए भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद और केंद्रीय होम्योपैथी परिषद अधिनियमों में संशोधन करने की आवश्यकता है। एक कालेज की स्थापना के लिए आवेदन करने की स्टेज से लेकर मान्यता एवं अर्हता के स्टेज तक की अवधि के लिए गैर-अनुपालन के लिए दंड के साथ दिशा-निर्देश जारी किए जाने की आवश्यकता है। भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद/केंद्रीय होम्योपैथी परिषद और संबंधित विश्वविद्यालय के पूर्व अनुमोदन के अतिरिक्त नये कालेज की प्रोजेक्ट रिपोर्ट भारत सरकार द्वारा भी अनुमोदित की जानी चाहिए।

3. आयुर्वेद, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथी और योग कालेजों के लिए दाखिला परीक्षाएं/प्रवेश परीक्षाएं अलग-अलग आयोजित की जानी चाहिए। इससे इन पद्धतियों में रुचि वाले उम्मीदवारों का चयन करने में सहायता मिलेगी। राज्य सरकारें जो मेरिट आधार पर छात्रों को दाखिला दे रही हैं, मौजूदा प्रक्रिया को जारी रख सकती हैं।

4. आयुर्वेद/यूनानी/सिद्ध/होम्योपैथी कालेजों में स्नातक पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए न्यूनतम अर्हता विज्ञान (जीवविज्ञान ग्रुप) सहित 10+2 होनी चाहिए। अन्य प्रावधानों को हटा दिया जाना चाहिए। आयुर्वेद के लिए संस्कृत, यूनानी के लिए उर्दू या फारसी या हिन्दी और सिद्ध के लिए तमिल पढ़ाने के प्रावधानों को 4-5 वर्षीय मुख्य पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए।

5. भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद और केंद्रीय होम्योपैथी परिषद के मानकों को पूरा करने के लिए अधिक संसाधन आबंटित करके भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी के मौजूदा स्नातक एवं स्नातकोत्तर कालेजों का सुदृढ़ीकरण किया जाए।

6. राज्य और केंद्रीय सरकार द्वारा व्यापक तौर पर सेवारत/अर्ध-सरकारी अध्यापकों, चिकित्सकों और निजी व्यवसायियों के लिए पुर्नअभिविन्यास, प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए। अध्यापकों के लिए नियमित अवधि पद पुर्नअभिविन्यास प्रशिक्षण प्राप्त करना जरुरी किया जाना चाहिए।

7. राज्य/केंद्रीय सरकार को फार्मेसी और नर्सिंग में डिग्री स्तर के अलग कालेज खोलने चाहिए। फार्मेसी में डिप्लोमा भी शुरू किया जाना चाहिए। पुजीकरण के लिए भारतीय फार्मेसी परिषद और भारतीय नर्सिंग परिषद की संबद्धता भी ली जानी चाहिए अन्यथा पंजीकरण के लिए वैकल्पिक प्रबंध किया जाना चाहिए।

8. राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर, राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान, कलकत्ता, स्नातकोत्तर प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, गुजरात आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जामनगर, आयुर्वेद संकाय, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, यूनानी संकाय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और हमदर्द यूनानी संकाय जैसे राष्ट्रीय संस्थाओं को देश में शीर्षस्थ शिक्षण संस्थाओं के रूप में सुदृढ़ किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान, बंगलौर, राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान, पुणे को भी सुदृढ़ किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय सिद्ध संस्थान, चेन्नई और राष्ट्रीय योग संस्थान, दिल्ली की स्थापना नौवीं योजना में की जानी चाहिए।

9. राज्य सरकारों में भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी

के अध्यापन संवर्ग का राज्य सरकारों में भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी के चिकित्सकों के सामान्य कैडर से अलग किया जाना चाहिए।

10. प्रतिभावान व्यक्तियों को आकर्षित करने के लिए भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी कालेजों के अध्यापकों के लिए वेतनमान/प्रोन्नति के अवसर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पैटर्न के अनुसार होने चाहिए।

(ख) भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी में अनुसंधान और विकास

1. प्रत्येक राज्य में पर्याप्त स्टाफ एवं संसाधनों के साथ कम से कम एक बड़ा संस्थान बनाने के लिए छोटी यूनिटों को मिलाकर सी सी आर ए एस, सी सी आर यू एम और सी सी आर एच जैसी केंद्रीय अनुसंधान परिषदों की पुनर्सरंचना और पुनर्गठन की आवश्यकता है।

2. अनुसंधान परिषदों द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण कार्यक्रमों पर अनुसंधान व विकास को तत्काल आवश्यकता है।

3. अनुसंधान परिषदों/भारतीय चिकित्सा परिषद् एवं होम्योपैथी विभाग से एकस्ट्रा-म्यूरल परियोजनाओं के माध्यम से अनुसंधान एवं विकास में विश्वविद्यालयों, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के अनुसंधान संगठनों की सहयोग लिए जाने की आवश्यकता है!

4. अनुसंधान के क्षेत्रों में से कुछ क्षेत्र ये हो सकते हैं:-

(क) औषध प्रमाणन (क्लोनिकल सत्यापनों और चिकित्सीय इस्तेमाल के भेषजगुण विज्ञानी आधार सहित)

(ख) औषध मानकीकरण/भेषज-संहिता मानक

(ग) विभिन्न राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों से संबंधित अनुसंधान

(घ) उन रोगों पर कार्य जिनके लिए आधुनिक चिकित्सा में कोई उपचार नहीं है।

(ङ) विभिन्न महामारियों में भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी की निवारक एवं उपचारात्मक भूमिका।

(च) उन्नायक स्वास्थ्य एवं निवारक और सामाजिक चिकित्सा से संबंधित अनुसंधान कार्य।

(छ) भारतीय चिकित्सा पद्धति में विरल पुस्तकों का साहित्यक अनुसंधान/अनुवाद और प्रकासन।

(ज) लोक/जन जातीय सामुदायोन्मुख चिकित्सीय पादपों आदि पर अनुसंधान कार्य।

(झ) चिकित्सीय पादपों की एग्रोनोमी/एग्रो तकनीक।

(ञ) चिकित्सीय पादपों का फार्माकोग्लोसो/फाईटो-रसायन।

(ट) अच्छे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, व्यक्तित्त्व विकास आदि के रख रखाव पर अनुसंधान।

(ग) औषधों के मानकीकरण और गुणवत्ता नियंत्रण से संबंधित मुद्दे।

1. भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी के लिए भेषजसंहिता मानकों के विकास की आवश्यकता है। इस कार्य के लिए परियोजना के आधार पर सार्वजनिक क्षेत्र की अनुसंधान संस्थाओं को जोड़ा जाना चाहिए। इस कार्य को पूरा करने के लिए नौवीं योजना अवधि में ही प्रयास किए जाने चाहिए।

2. पर्याप्त निधियां प्रदान करके भारतीय चिकित्सा भेषजसंहिता प्रयोगशाला पद्धति एवं होम्योपैथी भेषजसंहिता प्रयोगशाला गाजियाबाद का सुदृढ़ीकरण किया जाना चाहिए।

3. राज्य सरकारों को अपनी स्वयं को औषध जांच प्रयोगशालायें विकसित करनी चाहिए।

4. आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और होम्योपैथी औषधों में उत्पादन को गुणवत्ता नियंत्रण को बनाये रखने के लिए राज्य सरकारों को इन चिकित्सा पद्धतियों में अर्हता व प्रशिक्षण वाले और अधिक औषध निरीक्षकों को नियुक्त करना चाहिए।

5. भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी विभाग में औषध नियंत्रण कक्ष को सुदृढ़ किया जाना चाहिए।

6. भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी औषधों पर एक राष्ट्रीय नीति बनाए जाने की आवश्यकता है।

7. विभाग ''ऐगमार्क'' के पैटर्न पर एक योजना शुरू करने पर विचार कर सकता है। ''आयुष'' पर इस उद्देश्य के लिए विचार किया जा सकता है। केवल वे उत्पाद जिनका विनिर्माण सरकारी भेष्जसंहिता और फार्मलरोज में दिये गये तथा विहित मानकों के अनुसार किया जाता है उन्हें ''आयुष'' का उपयोग करने की अनुमति दी गई है। भारत सरकार, भारतीय चिकित्सा पद्धति विभाग और राज्य सरकार के वर्तमान स्टाफ को भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी औषधों को न्यूनतम मानकों को सुनिश्चित करने हेतु निरीक्षण करने का अधिकार दिया जाना चाहिए।

(घ) भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी औषधों द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली सामग्री जन्तु उत्पत्ति की कच्ची सामग्री की बढ़ती उपलब्धता

(क) भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी उत्पादों में प्रयुक्त कच्ची सामग्री पर एक राष्ट्रीय नीति का प्रतिपादन।

(ख) भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी उत्पादों में प्रयुक्त विभिन्न पादपों की कृषि तकनीकों का विकास।

(ग) समुद्री और जन्तु उत्पादों, खनिजों और धातुओं की बढ़ती हुई सप्लाई।

(घ) विभिन्न एग्रो क्लाइमेटिक क्षेत्रों में चिकित्सा पादप बागानों की स्थापना।

(ङ) निरावृत जंगलों और अन्य क्षेत्रों में कुछ सौ एकड़ के बड़े क्षेत्रों के ''वनस्पति वनों'' की स्थापना।

(च) भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी दवाओं में प्रयुक्त औषधीय पादपों के जर्म प्लाज्म बैंकों की स्थापना।

(छ) सामान्य लोगों तथा किसानों में औषधीय पादपों के प्रयोगों और खेती करनें की तकनीकों के विषय में प्रचार और प्रसार।

सभी राज्य सरकारों तथा केन्द्रीय सरकारी विभागों से इस उद्देश्य हेतु अधिक संसाधनों के आवंटित करके उपरोक्त कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु योजनाएं बनाने का अनुरोध किया जाता है।

(ङ) भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी के विभिन्न उन्नत कार्यक्रमों के द्वारा बेहतर स्वास्थ्य परिचर्या और "सबके लिए स्वास्थ्य" के लिए भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी पद्धतियों का प्रभावी इस्तेमाल दिनचर्या (दैनिक दिनचर्या), ऋतुचर्या (मौसमी व्यवहार) भोजन संबंधी आदतें, योग अभ्यास, सदवृत की संकल्पना जैसी स्वास्थ्य उन्नयन की भारतीय संकल्पनाओं का स्वास्थ्य उन्नयन और रोगों की रोकथाम के लिए लोगों में प्रचार प्रसार करने की आवश्यकता है। सभी राज्य सरकारों तथा केन्द्रीय सरकारों को इस उद्देश्य हेतु उचित योजनाएं/कार्यक्रम बनाकर इन संकल्पनाओं के प्रचार-प्रसार के लिए भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी के चिकित्साओं की सेवाओं का उपयोग करना चाहिए।

(च) राष्ट्रीय कार्यक्रम और उपचारात्मक चिकित्सा औषधें :

(i) भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी और इन पद्धतियों के छह लाख व्यवसायियों के प्रचुर ज्ञान का उपयोग करने की दृष्टि से सभी राष्ट्रीय स्वास्थ्य ओर परिवार कल्याण कार्यक्रमों में एक भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी घटक को अलग से रखने की आवश्यकता है। इन निधियों का उपयोग तथा भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी कार्मिकों को निष्पादित करने के लिए किया जाए।

(ii) हालांकि देश के ग्रामीण और अर्धसहरी क्षेत्रों में प्राइवेट और सरकारी औषधालयों का एक नेटवर्क मौजूद है फिर भी रेफरल अस्पतालों की कमी है।

राज्य/केन्द्रीय सरकार को भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी के लिए ब्लाक स्तर और जिला स्तर के रेफरल अस्पताल स्थापित करने चाहिए। उसी प्रकार राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर भी रेफरल अस्पताल स्थापित किये जाने चाहिए। इस अंतर को उत्तरवर्ती पंचवर्षीय योजनाओं में पूरा किये जाने की आवश्यकता है लेकिन नवीं योजना से इसकी बड़े रूप में शुरुआत की जानी चाहिए।

भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी के अस्पताल स्थापित करने में विश्वसनीयता वाले गैर सरकारी संगठनों प्राइवेट सेक्टर की इन पद्धतियों में विषेशता अस्पताल स्थापित करने के लिए सहायता भी की जानी चाहिए। राज्य सरकारों और केन्द्रीय सरकारों को कार्यक्रम गैर सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करते समय उनकी खोज-खबर रखनी चाहिए। इस अंतर को नवीं योजना से शुरू होनेवाली उत्तरवर्ती पंचवर्षीय योजनाओं में पूरा किये जाने की आवश्यकता है। इस कार्य में गैर-सरकारी संगठनों/प्राइवेट सेक्टर को भी शामिल किया जाए।

(iii) इस तथ्य के बारे में चिंता प्रकट की गई कि एलोपैथिक डाक्टर ग्रामीण प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में सेवा करने के इच्छुक नहीं हैं। परिणामस्वरूप संबंधित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र द्वारा कवर किया गया क्षेत्र स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित रहता है। एक प्रयोगात्मक उपाय के रूप में यह प्रस्ताव किया गया कि भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथिक डाक्टरों को पराचिकित्सीय स्टाफ और औषधों की खरीद के लिए पर्याप्त संसाधनों के साथ ऐसे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में तैनात किया जाए। यदि यह प्रयोग सफल हुआ तो इसे एक मानक पद्धति के रूप में अपनाया जा सकता है।

(iv) इस समय 242 एलोपैथिक और भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी के 74 केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय/यूनिटें हैं। केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के शेष 158 औषधालयों में भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी घटक के लिए अलग बजट प्रावधान रखा जाना चाहिए।

(v) रेलवे/डाक व तार विभागों में भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी औषधालय खोले जाने चाहिए। इसी प्रकार सेना/आर्मी/एयर फोर्स अस्पतालों में विशेषज्ञता क्लीनिक खोले जाने चाहिए।

(छ) भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी का बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार सेल

(i) कुछ पादप उत्पाद जैसे हल्दी पाउडर, नीम और ब्राह्मी के डेरिबेटिब्ज को अमेरिका में पेटेंट किया जा रहा है। पेटेंटों के लिए आवेदन करने का कार्य अति तकनीकी हैं। भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी के क्षेत्र में कार्यरत वैज्ञानिक इन क्रियाविधियों से परिचित नहीं हैं। इसलिए विभाग में एक पेटेंट सेल की स्थापना भी की जाए। जो इस संबंध में देश के धरोहर की देखभाल कर सके।

(ii) विभिन्न बाहरी देशों द्वारा शिक्षा, औषध-सामग्री और आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी योग होम्योपैथी और प्राकृतिक चिकित्सा आदि की तकनीकों के बारे में रुचि दिखाई गई है। अंतराष्ट्रीय आदान-प्रदान कार्यक्रमों को बढ़ावा देने, भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी औषधों तथा अन्य सामग्रियों के निर्यात में वृद्धि करने की आवश्यकता है।

(ज) भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी विकास के लिए निधियां।

(i) केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों द्वारा भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी पद्धति सेक्टर के लिए निधियों का पर्याप्त प्रवाह सुनिश्चित करने की

आवश्यकता है। योजना आयोग को भी उपयुक्त सामाजिक वचनबद्धताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन आवंटित करने चाहिए।

(झ) गैर सरकारी संगठनों और प्राइवेट क्षेत्र को भागीदार।

वित्तीय संकट को देखते हुए और निधियों के प्रवाह में वृद्धि करने तथा गैर सरकारी संगठनों/प्राइवेट सेक्टर में उपलब्ध विशेषज्ञता का समुपयोग करने के लिए भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी विभाग के सभी कार्यक्रमों को विशेष रूप से अनुसंधान और विकास के क्षेत्रों, निवारक और उन्नायक स्वास्थ्य में एक्सटेंशन सेवाओं, उपचारी चिकित्सा के क्षेत्र में इस क्षेत्र को प्रस्तुत नियमों/विनियमों के अनुसार प्राइवेट अस्पताल/शिक्षण संस्थाएं स्थापित करने और औषधिय पादपों आदि को खेती करने के लिए प्रोत्साहित करके उनके सहयोग को बढ़ावा दिया जाएगा।

(ञ) भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी के लिए प्रचार।

(1) परिषद् भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी के अधीन उपलब्ध उपचार आदि के बारे जन-जागरूकता में वृद्धि करने हेतु जन प्रचार माध्यमों का इस्तेमाल करने की आवश्यकता पर जोर देती है और यह संकल्प लेती है कि भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी के प्रचार के लिए केन्द्र सरकार/राज्य सरकारों के लिए अलग बजट प्रावधान होगा और निम्नलिखित उपाय किए जाएंगे:-

दूरदर्शन पर दिखाने के लिए आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और होम्योपैथी के अधीन उपलब्ध विभिन्न उपचारों पर लधु फिल्में, वृत्तचित्र, नारे और स्पॉट तैयार करना।

अलग-अलग व्यक्तियों के विकास के लिए एक पद्धति के रूप में योगा पर फिल्में तैयार करना जो अलग से विभिन्न प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, स्कूलों आदि को वितरित की जाएगी।

2. केन्द्रीय सरकार के अधीन विभिन्न अनुसंधान परिषदें उनके द्वारा अपने-अपने क्षेत्रों में किए गए अनुसंधान कार्य का विशिष्ट उल्लेख करने हेतु पाम्फलेट, पुस्तिकाएं और वृत्त चित्र तैयार करेंगी।

3. प्रसव-पूर्व तथा प्रसव के बाद बेहतर खान-पान आदतों को तथा नवजात शिशुओं को विभिन्न रोगों से बचाने के लिए सुरक्षित तथा आसान विधियों को लोकप्रिय बनाने के विशेष प्रयास किए जाएंगे।

4. संगोष्ठियो, कार्यशालाएं तथा विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य मेले आयोजित किए जाएंगे।

5. भारतीय चिकित्सा पद्धति तथा होम्योपैथी के बारे में सफल कहानियां प्रकाशित करना।

6. स्थानीय संजितरण के लिए स्थानीय भाषा में पोस्टर तैयार किए जाएं।

(ट) योग तथा प्राकृतिक चिकित्सा

योग के विज्ञान तथा प्राकृतिक चिकित्सा औषध रहित प्राकृतिक चिकित्सा को सार्वभौमिक मान्यता को देखते हुए केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद सिफारिश करती है कि भारतीय चिकित्सा पद्धति तथा होम्योपैथी विभाग के भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद अधिनियम, 1970 में संशोधन को व्यवहार्यता की जांच करनी चाहिए ताकि योग और प्राकृतिक चिकित्सा की पद्धति को इस अधिनियम को क्षेत्राधिकार में लाया जा सके।

(ठ) भारतीय चिकित्सा पद्धति तथा होम्योपैथी का अलग बजट तथा संगठनात्मक ढांचा

सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों भारतीय चिकित्सा पद्धति तथा होम्योपैथी के विकास के लिए अलग से बजट आबंटित करना चाहिए। जिन राज्यों में भारतीय चिकित्सा पद्धति तथा होम्योपैथी का कोई अलग विभाग नहीं है उन्हें भारतीय चिकित्सा पद्धति तथा होम्योपैथी निदेशालय स्थापित करने चाहिए तथा आवश्यक पदों पर तकनीकी कर्मचारियों को भर्ती करनी चाहिए।

हस्ता॰/-	हस्ता॰/-
अध्यक्ष	सह-अध्यक्ष
भारतीय चिकित्सा पद्धति तथा होम्योपैथी संबंधी कार्य समूह	भारतीय चिकित्सा पद्धति तथा होम्योपैथी संबंधी कार्य समूह

भा॰ चि॰ प॰ के राज्य स्वास्थ्य मंत्रियों के प्रथम सम्मेलन में अधीकृत संकल्प

कार्यकारिणी समूह-1

भा॰ चि॰ प॰ एवं होम्यो॰ में चिकित्सा शिक्षा

भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी की शिक्षा के संबंध में केंद्रीय होम्योपैथी परिषद् एवं परिवार कल्याण के दिनांक 8-10 जनवरी, 1997 के संकल्पों को कार्यान्वित करने की कार्य योजना संबंधी सिफारिशें

(अ) भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी में शिक्षण एवं प्रशिक्षण की कार्य योजना के संकल्प

1. शिक्षण के न्यूनतम मानक के संबंध में

(i) भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद् (सी॰ सी॰ आई॰ एम॰) तथा केंद्रीय होम्योपैथी परिषद् (सी॰ सी॰ एच॰) द्वारा स्नातक और स्नातकोत्तर शिक्षा के संबंध में न्यूनतम मानक प्रस्तुत करने (तैयार करने) के लिए परिषद् की विभिन्न उप-समितियों की कार्यशालाओं का आयोजन किया जाए ताकि उसे सारे देश में लागू किया जा सके। राज्य सरकारों की यह राय है कि भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद और केंद्रीय होम्योपैथी परिषद् द्वारा इस कार्य (गतिविधि) को तीन महीने में पूरा कर लेना चाहिए।

(ii) इन न्यूनतम मानकों को चरणबद्ध रुप से नये और पुराने कालेजों में लागू करने के लिए भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद् एवं केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद् को मार्गदर्शी सिद्धांत/कार्य की

योजना तैयार करनी चाहिए। यद्यपि छात्रों को प्रथम व्यावसायिक, द्वितीय व्यावसायिक तथा तृतीय व्यावसायिक में भर्ती करते हुए इसके समापन के लिए आवश्यक बाह्य अवसंरचना भी होनी चाहिए ताकि अन्तिम वर्ष के अंत में कालेज में न्यूनतम मानकों को प्राप्त किया जा सके।

(iii) मानकों के संबंध में भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद् केंद्रीय होम्योपैथी परिषद् से संस्तुतियां प्राप्त करने के पश्चात् भारत सरकार इसे दो माह के भीतर अधिसूचित कर देगी।

(iv) 9वीं पंचवर्षीय योजना अवधि में सभी सरकारी/गैर-सरकारी कालेजों में न्यूनतम मानकों को लागू करने के लिए राज्य सरकारें चरणबद्ध कार्य की योजना तैयार करें। विकास चरणबद्ध रूप से सरकारी/अर्थ-सरकारी या निजी निकायों में समान रूप से लागू होंगे जो प्रतिवर्ष मानकों के विकास की प्रगति रिपोर्ट राज्य सरकारों, भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद/केंद्रीय होम्योपैथी परिषद और भारत सरकार को प्रस्तुत करेंगे।

2. भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी के निम्न-स्तर के कालेजों की अंधाधुंध वृद्धि

(i) निम्न-स्तर के कालेजों की अंधाधुंध वृद्धि पर नियंत्रण करने के लिए भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद् और केंद्रीय होम्योपैथी परिषद् "मेडिकल काउंसेल ऑफ इंडिया" के अनुसार परिषद् अपने अधिनियम में संशोधन कर मसौदा प्रस्तुत करें। इन संशोधनों में इनका अनुपालन न करने वाले व्यक्ति और संस्थाओं के लिए दंड (जुर्माना) सम्मिलित होना चाहिए।

(ii) नए कालेज खोलने या वर्तमान कालेजों में छात्रों के प्रवेश की अनुमति देने के लिए राज्य सरकारों की पूर्व अनूमति, संबंधित विश्वविद्यालयं और भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद/केंद्रीय होम्योपैथी परिषद् की पूर्व अनुमति को अनिवार्य बनाया जाए। भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् और केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद् अधिनियम के संशोधनों में भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी के कालेजों में छात्रों के प्रवेश देने हेतु अनुमति को वापिस लेने के प्रावधान को भी सम्मिलित किया जाए।

(iii) भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद/केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद् से इसे प्राप्त करने के पश्चात भारत सरकार इस संशोधन को एक माह के भीतर अधिसूचित करेगी।

(iv) भारत सरकार, राज्य सरकारें, विश्वविद्यालय, बोर्ड, भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद/केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद् सभी समन्वय से कार्य करें और सुनिश्चित करें कि केवल उन्हीं नए कालेजों को चलने की अनुमति दी जाएगी जो न्यूनतम मानकों की आवश्यकताओं को पूरा करते हों।

(v) नए कालेजों को खोलने के लिए उचित मार्गदर्शी सिद्धांत बनाए जाएं जिसमें छात्रों को पहले वर्ष, दूसरे वर्ष, तीसरे वर्ष और चौथे वर्ष में प्रवेश देते हुए आवश्यकताओं को स्पष्ट कर दिया जाए। पहले वर्ष की आवश्यकताओं को पूरा करने तक दूसरे बैच के छात्रों को अनुमति न दी जाए। भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् मार्गदर्शी सिद्धांतों को 3 माह के भीतर बना लें। भारत सरकार द्वारा मार्गदर्शी सिद्धांतों के अधिसूचित होने तक किसी भी नए कालेज में छात्रों के प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाए।

3. आयुर्वेद यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी के कालेजों में अलग से प्रवेश परीक्षा

(i) आयुर्वेद, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथी, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा के कालेजों में दाखिला परीक्षा/प्रवेश परीक्षा अलग से आयोजित की जाए। इससे इस पद्धति में रुचि रखने वाले अभ्यार्थियों के चयन में मदद मिलेगी। राज्य सरकारें जो योग्यता के आधार पर छात्रों को प्रवेश देती हैं वे वर्तमान कार्यविधि को जारी रखें। आगामी शैक्षिक वर्ष में भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी के कालेजों में प्रवेश के लिए यह दोनों विकल्पों को कार्यान्वित करें।

(ii) देश भर में छात्रों को स्नातकोत्तर अध्ययन के अवसर प्रदान करने के लिए आगामी शैक्षिक वर्ष से राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर, आयुर्वेद संकाय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, आई॰ पी॰ जी॰ टी॰ आर॰ तथा गुजरात आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जामनगर में प्रवेश के लिए एक संयुक्त प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाए।

4. स्नातक और स्नातकोत्तर कालेजों के लिए अधिक संसाधनों का विनियोजन

(i) भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी के स्नातक और स्नातकोत्तर कालेजों के लिए राज्य सरकारें अपने-अपने राज्यों में अधिक संसाधनों का विनियोजन करायें।

(ii) उचित फीस की संस्चना द्वारा रोगियों की सुविधाओं में सुधार कर अस्पताल प्रभार द्वारा विभिन्न विषयों पर अनुसंधान परियोजनाएं प्राप्त करके स्नातक और स्नातकोत्तर संस्थान अपने संसाधनों को उत्पन्न करें। इससे संस्थानों में बाह्य अवसंरचना के साथ-साथ शिक्षण एवं प्रशिक्षण के मानक में सुधार होगा।

(iii) भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद/केंद्रीय होम्योपैथी परिषद् द्वारा निर्धारित मानकों के एक निश्चित स्तर तक लाने के लिए कुछ स्नातक और स्नातकोत्तर संस्थानों की सहायता के लिए केंद्र सरकार एक उचित योजना तैयार करे। जिन राज्यों में भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी के स्नातकोत्तर कालेज नहीं है स्नातकोत्तर योजना में उनमें स्नातकोत्तर प्रशिक्षण का प्रावधान भी बनाया जाए।

5. शिक्षकों, चिकित्सकों तथा निजी चिकित्सकों, अनुसंचायकों और परा-चिकित्सा व्यक्तियों को पुनरभिविन्यास प्रशिक्षण

(i) सेवारत/अर्थ-सरकारी शिक्षकों, चिकित्सकों तथा निजी व्यावसायी चिकित्सकों के लिए राज्य और केन्द्र सरकारों द्वारा पुनरभिविन्यास प्रशिक्षण कार्यक्रम वृहद रूप से आयोजित किए जाए।

(ii) इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए राज्य सरकारें भी कुछ निधि का आबंटन करें।

(iii) राज्य सरकार/संस्थाओं, शिक्षण संस्थान चलाने वालों को प्रशिक्षण के समय अपने स्टाफ को अवकाश/यात्रा-भत्ता आदि देना चाहिए। अनुमति/अवकाश आदि बिना विलम्ब के देना चाहिए।

(iv) अपेक्षित सुविधाओं तथा शिक्षण संकाय से युक्त कुछ अच्छे संस्थानों की पहचान की जाए जहां पर नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रमों को चलाया जाए। कुछ चुने हुए अच्छे संस्थान प्रशिक्षण मापदण्डों को तैयार करें तथा पाठ्यक्रम के घटकों को स्पष्ट करें, प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत बनाएं। इस उद्देश्य के लिए योग्य अभ्यर्थियों को पाने के लिए शिक्षण संस्थानों, निदेशक, भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी और व्यावसायिक संघों को प्रशिक्षण अवधि आदि की अनुसूची उचित समय पर परिचालित करनी चाहिए।

(v) भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी के चिकित्सकों को मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण कार्यक्रमों में प्रशिक्षण देने के लिए भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी विभाग को परिवार कल्याण विभाग तथा अन्य निधिकरण एजेंसियों से भी निधि प्राप्त करने के लिए संपर्क करना चाहिए।

(vi) निदेशकों, उप-निदेशकों, प्रबंधकों, अस्पताल के अधीक्षकों तथा भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी के कालेजों के प्रधानाचार्य को उनकी प्रबंधक निपुणता को सुधारने के लिए एक उपयुक्त अवधि का प्रबंध प्रशिक्षण दिया जाए। राज्य सरकारें अपने अधिकारियों को यात्रा-भत्ता/दैनिक भत्ता, सहित कार्यमुक्त करेंगी और भारत सरकार इस योजना को भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी विभाग द्वारा निर्धारित पुनरभिविन्यास प्रशिक्षण कार्यक्रम में सम्मिलित करेगी।

(vii) भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद/केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद यह आवश्यक बनाए कि रीडर के स्तर से नीचे के सभी शिक्षक पांच वर्षो में एक बार अपना पुनरभिविन्यास करें। इसे उनके गोपनीय रिकार्ड में एक वृद्धि के रूप में अंकित किया जाए।

6. भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी की फार्मेसी और नर्सिंग कालेजों को खोलना

(i) राज्य सरकार/केन्द्र सरकार द्वारा ''फार्मेसी काउंनसिल ऑफ इंडिया'' और ''नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया'' से संबंद्ध फार्मेसी तथा नर्सिंग, फार्मेसी में डिप्लोमा आदि के डिग्री स्तर के कालेज अलग से खोले जाएं अन्यथा कुछ वैकल्पिक व्यवस्था की जाए।

(ii) इस संबंध में इन पाठ्यक्रमों के पाठ्य विवरण तथा पाठ्यक्रम घटकों को बनाने के लिए भारतीय चिकित्सा पद्धति विभाग, भारत सरकार ने कुछ कार्रवाई भी प्रारंभ कर दी है।

7. भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी के राष्ट्रीय संस्थानों का विकास

राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर, राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान, कलकत्ता, स्नातकोत्तर प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, गुजरात आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जामनगर, आयुर्वेद संकाय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, यूनानी संकाय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय तथा हमदर्द यूनानी संकाय आदि राष्ट्रीय संस्थानों को देश के शीर्ष शिक्षण संस्थानों के रूप में संशक्त बनाया जाए। राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान, बंगलौर तथा राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान, पुणे को सशक्त बनाया जाए। 9 वीं पंचवर्षीय योजना में चेन्नई में राष्ट्रीय सिद्ध संस्थान तथा दिल्ली में राष्ट्रीय योग संस्थान की स्थापना की जाए।

8. भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी कालेजों के शिक्षक

राज्य सरकारों में भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी के सामान्य संवर्ग के चिकित्सकों से भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी के शिक्षकों के लिए अलग शिक्षक संवर्ग।

सभी राज्य सरकारें/कालेज चलाने वाली निकाय, शिक्षकों के लिए आवश्यक योग्यताओं सहित एक अलग शिक्षक संवर्ग बनायें। संबंधित विषय/संबद्ध विषय में स्नातकोत्तर योग्यता को ही केवल शिक्षक के रूप में अनुमति दी जाए जिससे शिक्षण के मानक को सुधारने में दीर्घकालीन प्रभाव पड़ेगा।

9. भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी के शिक्षकों के वेतनमान/पदोन्नति के मार्ग

प्रतिभाशाली व्यक्तियों को आकर्षित करने के लिए भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी के शिक्षकों के वेतनमान/पदोन्नति के मार्ग विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू. जी. सी.) के पैटर्न के अनुसार होना चाहिए।

स्नातक और स्नातकोत्तर कालेज चलाने वाली राज्य सरकारों/निजी निकायों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू. जी. सी.) के पैटर्न के अनुसार शिक्षकों के वेतनमानों तथा पदोन्नति के मार्ग में संशोधन करना चाहिए। शिक्षण अचिकित्सकीय होना चाहिए (अचिकित्सकीय भत्ते सहित)।

10. जिन राज्यों में भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी के शिक्षक संस्थान नहीं हैं, उनके लिए स्थान की व्यवस्था

(i) जम्मू एवं काश्मीर, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड, अरूणालचल प्रदेश आदि राज्यों तथा अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह, दमन और दीयू आदि संघ शासित क्षेत्रों में भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी के संस्थान का प्रावधान नहीं है। उत्तरी-पूर्वी राज्य और जम्मू एवं काश्मीर भी भारतीय औषधियों तथा पारम्परिक लोक प्रचलित औषधियों में दृढ़ विश्वास रखते हैं। अत: राज्य सरकारें कुछ निधि का आवंटन करें तथा विभिन्न प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में छात्रों को प्रायोजित करने की व्यवस्था करें।

(ii) जहां पर भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी के कालेज नहीं हैं उन राज्यों के लिए राज्य सरकारें अपने अच्छे कालेजों में कुछ स्थान निर्धारित करें।

11. भारतीय चिकित्सा पद्धति के विभिन्न स्नातक स्तर के पाठ्यक्रमों में आयुर्वेद, यूनानी, सिद्ध, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा की मौलिक संकल्पनाओं की एक दूसरे की पद्धतियों/चिकित्सा विज्ञान में समावेश करना

आयुर्वेद, यूनानी, सिद्ध, योग, एवं प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतियों में बहुत-सी समानताएं हैं। इन पद्धतियों की मौलिक धारणाओं को अन्य भारतीय चिकित्सा पद्धतियों के डिग्री पाठ्यक्रमों के घटकों में सम्मिलित करने की आवश्यकता है। इन भारतीय चिकित्सा पद्धतियों की औषधियों का ज्ञान प्राप्त होने के पश्चात् यह संभावना है कि आयुर्वेद

चिकित्सक यूनानी, सिद्ध, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा की प्रसिद्ध एवं कार्यक्षम चिकित्सा पद्धति का भी नुस्खा लिखे और इसके विपरीत क्रम से भी हो सकता है। भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् पाठ्यक्रम घटकों का निर्धारण करते समय इस विषय पर विचार करे।

कार्यकारिणी समूह-2

भा० चि० प० में अनुसंधान एवं विकास

1. यह संकल्प किया गया कि उपलब्धता तथा व्यक्तिगत परियोजनाओं की आवश्यकता, पर्याप्त स्टाफ एवं संसाधनों को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय अनुसंधान परिषदों जैसे-केन्द्रीय आयुर्वेद एवं सिद्ध अनुसंधान परिषद, केन्द्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद् तथा केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद् को समेकित एवं सुदृढ़ करने की आवश्यकता है, इसे 31.12.1997 से पहले लागू किया जाएगा।

2. यह संकल्प किया गया कि केन्द्रीय अनुसंधान परिषदें राष्ट्रीय स्वास्थ्य पर अध्ययन और परिवार कल्याण कार्यक्रम को शीघ्र प्रारम्भ करें।

3. यह संकल्प किया गया कि राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विश्वविद्यालयों, सार्वजनिक और निजी अनुसंधान संगठनों, जिनके पास आवश्यक वाह्य अवसंरचना सुविधाएं हों, अनुसधान परिषदों/भारतीय चिकित्सा पद्धतियों के विभागों के माध्यम से समयबद्ध एक्सट्रा मुरल परियोजनाओं को अनुसंधान एवं विकास में सम्मिलित किया जाए।

4. संकल्प किया गया कि निम्नलिखित महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अनुसंधान कार्य किया जा सकता है:-

   क. औषध प्रमाणीकरण (नैदानिक सत्यापन तथा चिकित्सकीय प्रयोंगो के भेषजविज्ञानीय आधार सहित)।

   ख. औषध सुरक्षा, मानकीकरण/भेषज-केश मानक।

   ग. विभिन्न राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों से सबंधित अनुसंधान।

   घ. जिन रोगों का आधुनिक चिकित्सा पद्धति में कोई इलाज नहीं है उन रोगों पर कार्य।

   च. विभिन्न महामारियों के निवारण एवं उपचार में भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी की भूमिका।

   छ. स्वास्थ्य-वर्धन तथा निवारक एवं सामाजिक औषधियों से संबंधित अनुसंधान कार्य।

   ज. वाङमय अनुसंधान/विशेषकर भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी की दुर्लभ पुस्तकों का अनुवाद तथा प्रकाशन।

   झ. जन साधारण/आदिवासी समुदायोन्मूखी औषध पादपों आदि पर अनुसंधान कार्य।

   ट औषध पादपों का कृषि विज्ञान/कृषि तकनीक।

   ठ औषध पादपों का फार्माकॉगनोसी/फायटो-कैमिस्ट्री।

   ज. अच्छे शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य के रख-रखाव/व्यक्तिविकास पर अनुसंधान।

5. वैज्ञानिक तरीके से अनुसंधान कार्य सुनिश्चित करने तथा अनुसंधान में एकरूपता लाने के लिए औषध जड़ी-बूटियों की सुरक्षा तथा प्रभावकारिता का मूल्यांकन करने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा दिए गए अनुसंधान मार्गदर्शी सिद्धांत के अनुसार अनुसंधान अध्ययन करने की आवश्यकता है।

6. अनुसंधान में व्यस्त सरकारी, गैर-सरकारी तथा निजी क्षेत्रों के संस्थानों में समन्वय का विकास करने के लिए उनकी विशेषता, अभिरुचि के क्षेत्र तथा उपलब्धियों सहित एक डायरेक्टरी (निदेशिका) होनी चाहिए।

7. भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान के लिए एक वार्षिक अनुसंधान पुरस्कार होना चाहिए।

कार्यकारिणी समूह 3

औषध मानकीकरण और कच्ची सामग्री की उपलब्धता

(क) औषध मानकीकरण एवं कच्चे माल की उपलब्धता पर सिफारिशें:

1. **केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद का संकल्प:**

   भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी का औषध-कोश तैयार करने की आवश्यकता है। सार्वजनिक क्षेत्र की अनुसंधान संस्थाओं को इस कार्य में परियोजना के आधार पर संबद्ध किया जाना चाहिए। इस कार्य को 9 वीं योजना के भीतर पूरा करने के प्रयास किए जाने चाहिए।

संस्तुतियां:

समूह 3 का यह सुझाव है कि आयुर्वेद, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी औषधियों के लिए औषध-कोश संबंधी मानक तैयार किए जाने की आवश्यकता है तथा एकौषधि और औषध योगों के अतिरिक्त वर्तमान भारतीय भेषज संहिता प्रयांमशाला और होम्योपैथी प्रयोगशाला को भी सशक्त बनाया जाए। निजी एवं सरकारी क्षेत्रों के सरकारी अनुसंधान संगठनों/प्रयोगशालाओं तथा उपयुक्त विश्वविद्यालय के विभागों एवं संबद्ध संस्थानों के विभागों (कालेजों) के स्नातकोत्तर निरीक्षकों तथा स्नातकोत्तर के छात्रों को औषध मानक पर कार्य करने के लिए सम्मिलित किया जाए। इस निर्णय को ध्यान में रखते हुए औषध एवं श्रृंगार प्रसाधन अधिनियम में तद्नुसार आवश्यक संशोधन किया जाए।

(1) भेषज संहिता कार्य

कार्यान्वयन:

(i) वैज्ञानिक संस्थानों की पहचान के लिए भारतीयं चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय।

(ii) विशुद्ध कच्ची औषधियों के नमूनों की आपूर्ति के लिए केन्द्रीय आयुर्वेद एवं सिद्ध अनुसंधान परिषद, केन्द्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद और केन्द्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद के सर्वेक्षण एकक।

(iii) भारतीय चिकित्सा पद्धति के मानक मिश्रित योगों की आपूर्ति के लिए ''आई. एम. पी. सी. एल.,'' मोहान (उ. प्र.)

2. **केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद का संकल्प**

   भारतीय भेषज संहिता प्रयोगशाला एवं होम्योपैथी भेषज संहिता

प्रयोगशाला को पर्याप्त निधि प्रदान कर सशक्त बनाया जाए।

संस्तुतियां

समूह ने संस्तुति की कि भारतीय भेषज संहिता प्रयोगशाला तथा होम्योपैथी भेषज संहिता प्रयोगशाला, गाजियाबाद को भवन, संयत्र तथा अतिक्ति कर्मचारी की सुविधा प्रदान कर उनकी बाह्य अवसंरचना को पूर्ण रूप से सशक्त बनाया जाए। इसके अतिरिक्त वर्तमान पदों को भी भरा जाए।

कार्यान्वयन : भारतीय चिकित्सा पद्धति विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

3. **केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद का संकल्प**

राज्य सरकार को उनकी अपनी औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं का विकास करना चाहिए।

संस्तुतियां

समूह ने संस्तुति की कि राज्य सरकारें भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी की अलग से क्षेत्रीय औषध परीक्षण प्रयोगशालाओं को पर्याप्त निधि तथा तकनीकी कर्मचारी प्रदान कर उनके विकास के लिए कदम उठाएं।

राज्य औषध परीक्षण प्रयोगशालाओं का विकास

वर्तमान भारतीय भेषज संहिता प्रयोगशाला तथा होम्योपैथी भेषज संहिता प्रयोगशाला के पैटर्न के अनुसार सभी राज्य सरकारें भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी की औषधियों के लिए अपनी परीक्षण प्रयोगशालाओं का विकास करें।

कार्यान्वयन : राज्य सरकार।

4. **केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद का संकल्प**

भारतीय चिकित्या पद्धति एवं होम्योपैथी की औषधियों के गुणवत्ता नियंत्रण को बनाए रखने के लिए राज्य सरकारों को और अधिक औषध निरीक्षक नियुक्त करने चाहिएं जिनके पास इन चिकित्या पद्धति की अर्हताएं हों और उन्होंने प्रशिक्षण लिया हो।

संस्तुतियां

समूह ने संस्तुति की कि सभी मुख्य राज्यों में अलग औषध नियंत्रण विभाग की स्थापना के लिए कदम उठाए जाएं जिसमें औषध नियंत्रक, उप-औषध नियंत्रक तथा आवश्यक प्रशासनिक कर्मचारी आदि हों और एक मुख्यालय बनाया जाए जिसमें इस पद्धति की उपयुक्त पृष्ठभूमि (जानकारी) वाले कम से कम एक औषध नियंत्रक नियुक्त किया जाए जो क्षेत्रीय आधार पर नियुक्त किए गए सहायक औषध नियंत्रक के अंतर्गत कार्य करे। छोटे राज्यों में उप-औषध नियंत्रक एवं सहायक औषध नियंत्रक तथा पर्याप्त संख्या में औषध निरीक्षणकों की नियुक्ति की जाए तथा उन्हें राज्यों में वर्तमान औषध नियंत्रकों के साथ लगाया जाए।

समूह ने यह भी संस्तुति की कि भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी के औषध नियंत्रकों को भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी की औषधियों के औषध विनियमन और गुणवत्ता नियंत्रण के लिए भारतीय भेषज संहिता प्रयोगशाला तथा होम्योपैथी भेषज संहिता प्रयोगशाला, गाजियाबाद में तीन माह की अवधि का कैश कोर्स/प्रशिक्षण दिया जाए।

5. **केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद का संकल्प**

"भारतीय चिकित्या पद्धति एवं होम्योपैथी विभाग के औषध नियंत्रण प्रकोष्ठ" को सुदृढ़ बनाया जाए।

संस्तुतियां

समूह द्वारा यह संस्तुति की गई कि भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी विभाग में एक "औषध नियंत्रण प्रकोष्ठ" हो, जिसका प्रधान, संयुक्त औषध नियंत्रक (भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी) के स्तर का एक अधिकारी होना चाहिए तथा उसके अंतर्गत निम्नलिखत कर्मचारी होने चाहिए:-

1. उप-औषध नियंत्रक (भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी)
2. सहायक औषध नियंत्रक-4

   (आयुर्वेद, सिद्ध यूनानी एवं होम्योपैथी पद्धतियों से एक-एक)
3. औषध निरीक्षक-8

   (आयुर्वेद, सिद्ध, युनानी एवं होम्योपैथी पद्धतियों से दो-दो)

6. **केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद् का संकल्प**

भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी औषधियां के लिए एक राष्ट्रीय-नीति निरूपण की आवश्यकता।

संस्तुतियां

समूह ने संस्तुति की कि सरकार भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी पर एक राष्ट्रीय-नीति का निरूपण एवं प्रकाशन करे जो भारतीय चिकित्या पद्धति एवं होम्योपैथी के औषध निर्माण के उद्योगों के लिए संदर्भ स्रोत के रूप में कार्य करे, जिसमें निम्नलिखित विषयों पर विवरण सहित अपने निर्णय दिए गए हों:-

1. स्वास्थ्य रक्षा पद्धति का स्तर एवं भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी की भूमिका।
2. मानकीकरण एवं गुणवत्ता नियंत्रण के लिए प्रोटोकॉल।
3. अनुसंधान एवं विकास कार्य के लिए प्रोटोकॉल।
4. उपभोक्ता हित में युक्तिसंगत नीति।
5. औषध पादपों, खनिजों, धातुओं, समुद्री एवं पशु तत्वों आदि के कच्चे माल की उपलब्धता के स्रोत।
6. कच्ची औषधियों का आयात एवं निर्यात।
7. नए अन्वेषणों/भारतीय चिकित्या पद्धति एवं होम्योपैथी की नई औषधियों को भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी की नई औषधियों के अंतर्गत सम्मिलित करने का प्रावधान।
8. बौद्धिक संपदा अधिकार/पेटेंट।

कार्यान्वयन : भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी विभाग स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

7. केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद् का संकल्प

विभाग "एगमार्क" के पैटर्न के अनुसार एक योजना को आरम्भ करने पर विचार करे। इस उद्देश्य के लिए "आयुष" पर विचार किया जाए। जिन उत्पादनों का कार्यालयीय भेषज संहिता और फार्मुलरी में उल्लिखित तथा निर्धारित मानकों के अनुसार निर्माण किया गया हो केवल उन्हीं पर "आयुष" के प्रयोग की अनुमति दी जाए। भारत सरकार के भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी विभाग तथा राज्य सरकार के विद्यमान कर्मचारियों को भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी के न्यूनतम मानकों को सुनिश्चित करने के लिए निरीक्षण करने का अधिकार दिया जाए।

संस्तुतियां

समूह ने संस्तुति की कि औषध मानक स्रोतों के बाजार में प्रदर्शन की दृष्टि से औषध/औषध योगों के नाम के बाद औषध मानक के प्रामाणिक स्रोतों का नाम, भेषज संहिता/फार्मुलरी का नाम शब्द संकेत सूची के रूप में इस प्रकार दिया जाए:-

आयुर्वेदिक फार्माकोपिया	=	ए. पी.
आयुर्वेदिक फार्मुलरी ऑफ इंडिया	=	ए. एफ. आई.
सिद्ध फार्माकोपिया	=	एस. पी.
सिद्ध फार्मुलरी ऑफ इंडिया	=	एस. एफ. आई.
यूनानी फार्माकोपिया	=	यू. पी.
यूनानी फार्मुलरी ऑफ इंडिया	=	यू. पी. आई.
होम्योपैथी फार्माकोपिया	=	एच. पी.
होम्योपैथी फार्मुलरी ऑफ इंडिया	=	एच. एफ. आई.

भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी का बौद्धिक सम्पदा अधिकार/पेटेंट प्रकोष्ठ

केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद का संकल्प

..द पादप उत्पादनों जैसे-हल्दी पाऊडर, नीम और ब्राह्मी के अपसारण को संयुक्त राज्य अमेरिका में पेटेंट किया जा रहा है। पेटेंट के लिए आवेदन का कार्य अत्यधिक तकनीकी है। भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी के क्षेत्र में कार्य करने वाले वैज्ञानिक इस प्रक्रिया से परिचित नहीं हैं। अत: विभाग में एक "पेटेंट प्रकोष्ठ" की स्थापना की जाए जो इस संदर्भ में देश की सम्पत्ति की देखभाल कर सके।

संस्तुतियां

समूह ने सरकार को संस्तुति की कि भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी विभाग के अंतर्गत तीन माह के भीतर "पेटेंट प्रकोष्ठ" की स्थापना की जाए। जिसे भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी की अनेकों औषधियों की सम्पदा को सुव्यवस्थित करने का कार्य सौंपा जाए। इसी बीच भारत में हजारों वर्षों से प्रचलित औषधियों की चिकित्सकी सम्पदा की विशुद्धता तथा अब पेटेंट करने वाले देशों द्वारा शोषण को चुनौती देने के लिए भारत सरकार अविलम्ब कदम उठाए।

भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी में प्रयुक्त कच्चे माल की उपलब्धता बढ़ाने के लिए उपाय

1. सम्मेलन में संकल्प के द्वारा यह संस्तुति की गई कि केंद्रीय सरकार/राज्य सरकारें निम्न के लिए शीघ्र कदम उठाएंगी-

   (i) भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी में प्रयुक्त होने वाले औषध पादपों/जानवरों एवं अन्य पदार्थों को सूची-बद्ध करना और उनके मानचित्रण का आवंटन करना।

   (ii) औषधीय पदार्थों, सजीव एवं सूखे, उनके जर्म प्लाज्म, लोक साहित्य का सर्वेक्षण एवं संग्रह।

   (iii) शोषण से सुरक्षा के द्वारा, कृषि द्वारा, प्रसार एवं उनके प्राकृतिक आवास की पहचान के द्वारा "इन-सिटू" संरक्षण।

   (iv) औषधीय उद्देश्यों के लिए विदेशी जाति एवं किस्मों की पहचान।

   (v) वन विभाग/विश्वविद्यालयों/वैज्ञानिक संगठनों के सहयोग से "कंजर्वेशन रिजर्व्स एण्ड कल्टीवेशन सेन्टर" का सृजन।

   (vi) सहकारी कृषि करना/इस उद्देश्य के लिए राज्य सरकारों द्वारा अनुकूल कृषि जलवायु क्षेत्रों में उपयुक्त सस्ती एवं उपजाऊ भूमि उपलब्ध कराना।

   (vii) भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी की औषधीय पदार्थों का एक "नेशनल-डाटा-बेस" एवं "जर्म प्लाज्म सेंटर" का सृजन करना।

   (viii) औषधीय पदार्थों पर राष्ट्रीय नीति के कार्यान्वयन के लिए इन कार्यक्रमों में व्यस्त कार्मिकों के लिए सेवा में प्रशिक्षण।

   (ix) एक "सेंट्रल आर्बोरियम" का सृजन।

   (x) नीति का मॉनीटर करना, मूल्यांकन एवं कार्यान्वयन करना।

2. सम्मेलन में संकल्प के माध्ययम से संस्तुति की गई कि औषध पादपों एवं टीशू-कल्चर तकनीक के प्रसार के लिए उचित कृषि तकनीकों को विकसित करने के लिए केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारें आवश्यक कदम उठाएंगी। सहकारी कृषि के उद्देश्य से कृषि के लिए उपजाऊ भूमि को सुलभ कराने, कृषि-केंद्र एवं वैज्ञानिक संगठनों के निर्माण के उद्देश्यों के लिए राज्य सरकारें सहयोग करें।

3. सम्मेलन में संकल्प के माध्यम से यह संस्तुति की गई कि भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी की औषधियों के निर्माण में प्रयोग किए जाने वाले जानवरों के पालन-पोषण के लिए केंन्द्र सरकार/राज्य सरकारें आवश्यक कदम उठाएं।

4. सम्मेलन में संकल्प के माध्यम से यह संस्तुति की गई कि औषध पादप उद्यानों एवं वनस्पति वनों की स्थापना के लिए केन्द्र सरकार/राज्य सरकारें आवश्यक कदम उठाएं।

5. औषध पादपों की उपलब्धता के वास्तविक आंकड़े तथा उनकी मात्रा उपलब्ध कराई जाएगी तथा 3 माह में उनकी कृषि की जाएगी।

6. औषधियों की कृषि शीघ्र आरंभ की जाए।

7. गैर-सरकारी संगठनों/निजी एजेंसियो की भी सहायता ली जाए।

कार्यकारिणी समूह-4

भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्यापैथी की सूचना, शिक्षण एवं संचार तथा बजट एवं संगठन

श्रीमती कमला वर्मा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, हरियाणा सरकार की अध्यक्षता एवं डा. चल्टोलीएन आमो, स्वास्थ्य राज्य मंत्री, मणिपुर की सह-अध्यक्षता में कार्यकारिणी समूह द्वारा भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी की सूचना, शिक्षण एवं संचार तथा बजट एवं संगठन पर संकल्पों के रूप में पारित करने के लिए निम्नलिखित संस्तुतियां की गई:

1. भारतीय चिकित्या पद्धति एंवं होम्योपैथी के मंत्रियों के सम्मेलन में संकल्पों के माध्यम से संस्तुति की गई कि केंद्रीय सरकार को योजना आयोग में भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी के लिए एक अलग से सलाहकार रखना चाहिए।

2. मंत्रियों के सम्मेलन में इस विषय में विचार व्यक्त किए गए कि वर्ष 1997-98 में भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी विभाग के लिए योजना आयोग द्वारा अपर्याप्त निधि उपलब्ध कराई गई है। सम्मेलन में संकल्प पारित किया गया कि वर्ष 1997-98 की संशोधित लागत के स्तर पर तथा 9वीं योजना के शेष समय के लिए योजना आयोग भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी विभाग को अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध कराए जाए तथा योजना आयोग द्वारा राज्य सरकारों के लिए भी अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध कराए जाएं तथा 9 वीं योजना में भी।

3. सम्मेलन में यह संकल्प किया गया कि राज्य सरकारें स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए अपने कुल आवंटित बजट में से भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी के विकास के लिए अलग से बजट निर्धारित करे।

4. सम्मेलन में यह संकल्त पारित किया गया कि भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी के सूचना, शिक्षण एवं संचार (आई.ई.सी.) के लिए केंद्रीय सरकार एवं राज्य सरकारे भी पर्याप्त निधि अलग से रखें।

5. सम्मेलन में यह संकल्प पारित किया गया कि केंद्रीय सरकार भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी विभाग में तथा राज्य सरकारें भी वर्ष 1997-98 में भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी की कार्यशालाओं/संगोष्ठियों के आयोजन हेतु सामग्री तैयार करने के लिए सूचना, शिक्षण एवं संचार प्रदान करने के उद्देश्य से एक अलग कक्ष स्थापित करें।

6. भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी से संबंधित सूचना, शिक्षण एवं संचार के लिए केंद्रीय सरकार में भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी विभाग नेशनल नेटवर्क पर लघु फिल्मों, वृत्त चित्रों तथा स्थानीय वृत्त नाटकों को सप्ताह में दो बार कम से कम 15 मिनट के प्रसारण के लिए इस विषय को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय/महानिदेशक दूरदर्शन के समक्ष रखें।

7. सम्मेलन में संकल्प पारित किया गया कि मंत्रालयों/वन विभागों, पर्यटन एवं कृषि के समन्वय से राज्य सरकारें भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी का उन्नयन एवं प्रसार करें।

8. सम्मेलन में यह संकल्प पारित किया गया कि केंद्रीय सरकार के अधीन भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी की विभिन्न अनुसंधान परिषदें, भारतीय चिकित्या केंद्रीय परिषद् एवं केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद् विभिन्न राज्यों को यथा-शीघ्र वितरित करने के लिए अपनी-अपनी पद्धतियों पर आधारित सूचनात्मक पम्फ्लेटों एवं पुस्तिकाएं तैयार करें।

9. सम्मेलन में संकल्प पारित किया गया कि केंद्रीय सरकार के अधीन भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी की प्रत्येक अनुसंधान परिषदें प्रचार विषयों के रूप में उपयोग की दृष्टि से राज्य सरकारों को वितरित करने के लिए आगामी वित्तीय वर्ष में अपनी-अपनी पद्धतियों की सफलता की कहानियों पर प्रकाश डालते हुए दो फिल्मों/वृत्त चित्रों का निर्माण भी करें।

10. सम्मेलन में संकल्प पारित किया गया कि योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा तथा अन्य भारतीय स्वास्थ्य परम्पराओं की शिक्षा सभी विद्यालयों में अनिवार्य बनाने के लिए केन्द्रीय सरकार का भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी विभाग इस विषय को संबंधित प्राधिकारी के समक्ष यथा-शीघ्र प्रस्तुत करे।

11. सम्मेलन में संकल्प पारित किया गया कि भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी की सूचना, शिक्षण एवं संचार (आई. ई. सी.) के लिए केन्द्र सरकार एक "केंद्रीय प्रायोजक योजना" तैयार करे।

12. सम्मेलन में संकल्प पारित किया गया राज्य सरकारें भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी की क्षमताओं पर प्रकाश डालते हुए विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में वर्ष में कम से कम दो स्वास्थ्य मेलों का आयोजन करे।

13. सम्मेलन में संकल्प पारित किया गया कि राज्य सरकारें निः शुल्क वितरण के लिए क्षेत्रीय भाषाओं में पम्प्लेट्स आदि तैयार करे।

14. सम्मेलन में संकल्प पारित किया गया कि ऐसे राज्यों में जहां भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी का अलग से निदेशालय नहीं है, उसकी स्थापना के लिए यथा-शीघ्र कार्रवाई की जाए। साथ ही संबंधित राज्यों में एक निश्चित पद्धति की स्वीकार्यता के अनुरूप प्रत्येक राज्य में इस पद्धति के लिए एक अलग निदेशक रखा जाए।

कार्यकारिणी समूह-5

राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों मे भा. चि. प. के चिकित्सकों की भागीदारी

भारतीय चिकित्या पद्धति एवं होम्योपैथी के चिकित्सकों की राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों में भागीदारी पर संस्तुतियां

सर्वसम्मति से कार्यकारिणी समूह ने निम्नलिखित संकल्प किए:

1. भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी के समग्र रूप से 6 लाख चिकित्सक हैं। मुख्य रूप से देहाती क्षेत्रों में ये लोगों के बीच सम्माननीय समादेश करते हैं। उनमें से अधिक लोग संस्थागत रूप से योग्य एवं प्रशिक्षित हैं तथा बीमारियों एवं उनके बचाव आदि का आधुनिक ज्ञान रखते हैं। उनको अल्पावधि का प्रशिक्षण प्रदान कर तथा उनको राष्ट्रीय

कार्यक्रमों से परिचय कराकर उनकी सेवाओं का विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रमों के निष्पादन में उपयोग किया जा सकता है।

परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न क्रिया-कलापों के लिए भिन्न-भिन्न जनपद प्रशिक्षण एककों में छः दिवसीय पैकेज पाठ्यक्रम को उपलब्ध कराया जा रहा है। इसी तरह से मलेरिया (विषमज्वर), फायलेरिया, कालाजार, मस्तिष्क शोध, मोतियाबिन्द, टी.बी. (क्षयरोग) एवं पीलिया आदि के लिए एक सप्ताह का प्रशिक्षण कार्यक्रम जनपद मलेरिया कार्यालयों में उपलब्ध है।

इन दोनों कार्यक्रमों का एक संयुक्त पेकेज प्रदान कर इन बीमारियों एवं उनके बचाव के विषय में जनता को शिक्षित करने के लिए भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी के चिकित्सकों को प्रशिक्षित किया जा सकता है तथा जहां आवश्यक हो नैदानिक परीक्षण एवं रक्त चिकनाईपरीक्षण आदि से उपचार के विषय में बताया जा सकता है। संदेहास्पद एवं सकारात्मक मामलों को उचित रेफरल सेंटर्स को भेजे जाएं। पहचान किए गए क्षेत्रों में रोगवाहक के नियंत्रण के लिए स्प्रे स्क्वैड का निरीक्षण भी कर सकते हैं। उनको "आई. यू. सी. डी." में तथा अन्य गर्भनिरोधी साधनों के प्रयोग में भी प्रशिक्षित किया जा सकता है। उनका विभिन्न प्रतिरक्षण कार्यक्रमों में अच्छी तरह से उपयोग किया जा सकता है।

जहां आवश्यक हो इन कार्यक्रमों के लिए भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी के चिकित्सकों को यदि अलग से प्रशिक्षण देने की आवश्यकता महसूस की जाती है तो जनपदीय अस्पतालों, एन. आई. सी. डी., नई दिल्ली, एन. आई. एन., हैदराबाद, एन. आई. आई. एच. कलकत्ता एवं एन. आई. एच. एफ. डब्लू, नई दिल्ली आदि की सेवाओं का उपयोग भी किया जा सकता है।

यह भी संस्तुति की जाती है कि भारत सरकार निम्न के उपयोग पर विचार करे:

(क) एन. एम. ई. पी. में आयुष-64/एच. ई.-4 को संभावित चिकित्सा के रूप में।

(ख मोतिया बिन्द के निवारण में "सिनेरेरिया मेरेली "सककर" का प्रयोग।

(ग) सिद्ध, होम्योपैथी एवं आयुर्वेद की वैज्ञानिक रूप से मूल्यांकित प्रभावकारी औषधियों का एड्स नियंत्रण कार्यक्रम में उपयोग।

(घ) यदि भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी के अधीन रोगों की चिकित्सा एवं निवारण के लिए प्रभावकारी औषधियां तथा स्वास्थ्य-वर्धन के लिए परिमाण उपलब्ध नहीं हैं तो भारतीय चिकित्सा एवं होम्योपैथी के चिकित्सकों को राष्ट्रीय कार्यक्रमों के अन्तर्गत मानक औषध पथ्यापथ्य नियमों के उपयोग की अनुमति मिलनी चाहिए। यदि वैधानिक अवरोध हो तो विनियम में अनुकूल संशोधन किया जाए।

प्रधान मंत्री का पूर्वोत्तर का दौरा

990. **श्री सुशील कुमार शिंदे :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इस वर्ष अप्रैल में पूर्वोत्तर क्षेत्र के अपने दौरे के दौरान प्रधान मंत्री ने पूर्वोत्तर के विद्रोहियों के साथ न केवल भारत के संविधान की सीमाओं के भीतर रहकर वार्ता करने की पेशकश की अपितु संविधान में संशोधन के जरिये उनकी मांगों को पूरा करने की भी पेशकश की: और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया हैं?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) और (ख) प्रधान मंत्री ने, अप्रैल में असम दौरे के दौरान, उग्रवादी ग्रुपों को आगे आने और क्षेत्र में शांति कायम करने के लिए बातचीत करने का निमंत्रण दिया था। प्रधान मंत्री ने 15 अप्रैल, 1998 को गुवाहाटी में दी गई अपनी प्रैस विज्ञप्ति में कहा था कि "मैं उन सभी को जो मैत्री के पथ से भटक गए हैं: चाहे वे असम में हो या पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों में, आमंत्रित करता हूं कि आगे आएं: हम आपस में विचार-विमर्श करें: हमारी सरकार शांति की बहाली के लिए बातचीत करने के लिए वचनबद्ध हैं, हम यह कार्य अपने संविधान के दायरे में रहते हुए करें। प्रधान मंत्री ने यह भी कहा कि समस्या का हल निकालने के लिए यदि आवश्यक हुआ तो संविधान में संशोधन भी किया जा सकता है।

चीनी के उत्पादन में कमी

991. **डा० टी० सुब्बारामी रेड्डी :** क्या खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दुनिया में चीनी के मूल्यों में भारी गिरावट और आयात में से प्रतियोगिता के कारण भविष्य में चीनी उत्पादन प्रभावित होगा;

(ख) क्या दुनिया में चीनी के मुल्यों में आयी गिरावट से भारतीय व्यापारी लाभ उठा रहे हैं और भारी मात्रा में चीनी का आयात कर रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या इससे उत्पादन पर दीर्घावीय प्रभाव पड़ेगा;

(घ) यदि हां, तो क्या इस बात को ध्यान में रखकर भारत ने चीनी आयातों को अनुमति नहीं देने का निर्णय लिया है; और

(ङ) अभी तक आयात की गई कुल चीनी की मात्रा कितनी है और देश में चीनी के आयात से चीनी के उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़ने को सुनिश्चित करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है?

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्य पाल सिंह यादव) : (क) से (ङ) पिछले तीन महीनों में विश्व बाजार में चीनी के मूल्यों में गिरावट का रुख रहा है।

चीनी के आयात पर नजर रखने के लिए सितम्बर, 1997 मे सरकार ने आयात संविदाओं का वाणिज्य मंत्रालय के अधीन एक संगठन कृषि एवं संसाधित खाद्य उत्पाद निर्णत विकास प्राधिकरण के साथ अनिवार्य रूप से पंजीकरण कराने की प्रणाली लागू की है। संविदाओं के पंजीकरण के मासिक आंकड़े भविष्य में सम्भावित आयात का संकेत देते हैं। देश में 1.4.1997 से 28.2.1998 तक की अवधि में 2.71 लाख टन चीनी का आयात किया गया है।

घट रहे अन्तर्राष्ट्रीय चीनी मूल्यों के परिणामस्वरूप घरेलू चीनी उत्पादकों को किसी संभावित आशंका से बचाने के लिए, सरकार ने आयातित चीनी पर 28.4.1998 से 5 प्रतिशत का मूल सीमा शुल्क तथा 850 रुपये प्रति टन प्रतिशुल्क लागू किया है।

देश में लगभग 12 लाख टन चीनी की मासिक खपत के प्रति, चीनी से घरेलू उपलब्धता में वृद्धि हुई है।

केन्द्रीय मंत्रियों के विदेश दौरे

992. **श्री पी॰ एस॰ गढ़वी : क्या गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अगस्त से नवम्बर, 1997 **के दौरान विदेश** दौरे पर जाने वाले केन्द्रीय मंत्रियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रत्येक दौरे का उद्देशय **और उसकी** अवधि कितनी थी;

(ग) उनके साथ कितने व्यक्ति **गए और प्रत्येक** दौरे पर कितना व्यय हुआ; और

(घ) इन दौरो की उपलब्धियों **का ब्यौरा** क्या है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के **पटल पर** रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

"एलिमको" को अनुदान

993. **श्री जगतवीर सिंह द्रोण : क्या सामाजिक** न्याय और **अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या "एलिमको" का उत्पादन और बिक्री "एडिप" योजना के अंतर्गत "एलिमको" को अनुदान रोक देने के कारण प्रभावित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण है;

(ग) क्या सरकार द्वारा अनुदान फिर से देने का आश्वासन दिया गया था;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) आश्वासन कब तक पूरा किए जाने की सम्भावना है?

समाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) और (ख) सहायक यंत्र/उपकरण खरीदने/लगाने के लिए विकलांग व्यक्तियों को सहायता की योजना के अन्तर्गत जरूरतमंद विकलांग व्यक्तियों को टिकाऊ, परिष्कृत और वैज्ञानिक ढंग से निर्मित आधुनिक "मानक" सहायक यंत्र तथा उपकरण प्राप्त करने में सहायता दी जाती है। जो उनके शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक पुनर्वास को बढ़ावा दे सकते हैं। यह योजना कम्पनी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत कम्पनियों, पंजिकृत सोसायटियों, न्यासों अथवा सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय द्वारा पंजीकृत किसी अन्य संस्थान द्वारा चलाए जा रहे केन्द्रों के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है। एलिमको भी ए. डी. आई. पी. योजना के अंतर्गत सहायता प्राप्त करता रहा है।

(ग) से (ङ) वर्ष 1997-98 के दौरान ए. डी. आई. पी. योजना के अंतर्गत एलिमको को 110 रु. की राशि निर्मुक्त की गई है।

पिछड़े वर्गों को ऋण

994. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछड़ा वर्ग वित्त आयोग के द्वारा विगत तीन वर्षो में लाभार्थियों को प्रदान किए गए ऋण का राज्य-वार ब्यौरा क्या है, और

(ख) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पिछड़े वर्ग के कल्याण हेतु स्वीकृत धनराशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) जी, कोई नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

विश्व स्वास्थ्य संगठन से वित्तीय सहायता

995. **श्री रवि सीताराम नायक : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षो में से प्रत्येक वर्ष विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों के लिये विश्व स्वास्थ्य संगठन से कितनी वित्तीय सहायता प्राप्त हुई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री दलित एजलमलाई) : विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन सहायता द्वि-वार्षिक आधार पर अर्थात् दो वर्षो में एक बार दी जाती है। इस प्रकार की सहायता कन्ट्री बजट तथा अतिरिक्त कन्ट्री बजटरी सहायता के रूप में प्राप्त होती है।

पिछले 2 द्वि-वर्षों के दौरान विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा आबंटित की गई इस प्रकार की सहायता का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

	(कैलेन्डर वर्ष)	द्वि-वर्ष	द्वि-वर्ष
1.	नियमित कन्ट्री बजट	14,785,300 यूएस डॉलर	12,776,000 यूएस डॉलर
2.	अतिरिक्त कन्ट्री बजट	12,237,929 यूएस डॉलर	12,795,800 यूएस डॉलर
3.	कुल	27,023,229 यूएस डॉलर	25,571,800 यूएस डॉलर

[हिन्दी]

सरकारी सेवाओं में मुसलमान

996. **श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी :**
कर्नल सोनाराम चौधरी :
श्री आरिफ मोहम्मद खां :

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी सेवाओं में मुसलमानों का हिस्सा स्वतंत्रता से पहले 39 प्रतिशत था और अब यह केवल दो प्रतिशत रह गया है,

(ख) यदि हां, तो ततसंबंधी ब्यौरा क्या है,

(ग) क्या मुसलमानों का सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों का सरकारी सेवाओं में पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व है, और

(घ) यदि नहीं, तो इन पिछड़े वर्गों को पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व देना सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार की सेवाओं में अल्पसंख्यको की भर्ती के संबंध में सरकार की नीति सामान्यत: पूर्ण रूप से संविधान के प्रावधानों के अनुरूप है। भर्ती नियमों को इस तरह से बनाया गया है कि अवसरों की समानता प्रदान करते हुए भर्ती और चयन योग्यता पर आधारित है ताकि जनसंख्या के किसी भी वर्ग के प्रति भेदभाव न किया जाए चूंकि भर्तियां समुदाय या धर्म के आधार पर नहीं बनाई जाती इसलिए भर्ती से संबंधित आंकड़ें नहीं रखे जाते हैं।

(ग) और (घ) केन्द्रीय सरकार के अधीन अन्य पिछड़े वर्गो से संबंधित लोगों के लिए पदों का 27 प्रतिशत आरक्षण उपलब्ध है।

[अनुवाद]

दिल्ली पुलिस का लापरवाहीपूर्ण रवैया

997. **श्री वी॰ वी॰ राघवन** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली की अदालत ने जघन्य अपराधों के संबंध में दिल्ली पुलिए के लापरवाहीपूर्ण रवैये के लिये उसकी आलोचना की है परिणामत: वास्तविक अपराधी निर्भय होकर घूम रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) और (ख) ऐसे भी कुछ दृष्टान्त हैं जब न्यायालय ने पुलिस अधिकारियों द्वारा जॉच के ढंग पर प्रतिकूल टिप्पणी की हैं। ऐसे सभी मामलों में, दोषी पुलिस अधिकारियों, यदि कोई हो तो, के खिलाफ दिल्ली पुलिस उचित कार्रवाई करती है।

राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना

998. **श्री अजय चक्रवर्ती** :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मजदूर संगठनों और नियोक्ता संगठनों ने नया राष्ट्रीय श्रम आयोग स्थापित करने की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है, और

(ग) इस आयोग को स्थापित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

श्रम मंत्री (डा० सत्यनारायण जटिया) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) किसी विशेष समय पर जो मुद्दे महत्वपूर्ण हो गये थे और जिनके प्रति विशेष ध्यान दिया जाना आवश्यक था, ऐसे अनेक मुद्दों के समाधान हेतु कुछ समय से श्रम कानून अधिनियमित किये गये हैं। जबकि ऐसे अनेक मद्दे सतत प्रकृति के हैं, कुछ ऐसे भी हैं जिनकी महत्ता समाप्त हो गई है अत: इनसे प्रेरित श्रम नीतियों, कार्यक्रमों और कानूनों के समीक्षा की आवश्यकता है। इस प्रश्न पर स्थाई श्रम समिति और भारतीय श्रम सम्मेलन की त्रिपक्षीय बैठक में भी विचार-विमर्श किया गया है। सिद्धान्त रूप में सरकार इनकी समीक्षा करवाने के लिए सहमत है। इसके लिए एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति गठित की जायेगी जिससे अर्थव्यवस्था में होने वाले सामान्य बदलावों के साथ श्रम कानूनों में ताल-मेल सुनिश्चित किया जा सके और कामकाजी वर्ग को अधिक कल्याण सुविधाएं भी प्रदान की जा सकें।

गैस आधारित ताप विद्युत परियोजना

999. **कर्नल सोनाराम चौधरी** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड ने जैसलमेर में पाए गए गैस भंडार का उपयोग करने हेतु रामगढ़ में 19 करोड़ रुपये की लागत से चरण एक के अंतर्गत 3 मेगावाट गैस आधारित ताप विद्युत परियोजना स्थापित की है,

(ख) यदि हां, तो क्या गैस आधारित ताप विद्युत परियोजना अब बन्द हो गई हैं,

(ग) यदि हां, तो इसके बंद होने के क्या कारण है, और

(घ) इस विद्युत परियोजना को बंद होने से बचाने हेतु क्या कार्यवाही की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क)राजस्थान राज्य बिजली बोर्ड ने चरण-। के अंतर्गत रामगढ़ में 12.71 करोड़ रुपये की लागत से एक 3 मै॰वा॰ के गैस आधारित ताप बिजली घर की स्थापना की है।

(ख) और (ग) यह संयंत्र बंद पड़ा है क्योंकि उच्च कार्बन मात्रा वाली गैस का गैस टर्बाइन में उपयोग करना बहुत कठिन है।

(घ) ओ एन जी सी और गैस को राजस्थान राज्य बिजली बोर्ड के साथ परामर्श से इस मामले की समीक्षा करने की सलाह दी गई है।

[हिन्दी]

पुलिस द्वारा महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार

1000. **डा॰ वाई॰ एस॰ राजशेखर रेड्डी** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को 1998 में दिल्ली पुलिस द्वारा महिलाओं से बुवर्यवहार से संबंधित किसी मामले की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अन्य संस्थाओं में कार्यरत कुछ महिला सुरक्षाकर्मी भी प्रभावित महिलाओं में शामिल है; और

(घ) यदि हां, तो दोषी पाए गए पुलिय-कर्मियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) से (घ) दिल्ली पुलिस ने सूचित किया है कि 1998 के दौरान (15.5.98 तक) उनके कर्मियों द्वारा महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार के दो मामले उनके ध्यान

में लाए गए हैं। एक मामले में, एक सिपाही ने कालकाणी क्षेत्र में एक महिला के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की और दूसरे मामले में, एक सिपाही ने अनुपम सिनेमा में एक महिला से दुर्व्यवहार किया। इन दोनों मामलों में आपराधिक केस दर्ज किए गए हैं। तथापि, संगत अवधि के दौरान अन्य स्थानों में कार्यरत महिला सुरक्षा कर्मी के साथ दुर्व्यवहार की कोई घटना उनके ध्यान में नहीं आई है।

राज्यों को आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं का आवंटन

1001. **श्री डी०एस० अहिरे:**
श्री अशोक नाम्देवराव मोहोल:
श्री नृपेन गोस्वामी:
श्री सदा शिवराव दादोबा मंडलिक:
श्री ए० वैंकटेश नायक
श्री माधवराव पाटील:
श्री आर० साम्बासिवा राव:
श्री माणिकराव होडल्या गावीत:
श्री फग्गन सिंह कुलस्ते:
श्री के०सी० कोंडय्या:
श्री चमन लाल गुप्त:

क्या **खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान प्रत्येक राज्य/केंन्द्र शासित क्षेत्र को उनकी मांगों की तुलना में आज तक आपूर्ति किए गए गेहूं, चावल, चीनी, खाद्य तेलों और मिट्टी के तेलों की मद्-वार मात्रा कितनी थी,

(ख) क्या राज्यों से उक्त मदों के अपने-अपने कोटे में वृद्धि करने के लिए अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और सरकार की उस पर क्या प्ररिक्रिया है,

(घ) गत, वर्ष इन मदों में राज्य-वार कितनी तुलनात्मक वृद्धि की गई,

(ङ) क्या राज्यों के मामले में उक्त मदों के मासिक कोटे में 1997 के दौरान कोई कमी की गई थी,

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी कारण क्या हैं, और

(छ) 1997-98 के दौरान लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राज्यों को जारी की गई गेहूं और चावल की राज्यवार मात्रा कितनी-कितनी थी?

खाद्य और उपभोक्ता मामले के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्य पाल सिंह यादव) : (क) से (ख) 1995-96, 1996-97 और 1997-98 के दौरान गेहूं, चावल, चीनी, खाद्य तेल और मिट्टी के तेल के आवंटन और उठान की राज्यवार की मात्रा। विवरण-1, 2 और 3 में दिए गए विवरण में दी गई है। खाद्यान्नों के अतिरिक्त आवंटन करने हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त आनुरोधों का ब्यौरा विवरण 4 में दिया गया है।

प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का जून, 1997 से गेहूं और चावल का मासिक कोटा लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन इस प्रकार निर्धारित किया गया है कि गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को प्रति परिवार प्रति माह 10 किलोग्राम खाद्यान्न मुहैया किए जा सकें। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का गरीबी रेखा से ऊपर का कोटा खाद्यान्नों के पिछले 10 वर्षों के औसत उठान और गरीबी रेखा से ऊपर के कोटे के बीच का अंतर है। तथापि, विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से की गई अतिरिक्त आवंटन की माग को देखते हुए जून, 1997 से नवम्बर, 1997 तक आर्थिक लागत पर खाद्यान्नों का अतिरिक्त आवंटन किया गया था और दिसम्बर, 1997 तथा उसके बाद यह अतिरिक्त आवंटन गरीबी रेखा से ऊपर की आबादी के लिए लागू दरों पर किया गया था। जून, 1997 और उसके बाद विभिन्न राज्यों को किए गए गेहूं और चावल के अतिरिक्त आवंटन बताने वाला विवरण 5, संलग्न है।

लेवी चीनी का आवंटन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की मांग के आधार पर नहीं किया जाता बल्कि यह आवंटन 1991 की जनसंख्या के अनुसार प्रति व्यक्ति 425 ग्राम के एक-समान मानदंडों के आधार पर किया जाता है। वर्तमान लेवी फामूले के अधीन लेवी खाते हैं केन्द्रीय सरकार को प्राप्त होने वाली चीनी की मात्रा सार्वजनिक वितरण प्रणाली की आवश्यकता से कम है। इन परिस्थितियों में यह संभव नहीं पाया गया है कि राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन चीनी के आवंटन को वर्तमान जनसंख्या के आंकड़ों से सम्बद्ध करके बढ़ाया जाए।

मिट्टी के तेल का आवंटन विगत की मांग, उठान प्रवृत्ति और संगत आवश्यकता के आधार पर किया जाता है। जिन राज्यों में मिट्टी के तेल की प्रति व्यक्ति उपलब्धता राष्ट्रीय औसत से कम है उन राज्यों को राष्ट्रीय औसत के स्तर पर लाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। समय-समय पर मिट्टी के तेल का अतिरिक्त आवंटन करने हेतु राज्य सरकारों से अनुरोध प्राप्त होते हैं। तथापि, उत्पाद उपलब्धता, विदेशी मुद्रा और इसमें अंतर्ग्रस्त भारी सब्सिडि संबंधी बाधा होने के कारण राज्यों की सम्पूर्ण मांग को पूरा करना संभव नहीं है।

फिलहाल, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को खाद्य तेल का आवंटन प्रत्येक वर्ष अगस्त-नवम्बर के त्यौहार महीनों की सीमित अवधि के लिए किया जाता है।

वर्ष 1998-99 के लिए इन महीनों के दौरान आवंटन करने हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की मांग विवरण में देखी जा सकती है।

(ङ) और (च) जी, नहीं। चीनी, मिट्टी के तेल और खाद्य तेल का मासिक कोटा कम नहीं किया गया है। तथापि, खाद्यान्नों के मामले में जून, 1997 से प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का गेहूं और चावल का मासिक कोटा लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन इस प्रकार निर्धारित किया गया है कि गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को 10 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति परिवार प्रति माह मुहैया हों। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए गरीबी रेखा से ऊपर का कोटा खाद्यान्न का पिछले 10 वर्षों के औसत उठान और गरीबी रेखा से नीचे के कोटे के बीच का अंतर होता है। चूंकि बहुत से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में खाद्यान्नों का औसत उठान आवंटन से कम था इसलिए इसके परिणामस्वरूप पिछले वर्षों के आवंटन की तुलना में जून, 1997 में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन उनके खाद्यान्नों के मासिक कोटे में कुछ गिरावट हुई है।

(छ) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन जून, 1997 से मार्च, 1998 तक के दौरान विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आवंटित चावल और गेहूं के कोटे बताने वाले विवरण क्रमशः विवरण 5 और 8 पर दिए गए है।

विवरण-I

वित्तीय वर्ष 1995-96 के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरित गेहूं, चावल, खाद्य तेल, मिट्टी के तेल, चीनी का राज्यवार आवंटन और उठान

(आंकड़े 000 टन में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	गेहूं		चावल		चीनी		खाद्य तेल		मिट्टी का तेल	
	आ०	उ०	आ०	उ०	आ०	उ०	आ०	उ०	आ०	उ०
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
आन्ध्र प्रदेश	192.00	102.70	2620.00	2159.31	321.37		66.60	39.79	615.48	613.41
अरुणाचल प्रदेश	7.20	5.20	102.70	90.60	4.14		—	—	9.60	9.54
असम	360.00	351.90	568.00	436.30	120.34		1.20	0.68	254.28	257.15
बिहार	705.60	227.20	301.60	23.50	426.81		0.20	—	606.96	606.48
गोआ	42.40	21.40	78.00	44.80	6.30		4.00	3.13	27.36	27.95
गुजरात	835.50	424.90	409.00	208.60	206.15		49.00	46.08	806.28	810.44
हरियाणा	209.48	62.50	53.56	8.40	81.54		0.20	0.26	156.48	157.42
हिमाचल प्रदेश	144.00	98.20	131.00	45.20	24.73		1.50	1.10	42.24	42.68
जम्मू और कश्मीर	360.00	116.00	528.00	249.20	35.20		0.70	0.39	86.05	90.28
कर्नाटक	360.00	219.50	1443.12	942.90	225.59		11.00	6.63	476.91	486.40
केरल	585.00	557.30	1800.00	1170.50	148.40		—	0.20	283.77	290.55
मध्य प्रदेश	583.92	136.70	580.16	204.20	321.77		2.50	—	476.75	483.86
महाराष्ट्र	1100.00	610.60	858.00	359.50	383.87		30.00	15.14	1527.60	1521.22
मणीपुर	32.40	31.80	120.00	33.00	9.37		0.90	0.30	21.24	22.17
मेघालय	28.00	27.70	172.00	164.20	8.64		0.20	0.01	16.08	16.10
मिजोरम	24.00	23.40	94.00	93.63	3.69		1.30	0.40	6.36	6.41
नागालैण्ड	18.00	20.00	72.50	70.80	5.86		4.10	2.99	10.68	11.56
उड़ीसा	420.00	238.60	790.00	365.80	157.69		12.00	3.50	211.44	211.32
पंजाब	155.00	7.60	16.65	1.80	100.98		—	—	328.92	329.87
राजस्थान	1463.92	459.30	52.00	9.10	217.13		0.40	-	327.36	324.23
सिक्किम	12.30	10.10	57.60	43.80	2.11		0.84	0.63	8.28	8.00
तमिलनाडु	310.00	162.40	1590.00	1587.92	281.95		8.00	5.08	675.24	675.11
त्रिपुरा	21.60	9.60	194.40	148.60	13.32		0.10	0.04	23.16	22.96
उत्तर प्रदेश	1185.60	225.90	549.60	209.50	677.82		—	—	1087.48	1082.19
प० बंगाल	1098.60	842.20	856.00	457.10	333.35		17.00	14.92	756.00	759.68
अन्डमान और निकोबार	9.00	—	30.00	—	3.28		0.17	0.06	4.68	4.61
चण्डीगढ़	21.60	0.90	3.60	1.10	4.97		0.10	—	36.98	19.64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
दादर और नगर हवेली	2.75	0.50	6.00	1.20	0.65		0.64	0.42	3.12	3.12
दमन और द्वीव	2.15	—	6.70	1.00	0.49		0.89	0.46	3.00	2.71
दिल्ली	840.00	153.30	240.00	26.40	130.36		3.30	2.68	240.95	241.99
लक्षद्वीप	0.50	—	6.30	4.70	0.94		0.29	0.24	0.04	0.18
पाड़िचेरी	9.00	—	24.00	1.90	4.46		4.30	3.05	15.00	14.41
जोड़	11129.72	5147.40	14434.49	9164.56	4263.25		221.99	148.25	9146.57	9154.25

ऐसा माना जाता हैं कि लेवी चीनी का शत प्रतिशत उठान होता हैं।

आ०:- आवंटन उ०:- उठान

विवरण-II

वित्तीय वर्ष 1996-97 के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरित गेहूं, चावल, खाद्य तेल, मिट्टी के तेल, चीनी का राज्यवार आवंटन और उठान

(आंकड़े 000 टन में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	गेहूं		चावल		चीनी		खाद्य तेल		मिट्टी का तेल	
	आ०	उ०	आ०	उ०	आ०	उ०	आ०	उ०	आ०	उ०
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
आन्ध्र प्रदेश	180.00	126.80	2490.00	1946.70	354.69		49.00	44.48	639.36	643.18
अरुणाचल प्रदेश	7.20	5.50	109.20	100.70	4.67		—	—	11.04	11.23
असम	355.50	301.80	648.70	520.80	121.71		1.00	0.34	258.66	250.94
बिहार	697.80	438.70	389.60	37.60	464.12		0.70	—	852.96	652.18
गोआ	37.20	32.60	90.00	59.50	6.14		3.20	2.68	27.82	27.91
गुजरात	690.90	824.30	376.00	276.40	213.76		40.00	43.35	826.02	830.26
हरियाणा	208.16	130.20	52.00	21.50	86.17		—	—	160.28	160.85
हिमाचल प्रदेश	140.00	119.20	122.80	86.50	26.49		1.40	0.91	58.30	55.90
जम्मू और कश्मीर	360.00	149.00	528.00	353.70	46.70		0.70	0.43	89.52	88.75
कर्नाटक	356.00	286.70	1453.12	1110.00	240.00		10.00	11.39	503.18	501.48
केरल	572.50	544.00	1847.00	1530.80	151.63		2.00	0.97	284.76	287.61
मध्य प्रदेश	605.62	431.10	613.68	302.80	353.50		—	—	518.19	512.14
महाराष्ट्र	1010.00	849.80	858.00	553.70	407.35		34.00	33.39	1510.19	1544.76
मणीपुर	32.40	31.30	120.00	58.90	10.36		2.10	1.90	22.48	21.73
मेघालय	29.50	26.60	190.00	181.90	9.65		0.70	0.23	20.07	20.06
मिजोरम	23.50	21.10	92.05	88.60	3.96		1.40	0.45	7.98	7.69
नागालैण्ड	8.60	8.70	81.20	89.40	7.04		2.80	1.94	13.74	13.77
उड़ीसा	451.00	419.70	1012.00	585.10	170.11		7.00	3.18	233.45	232.95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
पंजाब	121.00	61.94	18.00	2.00	109.96		—	—	335.95	335.50
राजस्थान	1358.37	1141.30	59.00	16.60	235.79		0.35	—	352.34	349.40
सिक्किम	10.70	11.20	60.10	81.10	2.19		0.77	0.74	7.80	8.15
तमिलनाडु	287.20	217.10	1903.50	1865.90	298.58		7.00	6.44	693.13	689.14
त्रिपुरा	21.60	14.70	194.40	150.00	15.02		0.70	0.10	30.84	28.83
उत्तर प्रदेश	1140.40	893.60	532.20	356.80	743.45		—	—	1140.13	1145.82
प० बंगाल	1071.00	904.80	790.00	517.10	364.73		18.50	19.27	767.08	766.79
अडमान और निकोबार	9.00	7.28	30.00	2.47	3.53		0.23	0.08	5.02	4.94
चण्डीगढ़	21.60	7.91	3.60	2.20	4.96		—	—	21.38	19.63
दादर और नगर हवेली	3.00	2.20	6.00	4.11	0.76		0.56	0.54	3.14	3.08
दमन और द्वीव	2.40	1.13	7.20	3.43	0.51		0.91	0.49	3.02	2.74
दिल्ली	700.00	676.90	240.00	113.60	149.70		3.60	2.95	243.66	241.92
लक्षद्वीप	0.50	0.22	6.30	6.60	1.02		0.28	0.19	0.90	0.34
पाडिचेरी	8.34	2.85	20.90	14.90	6.83		4.00	3.45	15.16	14.41
जोड़	10520.79	8390.22	14944.55	11021.41	4614.39		192.88	179.88	9497.72	9484.19

ऐसा माना जाता हैं कि लेवी चीनी का शत प्रतिशत उठान होता हैं।

आ०:- आवंटन उ०:- उठान

विवरण-II

वित्तीय वर्ष 1997-98 के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरित गेहूं, चावल, खाद्य तेल, मिट्टी के तेल, चीनी का राज्यवार आवंटन और उठान

(आंकड़े 000 टन में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	गेहूं		चावल		चीनी		खाद्य तेल		मिट्टी का तेल	
	आ०	उ०	आ०	उ०	आ०	उ०	आ०	उ०	आ०	उ०
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
आन्ध्र प्रदेश	183.00	125.29	2309.00	2000.07	348.82		28.00	11.92	655.95	620.14
अरुणाचल प्रदेश	7.11	5.76	107.85	89.31	4.57		—	—	11.06	11.21
असम	323.08	193.94	590.86	438.31	116.41		—	—	265.32	270.67
बिहार	788.40	513.74	489.80	156.31	447.36		0.30	0.60	683.86	680.58
गोआ	32.20	27.10	76.80	51.95	6.26		3.50	1.37	28.04	28.29
गुजरात	741.65	519.31	308.00	178.75	215.94		20.00	—	849.39	854.59
हरियाणा	178.56	98.44	5.00	4.10	88.21		—	—	165.61	165.83
हिमाचल प्रदेश	131.00	115.66	135.00	90.07	26.24		1.40	0.60	59.97	59.52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
जम्मू और कश्मीर	290.60	167.74	430.75	296.56	44.62		0.40	0.02	95.42	99.13
कर्नाटक	260.00	248.84	1024.52	833.94	235.02		10.00	4.89	516.71	516.03
केरल	389.04	370.93	1827.40	1607.38	136.16		—	—	290.86	288.34
मध्य प्रदेश	584.90	308.91	463.60	297.27	346.00		—	—	540.52	541.31
महाराष्ट्र	1251.80	987.43	678.40	562.37	411.81		30.00	25.01	1554.27	1559.14
मणीपुर	25.68	27.61	101.40	45.19	9.98		0.80	0.80	22.40	22.12
मेघालय	25.54	28.70	199.30	152.89	9.45		—	—	20.60	20.75
मिजोरम	16.94	17.70	106.18	95.05	3.84		0.80	0.15	8.17	8.04
नागालैण्ड	28.73	29.24	108.97	92.22	6.86		1.60	1.04	14.06	13.98
उड़ीसा	299.00	207.19	715.40	550.84	164.38		7.30	4.29	242.37	242.32
पंजाब	91.30	14.18	12.60	1.82	107.57		—	—	33825	335.92
राजस्थान	901.37	451.44	56.86	4.17	230.71		—	—	367.25	367.12
सिक्किम	5.68	5.32	77.38	52.05	2.14		0.88	0.56	8.05	8.02
तमिलनाडु	244.60	124.48	1359.71	1261.92	291.79		4.00	3.95	701.99	689.44
त्रिपुरा	17.96	14.49	167.33	153.49	14.81		—	—	31.64	31.71
उत्तर प्रदेश	1214.82	867.20	521.69	320.98	722.64		1.70	0.01	1189.08	1187.14
प० बंगाल	1193.20	927.66	536.90	315.98	356.90		20.00	3.22	787.96	788.68
अण्डमान और निकोबार	9.00	0.10	30.00	0.20	5.41		0.11	—	6.65	6.62
चण्डीगढ़	17.58	5.27	2.94	2.08	4.10		—	—	21.62	18.40
दादरा और नगर हवेली	1.98	1.26	4.95	2.78	0.73		0.32	0.30	3.25	3.22
दमन और द्वीव	1.50	0.69	4.38	3.34	0.45		0.52	0.48	3.01	2.86
दिल्ली	881.47	532.02	174.30	100.34	147.34		2.12	1.40	246.02	242.90
लक्षद्वीप	0.50	0.85	8.70	3.11	1.00		0.40	0.20	0.88	0.70
पांडिचेरी	4.82	—	20.14	—	5.28		2.00	1.68	15.38	14 62
जोड़	9924.01	6938.49	12855.91	9764.84	4510.80		136.15	62.49	9755.61	9699.34

ऐसा माना जाता है कि लेवी चीनी का शत प्रतिशत उठान होता है।

आ०:-आवंटन उ०:- उठान

विवरण-IV

विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त अतिरिक्त आवंटन की मांग बताने वाला विवरण

क्र.सं.	राज्य का नाम	अनुरोध का ब्यौरा
1	2	3
1	असम	बाढ़ राहत के लिए 20,000 टन अतिरिक्त चावल जिसका उठान 31 अकटूबर, 1997 तक वैध था।
2.	बिहार	बाढ़ राहत के लिए जून माह के अप्रयुक्त कोटे को जारी करना।
3.	दिल्ली	मई, 97 के आवंटन को बनाए रखने के लिए जून, 97 से 24,600 टन चावल और 7, 110 टन गेहूं का अतिरिक्त आवंटन।
4.	गोवा	2500 टन चावल और 1000 टन गेहूं का अतिरिक्त आवंटन।
5.	गुजरात	चावल और गेहूं की अतिरिक्त मात्रा।
6.	हरियाणा	सरकारी विभाग के लिए 200 टन गेहूं आवंटित करने के लिए अनुरोध।

1	2	3
	हरियाणा	चावल और गेहूं की अतिरिक्त आवश्यकता।
7.	जम्मू और कश्मीर	प्रति वर्ष 188000 टन खाद्यान्नों का अतिरिक्त आवंटन।
8.	—वही—	चावल और गेहूं कोटे की अतिरिक्त आवश्यकता।
8.	कर्नाटक	प्रति माह 120000 टन खाद्यान्न के लिए अनुरोध।
9.	केरल	लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के पूर्व के स्तर पर खाद्यान्न आवंटन बहाल करना।
	—वही—	गरीबी रेखा से नीचे/गरीबी रेखा से ऊपर की आबादी के लिए चावल/गेहूं का संशोधित कोटा।
10.	मध्य प्रदेश	भूकंप राहत के लिए 5000 टन गेहूं का अतिरिक्त आवंटन।
11.	मणिपुर	केन्द्रीय निर्गम मूल्य की दरों पर अतिरिक्त 1840 टन चावल और 2590 टन गेहूं।
12.	महाराष्ट्र	अगस्त, 1997 से गेहूं और चावल के कोटे में वृद्धि।
	—वही—	—वही—
13.	मिजोरम	8000 टन चावल और 2000 टन गेहूं के पूर्व के आवंटन को बहाल करना।
14.	उड़ीसा	बाढ़/चक्र वात आदि के लिए चावल का आवंटन।
	—वही—	जून-अक्टूबर के पांच महीनों के लिए सूखा राहत के रूप में प्रति माह 20,000 टन अतिरिक्त चावल।
	—वही—	गेहूं कोटे को 30,000 टन से बढ़ाकर 50,000 टन करना।
15.	सिक्किम	मई, 97 के 5300 टन चावल और 1100 टन गेहूं के कोटे को बहाल करना।
16.	त्रिपुरा	लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन खाद्यान्नों के मासिक कोटे को बढ़ाकर 28400 टन करना।
	—वही—	विशेष पोषाहार कार्यक्रम के लिए 5000 टन अतिरिक्त चावल आवंटन की आवश्यकता।
	—वही—	1997-98 के लिए 500 टन चावल का आवंटन।
17.	तमिलनाडु	1,65,000 टन चावल और 22,300 टन गेहूं के मई, 1997 के आवंटन स्तर को बनाए रखना अर्थात् प्रति माह 31,000 टन चावल और 22,300 टन गेहूं का अतिरिक्त आवंटन।
18.	उत्तर प्रदेश	कुंभ मेले के लिए गेहूं का विशेष आवंटन।
19.	पश्चिम बंगाल	खाद्यान्न आवंटन के मई, 1997 के स्तर में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। जुलाई, अगस्त, सितम्बर, 1997 के लिए 5000 टन खाद्यान्न (चावल और गेहूं) का अतिरिक्त आवंटन।
20.	लक्षद्वीप	मई, 1997 के आवंटन को बनाए रखने के लिए 6300 टन चावल और 500 टन गेहूं का आवंटन।
21.	पांडिचेरी	त्यौहार (ओणम) के लिए 1000 टन गेहूं का आवंटन।
	—वही—	सार्वजनिक आवश्यकता पूरी करने के लिए 500 टन गेहूं का आवंटन।
	—वही—	सितम्बर के लिए 1500 टन चावल का अतिरिक्त आवंटन और उसके बाद, सितम्बर, 1997 से 600 टन चावल और 300 टन गेहूं का आवंटन बाढ़ के लिए अतिरिक्त कोटा।
22.	उत्तर प्रदेश	जनवरी और फरवरी, 1998 के लिए 30000 टन गेहूं की अतिरिक्त आवश्यकता।
	—वही—	फरवरी और मार्च, 1998 के लिए 40000 टन गेहूं की अतिरिक्त आवश्यकता।
	—वही—	फरवरी, 1998 के लिए 10000 टन गेहूं की अतिरिक्त आवश्यकता।
23.	नागालैंड	जनवरी के लिए 2000 टन और फरवरी, 1998 के लिए 5000 टन की अतिरिक्त आवश्यकता।
	—वही—	मई और जून, 1998 के लिए 3500 टन गेहूं की अतिरिक्त आवश्यकता।
24.	दिल्ली	फरवरी, 1998 के लिए 50000 टन गेहूं की अतिरिक्त आवश्यकता।
25.	पश्चिम बंगाल	फरवरी, मार्च, अप्रैल, 1998 के लिए 10000 टन चावल और 20000 टन गेहूं की अतिरिक्त आवश्यकता।
26.	मध्य प्रदेश	गेहूं कोटे में वृद्धि।
27.	राजस्थान	फरवरी, मार्च, 1998 के लिए 20000 टन गेहूं की अतिरिक्त आवश्यकता।
28.	हरियाणा	जनवरी, फरवरी, मार्च, 1998 के लिए 20000 टन गेहूं की अतिरिक्त आवश्यकता।
29.	महाराष्ट्र	50000 टन गेहूं की अतिरिक्त आवंटन।
30.	—वही—	—वही—
	—वही—	अप्रैल और इसके बाद 50000 टन गेहूं की अतिरिक्त आवश्यकता।
30.	उड़ीसा	अप्रैल, 1998 और इसके बाद प्रति माह 500 टन चावल की अतिरिक्त आवश्यकता।
	—वही—	अप्रैल, 1998 और इसके बाद 50000 टन गेहूं और चावल प्रत्येक की अतिरिक्त आवश्यकता।

विवरण-

जून 97 से नवम्बर, 97 तक आर्थिक लागत पर और दिसम्बर से ग०रे०ऊ० की आबादी के लिए लागू

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	चावल												
		जून 1997	जुलाई 1997	अगस्त 1997	सित० 1997	अक्तू० 1997	नव० 1997	दिस० 1997	जन० 1998	फर० 1998	मार्च 1998	अप्रैल 1998	मई 1998	जून 1998
1.	आंध्र प्रदेश													
2.	अरुणाचल प्रदेश	1.802	1.802	1.802	1.802	1.802	1.802	2.540	2.540	2.540	2.540	2.540	2.540	2.540
3.	असम	8.488	28.488	8.488	8.488	8.488	8.488	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	35.000
4.	बिहार													
5.	दिल्ली		0.080	0.080	0.080	0.080	0.080	5.000						
6.	गोवा			6.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7.	गुजरात			12.000	12.000	12.000	12.000	10.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
8.	हरियाणा													
9.	हिमाचल प्रदेश		2.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
10.	जम्मू और कश्मीर	12.500	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11.	कर्नाटक			30.000	30.000	30.000	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
12.	केरल			30.000	80.000	30.000	30.000	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
13.	मध्य प्रदेश													
14.	महाराष्ट्र				20.000	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15.	मणिपुर	0.740	0.740	3.740	3.740	3.740	3.740	5.840	5.840	5.840	5.840	5.840	5.840	5.840
16.	मेघालय	6.338	6.338	6.338	6.338	6.338	6.338	6.338	6.338	6.338	6.338	6.338	6.338	6.338
17.	मिजोरम	0.083	0.083	3.083	3.083	3.083	3.083	3.083	3.083	3.083	3.083	3.083	3.083	3.083
18.	नागालैंड								1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19.	उड़ीसा	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	15.500	15.500
20.	पंजाब													
21.	राजस्थान			21.000				3.890	3.890	3.890	3.890	3.890	3.890	3.890
22.	सिक्किम		2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
23.	तमिलनाडु	81.000	46.414					15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
24.	त्रिपुरा	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020	4.770	4.770	4.770	4.770	4.770	4.770	4.770
25.	उत्तर प्रदेश			3.190	0.000	7.716		3.680						
26.	पश्चिम बंगाल							10.000	10.000	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000
27.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह													
28.	चण्डीगढ़							0.110	0.110	0.110	0.110	0.110	0.110	0.110
29.	दादर और नागर हवेली							0.200	0.250	0.250	0.250	0.250	0.250	0.250
30.	दमन और द्वीव							0.470	0.470	0.470	0.470	0.470	0.470	0.470
31.	लक्षदीप				2.400									
32.	पांडिचेरी				0.500		+2.000	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060
	जोड़	130.971	127.765	177.541	222.751	177.567	171.851	165.481	152.851	162.851	162.851	152.851	158.351	178.351

जुलाई से दिसम्बर, 97 के छः महीनों के लिए भूकंप राहत के लिए।

% जून से अक्तूबर, 97 के पांच महीनों के लिए सूखा राहत के लिए 20000 टन चावल प्रति माह की दर पर।

* प्रति माह 81000 टन चावल मंजूर किया गया था तथापि, तमिलनाडु के मुख्य मंत्री ने सूचित किया है कि जुलाई से सितम्बर, 97 के लिए राज्य को इसकी जरूरत नहीं होगी क्योंकि तमिलनाडु नागरिक आपूर्ति निगम ने आंध्र प्रदेश से चावल खरीद लिया है।

गणेश चतुर्थी के लिए गोवा को 3500 टन चावल का विशेष अतिरिक्त आवंटन किया गया।

सितम्बर, अक्तूबर और नवम्बर के प्रत्येक माह के लिए पश्चिम बंगाल को 20000 टन गेहूं आवंटित।

आगामी त्यौहार (दुर्गा पूजा) के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन अतिरिक्त मांग।

V

दरों पर विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को किए गए चावल और गेहूं के अतिरिक्त आवंटन बताने का विवरण *(हजार टन में)*

गेहूं											
जून 1997	जुलाई 1997	अगस्त 1997	सित० 1997	अक्तू० 1997	नव० 1997	दिस० 1997	जन० 1998	फर० 1998	मार्च 1998	अप्रैल 1998	मई 1998
							15.000	15.000	15.000	0.000	0.000
				10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		40.000									
	0.150	10.150	10.150	10.150	10.150	17.930	22.930	22.930	22.930	10.000	10.000
		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		10.000	10.000	10.000	10.000	12.500	20.000	20.000	20.000		
		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	15.000	15.000	15.000	5.000	5.000
	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	4.410	4.410	4.410	4.410	4.410	4.410
3.420	10.359	10.359	10.359	10.359	10.359	21.540	21.540	21.540	21.540	21.540	21.540
						5.000	15.000	15.000	15.000	5.000	5.000
						15.000	25.000	25.000	25.000	15.000	15.000
	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0.000	0.000
			30.000	30.000	30.000	15.000	50.000	50.000	50.000		
						0.990	0.990	0.990	0.990	0.990	0.990
						1.460	1.460	1.460	1.460	1.460	1.450
						0.950	0.950	0.950	0.950	0.950	0.950
						1.200	3.000	3.000	3.000	1.000	1.000
		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	33.000	33.000	33.000	25.000	25.000
		20.000				15.000	15.000	25.000	25.000	15.000	15.000
						0.790	0.790	0.790	0.790	0.790	0.790
			20.000	20.000	20.000	20.000	40.000	40.000	40.000	30.000	30.000
						0.520	0.520	0.520	0.520	0.520	0.520
		8.949	0.000	25.497		11.070	20.000	40.000	40.000		
			20.000	20.000	20.000	0.900	15.900	20.900	20.900	0.900	0.900
						0.670	0.670	0.670	0.670	0.670	0.670
						0.170	0.170	0.170	0.170	0.170	0.170
						0.150	0.150	0.150	0.150	0.150	0.150
			0.200			0.730	0.730	0.730	0.730	0.730	0.730
3.420	18.009	132.958	134.209	169.506	144.009	186.980	338.210	373.210	373.210	150.280	150.280

= इसमें ओणम के लिए आर्थिक लागत पर दी गई 50000 टन चावल की मात्रा शामिल है जिसका उठान 30.9.97 तक किया जाना था। ''लक्षद्वीप को आर्थिक लागत (अति.) पर आवंटित 2400 टन चावल, जिसका उठान 31.5.98 तक किया जाना है।

+ राहत प्रचालनों के लिए पांडिचेरी को आवंटित।

कर्नाटक को गरीबी रेखा से ऊपर की आबादी के लिए लागू दरों पर आवंटित 5000 टन गेहूँ।

नागालैण्ड को क्रिसमस के लिए गरीबी रेखा से ऊपर की आबादी के लिए लागू दरों पर आवंटित 1200 टन गेहूँ।

जनवरी, 98 में पश्चिम बंगाल को रमजान और ईद त्यौहारों के लिए आवंटित 15000 टन गेहूँ।

नवम्बर, 97 तक आर्थिक लागत पर अतिरिक्त आवंटन किए जा रहे थे और दिसम्बर, 97 के लिए गरीबी रेखा से ऊपर की आबादी के लिए लागू दरों पर और इसके अधीन आवंटित मात्रा का प्रयोग केवल सार्वजनिक वितरण प्रणाली के उपभोक्ताओं को वितरण के लिए किया जाएगा।

विवरण-VI

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अगस्त-नवम्बर, 98 के लिए आयातित खाद्य तेलों की मांग बताने वाला विवरण

(मात्रा हजार टन में)

क्र०सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	32,000
2.	अरुणाचल प्रदेश	प्राप्त नहीं
3.	असम	प्राप्त नहीं
4.	बिहार	1,200
5.	गोआ	2,000
6.	गुजरात	36,000
7.	हरियाणा	400
8.	हिमाचल प्रदेश	प्राप्त नहीं
9.	जम्मू और कश्मीर	प्राप्त नहीं
10.	कर्नाटक	10,000
11.	केरल	शून्य
12.	मध्य प्रदेश	प्राप्त नहीं
13.	महाराष्ट्र	27,000
14.	मणिपुर	2,400
15.	मेघालय	400
16.	मिजोरम	270
17.	नागालैंड	प्राप्त नहीं
18.	उड़ीसा	10,000
19.	पंजाब	शून्य
20.	राजस्थान	प्राप्त नहीं
21.	सिक्किम	880
22.	तमिलनाडु	4,000
23.	त्रिपुरा	प्राप्त नहीं
24.	उत्तर प्रदेश	शून्य
25.	पश्चिम बंगाल	14,000
26.	अंडमान एवं निकोबार दीप समूह	प्राप्त नहीं
27.	चण्डीगढ़	प्राप्त नहीं
28.	दादर और नागर हवेली	320
29.	दिल्ली	2,104
30.	दमन और दिव	420
31.	लक्षदीप	400
32.	पांडिचेरी	4,000
	अखिल भारत	

विवरण-VII

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन जून, 1997 से मार्च, 1998 तक चावल के आवंटन को बताने वाला विवरण

(हजार टन में)

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आवंटन			
		ग०रे०नी०	ग०रे०ऊ०	अतिरिक्त	जोड़
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	348.84	1540.16	0.00	1889.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	6.94	58.75	20.97	86.66
3.	असम	183.57	166.35	130.93	480.85
4.	बिहार	343.60	79.20	0.00	422.80
5.	दिल्ली	7.20	121.70	5.40	134.30
6.	गोवा	2.60	35.70	23.50	61.80
7.	गुजरात	0.00	180.00	58.00	238.00
8.	हरियाणा	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	हिमाचल प्रदेश	0.00	54.19	58.00	112.19
10.	जम्मू और कश्मीर	40.19	131.07	171.50	342.76
11.	कर्नाटक	230.00	370.00	180.00	780.00
12.	केरल	153.50	1112.86	245.00	1511.36
13.	मध्य प्रदेश	240.00	103.50	0.00	343.50
14.	महाराष्ट्र	211.60	223.80	100.00	535.40
15.	मणीपुर	12.02	29.58	39.80	81.40
16.	मेघालय	12.78	91.12	61.38	165.28
17.	मिजोरम	4.66	60.70	24.83	90.19
18.	नागालैंड	7.52	86.45	3.00	96.97
19.	उड़ीसा	318.20	37.20	160.00	515.40
20.	पंजाब	6.30	2.80	0.00	[illegible]
21.	राजस्थान	2.50	7.80	38.56	46.86
22.	सिक्किम	3.36	29.42	34.00	68.78

1	2	3	4	5	6
23.	तमिलनाडु	457.90	384.40	187.41	1029.71
24.	त्रिपुरा	22.92	91.53	25.20	139.65
25.	उत्तर प्रदेश	315.00	112.00	14.59	441.59
26.	पं. बंगाल	241.96	104.94	60.00	406.90
27.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1.80	28.20	0.00	30.00
28.	चण्डीगढ़	0.20	1.70	0.44	2.34
29.	दादर और नागर हवेली	1.20	1.80	0.95	3.95
30.	दमन और द्वीव	0.20	1.10	1.88	3.18
31.	लक्षद्वीप	0.24	6.06	2.40	8.70
32.	पांडिचेरी	8.50	2.90	6.74	16.14
	जोड़	3183.80	5256.98	1652.48	10093.26

विवरण-VIII

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन जून, 1997 से मार्च, 1998 तक गेहूं के आवंटन को बताने वाला विवरण

(हजार टन में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आवंटन			
		ग.रे.नी.	ग.रे.ऊ.	अतिरिक्त	जोड़
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	3.00	105.00	45.00	153.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.67	5.24	0.00	5.91
3.	असम	7.02	196.06	60.00	263.08
4.	बिहार	515.40	118.80	40.00	674.20
5.	दिल्ली	22.40	381.60	127.47	531.47
6.	गोवा	1.20	16.90	8.00	26.10
7.	गुजरात	200.00	295.00	112.50	607.50
8.	हरियाणा	73.30	7.20	70.00	150.60
9.	हिमाचल प्रदेश	38.93	37.95	30.14	107.02
10.	जम्मू और कश्मीर	14.47	74.74	141.37	230.59
11.	कर्नाटक	57.50	92.50	50.00	200.00
12.	केरल	0.00	214.04	90.00	304.04
13.	मध्य प्रदेश	293.40	126.50	45.00	464.90
14.	महाराष्ट्र	393.00	413.80	266.00	1061.80
15.	मणीपुर	0.31	16.79	3.96	21.06
16.	मेघालय	1.22	14.48	5.84	21.54
17.	मिजोरम	0.04	10.10	3.80	13.94
18.	नागालैंड	1.87	15.46	10.20	27.53
19.	उड़ीसा	0.00	0.00	199.00	199.00
20.	पंजाब	36.20	15.10	0.00	61.30
21.	राजस्थान	214.50	326.80	100.00	641.30
22.	सिक्किम	0.04	1.28	3.16	4.48
23.	तमिलनाडु	0.00	0.00	200.00	200.00
24.	त्रिपुरा	0.00	12.80	2.08	14.88
25.	उत्तर प्रदेश	640.00	221.70	145.62	1007.22
26.	पं. बंगाल	217.00	647.60	118.60	983.20
27.	अडमान और निकोबार दीपसमूह	0.84	8.16	0.00	9.00
28.	चण्डीगढ़	1.60	9.70	2.68	13.98
29.	दादर और नागर हवेली	0.30	0.50	0.68	1.48
30.	दमन और द्वीव	0.10	0.40	0.60	1.10
31.	लक्षद्वीप	0.00	0.50	0.00	0.50
32.	पांडिचेरी	0.00	0.20	3.12	3.32
	जोड़	2734.32	3386.90	1873.72	7994.94

ग.रे.नी. : गरीबी रेखा से नीचे

ग.रे.ऊ. : गरीबी रेखा से ऊपर

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में जनजातीय विकास के लिए केन्द्रीय सहायता

1002. श्री रामानन्द सिंह : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार ने 1996-97 तथा 1997-98 के दौरान मध्य प्रदेश को जनजातीय विकास के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता से धनराशि प्रदान की है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) प्रत्येक मदों पर वर्ष-वार कितनी धनराशि खर्च की गई?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) जी, हां।

(ख) कल्याण मंत्रालय ने वर्ष 1996-97 तथा 1997-98 के दौरान

मध्य प्रदेश को आदिवासी विकास के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता से क्रमश: 7695.71 लाख रूपए तथा 9207.83 लाख रूपए प्रदान किए हैं।

(ग) विशेष केन्द्रीय सहायता के अंतर्गत राज्य सरकार को आबंटित/निर्मुक्त धनराशि का उपयोग मुख्यत: परिवारोन्मुखी आय सृजन करने वाली योजनाओं के लिए उनके प्रासंगिक अवसंरचना को पर्याप्त तरजीह देते हुए किया जाता है। तथापि जिन योजनाओं के लिए मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा विशेष केन्द्रीय सहायता का उपयोग किया गया वे कृषि, बागवानी, पशु पालन, डेयरी विकास मात्सियकी, वन, खाद्य, तथा विद्युत बोर्ड, सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियरी, रेशम उद्योग, स्वास्थ्य, लोक निर्माण विभाग, खादी तथा ग्रामोद्योग, अनुसूचित जनजाति कल्याण और महिला तथा बाल विकास विभाग द्वारा चलाए जाते हैं।

[अनुवाद]

डेंगू के मामले

1003. **श्री दिन्शा पटेल :**
श्री जयसिंहजी चौहान :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षो के दौरान 31 मार्च, 1998 तक दिल्ली और देश के अन्य भागों में राज्य-वार प्रत्येक वर्ष विभिन्न अस्पतालों में डेंगू के कितने मामले आए;

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान देश में राज्य-वार डेंगू बुखार से कितने लोगों की मृत्यु हुई; और

(ग) सरकार द्वारा इस बीमारी को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) और (ख) विगत तीन वर्षो के दौरान डेंगू रोगियों की संख्या और डेंगू से हुई मौतों को राज्यवार सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) इस रोग से बचाव और नियंत्रण के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए थे:

- निगरानी कार्यकलापों का तीव्रीकरण,
- वेक्टर नियंत्रण उपाय,
- रोगियों के उचित प्रबंधन हेतु अस्पतालीय सेवाओं का सुदृढ़ीकरण,
- सूचना, शिक्षा और संचार कार्यकलापों का तीव्रीकरण,
- स्रोत में कमी लाना,
- प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन,
- स्थानीय निकायों द्वारा जन जागरूकता अभियान,
- मच्छर पैदा करने वाली स्थितियों के विरुद्ध उपविधियां लागू करना और इन प्रावधानों की अवज्ञा करने वालों के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करना,
- दिल्ली नगर निगम अधिनियम के तहत सभी अस्पतालों के लिए डेंगू के मामलों को रिपोर्ट करने को अनिवार्य बनाते हुए डेंगू को अधिसूचनीय रोग घोषित करना,
- कार्य योजना के लिए विस्तृत दिशानिर्देशों का डेंगू से बचाव तथा नियंत्रण के लिए कार्यकलापों के कैलेन्डर का राज्यों में वितरण।

विवरण

1996, 1997 और 1998 के दौरान डेंगू रोगियों और मौतों की राज्यवार संख्या

राज्य	1995		1997	
	रोगी	मौतें	रोगी	मौतें
दिल्ली	10252	423	273	1
हरियाणा	1531	54	54	0
पंजाब	806	32	23	3
कर्नाटक	123	5	252	4
महाराष्ट्र	3058	5	249	5
उत्तर प्रदेश	145	10	29	1
तमिलनाडु	491	16	254	21
गुजरात	14	0	5	0
राजस्थान			18	1
कुल	16531	545	1177	36

1998 - 31.3.98 तक केवल तमिलनाडु से 24 रोगियों और 3 मौतों की रिपोर्ट मिली है।

रोजगार कार्यालयों का पुनर्गठन

1004. **श्री अशोक नामदेवराव मोहोल :**
श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :

क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का रोजगार कार्यालयों का पुनर्गठन करने का विचार है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है,

(ग) सरकार का देश में बेरोजगार युवकों की संख्या कम करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है,

(घ) क्या सरकार का युवकों को व्यावसायिक मार्गनिर्देश देने के लिए कोई योजना शुरू करने का विचार है, और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्री (डा० सत्य नारायण जटिया) : (क) और (ख) जी हां। रोजगार एवं श्रम मंत्रालय की भूमिका संबंधी स्थिति पत्र, जिसमें रोजगार कार्यालयों का पुनर्गठन करना शामिल है, 9वीं योजना में शामिल करने हेतु योजना आयोग को प्रस्तुत कर दिया गया है।

(ग) 9वीं योजना दृष्टिकोण में पर्याप्त उत्पादक रोजगार सृजित करने तथा गरीबी का उन्मूलन करने की दृष्टि से कृषि एवं ग्रामीण विकास को प्राथमिकता देने की परिकल्पना की गई है। उत्पादक रोजगार, समानता के साथ विकास की इच्छुक राज्य नीति का एक महत्वपूर्ण आयाम है। बेरोजगारी एवं अल्परोजगार की उच्च दरों की प्रवृत्ति वाले क्षेत्रों में श्रम सघन सैक्टरों, सब-सैक्टरों तथा प्रौद्योगिकियों पर संकेन्द्रण से विकास प्रक्रिया में अधिक उत्पादक रोजगार स्वत: ही सृजित होगा।

(घ) और (ङ) रोजगार चाहने वालों तथा विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को आवश्यक व्यावसायिक मार्गदर्शन तथा सूचना उपलब्ध कराने हेतु रोजगार कार्यालयों में 329 व्यावसायिक मार्गदर्शन एकक तथा 85 विश्वविद्यालय रोजगार सूचना एवं मार्गदर्शन ब्यूरो कार्य कर रहे हैं। ये केन्द्र व्यावसायिक सूचना का संकलन एवं समेकन करते हैं तथा रोजगार चाहने वालों को मार्गदर्शन तथा आजीविका संबंधी परामर्श उपलब्ध कराते हैं।

आतंकवादी और विध्वंसकारी क्रियाकलाप (निवारण अधिनियम, 1985 के अंतर्गत न्यायालयों में लंबित मामले

1005. श्री जर्नादन प्रसाद मिश्र :
श्री मणीभाई रामजीभाई चौधरी :
श्री जी०एम० बनातवाला :
श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) "टाडा" न्यायालयों में "टाडा" के राज्य-वार कितने मामले लम्बित है;

(ख) राज्य-वार कितने व्यक्तियों को जमानत पर छोड़ा गया है तथा कितने व्यक्ति राज्य-वार अब भी निरुद्ध है;

(ग) क्या सरकार को इन लम्बित मामलों की मन्थर गति की जानकारी है;

(घ) यदि हां, तो इन मामलों के शीघ्र निपटान के लिए क्या कदम उठाये जाने का विचार है;

(ङ) विशेषकर "टाडा" अधिनियम के कथित दुरूपयोग को देखते हुए यह सुनिश्चित करने के लिए कि मासूम व्यक्तियों को तंग न किया जाए, सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं;

(च) क्या टाडा अधिनियम के व्यपगत होने के मद्देनजर सरकार का विचार टाडा के लम्बित मामलों को वापिस लेने का है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा निरुद्ध किये गये व्यक्तियों के कब तक जोड़े जाने की संभावना है;

(ज) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है; और

(झ) 60 साल से ऊपर की आयु के उन महिलाओं और पुरुषों जिनका टाडा के अंतर्गत निरुद्ध किये जाने के कारण स्वास्थ्य ठीक नहीं है, को छोड़ने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) से (घ) राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों से अद्यतन सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ङ) टाडा मामलों के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का अनुपालन करने के संबंध में राज्य सरकारों को निर्देश जारी किए गए हैं।

(च) जी नहीं, श्रीमान्।

(छ) प्रश्न नहीं उठता है।

(ज) करतार सिंह मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार, राज्य पुनरीक्षा समिति और केन्द्रीय पुनरीक्षा समिति द्वारा लम्बित पड़े टाडा मामलों की पुनरीक्षा की गयी है। इन पुनरीक्षणों के परिणामस्वरूप लगभग 24,576 व्यक्तियों के खिलाफ टाडा आरोप समाप्त कर दिए गए हैं। अब शेष बचे अधिकांश मामले गम्भीर आतंकवाद अपराधी से संबंधित है। अत: लम्बित पड़े इन टाडा मामलों को वापस लेना जनहित में नहीं होगा।

(झ) इस पहलू की जांच करने के लिए सभी राज्यों को निर्देश जारी किए जाएंगें।

सर्वाइकल कैंसर पर किया गया अनैतिक चिकित्सा अनुसंधान

1006. श्री मोहन सिंह :
प्रो० अजित कुमार मेहता :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दिल्ली के अलीपुर गांव में डाक्टरों द्वारा महिलाओं पर परीक्षण कर सर्वाइकल कैंसर पर अनैतिक अनुसंधान किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उक्त गांव में किए जा रहे अनैतिक चिकित्सा अनुसंधान की छानबीन की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) जनवरी, 1985 से मार्च, 1993 तक कोशिका-विज्ञान और निवारक अर्बुद विज्ञान संस्थान द्वारा अलीपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में एक समुदाय आधारित अध्ययन किया गया था। इस अध्ययन का उद्देश्य मौजूदा स्वास्थ्य आधारभूत ढांचे के जरिए पैप स्मीयर का एकत्रण करके गोवा (सर्वाइकल) के कैंसर के पूर्व और कैंसर के दौरान होने वाली विक्षतियों की जांच व्यवहार्यता को आंकना था। संस्थान की वैज्ञानिक सलाहकार समिति और परियोजना को परियोजना सलाहकार समिति ने नैतिक पहलू सहित परियोजना की प्रोटोकोल की पुनरीक्षा की और इसे स्वीकार कर लिया।

अध्ययन के मध्यवर्ती चरण के दौरान कुल 5,396 महिलाओं की जांच की गई। जांची गई किसी भी महिला को कैंसर नहीं था। तथापि, डायसप्लैसियास के 19 रोगियों का पता चला। इंकार करने के एक मामले को छोड़कर डाइसप्लैसियास के सभी मध्यम और गंभीर रोगियों का उपचार किया गया और प्रयोगात्मक उपचार संबंधी कोई प्रयास नहीं किया गया।

(ग) से (च) चूंकि इस अध्ययन में कोई नैतिक पहलू शामिल नहीं था, इसलिए जांच का प्रश्न नहीं उठता। अध्ययन की समग्र अवधि के दौरान सहायक सेवा सुविधा को ध्यान में रखा गया और इस अध्ययन के दौरान डाइसप्लैसियास से ग्रस्त पता लगी महिलाओं सहित सभी महिलाओं को समुचित उपचार प्रदान किया गया।

दिल्ली में नर्सों की हड़ताल

1007. श्री मोहन रावले :
श्रीमती गीता मुखर्जी :
श्री के॰सी॰ कोंडय्या :
श्री नादेन्दला भास्कर राव :
श्री राजवीर सिंह :
श्री के॰पी॰ नायडू :
श्री एस॰सी॰ जोस :
श्री दत्ता मेघे :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राजधानी में 28 सरकारी अस्पतालों में ग्यारह हजार से अधिक नर्से 5 मई, 1998 से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चली गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या उनकी हड़ताल कानूनी है;

(घ) क्या अंतरंग रोगियों और बहिरंग रोगियों के लिए आवश्यक चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था की गई थी;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(च) सरकार द्वारा उनकी मांगों को पूरा करने और सितम्बर, 1997 में उनके साथ किए गए समझौते को लागू करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(छ) क्या 5 मई, 1998 को अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने से पूर्व वे प्रतिदिन दो घंटे हड़ताल पर जा रही थीं;

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(झ) दिल्ली के अस्पतालों की नर्सों द्वारा बारम्बार हड़ताल किए जाने पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री दलित एझिलमलाई) : (क) राजधानी के सरकारी अस्पतालों में काम कर रही 5337 नर्से 5.5.1998 से ड्यूटी से अनुपस्थित रहीं।

(ख) दिल्ली नर्स संघ ने निम्नलिखित मांगों के लिए हड़ताल की थी:

(1) वेतनमानों में वृद्धि;

(2) प्रोन्नति के बेहतर अवसर;

(3) नर्सिंग भत्तों में वृद्धि;

(4) आवासीय सुविधाएं;

(5) नर्सिंग निदेशालय की स्थापना;

(6) रिक्त पदों को भरना।

(ग) चूंकि हड़ताल शुरू करने से पहले सहायक कानून आयुक्त के साथ समझौता कार्यवाही चल रही थी, नर्सों को हड़ताल पर नहीं जाना चाहिए था।

(घ) और (ङ) निम्नलिखित आकस्मिक उपाय शुरू किए गए थे:-

वरिष्ठ डाक्टरों को तैनात करके केन्द्र सरकार के तीन अस्पतालों में एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया जो चौबीस घंटे काम करता रहा; रेलवे, सेना तथा कुछ प्राइवेट अस्पतालों द्वारा चलाए जा रहे अस्पतालों में अतिरिक्त बिस्तर इयर मार्क किए गए; इन्टर्न तथा रेजिडेन्ट डाक्टरों को विशिष्ट कार्यों पर लगाया गया; संबद्ध संगठनों से नर्से काम पर लगाई गई; आपाती परिचर्या हेतु नर्सों की नई भर्ती करने का निर्णय लिया गया; दूसरे कर्मचारियों के द्वारा ड्यूटी करने में बाधा को रोकने के लिए चिकित्सा अधीक्षकों ने दीवानी न्यायालय से व्यादेश प्राप्त किए।

(च) सरकार ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित बातों का अनुमोदन किया है:

(1) 1200 पदों का उन्नयन जिससे केन्द्रीय सरकार के अस्पतालों को 33.24 प्रतिशत नर्सों को फायदा होगा;

(2) नर्सिंग भत्ते के मौजूदा 300 रूपए के स्तर से बढ़ाकर 1500 रूपए प्रतिमाह की दर से करना;

(3) श्रीनिवासपुरी में 18 करोड़ रूपए की लागत से 500 यूनिटों वाले आवासीय परिसर का निर्माण;

(4) रिक्तियों को भरने के लिए कारवाई करना।

(छ) और (ज) नर्से 30.4.98 से 4.5.98 तक 9.00 बजे पूर्वाह्ण से 11.00 बजे पूर्वाह्ण तक दो घंटे के लिए अपनी ड्यूटी से अनुपस्थित रहीं।

(झ) सरकार ने लम्बित मामलों की आवधिक समीक्षा करने के लिए स्थायी समिति गठित की है।

राजस्थान में नेफ्था आधारित कंपनियां

1008. श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पेट्रोरसायन काम्प्लैक्स के लिए राज्यों को नेफ्था आवंटित करने का क्या मापदंड है,

(ख) क्या राजस्थान सरकार ने सोडा राख, यूरिया, अमोनिया फासफेट का उत्पादन करने के लिए नेफ्था आवंटित करने और राजस्थान में पैट्रो काम्प्लैक्स स्थापित करने का केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है, और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या निर्णय लिया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) नेफ्था का विपणन और मूल्य निर्धारण 1.4.98 से नियंत्रनमुक्त कर दिए गए है। अब सरकार की ओर से किसी

आबंटन की आवश्यकता नहीं रह गई है। तेल कंपनियां परियोजना की व्यवहार्यता के बारे में रसायन और पेट्रोरसायन विभाग की सिफारिशों, अपेक्षित मात्रा और परस्पर सहमत वाणिज्यिक व्यवस्था के अधीन संभारतंत्र की व्यवहार्यता के आधार पर पेट्रोरसायन इकाइयों को आपूर्तियां करने का दायित्व ले सकती हैं। अपेक्षाकृत छोटी पेट्रोरसायन इकाइयों के लिए तेल कंपनियां एक तकनीकी मूल्यांकन समिति (टी ई सी) की सिफारिशों के आधार पर नाफ्था की आपूर्ति कर सकती हैं।

(ख) राजस्थान सरकार से इस मंत्रालय को अब तक ऐसा कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

ईसाइयों पर अत्याचार

1009. **श्री वी० एम० सुधीरन : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि:

(क) क्या यह सही है कि ईसाई पुजारियों, धर्मसंधिनियों (नन्स) तथा अन्य धर्म प्रचारकों पर अत्याचार बढ़ रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अहमदाबाद के निकट नरोड़ा में स्थित एक ईसाई गिरिजाघर को तोड़ दिया है; और

(घ) यदि हां, तो इस प्रकार की अनुचित गतिविधियों को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जाने का विचार है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है।

भाषा संबंधी विवाद

1010. **श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :**
श्री ए० वेंकटेश नायक :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि भाषा के संबंध में महाराष्ट्र और कर्नाटक की सरकारों के बीच गम्भीर विवाद चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दोनों राज्य सरकारों ने केन्द्र सरकार से इस मामले को सुलझाने के लिए मध्यस्थता करने की प्रार्थना की है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) से (घ) महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच सीमा विवाद के संबंध में हाल में केन्द्र सरकार को प्रस्तुत एक ज्ञापन में विवादित क्षेत्रों में मराठी बोलने वाली जनसंख्या पर कथित रूप से कन्नड़ भाषा थोपने के बारे में ध्यान आकर्षित किया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने इस मामले में केन्द्र सरकार द्वारा हस्तक्षेप करने की मांग की है ऐसे विवादों में संबंधित राज्य सरकारों को यह जरूरी है कि वे अपने मतभेदों को सौहार्दपूर्ण ढंग से दूर करें। इस बारे में संबंधित राज्य सरकारों को सभी प्रकार की सहायता उपलब्ध कराने में केन्द्र सरकार को प्रसन्नता होगी।

खरपतवार युक्त सोयाबीन का आयात

1011. **श्रीमती गीता मुखर्जी : क्या खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संयुक्त राज्य अमेरिका से आयात किए जाने वाले सोयाबीन में विजातीय खरपतवार और विषाणु पाए गए जैसाकि 2 अप्रैल, 1998 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उक्त समाचार पत्र में प्रकाशित तथ्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को सोयाबीन आयात के इस सौदे को रद्द करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खाद्य और उपभोक्ता मामले के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्य पाल सिंह यादव) : (क) से (घ) सरकार को संयुक्त राज्य और अन्य मूल की सोयाबीन में कुछ वायरल बीमारियों की उपस्थिति की जानकारी है जो भारत के लिए विदेशी है। सोयाबीन का आयात घरेलू उपलब्धता बढ़ाने के लिए अनुमत किया गया है। इस अनुमति में यह अनुबंध है कि बीन्स का आयात फूटन के रूप में किया जाता है अथवा पौध संगरोध प्राधिकारियों के पर्यवेक्षण के अधीन प्रवेश पत्तन पर इसकी फूटन की जाती है। फूटन के रूप में आयात अथवा प्रवेश पत्तन पर बीन्स फूटन बीजों को पूर्णतया अशाक्त कर देगी जिससे उनके अंकुरण की कोई भी सम्भावना दूर होगी और देश में विदेशी बीमारी के प्रवेश पर रोक लगेगी।

[हिन्दी]

ब्रिटिश जनरल मेडिकल काउन्सिल द्वारा फ्लैप टेस्ट एक एवं दो

1012. **श्री थावरचन्द गेहलोत : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने देश में फ्लैप टेस्ट एक और दो करने के लिए ब्रिटिश जनरल मेडिकल काउंन्सिल को अनुमति दी है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है,

(ग) यदि नहीं तो भविष्य में अनुमति देने के लिए क्या कारवाई की गई है,

(घ) केन्द्र सरकार से अनुमति लेने के पश्चात ब्रिटिश जरनल मेडिकल काउन्सिल द्वारा देश में जिन स्थानों एवं तिथियों में फ्लैप टेस्ट एक तथा दो किए गए, उनका ब्यौरा क्या है,

(ङ) फ्लैप टेस्ट एक और दो में कितने लोगों ने भाग लिया तथा लाभार्थियों की संख्या क्या है, और

(च) फ्लैप टेस्ट एक और दो के कारण लोगों को हुए लाभ तथा हानि का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है।

[अनुवाद]

कच्चा तेल

1013. श्री चंदू लाल अजमीरा :
श्री रामदास आठवले :
श्री सी० पी० एम० गिरियप्पा :
श्री सुधीर गिरि :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष कितनी मात्रा में कच्चे तेल का आयात किया गया और उस पर कितनी विदेशी मुद्रा व्यय की गई,

(ख) पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष अधिक तेल आयात किए जाने के क्या कारण हैं,

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में कच्चे तेल का कुल कितना उत्पादन हुआ,

(घ) क्या गत वर्षों के दौरान देश में कच्चे तेल के उत्पादन में कमी आई है,

(ङ) यदि हां, तो बाम्बेहाई के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में कच्चे तेल के उत्पादन स्तर में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है, और

(च) यदि हां, तो कच्चे तेल का उत्पादन बढ़ाने के लिए निर्धारित कुओं का ब्यौरा क्या है और नए क्षेत्रों से कच्चे तेल का कितना अतिरिक्त उत्पादन होने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान आयात किए गए कच्चे तेल की मात्रा और उस पर व्यय की गई विदेशी मुद्रा की राशि निम्नानुसार है:

मद	1995-96	1996-97	1997-98
कच्चे तेल का आयात	27.342	33.906	34.494
मात्रा (मिलियन मीट्रिक टन)			
मूल्य (करोड़ रुपये)	11517	18538	15897

(ख) वर्ष 1998-99 के दौरान समग्र अधिकाधिक क्षमता उपयोग के कारण रिफाइनरियों द्वारा पिछले वर्ष से अपेक्षाकृत अधिक क्रूड के संसाधन के कारण अपेक्षाकृत अधिक आयात किए जाने की आशा है।

(ग) और (घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान कच्चे तेल का कुल घरेलू उत्पादन क्रमश: 35.167 एम एम टी, 32.893 एम एम टी और 33.859 एम एम टी था।

(ङ) और (च) बम्बई हाई के अलावा अन्य प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र पश्चिमी क्षेत्र में गुजरात और पूर्वी क्षेत्र में असम है। इन क्षेत्रों से उत्पादन बढ़ाने के लिए जो उपाय आरंभ किए गए हैं, वे निम्नवत् है:

(1) वर्धित तेल निकासी योजनाओं का कार्यान्वयन।

(2) उत्पादक कूपों की मरम्मत।

(3) मल्टीलेटरल कूपों के वेधन, एक्सटेंडिड रीच वेधन, नलिका छिद्र वेधन, कूपों की लांग ड्रिफ्ट साइड ट्रेकिंग और इनफिल ड्रिलिंग के माध्यम से उत्पादन का इष्टतमीकरण।

(4) क्षेत्र की विशिष्ट समस्याओं के लिए विदेशी विशेषज्ञों की सेवाएं भाड़े पर लेना,

(5) बालू नियंत्रण/वाटर शट आफ कार्य

(6) कृत्रिम लिफ्ट की व्यवस्था।

उपर्युक्त उपाय से अतिरिक्त उत्पादन का परिमाण इस चरण पर तय नहीं किया जा सकता।

[हिन्दी]

चिकित्सा महाविद्यालय, अस्पताल और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की क्षति

1014. श्री दादा बाबूराव परांजपे : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 22 मई, 1997 को आए भूकम्प से मध्य प्रदेश के नर्मदा घाटी क्षेत्र में स्थित किसी चिकित्सा महाविद्यालय, अस्पताल/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को किसी प्रकार का नुकसान हुआ है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है,

(ग) क्या इसके परिणामस्वरूप इनमें से किसी संस्थाओं के रोगी और उनका चिकित्सा उपचार प्रभावित हुआ है,

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है,

(ङ) क्या प्रभावित क्षेत्र में कोई अस्थायी अस्पताल और स्वास्थ्य केन्द्र खोले गए हैं,

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है,

(छ) क्या सरकार ने इन संस्थाओं के पुनर्निर्माण या मरम्मत के लिए किसी प्रकार की सहायता उपलब्ध करायी है,

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है,

(झ) क्या उक्त क्षेत्र का सरकारी दौरा किया गया है, और

(ञ) यदि हां, तो अभी तक की गई व्यवस्था का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एझिलमलाई) : (क) से (ञ) 22 मई, 1997 को प्रात: 4.22 बजे जबलपुर शहर और आस-पास के क्षेत्रों में भूकम्प आया जो लगभग 30 सेकेन्ड तक रहा। इस भूकम्प से मानव जीवन पशुओं, निजी और सार्वजनिक भवनों को क्षति पहुंची और जल तथा बिजली आपूर्ति जैसी जन सेवाएं प्रभावित हुई। राज्य सरकार की रिपोर्ट के अनुसार भवनों के गिरने के कारण 39 मौतें हुई और 397 व्यक्ति घायल हुए। इसके अतिरिक्त, सार्वजनिक भवनों में राज्य और केन्द्र सरकार के भवन, आवासीय क्वार्टर, पुलिस कार्यालय के भवन, कृषि विश्वविद्यालय इसके छात्रावास और आवासीय क्वार्टर, स्कूल, चिकित्सा और अन्य कालेज तथा जबलपुर के नगर निगम से संबंधित भवन हैं। प्रत्येक जिले के प्रशासन ने सहायता, राहत और पुनर्वास उपाय शुरू किए हैं। जबलपुर शहर में 12 राहत शिविर स्थापित किए गए थे। चल चिकित्सा एककों के माध्यम से सबसे

बुरे तरीके से प्रभावित 11 गांवों को चिकित्सा सहायता प्रदान की गई। केन्द्रीय दल ने इस प्रयोजन के लिए 10.00 लाख रुपये देने की सिफारिश की। राज्य सरकार के अनुरोध पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने ऋण अदायगी के आधार पर 8,98,447/- रुपये के आपाती चिकित्सीय सामग्री की आपूर्ति की।

कृषि मंत्रालय, भारत सरकार के एक केन्द्रीय अध्ययन दल ने क्षति के स्वरूप और सीमा, राज्य सरकार द्वारा किए गए राहत उपायों और तत्काल राहत के लिए अपेक्षित वित्तीय सहायता तथा प्रभावित व्यक्तियों और सेवाओं की बहाली का मूल्यांकन करने के लिए 8.6.1997 को प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। केन्द्रीय दल ने राज्य सरकार को राष्ट्रीय आपदा राहत निधि से 7,386.48 रुपये देने की सिफारिश की है जिसमें से 100 लाख रुपये कालेजों, स्कूलों, आवासीय क्वार्टरों इत्यादि की मरम्मत करवाने के लिए खर्च किए गए।

[अनुवाद]

आंध्र प्रदेश में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा योजना के लाभार्थियों के लिए निजी अस्पताल

1015. **श्री एस० एस० ओवेसी** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा योजना के लाभार्थी केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त निजी अस्पतालों में उपचार सुविधा प्राप्त कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो आन्ध्र प्रदेश के उन अस्पतालों का ब्यौरा क्या है, जहां सी० जी० एच० एस० के लाभार्थी केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त निजी अस्पतालों में उपचार की सुविधा पा रहे हैं;

(ग) क्या सी जी एच एस लाभार्थियों के लिए रेफरल अस्पताल के लिए कई निजी अस्पतालों के प्रस्ताव लंबित पड़े हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा कब तक इन्हें मंजूरी प्रदान किए जाने की संभावना है, और

(ङ) सरकार ने सी जी एच एस के लाभार्थियों को रेफरल सुविधाएं प्रदान करने के संबंध में कितने अस्पतालों का निरीक्षण किया और उसका निष्कर्ष क्या हुआ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) जी, हां।

(ख) आन्ध्र प्रदेश में केवल हैदराबाद शहर में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (सी जी॰एच एस) कार्य कर रही है। इसके अतिरिक्त 23 प्राइवेट अस्पतालों/नैदानिक केन्द्रों तथा निजाम आयुर्विज्ञान संस्थान को के० स० स्वा० योजना के लाभार्थियों के उपयोग के लिए मान्यता प्रदान की गई है।

(ग) जी, हां।

(घ) और (ङ) अप्रैल, 97 में दिए गए विज्ञापन के प्रत्युत्तर में 34 प्राइवेट अस्पतालों/नैदानिक केन्द्रों ने सी जी एच एस के अन्तर्गत मान्यता के लिए आवेदन किया है।

के० स० स्वा० योजना के लाभार्थियों के लिए प्राइवेट अस्पतालों को मान्यता प्रदान करने की नीति की आवंटन की तुलना में अत्यधिक व्यय और न्यायालयों द्वारा हस्तक्षेप को देखते हुए समीक्षा की जा रही है।

श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली में आयातित दंत युनिट्स का उपयोग न होना

1016. **प्रो० अजित कुमार मेहता** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सहायता से "अल्ट्रा मार्डन डेंटल यूनिट्स" श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली में बेकार पड़ी हैं,

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं,

(ग) क्या सरकार ने भारी लागत पर आयात किए गए डेंटल यूनिट्स के इस्तेमाल न किए जाने के संबंध में कोई जांच कराई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) सरकार ने इस मामले में क्या कारवाई की है, और

(च) इन यूनिट्स को कब से चालू किए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) जी, नहीं।

श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल को सप्लाई की गई अति आधुनिक दन्त्य इकाई कार्य कर रही है।

(ख) से (च) प्रश्न नहीं उठते।

बाल श्रमिको का शोषण

1017. **श्री एन० डेनिस** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नियोक्ताओं द्वारा बाल श्रमिकों के शोषण को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) सरकार द्वारा बाल श्रमिकों को उपलब्ध कराए गए कल्याणकारी उपायों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार बाल श्रम पर नियंत्रण हेतु विशेष प्रस्ताव तैयार करने का है, और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्री (डा० सत्यनारायण जटिया) : (क) से (घ) देश में बाल श्रम की समस्या से निपटने के लिए सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं। बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत अधिनियम को अनुसूची के भाग क और ख में उल्लिखित 7 व्यवसायों और 18 प्रक्रियाओं में बच्चों का नियोजन प्रतिषिद्ध है। अधिनियम के अंतर्गत प्रतिषिद्ध व्यवसायों और प्रक्रियाओं में बच्चों को नियोजित करने वाले नियोजकों पर अभियोजन चलाया जा सकता है। कानूनी उपायों के अलावा, सरकार ने, जोखिमकारी व्यवसायों में काम कर रहे बाल श्रमिकों को हटाने और उनके पुनर्वास के उपाय किए हैं। जोखिमकारी व्यवसायों में काम कर रहे बच्चों के पुनर्वास के लिए अगस्त, 1994 में एक प्रमुख कार्यक्रम घोषित किया गया था। जोखिमकारी व्यवसायों में काम कर रहे लगभग 1.5 लाख बच्चों के पुनर्वास के लिए अब तक 76 बाल श्रम परियोजनाएं आरम्भ की गई हैं। इस मुद्दे पर माननीय सर्वोच्च न्यायलय

ने भी विचार विमर्श किया था। 10-12-96 के अपने निर्णय में न्यायालय ने जोखिमकारी व्यवसायों में काम कर रहे बच्चों को नियोजित करने वाले नियोजकों द्वारा मुआवाजे के भुगतान सहित अनेक निदेश दिये हैं। इन निदेशों को लागू करने के लिए सरकार ने अनेक उपाय किए हैं।

बाल दासता का उन्मूलन

1018. श्री माधवराव सिंधिया : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जनवरी, 1998 के दौरान दक्षिण एशिया बाल दासता उन्मूलन समूह ने बाल श्रम के विरोध में मनीला में हुए विश्व सम्मेलन में एक प्रतिनिधिमण्डल भेजा था, और

(ख) यदि हां, तो उक्त सम्मेलन में भारत में बाल दासता का उन्मूलन करने के लिए की गई टिप्पणियों और सुझावों का ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्री (डा॰ सत्यनारायण जटिया) : (क) जनवरी, 1998 में मनीला में बाल श्रम के विरूध में आयोजित किए गए किसी विश्व सम्मेलन के बारे में सरकार को कोई जानकारी नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

रोजगार कार्यालयों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए पंजीकरण

1019. श्री के॰ डी॰ सुल्तानपुरी : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के रोजगार कार्यालयों में राज्य-वार, पंजीकृत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग से संबंधित व्यक्तियों की संख्या कितनी है,

(ख) उनमें से स्नातकोत्तर और उच्चतम योग्यता प्राप्त व्यक्तियों की संख्या कितनी है, और

(ग) उन लोगों को रोजगार दिलाने के वास्ते क्या कदम उठाए गए हैं?

श्रम मंत्री (डा॰ सत्यनारायण जटिया) : (क) 31-12-1994 की स्थिति के अनुसार (नवीनतम उपलब्ध) रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अल्पसंख्यक रोजगार चाहने वालों, जिनमें यह आवश्यक नहीं कि सभी बेरोजगार हों, की राज्यवार संख्या विवरण-1 में दर्शाई गई है। पिछड़ी जाति के संबंध में सूचना नहीं रखी जाती है।

(ख) स्नातकोत्तर एवं उच्च अर्हताओं वाले रोजगार चाहने वालों की संख्या विवरण 2 में दी गई है।

(ग) 9वीं योजना दृष्टिकोण में पर्याप्त उत्पादक रोजगार सृजित करने तथा गरीबी का उन्मूलन करने की दृष्टि से कृषि एवं ग्रामीण विकास को प्राथमिकता देने की परिकल्पना की गई है। उत्पादक रोजगार, समानता के साथ विकास की इच्छुक राज्य नीति का एक महत्वपूर्ण आयाम है। बेरोजगारी एवं अल्परोजगार की उच्च दरों की प्रवृत्ति वाले क्षेत्रों में श्रम सघन सैक्टरों, सब-सैक्टरों तथा प्रौद्योगिकीयों पर संकेन्द्रण से विकास प्रक्रिया में अधिक उत्पादक रोजगार स्वत: ही सृजित होगा।

विवरण-I

31-12-94 की स्थिति के अनुसार रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अल्पसंख्यक अभ्यर्थियों की संख्या

(हजार में)

क्र॰ सं॰	राज्य/संघ शासित प्रदेश	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अल्पसंख्यक
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	376.4	87.1	250.1
2.	अरुणाचल प्रदेश	-	2.1	0.2
3.	असम	71.1	125.7	205.1
4.	बिहार	412.9	241.6	292.9
5.	गोआ	1.6	-	24.3
6.	गुजरात	171.5	88.5	72.6
7.	हरियाणा	108.4	**	19.7
8.	हिमाचल प्रदेश	99.5	15.7	12.4
9.	जम्मू और कश्मीर	7.5	0.8	62.1
10.	कर्नाटक	204.7	35.6	178.2
11.	केरल	375.7	19.5	1312.8
12.	मध्य प्रदेश	281.5	201.8	127.7
13.	महाराष्ट्र	538.1	122.4	387.1
14.	मणिपुर	2.1	64.6	75.9
15.	मेघालय	0.3	21.9	21.2
16.	मिजोरम	-	39.2	42.6
17.	नागालैंड	0.5	21.1	20.6
18.	उड़ीसा	117.1	74.6	31.9
19.	पंजाब	167.5	**	227.2
20.	राजस्थान	123.9	58.0	53.4
21.	सिक्किम			
22.	तमिलनाडु	775.3	12.6	549.5
23.	त्रिपुरा	13.0	15.7	4.3
24.	उत्तर प्रदेश	451.5	10.3	238.8
25.	पश्चिम बंगाल	489.2	90.8	669.9
26.	अंडमान एवं निकोबार दीप समूह	-	0.7	3.0
27.	चण्डीगढ़	40.9	0.1	23.7
28.	दादर और नागर हवेली	0.2	0.9	0.2

1	2	3	4	5
29	दिल्ली	144.1	19.6	34.0
30.	दमन और दीव	0.3	0.4	0.6
31	लक्षद्वीप		6.4	8.[illegible]
32.	पाण्डिचेरी	10.6	0.1	24.0
	कुल	4985.4	1377.8	4974.5

टिप्पणी : *इस राज्य में कोई भी रोजगार कार्यालय कार्य नहीं कर रहा है।

विवरण-II

31.12.94 को स्थिति के अनुसार रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के स्नातकोत्तरों की संख्या

(हजार में)

क्र सं	राज्य संघ शासित प्रदेश	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	2712	223
2.	अरुणाचल प्रदेश	-	-
3.	असम	167	146
4.	बिहार	386	296
5.	गोआ		-
	गुजरात	1097	631
	हरियाणा	278	-
8.	हिमाचल प्रदेश	863	275
9.	जम्मू और कश्मीर	15	12
10	कर्नाटक	2953	532
11	केरल	805	16
12.	मध्य प्रदेश	3436	1912
	महाराष्ट्र	3940	321
14	मणिपुर	10	158
15	मेघालय	6	75
16.	मिजोरम	-	142
17.	नागालैंड	2	84
18.	उड़ीसा	302	69
19.	पंजाब	811	-
20.	राजस्थान	1060	442
21.	*सिक्किम*	-	-
22.	तमिलनाडु	5369	40
23.	त्रिपुरा	123	32
24.	उत्तर प्रदेश	6870	181
25.	पश्चिम बंगाल	5045	116
26.	अंडमान एवं निकोबार दीप समूह	-	1
27.	चण्डीगढ़	234	5
28.	दादर और नागर हवेली	1	1
29.	दिल्ली	1573	215
30.	दमन और दीव	1	-
31.	लक्षद्वीप	-	21
32.	पाण्डीचेरी	603	-
	कुल	38662	5964

टिप्पणी : *इस राज्य में कोई भी रोजगार कार्यालय कार्य नहीं कर रहा है।

असम में हिंसा

1020. प्रो॰ पी॰ जे॰ कुरियन :
श्री ए॰ सी॰ जोस :
श्री पी॰ आर॰ किन्डिया :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बोडो उग्रवादियों द्वारा संथाल आदिवासियों पर हमला करके उनके घरों को आग लगाने व सैकड़ों लोगों के सिर काटने के बाद से असम के कोकराझार जिले में तनाव बढ़ गया है:

(ख) यदि हां, तो जानमाल की अनुमानित क्षति कितनी हुई और हिंसा पर नियंत्रण तथा अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों की सुरक्षा के लिए क्या उपाय किये गये हैं:

(ग) प्रभावित लोगों को केन्द्र सरकार द्वारा कितनी क्षतिपूर्ति दी गई है:

(घ) क्या सरकार के पास अवैध प्रवास (न्यायाधिकरण द्वारा अवधारण) अधिनियम 1983 को निरस्त करने का कोई प्रस्ताव है:

(ङ) यदि हां, तो संसद के सामने कब तक यह कानून लाया जाएगा:

(च) क्या सरकार का अखिल बोडो विद्यार्थी संघ को बातचीत के लिए बुलाए जाने का विचार है: और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) से (ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार बोडो-संथाल हिंसा के कारण असम के कोकराझार जिले में गंभीर जातीय तनाव पैदा हो गया, जिसमें 45 लोग (37 संथाल और 8 बोडो) मारे गए और 290 मकान (157 बोडो के और 133 संथालों के) जला दिए गए अथवा उन्हें क्षति पहुंचाई गई है। पुलिस सुरक्षा बलों की गश्त बढ़ा दी गई है। अब तक 248 व्यक्ति (196 संथाल और 52 बोडो) गिरफ्तार किए गए हैं।

सरकार ने स्थिति काबू में लाने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं और स्थिति पर निरन्तर नजर रखी जा रही है और उसकी समीक्षा की जा रही है। राज्य सरकार को सुग्राही बनाया गया है और अतिरिक्त अर्ध-सैनिक बल तैनात किए गए हैं।

राज्य सरकार ने 18 राहत कैम्प भी स्थापित किए हैं और खाद्य सामग्री सहित राहत का सामान उपलब्ध करा रही है तथा प्रत्येक मृतक के निकटतम संबंधी को 1 लाख रूपए और उस प्रत्येक परिवार को 10,000 रु. देने की घोषणा की है जिनके मकान जला दिए गए थे।

(घ) और (ङ) भारत सरकार, अवैध प्रवासी (अधिकरणों द्वारा अवधारण) अधिनियम, 1983 को निरस्त करने पर विचार कर रही है। संसद के समक्ष विधायन प्रस्तुत करने के लिए कोई समय-सीमा नहीं बताई जा सकती।

(च) और (छ) 25-26 मई, 1998 को ऑल बोडो स्टुडेंटस युनियन और अन्य बोडो ग्रुपों को बातचीत के लिए दिल्ली बुलाया गया था और विचार-विमर्श सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुआ।

[हिन्दी]

चल होम्योपैथिक डिस्पेंसरी शुरू करना

1021. **श्री आनन्द रत्न मौर्य :**
श्री रामपाल सिंह :
श्री पंकज चौधरी :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में चल होम्योपैथिक डिस्पेंसरी शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है तथा किन-किन राज्यों में ऐसी डिस्पेंसरियां स्थापित करने का प्रस्ताव है,

(ग) इस पर कितना धन व्यय होने का अनुमान है, और

(घ) इन चल होम्योपैथिक डिस्पेंसरियों के कब तक शुरू होने की सम्भावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) जी नहीं;

(ख) से (घ) ये प्रश्न नहीं उठते।0

[अनुवाद]

गुटका पर प्रतिबन्ध

1022. **श्री सी॰ पी॰ एम॰ गिरियप्पा :**
श्री जयसिंह जी चौहान :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में देश भर में पान मसाला और गुटका का कुल कारोबार कितना है,

(ख) क्या कुछ राज्य सरकारों ने केन्द्र सरकार से पान मसाला और गुटका पर प्रतिबन्ध लगाने की मांग की है,

(ग) यदि हां, तो उन राज्यों का ब्यौरा क्या है, और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं, अथवा उठाये जाने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) 1997 में पान मसाले और गुटके का वार्षिक कारोबार लगभग 1000/- करोड़ रुपये होने की सूचना दी गई है।

(ख) और (ग) आन्ध्र प्रदेश और महाराष्ट्र राज्य सरकारों ने केन्द्र सरकार से पान मसाले/गुटके के उत्पादन और बिक्री पर रोक लगाने की सम्भाव्यता की जांच करने का अनुरोध किया है। गोवा ने पहले ही 31.1.97 को "गोवा में धूम्रपान और थूकना निषेध अधिनियम 1971" के नाम से एक विधान अधिनियमित किया है जो अन्य बातों के साथ-साथ स्थान और/अथवा किसी जन सेवा वाहन में तम्बाकू के उत्पादों के विज्ञापन की मनाही करता है।

(घ) इस मामले में सभी सम्बन्धित क्षेत्रों के विचार जानने के लिए भारत सरकार के संबंधित मंत्रालय/विभागों को शामिल करते हुए हाल ही में एक अन्तर-मंत्रालय बैठक की गई है।

[हिन्दी]

खाद्यान्नों का सुरक्षित भंडार

1023. **प्रो॰ प्रेम सिंह चन्दूमाजरा :**
श्री चिन्ता मोहन :

क्या **खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मार्च, 1998 की स्थिति के अनुसार देश में पर्याप्त मात्रा में गेहूं और चावल का सुरक्षित भण्डार मौजूद था,

(ख) यदि हां, तो गेहूं और चावल की अलग-अलग मात्रा क्या थी, और

(ग) चालू वर्ष के दौरान सुरक्षित भण्डार कितनी मात्रा में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की जरूरत को पूरा कर सकेगा?

खाद्य और उपभोक्ता मामले के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्य पाल सिंह यादव) : (क) और (ख) जी, हां। बफर स्टाक मानदण्ड की तुलना में गेहूं और चावल की पर्याप्त मात्रा थी। बफर स्टाक संबंधी निर्धारित मानदण्डों के अनुसार रखे जाने वाले गेहूं और

चावल के अपेक्षित न्यूनतम स्टाक और पहली अप्रैल, 1998 (अर्थात् 31.3.98 को स्थिति के अनुसार इतिशेष स्टाक) को केन्द्रीय पूल में उपलब्ध स्टाक निम्नानुसार है:

(मात्रा मिलियन टन में)

निर्धारित न्यूनतम बफर स्टाक मानदण्ड		केन्द्रीय पूल में स्टाक	
गेहूं	चावल	गेहूं	चावल
3.70	10.80	5.08(अ.)	13.05(अ.)

(अ.): अनंतिम

(ग) चालू वर्ष के दौरान देश की सार्वजनिक वितरण प्रणाली की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए गेहूं और चावल का पर्याप्त स्टाक है।

चीनी का निर्यात

1024. **श्री रामदास आठवले : क्या खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने चीनी निर्यात करने हेतु चीनी मिलों को लाइसेंस जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक चीनी मिल द्वारा विशेष रूप से महाराष्ट्र में कितनी चीनी निर्यात की जानी है;

(ग) क्या सरकार ने पिछले दो महीनों के दौरान चीनी निर्यात की है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार को कितनी हानि हुई है?

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्य पाल सिंह यादव) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) सरकार चीनी का कोई निर्यात नहीं कर रही है और इसलिए सरकार को हानि होने का कोई प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

यकृत-शोथ (हेपेटाईटिस-बी) के मामले

1025. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 31 मार्च, 1998 तक विभिन्न राज्यों द्वारा सूचित यकृत-शोथ (हेमेटाईटिस-बी) के मामलों की राज्य वार संख्या कितनी है,

(ख) इस बीमारी की रोकथाम के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं,

(ग) क्या राज्य सरकार को इस बीमारी को रोकने के लिए कोई विशेष धनराशि आवंटित की जाती है, और

(घ) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्य सरकारों को दी गई केन्द्रीय सहायता का वर्ष-वार और राज्य वार ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) केवल हेपाटाइटिस बी के संक्रमण के कारण हुई मौतों के कोई प्रामाणिक आंकडे उपलब्ध नहीं हैं। तथापि, उपलब्ध आंकडों के अनुसार वाइरल हेपाटाइटिस (सभी प्रकार का) के रोगियों की संख्या वर्ष 1995, 1996 और 1997 (अनन्तिम) में इस प्रकार है:-

वर्ष	संक्रमित व्यक्तियों की संख्या	मृत व्यक्तियों की संख्या
1995	98940	943
1996	117954	801
1997	89038	962

(ख) हेपाटाइटिस बी के संक्रमण को रोकने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:-

1. दान में दिए गए सभी रक्त में रक्ताधान से पहले हेपाटाइटिस बी की जांच अनिवार्य है।
2. राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत सुरक्षित यौन सम्पर्क को बढ़ावा देने के प्रयास किए जा रहे हैं। दोनों रोगों के लिए संचरण मार्ग समान है।
3. व्यापक रोग प्रतिरक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्येक टीकाकरण के लिए अलग सिरिंज तथा अलग सुई की व्यवस्था।
4. केन्द्रीय सरकार के अस्पतालों के स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं में हेपाटाइटिस बी का टीका लगाने का निर्णय लिया गया है।
5. प्रत्येक इंजेक्शन और आपूतिक शल्य चिकित्सा के लिए अलग से विसंक्रमित सिरिंज और सुई के उपयोग के लिए दिशानिर्देश जारी किए गए है।
6. स्वास्थ्य शिक्षा

(ग) जी नहीं

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1981 में संशोधन

1026. **श्री नरेश पुगलिया : क्या खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे:

(क) क्या सरकार का आवश्यक वस्तु विशेष उपबंध अधिनियम, 1981 में कोई संशोधन करने का विचार है,

(ख) यदि हां, तो उसके कारण क्या है,

(ग) क्या इस कार्य के लिए कोई समिति गठित की गई है,

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ड) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 में किए जाने वाले संशोधनों से आम जनता को कितना लाभ होगा?

खाद्य और उपभोक्ता मामले के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल सिंह यादव) : (क) और (ख) आवश्यक वस्तु (विशेष

उपबंध) अधिनियम, 1981 की अवधि 31.8.97 को समाप्त हो गई है।

(ग) और (घ) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 और आवश्यक वस्तु (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1981 के विभिन्न उपबंधों की समीक्षा करने के लिए सचिव (उपभोक्ता मामले) की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ दल गठित किया गया था। दल ने आवश्यक वस्तु (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1981 को समाप्त करने तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 में कुछ संशोधन करने की सिफारिश की थी।

(ङ) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 में जनहित में संशोधन करने का प्रस्ताव किया गया है ताकि आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी तथा कालाबाजारी और मुनाफाखोरी में लिप्त व्यक्तियों से अधिक कारगर ढंग से निपटा जा सके, उपभोक्ताओं को आवश्यक वस्तुएं आसानी से उपलब्ध करायी जा सकें, मामलों का तेजी से निपटान किया जा सके, स्थानीय फील्ड कर्मचारियों द्वारा किए जाने वाले शक्ति के दुरूपयोग को रोका जा सके, मौसम जन्य स्थितियों अथवा ढुलाई के दौरान स्टॉक में आने वाले छोटे मोटे अन्तर के लिए कुछ रियायतें दी जा सकें और साथ ही उदारीकरण के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ा जा सके।

बेरोजगार वस्त्र कामगारों का पुनर्वास

1027. **श्री हरिन पाठक:** क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गांधी श्रमिक संस्थान, अहमदाबाद में राष्ट्रीय नवीकरण कोष के लाभार्थियों हेतु वृत्तियों और प्रशिक्षण अवधि में कोई वृद्धि की है;

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने गुजरात में बेरोजगार वस्त्र कामगारों के पुनर्वास के लिए किसी योजना की घोषणा की है;

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा उक्त योजना के लिए क्या मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं;

(ङ) क्या सरकार ने विस्थापित वस्त्र कामगारों के पुनर्वास के लिए गुजरात सरकार को कोई वित्तीय सहायता दी है, और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्री (डा॰ सत्यनारायण जटिया) : (क) से (च) सरकार ने राष्ट्रीय नवीकरण निधि के अन्तर्गत प्रति प्रशिक्षार्थी दैनिक वृत्तिका की दर क्लास "ए" शहरों के लिए बढ़ाकर 60/- रु॰ और अन्यत्र स्थित प्रशिक्षार्थियों के लिए 50/- रु॰ कर दिया है। प्रशिक्षण अवधि का समय सात विशिष्ट ट्रेडों के लिए बढ़ाकर 6 माह कर दिया गया है

दिनांक 6.3.98 के पत्राचार में उद्योग मंत्रालय द्वारा यह सूचित किया गया है कि राष्ट्रीय नवीकरण निधि सहायता गुजरात में यौक्तिकीकृत कामगारों को सलाह देना, पुर्नप्रशिक्षण और पुनर्नियोजन के लिए गांधी श्रम संस्थान, अहमदाबाद के माध्यम से प्रदान की जा रही है। वस्त्र मंत्रालय ने नवम्बर, 97 के पत्राचार में बताया है कि उसने विस्थापित कपड़ा मिल कामगारों के पुनर्वास के लिए गुजरात सरकार की कोई सहायता नहीं प्रदान की है।

[हिन्दी]

बाल श्रम सम्बन्धी परियोजना

1028. **डा॰ मदन प्रसाद जायसवाल :**
श्री महेश कनोडिया :
श्री एम॰ राजैया :

क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में बाल श्रम संबंधी विशेष परियोजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की है;

(ख) इस सम्बन्ध में राज्य-वार प्राप्त उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले एक वर्ष के दौरान इन नियमों के उल्लंघन के कितने मामले पाए गए;

(घ) बाल श्रमिकों की दशा को सुधारने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन में जुटे गैर-सरकारी संगठनों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है, और

(च) पिछले तीन वर्षों के दौरान इन गैर-सरकारी संगठनों को मुहैया कराई गई धनराशि का ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्री (डा॰ सत्यानारयण जटिया): (क) से (च) सरकार द्वारा बाल श्रम की समस्या का कार्यरत बच्चों के पुनर्वास तथा बाल श्रम कानूनों के प्रवर्तन की कारवाई के माध्यम से निपटान किया जा रहा है। भारत सरकार दो योजनाएं, अर्थात् राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना तथा स्वयंसेवी संगठनों को सहायता अनुदान, कार्यान्वित कर रही है। राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के अंतर्गत, परियोजना से संबंधित समितियों के लिए जिला स्तर पर निधियां जारी की जाती हैं जो औपचारिक शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, पोषणाहार, स्वास्थ्य जांच आदि के प्रावधान के साथ स्कूल चलाते हैं। अभी तक लगभग 1.5 लाख बच्चों को शामिल किए जाने के लिए 76 बाल श्रम परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की गयी हैं। सहायता अनुदान योजना के अन्तर्गत, बाल श्रमिकों को पुनर्वासित करने के लिए कारवाई उन्मुख परियोजनाएं शुरू करने के लिए गैर सरकारी संगठनों को सीधे ही निधियां प्रदान की जाती हैं, जिनके ब्यौरे विवरण में दिए गए हैं। बाल श्रमिकों के कार्यकरण की जिला, राज्य और केन्द्रीय स्तर पर समीक्षा और प्रबोधन किया जाता है। यह एक सतत् प्रक्रिया है।

पुनर्वास संबंधी उपायों के अलावा, कतिपय व्यवसायों और प्रक्रियाओं में बालकों के नियोजन को प्रतिषिद्ध किए जाने और इस अधिनियम के अंतर्गत प्रतिबिद्ध न किए गए व्यवसायों/प्रक्रियाओं में उनकी कार्य-दशाओं को विनियमित किए जाने के उद्देश्य से बाल श्रम (प्रतिबंध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 के विभिन्न उपबंधों को भी प्रवर्तित किया जा रहा है। पिछले वर्ष के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने 957 (अनंतिम) उल्लंघन मामलों के बारे में सूचित किया है।

पिछले 3 वर्षों के दौरान गैर-सरकारी संगठनों के लिए सहायता अनुदान योजना के अंतर्गत जारी की गयी कुल निधि नीचे दिए गए अनुसार हैं:-

वर्ष	जारी की गयी निधियां (लाखों में)
1995-96	27.29
1996-97	62.54
1997-98	38.01

विवरण

आन्ध्र प्रदेश

1. विजयपुरम प्रजा सेवा समिति, चित्तूर
2. नवचेतन्य अकादमी फॉर यूथ एडवांसमैन्ट, विशाखापटट्नम

बिहार

3. ग्रामीण संसाधन विकास परिषद, बक्सर
4. ग्राम स्वराज अभियान संस्थान, वैशाली
5. गोपाल समाज कल्याण प्रतिष्ठान, नालन्दा
6. दरोगा प्रसाद राय महिला, प्रशिक्षण अवास औद्योगिक केन्द्र, जिलासारन
7. मनोरमा महिला मंडल, वैशाली
8. चान्द्रिका सेवा सदन, हकीमपुर, जिला वैशाली
9. महुआ महिला विकास संस्थान, वैशाली
10. सुधा महिला समाज कल्याण परिषद, नालन्दा
11. ममता ग्राम सेवा संस्थान, पटना
12. प्रगति फाउंडेशन, मुंजफ्फरपुर
13. अल्पसंख्यक महिला प्रशिक्षण केन्द्र, पटना
14. आल्टरनेटिव फार इंडिया डवलपमैंट, पलामू
15. लार्ड बुद्धा मिशन, वैशाली
16. जया प्रभा अकादमी, पटना
17. भारतीय जन मंच, पटना

गुजरात

18. गुजरात केलवानी ट्रस्ट, अहमदाबाद, गुजरात

हरियाणा

19. नारी चेतना संगठन, सोनीपत, हरियाणा
20. माडर्न एजुकेशन सोसाइटी, सोनीपत, हरियाणा
21. अमर ज्योति शिक्षा समिति, जिन्द, हरियाणा

जम्मू और कश्मीर

22. सोशल वेलफेयर ऑफ इंडिया, शाहदरा शरीफ, राजोरी, जम्मू और कश्मीर

मध्य प्रदेश

23. रफी अहमद किदवई शिक्षा समिति, भोपाल, मध्य प्रदेश
24. डा० अंबेडकर मेमोरियल एजुकेशन सोसाइटी, भोपाल, मध्य प्रदेश
25. श्री नव निकेतन शिक्षा समिति, भोपाल, मध्य प्रदेश

महाराष्ट्र

26. अहिल्यादेवी महिला मंडल, नागपुर

मणिपुर

27. सोशल एनवायरनमेंटल एंड सरल टेकनालॉजी, काउंसिल, पल्लेल
28. मणिपुर वूमन कोऑर्डिनेटिंग काउंसिल
29. रुरल हेल्थ ऑर्गनाइजेशन, वेस्ट सेनापति
30. मणिपुर रुरल इंस्टीच्यूट, इम्फाल

नई दिल्ली

31. बंधुआ मुक्ति मोर्चा
32. डा० ए. वी. बलिगा ट्रस्ट
33. ऑल इंडिया संथाल वेलफेयर एण्ड कल्चरल सोसायटी
34. इंडिया इंटरनेशनल रुरल कल्चरल सेंटर, अलकनन्दा

उड़ीसा

35. युनाइटेड क्लब उजिनी
36. जिबारामजी क्लब
37. मानव सेवा सदन, देकनाल
38. प्रोजेक्ट स्वराज्य, कटक
39. निसाद्री, जिला ढेकनाल
40. रामकृष्ण आश्रम, जिला-अंगुल
41. पीपुल्स सरलरी कंशट्रक्शन इंस्टीच्यूट फॉर यूथ एक्शन (प्रिया) बालासोर
42. नीलांचल सेवा प्रतिष्ठन, पुरी
43. महात्मागांधी खादी ग्रामोद्योग समिति, जिला खुर्दा

तमिलनाडु

44. विलेज रिकंशट्रक्शन एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, सलेम
45. तमिलनाडु विलेज कंज्यूमर्स प्रोटेक्सन काउंसिल, कावरीपेट्टई

उत्तर प्रदेश

46. ग्राम विकास सेवा समिति, इलहाबाद
47. श्रीमती अंबिका देवी हाईस्कूल कन्या विद्यालय, मिर्जापुर
48. संस्कृत भाषा विकास परिषद् सेवापुरी, जिला-देवरिया
49. चिल्ड्रेन इमैंसिपेशन सोसायटी, ''प्रोजेक्ट माला'', मिर्जापुर
50. अखिल भारतीय समाज कल्याण परिषद्, जिला-देवरिया
51. बिजनौर सेवा संस्थान, बिजनौर

52. समाज कल्याण सेवा समिति, लखनऊ

53. जन सेवा समिति, इलाहाबाद

54. बाल विकास अवाम महिला कल्याण परिषद्, गोंडा

55. भारतीय जन कल्याण अवाम महिला विकास सेवा संस्थान, देवरिया

56. कपिल बाल अवाम महिला सेवा संस्थान, बस्ती

57. आवाद महिला अवाम बाल कल्याण समिति, फैजाबाद

पश्चिम बंगाल

58. करीमपुर सोशल वेलफेयर सोसायटी, जिला-नादिया

59. अनइम्पलायड यंग वर्कर्स सोसायटी, बर्धवान

60. बागमारी यूथ प्रोग्रेसिव एसोसिएशन, कलकत्ता

61. भागरा डायमंड क्लब, वर्धवान

62. ईखूपत्रिका सोशल वेलफेयर ऑर्गनाइजेसन, जिला-मिदनापुर

63. जन शिक्षा प्रचार केन्द्र, कलकत्ता

64. सोसायटी फॉर एजुकेशनल एंड एनवायरनमेंटल डेबपमेंट (सीड), हावड़ा

[अनुवाद]

ऊ. प्र. में मेडिकल कालेजों और अस्पतालों के विकास हेतु सहायता

1029. **श्री आशोक प्रधान : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षो के दौरान प्रत्येक वर्ष और आज तक उत्तर प्रदेश के मेडिकल कालेजों और उनसे सम्बद्ध अस्पतालों के विकास के लिए केन्द्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है और यह वित्तीय सहायता किस उद्देश्य से प्रदान की गई थी, और

(ख) देश में ''सबके लिए स्वास्थ्य'' योजना के लिए राज्य-वार कितनी धनराशि आवंटित की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) केन्द्र सरकार के पास राज्यों द्वारा चलाए जा रहे मेडिकल कालेजों तथा उनसे सम्बद्ध अस्पतालों के विकास के लिए केन्द्रीय सहायता प्रदान करने के लिए कोई योजना नहीं हैं।

(ख) ''सभी के लिए स्वास्थ्य'' नामक ऐसी कोई योजना नहीं हैं। तथापि, ''सभी के लिए स्वास्थ्य'' देश की स्वास्थ्य नीति का समग्र उद्देश्य है और चालू विभिन्न राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों की स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं, विशेष रूप से गरीब लोगों के लिए, में सुधार को सामान्य उद्देश्य के रूप में जारी रखा गया है।

स्कूली बच्चों के लिये स्वास्थ्य कार्यक्रम

1030. **डा. असीम बाला : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में निजी स्कूली बच्चों के लिये कोई विशेष स्वास्थ्य कार्यक्रम आरम्भ किया गया है,

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है,

(ग) क्या सरकार द्वारा स्कूली बच्चों के लिये कोई विशेष स्वास्थ्य कार्यक्रम पहले ही चलाया जा रहा है, और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) से (घ) प्राथमिक स्कूलों के छात्रों के लिए एक स्कूल स्वास्थ्य जांच कार्यक्रम एक विशेष अभियान के रूप में 1996-97 में एक विशेष अभियान के रूप में चलाया गया था। 486 जिलों से प्राप्त रिपोर्टो से पता चलता है कि 97.15 प्रतिशत स्कूलों ने इस कार्यक्रम को चलाया और वहां पढ़ रहे 85.6 प्रतिशत बच्चों में सामान्य बीमारियों जिनमें रक्ताल्पना कृमि रोग, रतोंधी, आयोडीन की कमी से होने वाले रोग (गलगडं) कान बहना, स्कैबीज, प्रायोडर्मा दृष्टि दोष और दन्त रोग शामिल है, की जांच की गई। राज्यवार कवरेज विवरण I और II में दिए गए हैं।

इस कार्यक्रम को अब केन्द्रीय वित्तपोषित कार्यक्रम के रूप में समाप्त कर दिया गया है।

विवरण-I

स्कूलों और बच्चों की कवरेज दशनि वाला विवरण

क्र.सं.	राज्य (शहरी+ग्रामीण)	जिले		स्कूलों की संख्या			बच्चों की संख्या		
		सं.	रिपोर्ट	कुल	कवर	प्रतिशत	दर्ज	जांच की गई	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आन्ध्र प्रदेश	22	22	60761	60761	100.00	8046141	6907472	85.85
2.	अरुणाचल प्रदेश	13	13	1478	1239	83.83	121693	106982	87.91
3.	असम	23	23	34478	30475	88.39	2987848	2375439	79.50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.	बिहार	50	23	34880	33714	96.66	4707358	3593339	76.33
5.	दिल्ली	1	1	2180	2141	98.21	855264	728677	85.20
6.	गोवा	2	2	1280	1280	100.00	98818	91063	92.15
7.	गुजरात	19	19	33094	32316	97.65	7090141	6234344	87.93
8.	हरियाणा	17	17	16163	16129	99.79	2567401	2377417	92.60
9.	हिमाचल प्रदेश	12	12	10468	10468	100.00	776674	741369	95.45
10.	जम्मू व कश्मीर	14	14	15136	14831	97.98	1025553	899814	87.74
11.	कर्नाटक	20	20	41393	41365	99.93	4747180	3985971	83.97
12.	केरल	14	14	11232	11215	99.85	2354425	2209995	93.87
13.	मध्य प्रदेश	45	45	85965	85060	98.95	10026944	6938147	69.20
14.	महाराष्ट्र	30	30	65073	65073	100.00	9376552	8269278	88.19
15.	मणिपुर	8	8	3763	3592	95.46	315530	275920	87.45
16.	मेघालय	7	7	5087	4878	95.89	370042	286227	77.35
17.	मिजोरम	4	4	1156	1156	100.00	106383	98628	92.71
18.	नागालैंड	7	7	1871	1814	96.95	170404	153704	90.20
19.	उड़ीसा	30	30	42402	42104	99.30	3988713	3115050	78.10
20.	पंजाब	17	17	19606	19562	99.78	2737182	2533318	92.55
21.	राजस्थान	31	31	44181	44181	100.00	4317965	4658076	107.88
22.	सिक्किम	4	4	873	868	99.43	105203	72609	69.02
23.	तमिलनाडु	23	23	40201	40201	100.00	5836846	5425049	92.94
24.	त्रिपुरा	4	4	2843	2808	98.77	474041	403816	85.19
25.	उत्तर प्रदेश	66	66	104526	92951	88.93	12993025	11302966	86.99
26.	पश्चिम बंगाल	19	19	45792	45002	98.27	6928894	5957992	85.99
27.	अं. व नि. द्वीपसमूह	2	2	289	271	93.77	40573	37869	93.34
28.	चण्डीगढ़	1	1	185	146	78.92	75000	63239	84.32
29.	दादर व नागर हवेली	1	1	191	187	97.91	26715	20603	77.12
30.	दमन एवं दीव	2	2	75	75	100.00	14492	13768	95.00
31.	लक्षद्वीप	1	1	28	28	100.00	8723	8679	99.50
32.	पाण्डिचेरी	4	4	582	580	99.66	98885	97148	98.24
	योग	513	486	727232	706471	97.15	93390608	79983968	85.64

विवरण-

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	बच्चों की जांच की गई	स्वास्थ्य समस्याओं वाले									
			रक्ताल्पता		कृमि रोग		रतौंधी		आईडीडी (गलगंड)		कान	
			योग	प्र.श.	योग	प्र.श.	योग	प्र.श.	योग	प्र.श.	योग	प्र.श.
1.	आन्ध्र प्रदेश	6907472	739907	10.71	207334	3.00	122826	1.78		0.00	151723	2.20
2.	अरुणाचल प्रदेश	106982	4868	4.55	11200	10.47	14.38	1.34	71	0.07	4749	4.44
3.	असम	2375439	144162	6.07	163850	6.90	53249	2.24	0	0.00	82317	3.47
4.	बिहार	3593339	354191	9.86	462715	12.88	74286	2.07	884	0.02	191775	5.34
5.	दिल्ली	728677	107220	14.71	84720	11.63	7251	1.00	86	0.01	29229	4.01
7.	गोवा	91063	5902	6.48	8115	8.91	134	0.15	42	0.05	3297	3.62
8.	गुजरात	6234344	458779	7.36	303009	4.86	45937	0.74	11738	0.19	155624	2.50
9.	हरियाणा	2377417	142860	6.01	62724	2.64	5935	0.25	572	0.02	50466	2.12
10.	हिमाचल प्रदेश	741369	90475	12.20	84043	11.34	4422	0.60	0	0.00	21533	2.90
11.	जम्मू व कश्मीर	899814		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
12.	कर्नाटक	3985971	526058	13.20	356427	8.94	124280	3.12	4833	0.12	98120	2.46
13.	केरल	2209995	265512	12.01	135398	6.13	21853	0.99	8839	0.40	73767	3.34
14.	मध्य प्रदेश	6938147	764725	11.02	322678	4.65	246707	3.56	10082	0.15	161373	2.33
15.	महाराष्ट्र	8269278	396244	4.79	950713	11.50	125093	1.51	0	0.00	144426	1.75
16.	मणिपुर	275920	22290	8.08	31181	11.30	5677	2.06	179	0.06	9093	3.30
17.	मेघालय	286227	21979	7.68	24990	8.73	10078	3.52	144	0.05	9813	3.43
18.	मिजोरम	98622	4622	4.69	6224	6.31	756	0.77	405	0.41	2792	2.83
19.	नागालैंड	153704	5432	353	14000	9.11	731	0.48	49	0.03	5081	3.31
20.	उड़ीसा	3115060	561604	18.03	552764	17.74	85252	2.74	5180	0.17	157528	5.06
21.	पंजाब	2533345	357195	14.10	162203	6.40	4450	0.18	1306	0.05	60431	2.39
22.	राजस्थान	4658076	317691	6.82	145344	3.12	25707	0.55	3230	0.07	125316	2.69
23.	सिक्किम	72959	11370	15.66	16023	22.07	739	1.02	510	0.70	3602	4.96
24.	तमिलनाडु	5425049	620869	11.44	769078	14.18	77098	1.42	3422	0.06	98327	1.81
25.	त्रिपुरा	403816	41539	10.04	44092	10.92	8343	2.07	395	0.10	15824	3.92
26.	उत्तर प्रदेश	11302966	100715	0.89	525426	4.65	109710	0.97		0.00	386977	3.42
27.	पश्चिम बंगाल	5957992	1241365	20.84	1526845	25.63	190420	3.20	14736	0.25	333667	5.60
28.	अं. व नि. द्वीपसमूह	37869	3341	8.82	5072	13.39	246	0.65	265	0.70	944	2.49
29.	चण्डीगढ़	63235	12015	19.00	10709	16.93	114	0.18	0	0.00	1387	2.19
30.	दादर व नागर हवेली	20603	1865	9.05	2124	10.31	452	2.19	41	0.20	1012	4.91
31.	दमन एवं दीव	13768	597	4.34	467	3.39	29	0.21	5	0.04	290	2.11
32.	लक्षद्वीप	8675	1036	11.94	1282	14.77	4	0.05	9	0.10	356	4.10
33.	पाण्डिचेरी	97148	13106	13.49	18271	18.81	1312	1.35	7	0.01	1685	1.73
	योग	79983968	7338534	9.18	7009022	8.76	1354529	1.69	67030	0.08	2382524	2.98

II

बच्चों की संख्या

स्कैबीज		पायोडर्मा		नेत्र		दन्त		अन्य		स्वास्थ्य समस्या	
योग	प्र.श.	योग	प्र.श.	योग	प्र.श.	योग	प्र.श.	योग	प्र.श.	योग	प्र.श.
187403	2.71	163346	2.36	79795	1.16	518657	7.51NA		0.00	2170991	31.43
4116	3.85	1795	1.68	2550	2.38	13179	12.32	8318	7.78	52284	48.87
53547	2.21	56603	1.96	41733	1.76	157675	6.64	98949	4.17	841085	35.41
94552	2.63	99072	2.76	72039	2.00	279152	7.77	122263	3.40	1750929	48.73
7846	1.08	30738	4.22	50969	6.99	111563	15.31	37479	5.14	467101	64.10
2106	2.31	2329	2.56	2614	2.87	31923	35.06	4620	5.07	61082	67.08
84737	1.36	176357	2.83	121899	1.96	663830	10.65	61813	0.99	2083723	33.42
13838	0.46	64276	2.70	32550	1.37	156431	6.58	34552	1.45	561204	23.61
12292	1.66	17532	2.36	12939	1.75	83331	11.24	5764	0.78	332331	44.83
	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
69266	1.74	85747	2.15	48325	1.21	709786	17.81	119763	3.00	2142605	53.75
77632	3.51	46116	2.09	54772	2.48	500261	22.64	140376	6.35	1324526	59.93
245742	3.54	218447	3.15	105663	1.52	366474	5.28	426412	6.15	2868303	41.34
64643	0.78	163657	1.98	222775	2.69	1302109	15.75	1372037	16.59	4741697	57.34
11535	4.18	4803	1.74	9030	3.27	37120	13.45	13844	5.02	144752	52.46
10610	3.71	5327	1.86	10060	3.51	38479	13.44	20038	7.00	151518	52.94
596	0.60	1189	1.21	4393	4.45	16045	16.27	4430	4.49	41452	42.03
6183	4.02	2081	1.35	2377	1.55	14410	9.38	4222	2.75	54566	35.50
271832	8.73	132039	4.24	86137	2.77	685772	22.01	209459	6.72	2747567	88.20
59589	2.35	138621	5.47	49166	1.94	276531	10.92	68210	2.69	1177702	46.49
55576	1.21	178301	3.83	60184	1.29	140085	3.01	108624	2.33	1161058	24.93
3093	4.26	3359	4.63	3145	4.33	19961	27.49	6815	9.39	68617	94.50
124649	2.30	138009	2.54	134094	2.47	1040283	19.18	765545	14.11	3771374	69.52
15676	3.88	5460	1.35	1102	0.27	58101	14.39	37141	9.20	226673	56.13
238914	2.11	256869	2.27	175188	1.55	525322	4.65	194249	1.72	2513370	22.24
547747	9.19	161848	2.72	215090	3.61	1445435	24.26	533113	8.95	6210267	104.23
1398	3.69	589	1.56	863	2.28	9006	23.78	2101	5.55	23825	62.91
778	1.23	1976	3.12	1984	3.14	15907	25.15	2894	4.58	47764	75.53
1110	5.39	913	4.43	531	2.58	4510	21.89	418	2.03	12976	62.98
201	1.46	534	3.88	238	1.73	1507	10.95	313	2.27	4181	30.37
384	4.42	197	2.27	180	2.07	1301	14.99		0.00	4749	54.72
3672	3.78	3172	3.27	2628	2.71	21470	22.10	9883	10.17	75206	77.41
2258263	2.84	2151302	2.69	1605013	2.01	9245616	11.56	4413645	5.52	37835478	47.30

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति पर अत्याचार

1031. **श्री मुकुल वासनिक : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1996 और 1997 के दौरान अनुसूचित जातियों और जनजातियों पर हुए अत्याचारों की राज्य-वार संख्या कितनी है; और

(ख) अनुसूचित जातियों और जनजातियों पर हो रहे अत्याचारों को रोकने के लिए क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है?

समाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) सूचना विवरण में दी गई है।

(ख) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण, अधिनियम, 1989 तथा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995 के अनुसरण में सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय राज्य सरकारों को प्रशासनिक प्रर्वतन तथा न्यायिक तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए कदम उठाने, विशेष न्यायालयों की स्थापना, अत्याचार पीड़ितों को राहत तथा पुनर्वास आदि के प्रावधान के लिए 50:50 के आधार पर (संघ राज्य क्षेत्र को 100%) केन्द्रीय सहायता देता है।

विवरण

वर्ष 1996 तथा 1997 के दौरान विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध अत्याचारों के मामलों की संख्या को दर्शाने वाला विवरण।

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	1996			1997		
		अनुसूचित जाति	अ.ज.जा.	कुल	अ.जाति	अ.ज.जाति	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	1629	252	1881	1880	236	2116
2.	अरूणाचल प्रदेश	0	5	5	0	0	0
3.	असम	0	0	0	0	0	0
4.	बिहार	810	190	1000	710	158	868
5.	गोवा	1	0	1	2	0	2
6.	गुजरात	1764	369	2133	1831	384	2215
7.	हरियाणा	63	1	64	93	5	98
8.	हिमाचल प्रदेश	66	3	69	61	1	62
9.	जम्मू एवं कश्मीर	17	6	23	8	11	19
10.	कर्नाटक	1089	180	1269	1227	78	1305
11.	केरल	640	122	762	755	139	894
12	मध्य प्रदेश	4075	1466	5541	4269	1400	5669
13.	महाराष्ट्र	1352	337	1689	831	189	1020
14.	मणिपुर	0	0	0	0	0	0
15.	मेघालय	0	1	1	0	13	13
16.	मिजोरम	0	0	0	0	0	0
17.	नागालैंड	0	0	0	0	0	0
18.	उड़ीसा	486	179	665	602	220	822
19.	पंजाब	12	1	13	11	0	11
20.	राजस्थान	6623	1393	8016	5624	1445	7069
21.	सिक्कम	14	46	60	18	31	49
22.	तमिलनाडु	1812	85	1897	1403	227	1630

1	2	3	4	5	6	7	8
23.	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0
24.	उत्तर प्रदेश	10963	336	11299	8500	86	8586
25.	पश्चिम बंगाल	0	0	0	0	0	0
1.	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	0	0	0	0	2	2
2.	चंडीगढ़	0	0	0	1	0	1
3.	दादर नागर हवेली	0	1	1	0	1	1
4.	दमन एवं दीव	0	0	0	0	0	0
5.	दिल्ली	11	0	11	19	0	19
6.	लक्ष्यद्वीप	0	0	0	0	0	0
7.	पांडिचेरी	13	0	13	23	0	23
	कुल	31440	4973	36413	27868	4626	32494

स्रोत: राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो, गृह मंत्रालय।

(आंकड़े अनन्तिम)

[हिन्दी]

नक्सलवादी हमलों में मारे गऐ व्यक्ति

1032. **श्री मोतीलाल बोरा :**
श्री रामेश्वर पाटीदार :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान नक्सलवादी हमलों में कितने व्यक्ति मारे गए;

(ख) क्या नक्सलवाद से प्रभावित राज्यों में ऐसी घटनाओं में लगातार वृद्धि हो रही है;

(ग) यदि हां, तो ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे है;

(घ) क्या नक्सलवाद से प्रभावित राज्यों ने राष्ट्रीय स्तर पर नक्सलवाद की समस्या से निपटने के लिए केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है;

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(च) क्या सरकार ने प्रभावित राज्यों द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली कोई कार्य योजना तैयार की है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार, पिछले तीन वर्षों के दौरान नक्सलवादी हमले में 1515 व्यक्ति मारे गए बताए जाते है।

(ख) गत वर्षो की तुलना में 1997 में नक्सलवादियों द्वारा की गयी हत्याओं में मामूली सी वृद्धि हुई।

(ग) इस खतरे से निपटने हेतु राज्यों की मदद करने के लिए केन्द्र सरकार ने पर्याप्त उपय किए है। इनमें सम्मिलित है:- सूचना का विनियम करने आसूचना का आदान-प्रदान करना, रणनीति बनाने और समन्वित कार्रवाई करने के लिए संबंधित राज्यों और केन्द्र सरकार की विभिन्न आसूचना और जाँच एजेन्सियों के बीच समन्वय बैठके करना, कतिपय विशेष परिस्थितियों में कुछेक प्रभावित राज्यों को पुलिस बल के आधुनिकीकरण और शस्त्रों की आपूर्ति के लिए उन्हें आवंटित धन राशि के अलावा वित्तीय सहायता भी दी गयी है। पुलिस कार्मिकों के लिए उग्रवादी-विरोधी अभियानों में प्रशिक्षण की व्यवस्था भी की जाती है।

(घ) और (ङ) ''लोक व्यवस्था'' और ''पुलिस'' राज्य के विषय है, अत: इस संबंध में विभिन्न तरीके खोजना और कड़े कदम उठाना संवधित राज्य सरकारों का काम हैं।

(च) और (छ) जी हां, श्रीमान। केन्द्र सरकार ने संबंधित राज्यों के साथ परामर्श करके इस संबंध में एक कार्य-योजना तैयार की है, जिसमें सम्मिलित है:-

(1) पुलिस स्टेशनों, विशेष रूप से नक्सलवाद से प्रभावित क्षेत्रों में स्थापित, की सुरक्षा सुनिश्चित करना,

(2) एक संयुक्त संचार प्रणाली बनाना,

(3) प्रत्येक राज्य में एक नियंत्रण कक्ष स्थापित करना,

(4) संयुक्त रूप से गश्त लगाना,

(5) राज्यों के बीच क्षेत्र प्रभुत्व कार्यक्रम शुरू करना,

(6) गृह मंत्रालय ने उग्रवादी-विरोधी अभियानों में पुलिस कार्मिको के प्रशिक्षण की भी व्यवस्था की है।

(7) संबंधित राज्यों के प्रभावित क्षेत्रों में आसूचना तंत्र का सुदृढ़ बनाना।

[अनुवाद]

उर्वरक उत्पादन

1033. श्री के० येरननायडू :
श्रीमती सूर्यकांता पाटील :

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान सरकार के गठन के पश्चात विदेशों के साथ उर्वरक आयात संबंधी कितने समझौते किए हैं

(ख) पिछले तीन वर्षो के दौरान तथा 31 मार्च, 1998 तक देश में उर्वरक उत्पादन का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पिछले वर्ष सरकार ने भारी मात्रा में यूरिया का आयात किया है;

(घ) आयात/निर्यात किए जाने वाले उर्वरकों के मूल्य/की मात्रा और किस्मों के साथ निर्यातक/आयातक देशों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) इन समझौतों में कितनी विदेशी मुद्रा शामिल है;

(च) क्या पिछले समझौतों के बारे में किसी प्रकार के वित्तीय गबन के संबंध में व्यापक अध्ययन कराया गया है; और

(छ) उर्वरकों के आयात को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/प्रस्तावित हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० ए.के. पटेल): (क) यूरिया एकमात्र उर्वरक है जो नियंत्रित है और जिसके आयात निर्दिष्ट सरणीकरण एजेंसियों द्वारा सरकारी खाते में किये जाते हैं। इस सरकार द्वारा कार्यभार सम्भालने की तारीख अर्थात् मार्च, 1998 से यूरिया आयात का कोई अनुबन्ध नहीं किया गया है।

(ख) देश में गत 3 वर्षो के दौरान ''एन'' तथा ''पी'' के रूप में उर्वरकों का उत्पादन संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) जी, नहीं। यूरिया के आयात आवश्यकता के अनुसार किए गए थे।

(घ) और (ङ) चूंकि देश में उर्वरकों की कमी है, अत: बंगलादेश को सिंगल सुपर फास्फेट (एस एस पी) की छोटी मात्रा के सिवाय निर्यात की अनुमति नहीं है। यूरिया, डाई-अमोनियम फास्फेट (डी ए पी) तथा म्यूरिएट आफ पोटाश (एम ओ पी), 3 प्रमुख उर्वरक हैं जिनका देश में आयात किया जाता है। डी ए पी और एम ओ पी आयातों को असरणीबद्ध कर दिया गया है और इनका आयात निजी व्यापार खाते में किया जाता है। यूरिया के आयात, जो सरकारी खाते में किए जाते हैं, सामान्यत: स्वतंत्र राज्यों के संघ (सी आई एस), अरब-गल्फ, इंडोनेशिया, बंगलादेश, लीबिया आदि से किये जाते हैं।

चूंकि उर्वरकों का आयात मांग की गति, स्वदेशी उत्पादन और खपत की प्रवृत्ति, अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में मूल्यों के उतार-चढ़ाव, विश्व स्तरीय मांग-आपूर्ति स्थिति आदि जैसे विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है, अत: वर्ष 1998-99 के दौरान आयातों के मूल्य/मात्रा का अनुमान लगाना कठिन है।

(च) मै० एन एफ एल द्वारा मै० करसन लि०, अंकारा से यूरिया की खरीद के लिए किये गये सौदे में किए गए ठेका अनुबन्ध का सरकार ने अध्ययन किया है जिसमें सम्पूर्ण राशि (133 करोड़ रूपए) का अग्रिम रूप से भुगतान कर दिया गया था और यूरिया की कोई आपूर्ति नहीं की गई थी। कोई अन्य मामला उर्वरक विभाग की जानकारी में नहीं है।

(छ) चूंकि देश में सीमित स्थायी संसाधन हैं, अत: सभी उर्वरकों का आयात बन्द करना व्यवहारिक नहीं है। देश में पोटाश के वाणिज्यिक उपयोग लायक ज्ञात भण्डार नहीं हैं और इसलिए इसके आयात को बन्द नहीं किया जा सकता है। फास्फेट्स के संबंध में अनिवार्यत: रॉक फास्फेट और सल्फर तथा अमोनिया और फास्फोरिक एसिड पर आधारित घरेलू उत्पादन की नीति के साथ डी ए पी का आयात सर्वोत्तम उपलब्ध विकल्प है। तथापि, नाइट्रोजन के मामले में मांग में उतार-चढ़ाव को कम करने हेतु आयातों की अवशिष्ट भूमिका के साथ ईष्टतम आत्मनिर्भरता प्राप्त करने और सार्वभौम मांग-आपूर्ति स्थिति का लाभ उठाने का प्रयास होगा।

विवरण

गत 3 वर्षों, के दौरान ''एन'' तथा ''पी'' के रूप में उर्वरकों का उत्पादन

उत्पादन (000 मी.ट.)

वर्ष	''एन''	''पी''
1995-96	8777.	2558.0
1996-97	8599.4	2555.9
1997-98	10085.6	2975.4

श्रम ब्यूरो का निष्पादन

1034. श्री संदीपान थोरात : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में संगठित और असंगठित क्षेत्रों में सर्वेक्षण और अनुसंधान करने के श्रम ब्यूरो के निष्पादन की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और चालू वर्ष के लिए अनुमोदित सर्वेक्षण/अनुसंधान परियोजनाओं के मुख्य संघटक क्या है;

(ग) क्या सरकार का श्रम नीति बनाने में प्रबोधन सर्वेक्षण/अनुसंधान कार्यक्रम शुरू करने के लिए संबंधित क्षेत्र के विख्यात विशेषज्ञों, मजदूर संघों के नेताओं की एक परामर्श-दात्री निकाय के गठन करने का विचार है; और

(घ) श्रम ब्यूरो को राष्ट्रीय संस्थान के रूप में पुनर्जीवित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं,/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

श्रम मंत्री (डा० सत्यनारायण जटिया) : (क) और (ख) श्रम मंत्रालय के अन्य संगठनों सहित श्रम ब्यूरों का कार्य निष्पादन श्रम मंत्रालय की वार्षिक रिपो में प्रतिबिम्बित होता है जिसे मंत्रालय की अनुदान मांगों पर विचार विमर्श और उसे पारित करते समय संसद सदस्यों के बीच परिचालित किया जाता है। श्रम मंत्रालय की अनुदान मांगों पर विचार करते समय संसदीय स्थायी समिति द्वारा इसकी समीक्षा की जाती है। श्रम ब्यूरो ने, अन्य बातों के साथ-साथ, 1998-99 की अपनी कार्य योजना में निम्नलिखित प्रमुख क्रियाकलापों को शामिल किया है:-

औद्योगिक कामगारों, कृषि कामगारों और ग्रामीण कामगारों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का प्रकाशन मध्य प्रदेश, तमिलनाडु में भवन और निर्माण प्रतिष्ठानों में और बिहार में खनिज कार्य (स्पेड वर्क) में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के बारे में रिपोर्ट प्रकाशित कराने के लिए अध्ययन कराना, मानव निर्मित रेशा वस्त्र उद्योग के सम्बन्ध में असंगठित क्षेत्र में कामगारों की कार्य और रहन-सहन दशाओं के सर्वेक्षण के बारे में रिपोर्ट प्रकाशित करना और समुद्रीय मात्सियकी उद्योग के सम्बन्ध में रिपोर्ट को अन्तिम रूप देना, दस विनिर्माता उद्योगों के संबंध में व्यावसायिक मजदूरी सर्वेक्षण पर रिपोर्ट का प्रकाशन और 13 विनिर्माता/सेवा क्षेत्र के उद्योगों के संबंध में क्षेत्र सर्वेक्षण और आंकड़ों के सारणीकरण का कार्य पूरा करना, आसनसोल में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित कामगारों के कार्य और रहन-सहन दशाओं पर रिपोर्ट का प्रकाशन और अन्त: विभागीय निवेशन समिति द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार एक अन्य केन्द्र के संबंध में रिपोर्टें निर्गत करना, विभिन्न वर्षों के संबंध में उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण प्रतिदर्श क्षेत्र के अन्तर्गत कमाई, रोजगार, श्रम लागत, अनुपस्थिति, श्रम कारोबार के बारे में रिपोर्ट निर्गत करना, काजू संसाधन उद्योग में महिला कामगारों की सामाजिक आर्थिक दशाओं के बारे में रिपोर्ट निर्गत करना और समुद्री खाद्य एवं समुद्री उत्पादों जारी और कसीदाकारी और अन्य नुनिन्दा हस्तशिल्पों एवं माचिस कार्यो सहित खाद्य संसाधन उद्योग के संबंध में अध्ययन कराना, और नए श्रमजीवी वर्ग की परिवारिक आय और व्यय सर्वेक्षण के संबंध में 78 केन्द्रों पर पायलट सर्वेक्षण कराना और प्रमुख सर्वेक्षण कराना।

(ग) और (घ) निदेशक, आर्थिक विकास संस्थान, नई दिल्ली महानिदेशक श्रम ब्यूरो और श्रम मंत्रालय केन्द्रीय सांख्यकी संगठन, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, योजना आयोग, वी.वी. गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान के अधिकारियों को शामिल करते हुए श्रम ब्यूरो के क्रियाकलापों की जांच करने के लिए एक समिति गठित की गई है।

कांग्रेस अध्यक्ष की एस० पी० जी० सुरक्षा हटाना

1035. **श्री रामकृष्ण बाबा पाटील : क्या गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कांगेस अध्यक्ष की सुरक्षा से संबंधित विशेष सुरक्षा दस्ता को बदल दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) जी नहीं, श्रीमान।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

[हिन्दी]

गोरखा-लैण्ड आन्दोलन

1036. **श्री भीम दाहाल: क्या गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दार्जिलिंग के गोरखा-लैण्ड आन्दोलन में अब तक कितने लोग मारे गये और कितने लोग घायल हुए;

(ख) कितनी सरकारी और गैर-सरकारी सम्पत्ति की हानि हुई है; और

(ग) क्या सरकार गोरखा-लैण्ड राज्य के गठन पर विचार कर रही है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) केन्द्र सरकार के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार गोरखालैण्ड आन्दोलन में 184 व्यक्ति मारे गए तथा 919 घायल हुए।

(ख) प्राप्त रिपोर्टों से पता चलता है कि इस आन्दोलन में 1567 मकान/भवन या तो नष्ट हुए अथवा क्षतिग्रस्त हुए।

(ग) जी नहीं, श्रीमान।

वधुओं को जलाकर मारना

1037. **श्री अजीत जोगी : क्या गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षो के दौरान प्रत्येक वर्ष राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार देश में वधुओं को जलाकर मारने की कितनी घटनाएं हुई; और

(ख) भविष्य में ऐसी मौतों को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) उपलब्ध सूचना विवरण में दी गई है।

(ख) भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार "पुलिस" और "लोक व्यवस्था" राज्य के विषय होने के कारण अपराधों को दर्ज करना, उसकी जांच करना, उसका पता लगाना और उसकी रोकथाम करना मुख्य रूप से राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। तथापि, केन्द्र सरकार, महिलाओं के प्रति अपराधों को रोकने संबंधी उपाय करने की आवश्यकता के बारे में जोर देते हुए समय-समय पर राज्य सरकारों को लिखती रही है। केन्द्र सरकार द्वारा सुझाए गए उपायों में अन्य के साथ-साथ दहेज निषेध अधिकारियों की नियुक्ति, पुलिस स्टेशनों में महिला एककों की स्थापना करना, महिला पुलिस अधिकारियों की बड़ी पैमाने पर भर्ती और पुलिस कार्मिकों को जेंडर सेंसीटाईजेशन ट्रेनिंग देना इत्यादि शामिल है। केन्द्र सरकार मौजूदा कानूनों का उनकी मूलभावना के अनुसार पालन सुनिश्चित करने तथा दहेज-विरोधी और अन्य संबंधित मामलों संबंधी नियमों/अनुदेशों के बारे में आम जनता में जागृति लाने की आवश्यकता के संबंध में राज्य सरकारों पर जोर देती रही है। कानूनों को और अधिक सख्त बनाने की दृष्टि से केन्द्र सरकार वर्तमान कानूनों में आसोधन और संशोधन भी कर रही है। समाज में महिलाओं की रचनात्मक भूमिका को दिखाने के लिए जन-सम्पर्क माध्यमों का प्रयोग किया जा रहा है।

विवरण

वर्ष 1995 से 1997 के दौरान दहेज और जलाने के कारण हुई मौतों की घटनाओं की संख्या
(राज्य और संघ शासित क्षेत्र-वार)

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	दहेज के लिए जलाकर मारना			दहेज के कारण जलने से मौतें		
		1995	1996	1997	1995	1996	1997
1	2	3	4	5	6	7	8
राज्य:							
1.	आन्ध्र प्रदेश	26	34	46	65	98	105
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	1
3.	असम	1	0	2	7	3	6
4.	बिहार	68	50	45	102	83	106
5.	गौवा	0	0	0	3	1	1
6.	गुजरात	7	28	20	21	21	25
7.	हरियाणा	2	6	4	68	65	74
8.	हिमाचल प्रदेश	0	0	1	0	1	1
9.	जम्मू और काश्मीर	0	0	0	0	0	0
10.	कर्नाटक	28	16	15	58	61	36
11.	केरल	1	1	0	5	5	4
12.	मध्य प्रदेश	39	34	33	147	221	182
13.	महाराष्ट्र	63	67	57	142	116	120
14.	मणिपुर	0	0	0	0	0	0
15.	मेघालय	0	0	0	0	0	0
16.	मिजोरम	0	0	0	0	0	0
17.	नागालैंड	0	0	0	0	0	0
18.	उड़ीसा	7	21	5	14	11	11
19.	पंजाब	7	7	5	56	55	78
20.	राजस्थान	14	39	12	62	111	115
21.	सिक्किम	0	0	0	0	0	0
22.	तमिलनाडु	4	188	7	23	18	48
23.	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	3
24.	उत्तर प्रदेश	242	296	238	557	613	506
25.	पश्चिम बंगाल	1	1	7	18	19	76
	कुल (राज्य)	510	788	497	1348	1505	1498

1	2	3	4	5	6	7	8
26.	अ. और न. द्वीप सूमह	0	0	0	0	0	1
27.	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	2
28.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	0	0
29.	दमन और द्वीव	0	0	0	0	0	0
30.	दिल्ली	2	5	7	77	59	77
31.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0
32.	पांडिचेरी	1	0	0	0	1	1
कुल (संघ शासित)		5	5	7	77	60	81
कुल (अखिल भारत)		513	793	504	1425	1565	1579

स्रोत: मासिक अपराध आंकड़े

टिप्पणी: 1. आंकड़े अनन्तिम हैं,

2. अक्तूबर, 1997 से आगे उड़ीसा से आंकड़ों के प्राप्त न होने के कारण इस राज्य के संबंध में 1996 की समकालीन अवधि के आंकड़ों का प्रयोग किया गया है,

[अनुवाद]

सर्जनों द्वारा उपस्थि का प्रयोग

1038. **श्री रामचन्द्र वीरप्पा : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सर्जन मिताचार से निपटने के लिए मानव के कान से लिए गए उपस्थि का उपयोग कर रहे हैं,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई): (क) से (ग) सरकार इस तथ्य से अवगत है कि ओरल कारटिलेजिस का प्रयोग अनेक प्रकार की प्लास्टिक की शल्य चिकित्सा क्रियाविधियों, जिनमें युरिनरी इनकॉन्टिनेन्स के लिए यूरिथेरा शामिल है, में किया जा सकता है। तथापि, ये क्रियाविधियां दिल्ली में केन्द्र सरकार के किसी अस्पताल में नहीं अपनाई जाती हैं। नैदानिक प्रैक्टिस में कान से लिए गए कारटिलेजिस का उपयोग कर्णपट्टी झिल्ली के रूप में स्वरोपण की मरम्मत के लिए किया जाता है।

[हिन्दी]

देश के आदिवासी क्षेत्रों के लिए धनराशि का आवंटन

1039. **श्री फग्गन सिंह कुलस्ते : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार ने देश के प्रत्येक राज्य में आदिवासी क्षेत्रों के लिए कितनी धनराशि आबंटित की है,

(ख) प्रत्येक राज्य में ऐसे कितने आदिवासी जिले हैं और धनराशि आबंटित करने हेतु क्या प्रक्रिया अपनाई है,

(ग) क्या ये धनराशियां आदिवासी जनसंख्या के आधार पर उपलब्ध की जाती हैं, और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में कौन-कौन सी योजनाएं स्वीकृत की गई हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) भारत सरकार अनुसूचित जनजातियों एवं जनजातीय क्षेत्रों के विकास के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को धनराशि निर्मुक्त करती है। राज्यों/संघ क्षेत्रों को विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत निर्मुक्त की गई राशियों को दर्शाने वाला एक विवरण-I में दिया गया है। धनराशि का आवंटन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में आदिवासी जनसंख्या को तरजीह देते हुए किया जाता है।

(ख) आदिवासी उपयोजना कार्यनीतियों के अंतर्गत 18 राज्यों एवं 2 संघ राज्य राज्य क्षेत्रों के पूरे जिलों एवं आंशिक जिलों में समेकित आदिवासी विकास परियोजनाएं/एजेंसियां अंकित की गई हैं। राज्यवार ब्यौरे विवरण-II में दिए गए हैं।

(ग) आदिवासी उप योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता तथा अनुच्छेद 275 (1) के अंतर्गत अनुदानों की निर्मुक्ति आदिवासी जनसंख्या के आधार पर की जाती है। अन्य योजानाओं के अंतर्गत अनुदानों की निर्मुक्ति के लिए आदिवासी जनसंख्या को ध्यान में नहीं रखा जाता है।

(घ) योजनाओं के नाम हैं, आदिवासी उप-योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता और संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के अंतर्गत अनुदान।

विवरण-I

वर्ष 1997-98 के दौरान अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए विभिन्न योजनाओ के अंतर्गत निर्मुक्त निधियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार

क्र.सं.	राज्य/संघ क्षेत्र	बालिका होस्टल	लड़को के लिए होस्टल	आश्रम स्कूल	व्यावसायिक प्रतिशतता केन्द्र	पौक्षिक परिसर	एनजीओ	आदिवासी अनुसंधान	टीएसपी को एसपीए	अनुच्छेद 275(1)	एसटीडीसी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	आन्ध्र प्रदेश	60.20	45.45	218.46	-	1.42	24.48	20.47	2581.54	453.50	100.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	-	-	-	-	-	102.76	0.26	-	-	-
3.	असम	16.00	16.00		77.15	-	75.38	23.27	1460.00	205.00	-
4.	बिहार	-	-	-	-	16.06	38.00	0.53	00.00	641.75	-
5.	गोवा	-	-	-	-	-	-	-	00.00	-	-
6.	गुजरात	-	-		86.34	13.81	-	9.47	2632.77	625.00	123.89
7.	हिमाचल प्रदेश	15.00	15.00	-	40.00	-	-	0.94	521.89	108.00	-
8.	कर्नाटक	14.99	27.50	-	-	-	19.18	0.28	500.00	270.00	-
9.	केरल	-	-	-	-	-	26.14	20.07	196.12	111.75	50.00
10.	मध्य प्रदेश	-	-	-	-	50.20	8.88	49.96	9207.83	1262.50	200.00
11.	महाराष्ट्र	10.00	12.50	104.50	-	4.59	57.59	50.72	3400.89	667.25	99.50
12.	मणिपुर	3.00	13.00	3.00	45.50	-	11.27	9.80	950.00	123.00	00.00
13.	मेघालय	13.75	13.75	-	-	-	121.11	-	-	255.00	00.00
14.	मिजोरम	-	-	-	-	-	5.80	-	-	124.00	-
15.	नागालैंड	-	-	-	-	-	3.44	-	-	138.75	-
16.	उड़ीसा	45.00	35.00	50.00	40.00	61.51	83.20	7.86	5576.27	657.00	100.00
17.	राजस्थान	150.17	159.55	-	24.00	51.35	14.41	13.37	2341.13	600.00	50.00
18.	सिक्किम	-	-	-	-	-	-	-	60.00	108.35	-
19.	तमिलनाडु	-	-	-	-	-	17.03	30.50	243.71	121.00	-
20.	त्रिपुरा	17.25	15.25	93.46	32.00	-	0.26	11.67	885.00	231.25	00.00
21.	उत्तर प्रदेश	11.17	-	-	-	18.99	2.75	-	112.91	110.50	-
22.	पश्चिम बंगाल	-	-	-	-	-	12.75	22.44	1600.39	339.25	10.00
23.	अंडमान व निकोबार समूह	-	-	-	-	-	-	-	118.00	-	-
24.	दादर और नागर हवेली	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25.	दमन और दीव	20.00	-	-	-	-	-	-	50.75	-	-
26.	लक्षद्वीप	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27.	दिल्ली	-	-	-	-	-	100.79	-	-	-	-
28.	जम्मू और कश्मीर	-	-	-	-	-	3.12	-	521.80	131.75	-

एसटीडीसी: सूदूर वन उत्पाद के लिए राज्य आदिवासी विकास निगम।

विवरण-II

विभिन्न जिलों में समेकित आदिवासी विकास परियोजनाओं का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार वितरण

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आईटीडीपी की संख्या	कवर जिलों की संख्या कुल	पुर्णत:	आंशिक
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	8	8	-	8
2.	असम	19	15	-	15
3.	बिहार	14	9	7	2
4.	गुजरात	9	8	1	7
5.	हिमाचल प्रदेश	5	3	2	1
6.	कर्नाटक	5	4	-	4
7.	केरल	7	7	-	7
8.	मध्य प्रदेश	49	23	4	19
9.	महाराष्ट्र	16	11	-	11
10.	मणिपुर	5	5	5	-
11.	उड़ीसा	21	9	3	6
12.	राजस्थान	5	5	2	3
13.	सिक्किम	4	4	1	3
14.	तमिलनाडु	9	5	-	5
15.	त्रिपुरा	3	3	-	3
16.	उत्तर प्रदेश	1	1	-	1
17.	पश्चिम बंगाल	12	12	-	12
18.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1	1	1	-
19.	दमन और दीव	1	1	1	-
20.	जम्मू और कश्मीर		-	-	-
	कुल	194	134	27	107

[अनुवाद]

अवैध गर्भपात

1040. श्री कृष्ण लाल शर्मा : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम, 1971 के बावजूद देश में सबसे अधिक अवैध गर्भपात होते हैं,

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं,

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई उपचारात्मक कदम उठाए हैं अथवा उठाये जाने का विचार है, और

(घ) यदि हां, तो अब तक उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) देश में अवैध गर्भपातों की कोई निश्चित आंकलन नहीं है। यह सच है कि अवैध और असुरक्षित गर्भपातों की संख्या अभी भी सूचित/वैध गर्भपातों (चिकित्सीय रूप से गर्भ समाप्ति) की संख्या की अपेक्षा अधिक है।

(ख) मुख्य कारण इस प्रकार हैं:

1. एम. टी. पी. अधिनियम के प्रबन्धों की अनभिज्ञता;
2. एम. टी. पी. करने के लिए एम. टी. पी. की पर्याप्त सुविधाओं और अर्हता-प्राप्त चिकित्सा व्यवसायियों का अभाव;
3. देश के बहुत से भागों में सामाजिक मूल्य और पूर्वाग्रह अभी भी गर्भपात के पक्ष में नहीं हैं। अविवाहित, विधवा और तलाकशुदा महिलाएं सामान्यत: सार्वजनिक अस्पतालों में गर्भपात सेवाएं प्राप्त करने में अनिच्छुक हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) किए गए उपायों का एक संक्षिप्त वर्णन संलग्न विवरण में हैं।

विवरण

एम. टी. पी. अधिनियम को अधिनियमित करने के माध्यम से कतिपय परिस्थितियों में सुरक्षित गर्भपात को वैध बनाना सरकार द्वारा अनधिकृत गर्भपातों के विरुद्ध उठाया गया पहला प्रमुख कदम था। देश में अनुमोदित एम. टी. पी. सुविधाओं की संख्या बढ़ गई है (1976 में 1,877 से 1994-95 में 8,511 तक) आपरेशन थियेटरों वाले सरकारी स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों को एम. टी. पी. उपकरणों को आपूर्ति की जा चुकी है। डाक्टरों को एम. टी. पी. सुविधाओं के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है।

प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत सुविधा केन्द्रों में सुधार और विस्तार तथा उनके समुपयोजन के लिए कतिपय अन्य प्रमुख कदम उठाए जा रहे हैं।

(1) एम. टी. पी. सुविधाओं तक आसानी से पहुंच बनाने के लिए जिला और उपमण्लीय स्तरों पर सभी ग्रामीण स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों के साथ-साथ सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को भी एम. टी. पी. की सुविधाओं से सज्जित किया जा रहा है। इसका उद्देश इन सुविधाओं का प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के स्तर तक चरणबद्ध ढंग से प्रदान किया जाना है।

(2) इस सेवा के लिए मांग को पुरा करने के लिए बहुत बड़ी संख्या में डाक्टरों को एम. टी. पी. तकनीकों में प्रशिक्षित किया जा रहा है।

(3) नियमित डाक्टरों के अतिरिक्त, एम. टी. पी. और अन्य सुरक्षित मातृत्व सेवाएं प्रदान करने के लिए सप्ताह में कतिपय निश्चित दिनों पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में जाने के लिए संविदा के आधार पर अतिरिक्त चिकित्सा कार्मिक लगाने के लिए प्रावधान किए गए हैं। यदि निजी

क्लीनिकों के पास आपरेशन थियेटर और अर्हताप्राप्त स्टाफ है तो एम. टी. पी. सेवाएं प्रदान करने के ऐसे इच्छुक निजी क्लीनिकों को एम. टी. पी. उपकरणों के साथ-साथ प्रशिक्षण सुविधाएं भी दी जा रही हैं।

(4) जनता, विशेषतौर से निर्धन और अशिक्षित लोगों को एम. टी. पी. की विधिक स्थिति से अवगत कराने के साथ-साथ उनके पडौसा में एम. टी. पी. सेवाओं की उपलब्धता की जानकारी देने के लिए सूचना, शिक्षा व संचार संबंधी अभियान को तेज किया जा रहा है।

(5) एम. टी. पी. अधिनियम 1971 में कतिपय उपबन्धों और एम. टी. पी. नियम, 1975 में संशोधन किए जाने का प्रस्ताव है ताकि एम. टी. पी. केन्द्रों की सरलता मान्यता के लिए व्यवस्था तथा उनको सूचित करने संबंधी प्रणाली में सुधार किया जा सके।

तेल की खोज पर व्यय

1041. **श्री तथागत सत्पथी : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) तेल और प्राकृतिक गैस निगम और अन्य तेल कंपनियों ने वर्ष 1995-96, 1996-97 और 1997-98 के दौरान सर्वेक्षणों और तेल की खोज के लिए खुदाई पर कितना व्यय किया,

(ख) उपरोक्त कार्यो पर वर्ष 1998-99 के दौरान कितना व्यय होने का अनुमान है,

(ग) क्या सरकार ने उपरोक्त अवधि के दौरान खोज कार्यो से प्राप्त सूचनाओं का विश्लेषण करा लिया है,

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ङ) उस पर क्या कार्रवाई किए जाने का प्रस्ताव है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) और (ख) गत तीन वर्षो के दौरान सर्वेक्षण तथा अन्वेषी वेधन पर आयल एण्ड नेचुरल गैस कार्पोरेशन तथा आयल इंडिया लिमिटेड द्वारा व्यय की गई धनराशि तथा चालू वर्ष से संबंधित अनुमानित व्यय नीचे दर्शाया गया है:-

(करोड़ रूपए में)

	1995-96	1996-97	1997-98 (अनंतिम)	1998-99 (अनुमानित)
ओ एन जी सी				
सर्वेक्षण	214.66	219.62	303.57	391.00
अन्वेषी वेधन	1047.83	1173.15	912.99	1365.00
योग	1262.49	1392.77	1216.56	1756.00
ओ आई एल				
सर्वेक्षण	24.33	27.68	38.65	50.09
अन्वेषी वेधन	118	128.85	146.47	247.73
योग	142.47	156.53	185.12	297.82

(ग) से (ङ) सर्वेक्षणों तथा अन्वेषी वेधन से प्राप्त हुई जानकारी के अंतर्वाह का विश्लेषण एक सतत प्रक्रिया है। यह हाइड्रोकार्बन वाली नई संरचनाओं का पता लगाने तथा तेल एवं गैस क्षेत्रों को विकसित करने में सहायता करता है।

ऐसे विश्लेषण के आधार पर प्रत्येक वर्ष अन्वेषण की सतत प्रक्रिया के भाग स्वरूप भूवैज्ञानिक आंकड़े का अर्जन तथा कूपों के वेधन की योजना बनाई जाती है।

गुर्दा चोरी रैकट

1042. **श्री ए० सी० जोस : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने कि कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को जानकारी है कि गुर्दा जारी रेकट देश में चारों ओर फल-फूल रहा है, और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा दोषियों को सजा देने के लिए क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (दलित एजिलमलाई) : (क) समाचार पत्रों में छपी कुछ घटनाओं को छोडकर यह सच नहीं है कि गुर्दा चोरी रैकेट देश में सभी स्थानों पर फल-फूल रहा है।

(ख) मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम संसद द्वारा पारित किया गया है जो 5.2.95 से लागू हो गया है। इस अधिनियम में चिकित्सीय उद्देश्यों के लिए मानव अंगों के निकालने, भंडारण तथा प्रत्यारोपण और मानव अंगों के वाणिजियक व्यापार की रोकथाम एवं उससे जुड़े मामलों या उनके प्रासंगिक मामलों सम्बन्धी व्यवस्था है। इस अधिनियम में दस हजार रूपए तक के जुर्माने के साथ पांच वर्ष तक की अवधि तक के लिए कठोर दंड की व्यवस्था है। यदि पंजीकृत चिकित्सक दोषी पाया जाता है तो पहली बार ऐसा अपराध करने के लिए उसका नाम दो वर्ष की अवधि के लिए तथा उत्तरवर्ती अपराध के लिए स्थायी रूप से राज्य चिकित्सा परिषद के रजिस्टर से हटाया जा सकता है। उच्चतम स्तर पर बार-बार अनुस्मारक देने के बाबजूद बिहार, उत्तर प्रदेश जैसे कुछ राज्यों ने अब तक उपरोल्लिखित अधिनियम को नहीं अपनाया है। जब यह अधिनियम देश में सभी राज्यों द्वारा स्वीकार कर लिया जाएगा, तो अधिनियम के उपबंधों के अनुसार उनके द्वारा अपराधी के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है।

चाय बागानों में लगे बाल श्रमिक

1043. **श्री नृपेन गोस्वामी : क्या श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेगे कि:

(क) क्या असम के चाय बागानों में भारी संख्या में बाल श्रमिक कार्यरत हैं,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) इन बागानों में बाल श्रम को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

श्रम मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

इंदिरा गांधी स्वास्थ्य संस्थान शिलांग (मेघालय)

1044. **श्री पी० आर० किन्डिया : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ऐसा माना गया था कि इंदिरा गांधी स्वास्थ्य संस्थान, शिलांग (मेघालय) आवश्यक उपकरणों की खरीद तथा इनकी स्थापना के पश्चात दिसम्बर, 1997 तक आंशिक रूप से चालू हो जाएगा,

(ख) यदि हां, तो इसमें हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है,

(ग) क्या विस्तृत परियोजना रिपोर्ट बनाने हेतु एक समिति का गठन किया गया था,

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है,

(ङ) क्या इस समिति ने कोई रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, और

(च) यदि हां, तो सरकार ने समिति की सिफारिशों पर क्या कार्यवाही की है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई): (क) और (ख) चिकित्सा उपकरणों की संस्थापना करने और चिकित्सीय कार्मिको की नियुक्ति करने के लिए उपाय करके अन्तरिम सुविधाओं को प्रचालनात्मक बनाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

निविदा और खरीद संबंधी उचित क्रियाविधियों का अनुपालन करने के पश्चात इस संस्थान ने कुछ अनिवार्य उपकरणों और उनके आपूर्तिकर्ताओं का चयन करने का काम पूरा कर लिया है और प्रस्तावों पर स्थायी वित्त समिति की सिफारिशें प्राप्त हो चुकी हैं। इस मंत्रालय को अध्यक्ष शासी परिषद का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए संस्थान के प्रस्ताव अप्रैल, 1998 में प्राप्त हो चुके हैं।

सरकार ने समूह क, ख, ग और घ में 108 पद मंजूर किए। समूह ''क'' पदों में 11 रिक्तियों को भरने के लिए विज्ञापन के प्रत्युत्तर में छह रिक्तियों के लिए एक भी आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हुआ। इन पदों को पुन: विज्ञापित किया गया है। पदों को भरने की प्रक्रिया को तेज करने के लिए समूह ग व घ पदों पर नियुक्तियां करने के लिए संस्थान के निदेशक को शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं।

(ग) और (घ) (1) स्नातकोत्तर शिक्षण सहित एक रेफरल अस्पताल की स्थापना के लिए एक ब्यौरे वार परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए (2) लागत को अद्यतन बनाने के पारस्परिक प्राथमिकताओं का निर्धारण करते हुए और स्नातकोत्तर शिक्षण की स्थापना करने की न्यूनतम आवश्यकता को पूरा करने तथा उसके लिए चरण बनाने के लिए (3) एम. बी. बी. एस. पाठ्यक्रम शामिल करने हेतु परियोजना को संशोधित करने के लिए और (4) इस संस्थान द्वारा तैयार किए गए परियोजना प्रस्ताव की जांच करने के लिए डा० पी. के. दवे, निदेशक अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था।

(ङ) जी हां।

(च) परियोजना की जांच करने पर यह बात पाई गई कि प्राथमिकताओं और भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा निर्धारित किए गए मानदंडों को ध्यान में रखते हुए ब्यौरे-वार लागत अनुमान तैयार किए जाने अपेक्षित हैं। इस संस्थान ने मैसर्स हास्पिटल सर्विसेज कन्सलटेन्सी कारपोरेशन लिमिटेड को लागत अनुमान तैयार करने का कार्य सौंप दिया है। सम्पूर्ण मामले को शासी परिषद के समक्ष रखा जायेगा।

दिल्ली में दूषित जलापूर्ति

1045. **श्री आरिफ मोहम्मद खां : क्या स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दूषित जल की आपूर्ति से होने वाले संक्रामक रोग कौन-कौन से हैं;

(ख) क्या सरकार को दिल्ली के कई इलाकों में विशेषकर दक्षिण दिल्ली में दूषित जलापूर्ति किए जाने की जानकारी है, जिनसे फोड़ा, यकृत, शोध तथा अन्य बीमारियों जैसी महामारी फैल सकती है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा कौन से उपचारात्मक उपाय किए गए या कौन से उपचारात्मक उपाय उठाए जाने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई): (क) संक्रमित जल आपूर्ति के कारण होने वाले प्रमुख रोग छोटे बच्चों में अतिसार, हैजा, पेचिश टाइफाइड और विषाणुज हेपीटाइटेस हैं।

(ख) ओर (ग) दिल्ली जल बोर्ड ने सूचित किया है कि दिल्ली जल बोर्ड द्वारा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान और इसके आसपास के क्षेत्रों से लिए गए 39 नमूनों में से अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के आंतरिक जल वितरण प्रणाली के 5 नमूने जीवाणुविज्ञान की दृष्टि से दोषपूर्ण पाए गए।

(घ) जल को पीने योग्य बनाने और प्रदूषण से बचाने के लिए दिल्ली जल बोर्ड द्वारा सभी जलाशयों तथा ओवर हैड टंकियों की तथा वितरण प्रणाली के अंतिम सिरों की सफाई की गई है।

सभी अभिकरणों जैसे, नई दिल्ली नगर पालिका, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, दिल्ली लोक निर्माण विभाग, दिल्ली छावनी, विभिन्न सहकारी समितियों और व्यक्तियों को फिर से सलाह दी गई है कि वे अपनी औवर हैड/अन्डर ग्राउन्ड जल भंडारण टंकियों की नियमित आधार पर सफाई करें जिसे स्वच्छ पेय जल सुनिश्चित हो सके।

विभिन्न क्षेत्रों से रोजाना 250 से 300 नमूने लिए जाते हैं और उनकी जांच की जाती है।

ग्रामीण क्षेत्रों में जल गुणवत्ता की जांच करने के लिए एक चलती-फिरती प्रयोगशाला भी कार्य कर रही है।

पेय जल में मौजूद अवशिष्ट क्लोरीन की जांच करने के लिए कनिष्ठ अभियन्ताओं को टेस्टिंग किट भी प्रदान किए गए हैं।

लोगों को उथले हैंड पम्पों के पानी को पीने के लिए प्रयोग न करने की सलाह दी गई है। इन पम्पों को पुनर्वास कालोनियों में लाल रंग से रंगा गया है और इनके पानी के ''पानी योग्य नहीं'' होने का संकेत दिया गया है।

किसी शिकायत की स्थिति में जल की गुणवत्ता की मुफ्त जांच करने के लिए विनिर्दिष्ट प्रयोगशालाएं हैं।

उर्वरकों की मांग और पूर्ति

1046. श्री रघुवंश प्रसाद सिंह :
श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन :

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में विगत तीन वर्षों के दौरान 31.3.98 तक उर्वरकों की राज्य-वार वार्षिक मांग, पूर्ति और घरेलू उत्पादन क्या है;

(ख) आयातित उर्वरक की मात्रा तथा उसकी कमी की मात्रा कितनी थी;

(ग) उर्वरकों के आयात पर खर्च हुई विदेशी मुद्रा की राशि तथा दी गई राजसहायता की कुल राशि कितनी थी;

(घ) उर्वरकों की कमी को दूर करने के लिए सरकार के द्वारा क्या कार्रवाई की गई है, और

(ङ) उर्वरकों के नाम, यदि कोई हो, जिन्हें राजसहायता का लाभ नहीं दिया गया है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ ए. के. पटेल): (क) और (ख) यूरिया एकमात्र उर्वरक है जिस पर सरकार का मूल्य, संचलन तथा संवितरण नियंत्रण है। सभी अन्य फास्फेटिक, पोटासिक और कम विश्लेषित उर्वरकों को अगस्त, 1992 से ही अनियंत्रित कर दिया गया है। गत तीन वर्षों के दौरान यूरिया की राज्य-वार मांग और आपूर्ति विवरण I में दी गई है। गत तीन वर्षों के दौरान देश में यूरिया का स्वदेशी उत्पादन तथा आयात के ब्यौरे विवरण-II में दिये गये हैं। यूरिया के आयातों की मांग का निर्धारण मूल्यांकित आवश्यकता और स्वदेशी उपलब्धता के बीच के अंतर को पूरा करने के लिए किया जाता है।

(ग) भारत सरकार द्वारा वर्ष 1995-96, 1996-97 और 1997-98 के दौरान आयातों पर व्यय की गई विदेशी मुद्रा तथा राजसहायता की राशि इस प्रकार है:

वर्ष	अमरीकी डालर में विदेशी मुद्रा (मिलियन)	राजसहायता धनराशि (रु॰ करोड़ में)
1995-96	874.41	1934.99
1996-97	472.70	1161.56
1997-98	359.25	729.31

(घ) वर्ष 1995-96 से देश में यूरिया की कोई कमी नहीं है। राज्यों द्वारा किसी भी मौसम में महसूस की गई स्थानीय कमियों को आयातों सहित वैकल्पिक स्रोतों से आपूर्ति भेजकर दूर किया गया था। अनियंत्रित उर्वरकों की उपलब्धता को मांग और आपूर्ति की बाजार शक्तियों द्वारा विनियंत्रित किया जाता है।

(ङ) यूरिया पर राजसहायता प्रतिधारण मूल्य योजना के तहत दी जाती है। जबकि अनियंत्रित उर्वरक कृषि और सहकारिता विभाग की रियायत योजना के तहत आते हैं। केवल कम विश्लेषित 3 उर्वरक- अमोनियक क्लोराइड, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट और अमोनियम सल्फेट को किसी राजसहायता/रियायत का लाभ नहीं मिल रहा है।

विवरण-I

1995-96 से 1997-98 के दौरान राज्य वार यूरिया की माँग/खपत और उपलब्धता दर्शाने वाला विवरण

(आकडे 000 मी. टन में)

क्र.सं.	राज्य	1995-96		1996-97		1997-98	
		माँग/खपत	उपलब्धता	माँग/खपत	उपलब्धता	माँग/खपत	उपलब्धता
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	1828.45	2213.88	1932.09	2177.97	165.	2276.22
2.	कर्नाटक	759.81	891.63	812.40	939.81	877.19	1016.23
3.	केरल	120.70	146.59	122.60	146.60	177.67	145.59
4.	तमिलनाडु	672.97	818.66	803.50	897.33	826.25	1013.37
5.	अण्डमान और निकोबार	0.40	0.27	0.41	0.39	0.32	0.64
6.	लक्षद्वीप	0.10	0.06	0.11	0.00	0.13	0.02
7.	पाण्डिचेरी	21.66	25.40	23.16	27.09	22.96	23.97
8.	गुजरात	970.73	1103.00	1051.73	1069.78	1180.14	1288.63
9.	मध्यप्रदेश	1021.99	1308.53	1184.11	1292.68	1389.08	1733.81
10.	महाराष्ट्र	1503.76	1793.14	1615.57	1732.40	1679.05	1999.13
11.	राजस्थान	931.72	1040.79	1057.38	1197.84	1171.24	1360.31

1	2	3	4	5	6	7	8
12.	दादर और नगर हवेली	1.05	0.94	1.13	1.31	1.01	1.28
13.	गोवा	5.73	5.83	4.26	4.42	4.30	3.94
14.	दमन और दीव	0.1[illegible]	0.08	0.33	0.12	0.35	0.00
15.	हरियाणा	1144.30	1403.70	1213.86	1288.84	1301.05	1490.84
16.	हिमाचल प्रदेश	40.55	50.87	45.54	47.13	46.96	44.92
17.	जम्मू और कश्मीर	88.61	92.79	72.53	82.95	89.24	102.06
18.	पंजाब	1997.35	2271.93	1877.37	2024.60	1992.25	2321.27
19.	उत्तर प्रदेश	4262.69	4895.04	4443.38	4906.24	4673.89	5641.82
20.	चण्डीगढ़	0.80	0.77	0.79	0.94	0.82	0.88
21.	दिल्ली	32.61	35.53	37.02	36.27	38.69	35.68
22.	बिहार	1097.15	1309.30	1291.78	1529.67	1298.79	1712.57
23.	उड़ीसा	312.35	382.25	306.25	448.17	419.82	492.67
24.	पश्चिम बंगाल	948.67	1077.17	961.62	1124.72	1021.99	1261.69
25	असम	48.81	54.59	67.26	77.08	82.64	93.53
26.	मणिपुर	22.29	22.68	24.04	25.33	2371	29.65
27.	मेघालय	3.65	3.53	4.40	6.53	4.54	6.13
28.	नागालैण्ड	0.47	2.35	0.61	0.70	0.76	1.17
29.	सिक्किम	1.10	1.36	1.01	1.35	0.71	1.48
30.	त्रिपुरा	11.38	10.91	11.53	13.76	18.99	22.18
31.	अरुणाचल प्रदेश	*0.33*	*0.26*	*0.55*	*0.43*	*0.57*	*0.66*
32.	मिजोरम	0.21	0.45	0.42	0.57	0.82	1.48
33.	टी बोर्ड (एन ई)	56.39	61.70	55.74	56.77	69.37	59.05
	अखिल भारत	17908.95	21.025.98	19024.48	21159.79	20007.80	24182.87

विवरण-II

1995-96 से 1997-98 के दौरान यूरिया के स्वदेशी उत्पादन और आयात को दर्शाने वाला विवरण

(आंकड़े लाख मी॰ टन में)

	उत्पादन	आयात
1995-96	158.20	37.85
1996-97	154.41	23.28
1997-98	185.96	23.89

[हिन्दी]

वीरप्पन की गिरफ्तारी के लिए सहायता

1047. श्री दत्ता मेघे : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दो राज्य सरकारों ने वीरप्पन के आतंक से निपटने के लिए केन्द्र सरकार से कोई सहायता माँगी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विगत दो वर्षों के दौरान उसे गिरफ्तार करने के लिए केन्द्र सरकार के द्वारा किए गए प्रयासों का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) और (ख) कर्नाटक सरकार ने केन्द्र सरकार से वीरप्पन को पकड़ने के लिए केन्द्रीय अर्ध-सैनिक बलों के रूप में सहायता प्रदान करने का अनुरोध किया था। बाद में, तमिलनाडु और कर्नाटक दोनों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ गृह मंत्रालय में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया कि वीरप्पन को पकड़ने का अभियान चलाने से पूर्व तमिलनाडु पुलिस और कर्नाटक पुलिस की संयुक्त कमान होनी चाहिए और आसूचना संग्रहण के कार्य को उन्नत किया जाना चाहिए। उसके बाद जब भी आवश्यकता होगी अभियान में तमिलनाडु और कर्नाटक की संयुक्त कमान की सहायता के लिए केन्द्रीय पुलिस बल के प्रशिक्षित कमान्डों तैनात किए जाएंगे।

(ग) ''लोक व्यवस्था'' और ''पुलिस'' राज्य के विषय हैं, अत: इस संबंध में उपयुक्त तरीके खोजना और ठोस उपाय करना राज्य सरकार की जिम्मेवारी है। केन्द्र सरकार राज्य सरकारों को सभी संभव सहायता देगी।

संविधान के अंतर्गत आरक्षण

1048. प्रो. जोगेन्द्र कवाड़े : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आरक्षण कानून के अंतर्गत ऐसे कोई आरक्षण नियम बनाए गए हैं जिन्हें सभी क्षेत्रों में लागू किया जा सके,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्री मेनका गांधी) : (क) से (ग) जी, नहीं। आरक्षण पर कोई अधिनियम नहीं है और इसलिए आरक्षण पर कोई नियम बनाने का प्रश्न नहीं उठता। आरक्षण, कार्यकारी अनुदेशों के माध्यम से कार्यान्वयनाधीन है जिनमें भारत के संविधान के अनुच्छेद 13 के अंतर्गत कानूनी शक्ति है।

[अनुवाद]

उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा गैर-सरकारी संगठनों को दी गई राशि

1049. श्री एम॰ राजैया : क्या खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उपभोक्ता मामले विभाग किसी उपभोक्ता मामलों के संबंध में जागरूकता कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए गैर-सरकारी संगठनों को विनियोजित कर रहा है, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष दी गई सहायता राशि का ब्यौरा क्या है?

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल सिंह यादव): (क) और (ख) 1991 में यथासंशोधित, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क व नमक अधिनियम, 1944 के तहत सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण के क्षेत्र में क्रियाकलाप करने के लिए गैर-सरकारी संगठनों राज्य सरकारों आदि को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु उपभोक्ता कल्याण कोष गठित किया है। यह कोष राजस्व विभाग द्वारा बनाया गया है, लेकिन इसका संचालन उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा किया जा रहा है। वित्तीय सहायता मुख्यत: साहित्य तैयार करने व वितरण करने; उपभोक्ता शिक्षा में प्रशिक्षण और अनुसंधान हेतु सुविधाएं स्थापित करने; शिकायत पर कार्रवाई करने/परामर्श देने/मार्गदर्शन करने के लिए कन्ज्यूमर गाइडेंस ब्यूरो जैसे तंत्र स्थापित करना; उपभोक्ता वस्तुओं के परीक्षण के लिए प्रयोगशालाएं स्थापित करने आदि के लिए दी जाती है।

गत तीन वर्षों के दौरान निम्नलिखित सहायता मंजूर की गई:

वर्ष	मंजुर की गई राशि
	(रुपए में)
1995	90,44,635
1996	86,50,849
1997	40,31,450

[हिन्दी]

कच्चे तेल की कीमतें

1050. श्री माणिकराव होडल्या गावीत : क्या पेट्रोलियम ओर प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कच्चे तेल की कीमत में 9-10 डालर प्रति बैरल की कमी होने के बाद एक बार फिर इसकी कीमत अचानक बढ़ गई है जिससे एक बार फिर पेट्रोल संकट उत्पन्न होने का खतरा पैदा हो गया है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) सरकार द्वारा इस संकट से बचने के लिए क्या उपाय किए जा रहे है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) और (ख) अंतराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के मूल्य मार्च, 1998 में लगभग 9-10 डालर/बी बी एल की निम्नता छूने के बाद नगण्य रूप से निश्चित हो गए है। तथापि, पेट्रोल संकट की कोई संभावित आशंका नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

सुपर बाजार

1051. डा॰ विजय सोनकर शास्त्री : क्या खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सुपर बाजार की स्थापना के उद्देश्य क्या है और इन उद्देश्यों की प्राप्ति किस हद तक हुई है,

(ख) क्या सुपर बाजार अधिकांश चीजें प्रतियोगी दरों पर न बेचकर अधिकतम खुदरे मूल्यों पर बेच रहा है,

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है,

(घ) सुपर बाजार के सतर्कता स्कंध के कार्य क्या हैं,

(ङ) क्या सुपर बाजार में पंजीकृत आपूर्तिकर्ता उनके प्रति जबावदेह हैं,

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं,

(छ) क्या सुपर बाजार में पडे क्षतिग्रस्त स्टॉक को परिसम्पत्तियों की मद में दर्शाया जा रहा है, और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल सिंह यादव) : (क) दि कोऑपरेटिव स्टोर लिमिटेड (सुपर बाजार) दिल्ली एक सहकारी समिति है, जिसे 1966 में स्थापित किया गया था। इसके मुख्य उद्देश्य, जैसाकि इसकी उपविधियों में दिए गए हैं, नीचे दिए गए हैं:-

(1) उपभोक्ता वस्तुओं तथा आवश्यक वस्तुओं के थोक तथा खुदरा वितरण का कार्य करना तथा बहुविभागी भण्डारों की स्थापना करना;

(2) बदलते हुए बाजार के माफिक निरन्तर आधार पर उत्पादन में परिवर्तन करने के उद्देश्य से उत्पादकों/सप्लायरों तथा उपभोक्ताओं के बीच कारगर संबंध विकसित करना;

(3) उत्पादों की गुणवत्ता बढाना तथा स्तर बनाए रखना;

(4) बाजार समर्थन तथा प्रबंधकीय सलाह के जरिए नए उत्पादों तथा नई विनिर्माण इकाईयों के विकास को प्रोत्साहन देना;

(5) वितरण की लागतो को कम करना तथा नियत मूल्य आदि जैसी उचित और बेहतर व्यापारिक व्यवहार लागू करना और

(6) उत्पादकों तथा उपभोक्ताओं दोनों को सूचना सेवा प्रदान करना।

(ख) जी नहीं,। सुपर बाजार द्वारा लिए जा रहे खुदरा मूल्य दिल्ली/नई दिल्ली में ख्यातिप्राप्त अन्य खुदरा विक्रेताओं द्वारा लिए जा रहे मूल्यों से तुलनीय हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) सुपर बाजार, दिल्ली, वाणिज्यिक संगठन होने के नाते उसके यहां सतर्कता विभाग भी है जो सतर्कता मेनुअल में दिए गए दिशा-निर्देशों तथा सरकार और केन्द्रीय समर्कता आयोग द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार कार्य करता है।

(ङ) और (च) सुपर बाजार, दिल्ली में रजिस्टर्ड सम्लायर, दोनों पार्टियों के बीच सहमत शर्तों के अनुसार सुपर बाजार दिल्ली के प्रति जवाबदेह है।

(छ) और (ज) सुपर बाजार, दिल्ली द्वारा अपनाई जा रही लेखा प्रणाली के अनुसार क्षतिग्रस्त स्टॉक का मूल्य उसकी मूल्य लागत के 50% पर आंका जाता है और उसे सुपर बाजार के तुलन पत्र में चालू परिसम्पत्तियों के तौर पर शामिल किया जाता है। इस क्षतिग्रस्त स्टॉक का मूल्य हर वर्ष अलग-अलग होता है क्योंकि सहमत शर्तों के अनुसार क्षतिग्रस्त अधिकांश वस्तुएं बदल दी जाती है या फिर उन्हें सप्लायरों को लौटा दिया जाता है।

सुपर बाजार में भण्डार की सूची

1052. श्री जंग बहादुर सिंह पटेल: क्या खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यथा 1 अक्तूबर, 1995 को सुपर बाजार के विभिन्न प्रभागों में भडारों की काफी मात्रा थी,

(ख) यदि हां, तो माल सूची के आंकडों सहित अक्तूबर, 1995 से मार्च 1998 तक का प्रभाग-वार ब्यौरा क्या है,

(ग) क्या बिक्री के गलत अनुपात के लिए शिकायतें प्राप्त हुई है और,

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है या किए जाने का विचार है,

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल सिंह यादव) : (क) और (ख) सुपर बाजार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, अक्तूबर, 1996 से मार्च, 1998 तक विभागवार बिक्री/मालसूची संलग्न विवरण में दिया गया है। अक्तूबर, 95 से सितम्बर, 96 की अवधि के दौरान सुपर बाजार में हुई बिक्री और मालसूची का ब्यौरा माननीय संसद सदस्य द्वारा 26.11.96 को लोक सभा में पूछे गये ऐसे ही एक अन्य प्रश्न अर्थात् अतारांकित प्रश्न संख्या 710 के उत्तर में पहले ही दिया जा चुका है।

(ग) और (घ) दि कोआपरेटिव स्टोर्स लिमिटेड (सुपर बाजार), दिल्ली एक स्वायत्तशासी सहकारी समिति है जो बहु राज्यीय सहकारी समिति अधिनियम 1984 के तहत रजिस्टर्ड है। इसका अपना निदेशक मंडल है जो अपनी दैनिक गतिविधियो जिसमें कारोबार संबंधी मामले भी शामिल हैं के संबंध में निर्णय लेता है। भारत सरकार ऐसे मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं करती। माल सूची और बिक्री के बीच असमानता होने के संबंध में माननीय संसद सदस्य से पूर्व में शिकायतें प्राप्त हुई थी जिसका जवाब 17.11.97 तथा 19.2.98 को दे दिया गया था।

विवरण

(राशि लाख रु० में)

विभाग	अक्तू० 96		नव० 96		दिस० 96		जन० 97		फर० 97	
	बिक्री	माल	बिक्री	माल	बिक्री	माल	बिक्री	माल	बिक्री	माल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
किराना/प्रसाधन	688.48	739.54	741.12	761.91	744.01	753.46	797.45	724.17	855.44	699.28
वस्त्र	8.54	54.69	11.42	54.34	18.30	49.23	14.42	44.30	11.07	42.33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
घरेलू सामान	32.00	63.79	39.02	67.43	40.25	65.17	31.13	47.58	22.56	42.67
एच.एम.टी. घड़ियां	2.04	7.58	3.84	4.74	3.28	5.70	2.04	5.50	2.26	5.81
हथकरघा	14.60	29.16	15.99	30.28	19.13	31.11	17.29	24.05	15.98	19.84
किताबें लेखन समाग्री	82.20	66.62	75.54	67.77	71.71	75.73	94.29	62.12	64.26	69.85
कार्यालय आटो	39.37	3.70	50.38	2.87	20.41	2.71	35.27	2.80	64.90	6.09
खेल व खिलौने	0.90	3.16	1.72	3.46	1.02	3.36	0.74	2.84	1.15	2.79
जूते	11.66	14.71	11.13	17.63	14.79	18.49	13.17	15.62	9.71	13.83
रेडीमेंड गारमेंटस	10.13	15.41	13.28	14.86	24.03	11.91	16.42	18.62	10.14	13.25
दवाईयां	85.94	107.53	81.03	104.29	84.61	101.11	92.53	79.59	89.32	87.90
साइकिल	12.68	7.53	7.10	8.33	10.25	5.53	9.90	4.10	5.51	5.58
फल/सब्जी	2.42	0.68	3.15	0.86	4.44	1.15	4.04	0.49	4.02	0.67
बाट/रंग	1.94	6.90	2.72	6.79	3.65	6.70	10.49	6.18	2.65	5.50
फर्नीचर	93.86	-	49.09	-	59.35	-	69.69	-	69.14	-
मोमबत्ती	0.03	0.67	6.14	1.31	0.23	1.46	0.19	0.82	0.25	0.61
पटाखे	-	8.36	1.81	5.30	-	5.30	-	5.24	-	5.24

	मार्च 97		अप्रैल 97		मई 97		जून 97		जुलाई 97	
विभाग	बिक्री	माल	बिक्री	माल	बिक्री	माल	बिक्री	माल	बिक्री	माल
किराना/प्रसाधन	1046.22	540.30	642.58	690.24	733.59	777.15	617.48	765.25	638.20	717.21
वस्त्र	14.79	35.20	13.94	35.00	24.18	32.88	18.09	37.14	15.10	37.09
घरेलू सामान	65.19	29.74	25.40	33.17	47.37	31.20	41.59	29.48	437.50	26.46
एच.एम.टी. घड़ियां	2.44	5.31	2.11	4.61	2.04	4.44	2.02	6.30	1.85	5.99
हथकरघा	36.32	22.34	11.08	18.74	10.96	18.87	13.17	18.67	12.79	18.15
किताबें लेखन समाग्री	114.13	53.20	64.63	56.98	47.99	52.29	52.17	55.02	62.52	65.64
कार्यालय आटो	247.07	9.51	48.00	7.86	40.52	5.44	34.52	18.37	48.09	24.11
खेल व खिलौने	2.94	1.94	0.21	1.74	0.56	1.57	0.39	1.42	0.39	1.03
जूते	13.74	10.60	9.00	11.81	11.77	6.78	10.03	10.47	11.51	9.85
रेडीमेंड गारमेंटस	8.71	3.50	4.65	6.77	3.62	7.36	3.13	12.36	3.57	12.89
दवाईयां	87.49	85.95	74.96	88.39	91.03	98.89	85.69	99.93	92.17	101.75
साइकिल	7.85	2.47	5.35	3.85	5.89	4.03	5.54	4.28	5.54	5.14
फल/सब्जी	4.60	1.39	3.59	0.38	8.70	0.42	3.25	1.07	4.32	1.85
बाट/रंग	12.[illegible]8	3.83	5.91	3.66	4.01	4.37	7.20	4.85	16.09	4.39
फर्नीचर	259.15	-	32.83	-	49.55	-	49.18	-	53.95	-
मोमबत्ती	0.17	0.48		0.48	0.03	0.46	0.08	0.72	0.02	0.65
पटाखे		5.24	-	5.24	-	5.24	-	5.24	-	5.24

विभाग	अग० 97		सित० 97		अक्त० 97		नव० 97		दिस० 97	
	बिक्री	माल	बिक्री	माल	बिक्री	माल	बिक्री	माल	बिक्री	माल
किराना/प्रमाधन	675.20	679.43	633.42	552.34	649.97	769.22	665.94	787.53	661.75	649.50
वस्त्र	5.32	34.22	4.05	28.47	5.42	40.04	14.68	38.91	21.06	33.05
घरेलू सामान	29.92	36.78	30.85	31.82	29.17	59.89	30.10	54.40	34.96	41.36
एचएमटी घड़ियां	1.30	5.00	1.51	3.53	2.30	5.71	1.92	5.09	1.24	4.56
हथकरघा	11.93	21.30	15.20	17.30	15.39	16.93	13.04	22.94	15.52	19.45
किताबें लेखन सामग्री	63.10	67.85	54.46	72.95	65.56	56.89	52.56	39.17	63.09	28.58
कार्यालय आटो	52.44	15.44	45.25	6.88	22.58	2.52	39.14	61.57	59.02	1.34
खेल व खिलौने	0.54	1.08	0.74	0.88	0.62	0.85	0.55	0.69	0.24	0.50
जूते	10.26	10.11	11.04	9.25	9.19	9.01	7.75	8.41	8.12	7.50
रेडीमेंड गारमेंटस	67.67	10.22	4.27	7.33	6.70	8.15	11.16	9.39	19.60	14.85
दवाईयां	91.04	105.88	87.32	103.04	81.16	94.58	95.16	105.10	82.16	105.50
साईकिल	5.73	4.33	6.53	1.97	1.79	3.81	5.38	3.97	3.81	2.93
फल/सब्जी	4.72	0.84	3.67	0.29	4.37	0.49	4.16	0.75	4.87	0.45
बाट/रंग	1.28	3.93	1.86	3.56	5.49	3.24	1.61	2.92	0.53	2.46
फर्नीचर	50.69	–	63.16	–	44.09	–	45.00	–	37.17	–
मोमबत्ती	0.02	0.61	0.04	0.29	3.79	1.42	0.34	1.06	0.15	0.94
पटाखे	–	5.24	–	4.66	2.35	4.66	–	4.66	–	4.05

विभाग	जन० 98		फर० 98		मार्च 98	
	बिक्री	माल	बिक्री	माल	बिक्री	माल
किराना/प्रमाधन	7.77.21	6.72.06	7.29.53	6.86.39	7.83.31	5.25.87
वस्त्र	12.69	28.96	7.83	28.21	10.86	27.69
घरेलू सामान	32.61	34.82	20.28	33.12	48.27	36.84
एचएमटी घड़ियां	1.19	3.56	2.63	3.47	1.71	4.05
हथकरघा	14.47	21.37	13.83	18.29	32.59	9.67
किताबें लेखन सामग्री	48.59	32.73	42.72	35.26	58.00	41.88
कार्यालय आटो	30.48	−9.62	24.27	−10.73	1,33.57	−37.78
खेल व खिलौने	0.26	0.42	0.48	0.85	2.09	1.31
जूते	7.44	7.79	7.28	9.01	13.86	8.16
रेडीमेंड गारमेंट	12.96	14.99	8.00	16.80	11.42	3.25
दवाईयां	79.47	94.29	81.20	91.87	98.27	91.09
साईकिल	2.40	2.02	3.45	1.71	7.07	5.44
फल/सब्जी	24.41	3.00	22.06	2.17	5.56	1.55
बाट/रंग	3.31	3.32	0.97	2.20	1.52	2.05
फर्नीचर	37.39	–	129.69	–	186.06	–
मोमबत्ती	0.16	0.76	0.07	0.65	0.26	0.48
पटाखे	–	4.05	–	4.05	–	4.05

अधिक अर्द्ध-सैनिक बलों की मांग

1053. **श्री टी० गोविन्दन** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या त्रिपुरा सरकार ने केन्द्र सरकार से उग्रवादी गतिविधियों/राज्य में विद्रोह को खत्म करने के लिए और अधिक अर्द्ध-सैनिक बलों की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या करण हैं?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) और (ग) लोक व्यवस्था बनाए रखने में उनकी सहायता करने के लिए राज्य सरकारों को केन्द्रीय अर्द्ध-सैनिक बल उपलब्ध कराए जाते हैं। तैनाती का स्तर, समग्र सुरक्षा परिदृश्य और केन्द्रीय अर्द्ध-सैनिक बलों की उपलब्धता पर निर्भर करता है। तदनुसार, इन बलों की समग्र उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए त्रिपुरा सरकार को केन्द्रीय अर्द्ध-सैनिक बल उपलब्ध कराए गए हैं।

[हिन्दी]

परिवार नियोजन के लिए धन

1054. **श्री जयसिंहजी चौहान : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने कि कृपा करेंगे कि:

(क) गुजरात में वर्ष 1997-98 के दौरान परिवार नियोजन कार्यक्रम के लिए कुल कितनी आर्थिक सहायता प्रदान की गयी;

(ख) क्या सरकार द्वारा प्रदान की गयी कुल राशि का राज्य सरकार ने उपयोग किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई): (क) गुजरात को 7505.43 लाख रुपए की राशि नगद और सामग्री रूप में प्रदान की गई।

(ख) से (घ) राज्यों को सहायता अनुदान नगद और सामग्री दोनों प्रकार से दिया जाता है। सामग्री सहायता में औषध किटें, औषधालय किटें, गर्भनिरोधक आदि होते हैं। यह सहायता उपयोग/आवश्यकता के आधार पर दी जाती है और इस प्रकार कोई फालतू नहीं होती है। नगद सहायता आरम्भ में वेतन आदि की जरूरतों की आकलन के आधार पर दी जाती है और अंकेक्षण ख्यानों के आधार पर अंतिम रूप से निपटान किया जाता है।

मुआवजे के मामले

1055. **श्री सुशील चंद्र वर्मा : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भोपाल गैस त्रासदी के संबंध में मुआवजे हेतु प्राप्त मामलों की इस समय कुल संख्या कितनी है,

(ख) आरंभ में कुल कितने मामले प्राप्त हुए थे और उनमें से कितने मामले निपटा लिए गए हैं,

(ग) उनमें से कितने मामलों को अस्वीकृत किया गया है अथवा कितने मामलों में आवेदकों को मुआवजे के रूप में कोई भुगतान नहीं किया गया है, और

(घ) न्यायालयों में कितने मामले लंबित है और इन्हें कब तक निपटा लिए जाने की संभावना है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. ए. के. पटेल): (क) दिसम्बर, 1996 से फरवरी, 1997 की अवधि के दौरान जब नए दावे मांगे गए थे तो कुल 4.08 लाख दावे दायर किए गए।

(ख) से (घ) 30.4.98 की स्थिति के अनुसार पूर्ववर्ती मामलों के निपटान की स्थिति इस प्रकार है:-

पंजीकृत दावे		6.19 लाख
निपटाए गए दावे		6.14 लाख
अस्वीकृत दावे		2.72 लाख
लम्बित दावे	:	0.05 लाख

कल्याण आयुक्त, भोपाल गैस पीड़ित के कार्यालय ने सूचित किया है कि लम्बित मामलों को जून, 1998 के अन्त तक निपटा दिए जाने की संभावना है।

[अनुवाद]

बम विस्फोट

1056. **डा० टी० सुब्बारामी रेड्डी : क्या गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिसम्बर, 1997 के दौरान देश में तमिलनाडु, केरल तथा अन्य स्थानों पर बम विस्फोटों से यात्री मारे गये है और अन्य बहुत से घायल हुए है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या तमिलनाडु सरकार ने रेल गाडियों में हुए विस्फोटों की केन्द्रीय जाँच ब्यूरों द्वारा जाँच कराये जाने की माँग की है; और

(घ) यदि हां, तो उस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) और (ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार, दिनांक 6.12.1997 को तीन रेलगाड़ियों में तीन विस्फोट हुए थे, एक विस्फोट इरोडे रेलवे स्टेशन पर चेरन एक्सप्रेस में, एक विस्फोट तिरूची रेलवे जंक्शन पर पांडियन एक्सप्रेस में और एक अन्य विस्फोट तिरुपुर रेलवे स्टेशन पर एल्लिपी एक्सप्रेस गाड़ी में हुआ था। इन घटनाओं में 9 व्यक्ति मारे गए थे जबकि 60 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुए थे।

(ग) और (घ) इन घटनाओं की केन्द्रीय जाँच ब्यूरों द्वारा जाँच करवाने के लिए राज्य सरकार के एक अनुरोध प्राप्त हुआ था। इस बारे में केन्द्रीय जाँच ब्यूरों के विचार राज्य सरकार को सूचित कर दिए गए थे। राज्य सरक के उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही है।

कालीन उद्योग में बाल श्रम पर प्रतिबंध

1057. **श्रीमती जयंती पटनायक : क्या श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कालीन उद्योग में बाल श्रम पर कोई प्रतिबंध लगाने का है,

(ख) यदि हां, तो बाल श्रम पर कब तक प्रतिबंध लगाए जाने की संभावना है, और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

श्रम मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया) : (क) से (ग) बालश्रम (प्रतिबंध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत जोखिमकारी व्यवसायों (कालीन उद्योग सहित) में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों का नियोजन पहले ही प्रतिसिद्ध है।

लाटरी (विनियमन) अध्यादेश, 1997

1058. **श्री सुशील कुमार शिंदे : क्या गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 01 अक्तूबर, 1997 को जारी किया गया लाटरी (विनियमन) अध्यादेश व्यपगत हो गया है;

(ख) यदि हां, तो जो विनियमन इस समय लागू हैं क्या वे लाटरी को जारी करने तथा उसकी बिक्री को नियंत्रित करते हैं; और

(ग) संविधान की सातवीं अनुसूची में संघ सूची की 40वीं प्रविष्टि के अनुसार केन्द्र और राज्य सरकार की लाटरियों को विनियमित करने के लिए संसद के समक्ष विधान न लाने का क्या कारण हैं?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) से (ग) अक्तूबर, 1997 के प्रथम दिवस को प्रख्यापित लाटरी (विनियमन) अध्यादेश, 1997 के प्रावधानों को सतत प्रभाव देने के लिए दिसम्बर, 1997 के तीसवें दिवस को लाटरी (विनियमन) द्वितीय अध्यादेश प्रख्यापित किया गया। चूंकि लाटरी (विनियमन) द्वितीय अध्यादेश, 1977, 5 मई, 1998 को व्यपगत होने जा रहा था, इसलिए लाटरी (विनियमन) अध्यादेश, 1998, अप्रैल, 1998 के तेईसवें दिवस को प्रख्यापित किया गया।

लाटरी (विनियमन) अध्यादेश, 1998 को अधिनियम के द्वारा प्रतिस्थापित करने के लिए लाटरी (विनियमन) विधेयक, 1998, मई, 1998 के सताईसवें दिवस को लोक सभा मे प्रस्तुत किया जा चुका है।

अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों का आरक्षण

1059. **श्री वी. वी. राघवन :**
श्री अजय चक्रवर्ती :

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली सरकार ने नौकरियों की भर्ती में अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को दिए जा रहे 7.5 प्रतिशत आरक्षण को समाप्त करने के लिए गृह मंत्रालय की अनुमति मांगी है, और

(ख) यदि हां, तो उसके कारण बताते हुए तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

साजाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) और (ख) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

एनक्लेवों मे जनगणना

1060. **श्री अमर राय प्रधान : क्या गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बांग्ला देश में 119 अदला-बदली किये जा सकने वाले भारतीय एनक्लवों में नागरिकों की गणना एनक्लेव-वार किस वर्ष की गई थी;

(ख) क्या वह उन भारतीय एनक्लेवों की पहली और अंतिम जन-गणना थी; और

(ग) यदि हां, तो तब से सरकार द्वारा इन एनक्लवों में फिर से जनगंणना न करवाये जाने के क्या कारण हैं?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) बंगलादेश में भारत के 119 अदला-बदली किए जाने वाले एन्क्लेवों में रहने वाले भारतीय नागरिकों की गणना 1951 की जनगणना में की गई थी।

(ख) जी हां, श्रीमान।

(ग) बंगलादेश की सीमा में आने वाले एन्क्लेवों पर सरकार का कोई प्रशासनिक नियंत्रण नहीं है अथवा न ही ये सरकार की पहुंच में है। अत: 1951 के पश्चात वहां कोई जनगणना करवाना संभव नहीं हो पाया है।

तेल और गैस की खोज

1061. **कर्नल सोनाराम चौधरी : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आयल इंडिया लिमिटेड और तेल और प्राकृतिक गैस निगम द्वारा खोज के दौरान राजस्थान में बड़ी मात्रा में तेल और गैस का पता लगाया है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है,

(ग) क्या सरकार ने संयुक्त उद्यम के अंतर्गत खोज/विकास के लिए कुछ ब्लाकों/क्षेत्रो का प्रस्ताव किया है,

(घ) यदि हां, तो जिन पार्टियों को प्रस्ताव मिल गया है और उनके द्वारा सहमति हुई शर्तो को दर्शाते हुए तत्संबंधी ब्यौरा क्या है,

(ड) सरकार के पास खनिज तेल और प्राकृतिक गैस के लिए पूर्व-खोज सर्वेक्षण के लिए किन-किन कंपनियों के प्रस्ताव लम्बित हैं, और

(च) यदि हां, तो इस प्रस्तावों को कब तक मंजूरी दिए जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) और (ख) ओ एन जी सी ने छह संभावनाओ अर्थात मनहेरा टिब्बा, घोटारु, खरतार, बाखड़ी टिब्बा, बांकिया और सादेवाला संरचनाओं में गैस की व्यापक मात्रा खोजी है। इसी प्रकार

ओ आई एल ने डांडेवाला, तनोट और बागीटिब्बा नामक तीन संरचनाओं में गैस की वाणिज्यिक मात्रा की खोज की है और जैसलमेर बेसिन में रामगढ़, जलालवाला और गमनेवाला नामक अन्य संभावनाओं में गैस की उपस्थिति के छोटे-मोटे संकेत देखे हैं। ओ आई एल ने बीकानेर-नागौर बेसिन में भारी तेल/बिटुमेन की उपस्थिति का भी पता लगाया है।

(ग) और (घ) ब्लाक आर जे-ओ एन-90/1 के लिए भारत सरकार, ओ एन जी सी और शैल इंडिया प्रोडक्शन डेवलपमेंट बी. वी. और आर जे-ओ एन. 90/4 ब्लाक तथा आर जे-ओ एन-90/5 के लिए भारत सरकार, ओ आई एल तथा एस्सार आयल लिमिटेड के बीच उत्पादन हिस्सेदारी संविदाओं पर पहले ही हस्ताक्षर किए जा चुके हैं। संविदाओं के मुख्य निबंधन और शर्तें निम्नानुसार हैं:-

अन्वेशण ब्लाकों की संविदाएं उत्पादन हिस्सेदारी संविदाएं है और कच्चे तेल और संबद्ध गैस के मामले में इनकी संविदा अवधि 25 वर्ष तक है। कंपनियों को बोनसों और सांविधिक उद्ग्रहणों के भुगतान से छूट प्राप्त है। भारत सरकार के पास इन संविदाओं के अंतर्गत उत्पादित तेल के संबंध में अस्वीकार करने का प्रथम अधिकार होगा और कंपनियों को अंतरराष्ट्रीय मूल्यों पर तेल के उनके हिस्से का भुगतान किया जाएगा। अन्वेषण और/अथवा विकास चरण पर उद्यम में ओ एन जी सी/ओ आई एल द्वारा प्रतिभागिता का प्रावधान किया गया है और ओ एन जी सी/ओ आई एल उद्यम में 30 प्रतिशत से 40 प्रतिशत तक प्रतिभागिता हित ले सकते हैं। वाणिज्यिक रूप से दोहनयोग्य प्राकृतिक गैस संसाधनों के विकास के लिए भी प्रावधान किए गए है।

(ङ) और (च) सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव लंबित नहीं हैं।

विशाखापटनम तेल शोधक करखाने में आग

1062. श्री डी॰ एस॰ अहिरे :
श्री जी॰ गंगा रेड्डी :
श्री मोहन रावले :
श्री माणिकराव होडल्या गावीत :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सितम्बर, 1997 में विशाखापटनम स्थित हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड के तेल शोधक कारखाने में विध्वंसक आग लगी थी,

(ख) यदि हां, तो आग के मुख्य कारण क्या है,

(ग) इसमें कितने लोग मारे गए/जख्मी हुए,

(घ) क्या इस संबंध में कोई जांच की गई है,

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले तथा दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई,

(च) इसके परिणामस्वरूप तेल शोधक कारखाने को अनुमानित कितनी हानि हुई,

(छ) सरकार द्वारा भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने हेतु क्या प्रभावी कदम उठाए गए है, और

(ज) प्रभावित परिवारों को अब तक कितना मुआवजा और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (ज) एच पी सी एल की विजाग रिफाइनरी/विपणन केन्द्र में 14 सितम्बर, 1997 को एक भारी अग्नि दुर्घटना में 60 व्यक्तियों की मृत्यु हुई जिनमें 14 एच पी सी एल के थे, 10 व्यक्ति जख्मी हुए और इसके अलावा लगभग 80 करोड़ रुपये की क्षति हुई।

2. जिला प्रशासन के साथ समन्वय से एच पी सी एल द्वारा अनुग्रह राशि का निम्नानुसार भुगतान किया गया है:-

(1)	प्रति मृत व्यक्ति अनुग्रह राशि का भुगतान	2,00,000 रुपये
(2)	प्रति मृत व्यक्ति तत्काल व्यय राशि	10,000 रुपये
(3)	घायल	10,000 रुपये
(4)	गंभीर रूप से घायल	25,000 रुपये

राज्य सरकार ने भी मृत व्यक्तियों के आश्रितों को 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि का भुगतान किया। उपर्युक्त भुगतान कार्पोरेशन के सुसंगत अधिनियम और नियमों के अंतर्गत अनुमेय अन्य भुगतानों के अतिरिक्त है।

3. उपर्युक्त अग्नि दुर्घटना की जांच करने के लिए सरकार ने जांच आयोग अधिनियम, 1952 के अंतर्गत 11.10.1997 को एक जांच आयोग का गठन किया था। आयोग को अपनी रिपोर्ट 3 महीने की अवधि के भीतर प्रस्तुत करनी थी। यह अवधि 2 महीने बढ़ा दी गई थी। परन्तु, समयवृद्धि के बावजूद आयोग अपना कार्य पूरा नहीं कर सका और मार्च, 1998 से इसे कार्य बन्द करने की अनुमति दे दी गई। यह जांच पूरी करने के लिए एक नया जांच आयोग गठित किया जा रहा है।

4. अगली कार्रवाई जांच आयोग की रिपोर्ट पर निर्भर करेगी।

[हिन्दी]

अनुसूचित जाति सूची में ''राजभर'' जाति को शामिल किया जाना

1063. श्री हरिकेवल प्रसाद : क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने अनुसूचित जाति सूची में ''राजभर'' जाति को शामिल किये जाने के प्रस्ताव को केन्द्र सरकार को भेजा है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) क्या इस संबंध में केन्द्र सरकार ने कोई कार्यवाही की है अथवा करने का विचार किया है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रलाय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) और (ख) जी, हां। अनुसूचित जातियों की सूची में राजभर समुदाय को शामिल करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार से प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

(ग) इस प्रस्ताव पर अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों की सूची में प्रस्तावित व्यापक संशोधन के परिप्रेक्ष्य में ऐसे सभी मामलों के साथ विचार किया जा रहा है।

[अनुवाद]

अस्पताल/औषधालय खोलने के लिए विश्व बैंक द्वारा सहायता

1064. **श्री अशोक नामदेवराव मोहोल :**
श्री माधव राव पाटील :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र में आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विश्व बैंक की सहायता से कुछ अस्पताल/औषधालय खोले गए हैं,

(ख) यदि हां, तो इसका स्थानवार ब्यौरा क्या है,

(ग) क्या सरकार को महाराष्ट्र में विश्व बैंक की सहायता से कुछ अस्पताल/औषधालय खोलने के संबंध में कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है,

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है, और

(ङ) इस संबंध में सरकार ने क्या कार्रवाई की है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ) राज्य स्वास्थ्य पद्धति विकास परियोजना के अन्तर्गत महाराष्ट्र सरकार से प्राप्त एक परियोजना प्रस्ताव को सहायता के लिए विश्व बैंक को प्रस्तुत किया गया है। विश्व बैंक के साथ विस्तृत विचार-विमर्श के माध्यम से ऐसी राज्य परियोजनाएं तैयार की जाती हैं। पिछले अनुभव से पता चलता है कि इन परियोजनाओं के फलीभूत होने में 12 से 14 माह का समय लगता है जो राज्य द्वारा परियोजना के डिजाइन बनाने तथा उसके तैयार करने में लगने वाले समय पर निर्भर करता है। राज्य प्राधिकारियों को विश्व बैंक के प्रतिनिधियों के साथ विचार विमर्श करने में प्रत्येक स्तर पर पूरी तरह से शामिल किया जाता है। अत: इस परिस्थिति में परियोजना के अन्तिम आयाम पर टिप्पणी करना संभव नहीं है।

[हिन्दी]

खाद्य वस्तुओं की कालाबाजारी

1065. **श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय :** क्या **खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने खाद्य वस्तुओं को कालाबाजारी रोकने के लिए कोई कदम उठाए हैं,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है,

(ग) विगत तीन वर्षो के दौरान प्रत्येक वर्ष और मई 1998 तक देश में कालाबाजारी के राज्यवार कितने मामले प्रकाश में आए है, और

(घ) इस संबंध में कितने व्यक्तियों को दंडित किया गया और कितने मामले लम्बित पड़े हैं?

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री सत्यपाल सिंह यादव) : (क) और (ख) इस समय चोरबाजारी निवारण तथा आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम 1980 लागू है जिसमें खाद्य वस्तुओं सहित सभी आवश्यक वस्तुओं की चोरबाजारी रोकने के प्रयोजन में कुछ मामलों में नजरबंदी की व्यवस्था की गयी है।

(ग) और (घ) यह सूचना राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा रखी जाती है और यह केन्द्रीय सरकार के पास उपलब्ध नहीं है। तथापि, मई 1998 तक गत वर्षों के दौरान चोरबाजारी निवारण अधिनियम, 1980 के तहत नजरबंद व्यक्तियों की संख्या राज्यवार नीचे दी गयी है।

राज्या का नाम	1995	1996	1997	1998 (मई तक)
आन्ध्र प्रदेश	5	5	4	-
असम	1	10	11	3
बिहार	12	-	-	-
गुजरात	141	55	101	37
मध्य प्रदेश	1	-	-	-
महाराष्ट्र	-	-	2	1
उडीसा	7	2	-	-
तमिलनाडु	-	-	3	-
कुल	167	72	121	41

[अनुवाद]

जम्मू और कश्मीर में कानून और व्यवस्था की स्थिति

1066. **श्री नरेश पुगलीया :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में जम्मू-कश्मीर में विद्यमान कानून और व्यवस्था की स्थिति का आकलन करने के लिए एक केन्द्र दल को वहां भेजा है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त दल के क्या निष्कर्ष है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) जी नहीं, श्रीमान। जम्मू और कश्मीर में व्याप्त कानून और व्यवस्था की स्थिति का जायजा लेने के लिए कोई केन्द्रीय टीम नहीं भेजी गयी थी। तथापि, उधमपुर जिले में परानकोट में हुई हत्याओं की विशिष्ट आतंकवादी घटना के संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों का एक दल 19.4.98 को जम्मू और कश्मीर गया। इसी प्रकार से सुरानकोट में और देसा क्षेत्र में हुई विशेष आतंकवादी हिंसा की घटनाओं के संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों का एक अन्य दल 7.5.98 को जम्मू और कश्मीर गया था।

(ख) परानकोट-धाकीकोट घटनाओं में 26 व्यक्ति मारे गए थे,

जिसके कारण पौनी, थंकपाल, रियासी, पनासा और चनासाना इत्यादि से कुछ पलायन हुआ। सुरानकोट घटना में 4 व्यक्ति मारे गए जिससे पुंछ इत्यादि में कुछ लोग पलायन कर गए। दोनों दलों ने कुछ प्रशासनिक और सुरक्षा उपाय सुझाए हैं।

सीमा पर बाड़ लगाना

1067. **श्री चमन लाल गुप्त : क्या जम्मू-कशमीर संबंधी मामले मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जम्मू-क्षेत्र में सीमा पर बाड़ लगाने के सरकार के निर्णय को कब तक क्रियान्वित किया जाएगा, इस कार्य पर अब तक कितनी राशि व्यय की जा चुकी है तथा कितना कार्य किया जा चुका है तथा इस कार्य पर कुल कितनी लागत आने का अनुमान है;

(ख) इस कार्य को निर्धारित अवधि में पूरा न होने के क्या कारण है;

(ग) क्या बाढ़ लगाने के लिए खरीदी गई सामग्री नष्ट तथा चोरी हो गई है; और

(घ) यदि हां, तो इसके कारण कुल कितनी हानि हुई है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) सरकार ने जम्मू अन्तर्राष्ट्रीय सीमा के साथ-साथ 180 कि०मी० में 41.40 करोड़ रुपये की लागत से बाढ़ लगाने का निर्णय मार्च, 1995 में लिया था, जिसमें से 9.66 करोड़ रुपय सामग्री, विशेष उपकरण तथा वाहन खरीदने और सीमा निगरानी पोस्टों पर डी०जी० शैड तथा जम्मू और साम्भा में साईट आफिसेज बनाने पर खर्च हो चुके हैं।

(ख) यह कार्य जुलाई, 1995 को शुरू किया गया था लेकिन पाकिस्तान की ओर से लगातार गोलीबारी के कारण इसे रोक देना पड़ा। इसके पश्चात कार्य पुन: आरम्भ करने की तैयारियां की गई लेकिन जम्मू और कश्मीर में संसद और विधान सभा के चुनावों के कारण सीमा पर तनाव इसके लिए अनुकूल न होने पर इसे शुरू नहीं किया गया। यह कार्य पुन: शुरू करने संबंधी प्रस्ताव अब सक्रिय रूप से सरकार के विचाराधीन है।

(ग) और (घ) बाड़ लगाने के लिए खरीदा गया कोई भी समान खराब नहीं हुआ है और न ही चोरी हुआ है।

[हिन्दी]

आतंकवादी गतिविधियों में तेजी

1068. **श्री मोहन सिंह:**
श्री सुधीर गिरि:
श्री ए० सी० जोस:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर क्षेत्र में आतंकवादी गतिविधियों में तेजी आई है;

(ख) यदि हां, तो विगत छह महीनों में आतंकवादी गतिविधियों में विभिन्न राज्यों में सुरक्षा कर्मियों सहित कितने निर्दोष लोग मारे गए और सरकारी संपत्ति को कितना नुकसान पहुंचा;

(ग) सरकार द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र में बढ़ते आतंकवाद को रोकने तथा इस संबंध में पड़ोसी देशों के साथ बातचीत करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं:

(घ) क्या आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए संविधान में संशोधन का कोई सुझाव है: और

(ङ) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिए संविधान के किन बिन्दुओं पर विचार किया जा रहा हैं?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवानी) : (क) और (ख) यह नहीं कहा जा सकता कि पूर्वोत्तर राज्यों में विद्रोहियों की गतिविधियों में वृद्धि हुई है। गत छह माह के दौरान पुर्वोत्तर राज्यों में मारे गए सिविलियन और सुरक्षा कर्मियों की संख्या नीचे दी गयी है:-

राज्य	सिविलियन	सुरक्षा कर्मी
असम	119	27
नागालैण्ड	17	02
मणिपुर	41	57
मिजोरम	—	—
त्रिपुरा	75	21
मेघालय	2	2
अरुणाचल प्रदेश	—	1

सार्वजनिक सम्पत्ति की क्षति का विवरण उपलब्ध नहीं है।

(ग) पूर्वोत्तर राज्यों में उग्रवाद को रोकने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में, अन्य बातों के साथ-साथ, केन्द्रीय अर्ध -सैनिक बलों और सेना की अतिरिक्त टुकडियों की तैनाती, बेहतर तालमेल तथा आसूचना का आदान-प्रदान, राज्य पुलिस बलों का आधुनिकीकरण/उन्नयन, विशेष केन्द्रीय सहायता की स्वीकृति, अति गम्भीर रूप से प्रभावित क्षेत्र को "अशान्त क्षेत्र" घोषित करना, और मुख्य विद्रोही ग्रुपों को "गैर-कानूनी संगठन" के रूप में अधिसूचित करना शामिल है।

स्थिति पर नजर रखी जाती है और उचित कार्रवाई करने के लिए स्थिति की समय-समय पर समीक्षा की जाती है।

पूर्वोत्तर के उग्रवादी संगठनों के अड्डे, पड़ोसी देशों में भी होने की जानकारी है। सरकार से इस बारे में उनका सहयोग मांगने के लिए संबधित देशों के साथ मामले को उठाया है।

(घ) जी नहीं, श्रीमान्।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता है।

[अनुवाद]

कर्नाटक में मंकी फीवर और हंडीगोडू बीमारी

1069. **श्री अनंत कुमार हेगड़े : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात को जानकारी है कि कर्नाटक स्थित सामरा में मंकी फीवर (क्या सानूर फोरेस्ट फीवर) और हंडीगोडू बीमारी का प्रकोप फैल रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इसकी रोकथाम के लिए क्या कदम उठाए गए हैं, उठाए जाने का प्रस्ताव है?

स्वस्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (दलित एजिलमलाई) : (क) कर्नाटक सरकार ने सूचित किया है कि 1975 से 1997 तक कर्नाटक के शिमोगा जिले में सागरा से हंडीगोडू रोग के 372 मामलों की सूचना मिली है और 1997 से मंकी फीवर के किसी नये रोगी की सूचना नहीं दी गई।

(ख) कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं।

मंकी फीवर के लिए:

1. निगरानी
2. रक्त नमूनों का संग्रहण व जांच
3. रोगियों को रोग निवारण व उपचार के लिए वैक्सीन की निःशुल्क आपूर्ति।
4. जनता को रोग के बारे में जानकारी दी जा रही है और उन्हें शिक्षित किया जा रहा है तथा इसके साथ-साथ सम्पर्क और संक्रमण को रोकने के तरीकों के बारे में भी बताया जा रहा है।
5. विभिन्न स्थानीय निकायों और संगठनों के तत्वावधान में सार्वजनिक बैठकों के माध्यम से स्वास्थ्य शिक्षा।
6. त्वचा के खुले भागों पर लगाने के लिए जंगल में जाने वाले व्यक्तियों के लिए मिलोल और होस्कट लोशनों की आपूर्ति की जाती है।

हंडीगोडू रोग के लिए

सचल मोटर वाहन में डाक्टरों का एक दल उपचार के लिए रोगियों का पता लगाने के लिए प्रभावित गांवों का दौरा करता है। अधिक समस्याओं से ग्रस्त कुछ रोगियों को आगे उपचार के लिए जनरल अस्पताल सागरा को भेजा जाता है।

प्रतिरक्षण कार्यक्रम में हेपाटाइटिस-बी टीके को सम्मिलित करना

1070. श्री जी॰ गंगा रेड्डी : क्या स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन ने विश्व के सभी देशों में प्रतिरक्षण के विस्तारित कार्यक्रम में हेपाटाइटिस-बी टीके को सम्मिलित करने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने इस टीके को जन प्रतिरक्षण कार्यक्रम में सम्मिलित कर लिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या देश में कोई नया हेपाटाइटिस-बी टीका तैयार किया गया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो बाजार में नए टीके के कब तक उपलब्ध हो जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई): (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

(घ) प्रतिवर्ष अनुमानित लागत लगभग 525 करोड़ रुपए होगी और नवीं योजना अवधि के लिए लगभग 2,625 करोड़ रुपए होगी। विभाग के पास इस आकार के अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध नहीं हैं। योजना आयोग ने संकेत दिया है कि अपेक्षित निधियां आन्तरिक संसाधनों के जरिए जुटाई जाएं क्योंकि अतिरिक्त आबंटन संभव नहीं होगा।

(ङ) और (च) मेसर्स शान्ता बायोटेक, हैदराबाद ने 50 लाख खुराकों की संस्थापित क्षमता के साथ 1997-98 से उत्पादन शुरू किया है जिसके 1998-99 के दौरान 200 लाख खुराक तक बढ़ने की संभावना है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यू.एच.ओ.) द्वारा निधि का आबंटन

1071. श्री वी. एम. सुधीरन : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यू. एच. ओ.) ने अपने सदस्य देशों को धनराशि के आबंटन की अपनी नीति में कोई परिवर्तन करने का प्रस्ताव किया है;

(ख) क्या डबल्यू. एच. ओ. के किसी प्रस्ताव में भारत के लिए निधि आबंटन में अत्यधिक कटौती की परिकल्पना की गई है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं अथवा उठाने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) से (ग) जी, हां। विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड द्वारा विश्व स्वास्थ्य सभा को की गई सिफारिशों में एक सिफारिश दक्षिण-पूर्व एशिया क्षेत्र के बजट आवंटन में 48.4 प्रतिशत की कमी करना था जिससे भारत को आवंटित धन में 36.8 प्रतिशत की कमी होनी थी। ऐसी कमी करने का उद्देश्य अफ्रीका तथा पूर्वी यूरोप के देशों को अतिरिक्त धन जुटाना था।

(घ) 11, 16 मई, 1998 के बीच जिनेवा में हुई, विश्व स्वास्थ्य सभा के 51 वें सत्र में भारत सरकार के प्रतिनिधि ने भारत तथा दक्षिण पूर्व ऐशिया क्षेत्र की ओर से हस्तक्षेप किया और वह कार्यकारी

बोर्ड को सिफारिश में संशोधन करने के लिए विश्व स्वास्थ्य सभा को मनाने में सफल हुए। तदनुसार, विश्व स्वास्थ्य सभा ने यह संकल्प पारित किया कि यह कमी छह वर्षों में प्रति वर्ष 3 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी जो दक्षिण-पूर्व एशिया क्षेत्र के लिए 18 प्रतिशत की कमी बैठती है।

बेरोजगारों का पंजीकरण

1072. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में रोजगार कार्यालयों की राज्यवार संख्या कितनी है,

(ख) विगत तीन वर्षो के दौरान इन रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत शिक्षित तथा अशिक्षित बेरोजगारों की राज्यवार संख्या कितनी है,

(ग) उक्त अवधि के दौरान राज्यवार उनमें से कितने लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाया गया, और

(घ) सरकार के द्वारा बेरोजगारों को रोजगार दिलाने के लिए बनाई गई या बनाइ जाने वाली योजना का ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्री (डा॰ सत्य नारायण जटिया) : (क) देश में राज्यवार रोजगार कार्यालयों की संख्या विवरण 1 में दी गई।

(ख) और (ग) वर्ष 1992, 1993 तथा 1994 (नवीनतम उपलब्ध) से संबंधित सूचना विवरण 2 मे दी गई है।

(घ) नौवीं पंचवर्षीय योजना दृष्टिकोण में पर्याप्त उत्पादक रोजगार एवं गरीबी के उन्मूलन को ध्यान में रखते हुए कृषि तथा ग्रामीण विकास को प्राथमिकता देने की परिकल्पना की गई है। उत्पादक रोजगार, समानता के साथ विकास की इच्छुक राज्य नीति का एक महत्वपूर्ण आयाम है। बेरोजगारी तथा अल्प बेरोजगारी की उच्च दर वाली प्रवृत्ति वाले क्षेत्रों में श्रम गहन सैक्टरों तथा प्रौद्योगिकियों पर ध्यान केन्द्रित करके विकास प्रक्रिया में अधिक उत्पादक रोजगार स्वत: ही सृजित होगा।

विवरण-1

31 मार्च, 1998 की स्थिति के अनुसार रोजगार कार्यालयो/ विश्वविद्यालय रोजगार सूचना मार्गदर्शन ब्यूरो की संख्या

क्रमांक	राज्य/संघ शासित प्रदेश	रोजगार कार्यालय/ वि.रो.सू.मा.ब्यूरो
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	31
2.	अरुणाचल प्रदेश	8
3.	असम	53
4.	बिहार	66
5.	गोवा	1
6.	गुजरात	40
7.	हरियाणा	95
8.	हिमाचल प्रदेश	15
9.	जम्मू और कश्मीर	14
10.	कर्नाटक	39
11.	केरल	77
12.	मध्य प्रदेश	65
13.	महाराष्ट्र	42
14.	मणिपुर	9
15.	मेघालय	10
16.	मिजोरम	3
17.	नागालैण्ड	7
18.	उड़ीसा	37
19.	पंजाब	44
20.	राजस्थान	38
21.	सिक्किम•	—
22.	तमिलनाडु	37
23.	त्रिपुरा	4
24.	उत्तर प्रदेश	102
25.	पश्चिम बंगाल	74
26.	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	1
27.	चण्डीगढ़	2
28.	दादर और नगर हवेली	1
29.	दिल्ली	21
30.	दमन और दीव	2
31.	लक्षद्वीप	1
32.	पाण्डीचेरी	1
	कुल	940

टिप्पणी : •इस राज्य में कोई भी रोजगार कार्यालय कार्य नहीं कर रहा है।

विवरण-2

वर्ष 1992 से 1994 तक शिक्षित/अशिक्षित व्यक्तियों का राज्य वार चालू रजिस्टर एवं नियोजन

(हजार में)

क्र.	राज्य संघ शासित प्रदेश	चालू रजिस्टर						उपलब्ध करवाया गया रोजगार					
		शिक्षित			अशिक्षित			शिक्षित			अशिक्षित		
		1992	1993	1994	1992	1993	1994	1992	1993	1994	1992	1993	1994
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आंध्र प्रदेश	1945.7	1385.2	2035.7	960.9	1795.6	1033.0	6.5	4.4	4.9	12.6	11.6	3.8
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.2	5.1	0.3	7.5	0.4	10.1	•	•	•	•	0.1	
3.	असम	784.8	580.4	799.3	577.7	747.6	528.6	1.0	0.6	0.8	1.7	2.2	1.1
4.	बिहार	2177.6	1309.2	2252.3	1087.0	2310.4	1390.5	1.5	0.8	0.7	11.8	13.5	10.7
5.	गोवा	81.8	26.4	85.4	30.9	84.6	30.1	0.1	0.4	0.2	0.9	0.2	0.2
6.	गुजरात	676.7	350.3	633.1	340.5	629.1	277.3	16.4	9.2	12.9	8.5	18.9	12.4
7.	हरियाणा	419.3	234.4	436.9	239.4	440.7	222.5	1.3	1.3	1.3	2.3	3.2	2.7
8.	हिमाचल प्रदेश	321.0	151.4	341.7	141.1	373.7	160.7	2.5	2.7	3.1	2.8	1.6	1.8
9.	जम्मू और कश्मीर	48.9	81.8	60.9	76.9	60.0	78.2	0.2	0.1	0.1	0.1	1.1	0.5
10.	कर्नाटक	964.3	537.5	1004.0	571.5	1126.8	535.5	5.7	8.3	13.8	4.8	7.3	11.4
11.	केरल	2298.6	1527.5	2604.0	1567.0	2742.8	1442.7	14.2	10.4	13.3	1.4	6.2	4.7
12.	मध्य प्रदेश	1418.0	564.5	1442.4	497.2	1537.9	497.7	5.9	8.7	8.1	7.2	9.3	9.4
13.	महाराष्ट्र	2246.3	1074.4	2300.0	1049.3	2398.4	1039.2	17.3	14.0	15.6	9.6	11.6	9.0
14.	मणिपुर	144.3	68.6	155.2	74.6	167.7	86.2	0.1	0.2	0.2	0.0	0.1	0.0
15.	मेघालय	11.3	13.6	12.6	15.0	14.1	13.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.0	0.1
16.	मिजोरम	15.0	21.3	16.9	23.0	18.9	23.7	0.4	0.3	0.1	0.1	0.6	0.1
17.	नागालैण्ड	10.4	10.2	12.1	8.5	14.1	7.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.6	0.1
18.	उड़ीसा	553.1	343.8	532.4	325.4	594.4	267.0	4.6	2.7	2.1	2.5	2.1	1.8
19.	पंजाब	466.7	254.8	431.9	213.9	379.1	185.5	2.1	1.7	1.2	3.0	2.2	1.7
20.	राजस्थान	548.0	316.7	525.7	303.0	520.1	286.8	10.4	6.8	6.3	2.2	2.2	1.2
21.	सिक्किम												
22.	तमिलनाडु	2225.6	1511.1	2355.2	1504.8	2216.8	1451.0	22.8	9.1	7.1	7.4	14.9	7.6
23.	त्रिपुरा	58.1	121.6	58.3	130.9	60.8	133.8	0.8	0.1	•	0.1	2.4	1.0
24.	उत्तर प्रदेश	1793.6	741.1	1679.5	700.1	1702.1	654.5	5.4	6.8	3.5	13.5	8.1	5.1
25.	पश्चिम बंगाल	2930.2	2161.0	2963.4	1851.7	3082.2	2010.8	5.0	2.4	3.0	2.4	4.1	4.2
26.	अण्डमान व निकोबार द्वीप	8.6	8.4	8.6	10.2	8.6	11.2	0.5	–	–	0.1	0.5	0.6
27.	चण्डीगढ़	92.2	69.7	90.7	71.0	87.9	69.3	0.6	0.7	0.6	0.5	0.3	0.5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
28.	दादर व नगर हवेली	1.2	1.7	1.2	2.3	1.2	2.8	0.1	–	–	0.0	•	0.1
29.	दिल्ली	688.3	217.2	695.4	212.7	763.2	206.9	2.5	2.8	2.5	14.3	11.6	11.0
30.	दमन और दीव	1.7	0.8	1.3	1.7	1.5	3.7	•	0.1	•		0.00	0.1
31.	लक्ष द्वीप	1.7	5.2	1.7	6.3	1.7	6.8	–	–	–	0.1	0.2	0.2
32.	पाण्डिचेरी	73.1	57.3	78.7	56.7	84.4	58.1	0.2	0.4	0.3	0.1	0.1	0.0
	योग	23006.3	13752.2	23616.8	12658.7	23966.8	12724.4	128.4	95.3	101.9	110.3	136.1	103

टिप्पणी: •इस राज्य में कोई रोजगार कार्यालय कार्य नहीं कर रहा है।

शिक्षित: मैट्रिक व इससे अधिक

अशिक्षित: असावरों सहित मैट्रिक से कम

सीमा सुरक्षा बल द्वारा किए गए अत्याचार

1073. **श्रीमती गीता मुखर्जी :** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सीमा सुरक्षा बल द्वारा बंगलादेश से घुसपैठ रोकने के नाम पर 24 परगना जिले बसीरहाट सब - डिविजन में बंगलादेश की सीमा से लगे कुछ गावों के ग्रामीणों पर अत्याचार किए जा रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या उपाय किए हैं?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) जी नहीं, महोदय।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

दिल्ली में सरकारी अस्पतालों में हड़ताल

1074. **श्री के.सी. कोडय्या:**
श्री तथागत सत्पथी:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दिल्ली में सरकारी अस्पतालों में डाक्टर, नर्से और कर्मचारी बार-बार हड़ताल करते हैं;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षो के दौरान हुई हड़तालों विशेषकर दिल्ली में हुई हड़तालों का ब्यौरा क्या है और इनके क्या कारण हैं; और

(ग) हड़ताल के दिनों में अंतरग रोगियों और बहिरंग रोगियों को आवश्यक चिकित्सा सुविधा मुहैया कराने और भविष्य में ऐसी हड़ताल को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एझिलमलाई) : (क) से (ग) दिल्ली में केन्द्र सरकार के अस्पतालों में हड़तालों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

अस्पताल का नाम	हड़तालों और कारणों का ब्यौरा	रोगियों की अनिवार्य चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने के लिए उठाए गए कदम	भविष्य में ऐसी हड़तालों को रोकने के लिए उठाए गए कदम
1	2	3	4
डा० राम मनोहर लोहिया	1. रेजिडेंट डाक्टर संघ द्वारा अपने तीन सहकर्मियों को कथित रूप से परेशान करने के लिए 13-2-1997 को 24 घंटे की हड़ताल।	1. आपाती नियंत्रण कक्ष और दुर्घटना विभाग में चौबीस घंटे डयूटी के लिए वरिष्ठ डाक्टरों को लगाया गया।	केन्द्र सरकार के प्रत्येक अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक से कर्मचारियों की शिकायतों को दूर करने के लिए यथावश्यक कदम उठाने की आशा है।
	2. रेजिडेंट डाक्टर संघ द्वारा रोगी के परिचरों द्वारा अपने सहकर्मी को पीटने के विरुद्ध 28-8-97 से 31-8-97 तक हड़ताल।	2. सभा विभागाध्यक्षों/यूनिटों के अध्यक्षों को पर्याप्त मात्रा में औषधियों पट्टियों और औषधों इत्यादि की आपूर्ति सुनिश्चित करने का परामर्श दिया गया।	

1	2	3	4
	3. वेतन आयोग की सिफारिशों में विसंगतियों के बारें में 20-8-97 को विलिंगडन अस्पताल कार्यकर्ता संघ द्वारा एक दिन की हड़ताल।	3. उपचर्या गृह के डाक्टरों और आपाती नियंत्रण कक्ष के अधिकारियों को अस्पताल में अनुपलब्ध औषधियों इत्यादि की खरीद के लिए उसके पास उपलब्ध पेशगी धन के उपयोग करने के कलए परामर्श दिया गया।	
	4. वेतन आयोग की सिफारिशों में विसंगतियों के विरुद्ध स्वास्थ्य कर्मचारी संघ की संयुक्त कार्य समिति के आह्वान पर 3-9-97 से 5-9-97 तक विलिंग्टन अस्पताल कार्यकर्ता संघ द्वारा हड़ताल।		
	5. उपचर्या कार्मिकों द्वारा अपने वेतन-मानों की पुनसंरचना और अपनी सेवा शर्तों में सुधार करने के लिए दिल्ली उपचर्या संघ के आह्वान पर 2-9-97 से 9-9-97 तक उपचर्या कार्मिकों ने एकल पारी ड्यूटी की।		
सफदरजंग अस्पताल	समूह "ग" और "घ" के कर्मचारी 5वें वेतन आयोग की सिफारिशों के बारे में अपनी मांगों के समर्थन में तीन अवसरों पर हड़ताल पर थे। उपचारिकाएं उच्चतर वेतनमान, बेहतर पदोन्नति संबंधी लाभ, आवास और उपचर्या भत्ते में वृद्धि जैसी अपनी मांगों के लिए हड़ताल पर रहीं।	दुर्घटना और आपाती सेवाओं समेत आंतरंग और बहिरंग रोगियों को अनिवार्य चिकित्सीय सुविधाएं प्रदान करने के लिए आवश्यक कदम उठाए गए थे।	
लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज एवं श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल	रेजिडेंट डाक्टर मौलाना आजाद मेडिकल कालेज के रेजिडेंट डाक्टर संघ के समर्थन में 17-4-96 को एक दिन की हड़ताल पर रहे। **2. नर्सें हड़ताल पर थीं:** -आवास के बारे में 13-6-96 से 17-6-96 तक केवल प्रातः की पारी में कार्य किया। - 3-9-97 से 9-9-97 तक केवल प्रातः कालीन पारी में कार्य किया। **3. समूह "ग" और "घ"** 20-8-97 को एक दिन - 3 और 4 सितम्बर, 1997 को दो दिन।	वरिष्ठ संकाय डाक्टर, वरिष्ठ उपचर्या कार्मिक और श्रम अधिकारी और पर्यवेक्षक, चिकित्सा रिकार्ड अधिकारी इत्यादि ने बहिरंग रोगी विभाग और अंतरंग रोगी विभाग के रोगियों को अनिवार्य चिकित्सीय सुविधाएं देने के लिए कार्य किया।	

रसायन प्रौद्योगिकी संस्थान

1075. **श्री एस०एस० ओवेसी : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने को कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 14 अप्रैल, 1998 के "इंडियन एक्सप्रेस" में "पेट्रोल सब्सटीच्यूट डेवेलप्ड इन आंध्र प्रदेश देश" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसमें इस मामले के उल्लिखित तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या यह प्रौद्योगिकी सह-उत्पाद के रूप में कार्बनडायक्साइड का उत्पादन करने वाली उर्वरक कम्पनियों के लिए भी उपयोगी है;

(घ) अब तक कितने प्रयोग किये गये हैं; और

(ङ) इससे पेट्रोल के विकल्प के रूप में इस्तेमाल किए जाने और प्रदूषण को कम करने में किस हद तक सहायता मिलने की संभावना है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० ए.के. पटेल): (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के हैदराबाद स्थित भारतीय रसायन प्रौद्योगिकी संस्थान के एक वैज्ञानिक ने अतिथि फैलो के रूप में साऊथ कोरियन संस्थान में कार्य किया था। उसके द्वारा किए गए प्रयोगशाला प्रयोगों में डिमिथाइल ईथर बनाने के लिए उत्प्रेरक की मौजूदगी में वहां कार्बन डाई आक्साइड और हाइड्रोजन का उपयोग किया था। यू.एस.ए. में किए गए अध्ययनों ने दर्शाया कि डिमिथाइल ईथर में ईंधन के रूप में डीजल का विकल्प होने की सम्भावना है। यह प्रक्रिया प्रयोगशाला स्तर पर पूरी की गई है और विभिन्न कच्चे माल स्रोतों के लिए इसकी उपयुक्तता प्रमाणित की जानी है। डीजल प्रतिस्थापन (विकल्प) के उत्पादन के लिए उर्वरक एककों से अधिशेष कार्बन डाई आक्साइड का उपयोग करने की व्यवहार्यता के बारे में इस स्तर पर कोई घोषणा करना संभव नहीं है।

अतिविशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा

1076. **श्री रंजीव बिस्वाल:**
श्री मुकुल वासनिक:
श्री तथागत सत्पथी:
श्री खारबेल स्वाईं:
श्री जंगबहादुर सिंह पटेल:
श्री सुरेश कुरूप:
श्री सी.डी. गामीत:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा जिन अति विशिष्ट व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान की गई है उनकी श्रेणीवार संख्या कितनी है;

(ख) सुरक्षा के उद्देश्य से तैनात पुलिसकर्मियों तथा अर्द्धसैनिक बलों की संख्या कितनी है;

(ग) सुरक्षा प्रदान करने में सरकार के द्वारा कितनी धनराशि श्रेणीवार प्रतिवर्ष खर्च की गई;

(घ) विगत दो वर्षों में सरकार द्वारा कितनी धनराशि श्रेणीवार प्रतिवर्ष खर्च की गई;

(ङ) क्या सरकार ने देश में सभी अतिविशिष्ट व्यक्तियों के सुरक्षा उपायों की समीक्षा करने का निर्णय किया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) इस संबंध में लिए गए महत्वपूर्ण फैसले क्या है;

(ज) विभिन्न अतिविशिष्ट व्यक्तियों के सुरक्षा प्रबंधों के बारे में शिकायत कर रहे व्यक्तियों में विश्वास पैदा करने में ये नए उपाय कहां तक सहायक होंगे;

(झ) क्या सरकार ने कुछ अतिविशिष्ट व्यक्तियों को प्रदान की गई सुरक्षा हटा ली है; और

(ञ) यदि हां, तो उन अतिविशिष्ट व्यक्तियों की संख्या तथा श्रेणी क्या है जिनकी सुरक्षा व्यवस्था हटा ली गई है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) और (ख) 21.5.1998 की स्थिति के अनुसार, दिल्ली पुलिस सुरक्षा की विभिन्न श्रेणियों के अधीन 392 संरक्षितों को सुरक्षा उपलब्ध करवा रही थी। सुरक्षा प्रयोजनार्थ तैनात किए गए पुलिस और अर्ध-सैनिक बलों के कार्मिकों की संख्या 6200 है।

(ग) और (घ) दिल्ली पुलिस द्वारा वर्ष 1996-97 और 1997-98 के दौरान संरक्षितों की सुरक्षा पर किया गया कुल खर्च निम्नप्रकार है:-

1996-97	1997-98
23.78 करोड़ रुपये	27.85 करोड़ रुपये

(ङ) से (छ) चूंकि भारत के संविधान के अनुसार "लोक व्यवस्था" और "पुलिस" राज्य के विषय हैं, अत: संबंधित राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों की यह जिम्मेदारी है कि वह अपने क्षेत्राधिकार में रहने वाले लोगों को सुरक्षा प्रदान करें। इसलिए, गृह मंत्रालय द्वारा देश में सभी विशिष्ट व्यक्तियों के सुरक्षा उपायों की पुनरीक्षा करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है।

(ज) से (ञ) प्रत्येक मामले में उत्पन्न नवीनतम जोखिम के स्वरूप के आधार पर संरक्षित व्यक्तियों की सुरक्षा की सावधिक रूप से पुनरीक्षा की जाती है तथा आवश्यकतानुसार, सुरक्षा में आवश्यक परिवर्तन किए जाते हैं। यह एक सतत् प्रक्रिया है तथा पिछली ऐसी कारवाई के दौरान, 111 व्यक्तियों की सुरक्षा व्यवस्था को वापस ले लिया गया था।

[हिन्दी]

पान मसाले में गम्बियार के कारण मुंह का कैंसर

1077. **श्री जगत वीर सिंह द्रोण : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पान मसाले में गम्बियार के प्रयोग के कारण मुंह का कैंसर हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या कानपुर में चर्मशोधन उद्योगों की प्रचुरता के कारण पान मसाला बेचने वालों को गम्बियार आसानी से उपलब्ध है और असली कत्थे के विकल्प में उसका उपयोग लगभग सभी पान मसालों में किया जाता है; और

(ग) यदि हां, तो इसे रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एझिलमलाई): (क) से (ग) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के

अनुसार गॉम्बियार के कैंसरजनक होने का संदेह है। खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 के उपबंध के अन्तर्गत पान मसाले में इसके इस्तेमाल की अनुमति नहीं है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के खाद्य स्वास्थ्य प्राधिकारियों से खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता पर सख्त निगरानी रखने का अनुरोध किया गया है ताकि गैम्बियर के अन्धाधुन्ध इस्तेमाल को रोका जा सके।

[अनुवाद]

खाड़ी के देशों में काम करने वाले भारतीय

1078. **प्रो० अजित कुमार मेहता :** क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जनशक्ति देश से बाहर भेजने के बारे में सरकार की वर्तमान नीति क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार विदेशों में भारतीय प्रवासियों के अधिकारों की रक्षा को ध्यान में रखते हुए नीति की समीक्षा करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्री (डा० सत्यनारायण जटिया) : (क) विदेश में भारतीय कर्मकारों के संविदात्मक रोजगार में नियोजन को उत्प्रवास अधिनियम, 1983 के उपबंधों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अंतर्गत विनियमित किया जाता है। इस अधिनियम के अंतर्गत, अपने पासपोर्टों पर "उत्प्रवास जांच अपेक्षित है" पृष्ठांकन वाले विदेश जाने के इच्छुक सभी प्रवासियों द्वारा पंजीकृत भर्ती एजेन्टों के माध्यम से रोजगार वाले देश में भारतीय मिशन द्वारा विधिवत साक्ष्यांकित मांग पत्रों, मुख्तारनामा और रोजगार संविदा प्रस्तुत की जानी अपेक्षित है। संबंधित उत्प्रवास संरक्षी द्वारा इन दस्तावेजों की गहन जांच पड़ताल के पश्चात् उत्प्रवास अनुमति प्रदान की जाती है।

4 अक्तूबर, 1991 से उत्प्रवास प्रक्रिया को सरल बनाया गया था। संशोधित प्रक्रिया के अंतर्गत, "उत्प्रवास जांच अपेक्षित नहीं" की निम्नलिखित छः और श्रेणियों में से किसी भी श्रेणी के अंतर्गत आने वाले प्रवासियों को पंजीकृत भर्ती एजेन्ट द्वारा इस आशय का एक शपथ पत्र प्रस्तुत किए जाने के पश्चात् उत्प्रवास अनुमति दे दी जाती है कि वास्तव में कर्मकार इन्हीं श्रेणियों से संबंधित है और उनका उस कार्य के लिए ट्रेड परीक्षण कर लिया गया है जिसके लिए उन्हें विदेशी नियोक्ता द्वारा नियोजित किया जाएगा:-

(1) पर्यवेक्षक (सभी व्यवसाय),

(2) कुशल कर्मकार (सभी व्यवसाय),

(3) अर्धकुशल कर्मकार (सभी व्यवसाय),

(4) हल्के/मध्यम/भारी वाहन चालक,

(5) सभी श्रेणियों लिपिकीय कर्मकार जिनमें आशुलिपिक, स्टोर कीपर, टाइम-कीपर, टंकन आदि शामिल हैं,

(6) रसोइए गृह कार्य में (रसोइयों के रूप में) नियोजन चाहने वाले रसोइयों को छोड़कर।

(ख) और (ग) सरकार, प्रवासी कर्मकारों के लिए एक केन्द्रीय जनशक्ति निर्यात संवर्धन परिषद का गठन किए जाने और एक कल्याण निधि की स्थापना किए जाने संबंधी एक प्रस्ताव पर विचार कर रही है।

जन स्वास्थ्य योजनाओं के लिए घटती हुई आबंटित राशि

1079. **श्री माधव राव सिंधिया :** क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जन स्वास्थ्य योजनाओं के लिए आबंटित राशि पहली पंचवर्षीय योजना में 3.3 प्रतिशत से घटकर आठवीं योजना में 1.78 प्रतिशत रह गई है जबकि देश की जनसंख्या लगभग 35 करोड़ से बढ़कर 95 करोड़ हो गई है;

(ख) वर्तमान में स्वास्थ्य सुविधाएं कितने लोगों की पहुंच से बाहर हैं तथा कितने लोगों की स्वच्छता सुविधाएं तथा पीने का साफ पानी उपलब्ध नहीं है; और

(ग) जन स्वास्थ्य कार्यक्रमों के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) पहली योजना अवधि में स्वास्थ्य परिवार कल्याण और जल आपूर्ति और स्वच्छता सभी संयुक्त रूप से जनस्वास्थ्य के अन्तर्गत थे। बाद में अगली चार योजना अवधियों में परिवार कल्याण जल आपूर्ति और स्वच्छता संबंधी कार्यकलाप अलग-अलग विभागों के माध्यम से कार्यान्वित किए गए। इसलिए जनस्वास्थ्य परिव्यय पर पहली योजना और आठवीं योजना अवधियों के बीच तुलना करना व्यवहार्य नहीं है। तथापि स्वास्थ्य, परिवार कल्याण और जल आपूर्ति तथा स्वच्छता पर आठवीं योजना परिव्यय सार्वजनिक क्षेत्र परिव्यय का (क्रमशः) से 7 प्रतिशत, 1.4 प्रतिशत और 3.8 प्रतिशत का था।

(ख) और (ग) ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए उपकेन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों का एक विस्तृत नेटवर्क है। अधिकतर सेवाएं निःशुल्क अथवा मामूली दरों प्रदाय की जाती है और लोगों की पहुंच के अन्दर हैं। तथापि, स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं की पहुंच में सुधार लाने के लिए ग्रामीण अस्पतालों को मसुन्नत करने और सुदृढ़ करने तथा बाहय सहायता से चार राज्यों में चरणवार ढंग से रेफरल परिचर्या में सुधार लाने के लिए एक परियोजना आरम्भ की गई है। जनता के निर्धन वर्गों को स्वास्थ्य परिचर्या की पहुंच में सुधार लाने पर विशेष बल दिया जा रहा है।

एड्स, कुष्ठ, क्षय रोग, दृष्टिहीनता, मलेरिया की रोकथाम और नियंत्रण के लिए रोग नियंत्रण कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। इनके लिए विश्व बैंक से वित्तीय सहायता प्राप्त हुई है। बैंक से प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य परियोजना के लिए भी काफी वित्तीय सहायता प्राप्त हुई है।

आर्थिक सर्वेक्षण 1996-97 में उपलब्ध सूचना के अनुसार पेय जल और स्वच्छता सुविधाओं का लाभ उठाने वाले लोगों की प्रतिशतता नीचे दी गई है:-

प्रतिशत कवरेज

(31 मार्च, 1996 की स्थिति)

1.	**पेय जल आपूर्ति**	
	ग्रामीण	82.00
	शहरी	85.00

2. स्वच्छता सुविधाएं

ग्रामीण	4.64
शहरी	50.00

[हिन्दी]

खाद्य अपमिश्रण

1080. **श्री आनन्द रत्न मौर्य : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में बड़े पैमाने पर मिलावटी और घटिया खाद्य सामग्री में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने मिलावटी और घटिया खाद्य सामग्री की बिक्री को रोकने के लिए कोई कार्यवाही की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के लागू करने से संबंधित प्राप्त वार्षिक रिपोर्टों से यह प्रकट नहीं होता है कि देश में अपमिश्रित खाद्य पदार्थों की बिक्री में वृद्धि हो रही है।

(ख) और (ग) देश में निर्मित किए जा रहे और बिक रहे खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता पर कड़ी निगरानी रखने और खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम और नियमों के उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध उपयुक्त कानूनी कारवाई करने के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के खाद्य (स्वास्थ्य) प्राधिकारियों को समय-समय पर सलाह दी जा रही है।

[अनुवाद]

घटिया दवाईयों की बिक्री

1081. **श्री सी॰पी॰एम॰ गिरियप्पा : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के ध्यान में यह बात आयी है कि घटिया क्वालिटी होने के कारण दवाईयां, विशेषकर गोलियां और सिरप बिल्कुल प्रभावी नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस संबंध में कुछ शिकायतें मिली हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कारवाई की गई है।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) देश में निर्मित और बेची जा रही गोलियों और सिरप सहित सभी दवाइयों को और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 और उसके अन्तर्गत बने नियमों की दूसरी अनुसूची में निर्धारित मानक पुस्तकों (फार्मेकोपिया) में उल्लिखित गुणवत्ता पैरामीटरों का पालन करना होता है। ऐसा न होने पर बेची जा रही औषधि के बैच को वापस लेने, विशिष्ट सामग्री के निर्माण के लिए प्रदान की गई अनुमति को वापस लेने, निर्माण लाइसेंस को निलम्बित/रद्द करने अथवा औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 और उसके अन्तर्गत बने नियमों के अनुसार निर्माता पर मुकदमा चलाने जैसी दण्डात्मक कारवाई की जा सकती है।

ऐसे कई उदाहरण हैं जब जांचे गए औषधियों के नमूनों से पता चला कि या तो वे घटिया गुणवत्ता के हैं अथवा नकली हैं।

(ख) और (ग) जब भी कम गुणवत्ता वाली औषधियों के बारे में कोई विशिष्ट शिकायतें सरकार को प्राप्त होती हैं तब राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के औषध नियंत्रण प्राधिकारियों द्वारा आवश्यक जांच की जाती है और दोषियों के विरुद्ध आवश्यक दण्डात्मक कारवाई की जाती है।

[हिन्दी]

गेहूं चावल और चीनी के खरीद मूल्य

1082. **श्री रामदास आठवले : क्या खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान आज तक गेंहू, चावल और चीनी के खरीद मूल्य क्या थे,

(ख) क्या उन मदों की खरीद मूल्य में हर बार वृद्धि की गई है,

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं,

(घ) क्या उक्त अवधि के दौरान गेहूं, चावल और चीनी की खरीद संतोषजनक रही है,

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी वर्ष-वार ब्यौरा क्या है, और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

खाद्य और उपभोक्ता मामले के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्य पाल सिंह यादव) : (क) पिछले तीन विपणन मौसमों के दौरान सरकार द्वारा गेहूं और धान के लिए निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य निम्नानुसार है:

दर : रुपए प्रति क्विंटल

विपणन वर्ष	धान			गेहूं
	साधारण	बढ़िया	उत्तम	
1995-96	360	375	395	360
1996-97	380	395	415	380
		ग्रेड "ए"		415+60
1997-98	415	445		(केन्द्रीय बोनस)

लेवी चावल के वसूली मूल्य प्रत्येक राज्य में प्रचलित सांविधिक प्रभारों के स्तर के आधार पर राज्य-दर-राज्य अलग-अलग होते हैं। चीनी मौसम 1994-95 से 1996-97 के लिए लेवी चीनी के निकासी मूल्य संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) और (ग) सरकार द्वारा गेहूं और धान के लिए निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य लाभकारी स्वरूप के होते हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्यों को कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिशों के आधार पर बढ़ाया गया है जिनमें उत्पादन लागत, किसानों को संगत वसूली आदि जैसे अनेक घटकों का ध्यान रखा जाता है।

धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य, सांविधिक कर और लेवी, मिलिंग प्रभार और अन्य प्रासंगिक प्रभार, धान से चावल प्राप्ति का अनुपात आदि

को ध्यान में रखते हुए लेवी चावल के वसूली मूल्यों में वृद्धि की जाती है।

जहां तक चीनी का संबंध है, गन्ने के सांविधिक न्यूनतम मूल्य में वृद्धि और रुपान्तरण लागत से लेवी चीनी के निकासी मूल्यों में वृद्धि होती हैं।

(घ) से (च) पिछले तीन विपणन मौसमों के दौरान केन्द्रीय पूल के लिए वसूल की गई गेहूं और चावल की मात्रा निम्नानुसार है:

(लाख टन में)

विपणन वर्ष	चावल (चावल के हिसाब से धान सहित)	गेहूं
1	2	3
1995-96	99.50	123.27
1996-97	122.57	81.83
1997-98	136.56 (25.5.98 तक)	92.87

आंशिक नियंत्रण की वर्तमान नीति के अधीन, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरण के लिए चीनी फैक्ट्रियों के लिए लेवी कोटे के अन्तर्गत अपने कुल उत्पादन के 40 प्रतिशत भाग की आपूर्ति करना अपेक्षित है। इसमें विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं के अधीन कवर की गई फैक्ट्रियां शामिल नहीं हैं।

वसूल की गई उपर्युक्त मात्रा सार्वजनिक वितरण प्रणाली/लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त थी।

विवरण

वर्ष 1994-95 से 1996-97 तक के लिए 19 मूल्य निर्धारण जोनों के लिए औसत ग्रेड की चीनी के निकासी मूल्य

(रुपये प्रति क्विंटल चीनी)

क्र० स०	जोन	1994-95 39.10 रुपए सांविधिक न्यूनतम मूल्य के लिए	1994-95 27.5.95 से 39.10 रुपए सांविधिक न्यूनतम मूल्य के लिए	1995-96 42.50 रुपए सांविधिक न्यूनतम मूल्य के लिए	1996-97 45.90 रु० सांविधिक न्यूनतम मूल्य के लिए
1	2	3	4	5	6
1.	पंजाब	773.90	773.90	871.04	1084.04
2.	हरियाणा	762.56	762.56	861.56	985.43
3.	राजस्थान	903.16	903.16	945.39	1110.45
4.	उत्तर प्रदेश (पश्चिमी)	796.80	796.80	898.62	961.61
5.	उत्तर प्रदेश (मध्य)	795.62	796.62	881.03	994.05
6.	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	946.30	946.30	938.5	1038.74
7.	बिहार (उत्तरी)	840.92	840.92	940.69	1140.37
8.	बिहार (दक्षिणी)	942.25	942.25	1034.7	-
9.	गुजरात (दक्षिणी)	746.68	746.68	852.14	938.58
10.	सौराष्ट्र	778.05	778.05	940.93	1055.69
11.	मध्य प्रदेश	812.70	812.70	981.36	1112.02
12.	महाराष्ट्र (दक्षिणी)	804.75	804.75	847.68	976.52
13.	महाराष्ट्र (उत्तरी)	801.51	801.51	873.27	983.60
14.	महाराष्ट्र (मध्य)	763.60	763.60	824.24	958.33
15.	कर्नाटक	-	-	-	-
	कर्नाटक (कटाई सहित)	751.63	-	-	
	कर्नाटक (कटाई रहित)	746.80	-	-	-

1	2	3	4	5	6
15(क)	उ प कर्नाटक (कटाई सहित)	-	778.36	-	-
15(ख)	उ प कर्नाटक (कटाई रहित)	-	773.52	851.05	970.70
15(ग)	शेष कर्नाटक (कटाई सहित)	-	752.25	-	-
15(घ)	शेष कर्नाटक (कटाई रहित)	-	747.18	889.66	1001.84
16.	आंध्र प्रदेश	800.81	800.81	937.73	1071.60
17.	तमिलनाडु और पांडिचेरी	782.46	782.46	937.38	1049.04
18.	असम, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल व नागालैंड	815.67	815.67	1039.88	1420.07
19.	केरल, गोवा और तटीय कर्नाटक	-	-	-	-
19(क)	केरल, गोवा और तटीय कर्नाटक (कटाई सहित)	805.62	805.62	-	-
19(ख)	केरल, गोवा और तटीय कर्नाटक (कटाई रहित)	792.58	792.58	931.75	1127.98
	अखिल भारत	785.45	785.96	876.75	1000.77

[अनुवाद]

स्वतंत्रता सेनानी पेंशन

1083. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा हाल ही में केरल में कम्युनिस्ट पार्टी के किसी आंदोलन/विप्लव को स्वतंत्रता आंदोलन का अंग माना गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन आंदोलनों में भाग लेने वालों को स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन प्रदान की गई है;

(घ) क्या सरकार का विचार इनमें से किन्हीं आंदोलनों के संबंध में पिछली सरकार के निर्णय की समीक्षा करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) और (ख) 1997-98 के दौरान, केन्द्र सरकार ने केरल में हुए निम्नलिखित क्षेत्रीय आन्दोलनों को स्वतन्त्रता संघर्ष के हिस्से के रूप में मान्यता दी है:-

(1) कल्लारा - पंगोडे मामला

(2) कडाक्वल दंगा मामला

(3) चेंगानूर दंगा मामला

(4) वट्टियूरकावू सम्मेलन

(5) स्वतन्त्रता विरोधी त्रावनकोर आन्दोलन

(6) पुन्नपरा वयलूर आन्दोलन

(7) कय्यूर आन्दोलन

(8) कावूम्बई आन्दोलन

(9) करिवेल्लोर आन्दोलन

(10) मोरझा आन्दोलन और

(11) मालाबार विशेष पुलिस हड़ताल

(ग) स्वतन्त्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना के अन्तर्गत निर्धारित पात्रता के मानदण्ड पूरे करने पर केन्द्र सरकार मान्यता प्राप्त आन्दोलन में हिस्सा लेने वाले व्यक्तियों को पेंशन प्रदान करती रही है। तथापि, केरल के उपर्युक्त आन्दोलनों में हिस्सा लेने वालों को अभी तक पेंशन नहीं दी जा सकी है क्योंकि आवेदकों द्वारा प्रस्तुत दावों के संबंध में राज्य सरकार से अभी तक सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(घ) इस समय, ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता है।

गुजरात में अनुसूचित जाति की सूची से मोची समुदाय का हटाया जाना

1084. श्री हरिन पाठक: क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गुजरात में अनुसूचित जाति की सूची से मोची समुदाय को हटा दिया है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है,

(ग) क्या गुजरात सरकार ने केन्द्र सरकार से अनुसूचित जाति की सूची में मोची समुदाय को पुनः शामिल करने के लिए अनुरोध किया है,

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं, और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

अपोलो अस्पताल में गरीब मरीजों के इलाज के लिए समझौता

1085. **डा० मदन प्रसाद जायसवाल:**
श्री राम टहल चौधरी:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अपोलो अस्पताल से उक्त अस्पताल में गरीब मरीजों के इलाज के संबंध में कोई समझौता किया है:

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इस अस्पताल में ऐसे कितने मरीजों का इलाज हुआ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) और (ख) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार ने सूचित किया है कि इन्द्रप्रस्थ मेडिकल कार्पोरेशन लिमिटेड के साथ हुए करार के अनुसार दिल्ली सरकार की सिफारिश पर अपोलो अस्पताल अपनी कुल पलंग क्षमता के एक तिहाई रोगियों को चिकित्सा परिचर्या मुफ्त प्रदान करेगा और अपने बाह्य रोगियों के कम से कम 40 प्रतिशत रोगियों को मुफ्त चिकित्सा परिचर्या प्रदान करेगा।

उक्त करार के कार्यान्वयन के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय में एक जनहित मुकदमा दायर किया गया है और मामला न्यायाधीन है।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान किसी व्यक्ति का निःशुल्क उपचार नहीं हुआ है।

[अनुवाद]

बीड़ी श्रमिकों के लिए मकानों का निर्माण

1086. **श्री अशोक प्रधान :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले तीन वर्षों के दौरान विशेषकर जनजातीय क्षेत्रों में बीड़ी श्रमिकों के लिए मकानों के निर्माण हेतु निधियां आबंटित की थीं,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है,

(ग) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने इस दिशा में लक्ष्य प्राप्त कर लिया है, और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

श्रम मंत्री (डा० सत्यनारायण जटिया) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

जाति संबंधी आंकड़ों का संकलन आरम्भ किया जाना

1087. **श्री आर. साम्बासिवा राव:** क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि:

(क) क्या सरकार ने मंडल आवार्ड के प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए 2001 की जनगणना में जाति संबंधी आंकड़े एकत्र किए जाने के संबंध में कोई निर्णय लिया है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और जाति के आधार पर जनगणना कराए जाने के मुख्य कारण क्या है, और

(ग) क्या 60 वर्षों के अन्तराल के बाद जनगणना आंकड़ों में जाति संबंधी जानकारी को पुनः शामिल किए जाने के प्रस्ताव से बहस छिड़ गई है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

अहमदाबाद के नाम में परिवर्तन

1088. **श्री जी०एम० बनातवाला :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अहमदाबाद शहर का नाम बदलने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित नया नाम क्या है और यह प्रस्ताव किससे प्राप्त हुआ है;

(ग) ऐसे प्रस्ताव पर सरकार की क्या प्रतिक्रया है; और

(घ) क्या सरकार को प्रेषित किए जा रहे अल्पसंख्यक विरोधी विचार के पुरजोर विरोध की जानकारी है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) से (घ) गुजरात राज्य सरकार ने अहमदाबाद शहर का नाम बदल कर करुणावती करने संबंधी एक प्रस्ताव भेजा है। इस प्रस्ताव को मंजूरी न देने के संबंध में एक अनुरोध प्राप्त हुआ है। इस मामले पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

अम्बेडकर ग्राम

1089. **श्रीमती कमल रानी :** क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि:

(क) राज्यों के विभिन्न जिलों विशेषकर उत्तर प्रदेश में कितनी अम्बेडकर ग्रामों में विद्यालयों और अस्पतालों की स्थापना की गई है,

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान अम्बेडकर ग्रामों में उपलब्ध कराई गई वित्तीय सहायता और इस संबंध में प्राप्त उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है,

(ग) राज्य-वार कितने अम्बेडकर ग्रामों में बिजली और पेयजल की सुविधा उपलब्ध करा दी गई है,

(घ) राज्य-वार कितने ग्रामों को सड़क से जोड़ा जा चुका है और कितने ग्रामों को जोड़ना शेष है, और

(ङ) शेष ग्रामों में ऐसी सुविधाएं कब तक उपलब्ध करा दी जाएगी?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

भोपाल गैस विभीषिका

1090. श्री के. येरननायडू:
श्री मोतीलाल वोरा:

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को भोपाल गैस विभीषिका के पीड़ितों से कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री से यूनियन कार्बाइड के अधिकारियों पर समुचित रूप से मुकदमा चलाने के लिए केन्द्रीय जांच ब्यूरो का विशेष प्रकोष्ठ स्थापित करने का आग्रह किया है, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० ए०के० पटेल): (क) और (ख) पीड़ितों की ओर से तत्कालीन माननीय प्रधानमंत्री को एक अभ्यावेदन दिया गया था जिसमें यह प्रस्ताव किया गया था कि पर्याप्त कानूनी, तकनीकी और वैज्ञानिक क्षमताओं सहित एक विशेष सैल बनाया जाए। इसमें गैस पीड़ितों/संगठनों के प्रतिनिधियों की सहभागिता खुली हो, जिससे कि दोषी निगमों अधिकारियों के मुकदमों का पर्यवेक्षण किया जा सके।

रसोई गैस की कीमतें

1091. श्री संदीपन थोरात : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राजसहायता बिल में वृद्धि को रोकने के लिए रसोई गैस के मूल्य में और वृद्धि किए जाने की कोई संभावना है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके क्या प्रभाव होने की संभावना है,

(ग) क्या आल इंडिया गैस और पेट्रोलियम डीलर्स ने सरकार को एक ज्ञापन दिया है जिसमें अन्य बातों के अलावा उनके कमीशन में वृद्धि की मांग की गई है ताकि उनके द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं के लिए उन्हें उचित लाभ मिल सके, और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कारवाई किए जाने का प्रस्ताव है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) और (ख) सरकार ने निर्णय लिया है कि एल पी जी पर राजसहायता 2001-02 तक आयात समता मूल्य के 15 प्रतिशत के स्तर तक लाने के लिए इसे चरणों में कम किया जाएगा। राजसहायता को वर्ष 2002 से आगे राजकोपीय बजट को अन्तरित किया जाएगा।

(ग) और (घ) डीलरों/डिस्ट्रीब्यूटरों के कमीशन से संबंधित सभी मुद्दों की पुनरीक्षा करने के लिए गठित समिति की सिफारिशों के आधार पर सरकार ने 6 नवंबर, 1997 से प्रभावी कमीशन दरों को निम्नवत बढ़ाया है:

उत्पाद	इकाई	कमीशन
एम एस 87	रु०/कि.ली.	409
एम एस 93	रु०/कि.ली.	446
एच एस डी - स्लैब-1	रु०/कि.ली.	222
- स्लैब- 2	रु०/कि.ली.	168
एल पी जी डिब्बा बंद	रु०/सिलेन्डर	10.50
घरेलू	(14.2 कि.ग्रा.)	
एल पी जी डिब्बा बंद	रु०/सिलेन्डर	14.05
गैर-घरेलू	(19 कि.ग्रा.)	
एल पी जी डिब्बा बंद	रु०/सिलेन्डर	35.15
गैर-घरेलू	47.5 कि.ग्रा.	

सिक्किम में मेडिकल कालेज को मान्यता प्रदान करना

1092. श्री भीम दाहाल: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सिक्किम में निर्माणाधीन मेडिकल कालेज को मान्यता प्रदान न करने के क्या कारण हैं; और

(ख) इस पर अब तक कुल कितनी धनराशि व्यय की गई और कितना व्यय होने की सम्भावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) गंगटोक में एक नए मेडिकल कालेज की स्थापना के लिए सिक्किम-मनिपाल स्वास्थ्य, चिकित्सा तथा प्रोद्योगिकी विज्ञान विश्वविद्यालय के प्रस्ताव में भारतीय चिकित्सा परिषद के विनियमों में निर्धारित अर्हक मापदंडों के अनुसार कमी पाई गई है और विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों तथा राज्य सरकार से कहा गया है कि वे कमियों को ठीक करें। इस प्रस्ताव का अनुमोदन आवेदक द्वारा कमियों के दूर किये जाने पर निर्भर है।

(ख) चूँकि कालेज की स्थापना करना सिक्किम-मनिपाल स्वास्थ्य, चिकित्सा तथा प्रोद्योगिकी विज्ञान विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तावित है इसलिए इस मंत्रालय के पास खर्च की गई और की जानी वाली कुल धनराशि के बारे में कोई सूचना नहीं है।

[हिन्दी]

पूर्वोत्तर राज्यों में आतंकवाद

1093. श्री अजीत जोगी : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पूर्वोत्तर राज्यों में आतंकवाद से निपटने के लिए बंगलादेश के साथ कोई समझौता किया है;

(ख) यदि हां, तो पूर्वोत्तर राज्यों में आतंकवादी गतिविधियों में वृद्धि के लिए जिम्मेदार घटकों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) बंगलादेश के साथ समझौता करने के पश्चात् इस क्षेत्र में आतंकवाद पर किस हद तक काबू पाने की सम्भावना है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) से (ग) पूर्वोत्तर राज्यों में आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए भारत सरकार ने बंगलादेश की सरकार के साथ कोई औपचारिक समझौता नहीं किया है। तथापि, सुरक्षा के मामलों में बातचीत और सहयोग के लिए बंगलादेश सरकार के साथ संस्थागत प्रबन्ध किए गए हैं। इसमें (क) दोनों देशों के गृह सचिवों की बैठकें (ख) सभी लम्बित मामलों की गहराई से जांच करने और उनके समाधान के लिए व्यवहारिक उपाय सुझाने के लिए संयुक्त कार्य ग्रुप की स्थापना (ग) बंगलादेश राइफल्स और सीमा सुरक्षा बल के बीच महानिदेशक स्तर की नियमित बैठकें शामिल है।

पूर्वोत्तर के कतिपय राज्यों में उग्रवाद और आतंकवाद की कोटि घटती बढ़ती रहती है।

नयी बंगलादेश सरकार के सकारात्मक दृष्टिकोण से बंगलादेश में विद्रोहियों को अड्डा बनाने और पारगमन की सुविधाएं न मिलने की सम्भावना है और इससे पूर्वोत्तर राज्यों में सुरक्षा परिदृश्य में सुधार आने की आशा है।

[अनुवाद]

मध्याह्न भोजन का कोटा

1094. श्री फग्गन सिंह कुलस्ते : क्या खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान मध्याह्न भोजन के लिए राज्य/संघ शासित क्षेत्रों को आवंटित खाद्यान्न कोटा आवंटित किया गया,

(ख) इस योजना के लागू होने से कितने छात्र लाभान्वित हुए तथा इसके क्या प्रभाव हुए तथा इसमें कितनी धनराशि अंतर्गस्त है,

(ग) क्या हर एक माह मध्य प्रदेश के समस्त जिलों को प्रदत्त समग्र आवंटित कोटा उपलब्ध करवाया गया, और

(घ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं तथा यह कोटा कब तक उपलब्ध कराए जाने की संभावना है?

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सत्य पाल सिंह यादव) : (क) मध्याह्न भोजन योजना के अधीन इसके प्रारम्भ से राज्यों और संघ क्षेत्रों को आवंटित खाद्यान्न मात्रा निम्नानुसार है:

वर्ष	(लाख टन में)
1995-96	7.13
1996-97	15.86
1997-98	25.68

(ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार, 1998-99 के दौरान प्राथमिक कक्षाओं के लगभग 9.80 करोड़ बच्चों को इस योजना द्वारा कवर किया जाएगा जिसके लिए 1092.15 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की गई है। कुछ राज्यों ने बच्चों, विशेषरूप से लड़कियों के नामांकन और उपस्थिति तथा जो समाज के कमजोर वर्ग से संबंधित है, के संबंध में अनुकूल रुचि दर्शायी है।

(ग) और (घ) प्रत्येक वित्तीय वर्ष के शुरूआत में राज्यों को खाद्यान्नों का आवंटन जिसमें जिला-वार आवंटन भी दर्शाए गए हैं, वार्षिक आधार पर किए जाते हैं। 1997-98 के दौरान इस योजना के अधीन मध्य प्रदेश को 2.22 लाख टन खाद्यान्न आवंटित किए गए थे जिसमें 1.61 लाख टन का उठान भारतीय खाद्य निगम के डिपुओं से कर लिया गया था।

[हिन्दी]

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

1095. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्र सरकार द्वारा बिहार में चलाये जा रहे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या सरकार का विचार नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का संचालन सीधे संबंधित राज्य सरकारों द्वारा किया जा रहा है, न कि संघ सरकार द्वारा। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार बिहार राज्य में लगभग 2209 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का एक विस्तृत नेटवर्क कार्य कर रहा है।

(ख) यह पता लगाया गया है कि योजना आयोग को नए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने के लिए बिहार राज्य सरकार से अभी कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं।

[अनुवाद]

श्रम अदालतों में लम्बित मामले

1096. श्री तथागत सत्पथी : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विभिन्न श्रम अदालतों में आज तक कितने मामले लम्बित हैं,

(ख) इनमें से कितने मामले पांच वर्ष से अधिक अवधि से लम्बित हैं, और

(ग) इन मामलों को शीघ्र निपटाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

श्रम मंत्री (डा॰ सत्यनारायण जटिया): (क) विभिन्न केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण-सह-श्रम न्यायालयों में लम्बित मामलों की संख्या दिखाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ख) 881 मामले पांच वर्ष से अधिक समय से लम्बित हैं।

(ग) केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण-सह-श्रम न्यायालयों, जो कि न्यायिक निकाय हैं, के पास लंबित मामलों के निपटान में सरकार हस्तक्षेप नहीं करती है।

विवरण

क्र.सं.	केन्द्रीय सरकार औद्योगिक-अधिकरण-सह-श्रम न्यायालय का नाम	28.2.98 की स्थिति के अनुसार मामलों की संख्या
1.	असनसोल	162
2.	बंगलौर·	636
3.	कलकत्ता	279
4.	चंडीगढ़	1100
5.	धनबाद नं. 1	1014
6.	धनबाद नं. 2	829
7.	जबलपुर·	1598
8.	कानपुर	425
9.	मुम्बई नं. 1	189
10.	मुम्बई नं. 2	117
11.	नई दिल्ली	782
12.	जयपुर··	
	कुल	7131

·31.08.1997 की स्थिति के अनुसार।

··अभी कार्य आरम्भ करना है।

असम में अस्पताल परियोजना को सहायता

1097. **श्री नृपेन गोस्वामी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष केन्द्र सरकार द्वारा असम की अस्पताल परियोजना को दिए गए ऋण/वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ख) यह आवंटन किन-किन नियमों एवं शर्तों के आधार पर किया गया;

(ग) क्या असम राज्य सरकार की ओर से केन्द्र सरकार को असम राज्य के मेडिकल कालेजों और अस्पतालों के विस्तार/विकास के लिए वित्तीय सहायता के संबंध में कोई और अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एझिलमलाई) : (क) और (ख) "स्वास्थ्य" राज्य का विषय होने के कारण राज्य सरकारों को अस्पताल परियोजना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए कदम उठाने होते हैं। तथापि, योजना आयोग ने असम में गुवाहटी मेडिकल कालेज, गुवाहाटी के उन्नयन हेतु वर्ष 1996-97 में 200 लाख रुपए का अतिरिक्त अनुदान रिलीज किया है।

(ग) से (ङ) योजना आयोग ने सूचित किया है कि असम सरकार ने असम मेडिकल कालेज, डिब्रूगढ़ में अभिघात, हृदय वाहिका और तंत्रिका संबंधी बीमारियों के लिए नैदानिक सुविधाओं को सुदृढ़ करने हेतु सी. टी. स्कीन खरीदने के लिए 1 करोड़ रुपए की अतिरिक्त सहायता का अनुरोध किया है। उत्तर पूर्वी परिषद के लिए नौवीं योजना परिव्यय पर चर्चा करने हेतु गठित कार्यकारी दल ने यह सिफारिश की थी कि असम मेडिकल कालेज, डिब्रूगढ़ में सी.टी. स्केन खरीदने के लिए प्रावधान उत्तर पूर्वी परिषद द्वारा गुवाहटी मेडिकल कालेज, असम मेडिकल कालेज और सिलचर मेडिकल कालेज में स्पेशियलाइजेशन और सुपर स्पेशियलाइजेशन की अतिरिक्त सुविधाओं के विकास के लिए प्रदान किए गए 40.4 करोड़ रुपए के परिव्यय में से किया जाए।

दिल्ली में सरकारी अस्पतालों के पुराने भवनों का रख-रखाव

1098. **डा॰ वाई॰एस॰ राजशेखर रेड्डी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली में लोकनायक जय प्रकाश नारायण, सफदरजंग, लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज और उसके सहयोगी श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल के भवन स्वतंत्रता से पूर्व निर्मित हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इन अस्पताल भवनों का रख-रखाव ठीक से किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार ने इन अस्पताल भवनों के उचित रख-रखाव के लिए क्या उपाय किए हैं ताकि इन अस्पतालों में आने वाले आम लोगों को कोई हानि न हो?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एझिलमलाई) : (क) से (ग) सफदरजंग अस्पताल में कुछ भवन ऐसे हैं जिन्हें 1942 के आसपास निर्मित किया गया था और लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज और इससे सम्बद्ध अस्पतालों का निर्माण 1916 में किया गया था। केन्द्रीय सरकार के दिल्ली स्थित अस्पतालों नामत: सफदरजंग अस्पताल और लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज और इससे सम्बद्ध सुचेता कृपलानी अस्पताल के भवनों का रखरखाव केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जाता है। इन अस्पतालों का समुचित रखरखाव ठीक न होने का कारण रोगियों की अधिक भीड़भाड़ का होना है।

(घ) भवनों के समुचित रखरखाव के लिए सिविल और विद्युत कार्य तथा मौजूदा सुविधाओं को बढ़ाने का कार्य केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा समय-समय पर किया जाता है।

स्वतंत्रता से पूर्व बने भवनों को वैकल्पिक भवनों के निर्माण हो जाने के बाद गिराया जाना है क्योंकि सफदरजंग अस्पताल के बाएं और दाएं विंग की मंजूरी दी गई है। राष्ट्रीय विकलांग संस्थान के लिए सफदरजंग अस्पताल परिसर में अलग भवन की योजना बनाई जा रही है।

लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल में नया दुर्घटना और आपातकालीन खण्ड बनाए जाने पर विचार किया जा रहा है।

कुछ मौजूदा सीवरों के स्थान पर जहां भी संभव है नए सीवर डाले जा रहे हैं जिससे सेवाएं बाधित न हों।

लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल के भवन के रखरखाव का दायित्व राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली की सरकार का है।

आस्ट्रेलिया से दूषित रक्त का आयात

1099. **श्री रामकृष्ण बाबा पाटील : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आस्ट्रेलियाई कम्पनी लिमिटेड ने दिल्ली और देश के अन्य शहरों को दूषित रक्त का निर्यात किया था;

(ख) यदि हां, तो ऐसे आयात के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को तथ्यों की जानकारी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) सरकार द्वारा देश में दूषित रक्त के आयात को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) से (च) किसी भारतीय शहर को दूषित रक्त का निर्यात करने वाली किसी आस्ट्रेलियाई कम्पनी के बारे में कोई सूचना नहीं है। तथापि, समाचार पत्रों की रिपोर्टों के अनुसार आस्ट्रिया की एक कम्पनी के बारे में यह रिपोर्ट दी गई थी कि उसने दूषित रक्त उत्पाद भारत को निर्यात किए थे। यह वास्तविकता है कि मैसर्स पनेसिया बायोटेड नई दिल्ली ने वर्ष 1994-96 के दौरान मैसर्स अल्बोविना जी. एम. बी. एच. आस्ट्रिया द्वारा निर्मित मानव अल्बुमिन 20% इंजेक्शन का आयात किया था।

देश में आयात किए जा रहे रक्त उत्पादों के प्रत्येक पोषण के नमूनों की जांच यह सुनिश्चित करने के लिए की जाती है कि ये एच. आई. वी. 1 एवं 2, एच. बी. एस. ए. जी और एच. सी. वी. विषाणुओं से मुक्त हैं। उपर्युक्त विषाणुओं की जांच किए बिना रक्त उत्पादों का कोई पोषण पत्तन अधिकारियों द्वारा रिलीज नहीं किया जाता है। औषध नियंत्रक (भारत) द्वारा सभी पत्तन अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के अनुदेश दिए गए हैं कि रक्त उत्पादों का प्रत्येक परेषण परीक्षण तथा निर्माण के प्रोटोकोल के साथ-साथ बैच रिलीज प्रमाण-पत्र के साथ हो।

सौराष्ट्र क्षेत्र में गैस की आपूर्ति

1100. **श्री सी॰ डी॰ गामीत : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने ताप्ती गैस फील्ड से गैस आपूर्ति के लिए गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में पीपावाव के निकट लैण्ड फाल पाइन्ट की मंजूरी दी है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) पीपावाव में गैस आपूर्ति कब तक शूरू किए जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

तेल भंडार

1101. **श्री दत्ता मेघे : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में तेल भंडार की मात्रा के आकलन के लिए सर्वेक्षण कराया है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) चालू वर्ष में किन-किन स्थानों पर सर्वेक्षण कराए जा रहे हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) और (ख) ओ एन जी सी और ओ आई एल देश के विभिन्न भागों में अपने प्रचालनात्मक क्षेत्रों में भूकंपीय सर्वेक्षणों सहित अन्वेषण क्रियाकलाप चलाते आ रहे है। अपने अन्वेषण प्रयासों के परिणामस्वरूप ओ एन जी सी और ओ आई एल 1.4.1997 की स्थिति के अनुसार अपने प्रचालन क्षेत्रों में तेल और तेल के समकक्ष तेल की क्रमश: 5343.50 एम एम टी और 790.48 एम एम टी ततथानिक मात्रा का पता लगा पाए हैं।

(ग) इन दो कंपनियों द्वारा पूर्वी तट और पश्चिमी तट अपतट के अलावा कृष्णा-गोदावरी, कावेरी, ऊपरी असम, ए ए एफ बी, कैंबे, राजस्थान, हिमालय की तराई, विंध्य के गिरिपादों, बंगाल और गंगा बेसिन में भूकंपीय सर्वेक्षण किए जा रहे हैं।

पिछड़े वर्गों को ऋण

1102. **प्रो. जोगेन्द्र कवाडे : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछड़ा वर्ग आयोग ने राष्ट्रीयकृत बैंकों की ऋण वितरण प्रणाली के माध्यम से पिछड़े वर्ग के लोगों को ऋण उपलब्ध कराने का सरकार को अनुदेश दिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

आतंकवादी गतिविधियां

1103. **श्री रतिलाल कालीदास वर्मा: क्या गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जम्मू और कश्मीर में 1 जनवरी, 1996 से 15 मई, 1998 तक अनेक आतंकवादी गुटों द्वारा हमला किए जाने की कितनी घटनाएं हुई और उन घटनाओं में कितने व्यक्ति हताहत हुए अथवा कितने व्यक्तियों का अपहरण किया गया;

(ख) उक्त अवधि के दौरान कितने आतंकवादी गिरफ्तार किए गए घायल हुए और मारे गए;

(ग) मारे गए आतंकवादियों से जब्त किए गए हथियारों और अन्य सामग्री का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस संबंध में पाकिस्तान की आई. एस. आई. के शामिल होने का कोई प्रमाण मिला है; और

(ङ) यदि हां, तो ऐसी गतिविधियों को रोकने के लिए क्या ठोस उपाय किए गए हैं?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) जनवरी 1996 से 15 मई, 1998 तक जम्मू और कश्मीर में, विस्फोटों, रोकेटों द्वारा हमालों, निरुद्देश्य गोलीबारी, आगजनी, शस्त्र छीनने इत्यादि सहित आतंकवादी हिंसा की 9285 घटनाएं और अपहरण के 1224 मामले हुए। इस अवधि के दौरान 2521 सिविलियन और 439 सुरक्षा बल कार्मिक मारे गए और क्रमशः 2994 सिविलियन और 1049 सुरक्षा बल कार्मिक जख्मी हुए।

(ख) इस अवधि के दौरान 2502 आतंकवादी मारे गए और 3967 पकड़े गए, जख्मी हुए आतंकवादियों की संख्या का पता लगाना सम्भव नहीं है।

(ग) इस अवधि के दौरान उग्रवादियों से 4300 ए. के. श्रेणी की राइफलें, 2331 पिस्तौल/रिवालवर, 175 यू. एम. जी., 111 आर. पी. जी., 21 एल. एम. जी./एस. एल. आर., 124 स्नीफर राइफलें, 214 राकेट लांचर, 395 राकेट बूस्टर और बड़ी मात्रा में कल-पुर्जे, विविध प्रकार का गोलाबारुद, विस्फोटक पदार्थ और संचार उपकरण इत्यादि बरामद किए गए।

(घ) और (ङ) जी हां, श्रीमान्। यह सर्वविदित तथ्य है कि पाक आई. एस. आई. जम्मू और कश्मीर में उग्रवाद को प्रायोजित कर रही है और उसे उकसा और भडका रही है। सुरक्षा बलों द्वारा गिरफ्तार किए गए अनेक उग्रवादियों से पूछताछ करने और उनसे बरामद डायरियों/दस्तावेजों इत्यादि से इस तथ्य की पुष्टि होती है।

जम्मू और कश्मीर में उग्रवाद से निपटने के लिए सरकार द्वारा गए कदमों में सम्मिलित है:- पुलिस और सुरक्षा बलों द्वारा लगातार उग्रवादी विरोधी अभियान चलाना, सीमा/नियंत्रण रेखा और भीतर क्षेत्र में गहन गश्त, संवेदनशील क्षेत्रों में पिकटें स्थापित करना, राज्य पुलिस को सुदृढ़ करना, आसूचना तंत्र को सदृढ़ बनाना और विभिन्न एजेन्सियों के बीच सुरक्षा प्रबन्धों में समन्वय स्थापित करना। जम्मू और कश्मीर में उग्रवाद से निपटने के लिए विशिष्ट कार्रवाई योजना तैयार करने के लिए हाल ही में एक विशेष ग्रुप का गठन भी किया गया है।

बकाया ऋणों की माफी

1104. प्रो. सैफुद्दीन सोज : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार जम्मू और कश्मीर सरकार को दिए गए 1,450 करोड़ रु० के ऋण को माफ करने का है; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में निर्णय कब तक कर लिए जाने की संभावना है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) और (ख) जी नहीं, श्रीमान्। तथापि, वित्त मंत्रालय से अनुरोध किया गया है कि वे 11वें वित्त आयोग के विचारार्थ विषयों को अंतिम रूप देते समय संचित ऋण को माफ करने के संबंध में जम्मू व कश्मीर सरकार के अनुरोध को ध्यान में रखे।

[हिन्दी]

जम्मू-कश्मीर से प्रवसन

1105. श्री लक्ष्मीनारायण पाण्डेय : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आतंकवादियों ने श्रीनगर के निकट बड़ी संख्या में लोगों की हत्या कर दी;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन महीनों के दौरान आज तक सुरक्षा कर्मियों समेत मारे गए लोगों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या मारे जाने के भय से बडी संख्या में लोग गांवो से प्रवास कर गए हैं;

(घ) यदि हां, तो कितने मकान नष्ट हुए हैं तथा कितने परिवारों ने अपना घर छोड़ दिया एवं अन्य स्थानों को चले गए;

(ङ) जम्मू-कश्मीर के सीमावर्ती स्थानों का ब्यौरा क्या है जहां आतंकवादियों ने बड़ी संख्या में नागरिकों की हत्या की; और

(च) क्या उपर्युक्त स्थान सीमा सुरक्षा बल/सेना/केन्द्रीय सुरक्षा बल या राज्य पुलिस के अंतर्गत आते हैं?

ग्रह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क), (ख) और (ङ) उग्रवादियों द्वारा की गयी हत्याओं की घटनाएं किसी क्षेत्र विशेष तक सीमित नहीं है। 1 जनवरी, 1998 से 15 मई, 1998 की अवधि के दौरान जम्मू और कश्मीर में उग्रवादी हिंसा में 285 सिविलियन तथा 68 सुरक्षा बल कर्मी मारे गए। हाल ही में श्रीनगर के समीप घटी एक बड़ी घटना वनधामा में हुई जिसमें 23 व्यक्ति मारे गए, जबकि सीमावर्ती क्षेत्रों, जहां उग्रवादियों ने हाल ही में बहुत बड़ी संख्या में हत्याएं की हैं वे हैं परानकोट तथा धाकीकोट सूरनकोट।

(ग) परानकोट (उधमपुर जिला) तथा सूरानकोट (पूंछ) में निर्दोष व्यक्तियों की हत्या संबंधी हाल की घटनाओं से भय का वातावरण पैदा हुआ था जिसकी वजह से कुछ पलायन हुआ है। तथापि, राज्य सरकार द्वारा दी गयी जानकारी के अनुसार, इन क्षेत्रों में किए गए सुरक्षा उपायों के कारण, कुछ प्रवासियों ने अपने मूल निवास स्थानों को वापिस लौटना शुरू कर दिया है।

(घ) राज्य सरकार के अनुसार श्रीनगर के समीप वनधामा में हुई घटना में एक मकान और एक मन्दिर जला दिया गया था तथा उधमपुर जिले में परानकोट धाकीकोट में तीन मकान और एक दुकान जला दी गयी थी।

(च) जम्मू और कश्मीर के मुख्य मंत्री की अध्यक्षता में एकीकृत मुख्यालय द्वारा राज्य में सुरक्षा बलों की तैनाती की समीक्षा की जाती है तथा इस बारे में ब्यौरे प्रकट करना लोक-हित में नहीं होगा।

[अनुवाद]

सरकारी कर्मचारियों को वापस भेजना

1106. **श्री रामकृष्ण बाबा पाटील** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार 1989 के बाद बड़े पैमाने पर नरसंहार को देखते हुए कश्मीर से दिल्ली सहित देश के अन्य भागों में विभिन्न पदों पर प्रतिनियुक्ति पर लाए गए केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को वापस भेजने का है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या प्रतिनियुक्ति पर आए कर्मचारियों को कश्मीर वापिस भेजने के लिए स्थिति अनुकूल बन गई है और

(घ) यदि नहीं, तो इन्हें वापिस भेजे जाने के क्या कारण हैं?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता है।

लश्कर्स वेली जेहाद

1107. **श्री खारबेल स्वाईं** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 7 मई, 1998 के "दि इंडियन एक्सप्रेस" में "थाउजेण्ड्स रेडी टू ज्वाइन लश्कर्स वेली जेहाद" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उपद्रवकारी गतिविधियों हेतु जम्मू और कश्मीर में भेजे गए इन लश्करों को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही करने का विचार है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) सरकार ने यह समाचार देखा है।

(ख) सुरक्षा बलों द्वारा सीमा/नियंत्रण रेखा पर तथा आंतरिक क्षेत्रों में निकट से निगरानी रखी जा रही है। इस प्रयोजन हेतु विभिन्न प्रबन्ध किए गए हैं, इनमें शामिल है: गहन गश्त, नाइट विजन डिवाइसेस आदि सहित निगरानी उपस्करों की व्यवस्था और उपयोग, नियंत्रण रेखा/सीमा दोनों पर सुभेद्य क्षेत्रों में तथा भतरी क्षेत्र में बलों की सेनाती, सीमा के निकट कुछ संवेदनशील क्षेत्रों में ग्राम रक्षा समितियों का गठन करना तथा सभी संबंधित सुरक्षा और आसूचना ऐजेंसियों आदि के बीच निकट और निरन्तर समन्वय करना। इन प्रबन्धों की लगातार समीक्षा की जाती है और आवश्यकतानुसार इन्हें मजबूत/सुव्यवस्थित किया जा रहा है।

कश्मीरी हुरियत नेताओं के साथ वार्ता

1108. **श्री के. एस. राव** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में कश्मीरी हुरियत नेताओं के साथ बातचीत के लिए कोई पहल की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उस पर "हुरियत कान्फ्रेन्स" के नेताओं की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या इस सम्बन्ध में सरकार ने प्रमुख राजनीतिक दलों से विचार-विमर्श किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) उस पर राजनीतिक दलों की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) से (च) प्रश्न नहीं उठते है।

हथियारों की बरामदगी

1109. **श्री माणिकराव होडल्या गावीत**: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले दो वर्षों के दौरान घाटी में सुरक्षा बलों ने बड़ी संख्या में हथियारों की बरामदगी की; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्णा आडवाणी): (क) और (ख) जी हां, श्रीमान्। जम्मू और कश्मीर राज्य में बरामद किए गए हथियारों का विवरण निम्नानुसार है:-

	1996	1997	1998 (जनवरी से 15 मई तक)
1. ए. के. सीरिज	2150	1725	425
2. पिस्तौल/रिवाल्वर	1052	1024	255
3. यू. एम. जी.	84	64	27
4. कारबाईन	6	3	3
5. आर. पी. जी.	48	38	25
6. जी. पी. एम. जी.	9	5	0
7. एल.एम.जी./एस.एल.आर.	9	12	0
8. 303 राइफलें	36	3	4
9. स्निपर राइफलें	49	60	15
10. राकेट लान्चर	43	81	90
11. राकेट बूस्टर	119	208	68

सभा पटल पर रखे गए पत्र

मध्याहन 12.00 बजे

[हिन्दी]

नेशनल फाउन्डेशन फॉर कम्युनल हारमनी, रिपैट्रियेट्स कोआपरेटिव फाइनैन्स एण्ड डेवलपमैंट बैंक लिमिटेड इत्यादि के वार्षिक प्रतिवेदनों की प्रतियां तथा उनके कार्यकरण की समीक्षा और पत्रों को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण इत्यादि।

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) नेशनल फाउंडेशन फार कम्युनल हारमनी, नई दिल्ली के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) और लेखा परीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल फाउंडेशन फार कम्युनल हारमनी, नई दिल्ली के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 274/98]

(3) (एक) रिपैट्रियेट्स कोआपरेटिव फाइनेंस एण्ड डेवलपमेंट बैंक लिमिटेड, चेन्नई के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) और लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) रिपैट्रियेट्स कोआपरेटिव फाइनेंस एण्ड डेवलपमेंट बैंक लिमिटेड, चेन्नई के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 275/98]

(4) कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंगेजी संस्करण):-

(एक) रिहैबिलिटेशन प्लांटेशन्स लिमिटेड, पुनालूर के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) रिहैबिलिटेशन प्लांटेशन्स लिमिटेड, पुनालूर के वर्ष 1996-97 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 276/98]

(5) सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 की धारा 141 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) दिनांक 16 अगस्त, 1997 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० क० नि० 308 में प्रकाशित सीमा सुरक्षा बल (सहायक कमांडेंट) भर्ती (संशोधन) नियम, 1997।

(दो) 27 दिसम्बर, 1997 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 419 में प्रकाशित सीमा सुरक्षा बल एयर विंग नान-गजेटेड (काम्बेटाइज्ड) समूह ग पद भर्ती नियम, 1997।

(तीन) 24 जनवरी, 1998 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 166 में प्रकाशित सीमा सुरक्षा बल (संशोधन) नियम 1997।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 277/98]

(6) राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड अधिनियम, 1986 की धारा 139 की उपधारा (3) के अंतर्गत दिनांक 6 दिसम्बर, 1997 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 326 में प्रकाशित राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (समूह "क" का पद) भर्ती संशोधन नियम, 1997 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) और उसका एक शुद्धि पत्र जो दिनांक 1 नवम्बर, 1997 की अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 364 में प्रकाशित किया गया था।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 278/98]

(7) केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम, 1949 की धारा 18 की उपधारा (3) के अन्तर्गत केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (संशोधन) नियम, 1998 जो 18 अप्रैल, 1998 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 85 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 279/98]

(8) राज्यपाल (उपलिब्धयां, भत्ते और विशेषाधिकार) अधिनियम, 1982 की धारा 12 की उपधारा (3) के अन्तर्गत राष्ट्रपति के विशेष आदेश की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जिसके द्वारा असम के राज्यपाल के संबंध में राज्यपाल (भत्ते और विशेषधिकार) नियम, 1987 की अनुसूची एक और दो के अन्तर्गत अतिरिक्त धनराशि का उपबंध किया गया है।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 280/98]

[अनुवाद]

नेशनल कोआपरेटिव कंस्युमर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली, कृषक भारती कोआपरेटिव लि० इत्यादि के वार्षिक प्रतिवेदन की प्रति तथा उनके कार्यकरण की समीक्षा और पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण इत्यादि

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री (सरदार सुरजीत सिंह बरनाला): अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) नेशनल कोआपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल कोआपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में

हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 281/98]

(3) (एक) कृषक भारती कोपरेटिव लिमिटेड; नई दिल्ली के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) कृषक भारती कोपरेटिव लिमिटेड; नई दिल्ली के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 282/98]

(4) (एक) इंडियन फारमर्स फर्टीलाइजर कोआपरेटिव लिमिटेड, के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन फारमर्स फर्टीलाइजर कोआपरेटिव लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 283/98]

(5) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) 10 नवम्बर, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना संख्या का० आ० 772(अ) में प्रकाशित दलहन, खाद्य तिलहन और खाद्य तेल (भंडारण नियंत्रण) संशोधन आदेश, 1997।

(दो) 28 अगस्त, 1997 के भारत के राजपत्र की अधिसूचना संख्या का० आ० 613(अ) में प्रकाशित उर्वरक (संचलन नियंत्रण) संशोधन आदेश, 1997।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 284/98]

(6) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) मद्रास फर्टीलाइजर्स लिमिटेड, चेन्नई के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) मद्रास फर्टीलाइजर्स लिमिटेड, चेन्नई के वर्ष 1996-97 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 285/98]

(ख) (एक) राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टीलाइजर्स लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टीलाइजर्स लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 1996-97 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 286/98]

(ग) (एक) पाराद्वीप फॉस्फेट लिमिटेड, भूवनेश्वर के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) पाराद्वीप फॉस्फेट लिमिटेड, भूवनेश्वर के वर्ष 1996-97 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 287/98]

(घ) (एक) हिन्दुस्तान फर्टीलाइजर्स कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान फर्टीलाइजर्स कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1996-97 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 288/98]

(ङ) (एक) दि फर्टिलाइजर्स कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, सिंदरी के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) दि फर्टिलाइजर्स कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, सिंदरी के वर्ष 1996-97 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 289/98]

(च) (एक) दि पाइराइट्स, फास्फेट्स एण्ड कैमिकल्स लिमिटेड, रोहताश के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) दि पाइराइट्स, फास्फेट्स एण्ड कैमिकल्स लिमिटेड, रोहताश के वर्ष 1996-97 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 290/98]

(छ) (एक) दि नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(दो) दि नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1995-96 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 291/98]

(ज) (एक) दि फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड, कोची के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) दि फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड, कोची के वर्ष 1996-97 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल॰ टी॰ 292/98]

(झ) (एक) भारतीय परियोजना और विकास लिमिटेड, धनबाद के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारतीय परियोजना और विकास लिमिटेड, धनबाद के वर्ष 1996-97 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(7) उपर्युक्त मद संख्या (6) के (छ) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल॰ टी॰ 293/98]

(8) (एक) इन्स्टीयट्यूट आफ पेस्टीसाइड फोरमूलेशन टेकनोलोजी, गुडगांव के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इन्सटीयट्यूट आफ पेस्टीसाइड फोरमूलेशन टेकनोलोजी, गुडगांव के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) उपर्युक्त (8) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण। (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल॰ टी॰ 294/98]

(10) हिन्दुस्तान आर्गनिक कैमीकल्स लिमिटेड और रसायन और उर्वरक मंत्रालय के बीच वर्ष 1998-99 के लिए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल॰ टी॰ 295/98]

कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत अधिसूचना और दि वी॰ वी॰ गिरि नेशनल लेबर इंस्टिट्यूट, नोएडा और सेन्ट्रल बोर्ड फॉर वर्कर्स एजुकेशन के वार्षिक प्रतिवेदन की प्रति तथा उनके कार्यकरण की समीक्षा और पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण इत्यादि।

श्रम मंत्री (डा॰ सत्यनारायण जटिया): अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 7 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(एक) दि इम्पलाइज डिपोजिट लिंकूड इंश्योरेन्स (अमेंडमेंट) स्कीम, 1997 जो 13 सितम्बर, 1997 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 334 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) कर्मचारी पेंशन (संशोधन) योजना, 1997 जो 8 नवम्बर, 1997 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 376 में प्रकाशित हुई थी।

(तीन) कर्मचारी भविष्य निधि (संशोधन) योजना, 1997 जो 13 दिसम्बर, 1997 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 405 में प्रकाशित हुई थी।

(चार) कर्मचारी भविष्य निधि (दूसरा संशोधन) योजना, 1997 जो 13 दिसम्बर, 1997 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 406 में प्रकाशित हुई थी।

ग्रन्थालय में रखा गया। (देखिये संख्या एल॰ टी॰ 296/98)

(2) बीड़ी कल्याण कर्मचारी निधि अधिनियम, 1976 की धारा 12 की उपधारा (4) के अंतर्गत 20 फरवरी, 1998 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 78(अ) में प्रकाशित बीड़ी कर्मचारी निधि (संशोधन) नियम, 1998 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

ग्रन्थालय में रखा गया। (देखिये संख्या एल॰ टी॰ 297/98)

(3) (एक) दि वी॰वी॰ गिरि नेशनल लेबर इंस्टिट्यूट, नोएडा के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) दि वी॰वी॰ गिरि नेशनल लेबर इंस्टिट्यूट, नोएडा के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

ग्रन्थालय में रखा गया। (देखिये संख्या एल॰ टी॰ 298/98)

(5) (एक) सेंट्रल बोर्ड फॉर वर्कर्स एजुकेशन, नागपुर के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंट्रल बोर्ड फॉर वर्कस एजुकेशन, नागपुर के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

ग्रन्थालय में रखा गया। (देखिये संख्या एल॰ टी॰ 299/98)

(7) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 1996-97 के संचित वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में

हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

ग्रन्थालय में रखा गया। (देखिये संख्या एल० टी० 300/98)

(9) कर्मचारी राज्य बीमा निगम, नई दिल्ली के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अंतर्गत कर्मचारी राज्य बीमा निगम, नई दिल्ली के वर्ष 1996-97 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 301/98]

(11) जनेवा में जून-जुलाई, 1964 में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के 48 वें सत्र में अपनाए गए कन्वेशन संख्या 122 और अनुशंसा संख्या 122 पर की गई अथवा की जाने वाली कार्यवाही के विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 302/98]

भारतीय दंत परिषद नई दिल्ली, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर आदि के लेखा परीक्षित लेखाओं सहित उनके वार्षिक प्रतिवेदन की प्रति तथा उनके कार्यकरण की समीक्षा और पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण, इत्यादि।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई): अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) भारतीय दंत परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय दंत परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 303/98]

(3) (एक) राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर के वर्ष 1996-97 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 304/98]

(5) (एक) राष्ट्रीय आयुर्वेद अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय आयुर्वेद अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 305/98]

(7) (एक) गुजरात आयुर्वेद विश्वविद्यालय जामनगर के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) गुजरात आयुर्वेद विश्वविद्यालय जामनगर के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 306/98]

(9) हॉस्पिटल सर्विसेज कन्सलटेंसी कारपोरेशन (इंडिया) लिमिटेड, और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के बीच वर्ष 1997-98 के लिए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 307/98]

(10) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) हॉस्पिटल सर्विसेज कन्सलटेंसी कारपोरेशन (इंडिया) लिमिटेड, दिल्ली के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हॉस्पिटल सर्विसेज कन्सलटेंसी कारपोरेशन (इंडिया) लिमिटेड, दिल्ली का वर्ष 1996-97 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 308/98]

(11) (एक) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र, बंगलौर के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र, बंगलौर के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 309/98]

(13) (एक) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र, वडोदरा के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र, वडोदरा के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल॰ टी॰ 310/98]

(15) (एक) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र, चंडीगढ़ के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र, चंडीगढ़ के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल॰ टी॰ 311/98]

(17) (एक) जनसंख्या अनुरांधान केन्द्र, धारवाड़ के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र, धारवाड़ के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) उपर्युक्त (17) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल॰ टी॰ 312/98]

(19) (एक) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र, दिल्ली के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र, दिल्ली के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(20) उपर्युक्त (19) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल॰ टी॰ 313/98]

(21) (एक) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र, गांधीग्राम के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र, गांधीग्राम के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(22) उपर्युक्त (21) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल॰ टी॰ 314/98]

(23) (एक) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र, लखनऊ के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र, लखनऊ के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(24) उपर्युक्त (23) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल॰ टी॰ 315/98]

(25) (एक) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र, पटना के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र, पटना के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(26) उपर्युक्त (25) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल॰ टी॰ 316/98]

(27) (एक) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र, पुणे के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र, पुणे के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(28) उपर्युक्त (27) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल॰ टी॰ 317/98]

(29) (एक) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र, तिरुअनन्तपुरम् के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र, तिरुअनन्तपुरम् के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(30) उपर्युक्त (29) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल॰ टी॰ 318/98]

(31) (एक) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र, उदयपुर के वर्ष 1996-97

के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र, उदयपुर के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(32) उपर्युक्त (31) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल॰ टी॰ 319/98]

(33) (एक) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र, विशाखापत्तनम् के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र, विशाखापत्तनम् के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(34) उपर्युक्त (33) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल॰ टी॰ 320/98]

(35) (एक) पापुलेशन रिसर्च सेन्टर, सेन्टर फार रिसर्च इन रुरल एण्ड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, चण्डीगढ़ के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) और लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) पापुलेशन रिसर्च सेन्टर, सेन्टर फार रिसर्च इन रुरल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, चण्डीगढ़ के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(36) उपर्युक्त (35) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल॰ टी॰ 321/98)]

(37) (एक) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र, भुवनेश्वर के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र, भुवनेश्वर के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(38) उपर्युक्त (37) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल॰ टी॰ 322/98]

(39) (एक) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र, गुवाहाटी के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र, गुवाहाटी के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(40) उपर्युक्त (39) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल॰ टी॰ 323/98]

(41) (एक) केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(42) उपर्युक्त (41) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल॰ टी॰ 324/98]

(43) (एक) सेंट्रल काउंसिल फार रिसर्च इन होम्योपैथी, नई दिल्ली के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंट्रल काउंसिल फार रिसर्च इन होम्योपैथी, नई दिल्ली के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(44) उपर्युक्त (43) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल॰ टी॰ 325/98]

(45) (एक) केन्द्रीय योगा अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) केन्द्रीय योगा अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(46) उपर्युक्त (45) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल॰ टी॰ 326/98]

(47) (एक) रीजनल कैंसर सेन्टर, तिरुवनन्थपुरम के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) रीजनल कैंसर सेन्टर, तिरुवनन्थपुरम के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(48) उपर्युक्त (47) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल॰ टी॰ 327/98]

(49) (एक) राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान, पुणे के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान, पुणे के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(50) उपर्युक्त (49) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल॰ टी॰ 328/98]

(51) (एक) राष्ट्रीय चित्तरंजन कैंसर संस्थान, कलकत्ता के वर्ष 1994-95 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(दो) राष्ट्रीय चित्तरंजन कैंसर संस्थान, कलकत्ता के वर्ष 1994-95 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) राष्ट्रीय चित्तरंजन कैंसर संस्थान कलकत्ता के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(52) उपर्युक्त (51) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल॰ टी॰ 329/98]

(53) (एक) सेंट्रल काउंसिल फार रिसर्च इन योगा एण्ड नेचरोपैथी, नई दिल्ली के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंट्रल काउंसिल फार रिसर्च इन योगा एण्ड नेचरोपैथी, नई दिल्ली के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(54) उपर्युक्त (53) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल॰ टी॰ 330/98]

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदनों की प्रतियां, उनके कार्यकरण की समीक्षा और पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवनण, आदि।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखती हूं:-

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति वित्त एवं विकास निगम, नई दिल्ली के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम, नई दिल्ली का वर्ष 1996-97 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल॰ टी॰ 331/98]

(ख) (एक) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम, नई दिल्ली के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम, नई दिल्ली का वर्ष 1996-97 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त मद (1) के (क) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल॰ टी॰ 332/98]

[हिन्दी]

कोचीन रिफाइनरीज लिमिटेड और इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के वार्षिक प्रतिवेदनों की प्रतियां, उनके कार्यकरण की समीक्षा और पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण आदि

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) कोचीन रिफाइनरीज लिमिटेड, एर्णाकुलम के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) कोचीन रिफाइनरीज लिमिटेड, एर्णाकुलम के वर्ष 1996-97 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल॰ टी॰ 333/98]

(ख) (एक) इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1996-97 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल॰ टी॰ 334/98]

(ग) (एक) आयल इंडिया लिमिटेड, डिब्रूगढ़ के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) आयल इंडिया लिमिटेड, डिब्रूगढ़ के वर्ष 1996-97 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल॰ टी॰ 335/98]

(घ) (एक) मद्रास रिफाइनरीज लिमिटेड, चेन्नई के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) मद्रास रिफाइनरीज लिमिटेड, चेन्नई के वर्ष 1996-97 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल॰ टी॰ 336/98]

(ङ) (एक) ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1996-97 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल॰ टी॰ 337/98]

(च) (एक) लुबरीजोल इंडिया लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) लुबरीजोल इंडिया लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 1996-97 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल॰ टी॰ 338/98]

(छ) (एक) बोंगाईगांव रिफाइनरी एण्ड पैट्रोकैमिकल्स लिमिटेड, बोंगाईगांव के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) बोंगाईगांव रिफाइनरी एण्ड पैट्रोकैमिकल्स लिमिटेड, बोंगाईगांव के वर्ष 1996-97 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल॰ टी॰ 339/98]

(ज) (एक) गैस अथॉरिटी आफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) गैस अथॉरिटी आफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1996-97 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले आठ विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल॰ टी॰ 340/98]

(3) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) 31 मार्च, 1998 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित का॰आ॰ 271(अ) जिसके द्वारा पैराफिन वैक्स (आपूर्ति, वितरण और कीमत नियतन) आदेश, 1997 रद्द किया गया था।

(दो) फर्नेस आयल (अधिकतम कीमत निर्धारण और वितरण) संशोधन आदेश, 1997 जो 2 सितम्बर, 1997 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 623(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(तीन) फर्नेस आयल (अधिकतम कीमत निर्धारण और वितरण) संशोधन आदेश, 1998 जो 19 फरवरी, 1998 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 137(अ) में प्रकाशित हुआ था।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल॰ टी॰ 341/98]

(4) तेल उद्योग (विकास) अधिकतम, (1974) की धारा 31 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) तेल उद्योग कर्मचारी विकास बोर्ड (चिकित्सा परिचर्या) (संशोधन) नियम, 1997 जो 21 जनवरी, 1998 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰ का॰ नि॰ 40(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) तेल उद्योग (विकास) (संशोधन) नियम, 1998 जो 10 मार्च, 1998 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰ का॰ नि॰ 128(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल॰ टी॰ 342/98]

(5) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड और पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच वर्ष 1998-99 के लिए समझौता ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल॰ टी॰ 343/98]

(दो) भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड और पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच वर्ष 1998-99 के लिए समझौता ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल॰ टी॰ 344/98]

(तीन) बोंगाईगांव रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकैमिकल्स लिमिटेड और पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच वर्ष 1998-99 के लिए समझौता ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल॰ टी॰ 345/98]

(चार) हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड और पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच वर्ष 1998-99 के लिए समझौता ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल॰ टी॰ 346/98]

(पांच) लुब्रीजोल इंडिया लिमिटेड और पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच वर्ष 1998-99 के लिए समझौता ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल॰ टी॰ 347/98]

[अनुवाद]

भारत के राजपत्र में प्रकाशित बाट और माप मानक नियम 1997 की प्रति

खाद्य और उपभोक्ता मामले के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल सिंह यादव): अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं.

(1) बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 की धारा 83 की उपधारा (4) के अंतर्गत बाट और माप मानक (सामान्य) (तीसरा संशोधन) नियम, 1997 जो 31 अक्तूबर, 1997 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰ का॰ नि॰ 629(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल॰ टी॰ 348/98]

अपराह्न 12.03 बजे

राज्य सभा से संदेश और राज्य सभा द्वारा यथापारित विधेयक

[अनुवाद]

महासचिव: महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेश की, सूचना देनी है:-

"मुझे राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 111 के उपबंधों के अनुसार राज्य सभा ने 1 जून, 1998 को हुई अपनी बैठक में कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध संशोधन विधेयक, 1998 को पारित कर दिया था, कि एक प्रति, संलग्न करने का निदेश हुआ है।"

महोदय, मैं 1 जून, 1998 को राज्य सभा द्वारा यथापारित कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध (संशोधन) विधेयक, 1998 सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 12.04 बजे

[अनुवाद]

समितियों के लिए निर्वाचन

(एक) भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के शासी निकाय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलित एझिलमलाई): महोदय, मैं प्रस्तुत करता हूं:

"कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के नियमों के नियम 15, विनियमों और उपनियमों के अनुसरण में इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त नियमों के अन्य उपबंधों के अध्यधीन भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के शासी निकाय के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्यों को निर्वाचित करें।"

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:-

"कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के नियमों के नियम 15, विनियमों और उपनियमों के अनुसरण में इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त नियमों के अन्य उपबंधों के अध्यधीन भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के शासी निकाय के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्यों को निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(दो) ट्यूबरकलोसिस एसोसियेशन आफ इंडिया की केन्द्रीय समिति

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलित एझिलमलाई): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:-

"कि ट्यूबरकुलोसिस एसोसिएशन आफ इंडिया के नियमों और विनियमों के खंड 3(सात)(क) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, ट्यूबरकुलोसिस एसोसिएशन आफ इंडिया की केन्द्रीय समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्यों को निर्वाचित करें।"

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:-

"कि ट्यूबरकुलोसिस एसोसिएशन आफ इंडिया के नियमों और विनियमों के खंड 3(सात)(क) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, ट्यूबरकुलोसिस एसोसिएशन आफ इंडिया की केन्द्रीय समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्यों को निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(तीन) प्रसवपूर्व निदान तकनीकी के लिए केन्द्रीय पर्यवेक्षक बोर्ड

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलित एझिलमलाई): मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि प्रसवपूर्व निदान तकनीकी (विनियम और दुरुपयोग और निवारण) अधिनियम, 1994 की धारा 7(2) (च) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन केन्द्रीय पर्यवेक्षक बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो महिला सदस्यों को निर्वाचित करें।"

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि प्रसवपूर्व निदान तकनीकी (विनियम और दुरुपयोग और निवारण) अधिनियम, 1994 की धारा 7(2) (च) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन केन्द्रीय पर्यवेक्षक बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो महिला सदस्यों को निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(चार) कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम

श्रम मंत्री (डा० सत्यनारायण जटिया): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:-

[हिन्दी]

"कि कर्मचारी राज्य बीमा (केन्द्रीय) नियम 1950 के नियम 2क से साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की धारा 4(एक) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन कर्मचारी राज्य बीमा निगम के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्यों को निर्वाचित करें।"

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि कर्मचारी राज्य बीमा (केन्द्रीय) नियम 1950 के नियम 2क से साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की धारा 4(एक) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन कर्मचारी राज्य बीमा निगम के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्यों को निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(पांच) स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई): मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़, अधिनियम, 1966, की धारा 5(छ) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसाकि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के उपबंधो के अध्यधीन स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़ के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्यों को निर्वाचित करें।"

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़, अधिनियम, 1966, की धारा 5(छ) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसाकि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान चंडीगढ़ के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्यों को निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(छह) इन्दिरा गांधी क्षेत्रीय स्वास्थ्य और आयुर्विज्ञान संस्थान, शिलांग का शासी परिषद

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई): मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि पर्वोत्तर इन्दिरा गांधी क्षेत्रीय स्वास्थ्य और आयुर्विज्ञान संस्थान, शिलांग के नियमों के नियम 4(ख) के साथ पठित नियम 3(ख) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उत नियमों के अन्य उपबंधों के अध्यधीन पूर्वोत्तर इन्दिरा गांधी क्षेत्रीय स्वास्थ्य और आयुर्विज्ञान संस्थान के शासी परिषद के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से एक सदस्य निर्वाचित करें।"

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि पूर्वोत्तर इन्दिरा गांधी क्षेत्रीय स्वास्थ्य और आयुर्विज्ञान संस्थान, शिलांग के नियमों के नियम 4(ख) के साथ पठित नियम 3(ख) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त नियमों के अन्य उपबंधों के अध्यधीन पूर्वोत्तर इन्दिरा गांधी क्षेत्रीय स्वास्थ्य और आयुर्विज्ञान संस्थान के शासी परिषद के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से एक सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(सात) राजभाषा समिति

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): मैं प्रस्ताव करता हूं:

[हिन्दी]

"कि राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 4 की उपधारा (2) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा 3 के अनुसार संघ के सरकारी प्रयोजन के लिए हिन्दी के प्रयोग में हुई प्रगति की पुनरीक्षा करने और राष्ट्रपति को इस संबंध में सिफारिशें करते हुए प्रतिवेदन सौंपने संबंधी समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से 20 सदस्यों को निर्वाचित करें।"

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है :

[अनुवाद]

"कि राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 4 की उपधारा (2) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा 3 के अनुसार संघ के सरकारी प्रयोजन के लिए हिन्दी के प्रयोग में हुई प्रगति की पुनरीक्षा करने और राष्ट्रपति को इस संबंध में सिफारिशें करते हुए प्रतिवेदन सौंपने संबंधी समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से 20 सदस्यों को निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(व्यवधान)

श्री शरद पवार (बारामती): अध्यक्ष महोदय, मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठाना चाहता हूं। माननीय वित्त मंत्री ने कल अपने बजट भाषण में पेट्रोल की कीमत के बारे में कुछ कहा था . . . *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: हमारे पास दो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। इसमें मात्र दो मिनट लगेंगे। उन्हें पूरा कर लेने के पश्चात आप बोल सकते हैं। मद संख्या 18-श्री नीतीश कुमार-अनुपस्थित श्री शरद पवार, अब आप बोल सकते हैं।

अपराह्न 12.08 बजे

[अनुवाद]

बजट में पेट्रोल की कीमतों में वृद्धि के बारे में

श्री शरद पवार: माननीय वित्त मंत्री ने कल अपने बजटीय भाषण में पेट्रोल पर अतिरिक्त भार लगाये जाने के संबंध में सभा को तथा सभा

[श्री शरद पवार]

के माध्यम से पूरे देश को यह जानकारी दो और कहा कि यह अतिरिक्त भार प्रति लीटर पर मात्र एक रुपया होगा। मैं उनके कथन को यहां उद्धत करता हूं:-

"अध्यक्ष महोदय, सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए अच्छी सड़कों की आवश्यकता होती है। मुझे विश्वास है कि जो लोग अपने खुद के उपयोग के लिए वाहन का भार वहन कर सकते हैं वे देश में अच्छी सड़कों के तीव्र विकास के लिए भी अपना योगदान दे सकते हैं। अत: मैं प्रति लीटर पेट्रोल पर एक रुपया का अतिरिक्त भार लगाता हूं जो तुरंत प्रभावी होंगे।"

वास्तविक स्थिति क्या है? वास्तविक स्थिति मैं बताता हूं। कल तक दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 22.84 रुपये प्रति लीटर था लेकिन आज इसकी कीमत प्रति लीटर 26.77 रुपये है जो कि 3.93 रुपये की वृद्धि को दर्शाता है। कलकत्ता में कल पेट्रोल की कीमत 23.55 रुपये प्रति लीटर थी और आज वहां इसकी कीमत 27.59 रुपये प्रति लीटर है। इसमें वहां करीब 4.04 रुपये की वृद्धि हुई। मुम्बई में इस की दर 25.79 रुपये प्रति लीटर थी जो आज बढ़कर 30.21 रुपए प्रति लीटर हो गई है। वहां इसमें 4.42 रुपए की वृद्धि हुई *(व्यवधान)*। चेन्नई में इसकी दर 26.79 रुपये प्रति लीटर थी जो आज बढ़कर 31.36 रुपये प्रति लीटर हो गया है। यहां इसमें 4.57 रुपये की वृद्धि हुई है।

यही स्थिति यूरिया की कीमत के संबंध में है। मैं माननीय वित्त मंत्री के सभा में एक वक्तव्य दिया कि इसमें प्रति किलो एक रुपया की वृद्धि होगी। लेकिन वास्तव में 50 किलोग्राम यूरिया के बैग की कीमत 70 रुपये से बढ़ा दिया गया जिसका मतलब यह है कि यूरिया की कीमत में वास्तविक रूप में 1.50 रुपये की वृद्धि हुई है।

सभा को गुमराह करने का यह एक स्पष्ट मामला है। मैं समझता हूं कि यही उचित समय है जबकि वित्त मंत्री को समस्त स्थिति स्पष्ट करना चाहिए या उन्हें इस वृद्धि को वापस ले लेना चाहिए *(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर): महोदय, हमें यह भी बताना है . . . *(व्यवधान)*

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा): आप कृपया मेरी बात सुनिए . . . *(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी: अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के नेता ने एक बहुत ही गंभीर बात का उल्लेख किया है और माननीय वित्त मंत्री असहनशील हो रहे हैं। वित्त मंत्री जी आप कृपया तीन या पांच मिनट इंतजार करें। यह क्या है? . . . *(व्यवधान)* ये कीमतें विभिन्न सरकारी क्षेत्र के उपकमों द्वारा ली गयी हैं।

इन कीमतों को सरकार द्वारा स्वीकृत की गई है। जब वित्त मंत्री यहां और इस सभा के माध्यम से पूरे देश में यहां घोषणा कर रहे थे कि उन्हें प्रति लीटर एक रुपया अधिक देना होगा तब भी प्रत्येक व्यक्ति यह जान रहा था कि अर्थव्यवस्था पर इसका व्यापक प्रभाव पड़ेगा तथा इससे मुद्रास्फिति बढ़ेगी। वास्तव में उन्हें यह समझना चाहिए था कि यह वृद्धि चार रुपये प्रति लीटर से कम नहीं होगी। इसके पीछे उनकी क्या मंशा थी? कुछ ही घंटों के भीतर यह कीमत ली जाने लगी है। यह एक अत्यंत ही गंभीर मामला है। बजट काफी कठिन कार्य होता है और बजट के माध्यम से लोगों के मन में यह बोध नहीं कराया जाना चाहिए कि उत्पाद के रूप में उनसे मात्र एक रुपया लिया जा रहा है जबकि वास्तविकता सामने है। अत:, हम इसका जोरदार विरोध करते हैं और मैं वित्त मंत्री को इसे वापस लेने का सुझाव देता हूं और उचित संशोधन करके इसे सभा और लोगों के समक्ष पेश करें।

अध्यक्ष महोदय: श्री जयपाल रेड्डी, कृपया आप बोलें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

वह क्लौरिफिकेशन देंगे कृपया अपने स्थान पर बैठ जायें।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपने स्थान पर बैठ जायें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैंने केवल श्री जयपाल रेड्डी को बोलने के लिए कहा है। कृपया अपने स्थान पर बैठ जायें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने केवल श्री जयपाल रेड्डी को बुलाया है अब वह इसे स्पष्ट करेंगे। कृपया अपने स्थान पर बैठ जायें।

(व्यवधान)

श्री टी० आर० बालू (मद्रास दक्षिण): महोदय, क्या आप प्रत्येक दल के सदस्य को बोलने का अवसर देंगे।

अध्यक्ष महोदय: मैंने आपका नाम नहीं बुलाया है। मैंने श्री जयपाल रेड्डी को बुलाया है।

श्री टी० आर० बालू: महोदय, हम चाहते हैं कि आप सभी दलों को अवसर प्रदान करें।

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। मैं आपको बुलाऊंगा।

श्री एस० जयपाल रेड्डी: अध्यक्ष महोदय, मुझे यह अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मेरे मित्र श्री यशवन्त सिन्हा को मैं कई वर्षों से जानता हूं। मैंने यह नहीं सोचा था कि वे इतने अविश्वस्नीय होंगे जैसे कि अब दिखाई दिये हैं। मैंने सोचा था कि वे स्पष्ट व्यक्ति होंगे परन्तु बजट में उन्होंने अनेक ऐसे तरीके अपनाये जिनसे उन्हें स्पष्ट नहीं कहा जा सकता हैं। उदाहरण के लिए यूरिया के मूल्य को देखिये। वित्त मंत्री द्वारा दिया गया तर्क यह था कि वे ऐसा यूरिया के मूल्यों को बहाल करने के लिए कर रहे हैं। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। मैंने पहले ही उन्हें अनुमति प्रदान कर दी है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री एस० जयपाल रेड्डी: उन्होंने यहां तर्क ही दिया था। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपना स्थान ग्रहण करें यह केवल स्पष्टीकरण के लिए है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आप कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपनी बात पूरी कीजिए।

श्री एस० जयपाल रेड्डी: यही तर्क था। . . *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया यह बात समझिये कि मैंने उन्हें स्पष्टीकरण मांगने की अनुमति दी है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री एस० जयपाल रेड्डी: यदि यही प्रमुख कारण था तो अध्यक्ष महोदय वे फासफेट उर्वरक के मूल्य में कमी कर सकते हैं। यूरिया के *मूल्य में वृद्धि करने की कोई आवश्यकता नहीं है। फासफेट उर्वरक के मूल्य में कमी करने की आवश्यकता थी। उन्होंने यूरिया पर अतिरिक्त प्रभार के रूप में लगाए जाने वाले उत्पाक शुल्क के बारे में भी सभा को गुमराह किया।

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपना स्पष्टीकरण मांगे। मैंने आपको स्पष्टीकरण मांगने की अनुमति दी है न कि भाषण देने की।

श्री एस० जयपाल रेड्डी: धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय, मैं वित्त मंत्री से अपील करता हूं कि यूरिया और पेट्रोल दोनों के मूल्यां में की गई वृद्धि को वापस ले लें।

अध्यक्ष महोदय: अब मंत्री महोदय उत्तर देंगे।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। मैंने पहले ही तीन सदस्यों को स्पष्टीकरण मांगने की अनुमति दे दी है। कृपया बैठ जायें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री अजीत जोगी (रायगढ़): अध्यक्ष महोदय, सरकार ने पेट्रोल और यूरिया की कीमतें बहुत बढ़ा दी हैं। (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री जोगी, कृपया बैठ जाये।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आप बजट पर चर्चा के दौरान इस पर चर्चा कर सकते हैं। कृपया बैठ जायें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आप ऐसे नहीं कर सकते हैं क्योंकि मैंने पहले ही उन्हें बुलाया है। आप ऐसे नहीं कर सकते हैं। नहीं, नहीं। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। कृपया बात को समझिये।

[हिन्दी]

श्री कांतिलाल भूरिया (झाबुआ): मंत्री जी ने सदन को गुमराह किया है। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैंने पहले ही तीन सदस्यों का स्पष्टीकरण मांगने की अनुमति दे दी है। श्री बालू अपना स्थान ग्रहण कीजिए। यह बजट पर चर्चा नहीं है। मंत्री पहले ही उत्तर दे रहे हैं। मंत्री महोदय क्या आप श्री मुलायम सिंह यादव पर भी मेहरबानी कर सकते हैं।

श्री यशवन्त सिन्हा: मैं वह कहूंगा जो मुझे कहना है और तब आगे स्पष्टीकरण की कोई आवश्यकता नहीं होगी। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप बैठ जाइए। मंत्री पहले ही उत्तर दे रहे हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव (संभल): हमने कल ही कहा था कि यह फर्जी आंकड़ों का बजट है। इससे देश की अर्थव्यवस्था बेकाबू हो जायेगी। *(व्यवधान)**

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव: सरकार को किसान *विरोधी और गरीब विरोधी नीतियों से बने इस बजट के विरोध में, हमारी पार्टी सदन से वाक आउट करती है।

अपराह्न 12.18 बजे

तत्पश्चात् श्री मुलायम सिंह यादव तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गये।

[अनुवाद]

श्री यशवन्त सिन्हा: महोदय मैंने निर्णय लिया है . . . *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रामदास आम्बले (मुम्बई उत्तर मध्य): वित्त मंत्री ने पेट्रोल पर कुल एक रुपया बढ़ाने की घोषणा की थी मगर पेट्रोल के दाम पांच रुपये बढ़े हैं। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: पहले आप उनकी बात सुनें।

श्री यशवन्त सिन्हा: पहले मैं उत्तर दूंगा, तब उस पर कोई प्रश्न नहीं होगा।

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यगण, पहले अपना स्थान ग्रहण कीजिए। श्री जोगी अपने स्थान पर बैठ जांए। कृपया बैठ जांए। कृपया समझिये। माननीय मंत्री महोदय उत्तर दे रहे हैं। यदि आपको कोई स्पष्टीकरण चाहिए तो आप बाद में पूछ सकते हैं।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: मंत्री जी जो कुछ भी कहेंगे उसके अलावा कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं होगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: पहले आप अपना स्थान ग्रहण करें। मंत्री महोदय उत्तर दे रहे हैं। कृपया मेरे साथ सहयोग करें। कृपया अध्यक्ष पीठ के साथ सहयोग करें। वे पहले ही उत्तर दे रहे हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: नहीं, वे पहले ही अपना उत्तर दे रहे हैं, यह क्या है? आप बाद में पूछ सकते हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्री बालू कृपया अपना स्थान ग्रहण करें वित्त मंत्री महोदय को अपना उत्तर पूरा करने दीजिए आप बाद में पूछ सकते हैं। कृपया अपना स्थान ग्रहण करे मंत्री महोदय को अपना उत्तर पूरा करने दीजिए।

(व्यवधान)

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री अजीत जोगी: आप यूरिया के बारे में भी बताइये। .

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री जोगी कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। उन्हें बात पूरी करने दीजिए। प्रो॰ कुरियन कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए, मंत्री महोदय . . . *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। श्री बालू कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए, वे स्पष्टीकरण दे रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री यशवन्त सिन्हा: मैं इस मामले को समाप्त करने के उद्देश्य से विपक्ष के नेता द्वारा उठाये गये प्रश्नों का उत्तर देता हूं। मैंने सोचा कि जब मैं अपना स्पष्टीकरण दे दूंगा तो कोई अन्य प्रश्न नहीं रहेगा। मैं श्री जयपाल रेड्डी के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं कि माननीय सदस्य ने व्यक्तिगत रुप से मुझे सम्मान दिया है। इन वर्षों में जब से मैं उन्हें जानता हूं के दौरान मैं उनको केवल यह आश्वासन देना चाहता हूं कि मैं कभी भी अम्पष्ट नहीं था। न तो मैं आज अस्पष्ट हूं और न कभी रहूंगा। *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव: जब मंत्री जी बोल रहे हैं तो आपको सुनना चाहिए, वहां पर खड़े होकर बीच में बोलना शुरू कर देते हैं। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री यशवन्त सिन्हा: जहाँ तक मोटर स्पिरिट अर्थात् पेट्रोल के मूल्यों का सवाल है, मैंने कल सभा को जो बताया उसी पर कायम हूं। जैसे ही हमे पता चला कि कुछ गलतफहमी है तो हमने तुरन्त पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के साथ विचार विमर्श किया क्योंकि मूल्य ढांचे में उत्पाद शुल्क के अनुरूप इस प्रकार परिवर्तन किया जाना चाहिये था कि उपभोक्ताओं पर राष्ट्रीय विकास निधि के लिए देय। उन के उपकर को छोड़कर कोई अतिरिक्त भार न पड़े तेल और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के साथ चर्चा के पश्चात् केवल 1 रु० की वृद्धि को छोड़कर मूल्यों को सामान्य स्तर पर लाने के लिए आवश्यक निर्देश जारी किए जा रहे हैं। आवश्यक निर्देश पहले ही जारी कर दिये गये हैं। यही बात मैं सभा को बताना चाह रहा था।

[हिन्दी]

श्री अजीत जोगी : आप यूरिया के बारे में भी बताइये *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: उन्हें बात पूरी करने दीजिए।

(व्यवधान)

अपराह्न 12.23 बजे.

तत्पश्चात् श्री रघुवंश प्रसाद सिंह सभा-भवन से बाहर चले गये

श्री यशवन्त सिन्हा: कृपया मुझे बात पूरी करने दीजिए। श्री सोमनाथ चटर्जी आपको धीरज रखना चाहिए। आप इतने वरिष्ठ सदस्य हैं *(व्यवधान)* मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए। मैं आपके प्रश्न का उत्तर देने को तैयार हूं। *(व्यवधान)* मुझे यूरिया के बारे में कुछ कहने दीजिए। मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करुंगा। *(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी: यह सरकार किस प्रकार कार्य कर रही है। *(व्यवधान)*

श्री यशवन्त सिन्हा: मुझे यूरिया के बारे में भी घोषणा करनी है। *(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी: यह सरकार किस प्रकार कार्य कर रही है? *(व्यवधान)*। मुझे कलकत्ता से एक टेलीफोन काल आयी थी *(व्यवधान)* यह सरकार किस प्रकार कार्य कर रही है *(व्यवधान)*।

अध्यक्ष महोदय: उन्हें अपना वक्तव्य पूरा करने दीजिए।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी: उनका इरादा इसमें 1 रु० तक की वृद्धि करने का था और दूसरा मंत्रालय मूल्य में वृद्धि कर रहा है। सरकार इस प्रकार कार्य कर रही है। जहां तक उन लोगों के संबंध में जिन्हें अतिरिक्त मूल्य देने पड़े है सरकारी कंपनियां है जिन्होंने अतिरिक्त धनराशि ली है और सरकार ने क्या स्पष्टीकरण दिया है। *(व्यवधान)*

श्री यशवन्त सिन्हा: जहां तक यूरिया के मूल्यों में वृद्धि का सवाल है सरकार ने पहले ही यह निर्णय ले लिया है कि कल घोषित वृद्धि की आधी कीमत में कमी की जाये और यूरिया के मूल्य में केवल 50 पैसे की वृद्धि होगी। न कि 1 रु० का। मैं यह घोषणा करना चाहता था। *(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी: इसमें विपक्ष के हस्तक्षेप की आवश्यकता है। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: अब हम नियम 377 के अन्तर्गत मामलों पर चर्चा करेंगे।

(व्यवधान)

अपराह्न 12.26 बजे

नियम 377 के अधीन मामले

[हिन्दी]

(एक) मध्य प्रदेश के वनांचल क्षेत्र में वन भूमि के जोतदारों को मालिकाना पट्टा देने हेतु मध्य प्रदेश सरकार के प्रस्ताव को स्वीकृति किए जाने की आवश्यकता।

श्री गौरी शंकर चतुर्भुज बिसेन (बालाघाट): अध्यक्ष महोदय, वन संरक्षण अधिनियम की शक्तियां लागू होने के पश्चात् देश के अनेक राज्यों विशेष तौर पर मध्य प्रदेश के वनांचल क्षेत्र की वह वन भूमि जिस पर आदिवासियों एवं अन्य व्यक्तियों ने कब्जा कर खेती करना प्रारम्भ कर दिया है, ऐसी भूमि के कब्जाधारियों को भूमि स्वामी हक के पट्टे देने का मध्य प्रदेश शासन का निर्णय है। तदनुसार भूमि के आबंटन की अनुमति का प्रस्ताव भारत सरकार के पास स्वीकृति देने हेतु विचाराधीन है। भारत सरकार से अपेक्षा एवं निवेदन है कि अनुमति प्रदान करे।

[अनुवाद]

(व्यवधान)

श्री रूप चन्द पाल (हुगली): उन्होंने ऐसा जान-बूझकर किया है। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैंने नियम 377 के अधीन मामलों के लिए पुकार

लगायी है। शून्य काल भी है। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। शून्य काल भी है। कृपया सहयोग करें।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर): मंत्री ने स्वत: वक्तव्य नहीं दिया है। इस मामले को स्पष्ट करने का उनका दायित्व है। वित्त मंत्री कुछ कह रहे थे और अन्य मंत्रालय कुछ और कर रहे थे और बजट का मजाक बन रहा था। 24 घंटे में बजट *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। मैंने नियम 377 के अधीन मामलों के लिए पुकारा है। मैं आपको इसके पूरा होने के पश्चात अनुमति दूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैं आपको इसके पूरा होने के पश्चात् अनुमति दूंगा।

[हिन्दी]

(दो) उत्तर प्रदेश के उत्तरांचल की वन भूमि को जन साधारण के हित में वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के क्षेत्राधिकार से बाहर रखे जाने की आवश्यकता

श्री बची सिंह रावत 'बचदा' (अल्मोड़ा): अध्यक्ष महोदय, वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्रावधानों के लागू होने से उ० प्र० के उत्तरांचल क्षेत्र में विकास कार्यों के ठप्प होने के साथ-साथ आम नागरिकों का जन-जीवन भी बहुत ही कठिन हो गया है। इस संबंध में उच्चतम न्यायलय के द्वारा रिट याचिका सं० 202 सन् 1995 टी० एन० गोडावर्मन थिरुमलपाद बनाम भारत सरकार एवं अन्य में अंतरिम आदेश दिनांक 12-12-1996 को पारित कर राज्य सरकारों को वन भूमि का पता लगाने व चिन्हित करने का निर्देश दिया गया।

अध्यक्ष महोदय, इस निर्देश को आधार बनाकर उ० प्र० सरकार के वन विभाग द्वारा 17-3-97 को उ० प्र० के पर्वतीय क्षेत्र की ''बेनाम भूमि'' को ''रक्षित वन भूमि'' घोषित कर दिया गया, जिसके कारण उत्तरांचलवासियों के इस बेनाम भूमि में सदियों से विद्यमान गोचर, पनघट, चारा-पत्ती, पत्थर, स्लेट व रेता लेने के परम्परागत उपयोगाधिकारों पर आघात पहुंचा है। इसके परिप्रेक्ष्य में वन विभाग द्वारा आम ग्रामवासियों को पत्थर, रेता, स्लेट लेने, पशु चराने व पानी लेने पर भी रोक लगाई जा रही है। अत: मेरी केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि व्यापक जनहित में उ० प्र० के उत्तरांचल क्षेत्र की वन भूमि को रक्षित वन भूमि की परिधि से बाहर रखा जाए व उत्तरांचलवासियों के परम्परागत उपयोगाधिकारों को पुन: बहाल किया जाए।

[अनुवाद]

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कृपया बात को समझिये। मैंने 377 के अधीन मामलों के लिए कहा है। इसके बाद मैं आपको अनुमति दूंगा। कृपया अपनी सीट पर बैठ जायें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्री टी० आर० बालू, मैं आपको अनुमति दूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैं आपको अनुमति दूंगा। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

श्री एस० जयपाल रेड्डी (महबूबनगर): मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय: आपका व्यवस्था का क्या प्रश्न है?

श्री एस० जयपाल रेड्डी: महोदय, वित्त मंत्री नें . . .

अध्यक्ष महोदय: पहले उन्हें बात पुरी करने दीजिए।

[हिन्दी]

श्री गौरी शंकर चतुर्भुज बिसेन: अध्यक्ष महोदय पहले शोर हो रहा था इसलिए में इसे दुबारा पढ़ना चाहता हूं। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह आवश्यक नहीं है, चिन्ता न करें। यह कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित किया जायेगा, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री एस० जयपाल रेड्डी: अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय: आपका व्यवस्था का क्या प्रश्न है।

[हिन्दी]

श्री दिग्विजय सिंह (बंका): अध्यक्ष महोदय, जीरो ऑवर में प्वाइंट ऑफ ऑर्डर का क्या मतलब है? *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

महोदय, किस नियम के अन्तर्गत, वे व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं? आपकी व्यवस्था क्या है? ये किस नियम के अन्तर्गत बोल रहे हैं? *(व्यवधान)*

श्री एस० जयपाल रेड्डी: अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के नेता द्वारा उठाई गई बात के उत्तर में वित्त मंत्री महोदय ने यूरिया के मूल्य में कमी करने को घोषणा करके अच्छा काम किया है। यदि यही निर्णय है तो उन्हें स्वत: ही वक्तव्य देना चाहिये। वे विपक्ष के नेता द्वारा उठाई गई बात के उत्तर में यह नहीं कह सकते है। सरकार ने स्वत: उत्तर क्यों नहीं दिया है। क्या महोदय मैं यह भी बताऊं कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ जब सरकार ने 24 घंटे के भीतर बजट प्रस्तावों में संशोधन किया हो। *(व्यवधान)*

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा): अध्यक्ष महोदय मैं स्वत: वक्तव्य की तैयारी के साथ आया था परन्तु इससे पहले कि मैं वक्तव्य को पढ़ता विपक्ष के नेता ने यह मामला उठाया था। तो मैंने कहा कि यह वक्तव्य मैंने उनके द्वारा उठायी गई बात के उत्तर में दिया था।

श्री सोमनाथ चटर्जी: अध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री महोदय ने स्वत: वक्तव्य देकर अच्छे व्यवहार का परिचय दिया हैं। क्या वे यह बतायेंगे कि मूल्य में इतनी अधिक वृद्धि किस प्रकार हुई थी? *(व्यवधान)* यह सरकार किस प्रकार कार्य कर रही है? *(व्यवधान)*

श्री यशवन्त सिन्हा: महोदय, हम बजट पर नियमित चर्चा करेंगे और मैं उस चर्चा में उठाये गये सभी प्रश्नों का उत्तर देने को तैयार हूं। *(व्यवधान)*

मेजर जनरल भुवन चन्द्र खण्डूरी (गढ़वाल): अध्यक्ष महोदय नियम 377 के अधीन मामलों के अलावा कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित न किया जाये।

अध्यक्ष महोदय: श्री भेरु लाल मीणा।

श्री वी० शिव शंकर (तेनाली): अध्यक्ष महोदय, मैं बजट के बारे में कुछ कहना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय: इस समय नियम 377 के अधीन मामलों पर चर्चा चल रही है। मैं आपको बाद में बोलने की अनुमति दूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्री भेरुलाल मीणा।

(व्यवधान)

श्री टी०आर० बालू (मद्रास दक्षिण): अध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री कहां जा रहे हैं? वह क्यों जा रहे हैं? *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह ठीक नहीं है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी शामिल नहीं किया जाए।

*(व्यवधान)**

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी: महोदय, विरोध स्वरुप हम सदन से बहिर्गमन कर रहे हैं।

अपराह्न 12.35 बजे

इस समय श्री सोमनाथ चटर्जी तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए।

इस समय श्री मुरासोली मारन और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा-भवन से बाहर चले गए।

श्री पी० शिव शंकर (तेनाली): अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा हमें बोलने की अनुमति न दिए जाने तथा हमारे प्रश्नों का वित्त मंत्री द्वारा स्पष्टीकरण न दिए जाने और सभा से चले जाने के कारण हम विरोध स्वरूप सभा से बाहर जा रहे हैं। यह किसान विरोधी तथा गरीब विरोधी बजट है।

अपराह्न 12.35 1/4 बजे

इस समय, श्री पी० शिव शंकर और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: वित्त मंत्री पांच मिनट में आ रहे हैं।

[हिन्दी]

(तीन) अनुसूचित जनजाति, विशेषकर भील और मीणा समुदाय के उत्थान के लिए राजस्थान सरकार को और अधिक धनराशि उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

श्री भेरुलाल मीणा (सलूम्बर): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए जनजाति विकास उपयोजना विभाग कार्यरत है और सामान्य बजट से 10 प्रतिशत् अधिक इसमें खर्च किया जाता है। इसके बावजूद भी आदिवासी समाज का उत्थान नहीं हो पा रहा है, उनकी स्थिति जहां की तहां है। राजस्थान में खासकर अनुसूचित जनजाति में सबसे अधिक कमजोर वर्ग हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब है। आदिवासी भील मीणा जिनकी आबादी पहाड़ियों में बिखरी हुई है और खेती के लिए इनके पास भूमि नहीं है, ये वन भूमि पर कब्जे करके, उसमें खेती कर अपना गुजारा करते हैं। इस क्षेत्र में उद्योग नहीं है। आदिवासी नवयुवक बेरोजगार भटक रहे हैं। मेरा भारत सरकार से अनुरोध है कि राजस्थान को अधिक धनराशि दी जाए और खासकर भील मीणा आदिवासियों को सिंचाई के साधन जुटाने के लिए योजनाबद्ध कार्य शुरू करवाए जाएं जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार आ सके और बेरोजगारी दूर करने हेतु छोटे-छोटे उद्योग खोले जाएं।

[अनुवाद]

श्री बूटा सिंह (जालोर): महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय: आपके व्यवस्था का प्रश्न क्या है?

श्री बूटा सिंह: महोदय, यह सभा की आज की कार्यवाही से संबंधित है।

अध्यक्ष महोदय: यह किस नियम के अंतर्गत है।

श्री बूटा सिंह: यह नियम 204 के अंतर्गत है जिसमें बजट के प्रस्तुतीकरण का उपबंध है।

महोदय, संसद के बजट सत्र के दौरान लोकसभा में बजट का प्रस्तुतीकरण संसद सदस्यों के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर होता है। लोकसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के अंतर्गत सभा में बजट प्रस्तुत किया जाता है। आज, माननीय विपक्ष के नेता ने, वित्त मंत्री द्वारा कल सभा में बजटीय नीतियों के संबंध में की गई घोषणाओं में गंभीर दुरुपयोग को वित्त मंत्री और सभा के स्थान में लाया जिससे उपभोक्ताओं को एक दिन में करोड़ों रुपये की हानि हुई है। साथ ही, वित्त मंत्री द्वारा दिया गया उत्तर इस सभा के प्रक्रिया तथा नियमों के अनुरूप नहीं है। माननीय वित्त मंत्री द्वारा उत्तर देने के अधिकार तो स्वीकार्य है किंतु पहले उनके द्वारा प्रस्ताव किए जाने तथा बाद में विपक्ष के नेता द्वारा व्यवस्था का प्रश्न उठाये जाने पर उसे वापस लेने का कोई अधिकार नहीं है।

वित्त मंत्री के आज सभा में घोषणा की कि यूरिया की कीमत 50 प्रतिशत से कम कर दी गई है। बजट प्रस्तुत करने का क्या यही तरीका है? कर लगाने तथा वापस लिए जाने की एक प्रक्रिया है। यूरिया की कीमत को कम करने का प्रस्ताव जिस ढंग से वित्त मंत्री द्वारा किया गया है उस पर मुझे गंभीर आपत्ति है। यदि वह यूरिया की कीमत में कल हुई वृद्धि को पूर्णतया समाप्त कर देते तो मुझे खुशी होती। लेकिन उसके लिए कुछ प्रक्रिया का पालन करना होता है।

उन्हें उचित समय पर उस प्रक्रिया का पालन करते हुए और उचित समय पर देश के किसानों को रियायत देनी चाहिए थी। क्या मैं समझू कि इस सरकार को काम करने का एक ही तरीका पता है और वह है दबाव का। चूंकि आज विपक्ष के इसके विरुद्ध आवाज उठायी इसलिए उन्होंने यूरिया की बढ़ी हुई कीमत को 1 रु० से कम करके 50 पैसा कर दिया। वे देश को क्या शिक्षा दे रहे हैं? क्या दिशा दिखा रहे हैं? उन्हें वापस क्यों ले जाना चाहिए? *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री विजय गोयल (चांदनी चौक): उनके कहने के बाद थोड़े ही एनाउंस किया है।

श्री बूटा सिंह: आप बैठिये, आपने सुना नहीं। यह तरीका नहीं है। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

यह कोई तरीका नहीं है। वित्त मंत्री को इसकी आजादी है कि वह कर लगा सकें और उसे वापस ले सकें। लेकिन यह संसद है और यहां प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम है। ऐसा कुछ भी नहीं किया जाना चाहिए जो सभा के नियमों और प्रक्रिया के अनुरूप न हों। क्या मैं वित्त मंत्री

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

से पूछ सकता हूं कि उन पैसों का क्या होगा जो उपभोक्ताओं की जेब से गये हैं? यह करोड़ों का मामला है। कौन इसे वापस करेगा या कौन उस रुपए का उपयोग करेगा?

श्री विजय गोयल: क्या यह व्यवस्था का प्रश्न है?

श्री बूटा सिंह: चूंकि इस सभा में प्रक्रिया का उल्लंघन हुआ है अत: यह व्यवस्था का प्रश्न क्या है। हमें सभा के नियमों और प्रक्रियाओं को बना कर रखना है। मैं विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि माननीय वित्त मंत्री ने नियमों और प्रक्रियाओं के अनुरुप कार्य नहीं किया है। मेरा अनुरोध है कि वह इस बारे में सोंचे तथा उचित समय पर विपक्षी दलों, विपक्ष के नेताओं तथा सत्ता पक्ष में बैठे कुछ सदस्यों द्वारा उठाये गए प्रश्नों का जवाब दें। यह एक बहुत ही गंभीर मामला है। इसे सहज रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। यह सरकार दवाब में काम कर रही है। मेरी इच्छा है कि यह सरकार दवाब में काम नहीं करे। उन्हें इस संबंध में उन्हें स्वत: एक वक्तव्य देना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय: माननीय वित्त मंत्री पहले ही उत्तर दे चुकें हैं।

श्री बूटा सिंह. अत: आपको व्यवस्था देना है। मेरे अनुसार नियमों और प्रक्रियाओं का गंभीर उल्लंधन हुआ है। माननीय वित्त मंत्री ने गलती की है और इसे सुधारा जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय: माननीय वित्त मंत्री पहले ही जवाब दे चुके हैं। वे पांच मिनट में वापस आ रहे हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

(व्यवधान)

श्री एस० एस० जोस (मुकुन्दपुरम): केरल में स्थिति अत्यधिक कठिन है। केरल में बिक्री कर लगाया गया है। . . .*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री ए० सी० जोस कृपया बैठ जाएं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री ए० सी० जोस आप बजट पर चर्चा के दौरान इन सभी विषयों पर चर्चा कर सकते हैं। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री ए० सी० जोस : मैं आपकी आज्ञा की अवहेलना नहीं कर रहा हूं। लेकिन माननीय वित्त मंत्री को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : बजट पर चर्चा के दौरान आप इन मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं। कृपया अपने स्थान पर बैठ जायें। अब श्री जर्नादन प्रसाद मिश्र बोलेंगे।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्री जर्नादन प्रसाद मिश्र के भाषण के अतिरिक्त कार्यवाही वृतान्त में कुछ भी शामिल नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

श्री बूटा सिंह: मैं चाहता हूं कि वित्त मंत्री इसे स्पष्ट करें।

अध्यक्ष महोदय: माननीय वित्त मंत्री ने पहले ही स्पष्टीकरण दे दिया है।

श्री बूटा सिंह: माननीय वित्त मंत्री ने सभा की प्रक्रिया तथा नियमों का पालन नहीं किया है।

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने पहले ही स्पष्टीकरण दे दिया है।

श्री बूटा सिंह : मैं उनकी सहायता करना चाहता हूं। उन्हें बोलने दें। उन्हें सभा की प्रक्रिया तथा नियमों के अनुसार बोलना चाहिए। आप या तो कोई निदेश दें या उन्हें आप से निदेश लेना चाहिए। मुझे आप से निदेश की आवश्यकता है।

अध्यक्ष महोदय: श्री जर्नादन प्रसाद मिश्र अब बोलेंगे।

श्री बूटा सिंह: आप चाहें समय लेलें। यह एक गंभीर मामला है।

अध्यक्ष महोदय: माननीय वित्त मंत्री स्पष्टीकरण देने जा रहे हैं। कृपया अपने स्थान पर बैठ जायें।

श्री ए० सी० जोस: वित्त मंत्री स्पष्टीकरण देने के लिए तैयार हैं।

अध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जायें।

[हिन्दी]

श्री बूटा सिंह: आप नहीं समझते तो मैं क्या करूं। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

प्रो० पी० जे० कुरियन (मवेलीकारा): अध्यक्ष महोदय, आप विपक्ष के सहयोगी के बिना सभा को नहीं चला सकते हैं। आपको सभा चलाने के लिए विपक्षी सहयोग की भी आवश्यकता है . . . *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: प्रो० कुरियन आप बैठ जायें।

(व्यवधान)

प्रो० पी० जे० कुरियन: कृपया मेरी बात भी सुनो *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: वे आ चुके हैं। कृपया बैठ जायें।

(व्यवधान)

प्रो० पी० जे० कुरियन: कृपया मेरी बात भी सुने।

अध्यक्ष महोदय: अब नियम 377 के अधीन मामले चल रहे हैं। कृपया बैठ जायें।

(व्यवधान)

प्रो० पी० जे० कुरियन: जैसा कि मैंने पहले कहा था कि आप ऐसा नहीं समझे कि आप विपक्ष के सहयोग के बिना सभा को चला सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय: प्रो० कुरियन, मैं आपकी बात सुनूंगा। कृपया बैठ जाएं।

(व्यवधान)

श्री ए० सी० जोस: महोदय, मैं आपके निदेश पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहा हूं। लेकिन उनके कार्य करने का यही तरीका है। . . .*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: प्रो० कुरियन आप बात समझने की कोशिश करें।

प्रो० पी० जे० कुरियन: मैं चाहता हूं कि आप हस्तक्षेप करें।

अध्यक्ष महोदय: कृपया समझने की कोशिश करें। उन्हें नियम 377 के अधीन मामले को निपटाने दें। मैं आपको मौका दूंगा। कृपया अपने जगह पर बैठ जायें।

प्रो० पी० जे० कुरियन: आप नियम 377 के अधीन मामले की समाप्ति के पश्चात आप मुझे मौका देंगे।

अध्यक्ष महोदय: हां, मैं दूंगा।

प्रो॰ पी॰ जे॰ कुरियन: ठीक है, मैं सहमत हूं।

रेल मंत्री (श्री नीतीश कुमार): आप भी सभा से बाहर चले गए थे फिर आप यह मुद्दा पुनः क्यों उठा रहे हैं . . . *(व्यवधान)*

श्री ई॰ अहमद (मंजेरी): महोदय, क्या माननीय मंत्री यह चाहते हैं कि हम सभा से बाहर चले जायें। . . . *(व्यवधान)*

श्री ए॰ सी॰ जोस: मंत्री जी, क्या आप चाहते हैं कि हम सभा से बाहर चले जायें। भारतीय जनता पार्टी के काम करने का यही तरीका है . . *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: उन्हें नियम 377 के अधीन मामले को पूरा करने दें।

(चार) राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अविलंब लागू किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री जनार्दन प्रसाद मिश्र (सीतापुर): अध्यक्ष महोदय, देश में गरीबी, कुपोषण से लेकर अन्य सभी सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए प्राथमिक शिक्षा का स्तर ऊंचा होना आवश्यक है, क्योंकि शिक्षा का स्तर किसी भी देश के विकास का मापदंड माना जाता है। शायद इसी वजह से हमारे प्रथम प्रधान मंत्री ने कहा था कि देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती गरीबी, अज्ञानता, बीमारी और असमान अवसरों को खत्म करने की है। इसी वजह से उन्होंने प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य और निःशुल्क रखने का लक्ष्य रखा था किंतु अफसोस है कि आजादी के 50 साल बाद भी लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सका है और विश्व के सब से अधिक 4 करोड़ 24 लाख अशिक्षित भारत में हैं। मेरे विचार से इसका मुख्य कारण स्कूलों के संचालन और प्रबन्धन में स्थानीय समुदायों की भागीदारी का न होना है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में प्रौढ़ शिक्षा की दर 18 प्रतिशत थी जो 1991 में 52 प्रतिशत हो गई। इसी प्रकार 1951 में महिला साक्षरता केवल 9 प्रतिशत थी जो 1992 में 43 प्रतिशत हो गई, किंतु मुझे इन आंकड़ों में भी वास्तविकता नजर नहीं आती, क्योंकि तीन में से एक बच्चा प्राथमिक शिक्षा खत्म होने से पहले ही छोड़ देता है और दो में से एक बच्चे को स्कूल में पीने का पानी उपलब्ध नहीं होता हैं। ग्रामीण इलाके में एक सर्वे के अनुसार पांचवी कक्षा का एक भी छात्र दूसरे दर्जे का हिन्दी और हिसाब में सफल साबित नहीं हुआ। तमिलनाडू में किए गए एक अन्य सर्वेक्षण में चौथी कक्षा के केवल आधे शिक्षक ही चौथी कक्षा के हिसाब के पर्चे के 80 प्रतिशत सही उत्तर दे पाए। ऐसी स्थिति में शिक्षा का स्तर ऊंचा करने की बात दिवास्वप्न सी प्रतीत होती है।

अतः मेरा मानव संसाधन विकास मंत्री जी से यह अनुरोध है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अविलम्ब लागू करें ताकि देश में शिक्षा का स्तर ऊंचा हो सके।

(पांच) चम्बल क्षेत्र की नहरों के आधुनिकीकरण के लिए अधिक आबंटन किए जाने की आवश्यकता

श्री रामनारायण मीणा (कोटा): सिंचित क्षेत्र विकास के लिए भारत सरकार, राज्य सरकारों, देश विदेश की विभिन्न संस्थाओं आदि से प्राप्त राशि के व्यय के बावजूद भी क्षेत्र का अपेक्षित विकास नहीं हो पाने से जन समस्याओं में भारी बढ़ोत्तरी हो गई है। समयबद्ध तरीके से बारी के अनुसार कृषि भूमि को सिंचाई के लिए बाराबंदी प्रणाली से पानी पहुंचाने के नाम पर भारत सरकार से प्राप्त 2 करोड़ 50 लाख रुपये व्यय करने के उपरांत भी खत्म की गई बाराबंदी प्रणाली प्रभावी रुप में लागू की जाना आवश्यक है। मरम्मत एवं निर्माण कार्य घटिया स्तर के प्रतीत होते हैं। नहरी क्षेत्र के अंतिम छोर के ग्रामों में विकास कार्यों की आवश्यकता अधिक है। राजस्थान एवम् मध्य प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों की कृषि भूमि को सिंचित करने वाली चम्बल की नहरों की जर्जर स्थिति हो जाने से अंतिम छोर के खेतों में सिंचाई के लिए समय पर पर्याप्त पानी नहीं पहुंच पाने से हजारों बीघा में खड़ी फसलें प्रतिवर्ष बर्बाद हो जाती है। तीन पानी से पकने वाली गेहूं की फसल को मात्र 1 या 2 पानी मिल पाता है फिर भी पिलाई शुल्क पूरा लिया जाता है। जिस क्षेत्र में पूरा पानी नहीं पहुंच सके उस भूमि की पिलाई राशि खारिज की जानी चाहिए। नहरों की मरम्मत एवम् आधुनिकीकरण से ही समस्या का समाधान हो सकता है। कोटा बैराज से हो रहे 14 क्यूसेक पानी रिसाव को रोकने के लिए बांध की मरम्मत की तत्काल आवश्यकता है। इस वर्ष भी पानी की कमी के कारण टेल क्षेत्र के विभिन्न ग्रामों की हजारों बीघा में खड़ी फसल बर्बाद हो गई है।

अतः अनुरोध है कि इस सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा चम्बल सिंचित क्षेत्र विकास वाली नहरों का सही रख-रखाव एवम् आधुनिकीकरण किया जाए तथा निम्नांकित जनोपयोगी निर्माण कार्यों के लिए धन उपलब्ध करवाया जाए:-

1. पुलिया निर्माण ग्राम मैंडोली तहसील के पाटन।
2. ग्राम लीकरा या जिला बून्दी में सेई नदी पर पुलिया निर्माण।
3. पुल्यिा निर्माण ग्राम बालापुरा (ग्राम पंचायत माल बम्बोरी) तहसील मांगरोल, जिला बारां।
4. पुलिया निर्माण ग्राम रायथल (बून्दी) में छोटाबाई के खाल से प्रतिहारों के कुंए पर जाने वाले रास्ते पर।
5. बांडी का खाल ग्राम छोडेदा, जिला बून्दी पर पुलिया निर्माण
6. ग्राम गवाडी से रायथल के रास्ते पर पुलिथा निर्माण (जिला बूंदी)
7. ग्राम बाजड़ तहसील एवम् जिला बूंदी में रामकिशन मीणा की कृषि भूमि के पास बाजड़ से केशवराय पाटन जाने वाले राज्य राजमार्ग के समीप की ड्रेन पर।

(छह) उत्तर प्रदेश के चैल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में हुए भीषण अग्नि कांड से प्रभावित लोगों को प्रधानमंत्री राहत कोष से धनराशि जारी किए जाने की आवश्यकता

श्री शैलेन्द्र कुमार (चैल): अध्यक्ष महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र (इलाहाबाद) उ॰ प्र॰ में पिछले सप्ताह विद्युत स्पार्क से ग्राम अम्बाई बुजुर्ग ब्लाक कड़ा एवं गढवा (कौशाम्बी) भीतर ब्लाक सिराथू में सैंकडों घर जलकर राख हो गए हैं जिसमें एक लड़की तथा आधा दर्जन मवेशियों की जाने गयी हैं। उक्त अग्निकांड में ज्यादातर मकान अनुसूचित जाति के लोगों के हैं। मैं माननीय प्रधान मंत्री जी से मांग करता हू कि प्रधान मंत्री राहत कोष से आर्थिक मदद कराने की कृपा करें। पीड़ित परिजनों को मुआवजा, नवनिर्मित मकान तथा पेयजल सुविधा के साथ रोज़गार दिए जाए।

[अनुवाद]

(सात) तमिलनाडु में अर्कोनम में नेवल एयर स्टेशन के लिए अपनी अपनी भूमि बेचने वाले लोगों को रोजगार में अवसर नौसेना अधिकारियों द्वारा दिये गये आश्वासन को पूरा किये जाने की आवश्यकता

श्री सी॰ गोपाल (अर्कोनम): अर्कोनम में 'आई॰एन॰एस॰ राजाली' के नाम से 1992 में एक नेवल एयर स्टेशन का उद्घाटन किया गया था। इस स्टेशन के लिए अर्कोनम के आसपास स्थित, सात गांवों की कृषि

भूमि अधिग्रहित की गई थी जिसके लिए ग्रामवासियों को मुआवजे के रूप में बहुत ही कम धन राशि दी गई थी। भूमि अधिग्रहण के समय नौसेना अधिकारियों ने यह आश्वासन दिया था कि प्रत्येक परिवार से एक व्यक्ति को रोजगार दिया जायेगा। परन्तु सरकार ने इस वायदे को पूरा नहीं किया है तथा उन लोगों को रोजगार देने में असफल रही है जिन्होंने नेवल एयर स्टेशन के लिए कम मूल्य पर भूमि बेची है। इसके परिणामस्वरुप लगभग 400 परिवार प्रभावित हुए है।

इसलिए मैं सरकार से उन लोगों को रोजगार के अवसर दिये जाने के वायदे को पूरा करने का अनुरोध करता हूं जिन्होंने नेवल एयर स्टेशन के लिए अपनी भूमि बेची है।

(आठ) नागालैंड से होकर गुजरने वाले ट्रकों को नागालैंड और मणिपुर के सशस्त्र आदिवासी विद्रोहियों से बचाने के लिए सड़क सुरक्षाबल तैनात किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

कुमारी किम गंगते (बाहय मणिपुर): महोदय, मैं सरकार तथा इस माननीय सभा के सदस्यों के ध्यान में यह लाने के लिए और इंतजार नहीं कर सकती। मुझे यह कहते हुए खेद है कि हमने व्यर्थ ही इतना समय बरबाद कर दिया जबकि हमारा देश विभिन्न भागों में कितनी सारी समस्याओं का सामना कर रहा है।

अध्यक्ष महोदय : महोदया, कृपया यह ध्यान कीजिए की आपको केवल अनुमोदित पाठ ही पढ़ना है।

कुमारी किम गांगते : अध्यक्ष महोदय, मैं इस रत रा॰ 39 में नाकेबंदी मुद्दे का नियम 377 के अंतर्गत प्रस्तुत करना चाहती हूं।

नागालैंड और मणिपुर के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 39 से गुजरने वाले वाहनों जिनमें आवश्यक वस्तुएं होती है, का आवागमन अकसर बाधित हुआ है तथा विगत में कई लोगों ने अपनी जानें गवाई है। अब इस मार्ग पर 23 मई से अनिश्चितकालीन आर्थिक नाकेबंदी लगाए जाने से मणिपुर के लोगों का अन्य भागों से जीवन सम्पर्क टूट गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 53 की हालत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 39 से बेहतर नहीं है क्योंकि कुछ समाज विरोधी तत्वों ने इस मार्ग पर अपना नियंत्रण कर रखा है। राष्ट्रीय राजमार्ग 39 पर इस नाकेबंदी के कारण आवश्यक वस्तुओं की कीमतें इतनी बढ़ गई हैं कि एक किलो नमक का मूल्य 25 रुपये हो गया है तथा रसोई गैस, पेट्रोल, मिट्टी का तेल और अन्य आवश्यक वस्तुएं मणिपुर में उपलब्ध नहीं है। यह नाकेबंदी पिछले 15 दिनों से लगा है। मैं सरकार से अनुरोध करती हूं कि मणिपुर के लोगों को इस स्थिति से शीघ्र उबारा जाये तथा आवश्यक वस्तुएं ले जा रहे ट्रकों की सुरक्षा के लिए रेल सुरक्षा उसके आधार पर सड़क सुरक्षा बल का स्थाई रूप से बन्दोबस्त किया जाये।

(नौ) बिहार के मुजफ्फरपुर और वैशाली जिलों में ग्रामीण क्षेत्रों का नियुक्तीकरण किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : महोदय, बिहार राज्य के मुजफ्फरपुर एवं वैशाली के मोतीपुर, कांटी, साहेबगंज सरैया पारू, वैशाली, गोरौल, वेलसर, लालगंज एवं भगवानपुर प्रखंडों का ग्रामीण विद्युतीकरण कार्य के अन्तर्गत सभी गांवों का विद्युतीकरण करने के लिए आर.ई.सी. से योजनायें स्वीकृत हैं।

अत: उक्त सभी गांवों में विद्युतीकरण का कार्यान्वियन शीघ्र कराने हेतु मैं सरकार से मांग करता हूं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री सी॰ पी॰ एम॰ गिरियप्पा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कृपया समझने का प्रयास कीजिए। आपकी ओर से एक माननीय सदस्य नियम 377 के तहत मामला उठा रहे हैं। कृपया उन्हें अपनी बात प्रस्तुत करने का अवसर दें।

अपराह्न 1.00 बजे

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैं आपको अनुमति दूंगा। उन्हें नियम 377 के तहत अपनी बात समाप्त करने दीजिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्री पायलट, कृपया उन्हें मौका दीजिए। मैं आपकी बात सुनूंगा। उन्हें अपनी बात पूरी करने दीजिए। केवल एक ही सदस्य बोलने के लिए हैं।

(दस) बंगलौर से चित्रदुर्ग तक नई सीधी रेल लाईन हेतु शीघ्र सर्वेक्षण कराए जाने की आवश्यकता

श्री सी॰ पी॰ एम॰ गिरियप्पा (चित्रदुर्ग): बंगलौर और चित्रदुर्ग वाया आरासिकेरे बिरुर के बीच वर्तमान रेलवे मार्ग घुमावदार है इसमें ज्यादा समय लगता है तथा यह दैनिक यात्रियों के लिए सुविधाजनक नहीं है। अत: मैंने इस संबंध में सरकार से अनेक अभ्यावेदन किया है। माननीय तत्कालीन रेल मंत्री ने मेरे अभ्यावेदन के जवाब में बंगलौर व चित्रदुर्ग के बीच दावनागेरे तक एक नई सीधी रेल लाइन के सर्वेक्षण के लिए आदेश देने का आश्वासन दिया था परन्तु इस सम्बन्ध में अभी तक कुछ भी नहीं किया गया है। नई रेल लाइन सीधी है और यह चित्रदुर्ग और दावनागेरे पहुंचने से पहले टुमकर, सिरा, हिरीयुर से होते हुए जायेगी तथा इससे 3 घंटे का समय कम होगा और लगभग 75 किलो मीटर दूरी भी कम हो जायेगी। यह चित्रदुर्ग के लोगों की लम्बे समय से चली आ रही मांग है। मैं माननीय रेल मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह बंगलौर और चित्रदुर्ग के बीच नई सीधी रेल लाइन का सर्वेक्षण अविलम्ब करवाये।

[अनुवाद]

श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव (बोलनगीर): मुझे विश्वास है कि सदन हाल ही में उड़ीसा में तापमान के 51 डि॰ से॰ होने से अत्यधिक तक बढ़ने से हुई गर्मी के कारण हुई मौतों से अवगत होगा। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में ही मृतकों की संख्या लगभग 100 थी, 150 कटक में, 130 सम्बलपुर में तथा लगभग 1000 व्यक्ति सम्पूर्ण उड़ीसा राज्य में अधिकतर लोग, जिनकी मृत्यु हुई है, वे समाज के निम्न तबके से थे।

जहां तक मेरे निर्वाचन क्षेत्र का प्रश्न है, जनसंख्या का 39.5 प्रतिशत अनुसूचित जाति एवं जनजाति है तथा जनसंख्या का 92 प्रतिशत व्यक्ति गरीबी रेखा के नीचे जीवन वहन कर रहा है। यही नहीं, पीने के पानी की भी बहुत कमी है। मैं प्रधान मंत्री जी से अपील करना चाहूंगी कि वे मुआवजे के रूप में प्रधानमंत्री राहत कोष से कुछ राशि मेरे जिले तथा राज्य के दलितों तथा गरीबों के लिए जारी करें जैसा की बालासोर और मिदनापुर के मामले में किया गया था।

अध्यक्ष महोदय: वित्त मंत्री उड़ीसा के कृषकों के संबंध में कुछ स्पष्टीकरण देना चाहेंगे।

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा): मैंने पहले ही साफ शब्दों में कहा था जब मैं इस सदन में पहली बार आया था।

[हिन्दी]

मैंने साफ शब्दों में कहा कि जब मैं इस सदन में आया था, हम लोगों ने सरकार से मंत्रणा करके पहले से तय कर लिया था कि जो कल हमने यूरिया की कीमतों में वृद्धि की घोषणा की थी उसको हम आधे से कम कर रहे हैं। . . . *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: उन्हें अपनी बात खत्म करने दीजिए।

[हिन्दी]

श्री यशवंत सिन्हा: अध्यक्ष महोदय, जब बजट पर चर्चा होगी तो मैं इस बात को सदन में साबित करूंगा कि कितना नुकसान उर्वरता का हो रहा है, जो जमीन की फर्टिलिटी है उस पर कितना बुरा असर पड़ रहा है, इसकी चिन्ता हम नहीं कइस चिन्ता की बात कर रहे हैं। आप इस बात को जानते हैं। . . . *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आप यह सब मामले आम बजट पर चर्चा के समय उठा सकते हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

[हिन्दी]

श्री दिग्विजय सिंह (बांका): आप क्या चाहते हैं? (व्यवधान)

श्री राजेश पायलट (दौसा): यूरिया की कीमतों को कम करो। . *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यों, कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

श्री एम॰ सेल्वारासु (नागापट्टीनम): महोदय, कृषक प्रभावित हुए हैं। मंत्री जी को कुछ कहना चाहिए (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कृप्या बैठ जाइए।

(व्यवधान)

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : अध्यक्ष, महोदय मैं इस विषय में कुछ कहना चाहूंगा।

श्री राजेश पायलट: महोदय ऐसा लगता है कि मंत्री महोदय कुछ कहना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय: माननीय मंत्री जी, क्या आप कुछ कहना चाहेंगे?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

(व्यवधान)

श्री अनिल बसु (आरामबाग): **यूरिया का मूल्य मत बढ़ाइए।** *(व्यवधान)*

श्री सोमपाल: यूरिया का मूल्य बढ़ने से क्या प्रभाव पड़ेगा? *(व्यवधान)*

श्री अनिल बसु: यूरिया का मूल्य नहीं बढ़ाया जाना चाहिए। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री अनिल बसु, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

(व्यवधान)

श्री सोमपाल: यदि आप तर्क को समझना ही नहीं चाहते, तो मैं क्या करूं? यदि आप उचित तर्क को सुनने के लिए तैयार ही नहीं हैं, तो संसदीय लोकतंत्र में कोई और तरीका तो है ही नहीं। *(व्यवधान)* पहले मुझे मेरी बात कहने तो दीजिए उसके बाद यदि आप चाहें तो उसे अस्वीकृत कर सकते हैं। *(व्यवधान)*

श्री ए॰ सी॰ जोस (मुकुन्दपुरम): वित्त मंत्री जी हमें सुने बिना ही चले गए। वे बाहर जाने के लिए ज्यादा उतावले थे। उन्हें माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा वापस बुलाया गया था *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री जोस, कृपया उत्तर सुनिए।

(व्यवधान)

श्री पी॰ सी॰ चाक्को (इदुक्की): महोदय, यह उचित नहीं है। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री चाक्को, कृपया पहले उनकी बात सुनिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री खारबेल स्वाई: मिनिस्टर साहब को कोई बोलने नहीं दे रहा है। . . . *(व्यवधान)* यह हमारे साथ न्याय नहीं हो रहा है। *(व्यवधान)* यह आपके बात करने का कोई ढंग नहीं है। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री पी॰ सी॰ चाक्को: उन्हें भी हमारी बात सुनने दीजिए। जब हम अपनी बातें कह रहे थे तो वित्त मंत्री जी बाहर जा रहे थे। *(व्यवधान)* अब वे हमें शिष्टता सिखा रहे हैं। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही वृतांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्री चाक्को, कृपया सुनिए। माननीय मंत्री जी अपनी बात कह रहे हैं। पहले उनकी बात सुन लीजिए। उसके बाद जो आपको कहना हो कहिएगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्री कुरियन, कृपया समझने का प्रयास कीजिए, श्री पायलट ने स्वयं ही कहा है कि मंत्री जी अपना उत्तर दें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्री चाको, मैं आपको भी अवसर दूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: क्या माननीय मंत्री जी कुछ कहना चाहेंगे?

(व्यवधान)

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): अध्यक्ष महोदय, किसानों के साथ बजट में धोखा किया गया है। . . . *(व्यवधान)*

श्री खारबेल स्वाई: पचासों बार वही बात कि धोखा हुआ है, धोखा हुआ है। हमारे मिनिस्टर साहब को कोई बोलने नहीं दे रहा है। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री दिग्विजय सिंह (बांका): महोदय, मेरी व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

श्री दिग्विजय सिंह: अध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। क्या आप आम बजट पर चर्चा की अनुमति प्रदान कर रहे हैं? नियम 207 के अंतर्गत, आप ऐसी अनुमति नहीं दे सकते।

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यों, मंत्री जी उत्तर देने के लिए तैयार हैं। कृपया आप अपनी जगह पर बैठ जाइए। कृपया स्थिति को समझने का प्रयास करें। माननीय मंत्री जी ने कहा है कि वे स्वत: वक्तव्य दे रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री दिग्विजय सिंह: मैं जानना चाहता हूं कि क्या आप चर्चा के लिए अनुमति दे रहे हैं। *(व्यवधान)* उन्हें वह बोलने दीजिए। जब वह विनिर्णय देंगे तो मैं बैठ जाऊंगा।

श्री राजेश पायलट : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी बोल रहे थे।

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मंत्री महोदय, क्या आप उत्तर देना चाहेंगे?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृतांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: कृपया अध्यक्ष पीठ के साथ सहयोग करें।

*(व्यवधान)**

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री सोमपाल: मैं यह कह रहा हूं कि मैं उत्तर देने के लिए तैयार हूं। मैं अपनी टिप्पणी में यूरिया मूल्य वृद्धि के बारे में ही बताऊंगा। . . *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: माननीय मंत्री महोदय अनपूरक उत्तर दे रहे हैं।

श्री सोमपाल: कल माननीय वित्त मंत्री द्वारा घोषित की गई यूरिया मूल्य वृद्धि को पचास प्रतिशत कम किया गया है।

श्री राजेश पायलट: क्या उन्होंने इसकी घोषणा की है?

श्री सोमपाल: उन्होंने इसकी पहले ही घोषणा कर दी है। आपके सदन में आने से पहले उन्होंने इसकी घोषणा कर दी थी। *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

रघुवंश प्रसाद जी, हमने आपको भी खूब देखा है। आप क्यों बिना मतलब बात कर रहे हैं? आप पहले मेरी बात सुनिए। *(व्यवधान)* यह क्या तरीका है? *(व्यवधान)* आप सुनेंगे या नहीं? *(व्यवधान)* आप क्यों ऐसे बात कर रहे हैं। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपनी जगह पर बैठ जाइये।

[हिन्दी]

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह: मैं वित्त मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उन्होंने बजट में खाद के दाम घटाने के लिए कहा था या बढ़ाने के लिए कहा था? *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: मंत्री महोदय उत्तर देने के लिए तैयार हैं। कृपया अपनी जगह पर बैठ जाइये।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: कृपया मंत्री महोदय जो कह रहे हैं उसे सुनें।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: मंत्री महोदय उत्तर देने के लिए तैयार हैं। कृपया उनकी बात सुनें।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपनी जगह पर बैठ जाइये।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह: क्या यह संसदीय प्रणाली और मर्यादाओं के अनुकूल है कि जब आपके निर्देश पर हम बैठ गए तो उधर से सदस्य खड़े होकर संसदीय आचरण और संसदीय मर्यादा का उल्लंघन कर रहे हैं। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृतांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जायेगा।

*(व्यवधान)**

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज): अध्यक्ष महोदय, राजद के नेता को संसदीय प्रणाली में विश्वास नहीं है इसलिए इनको संसदीय प्रणाली पर बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है और न ही कानूनी अधिकार है। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाइये।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह: सारा देश और विदेश जानता है कि उसने चारा चोरी किया है। उन पर जल्दी से जल्दी कारवाई होनी चाहिए। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब हम मद संख्या 18 पर सूचीबद्ध प्रस्ताव को लेंगे। श्री नीतीश कुमार।

(व्यवधान)

श्री ए० एस० जोस: महोदय, यह क्या है, मंत्री महोदय ने उत्तर नहीं दिया है।

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही वृतांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री अजीत जोगी (रायगढ़): रेल मंत्री भी किसान हैं। पहले किसान की बात सुनें। . . . *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह क्या है? मंत्री महोदय उत्तर दे रहे हैं, तो आप उन्हें सुन नहीं रहे हैं। श्री जोगी, कृपया समझिये।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मंत्री महोदय उत्तर दे रहे हैं परन्तु आप उन्हें सुन नहीं रहे हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री अजीत जोगी: आप कैसे किसानों का सामना करेंगे, कैसे गांवों में जाएंगे? *(व्यवधान)* कृषि मंत्री ही बोलेंगे, और कोई नहीं बोलेगा। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री जोगी, कृपया समझिये कि मंत्री महोदय उत्तर दे रहे हैं। आप उनकी बात सुन नहीं रहे हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मंत्री जी चौथी बार उत्तर देने के लिए उठे हैं। कृपया पहले उनकी बात सुनिये।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री चन्द्रशेखर साहू (महासमुन्द): यूरिया घोटाला किसने किया? ...*(व्यवधान)*

श्री अजीत जोगी (रायगढ़): किसानों का गला आप घोटने जा रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री जोगी, यह बहुत अधिक हो गया है।

[हिन्दी]

श्री सोम पाल: वह ठीक कह रहे हैं कि किसानों के नाम पर 133 करोड़ रुपये का झंझट तो है। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री राजेश पायलट: कांग्रेस ने यूरिया घोटाले की जांच करने के लिए हमेशा कहा है। हम इसके पक्ष में है। कृपया जांच कराइए *(व्यवधान)*

श्री अजीत जोगी: क्योंकि आप सरकार में हैं, आप इसके लिए किसी को भी दंड देने के लिए स्वतंत्र हैं। परन्तु किसानों को मत छेड़िये *(व्यवधान)*

श्री के० येरननायडू (श्रीकाकुलम): महोदय, श्री अजीत जोगी किसानों के बारे में बहुत चिंतित हैं। परन्तु यूरिया घोटाले के बारे में उनके क्या विचार हैं? उन्होंने 133 करोड़ रुपये खा लिए हैं और वे *किसानों* के बारे में बातें कर रहे हैं *(व्यवधान)*

श्री अजीत जोगी: महोदय, वे उन्हें बोलने नहीं दे रहे हैं *(व्यवधान)*

श्री राजेश पायलट: यह सत्य है कि उस समय हमारी सरकार थी। हम जांच के विरूद्ध नहीं है। माननीय सदस्य ने यूरिया घोटाले के बारे में बताया है।

महोदय, उन्हें यूरिया घोटाले के बारे में बताया है। यदि आपको याद है, कांग्रेस वालों ने संयुक्त मोर्चा सरकार के शासन के दौरान भी इस मुद्दे को सदन में उठाया था। कृपया इसकी जांच करवाइये और दोषी को दंड दीजिए। हम आज आपको कह रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री येरननायडू, कृपया आप अपनी जगह पर बैठ जाइये।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्री ए० सी० जोस, कृपया बैठ जाइए।

श्री सोमपाल: महोदय, मेरा संक्षिप्त विचार तीन मुद्दों तक ही सीमित है और ये माननीय वित्त मंत्री द्वारा घोषित की गई यूरिया मूल्य वृद्धि के लिए प्रासंगिक हैं।

श्री राजेश पायलट : कृषि मंत्री, क्या आप इससे सहमत हैं?

श्री सोमपाल : मेरे मित्र श्री पायलट आपत्ति कर रहे है। इसलिए, मैं इस पर ध्यान नहीं दे रहा हूं।

एक, मूल्य वृद्धि वापस ले ली गयी है और श्री पायलट के सदन में आने से पहले इसकी घोषणा कर दी गयी है।

श्री राजेश पायलट: हम विरोध कर रहे थे *(व्यवधान)*

---

*कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री सोमपालः महोदय, वे मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं।

अध्यक्ष महोदयः प्रो॰ कुरियन, आप कृपया अपनी जगह पर बैठ जाइये।

श्री सोमपालः यहां केवल तीन अर्थपूर्ण वाक्य हैं। ... *(व्यवधान)*

संसद में सुनने के सिवाय कोई अन्य रास्ता नहीं हैं। ... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः इन्हें पूरा करने दें।

श्री एन॰के॰ प्रेमचन्दन (क्विलोन): वे कई बार बोल चुके हैं। ... *(व्यवधान)* वे उत्तर नहीं दे रहे हैं। वे हमेशा हमें उपदेश देते हैं।

श्री ई॰ अहमद (मंजेरी): हर घटक बोलना चाहता है। कोई भी सुनना नहीं चाहता है। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः कृपया अपनी बात पूरी करें।

श्री सोमपाल : यदि इससे किसानों को कष्ट होता है तो सदस्यों का उत्तेजित होना बहुत स्वाभाविक है।

प्रथम, अन्य उर्वरकों की तुलना में नाइट्रोजन उर्वरकों का विषम उपयोग मूल्य वृद्धि का आधार भूत कारण है।

तीन प्रकार के उर्वरक होते हैं: नाइट्रोजन फासफेट और पोटाशियम। पिछले छः वर्षों के दौरान नाइट्रोजन का उपयोग बहुत अधिक हुआ है। यह एक वैज्ञानिक तथ्य है। *(व्यवधान)*

आपके माध्यम से मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करता हूं कि मेरे तर्क को अस्वीकार करें, प्रति-तर्क प्रस्तुत करें और जो कुछ वे कहना चाहते हैं, कहें। परन्तु कृपया उन्हें कहें कि कम से कम मुझे तो अपना भाषण समाप्त करने दें। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः कृपया अपनी जगह पर बैठ जाइये।

श्री सोमपाल : महोदय, यूरिया की अधिकता के कारण मिट्टी में गंभीर असंतुलन हो जाते हैं। यह मिट्टी रसायन को बदल देता है। यह मिट्टी की संरचना और अवयव को प्रभावित करता है। व्यापक साक्ष्य उपलब्ध हैं जो यह सिद्ध करते हैं कि दीर्घावधि आधार पर यह मिट्टी की उर्वरता को नुकसान पहुंचा रहा है। अगर यह अगले दो दशकों तक और चलता रहेगा तो इसे सुधारा नहीं जा सकेगा। सारी भूमि बंजर हो जाएगी। मैं सभी वैज्ञानिक पैरामीटर बता सकता हूं। परंतु समयाभाव के कारण में विस्तार से नहीं बता सकूंगा।

दूसरी बात वायुमंडल में नाइट्रोजन की अधिकता के कारण हानिकारक कीट पैदा होते हैं जो फसलों को प्रभावित करते हैं।

तीसरा, इसके परिणामस्वरूप वनस्पति की अधिक वृद्धि होती है और खाद्यान्न उत्पादन तथा फल उत्पादन को प्रभावित करती है।

श्री अनिल बसु (आरामबाग): इसलिए आपने कीमत बढ़ाई है।

श्री सोमपालः यह मिट्टी मे पाए जाने वाले कुछ लघु पोषकों को जो कि तीव्र गति से समाप्त हो रहे हैं, को नष्ट करता है। *(व्यवधान)* यह क्या है? *(व्यवधान)*

महोदय, वरिष्ठ सदस्य भी नहीं सुन रहे हैं। ... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री मुरासोली मारन, कृपया अपनी जगह पर बैठ जाइये।

श्री सोमपालः इस धरती पर कोई भी व्यक्ति कृषि के बारे में कहने की हिम्मत कर सकता है परन्तु कम्यूनिष्ट नहीं।

श्री अनिल बसुः आप डराना चाह रहे हैं ... *(व्यवधान)*

श्री सोमपालः कम्यूनिस्ट नहीं जानते कि 'कृषि' क्या है। उन्होंने व्यर्थ में ही रूस को बर्बाद किया ... *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

इतने बड़े देश का नाश कर दिया, अब हमें उपदेश दे रहे हैं। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः मंत्री महोदय, कृपया अपना भाषण समाप्त करें।

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): महोदय, यह बहुत आपत्तिजनक है। कृषि मंत्री ने जो भी कहा है, वह आपत्तिजनक है ... *(व्यवधान)* मंत्री जी का वक्तव्य आपत्तिजनक है। महोदय, इसे कार्यवाही वृतांत से निकाल दिया जाना चाहिए ... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः मैं कार्यवाही वृतांत को देखूंगा और यदि उसमें कुछ आपत्तिजनक हुआ तो मैं इसे निकाल दूंगा।

मंत्री महोदय, कृपया अब आप अपना भाषण समाप्त करें।

(व्यवधान)

डा॰ असीम बाला (लक्षद्वीप) : उन्हें अपने शब्द वापस लेना चाहिए।

अध्यक्ष महोदयः मंत्री महोदय कृपया अपना भाषण समाप्त करें।

श्री सोमपालः महोदय, अत्यधिक वनस्पति के कारण फसलों को बीमारी, वायरल अटैक और फंगल अटैक का खतरा हो गया है।

तीसरा, आर्थिक प्रभाव के बारे में ... *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले (मुम्बई उत्तर-मध्य): अध्यक्ष महोदय, एक मैम्बर का इस तरह से अपमान करना ठीक नहीं है। मंत्री महोदय सदन को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। ... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सोमपाल : मैंने किसी भी माननीय सदस्य का अपमान नहीं किया है ... *(व्यवधान)* सभापटल पर ऐसा कोई वृतांत उपलब्ध नहीं है ... *(व्यवधान)* आप इसकी जांच कर सकते हैं ... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः अगर इसमें कुछ भी आपत्तिजनक हुआ तो मैं इसे कार्यवाही वृतांत से निकाल दूंगा।

श्री सोमपालः यदि मैंने किसी का अपमान किया है तो मैं क्षमा मांग लूंगा।

महोदय, अंतिम बात जो मैं कहना चाहता हूं ... *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रघुवंश प्रसाद सिंहः अध्यक्ष महोदय, कृषि राज्य मंत्री महोदय हमें फर्टिलाइजर की टैक्नौलोजी बता रहे हैं। हमारे देश में हजारों वर्षों से गोबर की खाद खेतों में डलती चली आई है। आप जरा मंत्री महोदय की बात तो सुन लीजिए - ये कह रहे हैं कि यूरिया से फर्टिलिटी घटेगी, इसलिए यूरिया के दाम बढ़ाए हैं - इनकी बात में कोई तर्क नहीं है। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: नहीं, अब कृपया आप बैठ जाइये। कृपया अपनी जगह पर बैठ जाइये।

श्री सोमपाल: महोदय, एक वरिष्ठ सदस्य के लिए जिनका नाम सभापति के पेनल में शामिल है, उनके द्वारा ऐसा बर्ताव करना शोभा नहीं देता। *(व्यवधान)*

महोदय, अंतिम मद जो आर्थिक तर्क है कि इस मामले में किसानों और माननीय सदस्यों का उत्तेजित होना उनका वैध अधिकार है यदि इससे किसानों को कष्ट होता है। मैं यह कहना चाहता हूं कि जब हम कृषि लागत और मूल्य आयोग में लागत की गणना करते हैं तो आदानों में वृद्धि की गणना की जाती है और इसे न्यूनतम समर्थन मूल्य में दर्शाया जाता है। इसलिए, मैं यह कह सकता हूं कि किसानों को कष्ट नहीं होगा *(व्यवधान)* यह एक वैध तर्क है *(व्यवधान)*

श्री राजेश पायलट : मैं आशा करता हूं कि आपने अपना भाषण समाप्त कर दिया है और अब कृपया जो मैं कह रहा हूं उसे सुनें *(व्यवधान)*

श्री दिग्विजय सिंह : महोदय, मैंने व्यवस्था का प्रश्न उठाया है।

[हिन्दी]

श्री अजीत जोगी: अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय किसानों के खिलाफ बात कर रहे हैं। क्या मंत्री महोदय किसानों द्वारा और आत्महत्या कराना चाहते हैं? *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब सदन मद संख्या 18 पद विचार करेगा।

श्री ए० सी० जोस : महोदय, यह अनुचित है *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मद स० 18, श्री नीतीश कुमार।

अपराह्न 1.29 बजे

संसदीय समिति को नियुक्त किए जाने के बारे में संकल्प

[अनुवाद]

रेल मंत्री (श्री नीतीश कुमार): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि यह सभा संकल्प करती है कि भारतीय रेल द्वारा सामान्य राजस्व तथा सामान्य वित्त की तुलना में रेल वित्त से संबंधित अन्य आनुषंगिक मामलों में वर्तमान में देय लाभांश की दर का पुनर्विलोकन करने तथा इस संबंध में सिफारिशें करने हेतु इस सभा के बारह सदस्यों की एक समिति नियुक्त की जाए जिसके सदस्यों का नामनिर्देशन अध्यक्ष द्वारा किया जाए।"

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि यह सभा संकल्प करती है कि भारतीय रेल द्वारा सामान्य राजस्व तथा सामान्य वित्त की तुलना में रेल वित्त से संबंधित अन्य आनुषंगिक मामलों में वर्तमान में देय लाभांश की दर का पुनर्विलोकन करने तथा इस संबंध में सिफारिशें करने हेतु इस सभा के बारह सदस्यों की एक समिति नियुक्त की जाए जिसके सदस्यों का नामनिर्देशन अध्यक्ष द्वारा किया जाए।"

संकल्प स्वीकृत हुआ

अपराह्न 1.29½ बजे

संसदीय समिति में राज्य सभा से अपने सदस्यों को सहयुक्त करने की सिफारिश किए जाने के बारे में संकल्प

[अनुवाद]

रेलमंत्री (श्री नीतीश कुमार): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं।

"कि यह सभा राज्य सभा से भारतीय रेल द्वारा सामान्य वित्त की तुलना में रेल वित्त से संबंधित अन्य आनुषंगिक मामलों में वर्तमान में देय लाभांश की दर का पुनर्विलोकन करने तथा इस संबंध में सिफारिशें करने हेतु संसदीय समिति में राज्य सभा छह सदस्यों को सहयुक्त करने के लिए सहमत होने और नियुक्ति हेतु सदस्यों के नामों की सूचना इस सभा को देने की सिफारिश करती है।"

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है कि

"कि यह सभा राज्य सभा से भारतीय रेल द्वारा सामान्य वित्त की तुलना में रेल वित्त से संबंधित अन्य आनुषंगिक मामलों में वर्तमान में देय लाभांश की दर का पुनर्विलोकन करने तथा इस संबंध में सिफारिशें करने हेतु संसदीय समिति में राज्य सभा छह सदस्यों को सहयुक्त करने के लिए सहमत होने और नियुक्ति हेतु सदस्यों के नामों की सूचना इस सभा को देने को सिफारिश करती है।"

संकल्प स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय: अब हम पद सं० 23 पर आते हैं। श्री एन० भास्कर राव, अपना वक्तव्य शुरू करें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैंने श्री राव को बुलाया हैं। कृपया उन्हें बोलने दे। हम एक महत्वपूर्ण चर्चा आरंभ कर रहे हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: अगला विषय किसानों से संबंधित हैं, आप उस चर्चा में अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं, मैंने श्री राव को बुलाया है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्री नीतीश कुमार, वक्तव्य देंगे।

अपराह्न 1.31 बजे

मंत्री द्वारा वक्तव्य

[अनुवाद]

पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के अलीपुर द्वार मंडल के न्यू कूच बिहार-न्यू बोंगाईगांव खंड के गोसाईगांव-चौतारा ब्लॉक खंड के बीच पर हुआ विस्फोट

रेल मंत्री (श्री नीतीशकुमार): मैं इस सदन को एक दुखद दुर्घटना से अवगत कराना चाहूंगा जो 2.6.98 को लगभग 03.35 बजे पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के अलीपुर द्वार मंडल के न्यू कूच बिहार-न्यू बोंगाईगांव खंड के

गोंसाईगांव-चौतारा ब्लॉक खंड के बीच पुल सं० 237 पर हुए विस्फोट के संबंध में है। यह विस्फोट उस समय हुआ जब अप दिशा में जाने वाली न्यू गुवाहाटी शुगर स्पेशल मालगाड़ी इस पुल पर से गुजर रही थी।

हालांकि मालगाड़ी पटरी पर से नहीं उतरी जोकि अभी भी पुल पर खड़ी है, तथापि विस्फोट से पुल के गर्डरों को बहुत नुकसान पहुंचा है, जिसके परिणामस्वरुप, यह खंड यात्री यातायात के लिए कुछ समय तक बंद रहने की संभावना है। लाइन बहाल करने में कुछ समय लगेगा।

स्थानीय सिविल और पुलिस प्राधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं। मंडल रेल अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए हैं। सभी राहत कार्य जारी है।

पहली नजर में देखने पर यह पता चलता है कि यह विस्फोट एक विस्फोटक उपकरण के जरिए किया गया है। पुलिस से क्लीयरेंस 10.05 बजे प्राप्त कर ली गई है। रेल सुरक्षा विभाग को सतर्कता में तेजी बरतने और सभी रेल संस्थापनाओं पर कड़ी चौकसी रखने के लिए कह दिया गया है।

श्री मनोरंजन भक्त (अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह): क्या कोई मौत हुई थी?

श्री नीतीश कुमार: जी नहीं, वह मालगाड़ी थी।

अपराह्न 1.33 बजे

[अनुवाद]

नियम 193 के अधीन चर्चा

किसानों को उनके कृषि उत्पादों का लाभकारी मूल्य न दिए जाने के कारण देश के विभिन्न भागों में उनके द्वारा की गई आत्महत्या की घटनाएं

अध्यक्ष महोदय: श्री भास्कर राव अपना वक्तव्य जारी करेंगे।

(व्यवधान)

प्रो० पी० जे० कुरियन (मवेलीकारा): हम वित्त मंत्री महोदय से कुछ स्पष्टीकरण चाहते हैं उन्होंने कहा था कि केवल एक रु० प्रति लीटर *(व्यवधान)*

श्री दिग्विजय सिंह (बांका): आप इन्हें उस पर बोलने की अनुमति दें।

अध्यक्ष महोदय: श्री राव के भाषण के अतिरिक्त कुछ भी रिकार्ड में नहीं जाएगा।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: मैंने श्री राव को अनुमति दी है। कृपया आप अपनी सीट पर बैठ जाएं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यों, कृपया सहयोग दें। वह एक वरिष्ठ सदस्य तथा भूतपूर्व मुख्यमंत्री भी है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: हम किसानों के मुद्दे पर चर्चा कर रहे है।

*(व्यवधान)**

*कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय: कृपया आप अपनी सीट पर बैठ जाएं।

*व्यवधान**

अध्यक्ष महोदय: श्री चाक्को, कृपया आप अपनी सीट पर बैठ जाएं। हम नियम 193 के अन्तर्गत किसानों के मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: केवल श्री भास्कर राव का भाषण ही रिकार्ड में जाएगा। अन्य कुछ रिकार्ड में नही जाएगा।

*(व्यवधान)**

श्री ए० सी० जोस (मुकुन्दपुरम): महोदय, वित्तमंत्री हमारी बात नहीं सुन रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय: मैंने आपको अनुमति नहीं दी है।

श्री भास्कराव, अपना वक्तव्य शुरू करें।

अपराह्न 1.36 बजे

[डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय *पीठासीन हुए*]

श्री पी० सी० चाक्को (इदुक्की): सभापति महोदय, कृपया हमारी बात सुनिए। हम एक महत्वपुर्ण मुद्दा उठा रहे है। . . . *(व्यवधान)* माननीय अध्यक्ष ने हमें समय देने का वादा किया था। देश में एक गंभीर स्थिति उत्पन्न हो गई है . . . *(व्यवधान)* वित्तमंत्री महोदय ने इसे बहुत आसानी से बताया है। कल 5 बजे के बाद से आज तक एक तरह की लूट चल रही है। पैट्रोल 4 रुपये महंगा बेचा जा रहा है। माननीय वित्त मंत्री कहते हैं कि उन्होंने पैट्रोल की कीमत मात्र 1 रु० प्रति लीटर बढ़ाई है। आज जब मैं संसद भवन आ रहा था तो मैंने अपनी कार में पैट्रोल भरवाया जोकि 26.77 पै० प्रति लीटर था इस लूट हेतु कौन जिम्मेदार होगा। माननीय वित्त मंत्री कहते है कि वह जानबुझकर नहीं किया गया है। *(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कृपया मेरी बात सुनिए

(व्यवधान)

सभापति महोदय: माननीय अध्यक्ष पीठासीन थे और उन्होंने इस मामले पर निर्णय लिया है। उन्होंने श्री भास्कर का नाम पुकारा है।

(व्यवधान)

श्री पी० सी० चाक्को: मैं इसे एक मिनट में पूरा कर दूंगा। एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया गया है।

[हिन्दी]

सभापति महोदय: बजट डिस्कशन् में आप सारी बातें कह सकते हैं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय: आप सब बजट पर आम चर्चा के समय कह सकते है। आप की समस्या क्या है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय: आपने यह मुद्दा उठाया था, वित्त मंत्री पहले ही उत्तर दे चुके हैं।

(व्यवधान)

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री पी० सी० चाक्को: माननीय अध्यक्ष जी ने हम से वायदा किया था। *(व्यवधान)*

सभापति महोदय: उन्होंने आश्वासन दिया है कि प्रत्येक प्रश्न का उत्तर बजट पर चर्चा के समय दिया जाएगा। यह सब क्या है। यह तो बहुत गलत है। कृपया दूसरों को भी बोलने दें। श्री भास्कर राव।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री अजीत जोगी (रायगढ़) : यह जो कृषि का संबंध है, यह जो यूरिया की कीमत बढ़ाने का संबंध है। *(व्यवधान)*

सभापति महोदय: मैं जानता हूं। माननीय वित्त मंत्री महोदय जी ने एश्योर किया है कि वे हर बात का रिप्लाई देंगे।

सभापति महोदय: उनको जो कुछ कहना था कह दिया। उस समय माननीय अध्यक्ष महोदय चेयर पर थे। उनके समय में बात हो चुकी है। मैं श्री एन० भास्कर राव को बुला रहा हूं।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : आपने बड़े जोर से सारा मामला उठाया है वह हाउस के सामने आ गया। कृपा करके दूसरे लोगो को भी बोलने दीजिए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया सहयोग करें। यह सही तरीका नहीं है। कृपया दूसरों को भी बोलने दीजिए।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया अपने अन्य साथियों को भी बोलने दीजिए।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया अपनी सीट पर बैठ जाईये। यह ठीक नहीं है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

सभापति महोदय: कृपया श्री भास्कर राव को बोलने दें।

(व्यवधान)

सभापति महोदय: आप बार-बार इस मुद्दे को उठा रहे हैं।

(व्यवधान)

सभापति महोदय: कृपया दूसरों को भी अपना भाषण देने दीजिए।

(व्यवधान)

सभापति महोदय: इस चर्चा हेतु यह समय नहीं है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय: अब हम नियम 193 के अन्तर्गत चर्चा कर रहे हैं।

(व्यवधान)

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

सभापति महोदय: श्री एन० भास्कर राव।

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है *(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कुछ भी रिकार्ड में नहीं जाएगा।

*(व्यवधान)**

सभापति महोदय : यह शून्य काल नहीं है। यह चर्चा नियम 193 के अंतर्गत है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय: हमने नियम 193 के अधीन चर्चा आरंभ की है। मैंने एन० भास्कर राव को बुलाया है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय: ऐसे काफी अवसर आयेंगे जब आप इस मुद्दे को उठा सकते हैं।

(व्यवधान)

सभापति महोदय: मैंने अनुमति नहीं दी है। श्री भास्कर राव के भाषण के अतिरिक्त कुछ भी रिकार्ड में नहीं जाएगा।

*(व्यवधान)**

सभापति महोदय: माननीय वित्त मंत्री महोदय ने स्पष्ट रूप से सभा को आश्वासन दिया कि वह बजट चर्चा के दौरान हर एक प्रश्न का उत्तर देंगे।

(व्यवधान)

सभापति महोदय: कुछ भी रिकार्ड में नहीं जाएगा।

*(व्यवधान)**

सभापति महोदय: यह तरीका सही नहीं है। कृपया आप दूसरे सदस्यों के लिए सफाई न दें।

(व्यवधान)

सभापति महोदय: हम नियम 193 के अंतर्गत किसानों द्वारा की गई आत्महत्या के मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। आप अपनी बात कह चुके हैं। उन्हें भी अपनी बात कहने दें। कृपया सहयोग दें।

सभापति महोदय: श्री बसुदेव आचार्य, आप इस सभा के वरिष्ठ सदस्य हैं। कृपया सहयोग करें।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: हम सहयोग दे रहे हैं।

सभापति महोदय: हम नियम 193 के अधीन किसानों के मुद्दे की चर्चा कर रहे हैं।

(व्यवधान)

सभापति महोदय: कृपया अपने साथियों को बोलने दीजिए।

(व्यवधान)

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

सभापति महोदय: कृपया अपनी सीट पर बैठ जाएं।

(व्यवधान)

श्री नादेन्दला भास्कर राव (खम्माम): अध्यक्ष महोदय, कल मैं कह रहा था कि देश में किस तरह से किसान कठिनाइयों का सामना कर रहे थे। किसान भारतीय अर्थ व्यवस्था की रीढ़ है उनकी अवहेलना की जाती है उन्हें अनदेखा किया जा रहा है तथा यहां तक कि उन्हें धोखा भी दिया जा रहा है। कल मैंने यही कहा था। सरकारी ऋण अभिकरण उदार आर्थिक नीति नहीं प्रस्तुत कर रहे हैं। उनकी प्रक्रिया बहुत जटिल है किसान सरकार की ऋण एजेन्सियों से ऋण प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं।

इस तरह से किसानों को मजबूरन गैर सरकारी उधारदाताओं के पास जाना पड़ता है तथा गैर सरकारी ऋणदाता उनको अपने ही तरीके से ऋण देते हैं। विशेषकर आन्ध्रप्रदेश में कपास उत्पादकों, ने अपने ऋण जिन्हें वे चुका नहीं पा रहे हैं, के कारण उन्होंने निजी ऋणदाताओं से लिया है, आन्ध्रप्रदेश में लगभग तीन सौ किसान मर गए हैं।

महोदय, हर एक किसान जो मर गए हैं के परिवार को एक लाख रुपये की अनुग्रह राशि दी गई है। किन्तु वह पर्याप्त नहीं है। एक व्यक्ति जो पूरे देश के लिए फसल को पैदा करता है, को मुआवजे के रुपये मात्र एक लाख रुपया प्राप्त होता है। महोदय मैं मांग करता हूं कि इस धनराशि को एक लाख से बढ़ाकर पांच लाख रुपये कर दिया जाए यही बात मैंने कल भी कही थी तथा मैं आज भी यही कह रहा हूं।

दूसरी बात जो मैं इस सभा की जानकारी में लाना चाहूंगा वह यह है कि सरकार को चाहिए कि वह सभी सरकारी एजेंसियों तथा निजी ऋण दाताओं, जिन्होंने किसानों को पांच या दस या और भी अधिक वर्षों के लिए ऋण दिया है, के लिए एक कर्जा चुकाने की कानूनी मोहलत दें। अन्यथा इस समय किसान ऋण की अदायगी नहीं कर पाएगें तथा आत्महत्याओं को रोका नहीं जा सकेगा। यह जारी रहेगी।

और अब धान के मूल्यों को ही लीजिए, आंध्र प्रदेश में सामान्य किस्म हेतु निर्धारित मूल्य 415 रु० प्रति क्विंटल है तथा उच्च कोटि धान के लिए 445 रु० प्रति क्विंटल गेहूं के मामले में केन्द्रीय सरकार ने गेहूं उत्पादकों को 55 रु० का बोनस प्रदान किया है। परंतु यह लाभ धान उत्पादकों को प्रदान नहीं किया गया है। इसका अभिप्राय यह है कि 75 किस्म की बोरी केवल 332 रु० की होगी। परंतु वह धान भी कोई नहीं खरीदता। पिछले जमा हो रहे धान की मात्रा यहां पर काफी अधिक है। आंध्र प्रदेश के किसानों को सर्वाधिक कष्ट उठाना पड़ रहा है। व्यापारी तथा दलाल भी धान खरीदने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं।

एक छोटी सी कम्पनी जो साबुन बनाती हो, अपने उत्पाद का मूल्य स्वयं निर्धारित कर सकती है परंतु किसान, जो देश के 95 करोड़ लोगों को खिलाने के लिस 19 करोड़ टन खाधान्नों का उत्पादन करते हैं। वे अपने मूल्य निर्धारित नहीं कर सकते। उन्हें लाभकारी मूल्य नहीं मिल रहे हैं। उन्हें बहुत कष्टों से गुजरना पड़ रहा है तथा यही नहीं, एक अन्य समस्या यह भी है कि कोई भी कृषकों के उत्पादकों को उठाने के लिए तैयार ही नहीं है। देश को एक फसल पद्धति की आवश्यकता है।

चूंकि माननीय वित्त मंत्री जी यहां उपस्थित है, मैं उनका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा। देश में कोई फसल पद्धति विद्यमान नहीं है। वह प्रस्ताव जो उन्होंने फसल बीमा के विषय में कल, बजट भाषण के दौरान बताया था, वह एक सफल प्रयास नहीं होगा। उसमें असफलता ही हाथ लगेगी। एक कृषक होने के नाते मैं यह बखूबी जानता हूं। हमने इसे आंध्र प्रदेश तथा अन्य कुछ राज्यों में भी शुरू तो किया था परंतु वह बुरी तरह असफल रहा। राज्यों में यह इसलिए कियान्वित नहीं हो सकता है क्योंकि देश में फसल पद्धति है ही नहीं। अब, माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने बजट में फसल बीमा चालू किए जाने का प्रस्ताव रखा है। परंतु यह केवल कागजों तक ही सीमित रह जाएगा। कृषक इससे कोई लाभ प्राप्त नहीं कर सकेंगे।

मैं, माननीय वित्त मंत्री जी को किसान केडिट कार्ड शुरू करने के लिए बधाई देता हूं। यह एक प्रशंसनीय कदम है। परंतु कार्य पूरा तो अभी भी नहीं हुआ। जब मैं माननीय कृषि मंत्री जी से मिला तो मैंने उनसे यही निवेदन किया था कि इन्श्योरेंस केडिट कार्ड सिस्टम जो अन्य देशों में विद्यमान है, उसे हमारे देश में भी चालू किया जाना चाहिए। ऋण जो कुछ अभिकरणों द्वारा दिया जाता रहा है उसे केवल सुनिश्चित ही नहीं वरन् बीमाकृत किए जाने की भी आवश्यकता है।

यदि कृषक भुगतान करने में असमर्थ हो तो उस राशि का भुगतान बीमा कम्पनी द्वारा किया जाएगा। कृपया इस मामले पर विचार करें। माननीय वित्त मंत्रीजी भी यहां उपस्थित हैं। मैं उनसे अनुरोध करुंगा कि वे किसान केडिट कार्ड के साथ ही इन्श्योरेंस क्रेडिट कार्ड सिस्टम भी आरंभ करें, जिससे कृषकों को लाभ होगा। इससे अन्य देशों में कृषकों को बहुत लाभ हुआ है। अत: आरंभ में इन्श्योरेन्स क्रेडिट कार्ड सिस्टम को छोटे स्तर पर शुरू किया जाए तथा उसके परिणाम देखने के बाद आप उसे सम्पूर्ण देश में लागू करने पर विचार कर सकते हैं। यह मेरा आपसे सविनय अनुरोध है।

आंध्र प्रदेश के कुछ जिलों में कृषकों ने धरना दिया है। वे वर्ष 1970 के विनियम-एक के विरोध में आन्दोलन कर रहे हैं। यह मामला माननीय कृषि मंत्री जी से संबंधित है। 1970 का विनियम-एक वर्ष 1970 में आंध्र प्रदेश में तत्कालीन सरकार द्वारा लागू किया गया था। यह विनियम एक आदिवासी से गैर-आदिवासी और गैर-आदिवासी से आदिवासी को जमीन के अंतरण पर रोक लगाता है। न तो आदिवासी ही अपनी भूमि का अंतरण किसी गैर-आदिवासी को ही कर सकते हैं और न ही कोई गैर-आदिवासी ही अपनी भूमि किसी अन्य गैर-आदिवासी को ही बेच सकता है। यह एक काले कानून है जिसके कारण विकास पूर्णतया रुक गया है, विकास रुक गया है तथा कोई भी उद्योग इस क्षेत्र में आगे नहीं आ रहा है। भद्रचलन तक में श्री राम के मन्दिर की सम्पत्ति भी उस विनियम के अधीन आ रही है। वे अपनी सम्पत्ति नहीं बेच सकते। वे उसकी अदला-बदली भी नहीं कर सकते। अपनी ही भूमि के विषय में वे कोई भी निर्णय नहीं ले सकते। यह जो स्थिति है। राज्य सरकार भी इस विनियम के बारे में कुछ नहीं कर सकती।

यह मामला केन्द्र के साथ साथ राज्य से भी संबंधित है। यह मामला विधान द्वारा नियंत्रित नहीं हो सकेगा। इसे राष्ट्रपति जी के निदेश के तहत जारी किया गया है। केन्द्र तथा राज्य सरकार को एक साथ बैठकर यह निर्णय लेना चाहिए कि विनियम को संशोधित किया जाए अथवा समाप्त कर दिया जाए। ऐसे में भी आत्मघाती समस्या सामने आ रही है।

मैंने ऐसे कई इलाकों, जहां किसानों ने धरना दिया हुआ है, का दौरा किया। फसल तो उगाई गई थी परंतु उसे कोई और ही ले गया। उन क्षेत्रों में कोई कानून और व्यवस्था नहीं है। आदिवासी फसल ले जाते हैं तथा गैर-आदिवासियों को नुकसान उठाना पड़ता है। इस तरह, कृषकों को कष्ट उठाना पड़ रहा है। कृषकों का इस विनियम से कोई लेना-देना नहीं है। परंतु राज्य सरकार ने इसे जारी कर दिया था। वे कृषकों को उकसाते हैं। वे उनके रास्ते में आ रहे हैं। केन्द्र तथा राज्य सरकार को एक साथ बैठकर इस मामले के विषय में कुछ करना चाहिए अन्यथा आंध्र प्रदेश के इन चार या पांच जिलो के कृषक नुकसान ही उठाते रहेंगे। इन क्षेत्रों में आदिवासी जनसंख्या 20 अथवा 30 प्रतिशत भी नहीं है। फिर भी यह विनियम लागू किया गया। वास्तव में यह विनियम टिक नहीं सकेगा। कुछ अन्य राज्यों में, ऐसे क्षेत्रों में जहां 60 या 70 प्रतिशत जनसंख्या जनजातीय है। ऐसा कोई विनियम लागू नहीं है, ऐसा कोई काला नियम विद्यमान नहीं

[श्री नादेन्दला भास्कर राव]

है। अब चूंकि यह आंध्र प्रदेश में लागू किया गया है, कृषकों को भारी कष्ट उठाना पड़ रहा है। मै माननीय कृषि मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वह इस मामले पर गंभीरता से विचार करें। आंध्र प्रदेश के इन चार या पांच जिलों के कृषक इस विनियम के कारण बहुत कष्ट में हैं। मैं माननीय कृषि मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वह इस मामले पर विचार करें अथवा मुख्य मंत्री जी से बात करें तथा इस विनियम के संबंध में शीघ्र ही कोई कार्यवाही करें।

आम तथा गन्ने के फसल भी प्रभावित हुई है तथा कृषक भी इस कारण बहुत दुःखी है। कृषि मंत्री द्वारा कुछ मुआवजा इन्हें दिया जाना चाहिए।

चेन्नई में कृषकों को मुफ्त बिजली प्रदान की जाती है। पंजाब में भी वे यह लागू कर रहे हैं। वे कुछ अन्य राज्यों में भी इस प्रणाली को लागू करने हेतु विचार कर रहे हैं। इसपर कोई केन्द्रीय कानून क्यों न हो? कृषकों को बिजली मुक्त ही दी जानी चाहिए। आखिर वह सम्पूर्ण देश के लिए इतना उत्पादन करते हैं। कुछ समय पहले तक हम दूसरे देशों से कुछ खाद्यान्न देने के लिए याचना किया करते थे, परंतु अब हम आत्म-निर्भर हैं। कृषक इस देश की इतनी सेवा कर रहे हैं। क्यों न हम उन्हें मुक्त बिजली प्रदान करने पर विचार करें?

एक अन्य चीज यह है कि प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था कि इन सभी बातों के संबंध में विभिन्न राज्यों से एक व्यापक रिपोर्ट मंगवाई जाएगी परंतु ऐसी कोई व्यापक रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। वस्तुतः व्यापक रिपोर्ट देने के लिए ऐसा कोई तंत्र विद्यमान तो नहीं है परंतु फिर भी प्रधानमंत्री जी ने ऐसा वक्तव्य दिया था। कम से कम माननीय कृषि मंत्री ही इस बात का ध्यान रखें।

आखिरी बात यूरिया के विषय में है। मेरे मित्रजन यूरिया के विषय में बहस कर रहे हैं। यूरिया कृषकों के लिए एक अत्यंत आवश्यक सामग्री है। कृपया यूरिया पर से 50 प्रतिशत कर हटाने हेतु विचार करें ताकि सामान्य स्थिति बनी रहे। इसके बाद सदन में इस विषय पर कोई विकट नहीं होगा। मुझे विश्वास है कि माननीय मंत्री जी ऐसा अवश्य करेंगे।

मैं अपना भाषण इन शब्दों के साथ यहीं समाप्त करता हूं।

श्री दिग्विजय सिंह (बांका): सभापति महोदय, आज जिस विषय पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, उस विषय का संबंध न तो किसी दल से है और न किसी सरकार से। अध्यक्ष की कुर्सी से यह बात सही कही गई कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इस विषय पर हमें चर्चा करनी चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि जिस बात पर और जिस विषय पर आज हम चर्चा कर रहे हैं, वह विषय देश की इज्जत को ऊंचा करने वाला नहीं है, बल्कि उससे देश की गरिमा गिरती है। इसकी सफलता या असफलता की चुनौती कोई सरकार या कोई दल स्वीकार नहीं कर सकता, उस चुनौती को स्वीकार करने के लिए पूरे राष्ट्र को एक होना पड़ेगा। आजादी के पचास साल और इन पचास सालों में इस देश का किसान, जो देश की 80 प्रतिशत आबादी का हिस्सा है और खेती पर 80 प्रतिशत लोग निर्भर हैं, उस जमात के लोगों को आत्म-हत्या करने पर मजबूर होना पड़ रहा हो, तो इसमें कहीं-न-कहीं दोष राष्ट्र का है तथा साथ ही जिन लोगों ने इस राष्ट्र को सोच-समझ से आगे चलाने की बात कही है, उनका दोष भी कहीं-न-कहीं है।

महोदय, बीसवीं शताब्दी करीब-करीब अस्ताचल की ओर है। इस बीसवीं शताब्दी में दुनिया को दो ही चीजें देखने को मिली - एक, जिसका नाम है महात्मा गांधी और दूसरा अणु बम का आविष्कार। महात्मा गांधी इस देश में पैदा हुए, इसलिए हम लोगों ने उनको राष्ट्रपिता माना। यह एक अलग कहानी है, लेकिन गांधी की शक्ति के सामने दुनिया की शक्ति नकारा हो गई। इन मजलूमों को, गरीबों को और निहत्थों को महात्मा गांधी ने खड़ा किया और उस असीम शक्ति को पराजित किया, जिसका सूरज कभी डूबता नहीं था। हिन्दूस्तान में उसका सूरज डूबता था, तो अफ्रीका में उसका सूरज उग जाता था। ऐसी बड़ी शक्ति को महात्मा गांधी ने पराजित किया। यह शक्ति दुनिया को अचंभित कर देने वाली शक्ति थी और दुनिया के दूसरे देशों को आजादी इसी परम्परा से मिली। आज दुनिया का सबसे बड़ा शक्तिशाली व्यक्ति, अमरीका के राष्ट्रपति, बिल क्लिंटन, जब दक्षिण अफ्रीका जाते हैं, तो गांधी के पद चिन्हों पर चलने वाले नेलसन मंडेला, जो 27 साल तक जेल में रहे, अपने को रोमांचित महसूस करते हैं और तस्वीर खिंचवाते हैं। यह गांधी जी की शक्ति है और दूसरी शक्ति, परमाणु शक्ति पर सदन में पिछले दिनों बहस हुई। अब यह शक्ति भी भारत में है। इस बात का मैं इस लिए जिक्र कर रहा हूं कि आजादी की ये दो अजूबी चीजें भारत में मौजूद हैं। इस शक्ति से दुनिया भयभीत है और दुनिया इस शक्ति को पहचानती है, लेकिन भारत के इन 80 प्रतिशत लोगों को आत्म-हत्या करने पर मजबूर होना पड़ रहा है। मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि इस असफलता के लिए राष्ट्र को अपनी जिम्मेदारी को लेना पड़ेगा और अध्यक्ष जी की तरफ से दलगत भावना से ऊपर उठकर विचार व्यक्त करने की जो बात कही गई है, उस ओर भी मैं सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं। इस देश में एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों नहीं, रोजाना औद्योगिक नीतियों की चर्चा हम सदन में करते है।

अपराह्न 2.00 बजे

आज तक इस देश में एक भी कोई ऐसी कृषि नीति का विकास हम नहीं कर पाए जिस पर पूरे राष्ट्र की आम सहमति हो। हम कहीं असफल तो रहे। चाहे सरकार में उधर के लोग बैठे हों या इधर के बैठे हों, मैं उसकी चर्चा नहीं करना चाहता। लेकिन क्या यह हमारी जिम्मेदारी नहीं थी, मैं इस संसद से भी पूछना चाहता हूं कि क्या भारत की यह संसद असफल नहीं रही? क्या हम इन सवालों को कभी गंभीरता से उठा सके। जब आत्महत्या होती है, लोग मरते हैं तब हम उन सवालों को संसद के अंदर छेड़ते हैं। भारत की संसद का पूरा का पूरा चरित्र बदलता जा रहा है। फेमा, फेरा, लिब्रलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन पर रोजाना संसद में बहस होती है लेकिन भारत के 80 प्रतिशत लोगों का जिससे रिश्ता है उसकी बहुत कम गुंजाइश संसद में देखने को मिलती है। सरकार के मंत्री, श्री सोमपाल यहां बैठे हुए हैं। वह खुद किसान रहे हैं और किसान हैं। यह किसानों के हमेशा हिमायती रहे हैं। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि अब अगर इस सत्र में संभव न हो तो बाद में कम से कम मामले की गंभीरता को समझने की कोशिश तो करें और जितनी जल्दी हो सके सारे सदन को विश्वास में लेकर जल्द से जल्द राष्ट्र की कृषि नीति को इस संसद में पेश करने की कृपा करें ताकि राष्ट्र के लोगों को लगे कि सरकार, और सरकार से ज्यादा यह संसद इस विषय पर अपनी एक आम सहमति बना पाई है, जिससे इस देश के लोगों का रिश्ता है।

महोदय, यहां राजेश पायलट जी बैठे हैं मैं उनसे भी कहना चाहता हूं। जब मैं सात-आठ साल पहले की भारत के संसद की प्रोसिडिंग्स को देखता हूं उसमें मैं गरीबों की बात को देखता हूं। जब गरीबों की बात होती है तो किसान स्वाभाविक रूप से उससे जुड़ जाता है। यह भारत की संसद का मुख्य मुद्दा पहले रहता था, लेकिन पिछले सात-आठ सालों से इस विषय से धीरे-धीरे अपने को किनारे करते चले जा रहे हैं। इसलिए सोच की प्रवृत्ति में बदलाव की भी मैं आवश्यकता समझता हूं और यह बहस तभी सार्थक हो पाएगी जब हम सब लोग इस बात पर गंभीरता से विचार करें। मैं उनकी डिटेल्स में नहीं जाना चाहता। . . . *(व्यवधान)* आज यह मामला सरकार का नहीं है बल्कि पूरे देश का है, पूरे सदन

का है। जैसे सदन में अध्यक्ष की कुर्सी से इस बात को कहा गया कि इस पर दलगत भावना से ऊपर उठ कर लोग बहस करें। आज जब इस पर चर्चा हो रही है तो मैं कहना चाहता हूं, आज से दो-तीन दिन पहले एक बात राजेश पायलट जी ने कही थी। मुझे खुशी है कि वित्त मंत्री जी ने उस बात को मान लिया, सरकार ने कम से कम एक बार ऐसा किया है जिससे लगता है कि किसानों के प्रति एक सकारात्मक रूप सरकार का है। *(व्यवधान)*

श्री राजेश पायलट (दौसा): हम जो नहीं कर सके उसे आपने किया, इसमें कोई दो राय नहीं हैं। हम अपनी सरकार में बहुत कोशिश करते रहे लेकिन हम नहीं करवा पाए, उसे यशवंत जी ने कर दिया, उनका मैं बहुत आभारी हूं। . . . *(व्यवधान)*

श्री दिग्विजय सिंह: मुझे खुशी है कि आपने यह बात कही, सरकार ने दो दिन के अंदर अपने बजट में मान लिया। मुझे लगता है कि यह एक अच्छी शुरूआत इस देश में किसानों के बारे में हो रही है और इससे एक मौका किसानों को मिलेगा। . . . *(व्यवधान)*

श्री राजेश पायलट: बजट में शुरुआत अच्छी की थी लेकिन साथ-साथ उसको बिगाड़ भी दिया। . . . *(व्यवधान)* यूरिया तथा और भी बहुत सी चीजों के दाम बढ़ा दिए। . . . *(व्यवधान)*

श्री दिग्विजय सिंह: इस तरफ के और उस तरफ के सब लोगों ने कहा कि यूरिया के दामों को कम किया जाए, मुझे लगता है कि इसमें सब की राय एक है। सरकार ने आधे दाम तो कम कर ही दिए हैं। . . . *(व्यवधान)*

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): एक रुपया बढ़ा दिया और आठ आने कम कर दिए, इतना बड़ा किसानों के साथ धोखा किया है। . . . *(व्यवधान)*

श्री दिग्विजय सिहं: सभापति महोदय, मैं आपसे गुजारिश कर रहा था और कृषि मंत्री जी से भी कह रहा था कि एक पहल आज हो रही है और भारत की संसद की आम सहमति से हम सब लोग इस पर बहस कर रहे हैं। इसलिए मंत्री जी को चाहिए कि तत्काल इन बातों के ऊपर ध्यान दें जिससे कृषि नीति के बारे में हम कोई फैसला कर सकें।

दूसरी बात जो मैं कृषि मंत्री जी से अर्ज करूंगा, जो किसान की तात्कालिक समस्या है। किसान फसल पैदा करता है और पैदा करने के बाद बाजार के नियमों से परिचित नहीं रहता है। बाजार अपने तरीके से चलता है और जो बाजार को चलाने वाले लोग हैं उनका हित किसान से कभी सधता नहीं है। इसलिए मैं माननीय कृषि मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार जहां प्रक्योरमेंट के काम को खुद करती है वही दूसरी ओर गांव में ऐसी सुविधा मुहैया करे जिससे किसान अपनी फसल को सुरक्षित रख सके और जब बाजार में सही समय आए, तब वह अपनी फसल को बेच सके। यह काम कृषि मंत्री जी को तत्काल करना चाहिए। अगर ऐसा हो जाए, तभी मुझे लगता है कि किसान के विकास में, उसकी जिंदगी को बेहतर बनाने में हम कोई कारगर कदम आगे बढ़ा सकते हैं। नहीं तो आज जो बाजार की मार की चपेट में किसान हैं उनका भला नहीं होगा। ज्यादातर किसान भोले-भाले हैं, सीधे-सादे हैं। उनको अगर सरकार की तरफ से इस तरह का संरक्षण मिल जाएगा . . *(व्यवधान)* आंध्र प्रदेश की घटना पर आज सारा सदन बहस कर रहा है।

मुझे लगता है कि दो तरह के किसान इस देश में हैं। एक तो उस इलाके का किसान है जिनको किसान के नाम पर फायदा भी ज्यादा मिलता है और जिनकी जिंदगी भी ज्यादा बेहतर है। दूसरे इलाके इस देश में ऐसे हैं जिनमें किसानों की स्थिति बदतर ही नहीं होती गयी है बल्कि वहां पहुंच गया है जहां उनका विश्वास अपने कामों पर नहीं रह गया है। ऐसे एक नहीं 240 जिले इस देश में हैं। ऐसे इलाकों के बारे में एक समुचित योजना बनाने की आवश्यकता है, जिनको रीजनल डिप्राईव इलाका कहते हैं। उदाहरण के तौर पर मध्य प्रदेश का बघेलखंड का इलाका है, जिसमें रीवा से लेकर सरगुजा तक का इलाका आता है, बिहार का पलामू से लेकर भगुआ-जमुइच का इलाका है और उत्तर प्रदेश का मिर्जापुर से लेकर सोनभद्र का इलाका है। भारत सरकार ने इन इलाकों को घोषित कर रखा है कि यहां जो किसान रहेगा वह कभी अपनी खेती को कर नहीं पाएगा। यह फैसला आज नहीं हुआ है। इस बात को 1967 में कहा गया था, जब इस इलाके में अकाल पड़ा था। उसके बाद 1967-68 में कह दिया गया कि पानी की समुचित व्यवस्था इन इलाकों में बरसात से नहीं हो सकती है। मैं कृषि मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि वे इन इलाकों के ऊपर विशेष ध्यान दे और कृषि को पानी देने का जहां तक सवाल है, उस पानी का इंतजाम कृषि मंत्री जी खुद कराएं।

अभी हम आंध्र प्रदेश की घटना के बारे में सुन रहे हैं लेकिन इन इलाकों की घटनाओं का जिक्र भारत की संसद में नहीं हो रहा है तथा देश के अखबार वाले भी नहीं कर पा रहे हैं। इन इलाकों की स्थिति भयानक है। कालाहांडी इसी से जुड़ा हुआ उड़ीसा का इलाका है। आप सभी लोग मयुरभंज-कालाहांडी को जानते हैं जहां सैंकड़ों लोग भूख से आज भी मर रहे हैं। एक तरफ तो आत्महत्याएं हो रही हैं और दूसरी तरफ वहां लोग भूख से मर रहे हैं। हालत आज यह है कि एक ओर किसान अपनी फसल के चलते आत्महत्याएं कर रहे हैं और दूसरी ओर जहां किसान फसल पैदा नहीं कर पा रहे हैं वहां किसान भूख से मर रहे हैं। ऐसी विचित्र स्थिति में, मैं बिना दोषारोपण करते हुए सदन और सरकार से यह अपील करता हूं कि जल्द से जल्द इन सारे सवालों को एकत्र करके, एक कृषि नीति आप बनाएं, ताकि देश का, देश के किसानों का विश्वास सरकार, सदन और राजनीति में फिर से आ सके।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

प्रो॰ प्रेम सिंह चन्दूमाजरा (पटियाला): सर, बहुत ही गंभीर मसले पर बहस हो रही है। किसान की आत्महत्या का जो मामला है, यह केवल किसान का ही नहीं है बल्कि मैं समझता हूं कि यह देश के आम लोगों की आत्महत्या का मामला है, देश की आत्महत्या का मामला है, क्योंकि कृषि पर 70 प्रतिशत लोग निर्भर करते हैं तो दुख की बात है कि जो देश के लोगों का पेट भरता हो, वह खुद भूखा मरता हो, आत्महत्या के लिए मजबूर हो, तो चिंता होना स्वाभाविक है।

इसलिए इस विषय पर सारा हाउस और देश बहुत गंभीर है। मेरे साथी माननीय दिग्विजय जी ने ठीक कहा कि यह मामला पार्टी लाइन से ऊपर उठकर देखा जाए। इसके लिए ठोस नीति अपना कर इसको रोकने के उपाय करने चाहिए। देश की कृषि क्षेत्र की स्थिति को देखने की जरूरत है। किसान आत्महत्या क्यों कर रहे हैं? पुराने समय में कहा जाता था कि "उत्तम खेती मध्यम व्यापार, निखद चाकरी" आज क्या हो रहा है? आज खेती निखद हो गई है। आज किसान की बेटी के साथ कोई रिश्ता करने के लिए तैयार नहीं होता। जो 100 एकड़ भूमि का मालिक है उसके स्थान पर जो नौकरी करता है, उसके साथ लड़की के मां-बाप शादी करते हैं। आज कृषि क्षेत्र की यह दुर्दशा हो गई है। 1997-98 का जो इकोनमिक सर्वे है, उसमें दर्शाया गया है कि कृषि के उत्पादन में 3.7 परसैंट कमी आ गई है। दुख की बात है कि जब देश आजाद हुआ तो जी॰ डी॰ पी॰ में कृषि का शेयर 52.3 परसैंट था। आज वह घट कर 24.7 परसैंट रह गया है जबकि 70 परसैंट लोग कृषि पर निर्भर हैं। ऐसे में किसान आत्महत्या नहीं करेगा तो और क्या करेगा? जब ऐसी स्थिति हो तो हमें इस बारे में सोचना पड़ेगा कि यह क्यों हो रहा है?

[प्रो॰ प्रेम सिंह चन्दूमाजरा]

पहली बात यह है कि पिछले 50 वर्षों में कोई ठोस कृषि नीति ही नहीं बनाई गई। जब कृषि नीति ही न हो तो कृषि पर निर्भर रहने वाले लोग आत्महत्या नही करेंगे तो और क्या करेंगे? पिछले वर्ष रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से एग्रीकल्चर सैक्टर के लिए 18 परसैंट का टारगेट रखा गया था लेकिन 14 परसैंट टारगेट पूरा किया गया। एक्सपोर्ट सैक्टर में 12 परसैंट से 15 परसैंट का प्रावीजन किया गया जबकि उस पर पांच से सात परसैंट लोग ही निर्भर करते हैं। ऐसे में किसान आत्महत्या नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे? जो कृषि इसके लिए गाइडलाइन्स और लक्ष्य निर्धारित किए गए, उनको पूरा करने के लिए किसी सरकार ने आज तक नहीं सोचा। इसलिए आज किसान की ऐसी दुर्दशा हो रही है।

दुख की बात है कि रेन वाटर का मिसयूज होता है। केवल 17 परसैंट रेन वाटर यूज की जाती है। दुख की बात है कि 37 परसैंट जमीन ही इरिगेटेड की जाती है। कम मात्रा में जमीन की सिंचाई होने से फसल कम होती है। इस कारण किसान गरीब होता जा रहा है। उसकी गरीबी का सबसे बड़ा कारण लाभकारी कृषि का न होना है। किसान को लोन लेने के लिए बैंकों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। इसके लिए बैंक के मैनेजर को रिश्वत देनी पड़ती है। आम तौर पर देखने में आया है कि किसान को 20 परसैंट रिश्वत देनी पड़ती है। हमारे वित्त मंत्री और कृषि मंत्री ने थर्ड पार्टी पेमेंट के रुप में नाबार्ड की बात कही थी। नाबार्ड की स्कीम्स सही रूप में इम्प्लीमैंट नहीं होती। किसान एग्रीकल्चरल इम्प्लीमैंट्स के लिए जो लोन लेता है, उस पर भी सेल्स टैक्स लगा दिया जाता है। इसमें उसके 10-12 परसैंट रुपये चले जाते हैं। इस प्रकार उसे 50 परसैंट के करीब रुपया ब्याज और दूसरे खर्चे के रूप में देना पड़ जाता है। आज किसान बहुत ही गरीब होता जा रहा है।

नैचुरल कैलेमिटिज से भी किसान को फसल को नुकसान होता है। उसे 500 रुपए प्रति एकड़ हिसाब से मुआवजा मिलता है। इसमें भी 200-300 रुपए बिचौलिए खा जाते हैं। किसान के पास 200 रुपए ही रह जाते हैं। 200 रुपए से क्या बनता है? यह चीज 1947 से चली आ रही है। इसमें कोई चेंज नहीं आया है।

कृषि उत्पादों के लिए न कोई स्टोरेज फैसिलिटीज हैं, न मार्केट फैसिलिटीज हैं। वाटर लेवल नीचे गिरता जा रहा है। सिंचाई महंगी होती जा रही है। किसान की दशा के बारे में सोचने की जरूरत है। कुछ समय पहले सदन में जो चिन्ता की गई थी वह सही थी और मैं कुछ सुझाव अपनी सरकार को देना चाहता हूं और मुझे इस बात की खुशी है कि जो बजट सरकार की ओर से आया और लोगों की ऐसी उम्मीदें थी ओर हम समझते थे कि पचास वर्षो के बाद जो राष्ट्रीय ऐजेण्डा में कृषि क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया है, उसको अमली जामा पहनाया जाएगा। मुझे खुशी है कि हमारे वित्त मंत्री जी ने प्रधान मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की लीडरशिप में बजट में कृषि क्षेत्र के लिए 58 प्रतिशत वृद्धि की है और मैं समझता हूं कि इससे यह साबित कर दिया कि हमारे प्रधान मंत्री जी जो कहते हैं वह करके दिखाते हैं। जो यूरिया के प्राइस में वृद्धि हुई, वह ऐसा लगता है कि जैसे खीर बनाकर थोड़ी बहुत धूल छिड़क दी। मुझे खुशी है कि वित्त मंत्री ने बहस करने से पहले ही किसानों की भावनाओं को और लोगों की भावनाओं को देखते हुए उस वृद्धि में 50 प्रतिशत की कटौती कर दी है। जो बकाया 50 प्रतिशत रह गया है, जब बजट पर बहस करेंगे तो वह भी उठा देंगे और इसके लिए हम कृषि मंत्री जी पर जोर देंगे। वे किसानों के हितैषी भी हैं और इनके दिल में किसानों के लिए दर्द भी है। . . . *(व्यवधान)* इन्होंने जो तर्क दिया है, मैं उससे सहमत नहीं हूं। अगर यह तर्क है कि बैलेन्स खत्म हो रहा था और नाइट्रोजन से पौल्यूशन फैसला है, फर्टिलिटी पर असर पड़ता है तो मैं कहना चाहूंगा कि पोटाश की कीमतें कम कर दें ताकि बैलेन्स बना रहे। एक तरफ तो हम चिन्ता प्रकट कर रहे हैं कि किसान आत्महत्या कर रहा है और दूसरी तरफ खाद की जो लागत है वह दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और अगर यूरिया महंगा होगा तो किसान जो एक रुपया भी सहन करने को तैयार नहीं है वहां खाद 25 रुपये महंगी हो गई। मैं निवेदन करूंगा कि 25 रुपये प्रति बैग जो बढ़ाया है वह भी खत्म कर दें और अगर बैलेन्स कायम करना है तो दूसरी खाद्य की कीमतें घटा दें या ट्रेडीशनल खाद के इस्तेमाल के लिए लोगों को प्रेरित करें।

कल जाखड़ साहब ने कहा कि मेरे बस की बात हो तो मैं किसानों को मालामाल कर दूं। मैंने कहा कि आपका बस तो हो चुका है। अब हमारे बस की बात है। हम कहते हैं कि फसल का मूल्य निर्धारण करने की नीति बहुत गलत है। ऐग्रीकल्चर प्राइस कमीशन में किसानों के प्रतिनिधियों की डोमिनेन्स होनी चाहिए। कितने दुख की बात है कि दुनिया में किसी भी उत्पाद का मूल्य उसका उत्पादक निर्धारित करता है लेकिन हमारे देश में केवल किसान है जो अपनी फसल का मूल्य निर्धारित नहीं करता। इसको सुधारने का कार्य अभी नहीं हुआ तो कभी नहीं होगा। फसल के मूल्यों को निर्धारित करने के लिए किसानों के रिप्रेजेंटेटिव की डौमिनेन्स उसमें होनी चाहिए और प्राइस इंडेक्स के साथ मूल्य निर्धारित होने चाहिए ताकि लाभकारी मूल्य किसान को मिल सके।

तीसरी बात फसल बीमा योजना की है। हम समझते थे कि यह विशाल रूप में देश में अपनाई जाएगी मगर दुख की बात है कि वित्त मंत्री जी ने जो बजट पेश किया, उसमें सिर्फ 24 डिस्ट्रिक्ट्स तक इसको लिमिटिड रखा है। जब हमारी कार का शीशा टूट जाए, टायर फट जाए, किसी फैक्ट्री में आग लग जाए तो जितना बिल बनता है उतना ही मुआवजा मिल जाता है।

यदि किसान का दस हजार एकड़ का नुकसान हो जाता है तो उसको पांच सौ रुपये मुआवजा मिलता है। पंजाब सरकार ने एक स्कीम सोची है लेकिन वह अभी लागू नहीं हुई है मैं कृषि मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं कि अगर देश भर में फसल बीमा स्कीम सही रूप में लागू हो जाए और इंसटालमेंट मंडी बोर्ड से ली जाए तो हिंदुस्तान का किसान बच सकता है, आत्महत्याएं रूक सकती है। फसल बीमा स्कीम व्यापक रूप से लागू होने से किसान की जो फसल डैमेज होती है उसको भरपाई जो हो सकता है, उसको मुआवजा मिल सकता है।

तीसरी बात मैं इस संबंध में यह कहना चाहता हूं कि जो कर्ज नीति है वह सरल होनी चाहिए। कल वित्त मंत्री जी ने किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में कहा है और यह भी कहा कि रिजर्व बैंक को गाइडलाइंस दे दी है कि ओवरड्यूज का निपटारा सही रूप में करें। यह बहुत अच्छी बात है। पहली बार किसी देश की सरकार ने ऐसा किया है। एक दफा जब मैं पंजाब में मंत्री था जो हम लोगों ने ऐलान किया था कि किसी किसान के हाथ गुट को हथकड़ी नहीं लगेगी या फिर आज श्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने ऐसा फैसला किया है कि किसान को कर्ज वसूली के मामले में जेल नहीं जाना पड़ेगा, यह बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसको थोड़ा सा स्पेसिफिक और इलेबोरेट करने की जरूरत है। किसान केडिट कार्ड तो बन गया, लेकिन उसकी लिमिट क्या होगी, कैसे होगी, वे कहते हैं कि डिजर्विंग केसिज में ऐसा होगा। इस बारे में मैं आपको सुझाव देना चाहता हूं कि एक एकड़ से लेकर पांच एकड़ तक कम से कम एक लाख रुपये की लिमिट होनी चाहिए, पांच एकड़ से लेकर दस एकड़ तक दो लाख रुपये की लिमिट होनी चाहिए और दस एकड़ से आगे पांच लाख रुपये की लिमिट होनी चाहिए। यह सब स्पेसिफिक हो ताकि लोगों को पता चले की आप क्या करना चाहते हैं।

मैं एक और बात कहना चाहता हूं। आज जिस तरह से किसान आत्महत्या कर रहे हैं, उसका कारण यह है कि ब्याज दर बहुत ज्यादा है और कभी-कभी समय पर ब्याज का भुगतान न होने के कारण वह मूलधन से चार-पांच गुना ज्यादा बढ़ जाता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि ब्याज का भुगतान मूलधन से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ऐसी इंस्ट्रक्शंस बैंकों को दी जाएं। मैं समझता हूं तब एक भी किसान आत्महत्या नहीं करेगा। अत: आप इसे लागू कर दें कि मूलधन से ज्यादा ब्याज की रकम नहीं बढ़ेगी। आप थर्ड पार्टी पेमेंट भी खत्म कर दें तो किसान बच सकते हैं। रिजर्व बैंक को जो इंस्ट्रक्शंस दी हैं वे समयबद्ध और स्पेसिफिक होनी चाहिए।

मेरा एक प्वाइंट यह है कि जो वर्षा का पानी है उसका सही रूप में उपयोग करना चाहिए। फसल को सबसे ज्यादा नुकसान फ्लड से ही होता है। मेरी अपनी कांस्टीटुएंसी हरियाणा के साथ पड़ती है। वहां हर वर्ष जो लोग खेती पर इनवेस्टमेंट करते हैं उसको घग्घर, टांगरी और मारकंडा ये तीन नदियां तबाह कर देती है। इसके आगे रोपड़ की कांस्टीटुएंसी है। वहां तीन-चार नदियां हिमाचल प्रदेश से आती है। उनका पानी हमारी धरती की फसलों को खराब कर देता है। इसी प्रकार से सतलुज और व्यास है। मैं चाहता हूं कि इस वर्षा के पानी को कंट्रोल करने के लिए कोई फ्लड कंट्रोल बोर्ड बने और देश को फ्लड प्रूफ कंट्री बनाया जाए, जैसे कि रूस ने बनाया है। इसके लिए डैम बनाये जाएं। पहाड़ों में डैम बन सकते हैं, बहुत थोड़े पैसे में बन सकते हैं और जो पानी रोका जाए उसको सिंचाई के लिए बरता जा सकता है जिससे फ्लड के डैमेज से भी बचा जा सकता है। मैं चाहता हूं कि सरकार इस पर सीरियसली एफर्ट करे तो यह देश भी फ्लड प्रूफ कंट्री बन सकता है। किसान भी आत्महत्या नहीं करेंगे और देश खुशहाल हो सकता है, यदि फ्लड से फसल का डैमेज न हो, अत: इस पर ध्यान देने की जरूरत है।

सभापति महोदय, स्टोरेज फैसिलिटीज की बात भी है। हम जरूर कहते हैं कि यह जिम्मेदारी किसान की है जो अपनी फसल को संभालकर नहीं रख सकता। इसके लिए गावों में ऐसी व्यवस्था की जाए ताकि उनको स्टोरेज पैसिलिटीज मिल सकें। वहां पर गोदाम बनाए जाएं और माल की गारंटी सरकार दे, बैंक दें। 90 प्रतिशत रुपया किसान को दिया जाए और बाकी दस परसेंट बैंक बाद में दे दे। इस किस्म की व्यवस्था बना दी जाए तो ये आत्महत्याएं रुक सकती हैं और किसान आगे बढ़ सकता है।

एक और अहम् मामला सब्सिडी का है जिसके कारण किसान कर्जदार हो रहा है। जो किसानों को सब्सिडी दी जा रही है वह कारखानेदार खा जाते है। जबकि यह किसान के नाम दी जाती है लेकिन लाभ कारखानेदार उठा रहे हैं।

सभापति महोदय, सरकार यूरिया खाद या अन्य खादों पर सबसिडी दे रही हैं, लेकिन यह सबसिडी किसान को नहीं मिल पाती, जो कारखानेदार हैं, वे ही खा जाते हैं। जैसे किसी कारखाने की 10 लाख टन यूरिया पैदा करने की क्षमता है, वह एक लाख टन यूरिया पैदा करता है जबकि कागजों में 10 लाख टन यूरिया का उत्पादन दिखाकर 10 लाख टन की सबसिडी सरकार से ले लेता है जबकि वास्तव में उस कारखाने ने मात्र एक लाख टन यूरिया उत्पादित किया है। इसका परिणाम यह होता है कि जहां एक तरफ सबसिडी से किसान को फायदा होना चाहिए वह नहीं होता वहीं दूसरी ओर कारखाने द्वारा कम मात्रा में यूरिया पैदा करने के कारण यूरिया की शार्टेज हो जाती है और फिर वह ब्लैक में बिकता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि यूरिया के ऊपर दी जाने वाली सबसिडी सीधे किसान को मिले, इस प्रकार की आप कोई व्यवस्था कीजिए। चाहे उसके लिए एक-एक बैग के वाउचर बनाएं जिससे वह जितना खरीदे उतनी उसे सबसिडी दी जाए ताकि भारत सरकार द्वारा यूरिया पर दी जा रही सबसिडी से किसानों को वास्तव में फायदा पहुंच सके। इसी प्रकार से कंज़्यूमर को दी जाने वाली सबसिडी का मिसयूज होता है, वह भी कारखाने वालों को ही मिलती है। कंज़्यूमर को उसका कोई फायदा नहीं होता है।

सभापति महोदय, किसानों के उत्पादन के लिए मार्केट फेसिलिटीज बहुत कम हैं जिसके कारण उसे अपने उत्पादन की सही कीमत नहीं मिल पाती है। किसानों के माल को एफ॰ सी॰ आई॰ खरीदता है। वह किसानों का नाजायज फायदा उठा रहा है। उसमें बहुत घोटाला होता है। किसानों के अच्छे अनाज के कम दाम दिए जाते हैं और यदि भ्रष्ट तरीके अपनाए जाएं, तो खराब माल के भी अच्छे पैसे मिल जाते हैं। एफ॰ सी॰ आई॰ से किसान को कोई लाभ नहीं हो रहा है। किसान का खून मीडिएटर चूस रहा है। जो मिडिलमैन है, वह किसान को भी चूस रहा है और कंज़्यूमर को भी कोई फायदा नहीं होने दे रहा है इसलिए मेरा सुझाव है कि किसानों द्वारा उत्पादित माल को बेचने के लिए मार्किट फेसीलिटीज होनी चाहिए, मार्किट फेसिलिटी एक्सप्लोर करनी चाहिए। एक्सपोर्ट करने के लिए मार्केट तलाशना चाहिए तथा इसके लिए उन्हें प्रेरित करना चाहिए।

सभापति महोदय, आपको विदित ही है, हमारे देश की कृषि में किसी न किसी चीज का उत्पादन ज्यादा हो जाए, तो उसे खपाने की कोई व्यवस्था नहीं है। आपने पिछले साल आलू की दुर्गति देखी। उससे पहले प्याज खराब हुआ और अब चीनी का यह हाल है। यह सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि किसानों के माल को बेचने के लिए प्रापर मार्केट फेसिलिटी नहीं है। इसलिए ऐसी मार्केट फेसिलिटी उपलब्ध करानी चाहिए जिससे किसानों को अपने उत्पादन का सही मूल्य मिल सके।

सभापति महोदय, हमने अभी तक सुना है कि कर्नाटक, आन्ध्रप्रदेश, उड़ीसा में ही किसानों ने आत्महत्याएं की हैं, लेकिन अब हमें सुनाई पड रहा है कि पंजाब में भी किसान आत्महत्या कर रहे हैं, जबकि पंजाब में हमारी सरकार है। अकाली दल और बी॰ जे॰ पी॰ की सरकार है। पंजाब सरकार ने किसानों को सबसे ज्यादा फेसिलिटीज दी हैं। पंजाब की सरकार ने किसानों को मुफ्त बिजली दी है। इतनी सुविधाएं पंजाब सरकार द्वारा किसानों को दिए जाने के बाद भी वहां किसान सुसाइड करने लग गए हैं। इसलिए जहां-जहां सुसाइड हुए हैं उनकी जांच की जाए। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि पार्लियामेंट के सदस्यों की एक समिति बनाई जाए जो उन सब एरियाज की जांच करे जहां किसानों ने सुसाइड किए हैं क्योंकि अखबार में जो समाचार आते हैं वे परस्पर विरोधी होते हैं। इसलिए वास्तविकता का पता लगाना चाहिए और उन कारणों को खोजा जाना चाहिए तथा उनका समाधान निकालने के लिए सरकार को सुझाव देने चाहिए जिनको सरकार ईमानदारी से माने और उन्हें लागू करें।

सभापति महोदय, अन्त में, मैं यह कहते हुए अपना भाषण समाप्त करूंगा कि इस जांच समिति की घोषणा माननीय कृषि मंत्री जी द्वारा अभी की जानी चाहिए जिससे कि जो स्टेटमेंट वे हाउस में देने वाले हैं, उसमें तरमीम हो सके।

श्री रामानन्द सिंह (सतना): सभापति महोदय, हमें बता दिया जाए कि हमारा नाम बोलने वालों की लिस्ट में है कि नहीं। यहां से काफी लोग चले गए हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि जो वक्ता है, वही यहां बैठे हैं।

सभापति महोदय: श्री रामानन्द सिंह जी कृपया आप बैठिए। आपको भी समय मिलेगा।

श्री नकली सिंह (सहारनपुर): सभापति महोदय, कृपा करके हमें भी बोलने के लिए समय दिया जाए।

सभापति महोदय: श्री नकली सिंह जी, बैठिए। आपको भी बोलने के लिए समय दिया जाएगा।

श्री एस॰ सुधाकर रेड्डी (नालगोंडा): महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस वाद-विवाद में बोलने का अवसर प्रदान किया। माननीय संसद सदस्यों ने देश के विभिन्न भागों तथा आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र

[श्री एस० सुधाकर रेड्डी]

के विदर्भ क्षेत्र तथा कर्नाटक तथा पंजाब में कृषकों की शोचनीय दशा के बारे में विचार व्यक्त किये। किसानों द्वारा आत्म हत्याएं किए जाने के समाचार मिले हैं। कल शाम प्राप्त सूचना के अनुसार इस वर्ष इस मौसम में आंध्र प्रदेश में 357 किसानों ने आत्म हत्याएं की हैं। स्वतंत्रता के बाद देश में ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण तथा अभूतपूर्व घटनाएं हैं।

यह केवल कृषकों के लिए लाभकारी मूल्यों का ही सवाल नहीं है। बेशक यह मुख्य मामलों में से एक है। परंतु मैं सदन को यह बताना चाहूंगा कि आंध्र प्रदेश के मामले में मुख्य समस्या किसानों के सिर पर अत्यधिक ऋण का होना है। आंध्र प्रदेश में किसानों के सिर पर करोड़ों रुपये का ऋण है। जो ऋण सहकारी समितियों तथा वाणिज्यिक बैंकों द्वारा मंजूर किया जाता है वह बहुत ही अपर्याप्त होता है तथा किसानों को निजी महाजनों के पास जाना पड़ता है जहां उन्हें कर्ज पर बहुत अधिक ब्याज देना पड़ता है।

मैं यह बताना चाहूंगा कि आधुनिक कृषि, पूंजीवादी कृषि, मैं अधिक निवेश की आवश्यकता होती है। कृषि की आधुनिक तकनीकियां के कारण, खाद तथा कीटनाशकों के उपयोग के कारण कृषित्तर व्यय वर्ष प्रति वर्ष बढ़ता ही जा रहा है। यदि फसल ठीक हो तथा यदि मूल्य भी लाभकारी हो तो कृषकों को अच्छा लाभ हो सकता है। दूर्भाग्यवश 1997-98 में फसल मौसम के दौरान बहुत कम बारिश हुई। जो थोड़ी बहुत फसल हुई वह भी बाद में बेमौसम की बारिश के कारण नष्ट हो गई। कई लाख एकड़ भूमि को खाली ही छोड़ दिया गया था। इस वर्ष कोई जोताई नहीं की गई, और कुछ लाख एकड़ भूमि पर फसल बेमौसम की बारिश तथा किसानों को उपलब्ध कराए गए नकली कीटनाशकों तथा घटिया उर्वरकों के कारण नष्ट हो गई। अत: यह सबसे अधिक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है जिसके कारण कृषकों को अत्यधिक कष्ट से गुजरना पड़ रहा है।

इन सब बातों के अलावा, इस वर्ष कपास उत्पादकों को काफी हानि उठानी पड़ी है क्योंकि केन्द्र सरकार की खुले सामान्य लाइसेंस की प्रणाली के अंतर्गत कपास का आयात किया गया जबकि इसकी आवश्यकता ही नहीं थी, जिसके परिणामस्वरूप कपास के मूल्य गिर गए। केवल कपास उगाने वाले किसानों को ही नहीं, तम्बाकू, ज्वार तथा रेंडी उगाने वाले किसानों को भी काफी हानि उठानी पड़ी क्योंकि उपज बहुत कम थी तथा किसानों को उनकी उपज के लाभकारी मूल्य भी नहीं मिले। अत: इन परिस्थियों में कृषकों के लिए अन्य कोई मार्ग था ही नहीं। बैंको ने उन्हें ऋण देने से इंकार कर दिया था तथा निजी महाजन उनपर ऋण का भुगतान करने के लिए दबाव डाल रहे थे। उद्योगपतियों तथा अन्य लोगों के लिए ऋणों के भुगतान को स्थगित करने की मांग करने जैसे अन्य बहुत से तरीके थे। परंतु किसान स्वाभिमान से ऋण चुकाने में असमर्थ थे, तथा उन्हें कोई दूसरा रास्ता भी नहीं दिखाई दिया और अंतत: वह आत्महत्या करने पर मजबूर हो गए। वह सर्वाधिक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। वह कोई समस्या का हल तो नहीं है। परंतु अब सरकार को किसानों की सहायता करनी चाहिए और उन्हें सभी तरह की मदद देनी चाहिए ताकि उनमें भरपुर आत्मविश्वास भर सके।

आंध्र प्रदेश सरकार ने उन कृषकों, जिन्होंने आत्महत्या की थी, के लिए एक लाख रुपए की अनुग्रह राशि का एलान किया है। परंतु कई किसान उन किसानों के बारे में पूछ रहे हैं जो जीवित हैं। वे पूछ रहे हैं कि क्या जीवित कृषकों को अपने परिवारों के लिए एक लाख रु० का मुआवजा लेने हेतु आत्महत्या करनी पड़ेगी। कोई भी अपने परिवार के लिए 1 लाख हेतु आत्महत्या तो नहीं करेगा। परंतु आंध्र प्रदेश की सरकार ने प्रति हैक्टेयर 1250 रु० की धनराशि का जो मुआवजा देने का प्रस्ताव किया है वह फसल की क्षति को देखते हुए बहुत अपर्याप्त है तथा कृषक महसूस कर रहे हैं कि राज्य सरकार तथा केन्द्र सरकार दोनों ही इन विकट परिस्थितियों में कृषकों को इस समस्या से उबारने में पर्याप्त सहायता नहीं कर रही है।

महोदय, मुझे लगता है कि इस उदारीकरण की नीति के कारण भारतीय कृषक बहुत ही गंभीर परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं। कुछ दशक पहले, हमने सुना था कि यूरोपीय समुदाय के देशों के कृषकों का दिवाला निकल गया था। इन देशों में से प्रत्येक देश में से लाखों कृषक कृषि व्यवसाय से बाहर हो गए थे।

वे दिवालिया हो गये और उन्होंने दूसरे धन्धे अपना लिए। अब हरित कांति के बाद, आंध्रप्रदेश और बहुत से अन्य स्थानों पर किसान एक नई प्रकार की खेती करने का प्रयास कर रहे हैं। दुर्भाग्यवश लाखों किसान बर्बाद हो गये हैं।

वे दिवालिया हो रहे हैं। उनमें से अधिकांश अपनी जमीन छोड़कर शहरों में रिक्शा चलाने अथवा कृषक मजदूर के रूप में काम करने के लिए आ रहे हैं। दुर्भाग्यवश, उर्वरकों के मूल्यों में हर वर्ष वृद्धि हो रही है। आज भी हमने यूरिया मूल्य वृद्धि के बारे में सुना है। यह किसान वर्ग पर एक और बोझ है। हमने यूरिया मूल्य वृद्धि के बारे में कृषि मंत्री के वैज्ञानिक स्पष्टीकरण को सुना है।

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): यह एक आर्थिक स्पष्टीकरण है।

श्री एस० सुधाकर रेड्डी: यह आर्थिक स्पष्टीकरण भी हो सकता है। कृषि मंत्री कह रहे थे कि लाभकारी मूल्य में उर्वरक मूल्य वृद्धि भी शामिल हो जाएगी। क्या ऐसे कल तक हुआ था? नहीं हुआ था। कृषि संबंधी मूल्य बहुत कम थे। पिछले दस वर्षों में कपड़े के मूल्य में बीस गुना वृद्धि हुई है जबकि कपास का मूल्य केवल दोगुना बढ़ा है। सिगरेट के मूल्य में बीस गुना वृद्धि हुई है जबकि तम्बाकू के मूल्य में केवल दोगुनी वृद्धि हुई है। इसके पीछे तर्क क्या है? फसलों के मूल्यों का निर्धारण करते समय कृषि से पैदा की जाने वाली वस्तुओं के मूल्यों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। यह खेद जनक है कि सरकार इन गंभीर समस्याओं की ओर ध्यान नहीं दे रही हैं। मुझे यह जानकर खेद हुआ कि खेती बर्बाद होने के कारण पूरे देश में किसान आत्महत्या कर रहे हैं और सरकार ने यूरिया के मूल्य में वृद्धि कर दी है। लोगों को विश्वास दिलाने के लिए आर्थिक और वैज्ञानिक स्पष्टीकरण दिये गये हैं। यह किसी भी तरह संतुष्ट करने लायक नहीं है। यहां मैं यह कहना चाहता हूं कि वाणिज्यिक बैंक कृषि क्षेत्र को कम प्राथमिकता दे रहे हैं। इसे बदल दिया जाना चाहिए।

मैं यह अनुरोध करता हूं कि कृषि मंत्रालय को चाहिए कि वह सभी मध्य संगठनों को समाप्त करने के लिए बड़ी गंभीरता से विचार करें। किसानों को सहकारी समितियों से पांच प्रतिशत से कम ब्याज दर पर ऋण प्रदान करने की प्रणाली होनी चाहिए। ऋण की राशि को भी बढ़ाया जाना चाहिए। राजसहायता कटौती को वापस ले लेना चाहिए। उर्वरकों के मूल्यों को कम किया जाना चाहिए ताकि मूल्य वृद्धि को वापिस लिया जा सके। उर्वरक ऐसे मूल्य पर उपलब्ध कराया जाना चाहिए जिसे किसान अदा कर सकें। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आंध्र प्रदेश और अन्य राज्यों में आत्म हत्या के कारणों का पता लगाने के लिए कृषि मंत्रालय को चाहिए कि वह एक समिति नियुक्त करें। इससे पहले पंजाब और हरियाणा में किसानों द्वारा की गई आत्महत्याओं की जांच एक विशेषज्ञ समिति ने किया था। आंध्र प्रदेश में होने वाले इतनी अधिक आत्महत्याओं की जांच करने के लिए एक ऐसी ही समिति होनी चाहिए। इस समिति को चाहिए कि वह किसानों की ऋण ग्रस्तता का अध्ययन करे और उपचारात्मक उपाय भी सुझाए। ऋण प्रणाली को पूर्ण रूप से बदल दिया जाना चाहिए। किसानों को कम ब्याज दर पर नए ऋण उपलब्ध कराये जाने चाहिए। मैं मांग

करता हूं कि छोटे और सीमान्त किसानों के सभी ऋणों को माफ कर दिया जाए जिससे कि वे ऋण के बोझ से मुक्त हो सकें। मध्य वर्गीय किसानों और अन्य किसानों से वसूल किये जाने वाले ब्याज को समाप्त कर दिया जाना चाहिए।

मैं वास्तव में आश्चर्यचकित हूं कि ऐसी गंभीर समस्या के बावजूद इस बजट में लगभग 24 जिलों को छोड़ कर फसल बीमें के लिए कोई धनराशि आवंटित नहीं की गई है। यह बहुत दुर्भाग्य जनक है। पिछली सरकार ने भी 24 जिलों के लिए फसल बीमा लागू किया था। शायद, अब इसे कुछ अन्य जिलों में भी लागू किया गया है। पूरे देश में फसल बीमा योजना लागू करना अति आवश्यक है जो कि वर्तमान परिस्थितियों में किसानों की सहायता करेगा।

इसलिए, विशेष रूप से कपास, तम्बाकू और अन्य वस्तुओं के मामले में खुली सामान्य लाइसेंसिंग पद्धति की समीक्षा की जानी चाहिए। कभी कभी निर्यात करना आवश्यक हो जाता है। परन्तु जब निर्यात नहीं की जाती तो मूल्य घट जाते हैं और किसानों को हानि उठानी पड़ती है। वर्तमान परिस्थितियों में कपास के आयात की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। वास्तव में लाभकारी मूल्य निर्धारित करने चाहिए।

अंतिम बात मैं यह कहना चाहता हूं कि घटिया किस्म के उर्वरकों और बीजों के कारण पूरे देश में किसानों को नुकसान उठाना पड़ता है। इस मामले में कुछ कंपनियों का पता लगाया गया हैं। इसेलिए, मैं केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों से अनुरोध करता हूं कि ऐसी सभी कंपनियों का पता लगाएं और ऐसी कंपनियों को दण्ड दिया जाना चाहिए। उन कंपनियों की सम्पति को जब्त कर लेना चाहिए और उस धनराशि को किसानों को क्षतिपूर्ति के रूप में अदा किया जाना चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री के० येरननायडू (श्री काकुलम): सभापति महोदय, हम इस सम्मानित सभा में एक महत्वपूर्ण मामले अर्थात् किसानों द्वारा की गई आत्महत्या के बारे में चर्चा कर रहे हैं। प्रत्येक व्यक्ति भारतीय किसानों के बारे में चिंतित है। पहले कांग्रेस पार्टी भी सत्ता में थी। परन्तु उन्होंने किसानों के लिए कुछ नहीं किया। . . . (व्यवधान) उन्होंने इस देश पर लगभग 50 वर्षों तक शासन किया है। अब वे भी भारतीय किसानों की समस्या के बारे में बातें कर रहे हैं। . . . (व्यवधान)

श्री विलास मुत्तेमवार (नागपुर): महोदय, उन्हें पार्टी लाईन से ऊपर उठकर बोलना चाहिए। ... (व्यवधान)

सभापति महोदय: कृपया सदन में व्यवस्था बनाये रखें।

श्री के० येरननायडू: महोदय, मैं कांग्रेस पार्टी पर दोष नहीं लगा रहा हूं। किसानों की यह समस्या हर जगह विद्यमान है चाहे वहां पर भाजपा, तेलगू देशम और किसी अन्य पार्टी की सरकार सत्ता में है। (व्यवधान)

[हिन्दी]

सभापति महोदय: मैंने बताया कि इसमें पार्टी का इश्यू नहीं है। उनका समय भी सीमित है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री ई० अहमद (मंजेरी): महोदय, दिल्ली में सभी पैट्रोल पम्पों पर झगड़ा हो रहा है क्योंकि कुछ पैट्रोल पम्प मालिक प्रति लिटर चार रुपये अधिक कीमत मांग रहे है और लोग देने को तैयार नहीं है। यह हर जगह हो रहा है। मैं यह कहना चाहता हूं कि जब सरकार ने आदेश दे दिया है तो वे इस आदेश का पालन क्यों नहीं कर रहे हैं और अब भी ग्राहकों को प्रति लीटर चार रुपये अधिक देने के लिए मजबूर कर रहे हैं। *(व्यवधान)* इस मामले को सरकार के ध्यान में लाया जाना चाहिए। सरकार को उनके विरुद्ध कार्रवाई करनी चाहिए। सभी पैट्रोल पम्पों चाहे वह चेन्नई, कलकत्ता, बम्बई और कोचीन में है वे 4 रु० अधिक वसूल कर रहे हैं ... *(व्यवधान)* मैं सच कह रहा हूं।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : श्री ई० अहमद, बैठिये।

[अनुवाद]

श्री के० येरननायडू : महोदय, हर कोई कह रहा है कि किसान हमारे देश और हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। परन्तु अब तक हमने क्या किया है? हम अपनी स्वतंत्रता की पचासवीं जयंती मना रहे हैं। परन्तु अब तक हमने भारतीय किसानों के लिए क्या किया है? अब भारतीय किसान घोर संकट में हैं। अकेले आंध्र प्रदेश राज्य में आज तक 356 किसानों ने आत्महत्या की है। प्रत्येक दिन, एक अथवा दो किसान आत्महत्या कर रहे हैं? यह संख्या बढ़ती जा रही है। केवल आंध्र प्रदेश में ही नहीं परन्तु हरियाणा, पंजाब, कर्नाटक, महाराष्ट्र और देश के अन्य दूसरे भागों में भी आत्महत्या की घटनाएं हो रही हैं।

महोदय, इस संबंध में मैं यह कहना चाहता हूं कि अन्य राज्यों की तुलना में आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने आंध्र प्रदेश के किसानों के हितों की रक्षा करने के लिए काफी कदम उठाए हैं।

प्राय: कांग्रेस पार्टी के नेता श्री शरद पवार ने भी अन्य राज्यों की तुलना में आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा अब तक उठाए गए कदमों की सराहना की है। परन्तु आज किसानों को संतुष्ट करने के लिए उठाये गए ये कदम भी पर्याप्त नहीं है। इसलिए मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि जिन किसानों ने आत्महत्या की है उनके परिवारों को प्रधानमंत्री की ओर से भी कुछ राहत की धोषणा की जानी चाहिए।

फसल बीमा के संबंध में भारतीय किसानों को संतुष्ट करने के लिए विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा उठाये गये कदम पर्याप्त नहीं हैं। इसलिए मेरा सुझाव यह है कि राष्ट्रीय फसल बीमा योजना की एक नीति बनायी जानी चाहिए। हर व्यक्ति फसल बीमा के बारे में बात करता है परन्तु यह योजना सिर्फ रिकार्ड में है। व्यावहारिक रूप में गावों में यह किसी पर भी लागू नहीं होती। वे किसान भी जो राष्ट्रीयकृत अथवा सहकारी बैंकों से ऋण ले रहे हैं, उनकी फसलों का बीमा नहीं होता है।

हाल ही में आंध्र प्रदेश चक्रवातों से प्रभावित हुआ था। बाढ़ प्रभावित हजारों किसानों को इस योजना के तहत अभी तक कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ है। यह पिछले डेढ़ वर्ष से केन्द्र सरकार के पास लंबित है। जिन्होंने राष्ट्रीयकृत बैंकों से ऋण लिया है उनको भी फसल बीमा राशि नहीं मिल रही है। इसलिए, राष्ट्रीय फसल बीमा योजना को ग्राम-वार न कि जिले-वार अथवा मंडल-वार प्रत्येक किसान तक विस्तारित किया जाए। यदि इसे ग्रामवार लागू किया जाता है तो इससे भारतीय किसानों को सहायता मिलेगी।

कीट आक्रमण के संबंध में संयुक्त मोर्चा सरकार ने प्रतिकूल मौसम परिस्थितियों में फसल पर हुए कीट आक्रमणों को प्राकृतिक आपदाओं की श्रेणी में रखने का निर्णय लिया था। उसके पश्चात् आन्ध्र प्रदेश सरकार को कुछ धनराशि प्राप्त हुई। हमने राज्य के किसानों को कुछ धनराशि अदा की। हमारे मित्र श्री सुधाकर रेड्डी ने अभी कहा है कि किसान को दिए गए 1265 रु० प्रति हेक्टेयर की राशि पर्याप्त नहीं है। यह 600 रु० प्रति एकड़ आता है। इसलिए एक व्यापक नीति

[श्री के० येरननायडू]

की आवश्यकता है। इसे एक कानून का रूप देने के लिए केन्द्र सरकार को निर्णय लेना चाहिए।

आंध्र प्रदेश में लगातार चक्रवात, सूखा और फसलों पर कीटों के आक्रमण से किसानों को गंभीर समस्याएं हैं। इसलिए मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि वे इन सभी लंबित मामलों का निपटारा करें। हमने चक्रवात से प्रभावित लोगों के लिए केन्द्र सरकार को प्राकृतिक आपदा राहत कोष में से कुछ धनराशि जारी करने के लिए कहा था। परन्तु अब तक हमें कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ है। इसलिए लोग समझते हैं कि हम किसानों के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं।

राज्य के छ: जिलों में बाढ़ आई थी। हमने केन्द्र सरकार को प्राकृतिक आपदा राहत कोष से धनराशि जारी करने के लिए कहा परन्तु अब तक हमें कुछ भी नहीं मिला है। कीट नियंत्रण को प्राकृतिक आपदा राहत कोष में शामिल करने के बाद हमने केन्द्र सरकार को आत्महत्या करने वाले किसानों के निकट संबंधियों को इस शीर्ष के अंतर्गत कुछ राशि जारी करने के लिए कहा था। ये सभी मामले केन्द्र सरकार के समक्ष लंबित हैं। इसलिए आंध्र प्रदेश के किसानों की ओर से मैं इस सदन में मांग करता हूं कि केन्द्र सरकार को चाहिए कि वह यथाशीघ्र धनराशि जारी करें ताकि इसे आंध्र प्रदेश के किसानों को दिया जा सके।

भारतीय रिजर्व बैंक ने राष्ट्रीयकृत बैंकों से लिए गए ऋण को पुन: निर्धारित करने के लिए अनुदेश दिये हैं। हमने ऋण स्थगन हेतु दो वर्ष की अवधि और पुन: निर्धारण हेतु सात वर्ष की अवधि के लिए कहा था। नाबार्ड के माध्यम से किसान सहकारी ऋण ले रहे हैं। उनके मामले में ऋणस्थगन हेतु 2 वर्ष की अवधि और पुन: निर्धारण के लिए 5 वर्ष की अवधि दी गई है। आंध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार से अनुरोध किया कि वह नाबार्ड को अनुदेश दे कि राष्ट्रीयकृत बैंकों की तरह पुन: निर्धारण अवधि को 5 वर्ष से बढ़ाकर सात वर्ष कर दिया जाए।

पिछले पचास वर्षों में हम नकली कीट नासियों और बीजों पर नियंत्रण नहीं कर पाए हैं। अधिनियम बहुत कमजोर है। इन सभी आपदाओं के बाद आंध्र प्रदेश सरकार ने एक कानून बनाया है और केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है कि वह अधिनियम में संशोधन करे ताकि हम दोषियों के विरुद्ध कारवाई कर सकें।

यह भी केन्द्र सरकार के पास लंबित है। हम प्रतीक्षा कर रहे हैं कि इसे स्वीकृति देंगें। अगर केन्द्र सरकार इसे स्वीकृति देती है तो हम उन लोगों के खिलाफ कड़ी कारवाई करेंगे जो ऐसी गलतियां करते हैं। केन्द्र सरकार को इस पर तुरन्त कारवाई करनी चाहिए। अन्यथा हमारे लिए ऐसे व्यक्तियों से निपटना बहुत कठिन हो जाएगा।

उसकी तेलगू देशम पार्टी की ओर से मैं यूरिया के संबंध में कुछ कहना चाहता हूं। माननीय कृषि मंत्री ने इस सदन में आर्थिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोणों के बारे में बताया है।

सभापति महोदय: बजट चर्चा के समय आप इसके बारे में बात कर सकते हैं।

श्री के० येरननायडू: महोदय, यह किसानों का मामला है। यह किसानों पर एक अतिरिक्त बोझ है। इसलिए मैं यह निवेदन कर रहा हूं।

प्रत्येक व्यक्ति यह जानता है कि अधिक यूरिया के प्रयोग से भूमि प्रभावित होती है। हम पत्रिकाओं और अन्य साधनों के माध्यम से किसानों को शिक्षित करने के लिए कदम उठा रहे हैं। यूरिया के मूल्य में तत्काल वृद्धि ने किसानों को प्रभावित किया है। इसलिए मेरी पार्टी का अनुरोध यह है कि शेष पचास प्रतिशत वृद्धि को भी वापस ले लिया जाए।

[हिन्दी]

प्रो० श्री जोगेन्द्र कवाडे (चिमूर): सभापति महोदय, इस लोक सभा का सत्र जिस दिन प्रारम्भ हुआ, उस दिन से हमारे देश के किसान जो आत्महत्या कर रहे हैं उसकी चर्चा सदन में प्रारम्भ हुई है। किसानों के आत्महत्याओं का सिलसिला अभी भी जारी है, यह अत्यंत चिंताजनक मामला है। इस मामले को सदन ने बहुत गंभीरता से लिया और पहले ही दिन से इसकी चर्चा सदन में शुरू हुई। माननीय प्रधान मंत्री जी ने किसानों की आत्महत्याओं के मसले पर बहुत गंभीरता पूर्वक सोचने की बात कही। लेकिन जब किसानों की आत्महत्याओं के बारे में सदन में चर्चा शुरू हुई है, कल से हम देख रहे हैं कि हमारे प्रधान मंत्री जी सदन में मौजूद नहीं हैं। प्रधान मंत्री जी किसानों की इस समस्या के प्रति कितने गंभीर हैं, इसका हमें आज दर्शन हो रहा है, इसलिए मैं अपनी नाराजगी व्यक्त करता हूं।

अपराह्न 2.52 बजे

[श्री के० येरननायडू *पीठासीन हुए*]

जहां तक किसानों द्वारा आत्महत्या करने का सवाल है, देश के किसानों में जो निराशा और विफलता की भावनाएं पनप रही हैं, इनको रोकना निहायत जरूरी है, खासकर आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र का विदर्भ विभाग, कर्नाटक और सारे देश के कई राज्यों में ये बातें फैल रही हैं। कल सदन में काफी गंभीर चर्चा हुई और आज भी किसानों की आत्महत्या के बारे में सदन में चर्चा हो रही है। महाराष्ट्र में किसानों ने जो आत्महत्याएं की हैं, उन आत्महत्याओं के बारे में यहां बहुत सारी बातें की गई। महाराष्ट्र में, खास तौर पर जो विदर्भ रीजन है, उसमें लगभग 51 किसानों ने आत्महत्याएं की और महाराष्ट्र में यह संख्या अभी बढ़ती ही जा रही है।

सभापति महोदय, मैं इस बारे में सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि किसानों की पीड़ा तथा दर्द को समझने की कोशिश बहुत कम की जाती है। यहां सब लोग कहते हैं कि चाहे हम किसी पार्टी के हों, चाहे हम किसी संस्था के हों, हमें दलगत भावना से ऊपर उठकर किसानों के बारे में बात करनी चाहिए लेकिन आरोप-प्रत्यारोप लगाकर किसानों की इस पीड़ा को, इस दर्द को सुलझाने की कोशिश यहां बहुत कम की जाती है। महाराष्ट्र में जहां किसानों ने आत्महत्याएं की, वहां ओला-वृष्टि और अति-वृष्टि के कारण जो फसल बर्बाद हुई, उसके साथ-साथ किसान भी बर्बाद हुआ। जो अकाल जैसी स्थिति महाराष्ट्र, आन्ध्र प्रदेश और दूसरे राज्यों में आई है, उसके कारण किसानों को मौत के मुंह में जाना पड़ा, मौत को गले लगाना पड़ा। यह हमारे देश के लिए, हमारी सरकार के लिए बड़ी शर्मनाक बात है। बहुत ही खेदजनक बात है। मैं इस मामले में सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। महाराष्ट्र में अतिवृष्टि हुई है, विदर्भ क्षेत्र में जो अतिवृष्टि और ओलावृष्टि हुई है, इसकी वजह से किसान बर्बाद हुआ है, किसान की फसल बर्बाद हुई है। किसानों ने बैंकों से जो कर्जा लिया था, ग्रामीण बैंको से जो कर्जा लिया था, नाबार्ड से जो कर्जा लिया था, डिस्ट्रिक्ट बैंक से जो कर्जा लिया था, सहकारी बैंक से जो कर्जा लिया था, कोआपरेटिव बैंक से जो कर्जा लिया था, उस कर्जे को किसान वापिस देने की स्थिति में नहीं है। उस कर्जे से मुक्ति दिलाने के लिए सरकार की तरफ से कोई राहत नहीं दी गई, अगर वक्त पर राहत दी गई होती, तो शायद हम किसानों को बचा पाते और इस प्रकार की दुर्घटनायें नहीं होती। हमारी सरकार ने गम्भीरता से इस विषय को नहीं लिया, अगर गम्भीरता से लिया होता, तो ओलावृष्टि से पीड़ित जो किसान हैं, अतिवृष्टि से पीड़ित जो किसान हैं, वे आत्म-हत्या नहीं करते। सरकार की तरफ से उनको त्वरित सहायता नहीं दी गई। अगर सहायता दी गई होती, तो ये दुर्घटनाएं टल सकती थी।

महोदय, अभी हमारे एक मित्र ने कहा कि परिस्थिति में सुधार हुआ है और साथ ही यह भी कहा कि कहीं अतिवृष्टि हुई है, तो क्या दोष सरकार का है या मंत्री का है। अगर कहीं पर पानी नहीं गिरा, तो क्या दोषी सरकार है। मैं सदन से कहना चाहता हूं कि दोष सरकार का नहीं है, लेकिन हमारे देश की जो आबादी बढ़ रही है, उसके लिए प्रधानमंत्री जिम्मेदार नहीं है। फिर भी इस समस्या की सुलझाने के लिए मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और सरकार कोशिश कर रही हैं। उसी तरह मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि किसान आत्महत्या इस समस्या के निदान के लिए हमारी सरकार को उपाय खोजने चाहिए, जिससे इस प्रवृति को रोका जा सके, नियन्त्रण में लाया जा सके।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: अनेक माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं। अपराह्न 3.30 बजे हमें गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य पर चर्चा करना है। यही कारण है कि मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि आप चर्चा समाप्त करें।

प्रो॰ श्री जोगेन्द्र कवाडे: महोदय, मैं चन्द मिनट में अपनी बात खत्म कर रहा हूं।

हमारा देश कृषि प्रधान देश है। हमारे देश की अर्थ व्यवस्था कृषि प्रधान है। खेती हमारे देश की बुनियाद है। जब हमारे देश की बुनियाद हिलती रहेगी, तो हमारे देश का विकास कैसे होगा। हमारे देश की 74 प्रतिशत ग्रामीण आबादी गांवों में रहती है। अगर हम उनकी समस्याओं को गम्भीरता से नहीं लेंगे, तो देश की अर्थ व्यवस्था डगमगा सकती है। देश की अर्थ-व्यवस्था जरजर हो सकती है। इसलिए किसानों की आत्म-हत्याओं को रोकने के लिए, बैंकों से किसानों को जो कर्जे दिए गए हैं, उन्हें माफ किया जाना चाहिए। हमारे महाराष्ट्र राज्य में एम्पलायमेंट गारन्टी स्कीम चालू की गई थी, लेकिन उस पर पूरे तरीके से काम नहीं हो पाया है। सरकार द्वारा यूरिया की कीमत बढ़ा कर किसानों को कोई राहत नहीं दी गई। महाराष्ट्र में और आंध्र प्रदेश कर्नाटक में जिन किसानों ने आत्म-हत्या की थी, उनके परिवार के लोगों को एक लाख रुपया राहत के रूप में दिया गया है। मैं सदन से पूछना चाहता हूं, जब किसान जिन्दा था, तो उसके लिए लंगोटी की भी व्यवस्था नहीं हो सकी पीड़ित किसानों के लिए रोटी की व्यवस्था नहीं की गई और मरने के बाद उसके परिवार को एक लाख रुपया दिया जा रहा है। मेरी दृष्टि में किसानों के परिवारों के साथ यह नाइन्साफी है। इस एक लाख रुपए की राशि से काम नहीं चलेगा, कम से कम पांच लाख रुपए राहत के रूप में दिए जाने चाहिए। और जो आकाल पीड़ित है उन सभी किसानों का मनोबल बढ़ाने के लिए भरपूर आर्थिक सहायता और दूसरी सभी प्रकार की मदद दी जानी चाहिए।

महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हूं। कृषि हमारे देश के उद्योगों की भी बुनियाद है। बेसिक इंडस्ट्रीज हैं, देश की औद्योगिक नीति में बुनियादी मूलभूत उद्योगों का सरकार ने राष्ट्रीयकरण किया है। बाबासाहेब डा॰ अम्बेडकर जी ने, इस देश के संविधान के शिल्पकार ने कहा था कि जो हमारे देश के बुनियादी उद्योग हैं, जिन उद्योगों से निर्मित वस्तुओं से कई नये उद्योगों की शुरुआत होती है, ऐसे जो बुनियादी उद्योग हैं उनका भी राष्ट्रीयकरण किया जाए। तमाम बुनियादी उद्योगो का, जो बेसिक इंडस्ट्रीस हैं उनका भी राष्ट्रीयकरण किया जाए, उसी प्रकार से कृषि भी बुनियादी उद्योग है, बेसिक उद्योग है।

अपराह्न 3.00 बजे

महोदय, क्या सरकार इस बारे में गंभीरता से विचार करेगी कि खेती का भी राष्ट्रीयकरण करके हमेशा के लिए जो समस्या हे इसे हम दूर कर सकें। इसलिए मेरी सदन से और आपसे प्रार्थना है कि जो मरने वाले किसानों में जो सीमांत किसान हैं, जिनकी एक-दो-तीन एकड़ खेती है, ऐसे किसानों को बचाने के लिए, उनका हौंसला बढ़ाने के लिए, उनको राहत दिलाने के लिए कुछ करे। जब भी अकाल जैसी गंभीर स्थिति निर्माण होती है और किसान का नुकसान होता है, जब भी उन किसानों पर आफत और मुसीबत आती है तो उनको राहत देने के लिए सरकार को किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरतनी चाहिए। हम जिस प्रकार से इमर्जेंसी में काम करते हैं उसी प्रकार से सरकार को काम करके किसानों को राहत देनी चाहिए।

महोदय, मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता, लेकिन किसानों को राहत दिलाने के लिए हमने जो मांग की है- जैसे महाराष्ट्र की सिंचाई योजना है, मैं जिस चुनाव क्षेत्र से चुन कर आया हूं वहां इंदिरा सागर प्रकल्प वर्षो से फंड उपलब्ध न होने की वजह से अधूरा पड़ा है और नहीं बन पा रहा है। इसलिए मैं आपके जरिए सरकार से प्रार्थना करना चाहता हूं कि सरकार इसको गंभीरता से ले और किसानों को राहत दिलाने की हर प्रकार से कोशिश करे, इसमें किसी प्रकार की कमी न रहे ताकि देश के किसानों का हौंसला बुलंद हो। देश के किसानों को लगे कि हमारी समस्याओं को सुनने के लिए, और केवल सुनने के लिए ही नहीं बल्कि देखने के लिए, उनको सुलझाने के लिए, उन्हें राहत देने के लिए देश और सरकार एक कदम आगे है, यह हम अपने किसानों को दिखाना चाहते हैं। सरकार इस बारे में गंभीरता से फैसला करे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आपने मुझे बोलने की इजाजत दी, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री वैको (शिवकाशी): सभापति महोदय, मैं उन शोक संतप्त परिवारों के दुख में शामिल हूं जिनका जीविकोपार्जन नहीं रहा।

महोदय, यह एक भयंकर त्रासदी है कि इस देश के किसान को केवल इसलिए आत्महत्या करनी पड़ी क्योंकि वे उन पर चढ़े भारी ऋणों को अदा नहीं कर सके। जब किसान अपने बोए हुए फसल को बर्बाद होते देखते हैं तो उनकी आशा और विश्वास भी टूट जाते हैं।

कुछ वर्ष पूर्व यह दुखद घटना आंध्रप्रदेश राज्य में शुरू हुई थी। महोदय, जो आपका राज्य है और तब से लेकर अब तक आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र राज्यों में मेरे विचार से करीब 500 से अधिक किसान आत्महत्या कर चुके हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि केवल यही 500 किसान समस्या का सामना कर रहे थे। यह तो एक बहुत बड़ी त्रासदी को सहज शुरुआत है। यहां लाखों ऐसे किसान हैं जिन्हें इस समस्या से जूझना पड़ रहा है और आत्महत्या मात्र इस लिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि वे अपने परिवारों को अधर में नहीं छोड़ना चाहते हैं। यह एक मनोवैज्ञानिक प्रश्न है। महोदय, ऐसी दुखद घटना आखिर क्यों हुई? ऐसा इसलिए हुआ कि किसान अपनी भूमि से भावनात्मक रूप से जुड़े होते हैं। वे इस कार्य को नहीं छोड़ सकते हैं। मैं एक किसान परिवार का सदस्य हूं। भावनात्मक रूप से अपनी भूमि से जुड़े होने के कारण उन्हें यदि किसी शहर या कस्बे में कोई और रोजगार मिलता भी है तो भी वे अपने इस व्यवसाय को छोड़ नहीं पाते। वे अपनी भूमि को मातृभूमि के रूप में पूजते हैं। वे इस व्यवसाय को छोड़ नहीं सकते। जब वे फसल उगाते हैं तो उसमें अपनी सारी शक्ति संसाधन और उधार लिया हुआ पैसा लगा देते हैं और उस अनाज की रक्षा हेतु रात-रात भर विषैले बिच्छुओं और सांपों का सामना करते हैं। आधी-आधी रात को वे खेतों की सिंचाई करते हैं। जब उन्हें यह पता लगता है कि उनकी फसल बर्बाद हो गई तो उनकी सारी आशाओं पर पानी फिर जाता है। ऐसा अनेक कारणों से होता है।

उनके द्वारा आत्महत्या किए जाने के मेरे अनेक मित्रों ने अलग-अलग कारण बताया है। कुछ ने इसे प्राकृतिक विपदाओं के कारण माना तो कुछ ने कृषि को मानसून के ऊपर निर्भर होना बताया। किसी ने नकली कीटनाशकों तथा उर्वरकों को इसका कारण बताया। वे उर्वरक और कीटनाशक खरीदने में अपना पैसा लगा देते हैं जबकि कीटनाशक कीटों को मार नहीं पाता।

[श्री वैको]

जब किसान यह देखता है कि कीटनाशक कीटों को मारने में असफल रहा तो वही किसान खेत में जाकर वही कीटनाशक पीकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर डालना है। यह एक भयानक त्रासदी है।

एक समय था जब हम खाद्यन्नों का आयात करते थे। उन्हीं किसानों को श्रेय जाता है कि आज हम न केवल अब खाद्यान्नों के उत्पादन में आत्मनिर्भर हैं अपितु आज हम खाद्यान्नों का निर्यात करने की भी स्थिति में हैं। खाद्यान्नों को आयात करने के औचित्य क्या है यह मेरी समझ में नहीं आता। हमें किसानों के हितों की रक्षा करनी है।

वित्त मंत्री द्वारा अनेक उपाय शुरू किए जाने की मैं सरहना करता हूं। उन्होंने अपने बजट भाषण में, विशेषकर कृषि क्षेत्र से जुडे, किसानों को प्रोत्साहन देने तथा उन्हें संरक्षण प्रदान करने की धोषणा की है। इसके साथ-साथ कृषि को बढ़ावा देने की भी मैं सराहना करता हूं। क्या माननीय वित्त मंत्री से मैं यह अनुरोध कर सकता हूं कि यदि यूरिया की कीमत में थोड़ी बहुत भी वृद्धि करने का उनका विचार है तो उसे त्याग दें क्योंकि जब आपने इसमें 50 पैसे की कटौती की तो उसका भरपूर स्वागत किया गया। मुझे विश्वास है कि वह शेष बढ़ी हुई राशि को भी वापस ले लेंगे। कृषि क्षेत्र को संरक्षण देने के लिए हम ने अनेक प्रभावी उपाय किए हैं। जब वह कृषि क्षेत्र को बढ़ावा दे रहे हैं, जब वह किसानों के हितों की रक्षा कर रहे हैं तब हमारे विपक्ष के लोग इस बात को कृषकों के विरुद्ध उठा सकते हैं। मेरा यही कहना है कि हमें विपक्ष के लोगों को बोलने का मौका नहीं देना चाहिए। मैं यही कहना चाहता हूं *(व्यवधान)* कृषि क्षेत्र के बारे में उनके पास विवाद करने को और कुछ नहीं है। बजट भाषण में जो भी उपाय शुरू किए गए हैं उनकी सराहना वे नहीं करेंगे *(व्यवधान)* किसानों को फसल बीमा के माध्यम से संरक्षण दिया जाना चाहिए। हमें इस कार्य को बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। मैं श्री नडेनदला भास्कर राव की बातों से सहमत हूं। मैं माननीय वित्त मंत्री और कृषि मंत्री से यह आशा करता हूं कि वे किसानों के हित में फसल बीमा योजना की प्रशंसा करेंगे। जब फसल बर्बाद हो गयी तो वे अपना ऋण अदा नहीं कर पायेंगे। पैदा होते हैं तो वे ऋण के बोझ तले दबे होते हैं ऋण के बोझ के नीचे दबे रह कर जीवन जीते हैं और उसी के बोझ से मर जाते हैं। यह ऋण पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। अत:, इसका कोई रास्ता निकाला जाना चाहिए। इसके लिए भारतीय रिजर्व बैंक को विश्वास में लेना पड़ेगा। नाबार्ड को जिला सहकारी बैंको तथा अन्य बैंको को ऋण देने के लिए अनुदेश देना चाहिए।

महोदय, ऋण स्वीकृत किए जाने चाहिए तथा किसानों के ऋण को विशेषकर काफी समय से लम्बित ऋण को माफ किया जाना चाहिए।

महोदय, पिछले वर्ष हमारे राज्य में लगातार 45 दिनों तक भारी वर्षा होती रही। वहां की भेड़ों को यकायक बलूटन नामक एक विशेष प्रकार की बिमारी हो गई और कुछ ही क्षणों में 50,000 से अधिक भेड़े मर गई। सर्वप्रथम तो भेड़ों में कंपकपाने लगेंगी और फिर जमीन पर गिर कर तुरन्त मर गई। उन किसानों, जो इन भेड़ों से अपने परिवारों का पालन पोषण कर रहे थे, उन के लिए यह एक भारी झटका था। राज्य सरकार ने 300 रुपए प्रति भेड़ तथा बकरी की दर से उन्हें क्षतिपूर्ति करने की धोषणा की। लेकिन प्रति भेड़ और बकरी का बाजार मूल्य लगभग 1000 रुपये थे। अत: हमने सरकार से यह मांग की कि उन सभी प्रभावित लोगों को, जिनके भेड़ तथा बकरियां अचानक मर गई हैं 1000 रु० प्रति भेड़ और बकरी की दर से मुआवजा दिया जाए। हम ने इसके लिए प्रदर्शन भी किया था।

महोदय, किसान अनेक तरह से प्रभावित होते हैं। ऐसा फसल बर्बाद होने के कारण भी हो सकता है। अथवा ऋण अदा न किए जाने के कारण भी हो सकता है। इसलिए सरकार को किसानों के इस दयनीय दशा पर ध्यान देना चाहिए और यह प्रयत्न करना चाहिए कि किसानों के ऊपर कोई ऋण का बोझ न हो तथा किसान आत्महत्या न करें। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए उन्हें एक व्यापक और उत्तम फसल बीमा योजना तथा बेहतर राज सहायता उपलब्ध करायी जानी चाहिए। यह सरकार शासन हेतु अपने राष्ट्रीय एजेंडा में पहले ही धोषित कर चुकी है तथा इस बात के लिए वचनबद्ध है कि राज सहायता जारी रखी जाएगी; और यह सीधे तथा प्रभावी रूप से उपलब्ध करायी जाएगी।

महोदय, इस वक्त मैं सभा का ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता हूं लेकिन मैं किसानों की एक और समस्या का उल्लेख करना चाहूंगा राजसाहयता, जो किसानों को दी जाती है वह अधिकतर मामलों में, उन तक पहुंचती ही नहीं। इनमें से एक राजसहायता जो किसानों को प्राप्त होती है वह बिजली है। किसानों को नि:शुल्क बिजली यह सुविधा जारी रखी जानी चाहिए। सरकार का इस संबंध में एक विधेयक लाने का प्रस्ताव है लेकिन यह सुविधा, जो किसानों को सीधे प्राप्त होता है, जारी रखी जानी चाहिए।

महोदय, किसानों की इस दशा से पूरा देश चिंतित है। अत:, सरकार को किसानों के हितों की रक्षा करने के लिए सभी कदम उठाने चाहिए। इस सरकार ने कृति क्षेत्र को बढ़ावा देकर निसंदेह एक सराहनीय कार्य किया है। लेकिन इसे जारी रखा जाना चाहिए। हमारे कुछ मित्रों ने किसानों द्वारा आत्महत्या किए जाने के मामले की जांच कराने की मांग की है। इसके लिए एक समिति नियुक्त की गई थी जिसने आत्महत्या के विभिन्न कारणों का गहन अध्ययन किया। अत:, मेरा निवेदन है कि किसानों की इस दशा पर विचार किया जाना चाहिए।

महोदय, किसान इस देश की रीड़ है। माननीय सभापतिजी जब आप बोल रहे थे तो आपने भीं कहा था कि किसान इस देश की रीढ़ होते हैं। हर व्यक्ति यह मानता है कि किसान देश की रीढ़ होते हैं। यही वास्तव में सच है। चूंकि कोई व्यक्ति रीढ़ नहीं देख पाता इसलिए वे कहते हैं कि वे देश की रीढ़ होते हैं। इस देश की रीढ़ पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। अत: किसानों के संरक्षण के लिए सरकार को कदम उठाना चाहिए। कम से कम अब किसानों द्वारा आत्महत्या का कोई मामला सामने नहीं आना चाहिए।

सभापति महोदय : श्री राजेश पायलट, गैर-सरकारी सदस्यों को कार्य अपराहन 3.30 बजे आरंभ किया जाऐगा। अभी कुछ और सदस्य इस विषय पर बोलना चाहते हैं।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : एक मिनट के लिए मैं सभा के समक्ष यह मुद्दा रखता हूं। हमें अब क्या करना चाहिए। गैर-सरकारी सदस्यों का कार्य अपराह्न 3.30 बजे प्रारम्भ होगा।

(व्यवधान)

सभापति महोदय: यदि सभा सहमत है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री राजेश पायलट: महोदय, गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य शुरू होने में अभी भी 15 मिनट बाकी हैं। जैसा की कार्य मंत्रणा समिति द्वारा निर्णय लिया गया है। गैर-सरकारी सदस्यों का कार्य 6 बजे तक चलेगा। यदि माननीय सदस्यगण अपराह्न 6 बजे के बाद भी बैठने के लिए सहमत होते हैं तो हम यह आज ही समाप्त कर लेंगे अन्यथा यह कल भी जारी रहेगा। हमारे पास अन्य कोई विकल्प नहीं है। ऐसा इसलिए है कि हर सदस्य इस विषय पर बोलना चाहते हैं क्योंकि यह काफी संवेदनशील विषय है।

इसके अतिरिक्त उर्वरक की कीमतों में हाल ही की वृद्धि से इस विषय को एक नया आयाम दे दिया है। हर सदस्य इस विषय पर बोलना चाहता है। अब यह सरकार के ऊपर निर्भर करता है कि वह इस चर्चा को आज

जारी रखना चाहती है या कल दुबारा उसी विषय पर चर्चा करना चाहती है। हम यह निर्णय पूर्णतया सरकार पर छोड़ते हैं।

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): सभापति महोदय, उचित होगा कि इस विषय पर चर्चा हम कल जारी रखी जायें। मैं वाद-विवाद का उत्तर कल दूंगा।

कुछ माननीय सदस्य: जी हां, महोदय।

सभापति महोदय: चूंकि मंत्री जी भी इस बात से सहमत हैं अत: हम इस पर चर्चा कल जारी रखेंगे।

श्री वी॰ धनन्जय कुमार (मंगलौर): सभापति महोदय, सभा मुख्यत: तीन राज्यों में, विशेषकर आंध्र प्रदेश में, जहां के आप भी रहने वाले हैं, अनेक किसानों द्वारा आत्महत्या किए जाने से उत्पन्न गंभीर स्थिति पर चर्चा कर रही है। मैंने सभापति महोदय के राज्य का नाम इसलिए लिया क्योंकि आंध्र प्रदेश में आत्महत्या के मामले अन्य राज्यों की तुलना में अधिक हैं। अन्य राज्य हैं: कर्नाटक, जहां का मैं रहने वाला हूं और विदर्भ, जो महाराष्ट्र का एक भाग है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस गंभीर चर्चा से कुछ ऐसे उपचारात्मक उपाय सामने आएंगे जिससे कि आत्महत्या की इस प्रवृत्ति को रोका जा सकेगा। इस चर्चा के द्वारा एक दीर्घविधि नीति बनायी जानी चाहिए जिससे कि भविष्य में ऐसी आत्महत्या की प्रवृत्ति की पुनरावृति को हमेशा के लिए समाप्त किया जा सके।

किसानों द्वारा आत्महत्याओं के पीछे मुख्यत: दो कारण बताए गए है। उनमें से एक कारण तो भारी ऋण बोझ है तथा अन्य कारण फसल का नष्ट होना है। जहां तक ऋण के बोझ का संबंध है तो इसके लिए कुछ तरीके विकसित किए जा सकते हैं। हम ऋण को पुर्ननिधारिण कर सकते हैं। ब्याज का भी वित्त पोषण किया जा सकता है। प्रो॰ चन्द्रमाजरा ने एक बहुत ही अच्छा सुझाव दिया है। उन्होंने कहा है कि सरकार को ऐसा निर्णय लेना चाहिए जिससे कि ब्याज का बोझ किसी की स्थिति के मूल धन से अधिक न हो। बैंको और अन्य वित्तीय संस्थाओं को स्पष्ट रूप से बता दिया जाना चाहिए कि वे किसानों को दिए गए ऋण पर मूल धन से अधिक ब्याज के रूप में नहीं ले सकते हैं।

जहां तक फसल-नष्ट होने का संबंध है तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि माननीय वित्त मंत्री ने बजट जिसे कल प्रस्तुत किया गया था में विशेष उपबंध करने की यथासंभव कोशिश की है किंतु यह काफी नहीं है। इसके लिए एक बहुत ही प्रभावी प्रक्रिया तैयार करनी होगी। मैं इस मुद्दे का राजनीतिकरण नहीं चाहता किंतु कोई निर्णय लेने से पूर्व, जिसका की दूरगामी प्रभाव होगा, हमें इस कारण का भी पता लगाना चाहिए कि किसानों को आत्महत्या करने पर मजबूर क्यों होना पड़ा। मेरी राय में केन्द्र तथा राज्यों दोनों जगह की आने वाली एक के बाद दूसरी सरकार की प्रभावी उपचारात्मक उपाय और विभिन्न नीतियों का, जिनके बारे में हम अक्सर बातें करते हैं, के क्रियान्वित करने में असफलता ही इसका मुख्य कारण है। जहां तक कृषक का संबंध है तो कृषि उत्पाद ही उनके जीविकोपार्जन के मुख्य स्रोत हैं। हम किसानों को इस देश की रीढ़ इसलिए कहते हैं कि वे पूरे देश का भरण-पोषण करते हैं।

जैसा कि ठीक ही कहा गया है कि अपने उत्पाद का मूल्य निर्धारण किसान स्वयं नहीं कर सकते हैं। इस संबंध में उन्हें पूर्णतया विचौलियों, व्यापारियों और जमाखोरों पर निर्भर करना पड़ता है। बाजार से ऐसा दबाव होता है कि इन्हें अक्सर अपने उचित हिस्से से वंचित रहना पड़ता है। उन्हें कभी भी उनके उत्पाद का लाभकारी मूल्य नहीं मिल पाता। ऐसे अनेक कारण हैं।

कृषि उपज बढ़ाने तथा उन्हें उत्तम सुविधा प्रदान करने के लिए हम अनेक उपाय सुझाते हैं। सिंचाई सुविधाओं में सुधार करने, उत्तम भंडारण सुविधा उपलब्ध कराने तथा परिवहन प्रणाली में सुधार करने आदि सहित कृषि उपज बढ़ाने के बारे में हमने अनेकों बार चर्चा कर चुके हैं। हमने किसानों को कटाई के बाद फसल के संरक्षण संबंधी नवीनतम प्रौद्योगीकि आदि के बारे में जानकारी उपलब्ध कराने के संबंध में भी चर्चा करते हैं। हम ऐसी ही अनेक चीजों पर चर्चा करते हैं पर निर्णयों को उचित रूप में क्रियान्वित नहीं कर पाते हैं। हमें माननीय वित्त मंत्री को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने देश के सबसे सक्षम प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र के लिए आवंटित की जाने वाली धन में वृद्धि करने का साहसपूर्ण निर्णय लिया है। कल ही सारे देश ने वित्त मंत्री को अपने बजट भाषण में यह कहते सुना कि कृषि क्षेत्र हेतु धन के आवंटन में 58 प्रतिशत की वृद्धि की गयी है। स्वतंत्र भारत के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ है।

हमारी शासन प्रणाली में दिल्ली में स्थित भारत सरकार शीघ्र निर्णय ले सकती है। वे योजना बना सकती है तथा कार्यक्रम तैयार कर सकती हैं। लेकिन उन्हें राज्य सरकारों द्वारा कियान्वित करना होता है और उसके उपरान्त उन्हें जिला परिष्दों, जिला पंचायतों, ताल्लूक पंचायतों और अंतत: ग्राम-पंचायतों द्वारा कियान्वित किया जाता है। अत:, जब तक निचले स्तर के लोग जो वास्तव में इन कार्यक्रमों को क्रियान्वित करते हैं, इसके लिए लक्ष्य नहीं बना लेते, स्थिति में सुधार नहीं होगा।

हर एक दल किसी न किसी राज्य अथवा किसी न किसी निकाय में सत्ता में हैं । मैं सभी संबधित लोगों से अनुरोध करता हूँ कि वे एक साथ बैठ कर दलगत भावना से ऊपर उठकर गम्भीरता से विचार करें। इस समस्या से निबटने के लिए हम लोगों में प्रवल इच्छा शक्ति होनी चाहिए तभी हम किसानों की आत्महत्या करने की इस प्रवृत्ति को रोकने का हल निकाल सकते हैं।

जहा तक कर्नाटक का संबंध है, मैं कुछ बातें कहता हूँ तथा फिर अपनी बात समाप्त करता हूँ। जैसे कि ज्ञात ही है कि ये आत्महत्याएं तुअर दाल की फसल के बेकार होने तथा मूल्यों में अत्यधिक गिरावट आने के कारण हुई थी इसके अलावा वहाँ रबर की फसल के संबंध में एक प्रवृति उभर रही है मुझे नहीं लगता है कि केरल के कोई भी सदस्य यहां बैठे हैं सिवाय पोन्नानी से आर॰ एस॰ पी॰ के मेरे मित्र के वे इस तथ्य को समझ सकते है, रबड़ की कीमतें गिर गई हैं जो कीमत 6 माह पहले 60 रू॰ प्रति कि॰ ग्रा॰ थी अब गिरकर 22 से 24 रु० कि॰ ग्रा॰ रह गई है। इन फसलों की पैदावार वाले किसान के पास सिवाय इसके कि वे भी आत्महत्या करने वाले किसानों की राह अपनाए अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं रह जाता इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि सिन्थेटिक रबड़ के आयात पर रोक लगाकर निवारक उपाय करें।

हमें रबड़ उत्पादकों के लिए लाभकारी मूल्य प्राप्त करने के लिए तुरन्त कदम उठाने चाहिंए और खुले सामान्य वायदों के अंतर्गत आयात किए जाने वाले सिंथेटिक व दूसरे रबड़ का आयात करना चाहिए इसका कम से कम 50 रू प्रति कि॰ ग्रा॰ का अनुमान लगाया गया है अन्यथा रबड़ को उत्पादको का अस्तीत्व बना नहीं रह पाएगा।

यही स्थिति नारियल सुपारी तथा कालीमिर्च की है इन फसलों के उत्पादक पूरी तरह से बाजारी दबाव पर निर्भर करते है क्योंकि सार्क समझौता लागू हैं और कमश: आने वाली सरकारों द्वारा उदारीकरण की नीति अपनाई गई है। अत: किसान यह समझ पाने में असमर्थ है कि क्या उन्हें अनेक उत्पादों का यदि लाभकारी नही तो कम से कम लागत तो मिल पाएगी।

इसको देखते हुए, सरकार को कठोर निर्णय लोने होगें। मुझे आशा है कि विपक्षी बैंचों पर बैठै हमारे साथी भी सहमत होगें कि हम सबको मिलकर उपयुक्त दीर्घावाधिक संदर्शी योजना बनानी चाहिए। ताकि न केवल

[श्री वी॰ धन्नजय कुमार]

खेती करने वालों के जीवन को बचाया जा सके बल्कि पूरे देश को बचाया जा सके, बहुत बार हमें गर्व होता है कि आज हमारे किसानों ने बहुत भारी योगदान दिया है जिससे हमारे सिर ऊंचें उठ गए है।

मुझे बहुत गर्व होता है कि हम खाद्यान्न के उत्पादन में आत्म निर्भर हो गए हैं तथा इस संबध में तत्काल उपाय करने की आवश्यकता है।

इस टिप्पणी के साथ मुझे आशा है तथा मै प्रार्थना करता हूँ इस समस्या के समधान के लिए उचित निष्कर्ष निकालने कि हमें यही दिशा मिले ।

मुझे बोलने का यह सुवअवसर देने के लिए मै बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ।

सभापति महोदय : यह चर्चा कल भी जारी रहेगी ।

अपराहन 3.28 बजे

बजट में यूरिया की कीमतों में वृद्धि

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री राजेश पायलेट क्या आप कोई मुद्दा उठाना चाहते है अथवा आप यह चाहते है कि वित्त मंत्री बयान दे ?

श्री राजेश पायलेट : शुन्य काल के दौरान, हमने मुद्दा उठाया था माननीय अध्यक्ष महोदय ने हमें आश्वासन दिया है कि माननीय वित्तमंत्री आऐगें तथा उत्तर देंगें।

[हिन्दी]

सारे सदन की भावना आपने सुनी है । चाहे इस पार्टी के एम॰ पी॰ है, चाहे उस पार्टी के एम॰ पी॰ है, सब ने एक स्वर से कहा है कि आपने कल जो यूरिया के दाम एक रुपये प्रति किलो बढ़ाए है, वह किसान के ऊपर बोझ है। सारा सदन यह महसूस करता है कि यह किसान के उपर बोझ है और इसे कम किया जाना चाहिए। भाई यशवन्त सिन्हा जी के दिल से यह बात नहीं निकली है, यह तो इन्हे किसी मजबूरी के कारण करना पड़ा होगा कुछ ऐसे सरकमस्टांसेस बन गए होंगे जिनके कारण इन्हें यह करना पड़ा। मैं चाहूंगा कि सारे सदन की भावना को देखते हुए और कृषि राज्य मंत्री महोदय की साइंटीफिक एप्रोच पर न जाते हुए श्री यशवन्त सिन्हा जी इसे कंसीडर करें और किसानो के ऊपर यूरिया का एक रुपए प्रति किलो दाम बढ़ाकर लादे गए इस बोझ को सेल बैक करें।

सभापति महोदय, मैं समझता हूँ कि किसानो के साथ थोंडी ज्यादती हो गई है। एग्रो बेस्ड एग्रीकल्चर के लिए हम सब कह रहे है। आपने वित्त मंत्री जी कल अपने भाषण में भी कहा कि अगर एग्रो बेस्ड को हम 58 परसेंट उठाना चाहते है, तो इस एग्रो बेस्ड एग्रीकल्चर को प्रोत्साहन देना पड़ेगा। अगर ऐसा करना है, तो इसको टैक्स से बाहर रखना पड़ेगा, लेकिन कल आपका जब भाषण चल रहा था, तो मै पूरी तरह से समझ नहीं सका क्योंकि आपने कुछ फूड आयठम्स पर एक्साइज बढ़ाई है। अगर एग्रो बेस्ड को डिवेलप करना है, तो आप को इम क्षेत्र को टैक्स मुक्त करना पड़ेगा। यदि आप इस क्षेत्र को विकसित करना चाहते हैं, तो आप इस क्षेत्र में किसी प्रकार का टैक्स न लगाएं, तभी एग्रो बेस्ड पनपेगा। मुझे लगता है कि किसी गलतफहमी की वजह से सरकार ने ट्रैक्टर के रेट बढ़ा दिए है। पिछ्ली कई सरकारों ने ट्रैक्टर के रेट नहीं बढ़ाए हैं।

सभापति महोदय. इस प्रकार से मैने ये तीन-चार चीजें वित्त मंत्री महोदय के ध्यान में लाई हैं । हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि इनके उपर सहानुभूति पूर्वक विचार कर लें।

सभापति महोदय : कृपया बैठ जाए कोई व्यवधान न करें।

(व्यवधान)

श्रीमती कैलाशो देवी (कुरूक्षेत्र) : सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि वित्त मंत्री महोदय इन बातों पर विशेष रूप से विचार करें क्योंकि यदि किसान खुशहाल होगा, तो ही देश खुशहाल बनेगा। इसलिए मेरा आग्रह है कि मंत्री महोदय किसानों को राहत देने के मामले पर प्रायर्टी से विचार करें

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर) : माननीय वित्तमंत्री के भाषण शुरू करने से पूर्व, क्या मैं एक मिनट का समय ले सकता हूं ?

सभापति महोदय : माननीय अध्यक्ष महोदय ने श्री राजेश पायलट को आश्वासन दिया है कि माननीय वित्तमंत्री उत्तर देंगे। हम 1530 बजे गैर सरकारी सदस्यों के कार्य को आरंभ करना है जब हम बजट पर चर्चा शुरू करेंगे, हर एक सदस्य को मुद्दा उठाने का अवसर दिया जाएगा।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : हमें मुद्दा उठाने दे, हम उस पर बाद में चर्चा कर लेंगे।

सभापति महोदय : ठीक है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : सभापति जी, अगर मैंने गलत नहीं सुना और अगर गलत सुना है तो मुझे सुधार दें, वित्त मंत्री जी ने, कल घोषणा की थी और उनका छपा हुआ जो भाषण था उसमें आया है कि यूरिया पर एक रुपये पर किलोग्राम टैक्स लगा है, टैक्स बोलिये या और कुछ बोलिये लेकिन आज मैंने सुना जब वह बोल रहे थे कि वह उसे घटाकर एक रुपये के बजाए 50 पैसे करने को तैयार हैं, मैं केवल एक सवाल पूछना चाहता हूं कि जब उन्होंने कल बजट फार्मली पेश किया है, बजट प्रपोजल के हिसाब से आ गया है तो क्या वित्त मंत्री को संविधान के अनुसार कानूनी अधिकार है कि वह यह काम कर सकते हैं ? जब वह फाइनेंस बिल को लायेंगे तो उसमें संशोधन कर सकते हैं। फाइनेंस बिल में तो एक रुपया चला जायेगा। उसे घटाकर अगर 50 पैसे करना है तो वह उसको फाइनेंस बिल में अमेंडमैंट लाकर कर सकते हैं। उसमें कुछ भी हो लेकिन सुओमोटो यहां ऐसे भाषण के माध्यम से नहीं कर सकते हैं। तब यह बजट प्रपोजल की कोई पवित्रता, कोई सेंक्टिटी नहीं रहती। यह एक गलत बात है।

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिंह्रा) : सभापति जी, किसानों के लिए इस सरकार को जो चिन्ता है उसे हमने बहुत सारे शब्दों में कल सदन के सामने रखा था ओर यदि माननीय सदस्य गौर से मेरे बजट प्रस्तावों को देखें तो वह पायेंगे कि न केवल बजट के जो प्रावधान हैं, उनको कढ़ाकर बल्कि पूरे रूरल क्रेडिट व्यवस्था को और बेहतर बनाकर मैंने यह एक गंभीर प्रयास किया है कि किसानों के सामने जो समस्याऐं है, उनसे उनको मुक्ति मिले। यहां आज हम दिन भर किसानो की आत्महत्या के सवाल पर बहस कर रहे हैं। उसी बिन्दु को ध्यान में रखते हूए कल मैने अपने बजट भाषण में कहा था कि अब किसान इस देश में आत्महत्या करने के लिए बाध्य नहीं होगा, न किसी किसान को हम सिविल जेल भेजेगे इसलिए कि उसके पास कुछ ऋण बकाया रह गया हं। यहां यह प्रश्न नही उठा था लेकिन मैंने देश के कई भागों में देखा है, मैंने अपने प्रदेश में देखा है कि किसान खेत का काम छोड़कर, जब बोआई का टाइम है या कृषि के और कार्यों का टाइम है, खेत को छोड़कर जंगलो में भाग जाते हैं क्योंकि उनके पीछे प्रशासन उनको जेल में डालने के लिए लगा रहता है। यह दर्द मेरे अंदर था। इसलिए मैने कहा कि कोई किसान आगे से इस सरकार के रहते हुए जेल भी जाने के लिए बाध्य नहीं होगा, मरने की बात, आत्महत्या की बात तो छोड़ दीजिए। जो सवाल यहां पर यूरिया का उठाया गया, मैं सदन के सामने नम्र निवेदन करना चाहूँगा कि इसमें हजार, दो हजार करोड़ रुपये सरकार को प्राप्त हो जायेंगे, यह अपने आप

में बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि 1951 से फर्टिलाईजर की कीमतों को तय करने के लिए जो नीतियां चलाई गयीं, दन नीतियों के चलते एम० पी० के जो रेशो हैं, जो आदर्श अपने आप में चार, दो, एक का है, वह आसमान की तरफ भाग गया है। पता नहीं कितने डिस्टोर्शन उसमें आ गए हैं कि अब वह दस, दो, एक हो गया। जैसे कि मेरे मित्र सहयोगी सोमपाल जी कह रहे थे कि उसके चलते इसी देश में कितनी स्टडीज हुई है। इधर से कह रहे है कि हमने सुधार नहीं किया तो फिर जो हमारी भूमि की उर्वरकता है, उसके ऊपर गंभीर असर पड़ेगा और अगर यहां सारा रेगिस्तान बन जाता है तो उसकी जिम्मेदारी हम सब सदन में बैठे हुए लोगों की है चाहे कोई भी सरकार मे हो। यहां जितने लोग बैठे हैं, चाहे उस तरफ के लोग सरकार में रहे हैं, इस तरफ के लोग रहे है आज इस तरफ के लोग हैं, हम सब इस बात के लिए जिम्मेदार होंगें कि समय पर हमने इसकी चिन्ता नहीं की।

मै आपसे कहना चाहता हूँ कि हजार दो हजार रुपये भारत सरकार के बजट के लिए कोई औकात नहीं रखते। लेकिन इस बात के लिए कि हमारे किसान यूरिया की खपत थोड़ी कम करे और बाकी जो उर्वरक है, उनकी खपत कुछ अधिक हो और उनकी कीमतों में जो भारी डिस्टोर्शन आ गया है, उसको हम पाट सकें, इस दृष्टिकोण से हमने यह कदम उठाया था।

मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि प्लानिग कमीशन का एक स्टडी ग्रुप बना था। जिसने कहा था कि आठवी पंचवर्षीय योजना समाप्त होते-होते यूरिया की कीमतो में 30 प्रतिशत की बृद्धि होनी चाहिए । जब यह स्टडी ग्रुप बना था ओर उसने इस वरह की सिफारिश की थी, उस समय हम सरकार में नहीं थे। लेकिन फिर भी मै इतना कहना चाहूगा कि यहां आने से पहले जब हमने सारी भावनाओं पर विचार किया, फिर सदन में मैने यहां की भावना देखी तो मैने तत्काल इस सदन में इस बात की घोषणा कर दी। अब इसे कार्यान्वित कैसे करेगें, मैं इंद्रजीत गुप्ता जी से कहना चाहूंगा कि यह घोषणा है, कार्यान्वियन नहीं है। पब बजट पर चर्चा होगी तो इसे कार्यान्वित करने का सही तरीका ढूढ़कर हम आपके सामने रखेगें। लेकिन मैने इस बात की घोषणा करना आवश्यक समझा कि जहां हमारा पूरा बजट किसानोन्मुख है, किसानों की मदद के लिए है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए है और पूरे देश में आज के दिन इस बजट के बारे में यही भावना है, इस बारे में कोई गलत प्रचार न हो। इसीलिए मैंने कहा कि मैने कल वृद्धि की जो घोषणा की थी, उसे मैं 50 प्रतिशत रोल बैक कर रहा हूँ। यह घोषण मैंने सदन के सामने कर दी। मुझे लगता है कि किसानों की मित्रता के भाव से जो बजट पेश किया गया है, उसे हम सही अर्थ में देखें और कृपया इसमें राजनीति को नहीं लाएं। हम यहां पर जब किसानों की आत्महत्या की बात करते हैं तो क्या वह राजनीति का मुदद् है? किसान, जब जेल जाता है तो क्या वह राजनीति का मुद्दा है ? किसानों का मुद्दा राजनीति का मुददा नहीं है, किसानों का मुद्दा देश की अर्थव्यवस्था के लिए, देश की सामाजिक व्यवस्था के लिए सर्वोपरि प्राथमिकता का मुद्दा है और मैं चाहूंगा कि सदन उसे उसी भाव से ले।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैंने कोई राजनीतिक बात नहीं उठाई, मैने वैधानिक बात उठाई है। *(व्यवधान)*

श्री यशवंत सिन्हा : मैं आपको नहीं कह रहा हूँ ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आप इस ढंग से अपने प्रपोजल को नहीं बदल सकते। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री एन.के. प्रेमचन्दन (किंवलोन) : महोदय, किसानों की यह स्थिति नहीं है *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री अजीत जोगी (रायगढ) : यह सबसे ज्यादा किसान विरोधी बजट है। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री रघुवंश प्रसाद सिंह, कृपया वित्त मंत्री की बात सुनें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री यशवंत सिन्हा : मैं कहना चाहता हूँ कि यदि यह किसान विरोधी बजट है तो 25.7.91 को यूरिया की कीमत जो 3,300 हो गई, 14.8.95 को फिर आगे बढ़ी तो यह क्या पालीटिक्स है। *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कुछ भी रिकार्ड में नहीं जाएगा, इस मामले पर आगे कोई ओर चर्चा नहीं होनी चाहिए ।

*(व्यवधान)**

सभापति महोदय : अब हम गैर सरकारी सदस्यों का कार्य आरंभ करते हैं।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक

अपराह्न 3.39 बजे

(एक) गैर-सरकारी अन्वेषक विधेयक**

श्री अमर पाल सिंह (मेरठ) : महोदय, मैं प्रतात करता हूँ कि मुझे गैर-सरकारी अन्वेषकों को लाईसेंस देने तथा उन्हें कतिपय शक्तियां प्रदान करने का उपबंध करने वाले विधेयक को पुन:स्थापित करने की अनुमति दी जाएं ।

सभापति महोदय (श्री के० येरननायडू) : प्रश्न यह है :

"कि गैर-सरकारी अन्वेषकों को लाइसेंस देने तथा उन्हें कतिपय शक्तियां प्रदान करने का उपबंध करने वाले विधेयक को पुन:स्थापित करने की अनुमति दी जाएं ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री अमर पाल सिंह (मेरठ) : मै विधेयक पुर:स्थापित करता हूँ।

अपराह्न 3.39½ बजे

(दो) इलाहबाद उच्च न्यायालय (मेरठ मैं स्थायी न्यायपीठ की स्थापना) विधेयक**

[अनुवाद]

श्री अमर पाल सिंह (मेरठ) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि मुझे इलाहबाद उच्च न्यायालय की मेरठ में स्थायी न्यायपीठ की स्थापना के लिए उपबंध को विधेयक पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाएं ।

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

**भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-दो, खण्ड-2, दिनांक 2.6.98 में प्रकाशित।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

''कि इलाहबाद उच्च न्यायालय (मेरठ में स्थायी न्यायपीठ की स्थापना) के लिए उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति की जाएं।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अमरपाल सिंह : मैं विधेयक पुर: स्थापित करता हूँ ।

अपराहन 3.40 बजे

(तीन) राष्ट्रीय जनसंख्या नीति विधेयक*

[अनुवाद]

श्री अमर पाल सिंह (मेरठ) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि मुझे (राष्ट्रीय जनसंख्या नीति और देश में जनसंख्या नियंत्रण के उपायों और उससे संसक्त विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरास्थापित करने की अनुमति दी जाएं ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

''कि राष्ट्रीय जनसंख्या नीति और देश में जनसंख्या नियन्त्रण के उपायों और उससे संसक्त विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर: स्थापित करने की अनुमति दी जाएं।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अमरपाल सिंह : मैं विधेयक को पुर: स्थापित करता हूँ ।

अपराहन 3.40½ बजे

(चार) संविधान (संशोधन) विधेयक*

(अनुच्छेद 302 और 304 का संशोधन)

[अनुवाद]

श्री अमरपाल सिंह : मैं, प्रस्ताव करता हूँ कि मुझे भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर: स्थापित करने की अनुमति दी जाएं ।

सभापति महोदय (श्री के0 येरननायडू) : प्रश्न यह है कि :

''कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर: स्थापित करने की अनुमति दी जाएं।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अमर पाल सिंह : मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूँ ।

अपराहन 2.41 बजे

(पांच) जनसंख्या नियन्त्रण विधेयक*

[अनुवाद]

डा० टी० सुब्बारामी रेड्डी (विशाखापट्नम) : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि मुझे कुछ व्यक्तियों की अनिवार्य नसबंदी द्वारा जनसंख्या नियन्त्रण करने, छोटे परिवार के मानदंड को बढ़ावा देने के लिए उपाय करने और उससे संबंधित मामलों के लिए उपबंध करने वाले विधेयक को पुर: स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि :

''कुछ व्यक्तियों की अनिवार्य नसबंदी द्वारा जनसंख्या नियन्त्रण करने, छोटे परिवार के मानदंड को बढ़ावा देने के लिए उपाय करने और उसे संबंधित मामलों के लिए उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:- स्थापित करने की अनुमति दी जाएं।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

डा० टी० सुब्बारामी रेड्डी : मैं प्रस्ताव करता हूँ

अपराहन 3.41½ बजे

(छह) अनिवार्य मतदान विधेयक*

[अनुवाद]

डा० टी० सुब्बारामी रेड्डी : महोदय मैं प्रस्ताव करता हूँ कि मुझे देश में मतदाताओं द्वारा अनिवार्य रूप से मतदान करने और इससे संबंधित मामलों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर: स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि :

''मतदाताओं द्वारा अनिवार्य रूप से मतदान करने और इससे संबंधित मामलों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर: स्थापित करने की अनुमति दी जायें ।

प्रस्ताव स्वीकार हुआ।

डा० टी० सुब्बारामी रेड्डी : मैं विधेयक पुर: स्थापित करता हूं।

अपराहन 3.42 बजे

(सात) रोजगार के लिए उपबंध विधेयक*

[अनुवाद]

डा० टी० सुब्बारामी रेड्डी : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि प्रत्येक परिवार के कम से कम एक व्यस्क सदस्य को रोजगार अथवा स्वरोजगार के लिए साधन और संसाधन का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर: स्थापित करने की अनुमति दी जाएं ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि :

''प्रत्येक परिवार के कम से कम एक व्यस्क सदस्य को रोजगार अथवा स्वरोजगार के लिए साधन और संसाधन का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर: स्थापित करने की अनुमति दी जाएं ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

डा० टी० सुब्बारामी रेडडी : मैं विधेयक पुर: स्थापित करता हूँ।

उपराहन 3.42½ बजे

(आठ) चलचित्र (संशोषन) विधेयक*

(धारा 3 आदि के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन)

[अनुवाद]

डा० टी० सुब्बारामी रेडडी : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि मुझे चलचित्र अधिनियम 1952 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर: स्थापित करने की अनुमति दी जाएं ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि :

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-दो, खण्ड-2, दिनांक 2.6.98 में प्रकाशित।

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-दो, खण्ड-2, दिनांक 2.6.98 में प्रकाशित।

"कि चलचित्र अधिनियम, 1952 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुन:स्थापित करने की अनुमति दी जाएं।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

डा० टी० सुब्बारामी रेड्डी : मैं विधेयक पुर: स्थापित करता हूँ।

अपराहन 3.43 बजे

(नौ) वन (संरक्षण) संशोधन विधेयक*
(नयी धारा 3ग का अंत: स्थापन)

[हिन्दी]

श्री बची सिंह रावत 'बचदा' (अलमोडा) : महोदय, मै प्रस्ताव करता हूँ कि वन (संरक्षण) अधीनियम, 1980 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर: स्थापित करने की अनुमति दी जाए ।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वन (संरक्षण) अधीनियम, 1980 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर: स्थापित करने की अनुमति दी जाएं ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

श्री बची सिंह रावत 'बचदा' (अलमोडा) : महोदय, मैं विधेयक पुर: स्थापित करता हूँ ।

अपराहन 3.43½ बजे

(दस) लोकसभा (प्रकाशन) विधेयक*

[अनुवाद]

श्री जी०एम० बनातवाला (पोन्नानी) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि मुझे लोकसभा सचिवीय कर्मचारीवृन्द के प्रशासन का निरीक्षण करने तथा उससे संबंधित मामलों के लिए एक आयोग की नियुक्ति का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर: स्थापित करने की अनुमति दी जाएं।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है।

"कि लोक सभा सचिवीय कर्मचारीवृन्द के प्रशासन का निरीक्षण करने तथा उससे संबंधित मामलों के लिए एक आयोग की नियुक्ति का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर: स्थापित करने की अनुमति दी जाएं।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री जी०एम० बनातवाला (पोन्नानी) : महोदय, मै विधेयक पुर: स्थापित करता हूँ।

अपराहन 3.44

(ग्यारह) मंत्रियों संसद सदस्यों तथा सिविल कर्मचारियों द्वारा आस्तियों को घोषणा विधेयक 1998*

[हिन्दी]

श्री बची सिंह रावत 'बचदा' (अल्मोड़ा) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि मंत्रियों, संसद सदस्यों तथा सिविल कर्मचारियों की आस्तियों की घोषणा और उनकी सार्वजनिक जांच का उपबंध करने वाले विधयेक को

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-दो, खण्ड-2, दिनांक 2.6.98 में प्रकाशित।

पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि मंत्रियों, संसद सदस्यों तथा सिविल कर्मचारियों को आस्तियों की घोषणा और उनकी सार्वजनिक जांच का उपबंध करने वाले वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

[हिन्दी]

श्री बची सिंह रावत 'बचदा' (अल्मोड़ा) : महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूँ ।

अपराहन 3.44½ बजे

(बारह) आतंकबादी तथा विध्वंसकारी कियाकलाप (निवारण) (विधिक कार्यवाही को वापस लेना) विधेयक*

[अनुवाद]

श्री जी०एम० बनातवाला (पोन्नानी) : में प्रस्ताव करता हूँ कि आतंकबादी और विध्वंसकारी कियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1987 जो 23 मई, 1995 को व्यपगत हो गया था, के अन्तर्गत सभी विध्कि कार्यवाहियों को वापस लेने और उसके निवारण तथा उससे संसक्त अथवा अनुषांगिक मामलों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने को अनुमति दी जाये ।

सभापति महोदय (के. येरननायडू) : प्रश्न यह है कि

"आतंकबादी और विध्वंसकारी कियाकलाप निवारण अधिनियम, 1987, जो 23 मई, 1995 को व्यपगत हो गया था, के अन्तर्गत सभी विधिक कार्यवाहियों को वापस लेने और उसके निवारण तथा उससे संसक्त अथवा अनुषांगिक मामलों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री जी०एम० बनातवाला (पोन्नानी) : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूँ।

अपराहन 3.45 बजे

(तेरह) आरक्षण (सेवायें और उच्च शिक्षा) विधेयक*

[अनुवाद]

श्री जी०एम० बनातवाला : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि केन्द्रीय सरकार और सरकारी क्षेत्र के उपकमों के उधीन तथा उच्च शिक्षा संस्थाओं में पदों और सेवाओं में अ.जा.,अ.,ज.,जा., अन्य पिछड़े वर्गो और पिछड़े अल्प संख्यकों के लिये पर्याप्त आरक्षण करने और इससे संबंधित मामलों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि :

"केन्द्रीय सरकार और सरकारी क्षेत्र के उपकमों के अधीन तथा उच्च शिक्षा संस्थाओ में पदों और सेवाओं में अ.जा., अ.ज.जा., अन्य पिछड़े वर्गो आरक्षण करने और इससे संबंधित मामलों को उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये "

प्रसताव स्वीकृत हुआ।

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-दो, खण्ड-2, दिनांक 2.6.98 में प्रकाशित।

श्री जी०एम० बनातवाला : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूँ।

अपराह्न 3.45½ बजे

(चौदह) संविधान (संशोधन) विधेयक*
(अनुच्छेद 15 आदि का संशोधन)

[अनुवाद]

श्री जी.एम. बनातवाला (पोन्नानी) : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि :

"भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने को अनुमति दी जायें "

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री जी.एम. बनातवाला : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूँ ।

अपराह्न 3.46 बजे

(पन्द्रह) जनसंख्या नियन्त्रण विधेयक 1998*

[हिन्दी]

श्री बची सिंह रावत 'बचदा' (अल्मोड़ा) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि देश में जनसंख्या नियन्त्रण हेतु उपाय करने और इससे संबंधित मामलों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि :

"देश में जनसंख्या नियन्त्रण हेतु उपाय करने और इससे संबंधित मामलों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने को अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

श्री बची सिंह रावत 'बचदा' (अल्मोड़ा) : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूँ

अपराह्न 3.46½ बजे

(सोलह) बेरोजगारी भत्ता विधेयक*

[अनुवाद]

श्री आर. साम्बासिवा राव (गुन्टूर) : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि सभी शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों को बेरोजगारी भत्ता देने तथा उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि :

"सभी शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों को बेरोजगारी भत्ता देने तथा उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-दो, खण्ड-2, दिनांक 2.6.98 में प्रकाशित।

श्री आर. साम्बासिवा राव (गुन्टूर) : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूँ।

अपराह्न 3.47 बजे

(सत्रह) तम्बाकू उत्पादक (प्रसुविधा) विधेयक*

[अनुवाद]

श्री आर. साम्बासिवा राव : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि तम्बाकू उत्पादको के संरक्षण और कल्याण का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि :

"तम्बाकू उत्पादकों के संरक्षण और कल्याण का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि :

"तम्बाकू उत्पादकों के संरक्षण और कल्याण का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने का अनुमति दी जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री आर. साम्बासिवा राव : मैं विधेयक पुरः स्थापित करता हूँ।

अपराह्न 3.47½ बजे

(अठारह) मिर्च उत्पादक (सुविधा) विधेयक*

[अनुवाद]

श्री आर. साम्बासिवा राव : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि मिर्च उत्पादकों के संरक्षण और कल्याण का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि :

"मिर्च उत्पादकों के संरक्षण और कल्याण का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री आर. साम्बासिवा राव : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूँ।

अपराह्न 3.48 बजे

(उन्नीस) कपास उत्पादक (प्रसुविधा) विधेयक*

[अनुवाद]

श्री आर. साम्बासिवा राव (गुंटूर) : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि कपास उत्पादकों के संरक्षण और कल्याण के लिए एक विधेयक पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि :

"कपास उत्पादकों के संरक्षण और कल्याण का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करनी की अनुमति दी जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री आर. साम्बासिवा राव : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूँ।

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-दो, खण्ड-2, दिनांक 2.6.98 में प्रकाशित।

अपराह्न 3.48½ बजे

(बीस) संविधान (संशोधन) विधेयक*
(नए अनुच्छेद 51 ख का अंत: स्थापन)

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापति करने की अनुमति दी जाए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि :

''भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह : महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं ।

अपराह्न 3.49 बजे

(इक्कीस) संविधान (संशोधन) विधेयक*
(अनुच्छेद 174 का संशोधन)

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय (श्री के० येरननायडू) : प्रश्न यह है कि :

''भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : सभापति महोदय, मैं विधेयक पुर:-स्थापित करता हूं

अपराह्न 3.50 बजे

(बाईस) संविधान (संशोधन) विधेयक*
(अनुच्छेद 29 क आदि का अत: स्थापन)

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए ।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि :

''भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : सभापति महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं ।

अपराह्न 3.51 बजे

(तेईस) विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए पदों में रिक्त स्थानों का आरक्षण विधेयक*

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए पदों में रिक्त स्थानों के आरक्षण का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए ।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि :

''विश्व विद्यालयों और कालेजों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए पदों में रिक्त स्थानों के आरक्षण का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर: स्थापित करने की अनुमति दी जाए ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह : सभापति महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.51½ बजे

(चौबीस) भारतीय दंड संहिता (संशोधन) विधेयक*
(धारा 376 का संशोधन)

[हिन्दी]

श्री प्रभुदयाल कठेरिया (फिरोजाबाद) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारतीय दंड संहिता में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए ।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि :

''भारतीय दंड संहिता में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर: स्थापित करने की अनुमति दी जाए।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

श्री प्रभुदयाल कठेरिया (फिरोजाबाद) : सभापति महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-दो, खण्ड-2, दिनांक 2.6.98 में प्रकाशित।

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-दो, खण्ड-2, दिनांक 2.6.98 में प्रकाशित।

अपराह्न 3.52 बजे

(पच्चीस) मंत्रियों, संसद सदस्यों तथा लोक सेवकों की आस्तियों की जांच विधेयक*

[हिन्दी]

श्री प्रभुदयाल कठेरिया (फिरोजाबाद) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि मंत्रियों, संसद सदस्यों तथा लोक सेवकों की आस्तियों की जांच के लिए उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए ।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि :

"मंत्रियों, संसद सदस्यों तथा लोक सेवकों की आस्तियों की जांच के लिए उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

श्री प्रभुदयाल कठेरिया : सभापति महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूँ।

अपराह्न 15.53 बजे

(छब्बीस) लोक प्रतिनिधत्व (संशोधन) विधेयक*
(नई धारा 8ख का अंतस्थापन)

[हिन्दी]

श्री प्रभुदयाल कठेरिया : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए ।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि :

"लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरास्थापित करने की अनुमति दी जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

[हिन्दी]

श्री प्रभुदयाल कठेरिया (फिरोजाबाद) : सभापति महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूँ ।

अपराह्न 3.54 बजे

[अनुवाद]

गैर-सरकारी सदस्य का संकल्प
(राष्ट्रीय आवास नीति)

सभापति महोदय : अब सभा मद संख्या - 27 पर विचार करेगी। डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय द्वारा राष्ट्रीय आवास नीति से संबंधित संकल्प पर चर्चा शुरू करने से पहले हमें चर्चा के लिए समय निर्धारित करना है । क्या हम दो घंटे का समय निर्धारित करें ?

अनेक माननीय सदस्य : जी हाँ, महोदय।

सभापति महोदय : डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय।

[हिन्दी]

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय (मंदसौर) : सभापति महोदय, हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो सभी को प्रभावित करती है। भारत जैसे विशाल देश में जहां की जनसंख्या गरीबी की रेखा से नीचे पचास प्रतिशत से भी ज्यादा हो और उसके बाद भी उसकी बढ़ती हुई आबादी निरन्तर इस दबाव को बढ़ाए जा रही हो, ऐसी ही कुछ मूलभूत समस्याओं में आवास भी ऐसी समस्या है जिसके बारे में चिंता करने की आवश्यकता है। आवास ऐसी समस्या है जिसके बारे में सभी का चिंतित होना आवश्यक है।

अपराह्न 3.55 बजे

[श्री बेनी प्रसाद वर्मा *पीठासीन हुए*]

करोड़ों लोग इस आवासीय सुविधाओं से वंचित है। जिसमें पास आवासीय सुविधायें हैं, वे भी ठीक से नहीं हैं, पिफर चाहे वह ग्रामीण क्षेत्र हों या शहरी क्षेत्र हो। दोनों ही क्षेत्रों में यह समस्या विद्यमान है। इस बारे में यद्यपि समय-समय पर विचार हुआ और नीति निर्धारण की दिशा में कुछ कार्यक्रम भी हाथ में लिए गए। एक राष्ट्रीय नीति के निर्धारण की बात भी हुई और सदन में उस रूप में प्रस्ताव भी आए। प्रस्ताव पारित भी हुए, लेकिन उस प्रकार से उनको कियान्वित नहीं किया गया, जिस प्रकार से होना चाहिए था, इसका परिणााम यह हुआ कि वे लोग जो ठीक से अपना जीवन-यापन करना चाहते हैं, जीवन बिताना चाहते हैं, उनको खुले आकाश के नीचे अपना जीवन बिताना पड़ रहा है या बड़े महानगरों के अन्दर ओर-ब्रिजेज के नीचे अपनी जिन्दगी बिताते हैं या बड़े-बड़े शहरों में झुग्गी-झौपडियों में अपना जीवन बिता रहें हैं। एक तरफ तो ये झुग्गी-झौंपडियां हैं और दूसरी तरफ बहते गन्दे नाले, उनमें पलते हुए कीड़े-मकोड़े और उनके साथ रहते करोड़ों की संख्या में भारत के भाग्य-विधाता, जिनमें नन्हे-मुन्ने बच्चे भी हैं, वे अपना जीवन बीता रहे हैं। जहां एक तरफ हम रोटी की समस्या के बारे में चर्चा करते हैं, रोजी की समस्या के बारे में चर्चा करते हैं, वहीं मकानों की समस्या के बारे में निश्चित रूप से चिन्ता किए जाने की आवश्यकता है ।

महोदय, 1992 में एक राष्ट्रीय आवास नीति बनाए जाने की बात आई और उस समय संसद में विचार हुआ तथा 1994 में उसको स्वीकृति दे दी गई, लेकिन आगे उसके बारे में पंचवर्षीय योजनाओं में राशि आवंटित की जानी चाहिए थी और योजना आयोग द्वारा इस बारे में विशेष लक्ष्य निर्धारित करके राशि दी जानी चाहिए, उसके द्वारा ठीक से चिन्ता नहीं की गई। आज परिणाम यह हुआ है कि करोड़ों की तादाद में लोग बेघर हैं और अपना जीवन जहाँ-तहाँ करने के लिए मजबूर हैं। मैं निवेदन कर रहा था कि एक राष्ट्र संघ द्वारा डिक्लेरेशन दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि सन् 2002 तक हम ऐसी व्यवस्था करें, जिसमें प्रत्येक पुरुष को शैलेटर मिल सके, एक छाया मिल सके और एक आवास मिल सके। लेकिन उस व्यवस्था में जिस प्रकार की गति आनी चाहिए थी, वह गति नहीं आ पाई है। इस योजना के द्वारा मकान बनाने की काफी चर्चा हुई और इंदिरा आवास योजना के द्वारा भी मकान बनाने की योजना पर चर्चा हुई। आवास बनाने की जो विभिन्न एजेंसिया हैं, फिर चाहे वह हुडको हो या प्राइवेट एजेंसियां हों, उनके द्वारा जो प्रयत्न किए जाने चाहिए थे, वे प्रयत्न भी सफल नहीं हुए।

इसी प्रकार बीस सूत्री कार्याक्रम के द्वारा भी ग्रामीण क्षेत्रों में मकान बनाने का कार्यक्रम हाथ में लिया गया और कुछ मकान पांच वर्षों में, कुछ मकान दस वर्षों में तथा कुछ मकान बीस वर्षों में भी पुरे नहीं हुए तथा कुछ तो बनने के बाद धराशाही हो गए। इसका नतीजा यह हुआ कि आवास की आवश्यकता यथावत बनी रही तथा आदमी अवासहीन बना हुआ है। इंदिरा आवास योजना के द्वारा भी मकानों को बनाने के बारे में

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-दो, खण्ड-2, दिनांक 2.6.98 में प्रकाशित।

कुछ पहल की गई थी औरजो प्रकिया हाथ में ली गई, उस प्रकिया को स्वदोष प्रक्रिया ही कहा जा सकता है, दोषमुक्त प्रकिया नहीं।

अपराह्न 4.00 बजे

इस रूप में आज हम इससे काफी प्रभावित हैं, इस कमी के बारे में काफी चिन्तित हैं। यद्यपि हमारी सरकार ने इस बारे में एक नीतिगत निर्णय लिया है औा नीतिगत निर्णय लेते हुए एक आवास नीति बनाने की बात कही है और अपने राष्ट्रीय एजेंडा के अंदर कहा है कि हम एक लक्ष्य निर्धारित करेंगे, वह लक्ष्य होगा-"दलितों को और वंचितों को प्राथमिकता के आधार पर मकान बनाने का, प्रतिवर्ष लाखों की तादाद में मकान बना कर" हम आवश्यकता की पूर्ति करेंगे, लेकिन इस दिशा में क्या नीति होगी, क्या विधि होगी, प्रकिया होगी, इस बारें में कुछ भी स्पष्टतः नहीं कहा गया है। मैं चाहूँगा कि इसके बारे में सरकार स्पष्ट रूप से बताए। मैं राष्ट्रीय एजेंडा में से उद्धृत कर रहा हूँ।

> "आवास मानव की बुनियादी आवश्यकता है जिसे प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने की जरूरत है। अतः हम राज्य सरकारों से परामर्श कर एक राष्ट्रीय आवास और निवास नीति बनाएंगे, जिसका उद्देश्य सभी को आवास प्रदान करना होगा। इस लक्ष्य की सिद्धि के लिए हम प्रति वर्ष 20 लाख अतिरिक्त आवास ईकाइयों का निर्माण करेंगे, अन्य कार्यक्रमों की भांति इसमें भी गरीबों और वंचितों को लाभ देने पर बल दिया जाएगा।"

मैं मंत्री जी से जानना चाहूँगा, यद्यपि इसके बारे में नीतिगत निर्णया हुआ है लेकिन नीति कब बनेगी। इस बारे में जो विसंगतियाँ हैं उनको दूर करने के लिए क्या कोई कॉम्प्रीहेंसिव बिल, समेकित विधेयक लाने का प्रयास करेंगे, लाएंगे, जिससे कि एक निश्चित समयावधि में हम काम को पूरा कर सकें और इस कठिनाई से मुक्ति पा सकें। प्राइवेट एजेंसियाँ भी इस मामले में कुछ काम कर रही हैं लेकिन वे मुनाफे के आधार पर काम कर रही हैं, ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमा रही हैं और इसीलिए यह कहावत बनती जा रही है-"कि एक तरफ भूमाफियाओं का जाल है और दूसरी तरफ इनके साथ लगे दलालों का जाल है।" यह भूमाफियाओं का जाल जो बढ़ता जा रहा है, उसमें हर प्रकार के लोग हैं। उसमें मकान बनाने वाले भी हैं। मैं टाइम्स ऑफ इंडिया से उद्धृत कर रहा हूँ, जो 26 जनवरी, 1998 को प्रकाशित हुआ जिसमें बताया गया है कि प्राइवेट एर्जेसियाँ भी असफल रही हैः-

[अनुवाद]

> "प्राइवेट सैक्टर को आवासीय उद्योग में सम्मिलित करने के हरियाणा माइन के आपेक्षित परिणाम नहीं मिलें हैं, कम से कम 1980 के शुरू में गुड़ गांव में अत्यधिक प्रचार के साथ शुरू किए गए पायलेट फेस में तो नहीं मिले हैं।
>
> बाद में आने वाली सरकारों ने इन वर्षों में बहुत से कानून लागू किए तथा बहुत सी प्रकियाओं का सरलीकरण भी किया। पुलिस सहित प्रवर्तन अभिकरणों को शक्तियाँ दी गई ताकि भूमि हड़पने वालों को पकड़ा जा सके तथा तेजी से बढ़ती हुई अनाधिकृत कालोनियों को भी रोका जा सके। कानून में प्राइवेट डेवेलपर्स के लिए यह अति आवश्यकता है कि वे आवंटित की जाने वाली भूमि में से डेवेलप्ड साइट के लिए कुल अंकित भूमि का कम से कम 10 प्रतिशत सुलभ मूल्यों पर आर्थिक रूप से पिछड़े हुए वर्गो में से उन लोगों के लिए रखें जो निराश्रय हैं।"

मैं निवेदन कर रहा था कि इस बार भी प्राइवेट एजेंसियाँ असफल रही हैं, उनका कोई बड़ा योगदान नहीं रहा है, केवल लाभ की बात थी। आवास निर्माण परियोजना के संबंध में राजस्थान में विशेष कार्य किया है। राजस्थान पत्रिका में दिया हुआ है, जो 24 जनवरी को प्रकाशित हुआ है—

> "राजस्थान आवासन मंडल ने अपनी आवास निर्माण परियोजनाओं को निर्धारित अवधि में पूरी कराने और अवैध निर्माण व अतिकमण रोकने के लिए सतर्कता प्रकोष्ठ गठित करने का निर्णय किया है। यह सतर्कता प्रकोष्ठ मंडल के आवास निर्धारित अवधि में बने या नहीं, इस बारे में विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, मंडल अधिनियम में सर्तकता प्रकोष्ठ का प्रावधान नहीं होने के कारण प्रकोष्ठ का गठन आवास निर्माण परियोजना पर निगरानी करने के नाम से किया जाएगा तथा उसे अवैध निर्माण व अतिकमण रोकने की जिम्मेदारी भी सौंपने का विचार हुआ।"

इस प्रकार अन्य राज्य सरकारों ने भी कुछ निर्णय लिया किन्तु वे राज्य सरकारें भी उन निर्णयों का पालन करवाने में असफल रहीं। चेम्बर ऑफ कामर्स द्वारा आवासीय कठिनाईयों पर गहरी चिंता जताई है।

महोदय, मेरा निवेदन है कि आज जो स्थिति बनी हुई है और हम जिस हालत में रह रहे हैं, जैसे कि मैंने निवेदन किया, आज जो मकानों की आवश्यकता है, मैंने कहा कि क़रोड़ों की तादाद में मकानों की आवश्यकता है, लगभग 350-400 करोड़ मकानों की आवश्यकता 1992-93 की स्थिति के अनुसार थी, यदि इसी प्रकार स्थिति रही तो सन् 2002 तक जो स्थिति बनेगी वह लक्ष्य से काफी आगे होगी और उस रूप में हमारे लिए एक चिन्ताजनक स्थिति बन जाएगी। इस हेतु नेशनल हाउसिंग बैंक, जीवन बीमा, अर्बन हाउसिंग डेवेलेपमेंट बैंक भी पूरी मदद करें ताकि समस्या का हल हो सके।

जैसा मैंने कहा कि विभिन्न कार्यकमों के अन्तर्गत जो मकान बनाने की योजनाएं प्रारम्भ की गयी हैं। उनसे कुछ राज्य थोड़े बहुत लाभन्वित हुए हैं। लेकिन जिन राज्यों की आवश्यकता बहुत ज्यादा थी उन राज्यों को बहुत अधिक और अपेक्षित लाभ नहीं मिल सका है। वहाँ पर अभी भी मकानों की समस्या बनी हुई है। मैं उन राज्यों के बारे में निवेदन कर रहा था जिनमें आज भी लोग अत्यन्त संकटपूर्ण स्थिति में हैं। ये आवास योजनाएं फिर चाहे हुडको द्वारा बनाई गयी हों, प्राइवेट एजेंसीज द्वारा बनाई गई हों, राज्य सरकार के राज्य गृह निर्माण मंडलों द्वारा बनाई गयी हों या अन्य किसी एर्जेसी के द्वारा बनाई गयी हों, उन सब के द्वारा की जा रही कार्यवाही के बावजूद भी ग्रामीण क्षेत्रों में मकानों की बहुत बड़ी आवश्यकता हैं। गाँवों में भी आवास के लिए उपयुक्त व्यवस्था नहीं है। लोगों को वहाँ भी अपना जीवन-यापन कठिनाई से करना पड़ रहा है। हमारे एन आर आई भी इस बारे में मदद करना चाहते हैं, उनसे भी मदद लें।

इस दिशा में मध्य प्रदेश बहुत पिछड़ा हुआ है। जितनी उनकी आवश्यकता है उतने आवास नहीं है। इंदौर, भोपाल, उज्जैन, मंदसौर, जबलपुर या रतलाम जैसे नगरों में जहाँ की आबादी बढ़ती जा रही है वहां पर झुग्गी-झोंपड़ियों की संख्या भी निरंतर बढ़ती चली जा रही है। मैं पिछले दिनों रीवा नगर गया था। वहां बाढ़ आई थी। और उस बाढ़ में बहने वाले मकानों में सबसे ज्यादा संख्या झुग्गी-झोंपड़ियों की थी। वहां लोग मजबूरी में झुग्गी-झोंपड़ियों में रहते हैं। मैं समझता हूं कि आवास समस्या हमारी और केन्द्र सरकार की भी जिम्मेदारी है जिसको हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए मैंने निवेदन किया कि अभी एक राष्ट्रीय आवास और निर्माण नीति बनाई जाए, जिसके तहत एक समयावधि में यह संकल्प लिया जाए कि इतने समय में इतने मकान निश्चित रूप से बनाए जाएंगे जिससे हम दलितों और वंचितों को जिनको अब तक आवास उपलब्ध नहीं है आवास दिला पाएंगे।

मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। अभी मध्यप्रदेश राज्य सरकार द्वारा कुछ मकान बनाए गये और एक लागत मूल्य तय किया गया, लेकिन दलित और वंचित उस मूल्य को देने के लिए भी समर्थ नहीं होते हैं। मैंने कुछ उन स्थानों को देखा हैं जहाँ मकान बनकर तैयार खड़े थे लेकिन

[डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय]

चूंकि मूल्य का भुगतान करने में वे दलित और वंचित असमर्थ थे, अत: मकान खाली पड़े रहे और पांच बरस बाद धराशायी हो गये, या फिर उनका समान लोग उठाकर ले गये। इस तरह से जो कार्य किया जा रहा है, वह उचित नहीं है। जो हुडको द्वारा राज्यवार स्वीकृत योजनाएं हैं उनके विस्तार में मैं नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन जैसा मैंने मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तथा और भी जो राज्य हैं उनके बारे में चिंता जताई, वह चिंता नहीं की गयी है। इस योजना के बारे में जो युद्ध-स्तर पर ठीक ढंग से विचार किया जाना चाहिए, वह विचार नहीं किया जा रहा है। आवास हेतु सस्ते दर पर ऋण व जमीन उपलब्ध है।

मैं चाहूँगा कि जो प्रस्ताव मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ उस प्रस्ताव के बारे में गंभीरता से विचार करें। मैं माननीय सदस्यों और सदन से अनुरोध करूंगा कि इसका समर्थन करते हुए इसको अपनी सहमति प्रदान करें, ताकि जो प्राथमिकता आवश्यकता है। उस प्राथमिक आवश्यकता की पूर्ति की दिशा में हमारा जो उत्तरदायित्व है, जवाबदारी है, उसको हम पूरा कर सकें। केन्द्र सरकार की तरफ से हमें एक संदेश मिले कि केन्द्र सरकार भी उतनी ही चिंतित है जितनी इस बारे में चिंता किये जाने की आवश्यकता है। कई एजेंसीज हैं, कई निर्माण व सलाह देने वाली संस्थाएं व कई अन्य संगठन हैं सब मिलकर इस कठिनाई को हल करने की दिशा में प्रयास करें।

नवभारत टाइम्स में दो दिन पहले आवास योजना के बारे में जो प्रकाशित हुआ है उसको मैं बताना चाहूँगा। मेरे अनुमान के अनुसार तो करीब साढ़े चार करोड़ मकान बनाये जान चाहिए, लेकिन उनके अनुसार तीन करोड़ मकानों की आवश्यकता है। मौजूदा आवास-निर्माण कार्यकमों के अलावा हर साल 20 लाख मकानों की आवश्यकता पड़ेगी। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए शहरी मामलों के मंत्रालय ने आवास के लिए नगर विकास से सक्रिय सहयोग लेने का फैसला किया है। मैं इसे उद्धृत करते हुए निवेदन करना चाहता हूँ कि ये सब महसूस कर रहे हैं कि यह एक गंभीर चुनौती भरी आवश्यकता है। इस आवास-निर्माण योजना को युद्ध-स्तर पर नहीं लिया गया तो निश्चित रूप से आगे चलकर यह संकट और गहराएगा। आज विज्ञान का युग है, इसमें नई तकनीक लेकर मकानों का निर्माण किया जाए।

जैसा मैंने कहा वह भले ही यूनाइटेड नेशन्स डिक्लेरेशन हो कि हम 2002 तक सब को शैल्टर दे देंगे। ऐसे में वे शैल्टरविहीन ही बने रहेंगे। इस पेपर के अंत में कहा गया है:

> "यदि आवास निर्माण योजनाओं को युद्ध स्तर पर नहीं लिया गया तो जनसंख्या की रफ्तार के सामने सभी लक्ष्य रह जाएंगे। तीन करोड़ मकानों की कमी अगले पांच सालों के दौरान दुगनी से भी ज्यादा हो सकती है।"

जैसा मैंने चिन्ता व्यक्त की है कि अगले सालों 2002 तक आवासीय आवश्यकता की लगभग एक हजार करोड़ तक पहुंच सकती है। इस पर चिन्ता किए जाने की आवश्यकता है। *(व्यवधान)* इनके हिसाब से छ: करोड़ होगी लेकिन मेरे अनुमान के हिसाब से यह संख्या एक हजार करोड़ तक पहुंच सकती है। इस दिशा में सरकार एक निश्चित नीति और कार्यकम बनाए। अगर एक काम्प्रीहैंसिव बिल लाना पड़े तो वह भी लेकर आए। इन्हीं शब्दों के साथ में अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूँ।

> "इस सभा का मत है कि सरकार आगामी पांच वर्षों में आवास की समस्या को काफी हद तक हल करने की दृष्टि से मुख्यत: निर्धनों और वंचितों के लाभार्थ प्राथमिकता के आधार पर एक राष्ट्रीय आवास नीति बनाए।"

[अनुवाद]

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ

> "कि इस सभा का मत है कि सरकार आगामी पांच वर्षों में आवास की समस्या को काफी हद तक हल करने की दृष्टि से मुख्यत: निर्धनों और वंचितों के लाभार्थ प्राथमिकता के आधार पर एक राष्ट्रीय आवास नीति बनाएँ।"

श्री पृथ्वीराज दा. चव्हाण (कराड) : सभापति महोदय, मैं डॉ. लक्ष्मीनारायण पाण्डे की प्रशंसा करता हूँ कि उन्होंने इस संकल्प को सभा में रखा। भोजन और वस्त्र के बाद आवास मनुष्य जीवन की एक प्रमुख आवश्यकता है। हम भोजन तथा वस्त्र की आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सफल नहीं रहे परन्तु आवास के क्षेत्र में तो हम अंशमात्र आवश्यकता भी पूरी कर पाने में असफल रहे हैं। चूंकि आवास राज्य का विषय है इसलिए केन्द्र की भूमिका केवल विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के तहत राज्य सरकारों को नीतिगत निर्देश देने तक ही सीमित है। इसके सम्बंध में कोई व्यापक राष्ट्रीय नीति नहीं बनाई जा सकी। परन्तु यह संयुक्त राष्ट्र की नवम्बर 1998 में की गई "ग्लोबल शैल्टर स्ट्रेजी 2001" संबंधी घोषणा थी। जिसने सभी राष्ट्रों की सरकारों का राष्ट्रीय आवास नीति बनाए जाने के लिए आह्वान किया। इस सभा में राष्ट्रीय आवास नीति पर वाद-विवाद हुआ जिसे मई, 1992 में बनाया तथा हमारे समक्ष प्रस्तुत किया गया था।

भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपने शासन की राष्ट्रीय एजेन्डा में नेशनल हाउसिंग एण्ड हैबिटैट पॉलिसी नामक एक नई राष्ट्रीय नीति– की बात की तथा प्रति वर्ष 20 लाख अतिरिक्त आवास बनाने की बात कही। चाहे यह 1992 की राष्ट्रीय आवास नीति है अथवा कोई और नीति। जो भाजपा सरकार लाना चाहती है, पर पहली बार राष्ट्र ने व्यापक राष्ट्रीय नीति की ओर सोचना शुरू किया है। यद्यपि 1992 की नीति काल्पनिक प्रतीत हो सकती है। परंतु मेरे विचार से परन्तु वह कम से कम राष्ट्र की सर्वाधिक कठिन समस्या, आश्रयहीनता की समस्या, आवास की अपर्याप्तता की समस्या से निपटने की दिशा तो दिखाती है।

इसके पहले कि हम इस बात पर गहनता से विचार करें कि क्या किया जाना चाहिए ? आइए एक नजर समस्या की गंभीरता पर भी डाली जातीं। आज अनेक समस्याएं हैं, बढ़ते हुए शहरीकरण की मलिन बस्तियों की ग्रामीण आवासों की स्वामित्व ये अधिकार ही, प्रभुत्व अधिकार की समस्याए आदि यह स्पष्ट है कि देश में शहरीकरण तेजी से हो रहा है। जहां वर्ष 1991 में शहरों की जनसंख्या 25.7 प्रतिशत थी, वर्ष 2001 में उसके 31 प्रतिशत बढ़ जाने की संभावना है। 41 प्रतिशत के लगभग दशकीय बढ़ोतरी होगी। शहरीकरण से झुग्गी झोपड़ियों की बस्ती बढ़ रही है। ऐसा अनुमान है कि वर्ष 1991 में शहरी जनसंख्या लगभग 4.67 करोड़ रुपये लोग लगभग 21.4 प्रतिशत झुग्गी -झोपड़ी में रहते थे। वर्ष 2001 में इस जनसंख्या के बढ़कर 6.4 करोड़ होने की संभावना है।

आवासों की कमी तथा उपलब्ध आवासों की संख्या के बारे में विभिन्न अनुमान हैं। वर्ष 1991 की जनगणना से पता चलता है कि आवासों की कमी के कारण लगभग 162 मिलियन परिवार 131 मिलियन आवासों में रहते थे जिससे वर्ष 1991 में करीब 31 मिलियन आवासों की कमी थी। 6 अगस्त, 1997 के लोग सभा के प्रश्न में 21.23 मिलियन आवासीय यूनिटों की कमी बताई गई थी, परन्तु यदि आप आवास संबंधी योजना आयोग के कार्यदल को देखते हैं तो उसमें 2001 आवासों की कमी तक 41 मिलियन आवास तथा 64 मिलियन के बीच होगी। ऐसा लगता है कि इस सम्बन्ध में मतैक्य नहीं है कि कितने नए आवासों की वास्तव में आवश्यकता है तथा कितने आवासों का उन्नयन होना है तथा कितनों की मरम्मत होनी है। परन्तु एक बात बिल्कुल स्पष्ट है हम पूरी तरह से आवास विहीनता को समाप्त करने के लिए लगभग 30 से 40 मिलियन नए आवासों को

बहुत कम समय से 5 वर्ष में बनाने की बात कर रहे हैं कि जैसा कि श्री पाण्डेय ने कहा है। एक एक बहुत बड़ी समस्या है।

जो नई राष्ट्रीय आवास नीति मई, 1992 में बनी थी तथा जिस पर वर्ष 1994 में इस सभा में चर्चा भी हुई थी जिसमें कुछ व्यापक उद्देश्यों तथा कुछ अति विशिष्टि लक्ष्य उल्लेख किये गये थे। वर्ष 1992 की नीति की मुख्य विशेषताएँ है। भूमि की पर्याप्त आपूर्ति तथा पर्याप्त वित्त और समुचित आधारभृत सुविधाएं इसमें व्यापक पैमाने पर निजी क्षेत्र को शामिल करके तथा कानूनी बाधाओं को दूर करके इन लक्ष्यों को प्राप्त करने की बात की गयी है। इस नीति का उद्देश्य निजी क्षेत्र को अधिकाधिक शामिल करना; आवासीय वित्त में वृद्धि; सरकार की भूमिका का भवन निर्माता से सुविधादाता के रूप में बदलना है। *(व्यवधान)*

श्री ए.सी. जोस : महोदय, सरकार की ओर से यहां कोई भी उपस्थित नहीं है।

श्री पृथ्वीराज दा. चव्हाण : आवास मंत्री है, आवास मंत्री वहां बैठे हैं।

सभापति महोदय : आवास मंत्री बैठे हुए हैं।

(व्यवधान)

श्री पृथ्वीराज दा. चव्हाण : शहरी विकास मंत्री बैठे हैं। मुझे आशा है कि वे मेरी बात सुन रहे होंगे।

श्री ए.सी. जोस : मुझे वह दिखाई नहीं दे रहे हैं *(व्यवधान)*

श्री वैको (शिवकाशी): वह पहली पंक्ति में बैठे हुए है।

श्री पृथ्वी राज दा. चव्हाण : आवास नीति में अपेक्षाकृत सर्विस भूमि के बड़े भू भाग किराये के मकानों तथा बाजार से आने वाली भू सेवाओं के आड़े आने वाली कानूनी बाधाओं को दूर करने की व्यवस्था की गई है। परन्तु मुझे इस नीति से एक परेशानी है। वर्ष 1992 की नीति में आवास को परिभाषित किया गया है। वर्ष 1992 की नीति में आवासों के बारे में कुछ मानदंड बनाने की बात की गयी है। इसमें ग्रामीण आवासों तथा शहरी आवासों हेतु क्रमश: 85 वर्ग मी. के प्लाट पर 20 वर्ग मीटर तथा 25 वर्ग मीटर निर्मित क्षेत्र की बात की गयी है परन्तु इसमें आवासों के संबंध में व्यापक चर्चा नहीं की गई है।

मैं यहाँ पर स्वास्थ्य एवं पर्यावरण के बारे में विश्व स्वास्थ्य संगठन के 1992 के प्रतिवेदन पर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ जिसमें विश्व स्वास्थ्य संगठन ने आवास के आवश्यक मूलभूत सेवा जैसा कि पेय जल, शौचालय संबंधी सुविधाओं, आवासीय स्थलों की कोटि, खाना पकाने वाले ईंधन के कारण प्रदूषण के अन्य कारणों से पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव के व्यापक अर्थ से परिभाषित करने की बात की गयी है जैसा कि हम जानते हैं कि चूल्हा भारतीय घरों में प्रचलित है इन सभी को आवास की परिभाषा के अंतर्गत लाने की आवश्यकता है, मेरा मानना है यदि सरकार का विचार एक नई नीति को लाने का है तो मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ। कि वह एक बार फिर इसके अंतर्गत परिभाषा वाले भाग को देखे।

मैं आवास के मामले में झेली जा रही कानूनी अड़चनों के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। सरकार की शहरी भूमि अधिकतम सीमा तथा विनियामक अधिनियम का निरसन करने को किराया नियन्त्रण अधिनियम, सम्पत्ति हस्तान्तरण अधिनियम भूमि अधिग्रहण अधिनियम तथा अन्य बहुत से अधिनियम जो कि विकास मार्ग में बाधक है, में संशोधन करने की योजना है अधिनियमों में से अधिकांश का उद्देश्य काफी अच्छा है।

इन्हें मुख्यत: इसलिए प्रभावपूर्ण ढंग से कार्यान्वित नहीं किया जा सका क्योंकि आवास राज्य का विषय है और इन कानूनों में से अधिकांश को विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा लागू किया जाना है। मैं समझता हूं कि मॉडल किराया विधि परिचालित की जा चुकी है यह सभा दिल्ली किराया नियन्त्रण अधिनियम पारित कर चुकी है परन्तु काफी लम्बे समय तक इसे अधिसूचित नहीं किया जा सका। इसके अधिसूचित किए जाने के पश्चात् यह सरकार इसे फिर बदलना चाह रही है। यदि आप इस गंभीर समस्या को दूर करना चाहते हैं तो इसमें जिस बात की जरूरत है वह है राजनैतिक इच्छा भूमि अधिग्रहण प्रकियाओं में भी तेजी लाने की की जरूरत है।

जब आप अतिरिक्त वित्त की बात करते हैं तो इसके लिए नया अधिरिक्त बन्धक पत्र बनाने की जरूरत है समाप्ति के विधान को लागू करने की जरूरत है। मास्टर प्लान मानकों को संशोधित तथा भवन मानेकों तथा उपनियमों में परिवर्तन करने की जरूरत है एक नमूना विधेयक अपार्टमेन्ट स्वामित्व विधेयक तथा भवन निर्माताओं तथा विकास करने वालों को नियन्त्रित करने के लिए भी एक विधेयक प्रयास किराया नियन्त्रण अभिकरण है। बहुत से कार्य जो वैधानिक तरीकों से किए जा सकते हैं मंत्री जो स्वयं में गणमान्य वैधानिक व्यक्ति है, शहरी विकास का विभाग भी देख रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि वह आवास से संबंधित सभी कानूनों में कुछ कानूनी नवीनतायें शामिल करने के लिए अपनी विधि सम्बन्धी पूरी सूझ-बूझ का प्रयोग करेंगे।

वित्त, औपचारिक तथा अनौपचारिक दोनों ही अर्थों में अंतत: आवास हेतु एक अत्याधिक महत्वपूर्ण तथा निर्णायक घटक है क्योंकि भारत में अधिकांश आवास व्यवस्था लोग स्वयं स्ववित्तपोषण के माध्यम से करते हैं अर्थात् लोग स्वयं ही औपचारिक क्षेत्र में आवास बनाते हैं। सकल घरेलु उत्पाद के अनुपात के रूप में सकल निर्धारित पूंजी निरन्तर घट रही है। यह वर्ष 1980-81 में 3.2 प्रतिशत थी जो वर्ष 1991-1992 में घट कर 2.6 प्रतिशत रह गई। नौवीं योजना के कार्यदल के अनुसार 16.8 मिलियन आवासों को बनाने के लिए 1,21,000 करोड़ रुपये का अनुमान लगाया गया था। इसमें 34,000 करोड़ रुपये औपचारिक कार्य हेतु तथा 87,000 करोड़ रुपये अनौपचारिक कार्य हेतु है।

उद्योग के रूप में आवास तथा भवन निर्माण की चिरलंबित मांग पूरी कर ली गई है। आशा है इस क्षेत्र के लिए अधिक ऋण उपलब्ध होगा। इससे पहली सरकार के लिए सरकारी व्यय को 2,424 करोड़ रु. बढ़ाकर आठवीं योजना में 6,377 करोड़ रुपये कर दिया गया। परन्तु यह पर्याप्त नहीं है। राष्ट्रीय आवासीय बैंक का प्रचलन बढ़ाया गया था। हुडको की पूंजी बढ़ायी गई जैसा कि मैंने पहले कहा है कि इसमें निजी क्षेत्र से बड़े पैमाने पर धन निवेश की आवश्यकता है आरम्भ में हम 17 मिलियन भविष्य निधि दाताओं को आवासीय गतिविधियों में शामिल कर सकते हैं। कुछ आरम्भिक शुरूआत पहले ही का जा चुकी है।

इन्दिरा आवास योजना ने ग्रामीण आवास व्यवस्था में आसाधारण योगदान दिया है। 1985-1995 तक हमने 3 मिलियन से अधिक, आवास बनाए हैं। अत्यधिक निर्धनों अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों को भूमि के स्वामित्य का अधिकार देकर तथा उनके अपने मकान में रहने का अधिकार देने के इस कार्यकम को और बढ़ाने की आवश्यकता है। इसे और भी अच्छी तरह चलाना होगा।

मुझे विश्वास है कि सरकार ग्रामीण आवास व्यवस्था के इस अति महत्वपूर्ण कार्यक्रम को बढ़ाएगी।

अब मैं मलिन बस्तियों की समस्या पर चर्चा करता हूँ जैसा कि मैंने प्रारम्भ में कहा था कि मलिन बस्तियों में लोगों की संख्या दिन-प्रतिदिन बढ़ रही है। सरकार को यह बात बिल्कुल स्पष्ट करना चाहिए कि वह बढ़ती हुई मलिन बस्तियों की समस्याओं के बारे में क्या करना चाहते हैं।

[श्री पृथ्वी राज दा. चव्हाण]

दिल्ली, मुम्बई तथा बड़े महानगरों में मलिन बस्तियों के स्वामित्व की संस्कृति एक गंभीर समस्या बन रही है।

महोदय, मैं अधिक समय नहीं लूंगा मैं, यह बात कह कर अपनी बात समाप्त करूंगा कि आवासों की कमी आवास हीनता तथा अपर्याप्त आश्रय स्थलों की समस्या की गंभीरता में यह मांग उभर कर आई है कि संविधान में रहने के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया जाना चाहिए।

महोदय, इस समस्या को सर्वाधिक प्राथमिकता देने की आवश्यकता है। जिस भावना से इस संकल्प को सभा में लाया गया तथा वर्ष 1994 में राष्ट्रीय आवास नीति पर इस सभा में हुई चर्चा को भी ध्यान में रखना चाहिए। चाहे वह 1994 की राष्ट्रीय आवास नीति हों या भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा प्रस्तावित नई नीति हो, यह कार्य तब तक कागजी बना रहेगा जब तक कि इसके लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति तथा जनमत बनाने की दिशा में एक गंभीर प्रयत्न न किया जाए।

मैं, डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय को सभा के समक्ष यह संकल्प लाने के लिए धन्यवाद देता हूँ तथा माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूँ कि वह इस गंभीर समस्या को उसी भावना से समाधान करें जिस भावना से यह संकल्प पेश लिया गया है।

श्री मोहन सिंह (देवरिया): सभापति महोदय, मैं आदरणीय डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय जी के प्रस्ताव के समर्थन में अपनी बात कहने के लिए खड़ा हुआ हू। इस आग्रह के साथ कि डा० पाण्डेय अंत तक अपने प्रस्ताव पर डटे रहेंगे और सरकार के दबाव में किसी असत्य आश्वासन पर, अपने इस महत्वपूर्ण और जनहितकारी प्रस्ताव को वापस नही लेगे।

किसी भी लोक कल्याणकारी राज्य की यह खास खूबी होती है कि जो बंधी हुई आमदनी के लोग हैं उनके बंधी हुई कीमत पर, जो कम आमदनी के लोग है, उनको सस्ती कीमन पर और जो लोग बिना आमदनी के हैं उनको बिना किसी कीमत के आवास मुहैया करें। मैं आंकड़ों में नहीं जाता। बहुत सारे सर्वे इस देश में हुए हैं और उन सभी के अनुसार लगभग 30 से 35 करोड़ लोग भारत में बिना घर और परिवार के रह रहे हैं। मोटे तौर पर हम गांव और शहरों में इस बात को देख सकते है। गावों में रोजगार का अभाव हो रहा है। गांव से गरीब आदमी रोजगार की तलाश में बड़े शहरों की ओर भाग रहे हैं। बड़े शहरों में सफाई के नाम पर, क्षेत्रीयता के नाम पर उनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। वह भारत जैसे देश के लिए एक चिन्ता का विषय है।

सभापति महोदय, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि 1974 में एक क्रन्तिकारी कानून इस देश में बना था जिसके जरिए इस बात का संकल्प किया गया था कि भारत के बड़े बिल्डर्स, जो सस्ती कीमत पर लोगों की बड़ी-बड़ी जमीनें खरीदकर ऊंची दरों पर घर देने का काम कर रहे हैं, इसे रोकने के लिए भारत सरकार अपनी तरफ से शहरी हदबन्दी कानून लागू करे ताकि गरीब लोगों को सस्ती कीमत पर मकान मुहैया कराए जा सकें। इसी मंशा से इस कानून को इस संसद ने 1974 में पास किया था लेकिन पिछले 25 वर्षो की वर्किंग ने हमें इस बात के लिए मजबूर किया कि उस कानून को खत्म किया जाए। पूर्ववर्ती सरकार ने उस कानून को खत्म करने का निर्णय लिया और नई सरकार उस पर अमल करने का काम कर रही है। जरुरत इस बात की थी कि इस कानून पर सही ढंग से अमल होता, लेकिन जो शहरों में रहने वाले लोग थे, बड़े लोग थे, शहरों में रहने वाले बड़े राजनेता थे, उन लोगों ने भू माफिया से मिलकर पवित्र मंशा से बने हुए कानून को खत्म किया। नतीजा यह हुआ कि भूमि बड़े लोगों के हाथ में शहरों में रही और गरीबों को जो मकान देने का संकल्प था, जो फैसला था, उस फैसले को आप कार्यान्वित नहीं कर सके। मैं यह आग्रह करना चाहता हूं कि सरकार एक खास नीति की घोषणा करें। 1992 में इस संसद में एक आवास नीति को घेषित किया था। उस पर एक लम्बी बहस हुई थी लेकिन उस नीति को पेश करने वाले जो मंत्री थे, आज वह आदालत के दरवाजे पर खड़े है क्योंकि उनके ऊपर इस तरह के इल्जामात है कि उन्होंने लोगो को, सरकारी अधिकारियों को खास तौर से अपने स्टाफ के लोगों को सरकारी क्वार्टर्स के आवटंन में बहुत सारी गड़बडियां की हैं। मेरी निजी जानकारी में उन लोगों के पास फ्लैट हो गये लेकिन जिस विभाग के वह मंत्री थे, जिनकी जिम्मेवारी थी कि गरीब लोगों को इस नरह के आवास मुहैया करायें, लेकिन उस काम में वह नाकामयाब रहे, उस काम को वह नही कर सके। इस मंश से अलग-अलग जगहों पर विकास प्राधिकरणों का गठन हुआ। [illegible]ार ने इस मंशा से विकास प्राधिकरण का गठ[illegible] किया लेकिन वह सभी विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के अपने [illegible]ज़ाम के अड्डे हो गयें। यही बगल में एक बहुत बड़ा प्राधिकरण है जिसको हम नोएडा के नाम से जानते हैं। आज जमीन का आवंटन, लोगों के घर आबंटन का मामला अदालत में विचाराधीन है और उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने इस बात पर प्रतिबंध लगा दिया है कि [illegible]वंटन के पूरी समीक्षा उनकी तरफ से होगी। दिल्ली शहर में रहने वाले जो बड़े राजनेता हैं, बड़े अफसर हैं, उन्होने वहां जमीन ले ली, उन्होंने वहां सस्ती कीमत पर घर ले लिये, लेकिन गरीबों को एक भी घर नहीं मिला। बहुत से विकास प्राधिकरणों में इस बात की घोषणा की गई थी जो समाज के दलित लोग हैं उनको अपली आबादी के हिसाब से सभी विकास प्राधिकरणों में आबंटन में आरक्षण मिलेगा। लेकिन उस नीति का पालन किसी भी विकास प्राधिकरण ने अपने-अपने शहर में नहीं किया। यदि आप गांव की ओर जाएं तो आज भी जो दलित बस्तियां हैं उनकी कितनी बुरी हालत है उनके बारे में मैं आपसे कहना चाहता हूं। मुझे ठीक से याद है जब पाटील साहब यहो पर आपके आसन पर, अध्यक्ष के आसन पर विराजमान थे, उस समय अंतर्राष्ट्रीय सांसद सम्मेलन हुआ और एक विशेष रेलगाड़ी आगरा में पर्यटन के लिए दुनिया भर से आये हुए सांसदो को ताजमहल दिखाने के लिए गई। उसमें सौभाग्य से मैं भी बैठा था। चूंकि वह ट्रेन सुबह रवाना हुई। हमने देखा कि रास्ते के दोनों तरफ लोटा लिये गांव के लोग सड़क और रेल की पटरी के किनारे बैठे थे। दुनिया भर के जो सांसद आये थे वे बहुत उत्सुकता से उनको देख रहें थे। आस्ट्रेलिया के एक सांसद ने मुझसे पूछा कि ये लोग क्या कर रहे हैं? मैंने शर्म से कहा कि यह रेलवे लाइन के किनारे योगाभ्यास कर रहे हैं। हमारे देश में इतनी बुरी हालत है कि गांव में हमारी ग्रामीण महिलाएं, रास्ते में लोटा लेकर बैठी होती है, उनका पेट साफ नहीं होता, उनको अपना बदन साफ करने के लिए पानी उपलब्ध नहीं है। ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र में ऐसे घरों की आवश्यकता है, जिनमें शौचालय की पूरी व्यवस्था हो और वे अपनी जगह को साफ रख सकें। बड़े शहर कलकत्ता में मैने देखा कि एक छोटी सी गुमटी मे टियर बनाकर लोग रह रहे हैं। जैसे रेलवे के टूटियर और थ्री टियर होते हैं, उसी तरह की टियर की व्यवस्था लोगों ने अपनी छोटी-छोटी गुमटियों में की हुई है। जिनमें आदमी मेहनत करने के बाद 5-6 घंटे बारी-बारी से आराम करते है। इस तरह की हालत शहरों में हो गई। कुछ ऐसे बड़े शहर हैं जिनमें सफाई के नाम पर संकीर्ण मानसिकता के लोगों का प्रभाव हो गया है। वे कहते है कि यह शहर एक खास इलाके के लोगों का है। बाहर से आकर यहां लोग हमारे शहर को गंदा करें इसलिए ऐसे लोगों को हमारे शहर पें रहने की इजाजत नहीं। उनकी झोपड़ियां, झुग्गियां उनके रिहायश के इलाके वहां से उजाड़े जा रहें है क्षेत्रियता के नाम पर, स्थानीयता के नाम पर इस और आपका ध्यान जाना बहुत ही जरुरी है। मुझे ठीक से याद है जब श्री राजीव गांधी जी ने हिन्दुस्तान की, दुनिया की जो सबसे बड़ी मलिन बस्ती है, बम्बई का धरावी इलाका, उसके विकास के लिए करोड़ों रुपये दिये। वहां भवनों का आवंटन हुआ और लोग वहां गये लेकिन जो कमजोर वर्ग के लोग है, उन्होने अपने ही घर को जो सस्ती कीमत पर या मुफ्त

में सरकार ने उनको मुहैया कराये थे, बेचकर फिर से झुग्गी-झोपड़ी में चले गये।

मुझे ठीक से याद है, श्री टी॰ ए॰ पई हिन्दुस्तान की लाइफ इंश्योरेंस कार्पोरेशन के चेयरमैन हैं, मुम्बई टैक्सीमैन यूनियन ने अपना एक संगठन बनाकर उनसे 4 प्रतिशत सूद दर पर जमीन ली और कुर्ला में डा॰ राम मोहर लोहिया के नाम पर टैक्सीमैन के लिए एक बस्ती बनी। बस्ती बनाकर उनको 5,000 से 10,000 रुपये में आवास दे दिए गऐ उसके एक-डेढ़ साल बाद, वे उन आवासों को 4-5 लाख रुपये में बेचकर फिर से झुग्गी-झोंपड़ी में चले गए। आज गांवो में कानून है कि किसी भी दलित की जमीन को कोई आदमी नही खरीद सकता। उसी तरह का एक कानून बनना चाहिए कि जहां आप सरकार की ओर से सस्ती कीमत पर या मुफ्त में आवास मुहैया करते हैं, उस आवास को किसी भी कीमत में कोई दूसरा आदमी नही खरीद सकता। ऐसा एक कानून बनना चाहिए ताकि इस तरह की प्रक्रिया को रोका जा सके। मैं थोड़े से सुझावों के साथ दूसरा आग्रह करना चाहता हूं कि परम्परागत ढंग से गांवो में जो हरिजन बस्तियां हैं, उनको नए सिरे से बसाने की एक महत्वाकांक्षी योजना बननी चाहिए। गांवों में पुराने जमीदारों की जमीन पर, अपना हल जोतने के लिए थोड़ी सी जगह पर रिहाइश देकर, झोंपड़ी बनाने की जगह देकर, पुराने जमीनदारों ने गांवो में हरिजन बस्तियां बसाई। आज वे उतने ही में महदूद है। उनके छोटे-छोटे जानवर, उनके सूअर, उनकी पाली हुई बकरियां यदि किसी के खेत में गई या तो उनका वध होता है या पिटाई होती है। इसलिए गांवो के लिए भी आपने 2-2 संगठन बनाए जिनको सूडा और डूडा के नाम से जाना जाता है, वे भी अपने मकसद में बिलकुल कामयाब नही हुए। उनकी बैठकें नहीं होती। उसमें स्लम डवैलर्स के लिए मकान बनाने और मलिन बस्तियों के सुधार की जितनी कोशिश होनी चाहिए, ये प्राधिकरण अपने लक्ष्य से भटक रहे हैं। उनके कियाकलापों को सुदृढ़ करने के बारे में भारत सरकार को सोचना चाहिए।

मैं कहना चाहता हू कि यहां पर जो हुडको है, जिसकी ओर से आसान कीमत पर बहुत सीमित सूद दर पर, प्राधिकरणें को साधारण लोगों के मकान बनाने के लिए पैसा दिया जाता है, उसकी आप समीक्षा करें कि विकास प्राधिकरणों को हुडको ने जितना पैसा दिया और उसका इस्तेमाल किस सीमा तक हुआ। हाउसिंग डैवलपमैंट बैंक बना, उसके लिए आपने कानून बनाया कि जो भी पैसा एक्साइज या कस्टम डयूटी से, मुकदमे से बचा हुआ होगा, वह उस बैंक में जाएगा और वह बैंक पूरे देश में हाउसिंग डैवलपमैंट का काम करेगा। लेकिन 3-4 साल पहले इसी सदन में इस बात पर चर्चा हुई कि उस बैंक के प्रबंधक ने सारे शेयर्स को हाउसिंग के कार्य में न लगाकर पैसा कमाने की दृष्टी से उन्हें बेच दिया, वे सारे शेयर्स डूब गए और बैंक दुर्दशा की गति को प्राप्त हो गया। इस सारी परिस्थितियों के बारे में भारत सरकार सोचे और एक योजना बनाएं। जब हम 21वीं शताब्दी में पर्दापण करने की कोशिश कर रहे हैं। भारत एक सभ्य मुल्क है। दुनिया को ऐसा संदेश देने की बात कर रहे हैं, तो उस देश में 21वीं शताब्दी में जब हमारी आबादी एक अरब से ऊपर हो जाएगी, आज हम दुनिया के दूसरे नम्बर के देश हैं लेकिन 21वीं शताब्दी में हम आबादी के लिहाज से भी दुनिया के नम्बर एक देश हो जाएंगे। लोगों का ऐसा आकलन है कि सन 2010 तक हमारे देश की आबादी चीन से भी अधिक हो जाएगी। जब हमारी आबादी एक अरब 10 करोड़ हो जाएगी तो उस समय तक हमारे देश में स्लम डवैलर्स की आबादी लगभग 50 करोड़ हो जाएगी। यह हमारे आजाद हिन्दुस्तान के लिए, भारत जैसे अपने को सभ्य मुल्क घोषित करने वाले देश के लिए, बहुत ही शर्म की बात है। इस लिए भारत सरकार एक महत्वाकांक्षी योजना बनाकर, समाज के जो गरीब, कमजोर, असहाय, निर्बल लोग हैं उन्हें मकान दें क्योंकि इंदिरा आवास योजना के तहत पूरे ब्लॉक भर में, यदि उसकी आबादी एक-डेढ़ लाख की है और उसमें 25,000-30,000 दलित वर्ग के लोग रहते हैं एक ब्लॉक में करीब-करीब 40,000 के आसपास कमजोर वर्ग के ऐसे लोग होंगे जिनके पास मकान नहीं हैं। एक ब्लॉक में आप इंदिरा विकास योजना के अंतर्गत एक दर्जन घर बनाने की छूट देते हैं। उस घर को देने के लिए आबंटन की जो पद्धति है, उसमें जिस तरह की लूट हैं, गरीब आदमी पक्षपात का शिकार होकर, उसका अपेक्षित लाभ उठाने में विफल हो रहा हैं इसलिए मैं आग्रह करना चाहता हूं कि इंदिरा आवास योजना के तहत आपका जो बजटीय आबंटन है, उसमें वृद्धि होनी चाहिए।

हर ब्लाक में, हर खण्ड में एंक महत्वाकांक्षी योजना बनाकर इसी शताब्दी के प्रथम वर्ष तक हम सभी गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों को घर मुहैया करा दें, ऐसा घर जो शौचालययुक्त हो, उस झार में शौच जाने की पूरी व्यवस्था हो, सफाई हो, इस व्यवस्था के साथ ऐसा घर हम दे सकें इस योजना को हमें अंजाम देना चाहिए ।

इन्ही शब्दों के साथ में डा॰ पांडेय के प्रस्ताव का इस उम्मीद के साथ पुरजोर समर्थन करता हूं कि वे किसी भी हालत में इसे वापस नहीं लेंगे और हमारे जैसे लौगों का समर्थन प्राप्त करने का अपने को हकदार मानेंगे। मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करते हुए आपको धन्यवाद देता हूं।

(व्यवधान)

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर): मैं आपको मकान दे रहा हूं न।

श्री शैलेन्द्र कुमार (चैल): माननीय सभापति जी, भार्गव जी बोल रहे हैं, मैं चाहूंगा कि सबसे पहले यहां माननीय सांसद महोदय बैठे हुए है और खासकर जो बेचारे नये चुनकर आये हैं, वे एक कमरे में अपने भवनों में गुजारा कर रहे हैं, इस लिए आपसे निवेदन है कि हम लोगों को जब मकान नहीं मिल पा रहा है तो पूरे भारतवर्ष को जो गरीब जनता है, उसको कैसे आवास देगें, इस विषय में भी कुछ कहना चाहेंगे?

श्री गिरधारी लाल भार्गव : चूंकि मैं आवास समिति का सभापति हूं, जहां पहले 6-6 महीने में आवास का आबंटन होता था, मैने आफिसर्स के साथ बैठ कर पीने दो महीने में माननीय सदस्यों को आवास दे दिये हें और मुझे उसके नाते बहुत लोगों के धन्यवाद भी मिले हैं। पर मेरी कठिनाई यह हे कि जो आवास अभी तक खाली नहीं हो रहे हैं और लोगों को मकान नहीं मिल पा रहे हैं, मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी यहां पर विराजमान है, माननीय स्पीकर साहब से मैंने निवेदन किया है, सम्पदा अधिकारी से मैने निवेदन किया है कि वे मकान खाली हो जायें और आपको मिल जायें। मुझे उम्मीद है कि जून के महीने में आपको बाहर गर्मी में तड़पन न हो, आप अपने पंखे के नीचे बैठें, अपने मकान के अन्दर बैठे। जितना मुझसे प्रयास हो सकता है, मैं प्रयास कर रहा हूं।

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल): मिनिस्टर साहब हैं, आप नोटिस देने से पहले हमारा मकान तो एलाट कर दीजिए । आप हमारा अपमान करते हो। मुलायम सिंह को भी नोटिस दे दिया। हमारा मकान कहां एलाट किया है, बताओ?

श्री गिरधारी लाल भार्गव : अब पांच मिनट का मैं समय लेकर आदरणीय डा॰ लक्ष्मी नारायण पांडेय ने जो प्रस्ताव रखा है, मैं भी भाई मोहन सिंह जी के साथ अपने आपको जोड़ते हुए यह बात कहना चाहूंगा कि यह बहुत बड़ी समस्या है।

माननीय मंत्री जी यहां विराजमान हैं, इसका निदान होना बहुत जरूरी है। यह समस्या गांव की भी है और शहरों की भी है कच्ची बस्ती गांवों में भी हैं और कच्ची बस्ती शहरों में भी है। एक व्यक्ति को दो चीजें आवश्यक होती हैं, पहला आवास और दूसरा भोजन। भोजन न मिले तो फिर भी आदमी पानी पीकर, चने खाकर अपना काम चला

[श्री गिरधारी लाल भार्गव]

लेगा, लेकिन यदि आवास नहीं मिलेगा तो मैं समझता हूं कि आदमी दुखी होता है, यह मेरा आपसे विनम्र निवेदन है।

सरकार ने 20 सूत्री कार्यक्रम भी बनाया है, इन्दिरा आवास योजना भी बनी है, पर इन्दिरा आवास योजना में अच्छे मकान नही बनते हैं। जो मकान बनते है, कई बार बारिश में गिर जाते हैं। मैं समझता हु कि इस ओर भी ध्यान देना बहुत आवश्यक है। भरतीय जनता पार्टी की यह जो मिली-जुली सरकार है, इसने इस साल अपने बजट में काफी राशी इन्दिरा विकास योजना को आगे बढ़ाने के लिए रखी है, इसलिए मैं सरकार को अपनी ओर से और सब लोगों की ओर से, इसमें कही कोई विरोध नहीं होना चाहिए, धन्यवाद देना अपना परम कर्तव्य समझता हूं। इसके बाद राष्ट्रीय आवास नीति बनी है। कच्ची बस्तियां दो प्रकार की होती हैं, मैं यहां पर निवेदन कर देना चाहता हूं, एक कच्ची बस्ती वह जो योजनानुसार बनाई जाती है और एक कच्ची बस्ती वह जो जैसे के तैसे लोग बैठे हुए हैं, उनको वहां पर बैठा दिया जाता है। भारत सरकार ने जो बस्ती योजनानुसार बैठना चाहती है, उस बस्ती के नाते तो प्रति व्यक्ति अपने डेढ़ रुपया, चार रुपये, पांच रुपये देने की घोषणा की है पर जो बस्ती यों की यों रहना चाहती है, यों की यों बसना चाहती हैं, जैसे कहीं पर किसी का मकान फ्रंट रो में आ गया तो वह अपनी दुकान बनाना चाहेगा, मेरा अर्थ यह है कि सब इरेस्पेक्टिव है, दोनों में जो भेद भाव भारत सरकार ने कर रखा है कि जो बस्ती ठीक प्रकार से बसेगी, उसको तो अनुदान देंगे और जो बस्ती इसी प्रकार से रहेगी, उसको अनुदान नहीं देंगे। दोनों को समान रूप से अनुदान मिलना चाहिए, ऐसा मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है। प्रति व्यक्ति जो पैसा मिल रहा है, उसमें भी अब महंगाई के कारण उस रकम को बढ़ाया जाना चाहिए।

कच्ची बस्ती ठीक प्रकार से बस जाए, वहां पर शौचालय की, पानी की और बिजली की व्यवस्था हो। इसके साथ वहां रहने वाले लोगों के बच्चों के लिए पार्क या खुले मैदान और प्राइमरी तथा मिडल स्कूल की भी व्यवस्था होनी चाहिए। अगर इन सुविधाओं का आभाव रहेगा तो वह कच्ची बस्ती ही रहेगी।

सभापति महोदय, आपने दिल्ली आते-जाते हुए देखा होगा कि रेल लाइन के किनारे किनारे कच्ची बस्तियां बसी हुई हैं और उनमें हजारों लोग रह रहे हैं। जयपुर शहर में भी ऐसी ही व्यवस्था है। उनको जब तक पक्की बस्ती में परिवर्तित नहीं करेंगे, तब तक हम मानव की सेवा नहीं कर पाएंगे। इसी तरह से गंदे नाले के साथ-साथ लोग रहते हैं। उनके घरों में, झोंपड़ियों में गंदगी का राज रहता है। वहां कीड़े-मकौड़ों की भांति लोग रहते हैं। देश की आजादी के इतने वर्षों के बाद भी हम उनके लिए कुछ नहीं कर पाए। यदि हम वास्तव में मानव की सेवा करना चाहते हैं तो उनको नालों के किनारों से उठाकर अच्छी जगह पर बसाना चाहिए। क्योंकि वहां जब बारिश आ जाती है तो और गंदगी फैलती है, जिससे कई किस्म की बीमारियां घर कर लेती हैं। आवास मंडल और हाउसिंग बोर्ड ने उनको मकान नहीं दिए हैं। इसलिए उनको वहां से उठाकर पक्की और खुली जगह पर बसाया जाए।

कच्ची बस्तियों में रहने वाले लोगों को कहीं भी मकान नहीं मिल रहे हैं। अगर कहीं मिल भी जाते हैं तो सरकार उस कच्ची बस्ती को साफ करके कब्जा नहीं करती, जिसका परिणाम यह होता है कि वहां रहने वाले लोग अपने पौत्रों या अन्य लोगों का कब्जा वहां करा देते हैं और उनको उस जगह का या झोंपड़ी का हकदार बना जाते हैं। फिर सरकार की तरफ से घोषणा होती है कि 1981 तक वाली बस्तियों का नियमन किया जाएगा। कच्ची बस्ती का मामला वोटों से भी जुड़ा है। हमें उनसे वोट मिलते हैं इसलिए हम कह देंगे कि 1990 तक का नियमन करेंगे या कोई और तारीख अपनी महूलियत के हिसाब से फिक्स कर देंगे। इस लिए वोटों की राजनीति न करते हुए हमें इस समस्या को मानवीयता के आधार पर समझना चाहिए। जो जहां बैठा है, वह वही कच्ची बस्ती में बैठा रहेगा, इस नारे के आधार पर हम कच्ची बस्तियों का कल्याण नहीं कर सकते। इसलिए सभी माननीय सदस्यों को इस पर विचार करना चाहिए।

हमें सीलिंग की भूमि से उनको जमीन देनी चाहिए। मंत्री जी लैंड सिलिंग एक्ट खत्म करने जा रहें हैं। इस कानून का आशय था कि सबको जमीन सस्ते रेट पर मिलें।जमीन मिल जाने के बाद कर्जा मिले और आसान किस्तों पर मिले, तभी-तभी लोगों को लाभ मिलेगा। मैं अपने राज्य की सरकार की बात कहना चाहता हूं। जयपुर में विद्याधर नगर नाम की योजना बनी। 19 वर्ष में 19 रुपये महीना देने की घोषण की गई। इससे वहां लोगो के अच्छे मकान बन गए। इसी प्रकार की योजना लम्बे वर्षो की बनाई जाए तो लोगों को ठीक से लाभ मिल सकता है। इस पर भी आपको विचार करना चाहिए । इस तरह से लोगों को अच्छे टाइप के मकान मिलेंगे और एक निश्चित समय में मिलेंगे। लेकिन मेरा अनुरोध है कि इसमें भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। अगर मैटिरियल में गड़बड़ हो गई, भ्रष्टाचार पनप गया तो लोगों को कोई सुविधा नहीं मिलेगी। आप चाहें तो हुडको से मकान बनवाएं और चाहें तो आवास संस्थाओ से बनावाएं, लेकिन ये दोनों भी अपना कमीशन नहीं छोड़ती है। जयपुर शहर में यदि मैं सांसद के प्रतिवर्ष के फंड से सड़क बनवाता हूं तो 40 प्रतिशत सी०पी०डब्ल्यू०डी० वाले ले लेंगें। इसी तरह से एक हैंडपम्प का 45,000 रुपया ले लेते हैं, चाहे उसमें दो ही पाइप क्यों न गाड़ी जाएं। आखिर सांसद का फंड भी भारत सरकार का ही है। अगर कहीं दो पाइप गाड़ी जाएं तो दो का ही पैसा लिया जाना चाहिए, चार गाड़ी जाती हैं तो चार का पैसा लेना चाहिए। सड़क पर पूरी तरह से डामर नहीं डाला जाता है। इसलिए जो सांसद के कोष का एक करोड़ रुपये का प्रावधान भारत सरकार ने किया है जो एक वर्ष में मिलता है, इस सम्बन्ध में सरकार नीति बनाए। यदि सांसद के पैसे से विकास का काम होता है या हैडपम्प लगाया जाता है तो उतना ही पैसा काटा जाए। इसी तरह से सड़क बनाने के लिए 40 प्रतिशत कमीशन न लिया जाए।

स्कूल में यदि कमरा बनवाते हैं, उसमें जो कमीशन दिया जाता है, वह कमीशन नहीं दिया जाना चाहिए। यह भारत सरकार की नीति होनी चाहिए । यदि ऐसा हो गया तो मैं समझता हूं कि एक करोड़ रुपये का समुचित प्रयोग हो सकेगा।

मैं लक्ष्मी नारायण जी से भी यह विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि वह इस प्रस्ताव पर अड़े रहें और सरकार से भी मेरा

निवेदन है कि वह भी निश्चित रुप से गरीबों के हित में, मानव के हित में, इनको कच्ची झोपड़ियों से उठाने की दिशा में कुछ काम करें। यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी यह काम नहीं कर सकी तो मैं समझता हूं कि यह बहुत बड़ा अपराध होगा। इसलिए इस सरकार को मजबूती प्रदान करने के लिए माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि मानव की सेवा करने का एक सुअवसर सरकार को मिलेगा। वक्त आता है, वक्त चला जाता है, केवल याद रह जाती है। अत: सरकार से मेरा निवेदन है कि वह कच्ची बस्ती के लोगों को ऊपर उठाने के लिए उनके लिए ठीक प्रकार से रहने की व्यवस्था करे तथा उनको सस्ते मकान मिलें, इस सबंध में आप विचार करेंगे,-ऐसा में मानता हूं। आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए में आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री शिवराज वी. पाटील (लातूर): सभापति महोदय, आज जो विषय यहां पर लिया गया है, वह बहुत महत्वपूर्ण है और इसके लिए हमें लक्ष्मी नारायण जी को बधाई देनी चाहिए। आदमी के जीने के लिए कुछ मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, जैसे कि अनाज, कपड़ा और मकान। ये तीनों चीजें जब तक हम अपने नागरिकों को नहीं देते हैं, तब तक हमने अपनी जिम्मेदारी

पूरी की है, ऐसा कहा नहीं जा सकता। खुशकिस्मती से हमारे काश्तकारों ने ऐसा काम किया कि हम आज अपने देश में इतना अनाज पैदा कर रहे हैं कि अनाज के मामले में किसी को खास तकलीफ नहीं होती है। इसी प्रकार से हमारे देश में कपडे के लिए भी किसी को तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं है। आज कपड़ा इतना बना हुआ है कि उसे हम यहां पर नहीं बेच सकते हैं और बाहर भी नहीं बेच सकते हैं। उन कपड़ों का क्या किया जाए, यह सवाल हमारे समक्ष बना हुआ है।

तीसरी बात मकान देने की या शैल्टर देने की है। अगर हम देखें तो हमने अपने लोगों के प्रति यह वादा पूरा नहीं किया है। अब समय आ गया है कि यह वचन भी हमको पूरा करना होगा लेकिन हम सोचते हैं कि आज ऐसा क्यों हुआ जब हमने अपने देश के विकास की बात को सामने लिया। कुछ लोगों ने सोचा था कि हम जब मकान बनाते हैं तो वह प्रोडक्टिव इंवेस्टमेंट नहीं है। मकान पर खर्च करने में कोई उपज नहीं होती और इसलिए मकान का मामला कुछ देर तक रूक सकता है, ऐसा हमने सोचा तथा इसी वजह से आज तक हमने मकान बनाने का काम पूरा नहीं किया।

आज जबकि हमारी जनसंख्या बहुत बढ़ गई है, यह काम अत्यधिक जटिल हो गया है। इसको पूरा करने के लिए हम सबको मिलकर कुछ करना जरूरी है। सवाल यह आता है कि इसके लिए क्या करना जरूरी है? मैं ऐसा मानता हूं कि अगर मकान बनाकर देने का प्रश्न हल करना है तो हमें सबसे पहले जमीन लोगों को देनी जरूरी है। जब तक जमीन नहीं मिलती तब तक मकान नहीं बनाया जा सकता। देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास एक छोटा सा कमरा बनाने के लिए भी जमीन नहीं है। उन लोगों को सबसे पहले जमीन देना बहुत जरूरी है।

नगरों मे भी जिन लोगों के पास घर नहीं हैं, जिनको जमीन नहीं मिलती, उनको भी जमीन देने के लिए ध्यान देना पड़ेगा। शहरों में जमीन की कीमतें बहुत बढ़ गई हैं। जब तक घर बनाने के लिए जमीन नहीं मिलती, तब तक घर नहीं बनाया जा सकता है। प्रश्न यह है कि जमीन देने का काम हम कैसे कर सकते हैं, इस बारे में भी हमे सोचने की जरूरत है।

जहां तक देहात का प्रश्न है, अगर सरकार के पास जमीन है, तो देहात के लोगों को जमीन देनी चाहिए। अगर वहां पर जमीन नही है, तो जमीन एक्वायर करके या जमीन खरीदकर इन लोगों को देनी चाहिए। कम कीमत पर जमीन देना जरूरी है और जब तक यह जमीन नही दी जाएगी, तब तक देहात का गरीब आदमी मकान नही बना सकेगा। जहां तक शहरों का सवाल है, मैं इस सवाल को दो भागों मे बांटता हूं - एक टाउन और दूसरे शहर। टाउन्स में भी जमीन की कीमत बहुत बढ़ गई है। यहां जमीन नगर परिषद् की तरफ से, कारपोरेशन की तरफ से एक्वायर की जा सकती है, प्लाट्स बनाए जा सकते हैं तथा जो लोग मकान बनाना चाहते हैं, उनको जमीन दी जा सकती है। यह काम वहां की स्थानीय निकाय के द्वारा किया जा सकता है। जहां तक शहरों का मामला है, इस पर भी काफी चर्चा हुई है। मंत्री महोदय कह रहे हैं कि अर्बन सीलिगं कानून को निकालने जा रहे हैं। मेरे विचार से इसमें लोगों की अलग-अलग राय हो सकती है। कोई कहेगा कि अर्बन सीलिगं एक्ट को निकालने से लोगों को जमीन नहीं मिलेगी और कोई कहेगा कि अर्बन सीलिगं एक्ट को रखने से लोगों को जमीन मिलेगी। मैं इस बहस में नहीं जाना चाहता हूं। लेकिन अर्बन सीलिग एक्ट को निकालने से अगर लोगों को जमीन मिल सकती है, तो इस एक्ट को खत्म किया जाना चाहिए और अगर इसको नहीं निकालने से जमीन मिल सकती है, तो नहीं निकालना चाहिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस अर्बन सीलिगं एक्ट को खत्म करने के बारे में चर्चा हो रही है। मैं समझता हूं कि हमें इसकी गहराई में जाना चाहिए कि इस एक्ट को निकालने से लोगों को क्या ज्यादा जमीन मुहैया हो सकती है या नहीं हो सकती है। इस पर गहराई से सोच-विचार हुआ है, ऐसा मुझे नही लगता है। मंत्री महोदय से हम कहेंगे कि अगर आपको लगता है कि ऐसा करने से हो सकता है, तो जरूर करना चाहिए। लेकिन घर बनाने के लिए हमको पहले जमीन देनी पड़ेगी।

दूसरा प्रश्न है, पैसे की व्यवस्था। मुझे ऐसा लगता है कि मकान बनाने के लिए पैसों की बहुत आवश्यकता होती है। रोटी के लिए उतने पैसे की आवश्यकता नहीं होती है, कपड़े के लिए उतने पैसे की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन मकान बनाने के लिए हजारों, लाखों और कुछ लोग तो करोड़ों रुपए भी मकान बनाने के लिए खर्च कर देते है, इतने पैसों की आवश्यकता होती है। जब हम घर बनाने के लिए पैसा नहीं दे सकते, तो घर कैसे बन सकता है। सवाल यह है कि यह पैसा कैसे दिया जा सकता है। मैं ऐसा समझता हूं कि अगर हम बारे में कोई पालिसी बनाने जा रहे हैं, तो हमें इस बारे में गहराई से सोचने की जरूरत है। जहां तक देहातों में गरीब आदमी को पैसा देने की बात है, यह काम तो सरकार को करना पड़ेगा, क्योंकि यह काम ग्राम पंचायत नहीं कर सकेगी, म्युनिसिपैलिटी नहीं कर सकेगी, कारपोरेशन नहीं कर सकेगी और मेरे विचार से राज्य सरकार को इस दिशा में पहल करनी चाहिए। राज्य सरकार काम जमीन के लेने और जमीन के देने का है, जो उसको करना चाहिए। इसमें अगर केन्द्रीय सरकार को मदद देने की जरूरत है, तो उसको इस दिशा में कदम उठाना चाहिए। शहरों के अन्दर भी इसी प्रकार से सोचना पड़ेगा। एक समस्या यह भी है कि शहरों में जमीन की कीमतें बढ़ती जा रही है। इसके बारे में भी सरकार को सोचना होगा।

तीसरी बात टैक्नालाजी की है। घर बनाने के लिए जो टैक्नोलाजी इस्तेमाल करते हैं, वह बहुत पुरानी हो गई है। एक तो हमारी जो पुरानी पद्धति थी, उस पर भी हम ध्यान नहीं दे रहे हैं और दूसरे जो पुरानी टैक्नोलाजी अच्छी नहीं है, उसे भी पकड़ कर रखे हुए हैं। देहातों में जो घर बने हुए है, वे वहां के एटमासफियर और एन्वायरन्मेंट को ध्यान में रखकर बने हैं जिनमें हजारों-सालों पुराना तरीका अख्त्यार किया हुआ है।

अपराह्न 5.00 बजे

उसे हमने छोड़ दिया। दुसरी बात यह है कि वह जो घर बनते हैं वे बहुत सारे मिट्टी, पत्थर, ईट, सीमेंट और लोहे की मदद से बन रहे हैं, जबकि इन वस्तुओं का उतनी मात्रा में इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है बल्कि इस काम में नयी टैक्नोलॉजी इस्तेमाल करने की जरूरत है। मैं कभी-कभी ऐसा सोचता हूं कि अगर सरकार को सही मायनों में इस प्रश्न को हल करना है तो सोचना पडेगा कि कैसी नई टैक्नोलॉजी इस्तेमाल करके, देहातों में, शहरो में किस तरीके से घर बनाएं। इस बारे में बहुत गहराई से सोचने की जरूरत है। हम जब कुछ प्रदेशों में जाते है, जहां पर बहुत ठंड होती है वहां घर की दीवारें बहुत बड़ी-बड़ी नहीं होती बल्कि छोटी-छोटी होती है और उसके ऊपर जो खर्चा आता है वह बहुत थोड़ा होता है।

महोदय, अब प्री-फेब्रीकेटिड मेटीरियल का सवाल भी यहां पर आता है। अगर जल्दी से घर बनाना है, ज्यादा घर बनाने हैं अच्छे घर बनाने हैं तो मैं ऐसा सोचता हूं कि हर शहर के अंदर एक-दो तीन मैटीरियल फेब्रीकेट करने वाले कारखाने हमें लगाने होगें, जैसे कि दूसरे देशों में लगाए गए हैं। उसकी मदद से घर हम छः-छः महीने में नहीं , छह-छह दिन में भी मकान बना सकते है। इसलिए नई टैक्नोलांजी के सवाल पर हमको जरूर ध्यान देना पड़ेगा। जो यहां के क्लाईमेट को सूट करे, ऐसा घर हमको बनाना पड़ेगा और दूसरे ज्यादा मेटीरियल उसमें इस्तेमाल करने की जरूरत न हो, ऐसी टैक्नोलॉजी बनानी पड़ेगी। तीसरी बात यह है कि जो घर हम बनाएंगे वे ऐसे बने जिसके अंदर क्वालिटी हो मजबूती हो और लोगों की सुविधाओं का भी सवाल हो, इसके बारे में भी सोचना बहुत जरुरी है, ऐसा मुझे लगता है।

[श्री शिवराज वी. पाटील]

महोदय, सवाल यह पैदा होता है कि यह काम कौन करे, क्या यह काम हम सिर्फ सरकार को करने के लिए कहेंगे। यूनियन गवर्नमेंट को, स्टेट गसर्नमेंट को, जिला परिषद को, पंचायत समिति को या विलेज लेवल के विलेज को या नगर परिषद को करने के लिए कहेंगे तो क्या यह हो सकेगा। मैं समझता हूं कि सिर्फ गवर्नमेंट के ऊपर छोड़ कर यह काम नही चलेगा, इसके लिए दूसरों को भी मदद करने की जरूरत है और दूसरा कौन मदद कर सकता है। यूनियन गवर्नमेंट को तो मदद करना जरूरी है, स्टेट गवर्नमेंट को मदद करना जरूरी है। जिला परिषद और पंचायत समिति को भी इसमें मदद करने की जरूरत है। ग्राम पंचायत और म्युनिसिपेलिटी को भी इसमें मदद करनी पड़ेगी। मगर मुझे ऐसा लगता है कि जो सूसरे इंस्टीट्यूशंस हैं उनको भी मदद करनी पड़ेगी। अगर कोई लेबोरेटरी बनने जा रही है तो हाउसिंग का प्रोबलम उसके साथ सोल्व होना चाहिए। अगर कोई फैक्ट्री बनने जा रही है तो जो फैक्ट्री बनाते हैं उनको यह प्लान बनाना पड़ेगा कि अपने नौकरों को, आफिसर्स को या उनके साथ काम करने वालों को घर देने का काम कैसे करें। यह जो जिम्मेदारी है, यह सिर्फ सरकार पर छोड़ कर नहीं चलेगी। इस जिम्मेदारी को प्राइवेट इंस्टीटयुशंस, प्राइवेट इंडस्ट्रीज या प्राइवेट सैक्टर को भी शेयर करना पड़ेगा, ऐसा मुझे लगता है और फिर बाद में इनडिविजुअल को अपने लिए तो खुद करना ही पड़ेगा। मगर यह जो घर बनाने की बात है, मुझे कभी-कभी ऐसा लगता है कि टूरिज्म और हाउसिंह प्राइवेट सैक्टर में हैं, यह कोई भी रिएलाइज नही करता है। इसके बाद भी हमारे घर नहीं बने हैं, टूरिज्म हमारे पास डेवलप नहीं हो सका और हम कहते जा रहे है कि टूरिज्म और हाउसिंग प्राइवेट सैक्टर में से निकाल कर प्राइवेट सैक्टर इसके अंदर हमको बहुत मदद कर सकता है। प्राइवेट सैक्टर की भी इसके अंदर कुछ खामियां हैं, इसको भी ध्यान रखना पडेगा। क्या आप प्राइवेट सैक्टर से निकल कर पब्लिक सैक्टर में लाना चाहते हैं या गवर्नमेंट सैक्टर में इसको लाना चाहते हैं, मैं समझता हूं कि जहां तक हो सके चह प्राइवेट सैक्टर में ही रहना चाहिए। मगर जो प्राइवेट सैक्टर में काम करते हैं उन लोगों को जो प्रोफिट इसके अंदर मिलता है उसके अंदर सीलिंग होनी चाहिए। अगर आप लैंड की सीलिंग निकालते हैं तो प्राइवेट सैक्टर में जो घर बने हुए हैं, इनके ऊपर जो प्रोफिट ले रहे हैं उसके ऊपर सीलिंग लगाने की जरूरत है। जब घर की कास्ट हम निकालते हैं कि कितनी कीमत एक घर के लिए लगी है। इसकी कास्अ निकालें- 20 परसैंट, 60 परसैंट, सौ परसैंट प्रोफिट है, अगर 300 परसैंट, 400 परसैंट, 1000 परसैंट इसके ऊपर प्रोफिट देंगे तो यह काम नही चल सकेगा, ऐसा मुझे लगता है।

इसके साथ ही साथ जो कानूनी कठिनाईयां हैं, उनके बारे में भी कहा है। हमारे एक साथी ने यहां पर कहा कि राइट यू शैल्टर भी हमें अपने संविधान में देना चाहिए। जेठमलानी साहब तो हयूमन राइटस के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। उनके मन में यह बात है। मैं नही समझता कि यह जो राइट टू शैल्टर है वह आसानी से दिया जा समता है। असल में राइटस टू फूड, राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन, राइट टू क्लोदिंग, राइट टू शैल्टर अत्यंत आवश्यक ल्यूमन राइट्स हैं। लेकिन सिर्फ यही राइट्स हमने अपने सिटीजन को नहीं दिये हैं, बल्कि राइट टू स्पीक, राइट टू मूव, राइट टू ऑकूपेशन भी दिया है। ऐसे अलग-अलग किस्म के राइटस दिये है, जो जीने के लिए आवश्यक नहीं हैं लेकिन अच्छी जिंदगी के लिए आवश्यक हैं, मगर यह राइट क्यों नही दिया है। हमें बड़ी खुशी होगी अगर राइट टू प्राइमरी एजुकेशन, राइट टू वर्क, राइट टू शैल्टर सरकार देने जा रही है। लेकिन सरकार को देखना होगा कि ये चीजें हो सकती हैं या नहीं हो सकती हैं। अगर हो सकती हैं तो सरकार को करना पड़ेगा। कभी-कभी ऐसा लगता है कि अगर सारी चीजे सरकार की तरफ से ही करने की हम सोच रहे हैं तो कोई भी राइट हम किसी को भी अच्छे ढंग से नहीं दे सकते हैं। राइट देने की जिम्मेदारी सरकार के साथ-साथ अगर प्राइवेट संस्थान और इंडीविजुएल ने भी ले ली तो इस प्रकार के राइटस दिए जा सकते हैं। जापान जैसे देश में राइट टू वर्क दिया गया है और उसके साथ-साथ उन्होंने डयूटी वर्क भी अपने संविधान के अंदर लिखा है। राइट और डयूटी अगर साथ-साथ वे दे सकते हैं तो हम भी अपने यहां दे सकते हैं।

अपराहन 5.07 बजे

[श्री रघुवंश प्रसाद सिंह *पीठासीन हुए*]

मेरा तीसरा और आखिरी पांइट यह है कि आवास की नेशनल पॉलिसी पर जब हम विचार कर रहें हैं तो केवल एक दरवाजा और दो खिड़कियों से काम नहीं चलेगा। उसके बारे में और भी ज्यादा आगे चलकर हमें सोचना होगा। बहुत सारे मकान गांवों और नगरों में ऐसे बने हैं जहां तक जाने के लिए रास्ता ही नहीं है और रास्ता अगर है तो इतना छोटा है कि एक गाड़ी एक तरफ से जाए तो दूसरी गाड़ी दूसरी तरफ से नहीं आ सकती है। बहुत सारे घर भी ऐसे हैं जहां पर पीने के पानी का भी इंतजाम नहीं है। अभी हमारे साथी मोहन सिंह जी ने कहा कि बहुत सारी जगह शौचालय का भी इंतजाम नहीं है। यह बहुत मुश्किल और गंभीर बात है। हमें सैनिटेंशन के बारे में भी सोचना होगा। इसमें जो सबसे गंभीर चीज है वह टाउन प्लॉनिंग की बात है। अगर विलेज प्लॉनिंग, टाउन प्लॉनिग, सिटी प्लॉनिग अच्छे ढंग की हो जाए तो सड़क, रास्ता, शौचालय और दूसरी सुविधाओ का सवाल भी हल हो सकता है। अगर हम नेशनल पॉलिसी ऑफ हाउसिंग बनाने जा रहे हैं तो हमें इस प्रकार से बनानी चाहिए कि ये सारे मुद्दे और इनसे संबंधित मुददे रिफलेक्टस हों तो ये परेशानियां पैदा नही होगी। इसके लिए नेशनल विल का होना भी जरूरी है। नेशनल प्लॉनिंग के साथ-साथ अगर नेशनल विल भी पॉलिसी के अंदर हो जाए तो शायद हाउसिंग की समस्या हल हो सकती है।

मुझे बहुत खुशी है कि इस संसद के अंदर स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगाठ के अवसर पर जो बेसिक जरूरियात हैं उनके ऊपर ध्यान आकृष्ट किया जा रहा है तथा उनके ऊपर गहराई से विचार हो रहा है। यह बहुत अच्छी बात है। मैं समझता हूं कि अगर कोई ऐसी योजना पहले बनाई गयी हे तो उनको भी निकाल कर देखना चाहिए। मुझे लगता है कि सरकार के ऑफिसों में ऐसी पॉलिसीज बनती हैं, फिर चार साल बाद भुला दी जाती हैं। दूसरी सरकार आ जाती है तो दूसरी पालिसी बनाई जाती है। सिंचाई की, हाउयिंग की,एजुकेशन की बहुन सारी पुरानी पॉलिसीज हैं, उनको भी निकाल कर देखना चाहिए। उनके अंदर कोई कमी हो तो उसको दूर करना चाहिए तथा आज के हालात के अनुसार उनको दुरुस्त करके नयी पॉलिसी आए तो मैं समझता हूं कि सदन के सारे लोग उस पॉलिसी का समर्थन करेंगे और शायद हमारे देश का जो सबसे बड़ा सवाल है वह अच्छी तरह से हम हल कर सकेंगे।

डा० असीम बाला (नवद्वीप): सभापति महोदय, मैं हिन्दी में बोलने की कोशिश करुंगा। आपकी जो हाएसिंग पालिर्सी बन रही है, उसका क्या आधार है? गवर्नमेंट हाउस बना देती है लेकिन प्राईवेट लोग जो हाउस बनाते है, उसकी क्या पालिसी है? वे पांच सितारा होटल की तरह बडे बड़े मकान बनाते है। मैट्रोपॉलिटन सिटीज के स्लम्स में जो लोग रहते है,उनके लिए कोई घर नहीं बनाए गए हैं। वे स्लम्स में रहते हैं। उनके एक तरफ पांच मंजिल के बड़े-बड़े मकान बनते हैं। गांवो में आम लोग रहते हैं। सरकार ने इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत मकान बनाए। वे मकान 16 हजार में बनते है लेकिन वे सही ढ़ंग से नही बनतें कॉन्ट्रैक्टर लोग पैसा खा जाते है। इस कारण घर ठीक से नहीं बनते। जो गरीब आदमी हैं,जो पावर्टी लाइन के नीचे रहते हे। उनके ज्यादा बच्चे भी हैं। ऐसे 33 परसैंट लोग है। उनको मकान की सुविधा नहीं मिलती। यह एक प्राबलम है। रिच लोगों के कितने मकान नहीं होने चाहिए, यह गवर्नमैंट फिक्स कर दे। उस संख्या से अधिक उनके मकान नहीं होने चाहिए। उनके इकोनमिक

स्टेट्स को भी ठीक करने की आवश्यकता है। मकान फेजवाइज बनने चाहिए। पैसे वाला आदमी ज्यादा पैसे खर्च करके घर बनाता है। रुरल एरिया में किस तरह के मकान बनने चाहिए, यह गवर्नमैंट की तरफ से फिक्स होना चाहिए। एवर्नमैंट गरीबों के लिए मकान बनाती है और जिन के पास घर नही है, उनके लिए घर बनाती है। वह एक पालिसी के आधार पर ऐसे घर बनाती है लेकिन प्राइवेट लोग जो घर बनाते हैं, उनके लिए कोई पालिसी नहीं बनायी गई है। हमारे यहां हाउसिंग शॉर्टेज तो है ही। गरीब लोग गांवो और शहरों में रहते हैं। उनके लिए 40 मिलियन हाउसिंग यूनिट्स हैं। उसके साथ रिलेटेड एनवायरनमैंट और हाइजिन भी है। ड्रेनेज सिस्टम और लैट्रिन के बारे में सभी सदस्य यहां बोले हैं। गांव का गरीब आदमी एजुकेटिड नहीं है। उसको हाइजिन की जानकारी नहीं है। उसके यहां सोशल प्राबलम किएट हो जाती हे। इन सारी चीजों को ध्यान में रख कर हाउसिंग प्रोग्राम बनाया जाए तो अच्छा होगा। इतना ही कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री सत्य पाल जैन (चंडीगढ़): सभापति महोदय, मैं लक्ष्मी नारायण पांडेय जी को इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने इस सदन के सामने देश की उस समस्या के बारे में ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की है जो आज किसी विशेष प्रान्त, या किसी शहर, या किसी गांव की समस्या न होकर आज सारे देश की समस्या बन गई है। माननीय वाजपेयी जी के नेतृत्व में जो संयुक्त सरकार बनी है, मैं उसको इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं कि उसने इस समस्या की ओर ध्यान देने की कोशिश की। इस सरकार को जो राष्ट्रीय एजेंडा बना है, उसमें देश के लोगों से यह वायदा किया गया हे वह प्रत्येक वर्ष 20 लाख नए मकान बनाएगी ताकि लोगों को मकान दिए जा सकें। मैं महसूस करता हूं कि यह एक ऐसी समस्या है जिस की ओर पिछले पचास वर्षों में जितना ध्यान दिया जाना चाहिए था, उतना ध्यान नही दिया गया।

इसका परिणाम आज यह निकला है कि बड़े-बड़े शहरों में, अच्छे-अच्छे शहरों में, चाहे वह मुम्बई हो, दिल्ली हो, चंडीगढ़ हो या चाहे कोई शहर हो, हजारों लाखों की तादाद में ऐसे लोग हैं जो बड़े शहरों में रहते होंगे लेकिन वह मकानो में नहीं रह रहे हैं, किसी झुग्गी-झोपड़ी में रह रहे हैं। मैं जिस निर्वाचन क्षेत्र चंडीगढ़ से आता हूं वह एक छोटा सा केन्द्र शासित प्रदेश है और लोगों उसे दुनिया का नहीं तो कम से कम हिन्दुस्तान का बहुत खूबसूरत शहर मानते है। आप हैरान होंगे कि साढ़े सात लाख की आबादी में कम से कम डेढ़-दो लाख लोग ऐसे हें जिनके पास रहने के लिए मकान नहीं हैं। इस छोटे से केन्द्र शासित प्रदेश में अधिकांश लोग बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान से मजदूरी करने के लिए आते हैं और जहां वह रहते हैं आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। एक छोटी सी झुग्गी जिसकी छः सात फुट लंबाई और छः फुट चौड़ाई होगी, उसके अंदर सारा परिवार रहता है। पति वहीं रहता है, पत्नी वहीं रहती है,बच्चे वहां रहते हैं और शादी-शुदा बच्चे वहीं रहते हैं। पानी की व्यवस्था नहीं है, बिजली की व्यवस्था नहीं है और किसी किस्म की व्यवस्था नहीं है। लाखों लोग आज उस हालात में रह रहे हें। उन लोगो के पास रहने के लिए मकान की व्यवस्था नहीं है इतना ही नहीं, हजारों की तादाद में कर्मचारी भाई बहुत लंबें अर्से से मकान की तलाश में बैठे हैं। उनको तनख्वाह तीन-चार हजार रुपये मिलती है और किसी बड़े शहर में मकान लेना चाहें तो दो कमरे का मकान 1500 रुपये से 2500 रुपये में मिलता है। परिणाम यह है कि तनख्वाह में से लगभग आधा मकान के किराये में खर्च हो जाता है। 20-25 साल लोगों को नौकरी में आए हुए हो गए हें लेकिन अभी भी मकान आबंटन के लिए उनका नंबर नहीं आया है। किसी कर्मचारी से पूछे तो पता चलता है कि कहीं 1947 की सूची चल रही है, कहीं 1976 की सूची चल रही है। बहुत सारे कर्मचारी ऐसे है जो सेवा में भर्ती होने के बाद रिटायर हो जाते हैं लेकिन सरकारी मकान के लिए उनका नंबर नहीं आ पाता है। इतना ही नहीं, इसके साथ-साथ दुर्भाग्य से समाज में जो डिसकिमिनेशन है, जो इनईक्वैलिटी है, वह इतनी ज्यादा है कि एक तरफ बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जिसे मकान नहीं मिल रहा है और दूसरी तरफ आप देखें तो छः-आठ कनाल और एक-एक एकड़ में लोगों की कोठियां बनी हैं, बड़े-बडे मकान बने हैं और उनमें रहने वाले लोग -- पति, पत्नी, एक बच्चा और साथ में एक कार और सबके अपने-अपने कमरे और घर में एक कुत्ता हैं। एक तरफ चार-पांच लोग रहने वाले हैं और दूसरी ओर हजारों लोग है जिनको ठहरने के लिए भी मकान नहीं मिलता है। मै मंत्री महोदय से विनती करना चाहता हूं कि उनको ऐसा रास्ता निकालना चाहिए कि जो बड़े मकान बने हैं, उनके डिविजन की तरफ आप जाएं, भले ही वह अपने भाई को दें, रिश्तेदार को दें, लेकिन बड़े मकान का कनसेप्ट बर्दाश्त करने की स्थिति मे हम नही हैं। मेरा निवेदन है कि इस मामले में हमें नीति बनानी चाहिए और छोटे लोगों के लिए मकान देने की बात करनी चाहिए।

सभापति महोदय, आज जगह की जितनी कमी होती जा रही है, मैं महसूस करता हूं कि जो डेवलप्ड टाउन्स हैं, जैसे चंडीगढ़ है, वहां फ्लैट सस्टिम की परमीशन देनी चाहिए। आज फ्लैट सिस्टम की परमीशन कम होती जा रही है, स्पेस कम हो रहा है और मकानों की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है। आज हम फ्लैट सिस्टम की तरफ जाएं, पांच-छः स्टोरी फ्लैट्स की परमीशन दें और मकान बनाएं। फ्लैट सिस्टम हो ताकि अधिक लोगों को अकोमोडेट किया जा सके।

एक बहुत बड़ा वर्ग इसमें जुड़ा हुआ है और वह है पत्रकारों का वर्ग। कुछ स्थानों पर इनको सरकारी मकान देने की वयवस्था की है। हाई कोर्ट में भी यह मामला आया और सुप्रीम कोर्ट में है। कई स्थानों पर पत्रकारों को सरकारी मकान दिये जा रहे हैं और कई स्थानों पर इनकी व्यवस्था नहीं है। मेरा निवेदन है कि केन्द्रीय सरकार इस संबंध में एक नीति बनाए क्योंकि जिस पत्रकार को साल-आठ या दस हजार रूपया मिलता है, वह अगर प्राइवेट मकान में रहें तो उसमें बहुत कठिनाई आती है। मेरा निवेदन है कि एक केटागरी जो पत्रकार भाइयों की है, इनके लिए समान नीति बने। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट इस संबंध में आया है, हाई कोर्ट में भी मामले हैं कि सरकार इस संबंध में एक नीति बनाए ताकि सबको मकान दिये जा सकें और इस समस्या का समाधान निकले।

अभी जमीन अक्वायर करने के बारे में जिक्र किया गया। यह सही है कि मकान बनाने के लिए जमीन अक्वायर करना जरूरी है, लेकिन एक तरफ देखने में आ रहा है कि जितनी भी मकान बनाने की संस्थाएँ हैं, वह जमींदारों से जमीन अक्वायर करती हैं तो दो-तीन लाख रुपये एकड़ के हिसाब से जमीन अक्वायर करती है और जब वे मकान बनाकर बेचती हैं तो उसकी कीमत 40-50 लाख रुपये एकड़ तक होती है। जमींदार से जमीन सस्ती ले रहे हैं और कंज्यूमर को महंगी दे रहे हैं। हमारे यहां चंडीगढ़ में बहुत समस्या है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि जो लैण्ड अक्वायर की जा रही है, जमीदार को उसका पूरा मुआवजा मिलना चाहिए और पूरे मुआवजे के साथ-साथ जिसकी जमीन अक्वायर होती है, उसे रहने के लिए मकान भी सरकार दे। क्योंकि अगर हर आदमी को रहने के लिए मकान नहीं मिलेगा तो उन लोगों की जमीनों पर मकान बनाकर दूसरे लोग वहां रहेंगे। जमींदार और किसान को वह नहीं मिलेगा।

सभापति जी, मोहन सिंह जी ने एक बात कही है और इंदिरा आवास योजना की भी बात चल रही है, हरिजनों के लिए भी कालोनी बनाने की बात चल रही है। मेरा इस संबंध में निवेदन है कि हम अगर बहुत अरसे तक अपने इन दलित वर्गों के लोगों को अलग से कालोनी बनाकर देते रहेंगे, अलग से मकान बनाकर देते रहेंगे तो समाज में समरसता नहीं आ पायेगी। इसलिए हमें इस बात को समाप्त करना चाहिए। चाहे कोई किसी भी वर्ग का हो, एक ड्रॉ ऑफ लॉट दलित वर्गों, कमजोर वर्गों और गरीब

[श्री सत्य पाल जैन]

लोगों के लिए हम करें। अब हमें यह समाप्त कर देना चाहिए कि यह मुसलमानों की कालोनी है, यह दलितों की कालोनी है और यह बाकी लोगों की कालोनी है। हमने चंडीगढ़ में ऐसा किया है। हमारे यहां लगभग चार हजार यूनिट मकान बनाकर लोगों को अलाट किये गये हैं और हमने किसी किस्म की इस तरह की व्यवस्था नही की है कि यह हरिजन लोग हैं तो इनके लिए अलग से कालोनी होगी और ये बाकी लोग हैं इनके लिए अलग से कालोनी होगी। उन सबको मिलाकर एक रखें ताकि इनमें समरसता आये। ताकि लोग इस बात को भूलें कि मैं फलां जाति का हूं और मैं इस जाति का हूं।

सभापति महोदय, जहां तक बिजली, पानी और शौच का ताल्लुक है, यह बात उन्होंने बिलकुल सही कही है। आज लाखों की तादाद में दिल्ली में और मेरे अपने क्षेत्र चंडीगढ़ में ऐसे लोग हैं जिनके पास शौचालय की सुविधा नहीं है। शौचालय, स्कूल, पानी, बिजली और सड़क ये पांच चीजें ऐसी हैं मैं समझता हूं कि जिनकी केन्द्र सरकार सबके लिए व्यवस्था करे और जो केन्द्र शासित प्रदेश हैं, उनके लिए तो सीधी जिम्मेदारी केन्द्र सरकार की बनती है। बाकी प्रदेशों के लिए तो केन्द्र सरकार कह सकती है यहां पर राज्य सरकारें हैं, वही इस पर ध्यान दें। लेकिन जो केन्द्र शासित प्रदेश है, वे सीधे केन्द्र सरकार के अंतर्गत आते हैं और मैं चाहता हूं कि इस संबंध में सरकार एक नीति बनाये।

एक आखिरी बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं कि ये जो सारी बातें हमने कही हैं, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हैं। सारे मैम्बर्स ने जो बातें कही हैं, लोग मकानों के बारे में सहमत हैं। मुझे नहीं लगता इसमें किसी किस्म की दो राय होगी। परंतु हमें एक बात और भी ध्यान में रखनी होगी कि चाहे हम कितनी भी योजनाएं बना लें, कितने भी मकान बना लें, कितने भी फ्लैट बना लें, यदि बढ़ती हुई आबादी पर हम नियंत्रण नहीं करेंगे तो आपकी सारी की सारी योजनाएं फेल होती जायेंगी। आज हालत यह है कि जो अस्पताल आपने पांच सौ लोगों के लिए बनाये थे, आज वहां पचास हजार लोग आ रहे हैं। जो मकान आपने पांच हजार लोगों के लिए बनाये थे आज वहां पचास हजार लोग आ गये हैं। आप कैसे पूरा करते जायेंगे। अभी शांता कुमार जी बता रहे थे कि हिमाचल प्रदेश में हमने मकान बनाकर लोगों को दिये, लेकिन लोग उनको बेच-बेचकर आगे निकलने शुरू हो गये। लोग आते जा रहे हैं और इतना ही नहीं हो रहा है, लोग एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में सिर्फ इसलिए जा रहे हैं कि फलां जगह स्कीम अच्छी है, वहां पर हमें अच्छे मकान मिल सकते हैं। इसलिए यह जो बढ़ती हुई जनसंख्या है इस पर नियंत्रण करना होगा। सुबह प्रश्नोत्तर के समय एक सुझाव आया कि कई सरकारों ने इस बात की व्यवस्था की है कानून में इसका प्रावधान किया है। हरियाणा का मुझे याद है, हरियाणा म्युनिसिपल ऐक्ट, हरियाणा पंचायत राज ऐक्ट में इस बात की व्यवस्था की गई है कि अगर किसी को दो से ज्यादा बच्चे होते हैं तो वे चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। ऐसी ही सीमाएं सरकारी कर्मचारियों के लिए हमें नौकरियों में लगानी पड़ेगी। ऐसी सीमाएं हमें बाकी जगहों में भी लगानी पड़ेंगी क्योंकि अगर जनसंख्या पर नियंत्रण नहीं होगा तो आप कितनी अच्छी स्कीमें बना लें, कितने अच्छे प्रावधान कर लें, उसका किसी किस्म का कोई लाभ होने वाला नहीं है। अत: इस समस्या की ओर भी ध्यान दें। इन शब्दों के साथ मैं माननीय पांडे जी के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए और नयी सरकार से यह आशा करते हुए कि उन्होंने जो वादा किया है, वह पूरा करेंगे, और कर्मचारियों तथा बाकी सभी लोगों को मकान बनाकर देंगे, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी (रीवा): सभापति जी, मेरा नाम पहले था लेकिन अभी तक नहीं पुकारा गया।

सभापति महोदय : आपका नाम सूची में है। आपको भी मौका देंगे।

श्री बलराम जाखड़ (बीकानेर): सभापति महोदय, मै सबकी बातें सुन रहा था और लक्ष्मीनारायण पाण्डेय जी ने जो प्रस्ताव रखा है, वह बिल्कुल सार्थक है। यह आवश्यक है कि पुराने जमाने में हम लोगों ने एक नारा दिया था कि रोटी, कपड़ा और मकान। लेकिन आज सबसे जरूरी बिजली पानी और मकान हो गया है। बाकी सारी चीजें तो हो जाती हैं। मैं इस मसले पर सिर्फ एक ही नुक्ता उठाना चाहता था, एक मुद्दा बताना चाहता था। मेरे ख्याल में माननीय मंत्री महोदय, मेरे बड़े भाई इस बात को समझते हैं कि मूलत: कारण जो सत्यपाल जैन जी ने बता दिये, वही बताने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। आप कितना ही कुछ करते रहिये, आप लोगों ने जितनी भी समस्याएं बताई, वे सब की सब सही हैं, एक भी गलत नहीं है। इसकें अलावा और भी समस्याएं हो सकती हैं, वे भी सही हैं, लेकिन जब तक आप जनसंख्या पर नियंत्रण नहीं करेंगे, आप इन समस्याओं को हल नहीं कर सकते। मैं इस बात का भुक्तभोगी हूं। 1945 में मैं कालेज से आया। मैं गांव का सरपंच बना था।

सभापति महोदय, 1964 में हमारे यहां कंसौलीडेशन हुआ। उसमें हमने अपने गांव की जमीन को कंसौलीडेट किया। वह अच्छा हो गया। उसके बाद पंचायत की सारे गांव के हिसाब से जमीन निकली। उस निकली हुई जमीन को जितने भी गांव में परिवार बढ़ गए थे, उनको दे दिया। आज 34 साल बाद फिर वह समस्या आ गई। अब जमीन कहां से आएगी, कैसे आएगी? किसी गरीब की जमीन को 50 हजार रुपए में ले लिया जाएगा और उसको फिर आगे 50 लाख में बेचा जाएगा और गरीब मरेगा। कोई भी अकेली पार्टी इस काम को नहीं कर पाएगी। इसलिए मेरा निवेदन है कि सब पार्टियों के लोगों को मिलकर इस बारे में सोचना चाहिए।

सभापति महोदय, 1977 में यह मामला एक आदमी ने उठाया था। उसके दिल में देश प्रेम था। उसको भविष्य के बारे में मालूम था। उसका देश का भविष्य निर्माण करने का इरादा था। वह इस बात को जानता था कि पापुलेशन कंट्रोल होगा, तभी इस देश का भविष्य उज्ज्वल हो सकता है। उसको इस देश में किसी ने समझा नहीं। उसका बहुत विरोध हुआ और हमारी पार्टी को उसका नुकसान उठाना पड़ा। इसमें पार्टी का समाल नहीं है। इस काम को कोई अकेली पार्टी नहीं कर सकेगी। मैं चाहता हूं कि हम सब पार्टियों के लोग मिलकर बैठे, पापुलेशन कंट्रोल पर विचार करें और एक निर्णय लें कि किस तरह इसे नियंत्रित करना है।

सभापति महोदय, यदि हम जनसंख्या नियंत्रण नहीं करेंगे, तो ऐसा विस्फोट होगा जिसकी मार सभी को सहनी पड़ेगी और तअ स्थिति नियंत्रण से बाहर हो जाएगी। मैं बार-बार इस बात को दोहरा रहा हूं कि हम सब बैठकर इस बारे में बात करे और सब एक मन बना लें कि कैसे जनसंख्या नियंत्रण करना है। इसको अभी करना होगा, तब कहीं भविष्य सुधर सकेगा। यदि हम इसको नहीं करेंगे, तो देश का कल्याण नहीं होगा, दुनिया का कल्याण नहीं होगा। हम जनसख्या नियंत्रण कर लेंगे, तो बेरोजगारी का समाधान हो जाएगा, मकान की समस्या सुलझ जाएगी, अन्न की समस्या का समाधान हो जाएगा। फिर इस देश में कोई भूखा नहीं मरेगा। जो लक्ष्य हम आज निर्धारित करते हैं, वह जनसंख्या वृद्धि के कारण सब समाप्त हो जाता है। पहले हम 50 लाख टन अनाज उत्पन्न करते थे, तब भी बाहर से मंगाना पड़ता था, लेकिन अब 20 करोड़ टन अनाज उत्पादित कर रहे हैं, लेकिन समस्या जहां की तहां है। बढ़ती जनसंख्या के सामने सब स्वाह हो रहा है। अब भी हमें विदेशों से अन्न मंगाना पड़ रहा है।

सभापति महोदय, यहां पर सभी विधान सांसद बैठे हैं। सभी विधि के प्रवक्ता और विधि निर्माता हैं। मेरा आग्रह है कि हम सब लोग मिलबैठ कर जनसंख्या नियंत्रण के बारे में एक स्वर से एक नीति निर्धारित करें ताकि इस देश को बचा सकें, इस देश के बच्चों को बचा सकें, इस देश

के भविष्य को सुरक्षित कर सकें। यदि ऐसा होगा, तो फिर इस देश का कोई बच्चा भूख से नहीं मरेगा। कोई विस्फोट नहीं होगा, किसी को नाले या गंदगी में रहने पर विवश नहीं होना पड़ेगा। आज स्थिति यह है कि आदमी गांव से रोजी-रोटी की तलाश में शहर में भागता है और यहां शर्मनाक जिंदगी जीने के लिए मजबूर होता है।

सभापति महोदय, मैं इस विषय में बोलकर ज्यादा समय नहीं लूंगा। एक बात इस देश के हित में अर्ज करना चाहता हूं कि इस देश के भविष्य के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए ऐसा निर्णय लें कि एक से ज्यादा बच्चा पैदा न करें फिर भले ही हमें इसको मनवाने के लिए उसको कोई सजा भी क्यों न देनी पड़े। तभी इस देश का कल्याण होगा।

श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी (रीवा): माननीय सभापति जी, मैं आदरणीय डा॰ लक्ष्मीनारायण पाण्डेय जी द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। रोजी, रोटी, कपड़ा और मकान ये मानव की मूलभूत आवश्यकताएं हैं। आज यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इन पचास सालों की आजादी में हम किसी भी समस्या का समाधान नहीं कर पाए। जब सवाल आवास नीति बनाने का आता हे, तो हमारे माननीय सदस्य कहते हैं कि जनसंख्या नीति ठीक होनी चाहिए और बढ़ी हुई जनसंख्या के कारण ये सारी समस्याएं हैं। मैं आपके माध्यम से सदन में निवेदन करना चाहता हूं कि जनसंख्या वृद्धि भी गरीबी के कारण ही होती है। आप देख लें, अमीरों में जनसंख्या वृद्धि का अनुपात कम है और गरीबों में अपेक्षाकृत बहुत अधिक है।

सभापति महोदय, दो प्रकार की समस्याएं हैं। एक तो गांवो में जो दलित हैं, उनके आवास की समस्या है। दूसरे वे लोग हैं, जो गांव छोड़ कर रोजी-रोटी की तलाश में शहरों में भाग रहे हैं। आज जब यहां आवास के संबंध में बात हो रही है, तो हमारे कुछ मित्र कभी पत्रकारों की समस्या को लेकर बात करने लगते है और कभी बड़े लोगों के आवास के ऊपर आकर अटक जाते हैं।श्रीमान मैं निवेदन करना चाहता हूं कि एक तो गांवो में जो बड़े लोग हैं उनके पास बहुत ज्यादा भूमि है। उनकी जमीनों पर छोटे लोग बसे हुए हैं। उनको मजदूरी का काम करने के लिए बसाया गया था। एक तरह से वे बड़े जमीदारों के बंधुआ मजदूर की तरह काम करने के लिए बसाए गए थे।

इंदिरा आवास योजना के नाम पर गांव में मकान बनाने की जो स्कीम है, उसमें बहुत कम राशि दी जाती है। आज के महंगाई के जमाने में 20-22 हजार में कोई मकान नहीं बनता। उसमें भी काफी भ्रष्ट आचरण होता है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। ब्लाक में 10-15 मकान मिलते हैं वह भी पता नहीं किसके नाम पर बन जाते हैं। हमारे मध्य प्रदेश में खासकर रीवा जिले में आवास की बहुत भीषण समस्या है। अभी डा॰ लक्ष्मी नारायण पाण्डेय ने जैसा कहा कि एक राष्ट्रीय आवास नीति बने, ऐसी व्यवस्था हो, वह चाहे हुडको वाले हों, चाहे कोई और हों, जो भी मकान बनाते हैं, सारी की सारी योजना उन लोगों के हाथ में सीमित हो जाती हे जिसके पास पैसा है। मैं जानता हूं कि हाउसिग बोर्ड में मकान लेने बड़े बड़े लोग जिनके पास मकान, दस मकान हैं, वे एक हल्फनामा दे देते हैं कि हिन्दुस्तान में मेरा कोई मकान नहीं हैं जबकि उनके पास एक नहीं पांच पांच मकान होते है। जो दलित है, वंचित है, वे एक मकान के लिए भी तरस जाते है।

अभी श्री मोहन सिंह कह रहे थे कि शैचालययुक्त मकान हो, धुंआ रहित चुल्हा हो, यह तो तब की बात है जब कम से कम उनके लिए रहने को व्यवस्था हो जाये। अभी अखबारों में छप रहा है कि लू से मरने वालों की तादाद बहुत ज्यादा है। इस साल इतने लोग मर गये जितने इससे पहले कभी नहीं मरे। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि उन लोगों मे भी सर्वाधिक संख्या उनही की है जो आवास हीन हैं। लोग कहते हे कि लू से मर गये, बारिश से मर गये, जाड़े से मर गए, असल में वे गरीबी और विपिन्नता से मरते हैं। यह अपने देश का दुर्भाग्य है कि यहां लू से लोग मरते हैं, जाड़े से लोग मरते हें और भूख से मरने की बात छुपाई जाती है। अभी डा॰ लक्ष्मी नारायण पाण्डेय रीवा की बाढ़ की बात कर रहे थे। जो लोग झुग्गी झोंपडी में रहते हैं, उनको बसाने की कोई योजना नहीं होती। ये लोग नदी के पेटे में बस जाते हैं। पहले जहां भी बाढ़ आती थी तो नदी के पानी को बहने के लिए बहुत बड़ा पेटा मिल जाता था। लेकिन जब से वहां झुग्गी झोपड़ी बस गयी तब से उसका पेटा बंद हो गया। इस कारण पूरा शहर विनाशलीला का शिकार हो जाता है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसके लिए कोई राष्ट्रीय आवास नीति बने। जो दलित हैं, जो वंचित हैं, उनको बसाने की एक सुनियोजित योजना हो । मैं माननीय सदस्य की इस बात से सहमत हूं कि हारिजन आदिवासियों को बसाने के लिए जो अलग-अलग सैक्टर बनाये जाते हैं और सदियों से जो बताया गया है कि गांव का जो दक्षिणी हिस्सा है वहां ही हरिजन आदिवासी रहेंगे, यह बहुत गड़बड़ वाली बात है। सामाजिक समरसता के लिए यह जरुरी है कि बिना जाति पाति का भेदभाव किये जो जहां जगह पाये, बहां बस जाये। कम से कम ऊपरी चीजों से यह पता नही चलेगा कि कौन सवर्ण है और कोन अवर्ण। यह सारा का सारा काम तब होगा जब कोई राष्ट्रीय आवास नीति बनेगी। हमारी सरकार की एक महत्वकांक्षी योजना है। उसने घोषणा कर रखी है कि हम आवासहीनों को मकान देंगे। लेकिन मुझे डर लगता है कि जैसे और सारी योजनमाओं का लाभ कुछ मुट्ठी भर लोगों ने लिया है, कहीं इस योजना का लाभ भी वही न ले जायें। इसलिए मैं डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए सक ही बात कहना चाहूंगा कि कुछ सीमित लोगों के हाथ में जाने के बजाए जो भी गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले लोग हैं, उनके लिए एक बढ़िया आवास नीति बने ताकि वह अपना सिर छुपा सके। एक ऐसा आवास बनाया जाये जो शौचालययुक्त हो और जिसमें धुंआ रहित चुल्हे की व्यवस्था हो ताकि वह नारकीय जीवन से मुक्ति पा सकें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री के.डी. सुल्तानपुरी (शिमला) : माननीय चेयरमैन साहब, डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय जी ने जो प्रस्ताव रखा है, मैं उसकी ताईद के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं समझता हूं कि यह प्रस्ताव बहुत अच्छा है और जिस तरह से उन्होंने दर्शाया है कि आवास की सुविधा होना चाहिए, यह बहुत जरूरी है।

मैं एक बात यह कहना चाहता हूं कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने हरियाणा में, हिमाचल प्रदेश आदि में बड़े-बड़े उद्योग लगाए। लोगों ने फाईनैंस कौर्पोरिशन से पैसा लेकर बड़े-बड़े मकान बना लिए लेकिन पैसा वापिस नहीं किया। उनके मकान भी बहुत खराब हालत में हैं। दस तरह से इंडस्ट्रीज भी खराब हो गई हैं। इसका भी सर्वेक्षण करना चाहिए कि जो मकान फालतू पड़े हैं, वे गरीब लोगों को दिए जा सकते हैं। साथ ही यह भी कहना चाहूंगा कि इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत सारे देश में मकान बनाए जाते हैं। छोटे-छोटे मकान होते हैं क्योंकि जगह की बहुत परेशानी हैं।

यहां कई साथियों ने कहा कि जब तक उनको जमीन ऐलॉट नहीं होती, तब तक हम सही मायने में उनकी मदद नहीं करते। सबसे पहली बात यह है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के लोगों के पास कुछ नहीं है, वे बहुत बुरी दशा में हैं।

अभी मोहन सिंह जी ने कहा कि अनुसूचित जाति के लोगों के लिए अलग आबादी होनी चाहिए। लेकिन दूसरे साथियों ने कहा कि यदि हम हरिजन आदि लोगों की मदद करना चाहते हैं तो यह भेदभाव नहीं आना चाहिए। जो लोग गांवों में रहते हैं, उनकी दशा बहुत खराब है, वे कच्चे मकानों में रहते हैं। शहरों में तो हालत और भी खराब है। आप मुम्बई,

[श्री के.डी. सुल्तानपुरी]

कलकत्ता आदि किसी भी जगह में चले जाएं, आप देखेंगे कि उनके परिवार में कोई मिस्त्री का काम करता है, कोई कारपैंटर का काम करता है। ये लोग झुग्गियों में निवास करते हैं, सरकार की तरफ से उनको मकान देने की अभी तक कोई योजना नहीं है। गरीब लोगों को इस योजना के तहत लाना चाहिए। पिछली सरकार ने बड़े किसानों का 10,000 रुपया माफ किया। लेकिन यदि किसी गरीब व्यक्ति के पास 5,000 रुपया है तो यह कहा जाता है कि वह पैसा खा गया। बैंकों द्वारा जो टारगैट रखा गया था, उनको उसी के अनुसार पैसा मिलना चाहिए।

हमारे फाजिल मंत्री बहुत अच्छे ऐडवोकेट हैं, सारे देश में उनका सम्मान हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि यदि आप कानून बनाना चाहते हैं तो ऐसा कानून बनाएं जिससे गरीब लोगों को मदद मिल सके। यह ठीक है कि गरीब लोगों को जमीन के लिए पैसा देना पड़ेगा क्योंकि हमारे कानून में इस तरह का प्रावधान नहीं है कि हम किसी की जमीन छीन लें। जैसा हमारे पूर्व अध्यक्ष ने कहा, हमको बातचीत का कोई रास्ता निकालना चाहिए जिससे गरीब लोगों के लिए मकान बन सकें। 16,000 रुपये में मकान नहीं बनता, न ही उसमें बाथरूम बन सकता है। इस तरह के ख्याली पुलाव लोगों को खिलाने की जरूरत नहीं है। कोई दिल्ली की बात करता है, कोई मुम्बई की बात करता है, आप रेल में सफर करेंगे तो देखेंगे कि कोई नंगे पांव खड़ा है, किसी के तन पर कपड़ा नहीं है। इस तरह की हमारी आबादी है। सारी आबादी के पालन-पोषण के लिए जब तक कानून नहीं बनता तब तक हमारा देश आगे नहीं बढ़ सकता।

हमें यह सोचना है कि आज जब हम आजाद हुए हैं तो यह किसी पार्टी का राज नहीं है, सब पार्टियां यहां शासन करती हैं। हम विपक्ष में हैं, हम आपकी त्रुटियों को निकालते हैं, लेकिन अगर त्रुटियों को लेकर आप यह कहें कि यह काम आपने गलत कर दिया, यह ठीक नहीं हुआ, यह काम ठीक नहीं हुआ। उस टाइम में ठीक नहीं हुआ तो आप उसको सुधार लो। अब यह सुधारने का काम आपका है, आप उसको सुधारेंगे तो देश आपको एप्रीसिएट करेगा। अगर आप नहीं सुधारेंगे तो आप यहां नहीं रहेंगे, हमारी तरह आप भी इधर आ जायेंगे, यह मैं आपसे कहना चाहता हूं। आपको यह सोचना चाहिए कि सभी लोग एक जैसे हैं।

यहां जो हमारे पार्लियामेंट के मैम्बर हैं, उनकी क्या पोजीशन है, उनकी क्या हैसियत है, पिछले 20 साल से मैं पार्लियामेंट में हू, मैं जानता हूं कि मैम्बर के कितने अधिकार हैं। एक लेबर को उतनी तनख्वाह मिलती है, जितनी कि पार्लियामेंट के मैम्बरों को मिलती है। हमारे यहां तो लेबर की तनख्वाह भी 4000 रूपये होगी। यहां हमें 1500 रुपये मिलते हैं और उसकी भी सारे अखबारों में चर्चा होती है। तनख्वाह और बाकी जो टी. ए., डी. ए. जैसा बनता है, वह बहुत कम है। कई स्टेट ऐसे हैं, जो अपने यहां बहुत ही ज्यादा पैसा देते हैं। यहां गाड़ी का लोन 50,000 रुपये देते हैं, लेकिन कई जगह 5-5, 7-7 और 8-8 लाख रुपया गाड़ी का लोन दिया जा रहा है। जो छोटी-छोटी स्टेट्स हैं, वहां ज्यादा दिया जा रहा है। हमने अपने स्टेटस को नहीं समझा, हम अपने स्टेटस को यहीं रखना चाहते हैं। जब हम बाहर जाते हैं तो हम गरीबों की बात करते हैं। हमारे जो आफिसर्स हैं, जो हमसे सर कहकर बात करते हैं, वे अपनी गाड़ी में जाते हैं और हम मैटाडोर में बैठकर जाते हैं, इस तरह का तो हमारा यहां संविधान है, कानून है। हम गरीब लोगों की बात करते हैं, गरीब आदमियों को ऊपर उठाने का आपका कब से ठेका है? आज हिन्दुस्तान का जो हाल हो रहा है, उसमें इस पार्लियामेंट की, हमारी इज्जत भी नीचे जा रही है, इसलिए हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम अपनी लड़ाई गांवों में लड़ लें, इधर उधर लड़ लें, लेकिन जब हम सदन में हैं तो हमें यहां विचार करके बात करनी है और वह विचार यह हो कि जो गरीब आदमी है, जिसको आज तक किसी ने नहीं पूछा, उसके बारे में आज हम सब इस बात को सोचें, क्योंकि आज हमारे नये सदस्य भी चुनकर आये हैं और उनके अन्दर यह भावना है कि वे राष्ट्र के लिए काम करना चाहते हैं।

राष्ट्र का काम तभी हो सकता है, जब ईमानदारी के साथ हम काम करने की सोचेंगे। अगर हम ईमानदारी में कोई फर्क डालेंगे तो काम नहीं चलेगा। जो पूंजीपति है, ये न पैसा देते हैं और न ये इन्कम टैक्स देते हैं। टैक्स तो वे लोग देते हैं, जो सरकारी नौकर है। उनको जो टैक्स देना पड़ता है, वह तनख्वाह में से कट जाता है। प्राइवेट सैक्टर में जो मोटे-मोटे आदमी हैं, वे कोई टैक्स नहीं देते। इनके ऊपर केस करो तो ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हैं। जो भ्रष्टाचार करने वाले लोग हैं, वे अपने आपको यहां तक कहते हैं कि तब तक हम भ्रष्टाचारी नहीं हैं, जब तक कि अदालत हमें सजा नहीं दे देती। जब तक अदालत सजा दे देगी तो अगली बार में भ्रष्टाचारी बनेगा हमारे यहां साथी बैठे हुए हैं, उन्होने क्या जुर्म किया कि रैस्टोरेंट मे किसी जगह उनके पी० ए० ने कह दिया तो उसको भी 10 साल की कैद हो गई और यह फिजूल देने नहीं देने की कोई बात नहीं है। जो आदमी गरीब आदमियों का सेवादार हो, उसके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। अगर अन्याय होता है तो उसके लिए हम सब को लड़ना चाहिए और हमें अपना दर्जा कम नहीं करना चाहिएं। ऐसे तो है नहीं कि मैम्बर पार्लियामेंट ऐसे ही चुनकर आ जाता है। हमें 10-11 लाख लोग वोट देते हैं और फिर इस सदन में हम आते हैं। फिर हम ऐसी बातें कहते हैं और यहां एक दूसरे की मुखालफत करते हैं। इससे हमारा मान और सम्मान बढ़ेगा, हमारी इज्जत बढ़ेगी।

अगर हमे आज गरीब आदमी के लिए हाउस देना है, हाउस देने के लिए काम करना है तो उसके लिए ठीक ही कहा है कि रोजी, रोटी और मकान, मांग रहा है हिन्दुस्तान। इसके लिए हमको सोचना पड़ेगा ओर वह सोच सही होनी चाहिए।

माननीय सदस्य ने रैजोल्यूशन पेश कर दिया है, यहां पर मुझे डर यह है कि यहां हमारे जेठमलानी जी अपील करेंगे कि मैं इसपर विचार करुंगा, इसलिए आप इसको वापस ले लें और पांडेय जी बैठ जायेंगे। आप ऐसा मत करना, यह मैं आपको बता रहा हु, आपको इस बात से अवगत कराना चाहता हूं। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि मंत्री जी का कहना भी मत मानना।

श्री सत्य पाल जैन : आप यही करते आये हैं, यह परम्परा आपकी ही डाली हुई है।

श्री के० डी० सुल्तानपुरी : हम आपका पूरी तरह से सपोर्ट करेंगे, यह मैं आपको वचन देता हूं। हमारी पार्टी के सब सीनियर लीडर्स ने भी इसी बात का वचन दिया है। हम पूरी तरह से आपके प्रस्ताव के साथ हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि यह प्रस्ताव बहुत अच्छा है और आपको इसके लिए बधाई देता हूं। मुझे ज्यरदा कुछ नहीं कहना, सिर्फ इतना ही कहना है:

रेशम के गलीचें पर धनवान के बेटे सोते हैं,
और जिनकी बदौलत सब कुछ है, वे रात को बैठे रोते हैं

इन्ही शब्दों के साथ आपका धन्यवाद।

शहरी कार्य और रोजगार मंत्री (श्री राम जेठमलानी): सभापति महोदय, हम लोग यहां अपराहन 6 बजे तक बैठे हैं और अब 6 बजने में 15 मिनट शेष है। मुझे 6 बजकर पांच मिनट पर कैबिनेट की बैठक में हिस्सा लेना है। यदि आपकी और सभा की अनुमति हो तो हम इस पर चर्चा अगली बार जारी रख सकते हैं। अब यह आपकी और सभा की इच्छा पर निर्भर हैं।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : इस विषय के लिए पहले से दो घंटे आवंटित थे, जो 5 बजकर 54 मिनट पर पूरे हो रहे है। सदन की सहमति हो तो एक घंटा और बढ़ा दिया जाए और छ: बजे के बाद आने वाले शुकवार को इसे लिया जाए।

कुछ माननीय सदस्य : सहमति है।

सभापति महोदय : ठीक है।

[अनुवाद]

श्री वारकला राधाकृष्णन (चिरांयिकिल): सभापति महोदय, डा॰ लक्ष्मी नारायण पाण्डेय द्वारा पेश किए गए संकल्प का मैं स्वागत करता हूं यह एक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है। केरल राज्स में प्राप्त अनुभव के आधार पर मैं यह कह सकता हूं कि इस समस्या का समाधान भाग विधान द्वारा नहीं किया जा सकता हैं। विधान बनाना अंतिम उपाय नहीं है। मैं बताना चाहता हूं कि हम ने 1960 में अधिकतम भूमि सीमा नियतन करने के लिए एक विधान पारित किया था। इस अधिनियम के अनुसार, निगम क्षेत्र को तीन सेंट्स नगर निगम क्षेत्र की पांच सेंट्स तथा ग्राम पंचायत क्षेत्र दस सेंट्स भूमि आवंटित की गयी थी।

इस तरह से भूमि वितरित कर दी गई थी। तत्पश्चात स्वर्गीय श्री एम॰ एन॰ गोविन्दन नायर द्वारा एक योजना शुरू की गयी थी जिसे 'लाल आवास योजना' का नाम दिया गया था जिसके द्वारा सरकार ने इस दिशा में पहल की। जब यह योजना बनाई गई थी तब लोगों को एक लाख आवास आवंटित किए गए। इसका क्या परिणाम निकला? इसका परिणाम यही हुआ कि जिन्हें वहां रहने के लिए जगह दी गई उनमे से अधिकांश वह स्थान छोड़ कर चले गए। क्योंकि भूमि की कीमतों में समुचित वृद्धि होने के कारण उन्होंने निगम क्षेत्र को तीन सेंट्स भूमि को दस से बारह लाख रुपये में बेच दिया तथा वे वहां से चले गए।

महोदय, अब हमें एक गंभीर स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। अत: अब प्रश्न विधान बनाने का नहीं अपितु इस समस्या के समाधान के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति तथा समाजिक शक्ति की आवश्यकता है। अब हम स्वतंत्रता की पच्चासवी वर्षगांठ मना रहे हैं। आज भी हमारे देश की आधी से अधिक जनसंख्या बेघर है। कुछ लोगों ने यह भी सुझाव दिया है कि इसे संविधान में उल्लिखित मौलिक अधिकारों में शामिल किया जाए। किन्तु इसमें भी समस्या का समाधान नही होगा। अत: इसके लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति की आवश्यकता हैं।

मैं, सभी राजनीतिक दलों विशेषकर उस वक्त केन्द्र में विराजमान सत्ताधारी दल से, यह पूछना चाहता हूं कि उन्होंने इस संबंध में क्या किया। बेशक, उस समय कुछ योजनायें बनाई गई थीं। लेकिन उसके अतिरिक्त, उस समय पूरे भारत में व्याप्त इस सामाजिक समस्या के समाधान के लिए कुछ नहीं किया गया। भूमि संबंधी विधान बनाने तथा भूमि अधिकतम सीमा निर्धारण की दिशा में कठिनाईयां थी। अब अगर भूमि अधिकतम सीमा अधिनियम का निरसन कर दिया है। इसका क्या उद्देश्य है? क्या इसका उद्देश्य गरीब को बर्बाद करना है? गरीब लोगों की कोई भूमि वितरित नहीं की गई। झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले लोगों को कोई घर नहीं मिला तथा उन्हें कोई भूमि आंबटित नहीं की गई सारी भूमि अमीर लोगों को आवंटित कर दी गई।

नगर भूमि अधिकतम सीमा अधिनियम को समाप्त करने के पीछे यही उद्देश्य था। इसके लिए कोई सरकार कभी गंभीर नहीं रही तथा इस समस्या के समाधन के लिए किसी भी सरकार द्वारा कभी भी गंभीरता से प्रयत्न नहीं किया गया। गरीब लोगों को आवास उपलब्ध कराने संबंधी इस समस्या के समाधान के लिए कुछ नहीं किया गया। अब हम दो राहे पर खड़ा हैं।

संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस मुद्दा को उठाया था और इसके लिए एक तिथि भी निर्धारित की थी। हमारे देश में आधे से अधिक जनसंख्या के पास आवास उपलब्ध नहीं होने के कारण हम विश्व में सबसे गरीब देश में आते हैं। पचास वर्षो से शासन में रहने के बावजूद भी हम इस समस्या का समाधान नहीं कर पाये हैं।

अन्य शब्दों में, यह एक मानव आधिकारों से संबंधित समस्या भी है। विश्व के प्रत्येक व्यक्ति को आवास का अधिकार है। प्रत्येक व्यक्ति की यह पहली चिंता होती है। और अन्य चीजों के बाद सबसे महत्वपूर्ण चीज आवास होती हैं। क्या हम वृथा उपलब्ध करा सकते हैं? हम अपनी विभिन्न योजनाओं के बारे में अक्सर ढींग हांकते हैं। हमने इंदिरा आवास योजना, लाख आवास योजना और अन्य योजनाऐं किंतु इनसे हमें कुछ भी हासिल नहीं हुआ। गरीबों को आज भी सड़कों पर रहना पड़ रहा है। उनके पास रहने की जगह नहीं हैं और इस लिए उन्हें सड़कों पर रहना पड़ता हैं।

यदि आप केरल जाए तो आप पाएंगे कि लाखों लोग बिना किसी घर-बार के तटवर्ती क्षेत्रों में रहते हैं। हाल ही में उच्चतम न्यायालय के एक निर्देशन के अनुसार समुद्र तट से 500 गज की दूरी तक कोई घर नहीं बनाया जाना चाहिए। इस निर्देश के परिणामस्वरूप ये लोग वर्षों तक कोई घर नहीं बना पायेंगे। इस 500 गज की सीमा निर्धारित किए जाने के परिणामस्वरूप किसी भी व्यक्ति को मकान के निर्माण की अनुमति नहीं ही जाएगी। इससे उन गरीब मछुवारों का क्या होगा? मुम्बई से लेकर केप कोमरिन्द तक वे मछुवारे समुद्रतट पर हो निवास करते हैं। वे कहीं अन्यत्र नहीं जा सकते क्योंकि उनका आय का मूल स्रोत मछली पड़ना हैं। क्या हम इन लोगों से अपने इस जगह को छोड़ कर कहीं भीतरी जगहों पर जाने के लिए कह सकते हैं? यदि वे वहो जाते हैं तो उनकी आय का स्रोत क्या होगा? लाखों लोग भूखमरी के शिकार हो जाएगें। जब तक नियम में परिवर्तन नहीं किया जाता उन्हें किसी भी सरकार द्वारा कोई आवास नहीं दिया जा सकता।

अत:, मैं अपने विद्वान माननीय मंत्रो से यह चाहता हु कि वह इस तथ्य को ध्यान में रखें। उन्हें इस 500 गज की सीमा को बदलकर 50 गज करना चाहिए। नि:संदेह मैं पर्यावरण सुरक्षा तथा अन्य चीजों के बीच नहीं आना चाहता। वे जहां है उन्हें वहीं रहने दिया जाए। लेकिन लोगों की मूल चिंता आश्रय की होती है। क्या कानून में परिवर्तन किए बिना हम इन लोगों को आवास उपलब्ध करा सकते हैं। आप इस संबंध में मुझ से ज्यादा जानते हैं। लेकिन अधिवक्ता के रूप में मेरा अपना भी कुछ अनुभव है। अत: मेरा निवेदन है कि इस कानून में संशोधन किया जाए जिससे कि इन गरीब मछुवारों को आवास उपलब्ध कराया जा सके।

हम अनेक चीजों के बारे में लंबी-चौड़ी बाते कर सकते हैं और हम ऐसा करते आये हैं। हमारे लिए मात्र यही उपाय है और इस मामले में कुछ नहीं किया गया है। इसलिए, मैं इस संकल्प का बिना किसी राजनीतिक कारण या राजनीतिक स्वार्थ के गंभीरता से तथा पूरजोर समर्थन करता हूं। मैं आशा करता हूं कि मंत्री महोदय, इस संकल्प को पेश करने वाले सदस्य को इसे वापस लेने के लिए बाध्य नहीं करेंगे। मंत्री महोदय इन सब बातों से परिचित हैं। इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि हम सब एक साथ मिलकर इस मानवीय समस्या का समाधान ढूंढे जो कि लंबे समय से विद्यमान है। आए हम सब मिलकर इस समस्या का समाधान करें।

मैं जानता हूं कि यह एक बहुत ही कठिन कार्य है किन्तु इसे गंभीर प्रयासों के माध्यम से दूर किया जा सकता है। इन गंभीर प्रयासों के क्या परिणाम निकलते हैं यह देखने वाली बात है। जब कभी भी इस मामले पर चर्चा की गई इस पर सर्वथा ही दलगत दृष्टिकोण ही उभर कर सामने आया है। परन्तु ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए, मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि न केवल चारों आश्रयहींन व्यक्तियों को बचाने के

[श्री वारकला राधाकृष्णन]

लिए तत्काल कदम उठाये जाने चाहिए। परन्तु अपने राष्ट्रीय गौरव को भी बरकरार इन शब्दों के साथ मैं इस संकल्प का समर्थन करता हूं तथा मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्रीजी इस मानवीय समस्या को दूर करने के लिए तत्काल कदम उठायेंगे।

श्री शैलेन्द्र (चैल): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे राष्ट्रीय आवास नीति पर बोलने के लिए मौका दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं और डा. लक्ष्मी नारायण पान्डेय जी ने जो सदन में प्रस्ताव रखा है, उस प्रस्ताव के साथ में अपने आपको सम्बद्ध करते हुए, अपने विचार रखना चाहता हूं।

महोदय, आज पूरे हिन्दुस्तान में रोटी, कपड़ा और मकान की समस्या विद्यमान है। रोटी तो आदमी किसी तरह से खा लेता है और कपड़े न भी हों, तो चल जाता है, लेकिन मकान की समस्या विकराल रुप धारणा किए हुए है। इस प्रस्ताव में निर्धन लोगों को मकान देने की बात कही गई है। आज हम अपने हृदय से पूछें, तो हिन्दुस्तान में लाखों नहीं करोड़ों लोग ऐसे हैं, जो मकान से वंचित हैं। मैं ज्यादा दूर नहीं जाना चाहता हूं। हमारे बहुत से माननीय संसद सदस्यों ने इस बारे में अपने विचार रखे हैं। मैं ग्रामीण क्षेत्र से चुन कर आया हु और अन्य माननीय सदस्यों के सेसद क्षेत्र भी ग्रमीण क्षेत्रों में हैं। उन क्षेत्रों के विकास के इंदिरा आवास योजना है, निर्बल आवास योजना है और मलीन बस्तियों को बसाने की बात है, लेकिन गड़बड़ीऔर घपले बाजी के चलत ये सारी योजनाये फली भूत नहीं हो पाती हैं। आप इंदिरा आवास योजना को ही ले लीजिए। माननीय सदस्यों ने अपने - अपने निर्वाचन क्षेत्रों के बारे में बात कही है। मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र की बात कहता हूं। ऐसे बहुत से आवास बने पड़े हैं, जिन के लिए ऋण की व्यवस्था तो की गई और दीवारें भी खड़ी है, लेकिन छत नहीं पड़ी है। वास्तव में देखा जाए, तो रोटी-कपड़ा और मकान की बात कह दी जाती है, गरीबी दूर करने की बात कही जाती है, लेकिन काम नहीं होता है। आज भी आप देखें, देहांतो में ऐसे बहुत से दलित समाज के लोग हैं, गरीब लोग हैं, जिन्हें मकानों के लिए भूमि आबंटित की जाती है, और आवास दे दिए गए हैं, लेकिन उनका परिवार बढ़ गया है। एक विस्वा या दो विस्वा या इससे भी कम आवंटन हुआ है और परिवार इतना बढ़ गया है कि एक ही कमरे में बच्चे सोते हैं, मां-बाप सोते हैं, बूढ़े मां-बाप सोते हैं, लड़के सोते हैं और बहुयें रहती हैं। एक ही कमरे में किस प्रकार से गुजारा होता है, यह एक विकराल समस्या है।

महोदय, आज गांवों से शहरों की ओर पलायन हो रहा है। सरकार के पास रैन-बसेरा योजना थी। यह योजना उन लोगों के लिए थी, जो गांव से शहर में आकर व्यवसाय करने का काम करेंगे, रिक्शा खींचने का काम करेंगे। ऐसे बहुत से लोग हैं,जो 15-15, 20-20 दिन शहरों में आकर काम करते हैं। ऐसे लोगों की स्थिति को देखा जाए, तो आप पायेंगे कि वे खुले आकाश में सोते हैं या पुलों के नीचे या पटरियों पर सोते हैं। इसलिए सरकार को चाहिए कि वह रैन-बसेरा बनाये, जहां पर हमारे ये मजदूर या रिक्शा खींचने वाले मजदूर, तमाम ऐसे गरीब लोग जो देहातों से शहरों की ओर आते हैं, उनको रेन बसेरा में बसाया जा सके।

इसी प्रकार से आवास विकास प्राधिकरण, हुडा या हुडको, द्वारा स्पेशल कमपोनेंअ प्लान के अन्दर मकानों का निर्माण कर रहे हैं, लेकिन स्थिति ठीक नहीं है। मैं। आपका ध्यान इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश, की ओर दिलाना चाहता हूं। वहां पर इनके द्वारा ऐसे-ऐसे मकान बनाए जा रहे हैं, जो 10-15 सालों से तो खड़े हैं, लेकिन उनके दरवाजे और खिड़कियां चोरी हो गए हैं। इस वजह से वे बेकार पड़े हुए हैं। इसलिए सरकार को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए, जो लोग खुले आकाश में रहते हैं, उनको मकान की सुविधा दी जा सके और वे वे अपना जीवन-यापन कर सकें।

मान्यवर, हम बहुत से मकानों के नक्शे बनाते है, अपनी गाढ़ी कमाई से, किसी प्रकार से थोड़े-थोड़े पैसे इकट्ठे करके मकान बनाते हैं। बहुत से मकान ऐसे बनाते हैं जिनके नक्शे पास होते हैं और बहुत से ऐसे बनाते हैं जिनके नक्शे पास नहीं होते हैं। अब हमारे सामने बहुत बड़ी समस्या आती है।

महोदय, मैं इलाहबाद की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। आज उत्तर प्रदेश में 'अतिक्रमण हटाओ' के नाम पर बिलकुल कहर ढहाया रहा है। गरीब आदमी ने न जाने कैसे मकान बनाया है, लेकिन अतिक्रमण के नाम पर आज चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, लोगों के मकान गिराए जा रहे है। मैं जानता हूं कि एनकोचमेंट है लेकिन उसका एक तरीका हैं। अगर हम लोगो को मकान रहने के लिए नहीं दे पा रहे हैं, रोटी-कपड़ा नहीं दे पा रहे हैं तो उनके मकानों को उजाड़ने का काम भी नहीं होना चाहिएं। इसी प्रकार जो लोग गांवो में 25-50 वर्षो से रह रहे हैं, आपके पास भी कभी-कभी शिकायतें आती होगी, आप जानते हैं कि बहुत से ऐसे दबंग लोग होते हैं जो दूसरों के मकानों पर जबरिया कब्जा करते हैं, उनकी जमीनों पर कब्जा करते हैं। इसलिए उन लोगों को कम से कम ऐसे अकधकार दिए जाएं कि जो अनेक वर्षे से किसी मकान में रह रहे हैं उनका उस पर पूरा कब्जा होना चाहिए।

अभी हमारे एक माननीय सदस्य ने कहा कि बहुत से आवास शहरों में ऐसे बने हें जहां केवल दो-तीन कमरे हैं, बरामदें हैं लेकिन वहां बहुत सी जमीन फालतू पड़ी हुई है। मैं कहना चाहूंगा कि ऐसी जमीनों का अधिग्रहण किया जाए और फ्लैट सिस्टम बनाया जाए ताकि कम जमीन पर ज्यादा से ज्यादा आवास बन सकें

महोदय, आज पूरे भारतवर्ष में आप देखें, नालों के, गंगा के किनारे, रेलवे लाईन के किनारे या समुद्र के किनारे अनेकों लोग झुग्गी-झोपड़ियों में रह कर बेचारे अपना गुजर-बसर करते हैं। इसके अलावा जो गरीबों को मकान आबंटित किए जाते हें उनके मरम्मत की कोई योजना नहीं है-एक बार बना कर दे दिये तो कुछ समय बाद इतनी जर्जर हालत उनकी हो जाती है, जिसमें रहना मुश्किल हो जाता है फिर कोई पूछने वाला नहीं होता। इसलिए मैं अपनी बात यही समाप्त करते हुए राष्ट्रीय आवास नीति समानता से बने, चाहे अमीर हो, गरीब हो या मध्यमं बर्ग के लोग हों, सब के लिए समान कानून बने और जो हमारे गरीब आज खुले आकाश में रहते हैं उनके लिए मकान की व्यावस्था हो, इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी बात समाप्त करता हूं।

सभापति महोदय : माननीय सदस्यगण, नियम 193 के अधीन जो किसानें की आत्महत्या से संबंधित विषय पर बहस चल रहीथी उस विषय में माननीय सदस्यों की रुचि और भावना को देखते हुए कल भी एक बजे से यह बहस जारी रहेगी। कल भोजनावकाश नहीं होगा। अब सदन की कार्यवाही कल दिनांक तीन जून 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती हैं।

अपराह्न 6.04 बजे

तत्पश्चात लोक सभा बुधवार, 3 जून, 1998/13 ज्येष्ठ, 1920 शक के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

पी०एल०एस०-48/2/5/98 (एन०)
220

©1998 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम (आठवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और इंडियन प्रेस, नई दिल्ली-110033 द्वारा मुद्रित।